वार्षिक रिपोर्ट 2024–25

नाबार्ड



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

नाबार्ड

वार्षिक रिपोर्ट

2024–25



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के नोट

1. किसी कैलेंडर वर्ष से पहले कृव से तात्पर्य है कृषि वर्ष या किसी भी वर्ष 30 जून को समाप्त होने वाली 12 माह की अवधि, उदाहरण के लिए, कृव2025 30 जून 2025 को समाप्त होता है.
2. किसी भी कैलेंडर वर्ष से पहले विव से तात्पर्य है वित्तीय वर्ष या किसी भी वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली 12 माह की अवधि, उदाहरण के लिए, विव2025 31 मार्च 2025 को समाप्त होता है.
3. परियोजनाओं की चरणबद्धता के कारण किसी भी वित्तीय वर्ष का संवितरण उस वित्तीय वर्ष की मंजूरी से भिन्न हो सकता है.
4. पूर्णांकन के परिणामस्वरूप, तालिकाओं में संख्याओं का जोड़ कुल से भिन्न हो सकता है, तथा चित्रों में प्रतिशतों को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि उनका जोड़ 100 के बराबर हो.
5. जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, इस रिपोर्ट में '$' को यूएस डॉलर के रूप में माना जाए.
6. नाबार्ड द्वारा परिभाषित क्षेत्र:

   दक्षिण: आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तथा लक्षद्वीप

   पश्चिम: गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, तथा दमन और दीव

   उत्तर: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, तथा चंडीगढ़

   मध्य: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तथा उत्तराखंड

   पूर्व: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

   पूर्वोत्तर: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तथा सिक्किम
7. बॉक्सों, शोकेसों, तालिकाओं, आदि के अंत में बाण के आकार के चिह्न यह दर्शाते हैं कि प्रतिदर्श अगले पृष्ठ में भी जारी है.

मुख्यपृष्ठ: ग्रामीण शिल्पों और व्यापार से जीवंत उद्यम पारिस्थितिकी तक - भारत में ग्रामीण एमएसएमई आजीविका उपलब्ध करा रहे हैं, अवसरों का विस्तार कर रहे हैं और विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं.

चित्र आभार: नाबार्ड

नाबार्ड के लिए विशिष्ट प्रकाशन: ल्यूसिड सॉल्यूशंस, www.lucidsolutionsonline.com.

NABARD

अध्यक्ष
Chairman

संदर्भ सं. राबैं. सचिव/57317 / एआर-1 / 2025-26

10 जुलाई 2025

सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली - 110 001

गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

प्रिय महोदय

प्रेषण पत्र

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48(5) के उपबंधों के अनुसरण में, इस पत्र के साथ, मैं निम्नलिखित दस्तावेज़ भेज रहा हूँ :

i. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बैंक के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति, और
ii. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बैंक के कामकाज पर निदेशक मण्डल की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ.

भवदीय

(शाजी के. वी.)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0000 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0113 • ई मेल: chairman@nabard.org
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0000 • Fax: +91 22 2653 0113 • E-mail: chairman@nabard

निदेशक मंडल 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत नियुक्त अध्यक्ष



श्री शाजी के. वी.

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक



श्रीमती रेवती अय्यर



डॉ. रवींद्र एच ढोलकिया

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6(1)(घ) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक



श्री देवेश चतुर्वेदी



श्री शैलेश कुमार सिंह

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6(1)(ङ) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक



श्री एम. सेलवेंद्रन



डॉ. सुरेंद्र नारायण पाण्डेय



श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 6(3) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक



श्री गोवर्धन सिंह रावत



डॉ. अजय के सूद



नाबार्ड

अध्यक्ष की कलम से...



भारत ने 2024-25 में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों और व्यापार व्यवधानों से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण वैश्विक पृष्ठभूमि में भी अपनी अनुकूलन-क्षमता प्रदर्शित करते हुए जीडीपी में 6.5% की वृद्धि हासिल की है. इस प्रदर्शन में सुदृढ़ समष्टिगत वित्तीय बुनियादी सिद्धांतों अर्थात् मुद्रास्फीति को सामान्य बनाए रखने, अच्छे कॉर्पोरेट स्वास्थ्य, स्थिर वित्तीय प्रणाली और संधारणीय बाह्य क्षेत्र का सहयोग रहा है. यह महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण माँग के मजबूत होने और बेहतर ऋण प्रवाह के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र ने सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में उल्लेखनीय गति दिखाई.

केंद्रीय बजट 2025-26 में, निवेश, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समग्रतामूलक कार्यक्रम "ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन-क्षमता" की घोषणा की गई जिससे समावेशी ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, दलहन और खाद्य तेल जैसी प्रमुख वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भर होने, आपूर्ति शृंखला की दक्षता में सुधार और जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने पर नीतिगत बल दिया जा रहा है.

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारत की शीर्ष विकास वित्त संस्था के रूप में, नाबार्ड ने इन उभरती प्राथमिकताओं को गतिशील और सकारात्मक प्रतिसाद दिया. हमने न केवल पर्याप्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाने, वित्तीय समावेशन को गहन बनाने, ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाने जैसे रणनीतिक सहयोगों पर बल दिया, बल्कि अपने कार्यक्रमों और नीतियों को भी सक्रियता के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलती प्राथमिकताओं और उभरती ज़रूरतों के अनुरूप परिवर्तित किया.

वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र को संवितरित ऋण ₹27.5 लाख करोड़ के निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए ₹28.7 लाख करोड़ के नए शिखर पर पहुँच गया, जिससे इस क्षेत्र की ऋण सघनता और बढ़ी और कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन के 53% तक पहुँच गई. नाबार्ड द्वारा रियायती दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाना एक प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से नाबार्ड इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देता है. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने ₹1.9 लाख करोड़ की राशि अल्पावधि पुनर्वित्त और ₹1 लाख करोड़ की राशि दीर्घावधि पुनर्वित्त के रूप में संवितरित की. ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास का वित्तपोषण नाबार्ड के विकासलक्षी सहयोग का सबसे प्रमुख घटक है, जो ग्रामीण संपर्क और बाजार पहुँच में वृद्धि के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और कृषीतर गतिविधियों का

संवर्धन करने में योगदान करता है. वित्तीय वर्ष 2025 तक ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए ₹6.8 लाख करोड़ का संचयी संवितरण किया गया.

नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के संस्थागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जिससे आधार स्तर पर वित्तपोषण सुलभ हुआ और परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन को गहराई तक ले जाने में सहयोग मिला. वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने अपनी अभिशासन प्रणालियों को और मजबूत बनाने, व्यवसाय विविधीकरण को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन और जोखिम प्रबंधन की क्षमताओं का निर्माण करने तथा व्यवसाय पहुँच में विस्तार करने का प्रयास किया. 'उन्नति चरण II' पहल के अंतर्गत नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) एक्सेलरेटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया ताकि ऋणेतर व्यावसाय गतिविधियों को विविधीकृत करने के लिए पैक्स को सक्षम बनाया जा सके. प्रायोगिक चरण में, इस कार्यक्रम को 30 समितियों में कार्यान्वित किया जा रहा है, और इसे 10,000 पैक्स तक बढ़ाने की योजना है. पैक्स के लिए एक साझा सेवा संस्था (एसएसई) स्थापित करने में नाबार्ड एक प्रमुख हितधारक है. इस संस्था का उद्देश्य व्यावसायिक, प्रौद्योगिकी-संचालित और किफ़ायती सहयोग सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराकर पैक्स की संस्थागत और वित्तीय संधारणीयता को और बल प्रदान करना है.

वित्तीय समावेशन को गहराई तक ले जाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने क्षमता निर्माण, ऋण सुविधा और बाजार लिंकेजों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादक संगठन जैसी आधार स्तर की संस्थाओं को सशक्त बनाने में केन्द्रीय भूमिका निभाई है. वित्तीय वर्ष 2025 में स्वयं सहायता समूह – बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत 55.6 लाख स्वयं सहायता समूहों को ₹2.1 लाख करोड़ का ऋण संवितरित किया गया और बैंकों द्वारा 49.8 लाख संयुक्त देयता समूहों को सहयोग दिया गया. नाबार्ड महिला स्वयं सहायता समूहों को समर्थ बनाने की दृष्टि से तैयार किए गए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी एकीकरण और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी जैसी अग्रगामी योजनाओं के साथ भी अपने प्रयासों का तालमेल बिठा रहा है.

नाबार्ड सीमांत और लघु कृषकों की मोलभाव की क्षमता और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों के गठन में सहायता दे रहा है. वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण, बाजार एकीकरण और सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल के माध्यम से कृषक उत्पादक संगठनों के लिए मजबूत संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के अपने प्रयासों के अंतर्गत नाबार्ड ने 31 मार्च 2025 तक संचयी रूप से 7,439 एफपीओ के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की है.

ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के समावेशी विकास की कहानी के केंद्र में हैं, जो कृषीतर रोज़गार सृजन, ग्रामीण उद्यमिता और नवोन्मेष के संवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं. स्टार्ट-अप ग्रामीण भारत में रूपांतरकारी बदलाव ला रहे हैं, एक ओर वे भारत की मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने नवोन्मेषी समाधानों से जलवायु संबंधी आघातों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता का समाधान उपलब्ध करा रहे हैं. नाबार्ड ग्रामीण एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने के लिए अपने दृष्टिकोण में उत्तरोत्तर परिवर्तन ला रहा है, ताकि उभरते अवसरों का दोहन किया जा सके और एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके. संरचित प्लेटफार्मों के महत्व को मान्य करते हुए, जो मापने योग्य सामाजिक परिणामों के साथ उद्यमों को पूँजी उपलब्ध कराते हैं, नाबार्ड ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) का सफलतापूर्वक प्रयोग शुरू किया है. यह एक अनोखी पहल है जो नाबार्ड को वित्त और सामाजिक प्रभाव के मिलन-बिंदु पर रखती है. इसने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और नए विचारों को प्रभावी तरीके से लाभप्रद व्यवसाय मॉडलों के रूप में परिवर्तित करने को संभव बनाने के लिए वर्ष के दौरान तीन नए ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्रों (आरबीआईसी) की स्थापना को मंजूरी दी, जिससे मंजूर केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई, जिनमें से 9 केंद्र 31 मार्च 2025 की स्थिति में कार्य कर रहे थे.

पर्यावरणीय संधारणीयता आर्थिक विकास के एक नए महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभरी है, जिसके परिणामस्वरूप जोखिम शमन और अनुकूलन दोनों पर नीतिगत स्तर पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है. नाबार्ड संधारणीयता कार्यक्रमों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका को और अधिक प्रखर और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के प्रस्ताव और समर्थन के क्षेत्र में एक विचारक के रूप में उभर रहा है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड ने अपनी जलवायु रणनीति 2030 आरंभ की जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है - हरित ऋणीकरण में

तेजी, बाजार निर्माण, आंतरिक हरित रूपांतरण और रणनीतिक संसाधन संग्रहण. नाबार्ड हरित ऋणीकरण सुविधा (एनजीएलएफ़) की शुरुआत ने जलवायु वित्त के क्षेत्र में हमारे प्रवेश को और मज़बूती दी है. जलवायु कार्रवाई के संबंध में संस्थागत क्षमता और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हरित साक्षरता मॉड्यूल भी शुरू किए गए हैं.

मार्च 2025 के अंत की स्थिति में ₹9.8 लाख करोड़ के तुलन पत्र और बाजार से उधार ली गई धनराशि के बढ़ते मिश्रण के साथ, नाबार्ड ने ग्रामीण विकास की बहु-आयामी प्रकृति को पहचानते हुए और विकास के अपेक्षित प्रभाव के सृजन उत्पन्न करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझते हुए आस्ति-विस्तार-सह- विविधीकरण की रणनीति अपनाई है. 1 अप्रैल, 2024 से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर बेसल III विनियामक ढाँचे के लागू होने के बाद, नाबार्ड ने वर्ष के दौरान नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में आवश्यक परिवर्तनों को अपनाते हुए इस संक्रमण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे विकास कार्यक्रमों के आयोजना और कार्यान्वयन के समय परिचालन की वित्तीय सुदृढ़ता पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा. ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता की रक्षा के लिए, नाबार्ड निर्णायक रूप से जोखिम-आधारित अनुप्रवर्तन की ओर बढ़ रहा है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जोखिम-भारित आस्तियों में पूँजी अनुपात समेकित रूप से 14.4% के साथ अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गया, और उनकी आस्तियों की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, जैसा कि उनकी सकल अनर्जक आस्ति के कम होकर 5.3% हो जाने से स्पष्ट है, जो पिछले 13 वर्षों में सबसे कम है. 'एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' के लक्ष्य से प्रेरित, वर्ष के दौरान शुरू हुए समामेलन के चौथे चरण से यह उम्मीद है कि आगे चलकर देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहले से ज़्यादा मज़बूत और अधिक प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित हो सकेगी.

इस वर्ष नाबार्ड के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही ग्रामीण भारत महोत्सव (जीबीएम) का आयोजन जिसमें भारत की ग्रामीण उद्यमशीलता की शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित किया गया. इस आयोजन ने जमीनी स्तर पर नाबार्ड के माध्यम से लाए गए विकासात्मक प्रभावों की व्यापक शृंखला को प्रदर्शित किया और एक अधिक समृद्ध ग्रामीण भारत के साथ विकसित भारत के विज़न को साकार करने के हमारे दृढ़ संकल्प को सामने रखा.

गतिशील समष्टिगत वित्तीय परिवेश में, आकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों की हमसे बढ़ती अपेक्षाओं को समझते हुए, निरंतर सीखने और नवोन्मेष की मानसिकता के साथ स्वयं को उनके अनुरूप तैयार करते रहना होगा.

मैं इस अवसर पर भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सभी राज्य सरकारों, हमारे मूल्यवान बैंकिंग साझेदारों, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं, सहकारी समितियों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य विकास सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका विश्वास और भागीदारी हमें प्रेरित करती है और हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करती है.

मुझे विश्वास है कि हमारी समर्पित टीमों, मजबूत साझेदारियों और हमारे मिशन की प्रेरक शक्ति के साथ, नाबार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का प्रयास करता रहेगा.

शाजी के.वी.
अध्यक्ष

नाबार्ड एक नजर में

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार राशि ₹ करोड़ में)

निधियों के स्रोत	*वित्तीय वर्ष 2025*	*वित्तीय वर्ष 2024*	*वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में % वृद्धि*
स्वाधिकृत निधियाँ (पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिशेष)	80,494	72,867	10.5
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण स्थिरीकरण निधियाँ	16,110	16,106	0.0
जमाराशियाँ	2,75,991	3,01,958	-8.6
अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	32,079	50,518	-36.5
क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंकों के लिए अल्पावधि निधि	7,024	15,158	-53.7
दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	38,945	45,175	-13.8
चाय, कॉफी और रबड़ जमाराशियाँ	40	52	-23.1
ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि जमाराशियाँ	1,94,483	1,86,685	4.2
भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	2,870	3,890	-26.2
खाद्य प्रसंस्करण निधि	550	480	14.6
बॉण्ड बाजार में उधारियाँ	3,27,367	2,86,151	14.4
बॉण्ड और डिबेंचर्स	2,01,837	1,60,621	25.7
कर मुक्त बॉण्ड	5,000	5,000	0.0
दीर्घावधि सिंचाई निधि के लिए बॉण्ड	57,667	57,667	0.0
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लिए बॉण्ड	48,810	48,810	0.0
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के लिए बॉण्ड	12,298	12,298	0.0
सूक्ष्म सिंचाई निधि के लिए बॉण्ड	1,755	1,755	0.0
मुद्रा बाज़ार से उधार	2,51,220	2,01,083	24.9
जमा प्रमाण-पत्र (बट्टागत मूल्य)	37,939	23,630	60.6
वाणिज्यक पत्र (बट्टागत मूल्य)	57,386	52,113	10.1
मीयादी मुद्रा उधार	10	2,508	-99.6
बैंकों से मियादी ऋण	1,03,656	94,007	10.3
विदेशी मुद्रा ऋण	518	552	-6.2
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन हेतु उधार	3	3	0.0
त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग व निपटान और रेपो	51,708	28,270	82.9
अल्पावधि जमाराशि पर उधार	0	0	0.0
अन्य (देयताएँ और निधियाँ)	33,449	32,698	2.3
अन्य देयताएँ	26,110	24,501	6.6
अन्य निधियाँ	7,339	8,197	-10.5
कुल	9,84,631	9,10,863	8.1

निधियों का उपयोग	*वित्तीय वर्ष 2025*	*वित्तीय वर्ष 2024*	*वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में % वृद्धि*
(अ) नकद और निवेश	1,37,111	1,07,048	28.1
नकद और बैंक शेष	44,360	29,899	48.4
सरकारी प्रतिभूतियाँ और अन्य निवेश	91,752	69,694	31.6
त्रिपक्षीय रेपो लेंडिंग	999	7,455	-86.6
ग्रामीण उत्पादन और निवेश हेतु जीएलसी को बढ़ाने के लिए पुनर्वित्त	4,91,885	4,68,593	5.0
उत्पादन और विपणन ऋण	1,69,225	1,58,706	6.6
मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना के लिए ऋण*	2,52,697	2,68,248	-5.8
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	27,768	20,504	35.4
उत्पादक संगठन विकास निधि	0	1	-100.0
फेडरेशन को ऋण सुविधाएं	41,677	20,583	102.5
ग्रीन क्लाइमेट फंड - जीसीएफ	518	552	-6.2
आधारभूत संरचना निर्माण ऋण	2,85,820	2,65,192	7.8
ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि से ऋण	1,84,724	1,70,007	8.7
दीर्घावधि सिंचाई निधि	51,804	53,617	-3.4
डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि	1,367	1,508	-9.4
भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	2,582	3,386	-23.7
नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास	40,879	32,404	26.2
खाद्य प्रसंस्करण निधि	386	431	-10.4
सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ)	2,872	3,037	-5.4
मत्स्यपालन और जलचर आधारभूत संरचना निधि	1,141	802	42.3
राज्य सरकारों को ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता	65	0	–
सामाजिक क्षेत्र निवेश	61,117	61,117	0.0
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण	48,819	48,819	0.0
स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण	12,298	12,298	0.0
अन्य	298	337	-11.6
अन्य ऋण (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सहित)	2	5	-60.0
दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	296	332	-10.8
(आ) ऋण और अग्रिमों का उप-जोड़	8,39,120	7,95,239	5.5
(इ) अचल और अन्य आस्तियाँ	8,400	8,576	-2.1
कुल=अ+आ+इ	9,84,631	9,10,863	8.1

* राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर की सदस्यता वाली राशि भी शामिल है जो मानद अग्रिम के रूप में हैं.

नाबार्ड एक नजर में

(राशि ₹ करोड़ में)

अ) वित्तीय सहायता (संवितरण)

I) पुनर्वित्त - अल्पावधि ऋण (अधिकतम बकाया) (₹ करोड़ में)

विवरण	*वित्तीय वर्ष 2025*	*वित्तीय वर्ष 2024*	*वित्तीय वर्ष 2024 से % परिवर्तन*
एसटी-एसएओ, रास बैंक	32,079	50,518	-36.5
एसटी-एसएओ, क्षेग्रा बैंक	7,024	15,158	-53.7
एसटी-अन्य एसएओ, रास बैंक	31,124	26,109	19.2
एसटी-अन्य एसएओ, क्षेग्रा बैंक	16,439	11,905	38.1
अतिरिक्त एसटी-एसएओ, रास बैंक	72,866	57,659	26.4
अतिरिक्त एसटी-एसएओ, क्षेग्रा बैंक	29,351	21,804	34.6

नोट:

1. क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक; एसटी-एसएओ = मौसमी कृषि परिचालनों हेतु अल्पावधि ऋण; एसटी-अन्यएसएओ = मौसमी कृषि परिचालनों से इतर अन्य उद्देश्यों के लिए अल्पावधि ऋण
2. एसटी (अन्यएसएओ), क्षेग्रा बैंकों में लघु वित्त बैंकों से ₹80 करोड़ शामिल हैं

II) पुनर्वित्त - निवेश ऋण (₹ करोड़ में)

विवरण	*वित्तीय वर्ष 2025*	*वित्तीय वर्ष 2024*	*वित्तीय वर्ष 2024 से % परिवर्तन*
कृषि और अनुषंगी गतिविधियाँ	41,457	52,807	-21.5
गैर-कृषि क्षेत्र	25,010	53,678	-53.4
स्वयं सहायता समूह	28,657	22,344	28.2
ग्रामीण आवास	4,274	3,658	16.8

III) ऋण सहायता (₹ करोड़)

विवरण	*वित्तीय वर्ष 2025*	*वित्तीय वर्ष 2024*	*वित्तीय वर्ष 2024 से % परिवर्तन*
ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि	42,714	42,564	0.4
दीर्घावधि सिंचाई निधि	1,441	2,605	-44.7
भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	106	367	-71.1
खाद्य प्रसंस्करण निधि	61	106	-42.4
नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता	11,868	7,304	62.5
सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता	37,217	26,869	38.5
फेडरेशन को ऋण सुविधा	65,991	39,240	68.2
डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि	49	176	-72.2
मत्स्य पालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि	443	289	53.3
राज्य सरकार को ग्रामीण आधारभूत सहायता	65	0	-

आ) विकासात्मक पहलें

विवरण	*वित्तीय वर्ष 2025*	*वित्तीय वर्ष 2024*	*वित्तीय वर्ष 2024 से % परिवर्तन*
वाटरशेड विकास परियोजनाएँ (संख्या)	11	60	-81.7
क्षेत्र (हेक्टेयर)	2,193	60,000	-96.4
लाभान्वित परिवार (संख्या)	4,448	24,261	-81.7
स्प्रिंग-शेड विकास परियोजनाएँ (संख्या)	3	14	-78.6
क्षेत्र (हेक्टेयर)	900	4,200	-78.6
लाभान्वित परिवार (संख्या)	189	882	-78.6
जनजाति विकास निधि के अंतर्गत परियोजनाएँ (संख्या)	4	59	-93.2
क्षेत्र (एकड़)	200	14,561	-98.6
लाभान्वित परिवार (संख्या)	1,675	18,844	-91.11

मुख्य महाप्रबंधक


सी उदयभास्कर
डीपीएसपी


ज्ञानेन्द्र मणि
छत्तीसगढ़


राजीव सिवाच
राजस्थान


सुसीला चिंतला
डीएमएफ़आई


रघुनाथ बालगंगाधरन
पंजाब


कुलदीप सिंह
डियर, राजभाषा


बैजु एन कुरुप
केरल


पुरुषोत्तम कुमार भारद्वाज
पश्चिम बंगाल


निरुपम मेहरोत्रा
बर्ड, लखनऊ


एस के के मिश्र
ओडिशा


भल्लामुडी श्रीधर
जम्मू और कश्मीर


मद्दि श्रीनिवास राव
एनबीएससी, लखनऊ


एम आर गोपाल
आंध्र प्रदेश


बी उदयभास्कर
तेलंगाणा


भूपेश कुमार सिंघल
गुजरात


एस डी रोहिला
डीसीएएस


मणिकुमार शिवरामकृष्णन
एसपीपीआईडी


सुधीर के रॉय
डॉस


एस के जहागिरदार
झारखंड


सुब्रत कुमार नंदा
आईडीडी


दिनेश पुलक्कुनाथ
एचआरएमडी और विधि


सी सरस्वती
मध्य प्रदेश


आर आनंद
तमिलनाडु


आर ए दराद
महाराष्ट्र


बी सतीश राव
सीपीडी


पार्थो साहा
ओएफ़डीडी


के वी एस एस एल वी प्रसाद राव
कर्नाटक


पंकज कुमार
उत्तर प्रदेश


डॉ के एस महेश
डॉर


डॉ ए वी भवानी शंकर
एफ़एसडीडी


संजय कुमार गुप्ता
सीएसडीडी


बी के सिन्हा
बिहार


निवेदिता तिवारी
हरियाणा


के इंकरसल
बीआईडी


लोकेन दास
असम


विवेक पठानिया
हिमाचल प्रदेश



डॉ मिलिंद आर भीरुड
सचिव और सीसीडी



रामेंद्र पाल सिंह
डीएसएसआई



पंकज यादव
उत्तराखंड



जी वी सुनील कुमार
डीआईटी



आर इनिगो अरुल सेल्वन
आरएमडी



विनोद चंद्रशेखरन
एफ़डी, एडी



पुष्पहास पाण्डेय
एसपीडी



अर्चना सिंह
आईडी

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी



यू. दिनेश शानबाग
सीवीडी

प्रधान कार्यालय के विभाग/क्षेत्रीय कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान/कक्ष के प्रभारी अधिकारी



वी बालसुब्रमणियन
डीडीएमएबीआई



अरविंद कुमार सरकार
बर्ड, कोलकाता



अनिल एस कोतमिरे
त्रिपुरा



पार्था मंडल
मणिपुर



वी एस बालसुब्रमणियन
बर्ड, मंगलूरु



जे आर ब्लाह
मेघालय



वसीहरन एस एस
नई दिल्ली



दामोदर मिश्रा
अरुणाचल प्रदेश



अजय कुमार सिन्हा
सिक्किम



संदीप धारकर
गोवा



पंकजा बोरा
मिज़ोरम



पौलियांकप बुल्टे
नागालैंड



राहुल नरेंद्र दमानी
अंडमान और निकोबार



सुरिंदर सिंह
श्रीनगर सेल

सहायक संस्थाओं के प्रबंधक निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी



एन नीरजा
नैबफिन्स



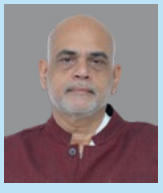
डॉ हर गोपाल यान्ड्रा
नैबकॉनस



प्रसाद राव
नैबकिसान



राहुल उप्पल
नैबसंरक्षण



बिभू प्रसाद कर
नैबफ़ाउंडेशन



विकास भट्ट
नैबवेंचर्स



महीप पँवार
नैबसमृद्धि

31 मार्च 2025 तक सभी पदनाम और संबद्धताएँ.

विषय-वस्तु

वार्षिक रिपोर्ट 2024–25

1. भारत और विश्व—वर्ष 2024–25 में अर्थव्यवस्था **1**

1.1 वैश्विक समष्टिगत वित्तीय परिस्थिति 2
1.2 घरेलू समष्टिगत आर्थिक प्रगति 3
1.3 कृषि में सुदृढ़ वृद्धि ने ग्रामीण माँग को बढ़ावा दिया 5
1.4 ग्रामीण आर्थिक गतिविधि जीवंत बनी रही 7
1.5 समष्टिगत आर्थिक दृष्टिकोण 10
अध्याय 1 का परिशिष्ट 12

2. भारत का ग्रामीण एमएसएमई सेक्टर: समावेशी विकास का संवाहक **15**

2.1 भूमिका 16
2.2 भारत में एमएसएमई की परिभाषा 16
2.3 भारत के ग्रामीण एमएसएमई 17
2.4 एमएसएमई को सरकार से सहायता 21
2.5 ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता में नाबार्ड की भूमिका 24
2.6 आगे की राह 26
2.7 निष्कर्ष 27
नोट 27

3. एक बेहतर कल में निवेश **29**

3.1 जलवायु कार्रवाई 30
3.2 परिदृश्य-आधारित, पुनःसर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, एलआरईडीपी 34
3.3 पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय आजीविका के निर्माण के लिए जनजातीय अनुकूलन पहल, ट्राइब्स 40
3.4 भविष्य की दृष्टि 42
नोट 42

4. संधारणीय आजीविकाओं के माध्यम से समावेशी विकास **43**

4.1 ग्रामीण सशक्तीकरण हेतु उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्मवित्त 44
4.2 संधारणीय आजीविकाओं हेतु पहलें 45
4.3 कृषक उत्पादक संगठन 47
4.4 ग्रामीण एमएसएमई क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण 51
4.5 ग्रामीण उद्यमियों, स्टार्टअपों, विपणन और ब्रांडिंग को सहयोग प्रदान करना 54
4.6 अनुसंधान को बढ़ावा देना और ज्ञान की साझेदारी का संवर्धन 59
4.7 आगे की राह 60
अध्याय 4 का परिशिष्ट 61

5. ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण **63**

5.1 ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि 65
5.2 ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि 69
5.3 दीर्घावधि सिंचाई निधि 70
5.4 सूक्ष्म सिंचाई निधि 71

5.5 नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता 71
5.6 फसलोपरांत आधारभूत संरचना 73
5.7 अन्य आधारभूत संरचना पहलें 78
5.8 आगे की राह 80
नोट 80

6. वित्तीय समावेशन के लिए ऋण की आयोजना और वितरण 81
6.1 ऋण आयोजना 82
6.2 पुनर्वित्त ऋण का स्नैपशॉट 83
6.3 वित्तीय वर्ष 2025 में पुनर्वित्त ऋण में नई पहलें 87
6.4 ऋण विस्तार के अन्य साधन 88
6.5 ऋण वितरण पारिस्थितिकी तंत्र दक्षता में सुधार लाना 91
6.6 वित्तीय समावेशन बढ़ाना 93
6.7 आगे की राह 95
नोट 96

7. नाबार्ड की पर्यवेक्षी भूमिका 97
7.1 नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाएँ 98
7.2 वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान पर्यवेक्षण व्यवस्था की प्रमुख घटनाएँ 100
7.3 अन्य पर्यवेक्षी पहलें 101
7.4 सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा से संबंधित पहलें 103
7.5 आगे की राह 104
नोट 104

8. ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को सशक्त बनाना 105
8.1 अल्पावधि सहकारी संस्थाएँ 106
8.2 दीर्घावधि सहकारी संस्थाएँ 108
8.3 अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की मुख्य बातें 108
8.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 111
8.5 आगे की राह 115
अध्याय 8 का परिशिष्ट 117
नोट 120

9. कार्मिक—प्रक्रियाएँ और नीतियाँ 121
9.1 अपने कार्मिकों का संपोषण और सहयोग 122
9.2 जोखिम प्रबंधन और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण 124
9.3 पारदर्शिता और सतर्कता का सुदृढ़ीकरण 126
9.4 संधारणीय डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण 128
9.5 डेटा प्रबंधन और सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण 130
9.6 संसदीय समिति के दौरे और संसदीय प्रश्न 131
9.7 राजभाषा संवर्धन 131
9.8 विपणन और संचार रणनीति के बीच तालमेल 132
9.9 कार्य परिवेश में सुधार का संवर्धन 132
9.10 भारत के ग्रामीण विकास के लिए एक सक्रिय नाबार्ड 133
नोट 134

10. वित्त के माध्यम से विकास 135
10.1 निधियों के स्रोत 136
10.2 निधियों का उपयोग 138

10.3 आय और व्यय 142
10.4 कृषि और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में नाबार्ड का निवेश 143
अध्याय 10 के अनुबंध: वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड की सहायक संस्थाओं का कार्यनिष्पादन 145

कॉर्पोरेट अभिशासन 153

वार्षिक लेखे 2024–25: नाबार्ड का स्टैंडअलोन तुलन-पत्र: लाभ और हानि लेखा, और नकदी प्रवाह 2024–25 173
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध
अनुसूची 18

वार्षिक लेखे 2024–25: नाबार्ड का समेकित तुलन-पत्र: लाभ और हानि लेखा, और नकदी प्रवाह 2024–25 223
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध
अनुसूची 18

नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई के विभागों और सहायक संस्थाओं के ई-मेल पते 263

क्षेत्रीय कार्यालय/ कक्ष/ प्रशिक्षण संस्थान/ सहायक संस्थाएँ 264

तालिका

1.1 वैश्विक आर्थिक संकेतक (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %) 3
1.2 प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग - व्यय में अनाजों/ खाद्य पदार्थों का हिस्सा 6
अ1.1 कृषि क्षेत्र में रूपांतरकारी नीतिगत परिवर्तन 12

2.1 भारत में एमएसएमई की परिभाषा 17
2.2 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई का श्रेणीवार वितरण (संख्या लाख में) 17
2.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता हेतु नाबार्ड के सहयोग 25

4.1 वित्तीय वर्ष 2025 में स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन 44
4.4 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का निधि-वार संवर्धन (राशि ₹ करोड़ में) 47

अ8.1 रास बैंकों और जिमस बैंकों का समेकित प्रदर्शन (राशि ₹ करोड़ में) 117
अ8.2 रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों की वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन (राशि ₹ करोड़ में) 118
अ8.3 वित्तीय वर्ष 2025 में सीडीएफ़ के तहत निधि का उपयोग 118
अ8.4 क्षेग्रा बैंकों का समेकित कार्यनिष्पादन (राशि ₹ करोड़ में) 119
अ8.5 वित्तीय वर्ष 2025 में क्षेग्रा बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों के समक्ष उपलब्धि 119

9.1 वित्तीय वर्ष 2025 में आयोजित प्रमुख निगरानी और जवाबदेही बैठकें 126
9.2 वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड से संबंधित संसदीय समितियों के दौरे 131
9.3 प्रगति 1.0 की प्रमुख उपलब्धियाँ 133

10.1 नाबार्ड के रणनीतिक निवेश और प्रतिलाभ 144

चित्र

1.1 प्रमुख समष्टिगत आर्थिक रुझान 4
1.2 कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीवीए, खाद्यान्न, और बागवानी उत्पादन वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%) 5

1.3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति	6
1.4	कृषि हेतु ऋण प्रवाह	7
1.5	2024-25 में ग्रामीण उपभोग माँग	8
1.6	ग्रामीण परिवारों की प्रवृत्तियाँ - आय और रोज़गार (अगली तिमाही में प्रत्याशित परिवर्तन)	8
1.7	ग्रामीण गतिविधि संकेतक (विव 2024 की तुलना में विव 2025 के औसत मूल्यों में % परिवर्तन)	9
1.8	ग्रामीण आर्थिक गतिविधि का मिश्रित संकेतक (मार्च 2025)	10
3.1	निधि के प्रकार के अनुसार जलवायु परिवर्तन पहलें	31
3.2	केएफ़डबल्यू मृदा कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा के पुनरुद्धार की पहल	36
4.1	कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार)	45
4.2	विव 2025 तक कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्धन (मुख्य बातें)	48
4.3	जीवीएन के तहत सहयोग	52
4.4	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार आरबीआईसी को नाबार्ड का सहयोग	55
4.5	विपणन पहलों की प्रगति	56
5.1	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण भारत हेतु नाबार्ड द्वारा प्रबंधित आधारभूत संरचना निधियाँ	64
5.2	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	65
5.3	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ के अंतर्गत उपलब्धियाँ और परिणाम	66
5.4	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एलटीआईएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	70
5.5	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एमआईएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	71
5.6	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नीडा के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	72
5.7	नीडा के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के संभावित परिणाम	73
5.8	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत मंजूरी और संवितरण	74
5.9	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत क्षेत्र-वार कार्यनिष्पादन	74
5.10	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भांडागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत उपलब्धियाँ	75
5.11	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड द्वारा समर्थित खाद्य प्रसंस्करण आधारभूत संरचना	76
5.12	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार डीआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	78
5.13	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एफआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	79
6.1	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एजेंसियों द्वारा कृषि के लिए आधार स्तरीय ऋण (अनंतिम आंकड़े)	83
6.2	दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता	84
6.3	एजेंसियों द्वारा अल्पावधि पुनर्वित्त का संवितरण	85
6.4	अल्पावधि पुनर्वित्त का क्षेत्र-वार संवितरण और हिस्सा	85
6.5	दीर्घावधि पुनर्वित्त का एजेंसी-वार संवितरण	86
6.6	दीर्घावधि पुनर्वित्त का क्षेत्र-वार संवितरण और हिस्सा	87
6.7	वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान विशेष पुनर्वित्त योजनाओं और नए पुनर्वित्त उत्पादों का कार्यनिष्पादन	89
6.8	वितीय वर्ष 2025 में अन्य ऋण उत्पादों का कार्यनिष्पादन	90
7.1	ग्रामीण संस्थागत ऋण संरचना (31 मार्च 2025 की स्थिति में)	98
7.2	वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षण	99
7.3	वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान की गई प्रवर्तन कार्रवाइयाँ	103
8.1	वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में रास बैंकों का कार्यनिष्पादन (₹ '000 करोड़ में)	107
8.2	वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में जिमस बैंकों का कार्यनिष्पादन (₹ '000 करोड़ में)	107

8.3	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रा बैंकों का नेटवर्क	111
8.4	वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक क्षेत्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें	112
8.5	क्षेत्रा बैंकों का समामेलन, चरण IV नाबार्ड की भूमिका	113
9.1	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार स्टाफ संघटन	122
9.2	वित्तीय वर्ष 2025 में प्रशिक्षण संबंधी उपलब्धियाँ	123
10.1	निधियों के स्रोत (राशि ₹ करोड़ में)	137
10.2	निधियों का उपयोग (राशि ₹ में)	139
10.3	पुनर्वित्त के माध्यम से आधार स्तरीय ऋण का सुदृढ़ीकरण 31 मार्च 2025 तक की स्थिति	140
10.4	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आधारभूत संरचना वित्त	141
10.5	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार सामाजिक क्षेत्र निवेश	141
10.6	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार अधिशेष निधियों का निवेश	142
10.7	आय विश्लेषण	142
10.8	नाबार्ड की सहायक कंपनियों में शेयरधारिता (₹ करोड़ में)	143

बॉक्स

अ1.1	केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2026 में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए घोषित उपायों की मुख्य बातें	13
3.1	परिदृश्य-आधारित पुन:सर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम (एलआरईडीपी) की प्रमुख विशेषताएँ	35
3.2	अतिदोहित ब्लॉकों/ वाटरशेडों में सहभागितामूलक संधारणीय भूमिगत जल प्रबंधन	35
3.3	तमिलनाडु के कोट्टेरी वाटरशेड में जल बजट पर प्रकरण अध्ययन	37
3.4	जीवा के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिकीय रूपांतरण का विस्तार	40
3.5	जनजातीय विकास निधि 31 मार्च 2025 तक उपलब्धियाँ और परिणाम	41
4.1	एफपीओ क्रेडिट लीग 2025	47
अ4.1	ग्रामीण भारत महोत्सव	61
9.1	'रिस्क मैटर्स!' - जोखिम जागरूकता माह फरवरी 2025	125
9.2	सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024	127
9.3	नाबार्ड को आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्रदत्त	129
अ10.1	लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों में लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र विकास परियोजना	148

शोकेस

3.1	समुदाय-संचालित आजीविका विकास के माध्यम से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली	31
3.2	झरनों के जल तक पहुँच के माध्यम से खेती का विस्तार	38
3.3	पतरातू, झारखंड में प्राकृतिक खेती का परिवर्तनकारी प्रभाव	39
3.4	पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्राइब्स के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल आजीविका का निर्माण	42
4.1	हरियाणा के हिसार और सिरसा जिलों में नवोन्मेषी आईओटी-आधारित झींगा पालन पर प्रायोगिक परियोजना	49
4.2	चन्नपटना लाखवेयर हस्तशिल्प के माध्यम से आजीविका में वृद्धि - एक जीआई-आधारित कृषीतर विकास संगठन सफलता की कहानी	52
4.3	एमएबीआईएफ - उद्भवन और उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण नवोन्मेषन का संवर्धन	54

4.4	'स्टॉल इन मॉल' - शहरी स्थानों की शोभा बढ़ाते ग्रामीण नवोन्मेष	57
4.5	विरासत का परचम लहराया - जीआई पंजीकरण के माध्यम से त्रिपुरा पचरा को मिली स्थानीय विरासत से राष्ट्रीय पहचान	58
5.1	तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की पहुँच सुनिश्चित करना	67
5.2	केरल में संधारणीय विकास और महिला सशक्तीकरण हेतु आँगनवाड़ियों के लिए सौर ऊर्जा	69
5.3	उत्तर प्रदेश के औरैया में ग्रामीण गोदाम आधारभूत संरचना के माध्यम से खाद्यान्न भंडारण और किसानों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि	75
5.4	असम में आधुनिक चावल मिल की स्थापना	77
6.1	मेघालय में ग्रामीण बैंकिंग एजेंटों का सशक्तीकरण	94

संक्षेपाक्षर

एएफ़	अनुकूलन निधि
बीसी	बिज़िनेस करेस्पोंडेंट
बर्ड	बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान
सीबीएस	कोर बैंकिंग सॉल्यूशन
जिमस बैंक	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीआईडीएफ़	डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
एफ़आईएफ़	वित्तीय समावेशन निधि
एफ़आईडीएफ़	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि
एफ़पीएफ़	खाद्य प्रसंस्करण निधि
एफ़पीओ	कृषक उत्पादक संगठन
जीसीएफ़	हरित जलवायु निधि
जीएलसी	आधार स्तरीय ऋण
जीओआई	भारत सरकार
एलईडीपी	आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम
एलआरईडीपी	परिदृश्य-आधारित, पुनःसर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम
एलटीआईएफ़	दीर्घावधि सिंचाई निधि
एमईडीपी	सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम
एमआईएफ़	सूक्ष्म सिंचाई निधि
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एनएएफ़सीसी	जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन निधि
एनबीएफ़सी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनआईडीए	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता
पैक्स	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
आरएफ़आई	ग्रामीण वित्तीय संस्था
आरआईडीएफ़	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि
आरआईएएस	राज्य सरकारों के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता
क्षेग्रा बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
रासकृग्रावि बैंक	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एसएचजी	स्वयं-सहायता समूह
एसएसई	साझा सेवा संस्था
रास बैंक	राज्य सहकारी बैंक
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
ट्राइब्स	पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय आजीविका के निर्माण हेतु जनजातीय अनुकूलन पहल



1

1.1 वैश्विक समष्टिगत वित्तीय परिस्थिति
1.2 घरेलू समष्टिगत आर्थिक प्रगति
1.3 कृषि में सुदृढ़ वृद्धि ने ग्रामीण माँग को बढ़ावा दिया
1.4 ग्रामीण आर्थिक गतिविधि जीवंत बनी रही
1.5 समष्टिगत आर्थिक दृष्टिकोण
अध्याय 1 का परिशिष्ट

भारत और विश्व—वर्ष 2024–25 में अर्थव्यवस्था

भू-आर्थिक संघर्षों, उत्पादकता में कमज़ोर वृद्धि, अवस्फीति की रुकी हुई गति, ऋण के उच्च स्तरों और अस्थिर वित्तीय बाज़ारों के कारण आई शिथिलता की वजह से वर्ष 2024 में वैश्विक वृद्धि अपने दीर्घकालिक औसत से भी कम बनी रही. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की नरम कीमतों के स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव के होते हुए भी, संरक्षणवादी टैरिफ़ (प्रशुल्क) में वृद्धि और बढ़ती अनिश्चितता ने वर्ष 2025 में वैश्विक वृद्धि के समक्ष जोखिमों को कई गुना बढ़ा दिया है.

चुनौती भरे वैश्विक समष्टिगत वित्तीय परिदृश्य के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2025 में अनुकूल वृद्धि दर्शाई. घरेलू मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी, पूँजीगत व्यय पर निरंतर राजकोषीय बल, कॉर्पोरेट घरानों के मजबूत तुलन-पत्रों, बाह्य संतुलन की सुदृढ़ स्थिति और एक स्थिर वित्तीय प्रणाली ने इसे सहारा दिया. कृषि में सुदृढ़ वृद्धि और ग्रामीण माँग की जीवंत परिस्थितियों ने विकास की गति को आधार प्रदान किया. आगे नज़र डालें तो, उदार मौद्रिक नीति, पर्याप्त तरलता की स्थितियों, विनियमन हटाने, और आयकर सुधारों के माध्यम से खपत की माँग को प्रोत्साहित करने पर लक्षित राजकोषीय उपायों से वित्तीय वर्ष 2026 में विकास की दर को सहारा मिलने की उम्मीद की जा सकती है. हालाँकि, अनसुलझे प्रशुल्क विवादों तथा बिगड़ती वैश्विक वृद्धि के स्पिलओवर से विकास के दृष्टिकोण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

1.1 वैश्विक समष्टिगत वित्तीय परिस्थिति

वर्ष 2024 में वैश्विक विकास दर 3.3% रही, जो वर्ष 2000 से वर्ष 2019 के दौरान दर्ज 3.7% की दीर्घकालिक औसत वृद्धि से कम थी (तालिका 1.1). वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2025 में किए गए आकलन के अनुसार संरक्षणवादी प्रशुल्कों में वृद्धि और अत्यधिक अनिश्चितता के परिणामस्वरूप उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) दोनों को प्रभावित करते हुए वैश्विक विकास दर घटकर 2.8% की होने का अनुमान है. वैश्विक व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक, रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो वर्ष 1960 के बाद से अब तक नहीं देखा गया था. वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक कोविड-19 महामारी के दौरान देखे गए स्तरों के करीब पहुँचकर नए शिखरों पर पहुँच गया. बॉण्ड, इक्विटी और विदेशी मुद्रा बाजार भी समय-समय पर अस्थिरता के दौरों से गुजरे.

वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर अनुभव की गई उल्लेखनीय अवस्फीति, जिसने तेज ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें बढ़ा दीं, के बाद अवस्फीति की गति काफी धीमी हो गई और वर्ष 2025 की पहली तिमाही में अधिकांश देशों में सकल मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के लक्ष्यों से ऊपर रहने लगी. व्यापार संबंधी तनावों के हल होने तक मुद्रास्फीति और विकास के प्रति देशों के दृष्टिकोण अनिश्चित होते गए, व्यापार में कम होते विश्वास के बीच वित्तीय बाज़ार धार पर बना रहा.

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, वैश्विक माल व्यापार की मात्रा वर्ष 2024 की क्रमिक तिमाहियों और वर्ष 2025 के शुरुआती महीनों में स्थिर गति से बढ़ी, किंतु उसके बाद, विशेष रूप से प्रशुल्कों की लहर और परवर्ती चयनात्मक अस्थायी आस्थगन के चलते, माल का व्यापार वर्ष 2025 में 0.2% से संकुचित होने का अनुमान है. यदि स्थिति और बिगड़ती है तो इस संकुचन में 1.5% की और वृद्धि हो सकती है. वर्ष 2024 में वैश्विक व्यापार में सेवाओं की हिस्सेदारी 26.4% थी, जिसने मात्रा की दृष्टि से हाल के वर्ष में माल व्यापार की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की. मूल्य की दृष्टि से 2024 में सेवा व्यापार में 9% की वृद्धि हुई, जबकि माल व्यापार में 2% की ही वृद्धि हुई. वर्ष 2025 में, कमजोर समग्र वैश्विक माँग के माध्यम से संचालित टैरिफों के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण सेवाओं के व्यापार की वृद्धि में भी कमी होने की संभावना है. ऐसे माहौल में तेल और तेल से भिन्न, दोनों की पण्य कीमतें अस्थिर बनी रहीं. जहाँ अक्टूबर 2024 में और फिर जनवरी 2025 में कच्चे तेल (ब्रेंट) की कीमतें $80 प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गईं, वहीं मार्च 2025 तक इसमें भारी गिरावट आई और मई 2025 की शुरुआत में कीमतें $60 प्रति बैरल के करीब पहुँच गईं. जून 2025 में छोटी सी अवधि के दौरान तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, किन्तु नए भूराजनीतिक तनावों के कारण इन कीमतों में फिर से गिरावट आई. सोने की कीमतें वर्ष 2025 में नई ऐतिहासिक ऊँचाइयों पर पहुँच गईं.

तालिका 1.1: वैश्विक आर्थिक संकेतक (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %)

संकेतक	*2023*	*2024*	*2025*
विश्व आउटपुट	3.3	3.3	2.8
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ (एई)	1.7	1.8	1.4
उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमडीई)	4.4	4.3	3.7
विश्व व्यापार की मात्रा (माल और सेवाएँ)	0.7	3.8	1.7
विश्व व्यापार की मात्रा (माल)	-1.0	2.9	-0.2
विश्व व्यापार की मात्रा (वाणिज्यिक सेवाएँ)	6.8	6.8	4.0
विश्व उपभोक्ता मूल्य	6.7	5.7	4.3
एई	4.6	2.6	2.5
ईएमडीई	8.1	7.7	5.5
पण्य मूल्य ($)			
तेल	-16.4	-1.8	-15.5
ईंधन से भिन्न	-5.7	3.7	4.4

स्रोत:

- आईएमएफ (2025), वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2025, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वॉशिंगटन, डी. सी. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/04/22/world-economic-outlook-april-2025.
- विश्व व्यापार की मात्रा (माल), विश्व व्यापार की मात्रा (वाणिज्यिक सेवाएँ): डब्ल्यूटीओ (2025), वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी, विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, अप्रैल. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_outlook25_e.pdf.

1.2 घरेलू समष्टिगत आर्थिक प्रगति

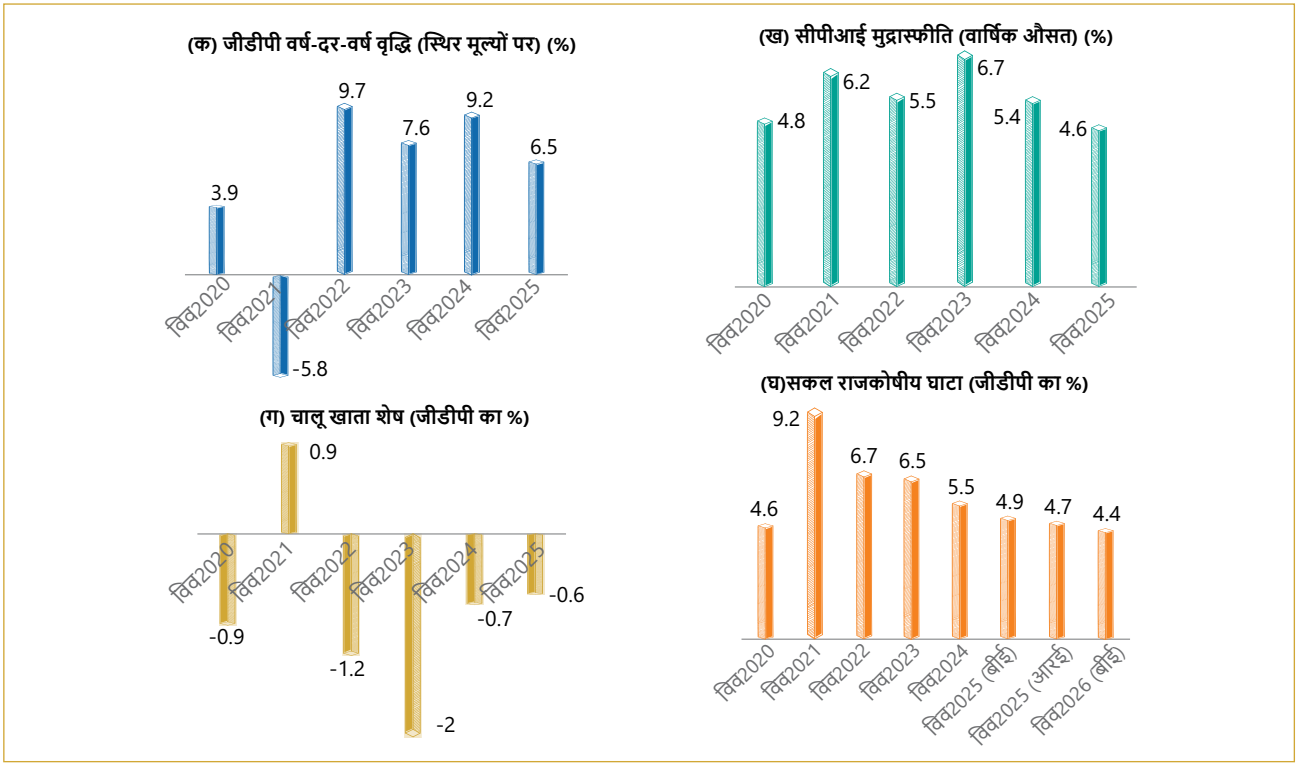
1.2.1 एक सुदृढ़ समष्टिगत आर्थिक नीति के परिवेश में अनुकूल वृद्धि

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि, सुदृढ़ घरेलू समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के चलते वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान भी सुदृढ़ बनी रही. इसके प्रमुख कारकों में मुद्रास्फीति में कमी, सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजीगत व्यय पर निरंतर बल, निरंतर राजकोषीय दृढ़ीकरण, चालू खाता घाटे के एक संधारणीय स्तर, वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और मजबूत कॉरपोरेट तुलन-पत्र शामिल हैं. वित्तीय वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 6.5% रही, हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024 में दर्ज की गई 9.2% की मजबूत वृद्धि से धीमी हो गई, किंतु भू-आर्थिक संघर्षों और व्यापारिक तनावों में वृद्धि से प्रभावित प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के बीच भी भारत, विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा (चित्र 1.1).

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा मापी जाने वाली मुद्रास्फीति, वर्ष के अंतिम दो माह में तेजी से घटकर 4% से भी नीचे आ गई और वर्ष के लिए औसत मुद्रास्फीति 4.6% रही, जो पिछले पाँच वर्षों में अनुभव की गई औसत मुद्रास्फीति से भी कम थी (चित्र 1.1). मौद्रिक नीति के फ़्लेक्सिबल इन्फ़्लेशन टार्गेटिंग (एफआईटी) फ़्रेमवर्क के तहत मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं के मजबूत कसाव के साथ-साथ, मौद्रिक नीति के पूर्व में सख्त होने और राजकोषीय समेकन के सहारे मूल सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति पूरे वर्ष मंद बनी रही. वर्ष की अंतिम तिमाही में मुद्रास्फीति में वैविध्यपूर्ण नरमी और वित्तीय वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति के लिए संशोधित नरम दृष्टिकोण के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दर को संचयी रूप से 100 आधार अंक कम कर दिया और प्रणाली में पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराई, ताकि प्रणाली में समग्र तरलता की स्थिति को एक अधिशेष के रूप में परिवर्तित किया जा सके. इससे पूरी मीयादी संरचना में ब्याज़ की दरों को कम करने में सहायता मिली.

भारत के बाह्य संतुलन की स्थिति सुदृढ़ बनी रही. वर्ष 2024-25 में $23.3 बिलियन (जीडीपी का 0.6%) चालू खाता घाटा वर्ष 2023-24 के $26.0 बिलियन (जीडीपी का 0.7%) से कम था. जबकि वास्तव में वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत के चालू खाता शेष में $13.5 बिलियन का आधिक्य दर्ज किया गया था. माल व्यापार के लिए एक प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के बावजूद वर्ष के दौरान उच्चतर सेवा निर्यातों और धनप्रेषण आगमों से चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने में सहायता हुई.

चित्र 1.1: प्रमुख समष्टिगत आर्थिक रुझान



बीई = बजट अनुमान, सीपीआई = उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आरई = संशोधित अनुमान, जीडीपी = सकल घरेलू उत्पाद

नोट: चित्र 1.1(घ) में राजकोषीय आँकड़े जीडीपी आँकड़ों में संशोधनों के कारण केंद्रीय बजट में प्रकाशित आँकड़ों से भिन्न हो सकते हैं.

स्रोत:

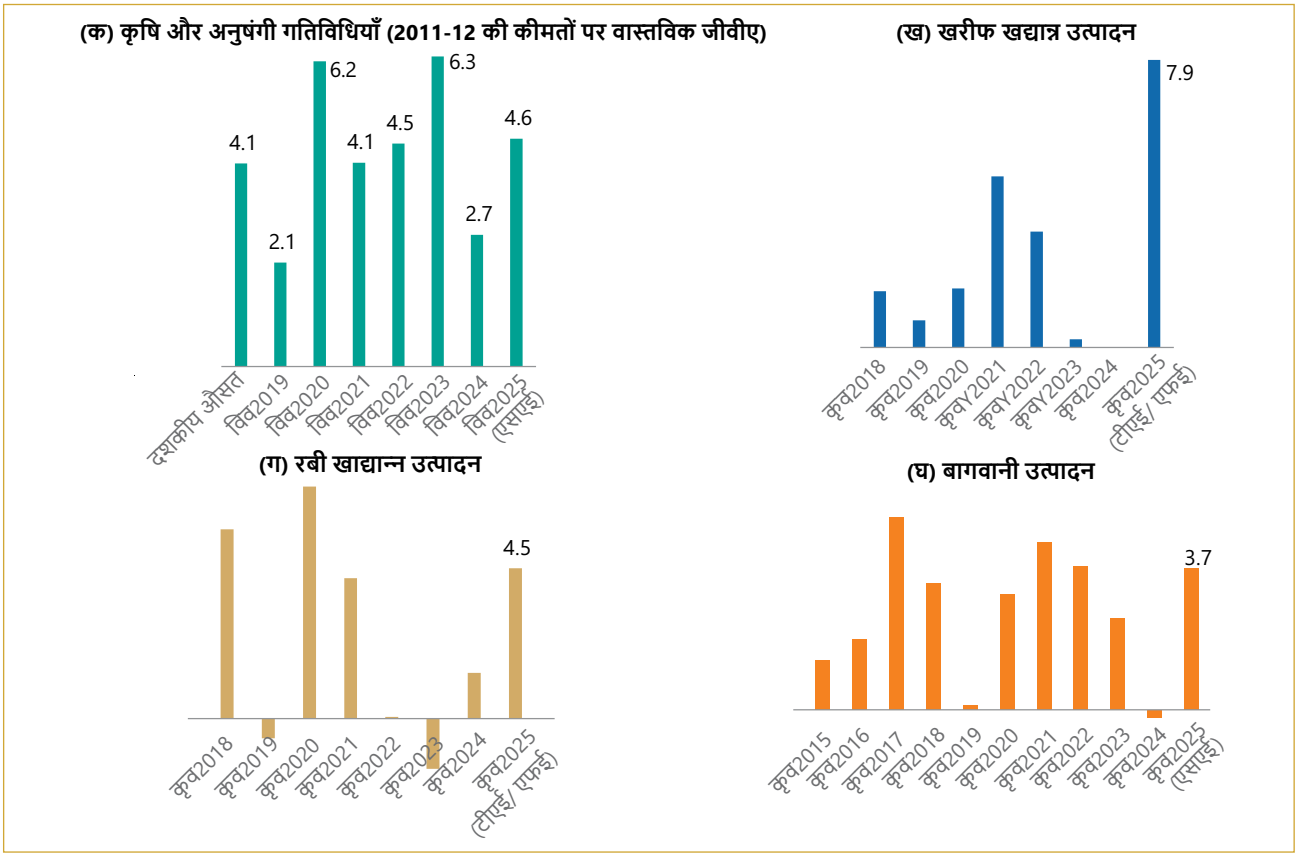
- चित्र 1.1 (क): भारत सरकार (2025), वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक जीडीपी के अनंतिम अनुमान और वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही हेतु जीडीपी का त्रैमासिक अनुमान, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132688.
- चित्र 1.1 (ख): भारत सरकार (विभिन्न वर्ष), केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.| भारतीय रिजर्व बैंक (2025), मौद्रिक नीति विवरणियाँ (2024-25), भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई.
- चित्र 1.1 (ग): भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, भारतीय रिजर्व बैंक. https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home.
- चित्र 1.1 (घ): केंद्रीय बजट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.

राजकोषीय नीति ने लक्षित सार्वजनिक व्यय के माध्यम से वृद्धि की सहायता करते हुए अधिक राजकोषीय समेकन के नाजुक संतुलन कार्य को बनाए रखा. जहाँ राजकोषीय समेकन से संसाधन आबंटन में सुधार कर अर्थव्यवस्था का समग्र विकास संभव हो सकता है, वहीं लक्षित सार्वजनिक व्यय से, उच्च पूँजीगत व्यय और मध्यम वर्ग के लिए अधिक खर्च करने योग्य आय में कर की कटौती से प्रेरित वृद्धि के रूप में - एक सकारात्मक, वैविध्यपूर्ण विकास प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकती है, जहाँ निवेश और उपभोग, दोनों की माँग विकास की सहायता करती है. यह विशेष रूप से ऐसे समय में जरूरी था जब क्षेत्रीय संकेतकों ने शहरी माँग में नरमी के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया था. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक कम करने का बजट रखा गया है, जबकि ₹11.2 लाख करोड़ का केंद्र सरकार का पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों (₹10.2 लाख करोड़) की तुलना में 10% अधिक है, और मध्यम वर्ग पर विशेष फोकस के साथ निजी आयकर सुधारों से कर-बोझ को कम करने के माध्यम से लगभग ₹1 लाख करोड़ अंतरित करने से खपत को बढ़ावा मिलेगा. हाल के कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की सुदृढ़ वृद्धि से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजकोषीय समेकन और व्यय की गुणवत्ता में सुधार का संमिश्रण वृद्धि में सहायक रहा है.

1.3 कृषि में सुदृढ़ वृद्धि ने ग्रामीण माँग को बढ़ावा दिया

कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) ने वित्तीय वर्ष 2025 में 4.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिसे खाद्यान्नों और बागवानी दोनों के उत्पादन में मजबूत वृद्धि का सहारा मिला (चित्र 1.2). कृषि वर्ष 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन और बागवानी उत्पादन में धीमी वृद्धि और पिछले तीन वर्षों के दौरान कमजोर रबी खाद्यान्न उत्पादन देखने के बाद, सभी तीनों खंडों में कृषि वर्ष 2025 में इस गतिविधि की गति में तेज फेर-बदल ने कृषि वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र के वैविध्यपूर्ण विस्तार में योगदान दिया (चित्र 1.2). खेती से अर्जित औसत ग्रामीण घरेलू आय का लगभग पाँचवें हिस्से और पशुधन पालन से 7% (नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, 2021-22 के अनुसार) के साथ, कृषि क्षेत्र के जीवीए में एक स्वस्थ वृद्धि ने ग्रामीण माँग को एक बड़ी उछाल दी. बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 3,677.2 लाख मीट्रिक टन (द्वितीय अग्रिम अनुमान) रहा, जो पिछले वर्ष के कुल उत्पादन 3,539.6 लाख मीट्रिक टन (तृतीय अग्रिम अनुमान) से अधिक है.

चित्र 1.2: कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीवीए, खाद्यान्न, और बागवानी उत्पादन: वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)



एफई = अंतिम अनुमान; जीवीए = सकल वर्धित मूल्य; एसएई = द्वितीय अग्रिम अनुमान; टीएई = तृतीय अग्रिम अनुमान; कृव = कृषि वर्ष; विव = वित्तीय वर्ष.

स्रोत:

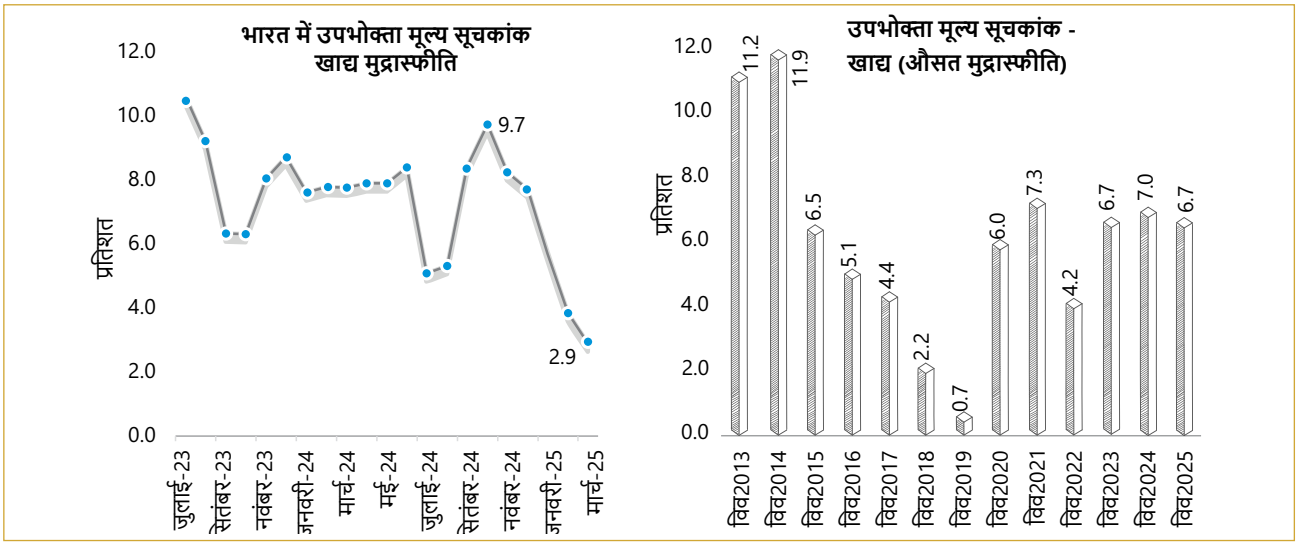
- चित्र 1.2 (क): केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.
- चित्र 1.2 (ख, ग, घ): कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

1.3.1 वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट

भारत की औसत उपभोग टोकरी में 45.86% हिस्सा खाद्य पदार्थों का है (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली वर्तमान उपभोग टोकरी के अनुसार). कम मुद्रास्फीति से न केवल समग्र मूल्य स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलती है, बल्कि आय की बेहतर क्रय शक्ति और अर्थव्यवस्था में संबंधित वास्तविक माँग बढ़ती है जिसके कारण मजबूत वृद्धि संभव होती है. वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान, अक्तूबर 2024 में 9.7%

की खाद्य मुद्रास्फीति नरम होकर मार्च 2025 में 2.9% हो गई, किंतु वित्तीय वर्ष 2025 के लिए औसत खाद्य मुद्रास्फीति 6.7% के उच्च स्तर पर बनी रही. पिछले छह वर्षों में से गत पाँच वर्षों में, औसत वार्षिक खाद्य मुद्रास्फीति 6% या उससे अधिक ही रही, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि फसल पैदावार बढ़ाने, मूल्य-वृद्धि को कम करने और खाद्य पदार्थों की बर्बादी कम करने के लिए खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं में सुधार करने के लिए निरंतर उपाय करने की जरूरत है (चित्र 1.3).

चित्र 1.3: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक

वर्ष 2011-12 से भारतीय परिवारों का औसत उपभोग क्रम बदल गया है, जैसा कि अगस्त 2022 से जुलाई 2023 की अवधि से संबंधित घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस, 2022-23), जिसे 11 वर्षों के अंतराल के बाद जारी किया गया था और बाद के अगस्त 2023 से जुलाई 2024 की अवधि से संबंधित सर्वेक्षण (एचसीईएस 2023-24) के निष्कर्षों से स्पष्ट हो जाता है. जहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2022-23 में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी में काफी कमी आई, वहीं वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में इनके तदनुरूपी हिस्सों में मामूली वृद्धि हुई, जो यह दर्शाता है कि जब खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रहती है, तो घरेलू उपभोग का एक बड़ा हिस्सा (दी गई व्यय-योग्य आय के लिए) खाद्य पदार्थों के लिए आबंटित किया जाता है. अत:, औसत उपभोग टोकरी में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी वर्ष 2023-24 में भी उच्चतर रहने के कारण, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जन्य वृद्धि से भिन्न वृद्धि के लिए आपूर्ति-पक्ष के उपाय महत्वपूर्ण बने रहेंगे.

तालिका 1.2: प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग - व्यय में अनाजों/ खाद्य पदार्थों का हिस्सा

	ग्रामीण		*शहरी*	
अवधि	*अनाज*	*खाद्य पदार्थ*	*अनाज*	*खाद्य पदार्थ*
1999-2000	22.2	59.4	12.4	48.1
2004-05	17.5	53.1	9.6	40.5
2009-10	13.8	57.0	8.2	44.4
2011-12	10.8	52.9	6.7	42.6
2022-23	4.9	46.4	3.6	39.2
2023-24	5.0	47.0	3.8	39.7

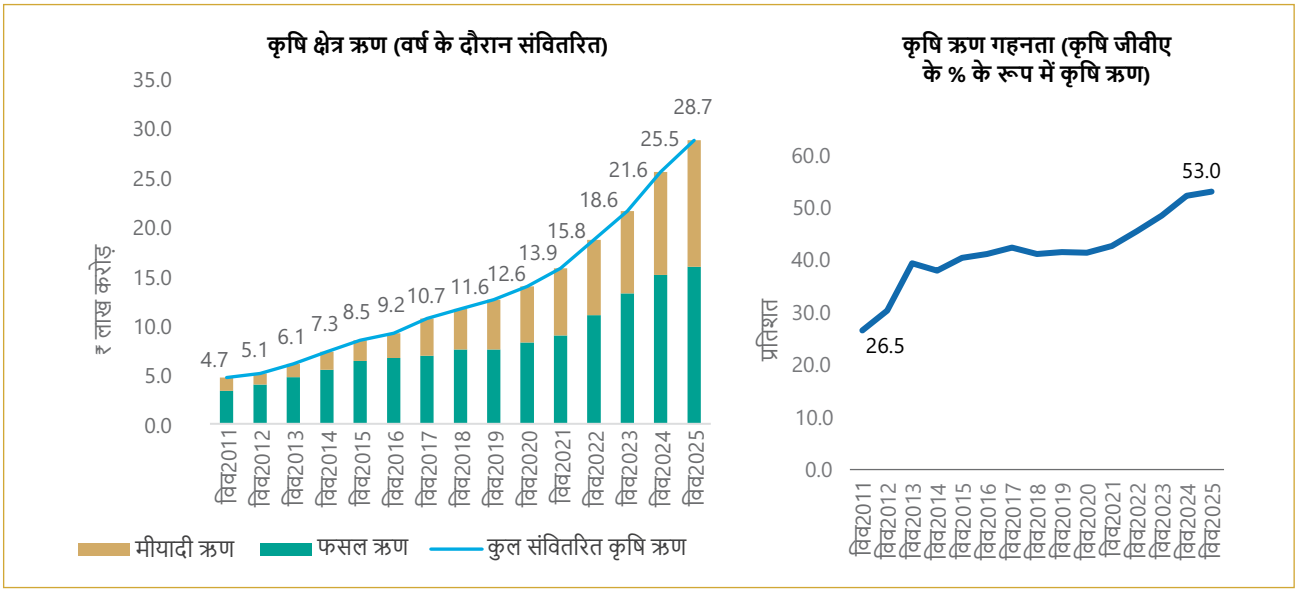
एमपीसीई = मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय.

स्रोत: एनएसएसओ (2024), घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण: 2023-24, एनएसएस रिपोर्ट सं. 592, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.

1.3.2 कृषि ऋण प्रवाह में निरंतर उच्च वृद्धि से फलता-फूलता कृषि क्षेत्र

प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों के अंतर्गत कृषि को ऋण के लक्षित प्रवाह को अनिवार्य रूप से प्राप्त करने और केसीसी के सैचुरेशन अभियान के माध्यम से केसीसी लाभार्थियों का समग्र कवरेज करने हेतु सरकार के निरंतर नीतिगत बल से कृषि ऋण गहनता में लगातार वृद्धि हुई है. जहाँ, हाल के कुछ वर्षों से लगातार, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों से अधिक की उपलब्धि हुई है, वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश ऋण (मीयादी ऋण) का हिस्सा भी उत्तरोत्तर बढ़ा है और अब 40% से भी अधिक हो गया है, जिससे फसल की पैदावार और मूल्य वर्धन दोनों में वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2025 में, ₹27.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के समक्ष, फसल उत्पादन और कृषि क्षेत्र में निवेश, दोनों के लिए कृषि ऋण का वास्तविक संवितरण ₹28.7 लाख करोड़ था. वार्षिक कृषि जीवीए के प्रतिशत के रूप में कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के रूप में परिभाषित की जाने वाली, ऋण गहनता, जो मौजूदा सदी की शुरुआत में लगभग 10% थी अब बढ़कर 50% से भी अधिक हो गई है (चित्र 1.4). संशोधित ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत ब्याज की दरों में सहायता प्राप्त करने हेतु केंद्रीय बजट 2025-26 में केसीसी की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रति उधारकर्ता संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने के साथ, ऋण की गहनता में बढ़त जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है.

चित्र 1.4: कृषि हेतु ऋण प्रवाह

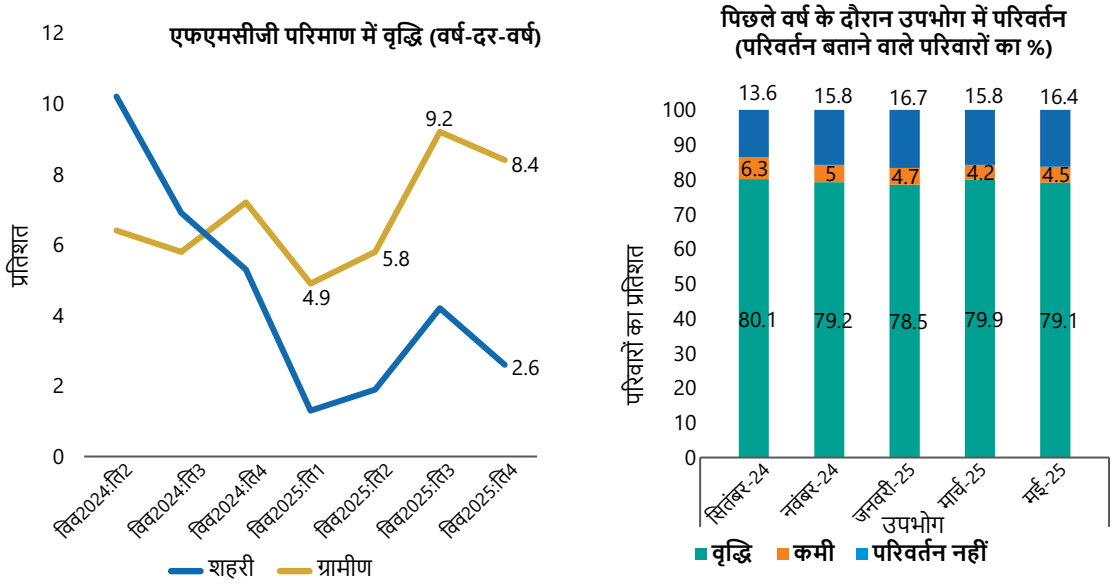


स्रोत: नाबार्ड

1.4 ग्रामीण आर्थिक गतिविधि जीवंत बनी रही

आर्थिक गतिविधियों के अनेक संकेतकों ने वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत उपभोग-आधारित वृद्धि दर्शाई. तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) की मात्रात्मक वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में देखी गई मंद गति से न केवल अधिक हो गई, बल्कि वित्तीय वर्ष 2025 की एक के बाद एक तिमाहियों में नियमित रूप से बढ़ती गई, जबकि अंतिम तिमाही में मामूली रूप से मंद पड़ गई (चित्र 1.5). नाबार्ड के द्विमासिक ग्रामीण आर्थिक स्थिति और प्रवृत्ति सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण परिवारों का उपभोग व्यय सर्वेक्षण के सभी पाँचों चरणों (सितंबर 2024, नवंबर 2024, जनवरी 2025, मार्च 2025 और मई 2025 में आयोजित) के दौरान अति उत्साहवर्धक रहा, जिनमें से अधिकांश लोगों (मार्च 2025 में 79.1%) ने यह बताया है कि उन्होंने पिछले एक वर्ष (यानी, सर्वेक्षण के दौर में उनके भाग लेने की अवधि से 12 माह पहले) के दौरान अपने उपभोग व्यय में वृद्धि का अनुभव किया है.

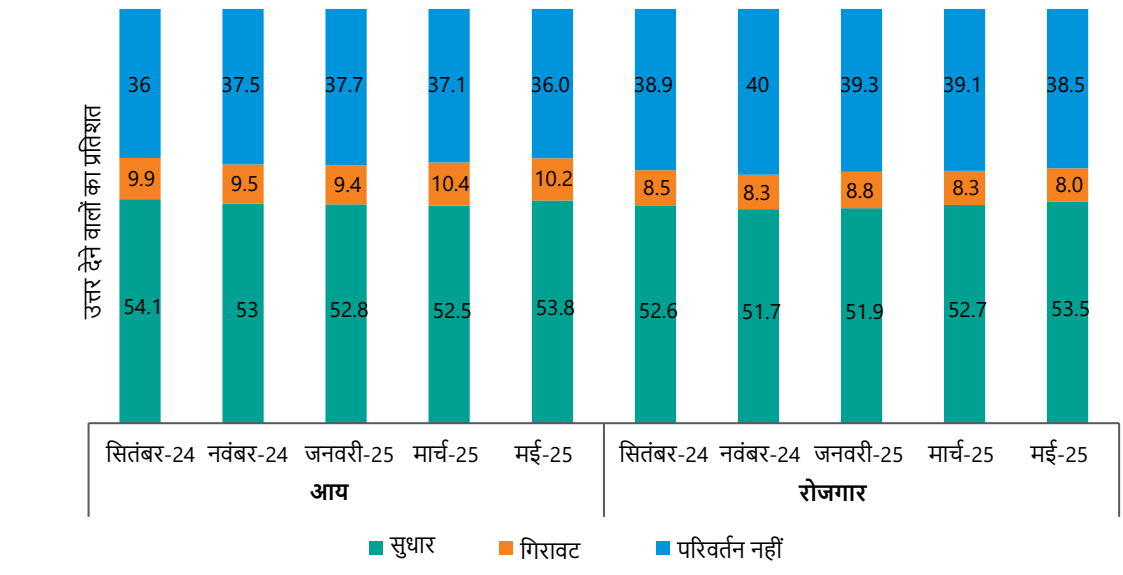
चित्र 1.5: 2024-25 में ग्रामीण उपभोग माँग



स्रोत: एनआईईएलएसईएनक्यू और नाबार्ड

महत्वपूर्ण यह रहा कि, कुल परिवारों में से उन परिवारों, जिन्होंने अपनी खपत में गिरावट का अनुभव किया, सर्वेक्षण के पाँचों चरणों में उनकी हिस्सेदारी कम बनी रही (मई 2025 में मात्र 4.5%). अधिकांश परिवारों (50% से भी अधिक) ने भी लगातार यह बताया है कि वे अगली तिमाही के दौरान अपनी आय और रोज़गार की स्थिति में सुधार की उम्मीद करते हैं (चित्र 1.6).

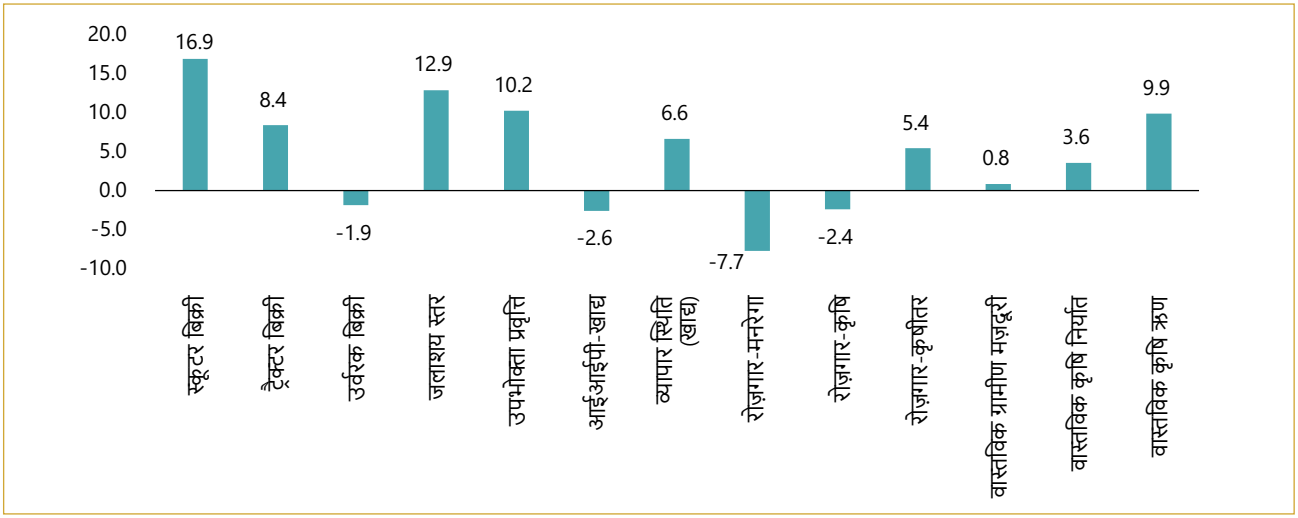
चित्र 1.6: ग्रामीण परिवारों की प्रवृत्तियाँ - आय और रोज़गार (अगली तिमाही में प्रत्याशित परिवर्तन)



स्रोत: नाबार्ड

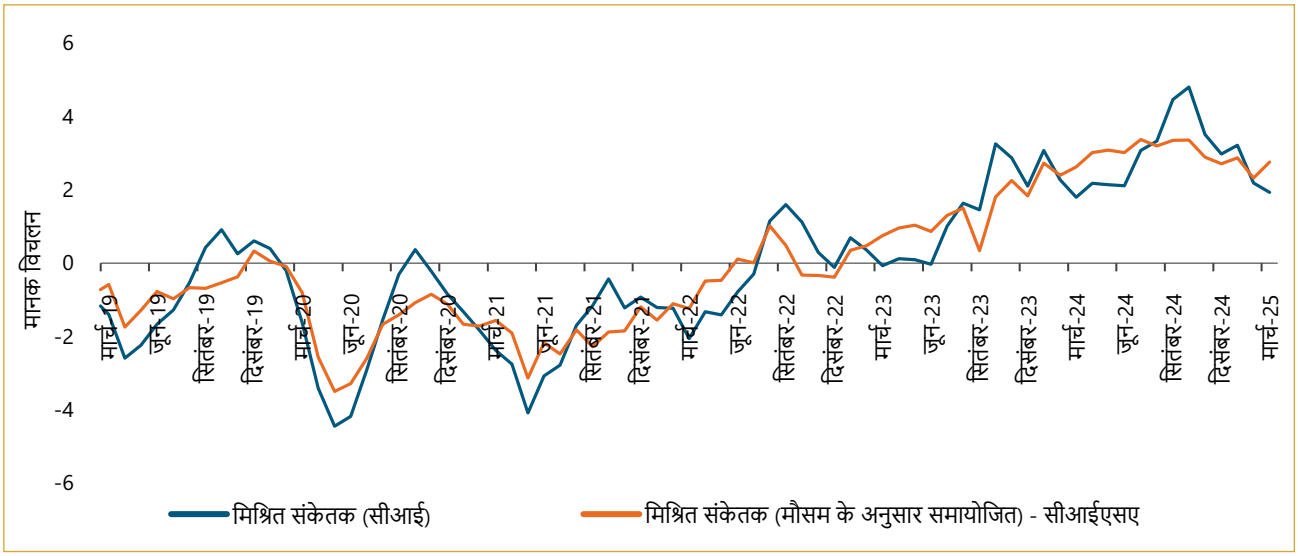
अलग-अलग रूप से अनेक उच्च-आवृत्ति (मासिक) वाले संकेतकों में परिवर्तनों का आकलन करते हुए और ग्रामीण आर्थिक गतिविधि के मिश्रित सूचकांक तैयार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जा सकता है. इन संकेतकों की सूची में स्कूटरों, उर्वरकों और ट्रैक्टरों की बिक्री, कृषि और कृषीतर रोज़गार, कृषि निर्यात, कृषि के लिए बैंक का ऋण प्रवाह, मनरेगा की माँग, ग्रामीण मज़दूरी, व्यापार की स्थिति (यानी, थोक मूल्य सूचकांक से प्राप्त खाद्येतर कीमतों के समक्ष खाद्य-पदार्थों की कीमतों का अनुपात), जलाशयों का जल-स्तर (जो फसल की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है), और ग्रामीण प्रवृत्ति (सीएमआईई सर्वेक्षण के अनुसार) शामिल रहते हैं. मौद्रिक संकेतकों (जैसे कृषि निर्यात, कृषि ऋण और ग्रामीण मजदूरी) को सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति द्वारा अवस्फीत किया जाता है ताकि संकेतकों के बीच तुलनीयता सुनिश्चित की जा सके. वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025 में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, सबसे पहले प्रत्येक संकेतक के लिए बारह-माह के औसत मूल्य निकाले जाते हैं, फिर इन वार्षिक औसत मूल्यों के लिए विकास की दर का अनुमान लगाया जाता है. इस दृष्टिकोण के अनुसार, अनेक संकेतकों ने वित्तीय वर्ष 2025 में मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की (चित्र 1.7). यहाँ यह ध्यान दिया जाए कि मनरेगा के तहत रोज़गार में गिरावट और कृषि में रोज़गार, कृषीतर रोज़गार में विस्तार के साथ मेल खाता है, और इसलिए, ये सभी तीन संकेतक एक साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार की ओर इशारा करते हैं.

चित्र 1.7: ग्रामीण गतिविधि संकेतक (विव 2024 की तुलना में विव 2025 के औसत मूल्यों में % परिवर्तन)



जब उच्च आवृत्ति वाले बहुसंख्य संकेतक विपरीत दिशा में चलते हैं, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए उनका सापेक्ष महत्व अधिक स्पष्ट नहीं होता है, तो एक मिश्रित संकेतक तैयार करने के लिए जानी-मानी आयाम में कमी करने की तकनीक, यथा प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए), का प्रयोग किया जा सकता है. भारत के लिए ग्रामीण आर्थिक गतिविधि के मिश्रित संकेतक से यह पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में ग्रामीण आर्थिक गतिविधि की गति हल्की सी कमी के साथ उत्साहजनक रही (चित्र 1.8).

चित्र 1.8: ग्रामीण आर्थिक गतिविधि का मिश्रित संकेतक (मार्च 2025)



स्रोत: नाबार्ड

नोट: चूँकि अंतर्निहित चर विषम हैं, अत: उन्हें (प्रत्येक को शून्य माध्य और इकाई विचरण के साथ) पहले मानकीकृत किया जाता है. अत:, सूचकांक के उच्च/ निम्न मान, मानक विचलनों के संदर्भ में औसत मान से ऊपर/ नीचे होते हैं. चूँकि मासिक आँकड़ों में अक्सर मौसम का तत्व निहित होता है, इसलिए मौसम के अनुसार समायोजित मिश्रित सूचकांक तैयार करने के लिए भी उन्हें मौसम से परे किया जाता है.

1.4.1 नीतिगत पहलें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रूपांतरकारी परिवर्तन लाती हैं

यह स्वीकार करते हुए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियाँ, जटिल किंतु आपस में जुड़ी हुई होती हैं, सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रूपांतरकारी परिवर्तन लाने के लिए एक बहुआयामी नीतिगत दृष्टिकोण अपनाया गया. हाल के कुछ प्रमुख नीतिगत सहयोग तालिका अ1.1 में दिए गए हैं. इन पहलों का सामूहिक ध्येय गरीबी को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, जलवायुगत आघातों के प्रति अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी और आधुनिक फसल प्रथाओं का अंगीकरण बढ़ाना, विपणन आधारभूत संरचनाओं और ग्रामीण आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ बनाना, डिजिटल आधारभूत संरचनाओं की संभाव्यताओं का उपयोग बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को गहराई तक ले जाना है. वित्तीय वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए अनेक विशिष्ट उपायों की घोषणा की गई (बॉक्स अ1.1).

1.5 समष्टिगत आर्थिक दृष्टिकोण

हाल के वर्षों में भारत का सुदृढ़ विकास का प्रदर्शन, इसकी सुदृढ़ समष्टिगत आर्थिक नीतियों और पूर्वकालिक संरचनात्मक सुधारों का परिणाम रहा है, किंतु वर्ष 2047 तक एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने का परिकल्पित दर्जा प्राप्त करने के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की अपेक्षित दर, इससे भी उच्चतर होगी, जिसके लिए देश की विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए विकासोन्मुख नीतियों पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है. वित्तीय वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में, विकसित भारत के गंतव्य को प्राप्त करने के लिए विकास के चार शक्तिशाली संवाहकों, नामतः कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात के लिए ईंधन के रूप में सुधारों पर जोर दिया गया है. संसाधनों के गलत आबंटन को कम करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नवोन्मेषों को सहयोग प्रदान करने की नीतियाँ देश की मध्यावधि विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होंगी. तथापि, निकट भविष्य में, संरक्षणवादी प्रशुल्कों में वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बढ़े हुए स्तरों से भारत का विकास दृष्टिकोण प्रभावित हुआ है, जो विकास के चार संवाहकों में से दो नामतः निर्यात और निवेश पर सीधा प्रभाव डाल सकता है.

विश्व व्यापार संगठन के आकलन के अनुसार अब 2025 में वैश्विक व्यापार वृद्धि संकुचित हो रही है. उत्तरी अमेरिका को आयात में 9.6% तक के संकुचन का सामना करना पड़ सकता है. भारत के लिए निर्यात का प्रमुख बाज़ार होने के कारण भारत को, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते का शीघ्र निष्पादन और/ या वैश्विक स्तर पर टैरिफ के तनावों का समाधान, भारत की निर्यात संभावनाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा. सेवाओं के उत्साहवर्धक निर्यात, और भारत के लिए माल निर्यात के लिए नए अवसरों का उपलब्ध होना इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य देश अपनी टैरिफ संरचना का प्रतिकार या मोलभाव कैसे करते हैं, हालाँकि, भारत की निर्यात और वृद्धि की संभावनाओं पर वैश्विक व्यापार में होने वाले किसी भी संकुचन का प्रतिकूल प्रभाव सीमित ही हो सकता है. टैरिफों में वृद्धि की इस लहर के शुरू होने से पहले ही भारत में निजी निवेश की माँग कम हो रही थी, और अन्य देशों से भारत में आने वाले सस्ते आयात के संभावित जोखिमों, संभावित वैश्विक विकास की मंदी से स्पिलओवर को दर्शाती घरेलू माँग में संभावित नरमी, व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में कुछ क्षेत्रों में भारत द्वारा टैरिफ संरक्षण को कम करने की संभावना और अस्थिर वित्तीय बाजारों से निवेश की प्रवृत्ति उदासीन हो सकती है. भारत के एक तिहाई से अधिक माल निर्यात एमएसएमई से आते हैं और निर्यातों का करीब दसवाँ हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है, अगर समग्र वैश्विक व्यापार की स्थिति बिगड़ती है, तो कृषि और एमएसएमई भी अपनी संभावनाओं के लिए कुछ नकारात्मक जोखिम देख सकते हैं. हालाँकि, भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते का सफल निष्पादन वृद्धि के दृष्टिकोण से बड़ी उछाल है.

इस प्रतिकूल वैश्विक माहौल में, घरेलू समष्टि-आर्थिक नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट रूप से वृद्धि की सहायक बनी है. फरवरी 2025 से मुद्रास्फीति, जो 4% से भी नीचे चल रही थी, में तेज़ी से कमी आने के साथ, और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमानित कम मुद्रास्फीति के चलते मौद्रिक नीति दर को संचयी रूप में 100 आधार बिंदु कम कर दिया गया है, प्रणाली स्तर की तरलता की स्थिति को प्रासंगिक तरलता प्रबंधन साधनों के उपयोग से एक निरंतर अधिशेष में बदल दिया गया है, और विनियमन को हटाने की नीति ने ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बल प्रदान किया है. वित्तीय वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट ने पूँजीगत व्यय पर जोर बनाए रखने और राज्यों को अपना पूँजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के साथ-साथ ₹1 लाख करोड़ की उपभोग माँग को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान किया है, जो एक साथ मिलकर वृद्धि के लिए राजकोषीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं. भारत की विकास प्रक्रिया में सेवाओं का वर्चस्व होने के कारण, माल व्यापार के लिए प्रतिकूल बाह्य वातावरण समग्र विकास के लिए बहुत अधिक नकारात्मक जोखिम पैदा नहीं कर सकता है. पण्य कीमतों में नरमी, जो कमज़ोर वैश्विक माँग दर्शाती है और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा अनुमानित सामान्य से अधिक मानसून से वैश्विक व्यापार और वृद्धि में किसी भी मंदी के प्रतिकूल प्रभाव की भरपाई होने की संभावना है. भारतीय कॉर्पोरेट घरानों और वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख संस्थाओं के मजबूत तुलन-पत्रों से भी विकास की प्रक्रिया की सुदृढ़ता को बनाए रखने में सहायता मिलनी चाहिए. जोखिमों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2025-26 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का आकलन औसतन 3.7% पर किया है, जिसमें अनुमानित जीडीपी वृद्धि 6.5% आँकी गई है. वृद्धि और मुद्रास्फीति के इस संतुलन से समग्र समष्टिगत वित्तीय स्थिरता के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति को बनाए रखने में मदद मिलने की संभावना है.

वित्तीय वर्ष 2025 में ग्रामीण माँग में उछाल और कृषि क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन ने शहरी माँग के कमजोर होने और विनिर्माण के क्षेत्र में धीमी वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव को सीमित रखने में सहायता की थी. वित्तीय वर्ष 2026 में समग्र गैर-स्फीतिगत वृद्धि के लिए समान स्तर की सहायता को बनाए रखने के लिए, बजट में घोषित प्रमुख सुधारों को लागू करना महत्वपूर्ण होगा, जिसमें 100 आकांक्षी जिलों, जहाँ विकास की संभाव्यताएँ अप्रयुक्त रह गई हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाना, जलवायु अनुकूलता बढ़ाना, खाद्य तेलों और दलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सब्जियों की आपूर्ति शृंखलाओं में सुधार, प्रौद्योगिकी और आधुनिक फसल पद्धतियों को अपनाने के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना, और अधिक से अधिक कृषीतर रोज़गार के अवसर पैदा करना शामिल हैं. अनुकूल मानसून और प्राथमिकता क्षेत्र ऋणीकरण मानदंडों और लक्षित वित्तीय समावेशन के उपायों के माध्यम से कृषि के लिए सुनिश्चित ऋण का पर्याप्त प्रवाह इस क्षेत्र के लिए अनुकूल स्थितियाँ उपलब्ध कराता है. तथापि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति, यदि आवश्यक हुआ तो, आपूर्ति पक्ष के सामयिक उपायों के माध्यम से नियंत्रित रहे ताकि घरेलू प्रतिकूल आपूर्ति आघात के कारण विकास और समष्टिगत स्थिरता में व्यवधान से बचा जा सके. ग्रामीण मुद्रास्फीति में गिरावट और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सरकार से राजकोषीय अंतरण, दोनों ने ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद की है, किंतु टिकाऊ आधार पर ग्रामीण आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए ग्रामीण एमएसएमई, स्टार्ट-अपों, ग्रामीण आवासन, ई-कॉमर्स और स्थानीय नवोन्मेषों को प्रोत्साहित कर पर्याप्त कृषीतर रोजगार के अवसर पैदा करने पर नीतिगत बल को बनाए रखना और साथ ही अधिक व्यावसायिक दक्षता और उत्पादकता के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) को व्यापक रूप से अपनाने से रोजगार के लिए संभावित जोखिम को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण होगा.

अध्याय 1 का परिशिष्ट

तालिका अ1.1: कृषि क्षेत्र में रूपांतरकारी नीतिगत परिवर्तन

क्रम सं.	*योजना का नाम*	*उद्देश्य*
01.	बाज़ार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 सीज़न से बाज़ार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के अंतर्गत विभेदक मूल्य भुगतान का एक नया घटक प्रस्तुत किया है ताकि खराब होने वाली फसलों के किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का सीधे भुगतान किया जा सके. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को फसल की भौतिक खरीद या किसानों को एमआईपी और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करने का विकल्प होता है. यह खराब होने वाली फसलों के किसानों को चरम आवक अवधि के दौरान बम्पर फसल होने की स्थिति में गरजू बिक्री से बचाने के लिए शुरू किया गया था, जब कीमतें उत्पादन लागत से भी नीचे गिर जाती हैं. इसके अतिरिक्त, एमआईएस के तहत एक नई सुविधा भी शामिल की गई है, जिसके तहत अधिशेष उत्पादक राज्यों से, उपभोक्ता बाजारों में ले जाए जाने पर टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) की फसलों के भंडारण और परिवहन लागत के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों को प्रतिपूर्ति की जा सकती है जिससे किसान कल्याण और बाज़ार स्थिरता सुनिश्चित हो सके.
02.	संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)	संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के तहत, सब्सिडी युक्त केसीसी ऋणों की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है. साथ ही, संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण सीमा को भी प्रति उधारकर्ता ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है. ये परिवर्तन वित्तीय समावेशन को मजबूत करेंगे, कृषि क्षेत्र की सहायता करेंगे और ऋण-संचालित आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे, जो संधारणीय कृषि के सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है.
03.	नमो ड्रोन दीदी	यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराना है, जिसमें ड्रोन और सहायक उपकरण/ सहायक प्रभारों की लागत के 80% की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है, जो अधिकतम ₹8.0 लाख तक हो सकती है. स्वयं-सहायता समूहों के क्लस्टर स्तरीय फ़ेडरेशन (सीएलएफ) कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत में से सब्सिडी घटाकर) जुटा सकते हैं, और क्लस्टर स्तरीय फ़ेडरेशनों को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी.
04.	डिजिटल कृषि मिशन	सरकार ने भारतीय कृषि के लिए एक मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने, फसलों से संबंधित सटीक जानकारी तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करने और किसान-केंद्रित डिजिटल नवोन्मेषों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल ₹2,817 करोड़ के आबंटन के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है. इस मिशन का उद्देश्य कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत संरचना (डीपीआई) विकसित करना है, जिसमें एग्रिस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और एक व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफ़ाइल मानचित्र जैसे प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं. एग्रीस्टैक डीपीआई राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मेंटेन की जा रही तीन मुख्य रजिस्ट्रियों पर निर्मित है - भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, फसल बुआई रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री. मिशन के लक्ष्यों के एक भाग के रूप में, सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2027 तक देश भर में 11 करोड़ किसानों के लिए किसान आईडी बनाना और खरीफ 2025 से प्रारंभ करते हुए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण लागू करना है.
05.	स्टार्ट-अपों और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)	ग्रामीण नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अपों और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर) के नाम से ₹750 करोड़ की एक श्रेणी-II की वैकल्पिक निवेश निधि स्थापित की गई. इस मिश्रित पूँजी निधि में कृषि और किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड, प्रत्येक द्वारा ₹250 करोड़ शामिल किए गए हैं, साथ ही वित्तीय संस्थाओं से ₹250 करोड़ अतिरिक्त जुटाए गए हैं. नाबार्ड की सहायक कंपनी नैबवेंचर्स के तहत प्रबंधित की जाने वाली इस निधि का उद्देश्य कृषि मूल्य शृंखला में स्केलेबल कृषि-आधारित स्टार्ट-अपों और ग्रामीण उद्यमों को सहायोग प्रदान करना है.
06.	ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस-एनपीएफ)	गरजू बिक्री को कम करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित गिरवी वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस-एनपीएफ) शुरू की, जिसमें किसानों के लिए फसलोपरांत वित्तपोषण को सहयोग प्रदान करने के लिए ₹1,000 करोड़ की समूह निधि आबंटित की गई है. इस योजना के अंतर्गत, किसान ई-एनडब्ल्यूआर द्वारा समर्थित भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) से मान्यता प्राप्त भांडागारों में भंडार कर रखी गई अपनी उपज को गिरवी रखके ऋण प्राप्त कर सकते हैं.

बॉक्स अ1.1: केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2026 में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए घोषित उपायों की मुख्य बातें

1. **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना:** वर्तमान योजनाओं के अभिसरण और लक्षित सहयोगों के माध्यम से, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण निष्पादन जैसी विशेषताओं वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा. इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं (1) कृषि उत्पादकता को बढ़ाना; (2) फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना; (3) पंचायत और ब्लॉक स्तरों पर फसलोपरांत भंडारण का विस्तार करना; (4) सिंचाई आधारभूत संरचना में सुधार लाना; और (5) दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण तक पहुँच को सुगम बनाना. इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है.
2. **दलहनों में आत्मनिर्भरता:** सरकार द्वारा 6-वर्षीय 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया जाएगा, जिसमें अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
3. **सब्जियों और फलों के लिए वृहद् कार्यक्रम:** उत्पादन को बढ़ावा देने, आपूर्ति शृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने, प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक नई पहल शुरू की जाएगी.
4. **उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन:** इस मिशन के तहत (i) अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने; (ii) उच्च उपज देने वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों का लक्षित विकास और प्रसार; और (iii) जुलाई 2024 से, 100 से अधिक बीज की किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
5. **कपास उत्पादकता मिशन:** कपास की खेती में उत्पादकता और संधारणीयता बढ़ाने के लिए पंच-वर्षीय पहल, जिसमें अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास पर विशेष जोर दिया जाएगा. किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
6. **ग्रामीण समृद्धि और सुदृढ़ता का निर्माण:** कौशल उन्नयन, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में बेरोजगारी को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन क्षमता' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
7. **ग्रामीण क्रेडिट स्कोर:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण आबादी की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर तंत्र विकसित किया जाएगा.
8. **भारत के ईईजेड में मत्स्यपालन का विकास:** भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) और गहरे सागरों के मत्स्य संसाधनों के संधारणीय उपयोग के लिए सरकार द्वारा तंत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
9. **जल जीवन मिशन:** वर्ष 2019 से अब तक 15 करोड़ घरों - जो ग्रामीण भारत के 80% का प्रतिनिधित्व करते हैं, को पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध हो चुका है. शत प्रतिशत घरों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, इस मिशन को कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
10. **फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक:** भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों की भंडारण क्षमता के साथ एक द्वितीय जीन बैंक स्थापित किया जाएगा. यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों के संरक्षण प्रयासों को सहयोग प्रदान करेगा.













2

2.1 भूमिका
2.2 भारत में एमएसएमई की परिभाषा
2.3 भारत के ग्रामीण एमएसएमई
2.4 एमएसएमई को सरकार से सहायता
2.5 ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता में नाबार्ड की भूमिका
2.6 आगे की राह
2.7 निष्कर्ष

भारत का ग्रामीण एमएसएमई सेक्टर: समावेशी विकास का संवाहक

एमएसएमई क्षेत्र भारत के विनिर्माण और औद्योगिक विकास की रीढ़ है. एमएसएमई हमारे देश के आर्थिक विकास में रूपांतरकारी भूमिका निभाते हैं. हम इस क्षेत्र को विकसित करने और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

– माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी

2.1 भूमिका

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र लंबे समय से भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है. देश में 6.5 करोड़ एमएसएमई उद्यम सहायता प्राप्त पोर्टल (यूएपी) सहित उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जो 28 करोड़ से अधिक लोगों[1] को रोजगार देते हैं. देश के कुल आर्थिक उत्पादन का बड़ा हिस्सा इन उद्यमों से आता है. वर्तमान में इस क्षेत्र का महत्व काफी बढ़ गया है क्योंकि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)[2] में इसका महत्वपूर्ण योगदान है (30.1%). विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन का काफी हिस्सा इस क्षेत्र से आता है[3] (35.4%) और देश की निर्यात आय में भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी (45.7%) है.[4] ये आँकड़े वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के भारत के विज़न को आगे बढ़ाने में इस क्षेत्र की अहम भूमिका को दर्शाते हैं.

हालाँकि जून 2025 तक यूएपी सहित उद्यम पोर्टल पर 6.5 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका पूरी तरह औपचारिकीकरण किया जा चुका है, क्योंकि उद्यमों का एक बड़ा हिस्सा - खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में - अब भी अनौपचारिक रूप से काम कर रहा है. अनुमान है कि 7.3 करोड़ से अधिक असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठान विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं (निर्माण को छोड़कर) में लगे हुए हैं, जो इस क्षेत्र की व्यापक अनौपचारिक प्रकृति को रेखांकित करता है.[5]

इस व्यापक परिदृश्य में भी ग्रामीण एमएसएमई विशेष रूप से प्रासंगिक हैं क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं और विकास पर गहरा असर डालते हैं. ये भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक संरचना के साथ-साथ कृषि और शिल्पकला में गहरे रचे-बसे हैं. वे विकेंद्रीकृत औद्योगिकीकरण लाते हैं और गाँवों तथा उपनगरीय क्षेत्रों में संधारणीय आजीविका का सृजन करते हैं. ग्रामीण एमएसएमई रूप और कार्य में विविधतापूर्ण हैं - हथकरघा सहकारी समितियों और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों से लेकर मरम्मत की दुकानों और कुटीर उद्योगों तक. ये उद्यम गाँवों और शहरों के बीच असामानता को कम करने और मजबूरीवश होने वाले पलायन को रोकने के साथ-साथ सुदृढ़ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने में मदद करते हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण एमएसएमई लैंगिक सशक्तीकरण और समुदाय-आधारित उद्यमिता के लिए भी मंच प्रदान करते हैं, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं सहित हाशिए पर पड़े समूहों को आजीविका उपलब्ध कराते हैं.

अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी बढ़ती हुई महत्ता के बावजूद, ग्रामीण एमएसएमई को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके उन्नयन और व्यापक बाजारों से उनके एकीकरण में बाधक हैं और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनने से रोकती हैं.[6] इन समस्याओं में पर्याप्त वित्त तक पहुँच न होना, कमजोर आधारभूत संरचना, तकनीक के प्रयोग का अभाव और बाजार की अनुपलब्धता शामिल हैं. इसके अलावा, इन व्यवसायों की कुछ अन्य समस्याएँ हैं जो इनको और भी हाशिए पर डाल देती हैं. ये समस्याएँ हैं - इनका अनौपचारिक होना, अपेक्षित कौशल में कमी और विनियामकीय भार.

इस अध्याय में भारत में ग्रामीण एमएसएमई की व्यापक समझ प्रस्तुत करने के साथ-साथ उसकी क्षेत्रगत विशेषताओं, चुनौतियों, नीतिगत संदर्भ और भावी संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया गया है. इसमें, ग्रामीण एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में देश की शीर्ष विकास वित्त संस्था - नाबार्ड की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है. नाबार्ड अपने ऋण सहयोगों, क्षमता निर्माण के प्रयासों और संस्थागत भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण एमएसएमई के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थकारी संस्था के रूप में उभरा है. आज जब देश एक 'विकसित भारत' की परिकल्पना कर रहा है, तो इसके समावेशी, संधारणीय और विकेंद्रीकृत आर्थिक रूपांतरण में ग्रामीण एमएसएमई की रणनीतिक मजबूती की अहम भूमिका होगी.

2.2 भारत में एमएसएमई की परिभाषा

उद्यमों के बीच आकार, पूँजी आधार और संचालन के संबंध में व्यापक विविधता को देखते हुए, एमएसएमई को बड़े पैमाने के उद्योगों से अलग करने के लिए एक स्पष्ट वर्गीकरण ढाँचे की आवश्यकता थी. एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा के तहत सेवा क्षेत्र को शामिल करके और निवेश और टर्नओवर के आधार पर संयुक्त वर्गीकरण मानदंड के माध्यम से मध्यम उद्यमों तक कवरेज बढ़ाकर एक बुनियादी बदलाव लाया गया.

उभरते आर्थिक परिदृश्य के साथ सरेखित करने तथा पूँजी, प्रौद्योगिकी और पैमाने तक एमएसएमई की पहुँच में सुधार करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2025-26 में निवेश और टर्नओवर की सीमाओं को फिर से संशोधित किया है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगी (तालिका 2.1).

तालिका 2.1: भारत में एमएसएमई की परिभाषा

श्रेणी	*निवेश की सीमा*	*टर्नओवर की सामा*
सूक्ष्म	₹2.5 करोड़ तक	₹10 करोड़ तक
लघु	₹25 करोड़ तक	₹100 करोड़ तक
मध्यम	₹125 करोड़ तक	₹500 करोड़ तक

स्रोत: भारत सरकार (2025), एमएसएमई-संबंधी प्रावधानों पर अधिसूचना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, दिनांक 21 मार्च. https://www.dcmsme.gov.in/Notification-S.O-no-1364-E-dated-21.03.2025-Revised-Definition.pdf.

यह संशोधित वर्गीकरण मानदंड सभी उद्यमों में समान रूप से लागू किया जाता है, तथा इसके तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों शामिल हो जाते हैं. इस संशोधन का उद्देश्य एमएसएमई को अपने परिचालनों का उन्नयन करने, उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और पूँजी तक उनकी पहुँच बढ़ाने में सहायता करना है. उम्मीद है कि इससे उनमें विकास की संभाव्यता बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे.

2.3 भारत के ग्रामीण एमएसएमई

2.3.1 ग्रामीण-शहरी विभाजन

हालाँकि एमएसएमई पूरे देश में कार्यरत हैं, फिर भी ग्रामीण और शहरी उद्यमों के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद है. 'असंगठित विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्र के 734 लाख उद्यमों' में से लगभग 54% उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होते हैं, जो कृषि-प्रसंस्करण, डेयरी, हथकरघा और शिल्प जैसे कृषि से जुड़े सेक्टरों से संबंधित होते हैं (तालिका 2.2). ये उद्यम प्रायः सूक्ष्म पैमाने के, अनौपचारिक संरचना वाले और महिलाओं या स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के स्वामित्व वाले होते हैं.

तालिका 2.2: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई का श्रेणीवार वितरण (संख्या लाख में)

क्षेत्र	*सूक्ष्म*	*लघु*	*मध्यम*	*कुल*	*हिस्सा (%)*
ग्रामीण	397.2	0.3	0.01	397.5	54.2
शहरी	335.5	1.0	0.03	336.5	45.8
कुल	732.6	1.3	0.04	734.0	100.0

स्रोत: एमओएसपीआई (2024), असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2023-24, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, अक्तूबर 2023 - सितंबर 2024 में प्रस्तुत डेटा के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), 73वाँ संस्करण, "असंगठित गैर-कृषि उद्यम", 2015-16 (नवीनतम पूर्ण संस्करण) डेटा. https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/ASUSE_2023_24_Full_Report-L.pdf.

2.3.2 ग्रामीण एमएसएमई की विशेषताएँ

ग्रामीण एमएसएमई का सेक्टर-वार विवरण

ग्रामीण एमएसएमई कई सेक्टरों में काम करते हैं, और अक्सर कृषि लिंकेज, स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाते हैं. कुछ प्रमुख सेक्टर इस प्रकार हैं:

- **कृषि-प्रसंस्करण**: अनाज, दलहन, डेयरी, मसाले, अचार और वनोपज के प्रसंस्करण से जुड़े उद्यम. ये विशेषत: महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में प्रमुखता से मौजूद हैं.

- **हथकरघा और हस्तशिल्प**: वस्त्र, बाँस के उत्पाद, मिट्टी के बर्तन, चमड़े के सामान और धातु शिल्प का उत्पादन करने वाले समूह - ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रचलित हैं.
- **खाद्य एवं पेय पदार्थ**: अचार, नमकीन, जैम, गुड़, पारंपरिक मिठाइयाँ और स्थानीय ब्रांडिंग के साथ पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का घरेलू स्तर पर उत्पादन.
- **पशुपालन और संबद्ध गतिविधियाँ**: डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मत्स्यपालन आधारित उद्यम, जिन्हें अक्सर स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों से सहायता प्राप्त होती है.
- **ग्रामीण सेवाएँ**: छोटे शहरों और विकास केंद्रों में मोबाइल फोन की मरम्मत, सिलाई, हेयरड्रेसिंग, परिवहन और होटल आदि (हॉस्पिटैलिटी) जैसी सेवाएँ प्रदान करने वाले उद्यम.

आकार, पैमाना, और स्वामित्व

- **आकार और अनौपचारिक होने की स्थिति**: अधिकांश ग्रामीण एमएसएमई सूक्ष्म आकार के होते हैं, जिनमें अक्सर पाँच से कम कर्मचारी कार्यरत होते हैं. कई अनौपचारिक हैं, जो उद्यम पंजीकरण या जीएसटी संख्या के बिना संचालित होते हैं. उद्यम पोर्टल के अनुसार, कुल पंजीकृत उद्यमों में से 99% से अधिक सूक्ष्म उद्यम हैं, जबकि लघु और मध्यम उद्यम मिलाकर भी 1% से कम हैं.
- **स्वामित्व संरचना**:
  - **मालिकाना हक और पारिवारिक स्वामित्व**: यह स्वामित्व का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, स्थानीय सेवाओं और खुदरा व्यापार के मामले में.
  - **स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)**: महिलाओं के नेतृत्व वाले समूह जो अक्सर नाबार्ड समर्थित योजनाओं के तहत सामूहिक उद्यम में लगे होते हैं, जैसे- खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई या साबुन बनाना.
  - **सहकारिताएँ**: डेयरी (जैसे- गुजरात, कर्नाटक), हथकरघा (जैसे- तमिलनाडु, केरल) और आदिवासी वन उपज (जैसे- छत्तीसगढ़, झारखंड) में विशेष रूप से सक्रिय.
  - **कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)**: कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, और विपणन पर केंद्रित सामूहिक उद्यम का उभरता हुआ रूप.

विशिष्ट परिचालनगत विशिष्टताएँ

- **संसाधन आधारित उद्यम**: अधिकांश ग्रामीण एमएसएमई स्थानीय कृषि चक्रों या वन उपज की उपलब्धता पर निर्भर रहते हैं.
- **मौसमी परिचालन**: अनेक ग्रामीण उद्यम मौसम/ समय विशेष में कार्यशील होते हैं, जैसे वे उद्यम जो फसल उत्पादन/ कटाई या मौसम विशेष में पैदा होने वाली माँग पर निर्भर रहते हैं.
- **प्रौद्योगिकी का कम उपयोग**: हालाँकि स्मार्टफोन और डिजिटल भुगतान सुविधा की उपलब्धता बढ़ गई है, फिर भी अधिकांश ग्रामीण एमएसएमई बुनियादी उपकरणों का उपयोग करते हैं और उनमें मशीनीकरण कम हुआ है.
- **बाज़ारों से निकटता**: परिवहन और वितरण संबंधी समस्याओं के कारण ग्रामीण एमएसएमई आम तौर पर स्थानीय या आस-पास के बाज़ारों में ही अपने उत्पाद बेचते हैं. कुछ अपवाद भी हैं जहाँ नाबार्ड या राज्य की योजनाओं ने व्यापक बाज़ार पहुँच संभव बनाई है.

2.3.3 ग्रामीण एमएसएमई का आर्थिक और सामाजिक महत्व

ग्रामीण रोजगार, आजीविका विविधीकरण, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक मजबूती

ग्रामीण एमएसएमई, विशेष रूप से कम उत्पादकता और छोटी जोत वाले क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं. इस प्रकार ये उद्यम भारत के गैर-कृषि क्षेत्र में रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये उद्यम डेयरी, मुर्गीपालन, जलचर पालन, अनाज पिसाई, सिलाई, बढ़ईगिरी, खाद्य प्रसंस्करण और टेक्सटाइल क्षेत्रों में आजीविका के विविध अवसर प्रदान करते हैं. ग्रामीण श्रमिक-जनसंख्या के अनुपात 61.4% (बनाम शहरी 49.6%) को देखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रम को बनाए रखने में इन उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है.[7]

कई ग्रामीण एमएसएमई स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित होते हैं तथा घरों से, मौसमी या अंशकालिक उद्यमों के रूप में संचालित होते हैं. ये महिलाओं और कमज़ोर समुदायों के लिए वास्तविक आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं. लगभग 22% ग्रामीण एमएसएमई महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं,[8] जिनकी डेयरी, बुनाई, सिलाई और खाद्य-आधारित उद्यम जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी है. राष्ट्रीय स्तर पर, 26.2% असंगठित उद्यमों की मालिक महिलाएँ हैं, और असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी और भी अधिक 58.4% है.[9] युवाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, खासकर डिजिटल सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत और परिवहन के क्षेत्र में.

सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी), आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) और सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) पहल नाबार्ड की ऐसी पहलें हैं जिनके तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के कौशल और उद्यम क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है. इन पहलों ने तमिलनाडु, केरल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महिला स्वयं-सहायता समूहों को सक्रिय आर्थिक इकाइयों में बदल दिया है. इन उद्यमों से होने वाली आय का उपयोग अक्सर परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है, जिससे परिवार का पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होता है. कई जिलों में, ग्रामीण एमएसएमई ने पूरे वर्ष स्थानीय रोजगार प्रदान करके मजबूरीवश होने वाले पलायन को रोकने में मदद की है, उदाहरण के लिए - असम में हथकरघा क्लस्टर और महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ.

ग्रामीण एमएसएमई, कम मुनाफे पर काम करते हुए भी, गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इनसे होने वाली आय अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है, जिसका गरीबी उन्मूलन में बहुआयामी योगदान है.

पारंपरिक हुनर और स्थानीय पहचान का संरक्षण

अपने आर्थिक योगदान के साथ-साथ ग्रामीण एमएसएमई पारंपरिक हुनर और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करते हैं. बाँस शिल्प, हथकरघे पर बुनाई, मृत्तिका शिल्प (पॉटरी) और आदिवासी कला के क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों के क्लस्टर केवल आय अर्जक ही नहीं, बल्कि अपने समुदायों की विरासत का संरक्षण भी करते हैं.

नाबार्ड और अन्य एजेंसियों की सहायता से इन क्लस्टरों की ब्रांडिंग की गई है, इन्हें भौगोलिक संकेतक (जीआई) प्राप्त हुए हैं और व्यापार मेलों के माध्यम से इन्हें बाजार का एक्सपोज़र प्राप्त हुआ है. ये उपाय ग्रामीण जनता की आय बढ़ाने के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था और उसके सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करते हैं.

2.3.4 ग्रामीण एमएसएमई के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ

वित्त की सीमित उपलब्धता

सही समय और वहनीय लागत पर वित्त उपलब्ध न होना ग्रामीण एमएसएमई के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है:

- ग्रामीण एमएसएमई के लिए ऋण की आवश्यकता और उपलब्धता में अनुमानित अंतर 32% है. महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में यह अंतर 35% है जबकि पुरुषों के नेतृत्व वाले उद्यमों में यह अंतर 20% है. ऋण की इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकांश महिलाएँ ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहती हैं.[10]
- कई ग्रामीण उद्यम संपार्श्विक, क्रेडिट हिस्ट्री या पंजीकरण दस्तावेजों की कमी के कारण औपचारिक ऋण के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं.
- यदि ऋण उपलब्ध हो तो भी अक्सर उसकी अवधि, मात्रा कम होती है या वह उत्पादन आवश्यकताओं की बजाय उपभोग से जुड़ा होता है.
- इसके परिणामस्वरूप एमएसएमई का काफी बड़ा हिस्सा अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहता है जिसके कारण उन पर ब्याज का बोझ अधिक रहता है और उनकी विकास क्षमता प्रभावित होती है.

प्रौद्योगिकी का अभाव और निम्न उत्पादकता

ग्रामीण एमएसएमई के पास अक्सर अद्यतन मशीनरी, उत्पादन प्रक्रियाओं और डिजिटल उपकरणों का अभाव होता है:

- अधिकांश में मशीनों का प्रयोग कम होता है, जिससे गुणवत्ता, उत्पादकता और एकरूपता प्रभावित होती हैं.

- कई उद्यम ई-कॉमर्स मंचों, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर और डिजिटल अकाउंटिंग ऐप जैसे नई प्रौद्योगिकियों से या तो अनभिज्ञ हैं या उनमें प्रशिक्षित नहीं हैं.
- जहाँ जागरूकता मौजूद है, वहाँ भी खराब इंटरनेट सुविधा, उपकरणों की उच्च लागत और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण प्रौद्योगिकी अपनाने में बाधा आती है.

उक्त के परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी एमएसएमई की उत्पादकता में बड़ा अंतर होता है, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और हस्तशिल्प जैसे अधिक संभाव्यता वाले सेक्टरों में.

आधारभूत संरचनाओं की कमी

ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के एमएसएमई को अभी भी बिजली, सड़क, और संचार सेवाओं जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता के साथ-साथ उनका समग्र विकास भी बाधित होता है.[11] आधारभूत संरचनाओं की कमी की समस्या अभी भी बनी हुई है:

- खराब सड़कों के कारण और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के अभाव से परिवहन लागत बढ़ जाती है और बाज़ार तक पहुँच सीमित हो जाती है.
- अनिश्चित बिजली आपूर्ति से उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित होते हैं और अपव्यय बढ़ जाता है, विशेष रूप से उन उद्यमों में जो जल्दी खराब होने वाले उत्पादों पर आधारित होते हैं.
- किफायती कार्यस्थल, भंडारण और कोल्ड चेन की कमी से व्यवसाय विस्तार में बाधा आती है.
- ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क की कमी डिजिटल उपकरणों और सरकारी ई-सेवाओं तक पहुँच को बाधित करती है.

बाज़ार तक पहुँच और लिंकेज

ग्रामीण एमएसएमई को लाभदायक बाजारों तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:

- एकीकरण की प्रणालियों के अभाव से शक्ति सीमित होती है और बड़े पैमाने के लाभ भी नहीं मिलते.
- खराब पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मानकीकरण, जिससे उत्पाद बाजार में आकर्षक नहीं लगते और उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है.
- मार्केटिंग कौशल और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की कमी - विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म की - जिसके कारण कई उद्यम मौखिक प्रचार या कम मार्जिन वाले स्थानीय चैनलों पर निर्भर रहते हैं.
- प्रदर्शनियों या सार्वजनिक खरीद की प्रक्रियाएँ जटिल हैं और इस संबंध में मार्गदर्शन का अभाव है, जिसके कारण इनमें भागीदारी सीमित होती है.

कौशल और क्षमता में कमी

- ग्रामीण उद्यमियों को अक्सर औपचारिक व्यावसायिक पद्धतियों, जैसे बहीखातों का रख-रखाव, गुणवत्ता नियंत्रण, मूल्य निर्धारण रणनीतियों और कानूनी अनुपालन की जानकारी नहीं होती.
- विशिष्ट व्यवसायों (जैसे, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई और बढ़ईगिरी) से संबंधित तकनीकी कौशल पारंपरिक तरीकों तक ही सीमित हैं.
- जागरूकता की कमी, आवा-गमन संबंधी समस्याओं (विशेषकर महिलाओं के लिए) या असंगत पाठ्यक्रमों के कारण औपचारिक कौशल कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थी कम आते हैं.

महिला-विशिष्ट चुनौतियाँ

महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई की अपनी अलग चुनौतियाँ होती हैं:

- घरेलू ज़िम्मेदारियों के कारण समय की कमी और कहीं आने-जाने में समस्या.
- वित्त प्राप्त करने में कठिनाई, विशेष रूप से पुरुष गारंटर या संपत्ति का स्वामित्व न होने के कारण.
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मार्केटिंग नेटवर्क में कम भागीदारी.
- औपचारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम प्रतिभागिता.

मुद्रा के अंतर्गत महिला-विशिष्ट ऋण उत्पाद और नाबार्ड के एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम जैसे लक्षित प्रयासों से इस दिशा में मदद मिली है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है. नाबार्ड के प्रशिक्षण और सहायता प्रयासों, विशेष रूप से एलईडीपी का लक्ष्य इसी कमी को दूर करना है.

2.4 एमएसएमई को सरकार से सहायता

भारत सरकार ने समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए इसे सुदृढ़ करने के लिए पहलों की एक व्यापक शृंखला कार्यान्वित की है. ये प्रयास दर्शाते हैं कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुँच में सुधार लाने तथा घरेलू और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एमएसएमई को एकीकृत करने पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलें एमएसएमई को आवश्यक डिजिटल क्षमताओं और आधारभूत संरचना से लैस कर रही हैं. इसके अलावा विदेश व्यापार महानिदेशालय के नेतृत्व में 'निर्यात हब के रूप में जिले' पहल का लक्ष्य ई-कॉमर्स निर्यात का संवर्धन करना है, जिससे एमएसएमई विकास के लिए एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है.

इन व्यापक पहलों को उन प्रमुख कार्य क्षेत्रों के तहत समूहीकृत किया जा सकता है जो एमएसएमई की मुख्य आवश्यकताओं के साथ संरेखित हैं, जिसमें रोजगार सृजन, वित्त तक पहुँच, आधारभूत संरचना विकास, बाजार एकीकरण, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और क्षेत्र-विशिष्ट सहयोग शामिल हैं.[12]



1. रोजगार सृजन और कौशल विकास

क. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): एक ऋण-आधारित सब्सिडी योजना जो गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु सहयोग प्रदान कर रोजगार का संवर्धन करती है. विनिर्माण इकाइयों हेतु ₹50 लाख और सेवा इकाइयों हेतु ₹20 लाख तक के ऋणों के लिए मार्जिन राशि सब्सिडी (15 से 35%) प्रदान की जाती है.

ख. उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी): नए उद्यमों के संवर्धन तथा मौजूदा एमएसएमई के क्षमता निर्माण हेतु तैयार की गई यह योजना विभिन्न व्यवसायों के लिए (i) एकदिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, (ii) छह सप्ताह का उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ई-एसडीपी) और (iii) एक सप्ताह का उन्नत ई-एसडीपी प्रस्तुत करती है.

ग. प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता की योजना: आधारभूत संरचना विकास तथा उद्यमिता प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं[13] को पूँजी अनुदान, तथा राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थाओं को भी ₹3.00 करोड़ तक पूँजी अनुदान प्रदान करती है.

घ. कॉयर विकास योजना: समग्र उद्योग के विकास के लिए कॉयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित एक व्यापक योजना. उप-योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (अनुसंधान एवं विकास)
ii. कौशल उन्नयन
iii. महिला कॉयर योजना
iv. निर्यात और घरेलू बाज़ार संवर्धन
v. व्यापार एवं उद्योग संबंधी कार्यात्मक सहायता सेवाएँ

च. नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना: आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों (एलबीआई) के स्थापन, तथा संयंत्र, मशीनरी (सरकारी एजेंसियों हेतु ₹1 करोड़; निजी एजेंसियों हेतु ₹75 लाख), और परिचालन लागत (सरकारी एजेंसियों और निजी एजेंसियों के लिए ₹1 करोड़) हेतु निधीयन के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को सहयोग प्रदान करती है.

छ. टूल रूम और तकनीकी संस्थान: टूलिंग सुविधाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्पाद विकास, और परामर्श सेवाएँ प्रदान कर एकीकृत क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं.



2. वित्तीय सहायता और ऋण सहयोग

क. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना: संपार्श्विक-मुक्त और अन्य पक्ष की गारंटी के बिना ऋण प्रदान करती है.

ख. अन्य ऋण गारंटी योजनाओं में शामिल है:

i. एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना

ii. स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना

iii. सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि

iv. स्टैंड-अप इंडिया के लिए ऋण गारंटी योजना

v. फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि योजना

ग. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि: प्रगति, नवोन्मेष और रोजगार सृजन को सहयोग प्रदान करने के लिए इक्विटी, अर्ध-इक्विटी और ऋण के माध्यम से सहायक निधियों से एमएसएमई के लिए पूँजी पहुँचाने हेतु लक्षित.

घ. एमएसएमई के कार्यनिष्पादन को बढ़ाना और तेज़ करना: विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो बेहतर पहुँच, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और केंद्र-राज्य सहयोग के माध्यम से बाज़ारों, वित्त और प्रौद्योगिकी तक एमएसएमई की पहुँच बढ़ाती है.

ङ. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: गैर-कृषि उद्यमों, विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर पड़े उद्यमियों को संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करती है. ऋण श्रेणियों में शामिल हैं:

i. शिशु: ₹50,000 तक

ii. किशोर: ₹50,000 से ₹5 लाख

iii. तरुण: ₹5 लाख से ₹10 लाख

iv. तरुण प्लस: ₹10 लाख से ₹20 लाख

च. मौजूदा पीएमईजीपी/ मुद्रा इकाइयों के उन्नयन हेतु दूसरा ऋण - 15% की सब्सिडी सहित [पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में 20%] संवर्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहयोग प्रदान करता है. शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है.



3. क्लस्टर विकास और आधारभूत संरचना

क. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम - निम्नलिखित के माध्यम से संधारणीयता और प्रतिस्पर्धा का संवर्धन:

i. साझा सुविधा केंद्र - ₹30 करोड़ तक की परियोजनाओं के लिए 80% तक सहायता.

ii. आधारभूत संरचना विकास - ₹15 करोड़ तक की परियोजनाओं के लिए 70% तक सहायता.

ख. पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना

i. सामूहिकता, मूल्य वर्धन, और पारंपरिक उद्योगों में संधारणीय रोजगार का संवर्धन.

ii. सरकार से सहयोग - ₹2.5 करोड़ तक (500 या उससे कम कारीगरों हेतु); ₹5 करोड़ (500 से अधिक कारीगरों हेतु)

ग. पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन: निम्नलिखित के लिए 90% वित्तीय सहायता के माध्यम

से आधारभूत संरचना विकास को सहयोग प्रदान करना:

i. मिनी प्रौद्योगिकी केंद्र - ₹13.5 करोड़ तक
ii. नए/ मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र - ₹13.5/ ₹9 करोड़ तक
iii. पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाएँ - ₹4.5 करोड़ तक
iv. भवन निर्माण लागत - ₹1 करोड़ तक (भूमि लागत के अलावा)

4. विपणन और निर्यात संवर्धन



क. खरीद और विपणन सहायता योजना: निम्नलिखित के माध्यम से बाज़ार तक पहुँच में सुधार लाने का लक्ष्य:

i. व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता, तथा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, पैकेजिंग और निर्यात प्रक्रियाओं पर जागरूकता उत्पन्न करना.
ii. भौगोलिक संकेतक उत्पादों के लिए क्षमता निर्माण में वृद्धि और खुदरा दुकानों का विस्तार.

ख. अंतरराष्ट्रीय सहकारिता योजना: निम्नलिखित के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और बाज़ार तक पहुँच में एमएसएमई सहभागिता हेतु सुविधा प्रदान करती है:

i. बाज़ार विकास सहायता
ii. पहली बार निर्यात करने वाले एमएसई निर्यातकों का क्षमता निर्माण
iii. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार आसूचना प्रसार

ग. राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना: निम्नलिखित के माध्यम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सहयोग प्रदान करती है:

i. 25% पूँजी सब्सिडी (₹25 लाख तक)
ii. सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के तहत मार्गदर्शन, विपणन और अधिप्राप्ति सहयोग

5. नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी उन्नयन



एमएसएमई चैंपियंस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से प्रतिस्पर्धा और वैश्विक पहुँच हेतु सहयोगों को एकीकृत और समन्वित करना है:

i. एमएसएमई - सस्टेनेबल (ज़ेडईडी): उच्च-गुणवत्ता, पर्यावरणीय रूप से अनुकूल विनिर्माण का प्रोत्साहन.
ii. एमएसएमई - इनोवेटिव: उद्भवन, आईपीआर और डिजाइन को सहयोग.
iii. एमएसएमई - कंपीटिटिव (लीन): बेहतर दक्षता हेतु लीन विनिर्माण तकनीकों का संवर्धन.

6. सेक्टर-विशिष्ट योजनाएँ



क. खादी ग्रामोद्योग विकास योजना

i. आधुनिकीकृत आधारभूत संरचना, कौशल पुनरुत्थान, विपणन और निर्यातों के माध्यम से खादी कारीगरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि.
ii. उप-योजनाएँ: खादी विकास योजना और ग्रामोद्योग विकास योजना.

ख. पीएम विश्वकर्मा योजना: पारंपरिक कारीगरों की पहचान करना और निम्नलिखित के माध्यम से उन्हें सशक्त करना:

i. कौशल विकास और आधुनिक उपकरण,
ii. दो किस्तों में प्रदत्त ₹3 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण (₹1 लाख + ₹2 लाख), और
iii. ब्याज अनुदान, डिजिटल प्रोत्साहन और बाजार संपर्क.



7. एमएसएमई पोर्टल

क. उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल: पैन और जीएसटीआईएन का उपयोग कर पेपरलेस एमएसएमई पंजीकरण हेतु आधिकारिक प्लैटफॉर्म, जो एक स्थायी पहचान संख्या और प्रमाणपत्र प्रदान करता है.

ख. उद्यम एसिस्ट प्लैटफॉर्म: अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को पंजीकरण कराने और परिचालन को औपचारिक बनाने हेतु सुविधा प्रदान करता है.

ग. अन्य एमएसएमई पोर्टल:

i. माई एमएसएमई पोर्टल

ii. एमएसएमई समाधान

iii. एमएसएमई संबंध

iv. एमएसएमई चैम्पियन्स पोर्टल

v. एमएसएमई संपर्क पोर्टल



8. नीतिगत फ्रेमवर्क

एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति (2018): केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों द्वारा की जाने वाली अधिप्राप्ति का 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से प्राप्त किए जाने को अनिवार्य करती है. इस आरक्षण के तहत 4% एससी/ एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई हेतु, तथा 3% महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई हेतु आरक्षित है.

2.5 ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता में नाबार्ड की भूमिका

संधारणीय और समावेशी ग्रामीण विकास संवर्धन के अपने अधिदेश का पालन करते हुए, नाबार्ड, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के लिए अपनी सहायता को उत्तरोत्तर विस्तारित करता आ रहा है. रोज़गार सृजन और आय विविधीकरण में ग्रामीण उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, नाबार्ड ने अपने सहयोगों को भी इस पारिस्थितिकी-तंत्र के सुदृढ़ीकरण के अनुरूप ढाला है. एक शीर्षस्थ विकास वित्त संस्था के रूप में नाबार्ड वित्त, क्षमता निर्माण और संस्था निर्माण के मिलन बिंदु पर कार्य करता है, जो इसे एमएसएमई पारिस्थितिकी-तंत्र के क्षमता निर्माण का एक प्रमुख साझेदार बनाता है.

नाबार्ड के इन प्रयासों को और अधिक अवलम्ब तब मिला जब दिनांक 02 जनवरी 2018 को पारित नाबार्ड (संशोधन) विधेयक के माध्यम से नाबार्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन हुआ. मूलभूत अधिनियम के तहत नाबार्ड उन उद्योगों को ऋण और अन्य संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत था जिनका मशीनरी और संयंत्र में निवेश ₹20 लाख तक हो. इस संशोधन ने इस सीमा को विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमों हेतु ₹10 करोड़ तक और सेवा क्षेत्र के उद्यमों हेतु ₹5 करोड़ तक बढ़ा दिया. पूर्ववर्ती अधिनियम नाबार्ड के निदेशक मंडल और सलाहकार परिषद में लघु-उद्योगों से विशेषज्ञों को शामिल करता था, और साथ ही लघु, अति-लघु और विकेंद्रीकृत क्षेत्र के उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देता था. संशोधित अधिनियम ने इन प्रावधानों को एमएसएमई को भी कवर करने के लिए विस्तारित किया.

नाबार्ड अधिनियम, 1981 में किए गए संशोधन की मुख्य बातें निम्नानुसार है:

क) 'लघु उद्योग, अति-लघु और विकेंद्रीकृत क्षेत्र के उद्योग, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प के क्षेत्र में शामिल उद्योग' को 'ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग और हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य ग्रामीण शिल्पों में शामिल अन्य उद्योग' से प्रतिस्थापित किया गया.

ख) 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'मध्यम उद्यम' के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में क्रमश: सौंपे गए हैं.

इस प्रकार एमएसएमई पारिस्थितिकी-तंत्र का विकास नाबार्ड के मूल अधिदेशों में से एक है, जो उसके विकासात्मक और व्यावसायिक सहयोगों में प्रतिबिंबित में होता है.

ऋण प्रवाह का संवर्धन करने, निवेश उत्प्रेरित करने, रोजगार सृजन करने, सामूहिकीकरण को सहयोग प्रदान करने, आजीविकाओं को बेहतर बनाने और एमएसएमई में संधारणीय आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के नाबार्ड के दृष्टिकोण के प्रमुख स्तंभ है - बैंकों हेतु वित्तीय सहायता तथा विकासात्मक सहयोग.

इस संशोधन ने एमएसएमई हेतु नाबार्ड के पुनर्वित्त सहयोग के दायरे का विस्तार किया है, और इस प्रकार संस्था की समावेशी ग्रामीण औद्योगिक विकास को सुविधा प्रदान करने की क्षमता को बेहतर बनाया है.

नाबार्ड के एमएसएमई संबंधी सहयोग केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप है, जिनका लक्ष्य उद्यम आधारित विकास का संवर्धन करना, ग्रामीण रोजगार का सृजन करना, आय बढ़ाना, कार्यबल को कृषि से एमएसएमई की ओर ले जाने में सहयोग करना, और संकट प्रवास को कम करना है. प्रमुख हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारियों, सहमति ज्ञापनों, तथा लक्षित क्षमता-निर्माण प्रयासों के माध्यम से नाबार्ड ने वित्तीय सहायता, विकासात्मक कार्यक्रमों और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के प्रभावी सम्मिश्रण के माध्यम से ग्रामीण एमएसएमई की सहायता करना जारी रखा है (तालिका 2.3).

तालिका 2.3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता हेतु नाबार्ड के सहयोग

1. वित्तीय सहायता

फोकस क्षेत्र	*विवरण*
पूँजी और पुनर्वित्त तक पहुँच	एमएसएमई की पूँजी तक पहुँच और निवेश हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए पात्र वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने का प्रावधान. पहुँच में सुधार लाने के लिए बैंकों और अन्य ऋणदाताओं के साथ सहयोगात्मक कार्रवाई.
ऋण आयोजना	हितधारकों के साथ परामर्श से जिला-स्तरीय संभाव्यता-युक्त ऋण योजनाओं (पीएलपी) का उपयोग कर तैयार किए गए एमएसएमई के लिए ऋण अनुमान, जिससे दोहनयोग्य क्षेत्र की संभाव्यता चिह्नित की जा सके.
एमएसएमई गतिविधियों के लिए एसआरएस	(i) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, (ii) वाटरशेड और वाड़ी परियोजना क्षेत्रों, (iii) एमएससी के रूप में पैक्स का रूपांतरण, (iv) एआईएफ़ के तहत आधारभूत संरचना, और (v) आकांक्षी जिलों और कम पीएसएल वाले जिलों के लिए लक्षित पुनर्वित्त योजनाओं का कार्यान्वयन.
सब्सिडी संवितरण हेतु चैनल	एससी/ एसटी उद्यमियों हेतु एससीएलसीएसएस के तहत सब्सिडी संवितरित करने हेतु नोडल संस्था के रूप में कार्यरत.
सहायक संस्थाओं के माध्यम से सहयोग	(i) नैबसमृद्धि द्वारा हरित वित्त, स्वास्थ्यवर्धन, परिधान और हस्तशिल्पों में एमएसएमई हेतु वित्तपोषण. (ii) नैबकिसान द्वारा एफ़पीओ हेतु वित्तपोषण. (iii) नैबवेंचर्स द्वारा स्टार्ट-अप्स हेतु सहयोग.
क्षेत्रा बैंकों के माध्यम से एमएसएमई ऋण वितरण	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से एमएसएमई क्लस्टरों के साथ शाखाओं की मैपिंग और विशेष रूप से तैयार ऋण उत्पादों की शुरुआत, जिससे वित्तीय वर्ष 2024 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके एमएसएमई ऋण पोर्टफोलियो में 17.6% की वृद्धि कर पोर्टफोलियो ₹57,890 करोड़ तक पहुँचाने में सक्षम बनाया गया.

2. विकासात्मक सहयोग

फोकस क्षेत्र	*विवरण*
कौशल और उद्यमिता विकास	कौशल विकास पहलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता और सूक्ष्म-उद्यम सृजन का संवर्धन, विशेष रूप से महिलाओं और सीमांत समुदायों के लिए. एमईडीपी और एलईडीपी जैसे सहयोगी कार्यक्रम.
तकनीकी और क्लस्टर सहयोग	प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता में सुधार और विपणन को सक्षम बनाना. कृषक उत्पादक संगठनों/ कृषीतर उत्पादक संगठनों के गठन, डीपीआर मोड की परियोजनाओं और पर्यटन-सहबद्ध मॉडलों के माध्यम से उत्पादकों के समूहों, विशेष रूप से हथकरघा और हस्तशिल्पों को सहयोग प्रदान करना.
विपणन सहयोग	रुरल हाट, मोबाइल मार्ट, प्रदर्शनियों, एम-सुविधा, और इसी प्रकार की अन्य पहलों के माध्यम से ग्रामीण उत्पादकों हेतु बाज़ार तक पहुँच प्रदान करना. वित्तीय सेवाएँ विभाग के साथ मिलकर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में 116 जीआई उत्पादों और 22 कृषीतर उत्पादक संगठनों का प्रदर्शन.
आईपीआर और सांस्कृतिक धरोहर	जीआई से संबंधित पंजीकरण-पूर्व और पंजीकरण-पश्चात् गतिविधियों हेतु सहयोग तथा जीआई सुविधा केंद्रों की स्थापना.
स्टार्टअप और नवोन्मेष	आरबीआईसी (अभी तक 10 को सहयोग प्रदत्त) के स्थापन के माध्यम से, तथा प्रोटोटाइप/ न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादों वाले स्टार्ट-अप्स के लिए उत्प्रेरक पूँजी निधि के परिचालन के माध्यम से नवोन्मेष का संवर्धन.
पारिस्थितिकी-तंत्र	केंद्रीय और राज्य-स्तरीय एमएसएमई योजनाओं के साथ संरेखण और एकीकरण हेतु जिला औद्योगिक केंद्रों के साथ
योजना अभिसरण	मिलकर कार्य करने वाले जिला विकास प्रबंधकों द्वारा योजना अभिसरण.

3. सहयोग और रणनीतिक साझेदारियाँ

फोकस क्षेत्र	*विवरण*
सहमति ज्ञापन और साझेदारियाँ	निम्नलिखित संस्थाओं के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित: • एनआरएलएम के साथ, एसएचजी के उद्यमियों के रूप में रूपांतरण हेतु सहयोग प्रदान करने हेतु. • एनएससीएफ़डीसी, एनबीसीएफ़डीसी और एनएसकेएफ़डीसी के साथ, सीमांत समुदायों को कौशल उन्नयन और वित्त के माध्यम से सहयोग प्रदान करने हेतु.
सेक्टोरल संवर्धन गतिविधियाँ	पीएचडीसीसीआई, एसोचेम, और स्टार्टअप मिशनों जैसे संगठनों द्वारा आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ जैसी संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों का प्रायोजन.
एफपीओ क्षमता निर्माण	कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए नाबार्ड एफपीओ एक्सेलरेटर कार्यक्रमों पर काम कर रहा है.

एआईएफ़ = कृषि आधारभूत संरचना निधि, एसोचेम = भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, सीएलसीएसएस = ऋणयुक्त पूँजी सब्सिडी योजना, डीएफ़एस = वित्तीय सेवाएँ विभाग, डीपीआर = विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ईडीपी = उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एफ़पीओ = कृषक उत्पादक संगठन, जीआई = भौगोलिक संकेतक, एलईडीपी = आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम, एमईडीपी = सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम, एमएससी = बहु-सेवा केंद्र, एमएसएमई = सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, एनबीसीएफ़डीसी = राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, एनआरएलएम = राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एनएससीएफ़डीसी = राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, एनएसकेएफ़डीसी = राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समिति, पीएचडीसीसीआई = पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, पीएलपी = संभाव्यतायुक्त ऋण योजना, पीएसएल = प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण, आरबीआईसी = ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एससीएलसीएसएस = विशेष ऋणयुक्त पूँजी सब्सिडी योजना, एसएचजी = स्वयं-सहायता समूह, एसआरएस = विशेष पुनर्वित्त योजना, वाड़ी = बागान-आधारित आजीविका कार्यक्रम, वॉश = जल, स्वच्छता और आरोग्य.

2.6 आगे की राह

विकसित भारत @ 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों से ऊर्जावान योगदानों के साथ एक सुदृढ़ और गतिशील आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र का होना आवश्यक है. इस ढाँचे के तहत समावेशी और संधारणीय वृद्धि के संवाहक के रूप में एमएसएमई में अपार संभावनाएँ हैं. उनमें विद्यमान स्फूर्ति, स्थानीय ग्रमीण क्षेत्रों की अति गहन समझ - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में - और उनकी उद्यमिता को आगे बढ़ाने की भावना उन्हें भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त एजेंटों के रूप में स्थापित करती है.

इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए वित्त, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी और बाज़ार एकीकरण से संबंधित सहयोगों के एक समन्वित समूह के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों और एमएसएमई की वृद्धि को बढ़ाना आवश्यक है.

नाबार्ड एक संधारणीय और प्रतिस्पर्धी ग्रामीण एमएसएमई परिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है. उसकी नवोन्मेषी रणनीतियाँ और लक्षित पहलें ग्रामीण उद्यमों को उनकी स्थानीय प्रासंगिकता बनाए रखते हुए वैश्विक मानकों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती हैं. प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कौशल और उद्यमिता विकास**: स्थानीय प्रतिभा के संपोषण, रोजगार अवसरों के सृजन और महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई के संवर्धन हेतु नाबार्ड कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान करता है.
- **आधारभूत संरचनाएँ और डिजिटलीकरण**: आधुनिक आधारभूत संरचनाओं और डिजिटल उपकरणों में निवेश ग्रामीण एमएसएमई परिदृश्य का रूपांतरण कर रहा है, जिससे एमएसएमई को एक मजबूत डिजिटल फुटप्रिंट के निर्माण में, तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में और अधिक प्रभावशाली रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सहयोग मिला. नाबार्ड लघु उद्यमों के लिए विशेष रूप से तैयार डिजिटल समाधानों का संवर्धन करता है, जिनमें शामिल हैं:
  - मौजूदा उपकरण और मशीनरी में डिजिटल उन्नयन
  - ई-कॉमर्स के मंचों के साथ एकीकरण
  - डिजिटल भुगतान प्रणालियों और डिजिटल ऋण-वितरण मॉडलों को अपनाना.
- **उद्भवन और मार्गदर्शन**: नाबार्ड एमएसएमई को औद्योगिक विशेषज्ञों, सफल उद्यमियों और सहयोग मंचों के साथ जोड़कर उद्भवन और मार्गदर्शन

परिस्थितिकी तंत्रों को आगे बढ़ाता है. हाइब्रिड (भौतिक और डिजिटल) उद्भवन केंद्र और सहकर्मी-शिक्षण समुदाय, उद्यमों को प्रगति और नवोन्मेष हेतु आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं.

- **क्लस्टर विकास**: समुच्चयन मॉडलों से सहयोग-प्राप्त ग्रामीण एमएसएमई क्लस्टरों का विकास संसाधन दक्षता, साझेदारी आधारभूत संरचना और सामूहिक समस्या-समाधान का संवर्धन करता है. क्लस्टर-आधारित मूल्य शृंखलाएँ स्पर्धात्मकता को बढ़ाती हैं और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकरण हेतु सुविधा प्रदान करती है.
- **विपणन सहायता**: नाबार्ड ब्रांडिंग, प्रचार और ग्राहक सहभागिता हेतु डिजिटल साधनों के प्रयोग का संवर्धन करते हुए व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता के माध्यम से बाज़ारों तक पहुँच को बेहतर बनाने में एमएसएमई की सहायता करता है.
- **वित्त तक सुगम पहुँच**: ग्रामीण ऋण के अंतराल को दूर करने के लिए नाबार्ड विशेषीकृत वित्तीय उत्पादों और डिजिटल ऋण-वितरण मंचों तक पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करता है, जहाँ असेवित और अल्पसेवित उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
- **पर्यावरणीय संधारणीयता**: राष्ट्रीय संधारणीयता लक्ष्यों के अनुरूप नाबार्ड ग्रामीण एमएसएमई में हरित प्रौद्योगिकियों और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने वाली व्यावसायिक प्रथाओं का संवर्धन करता है, जिससे उनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सके और दीर्घकालिक व्यवहार्यता में वृद्धि हो सके.
- **सहयोग और अभिसरण**: सार्वजनिक और निजी हितधारकों के साथ साझेदारियों का संपोषण कर नाबार्ड ग्रामीण एमएसएमई हेतु संसाधन आधार का विस्तार करता है, पूँजी, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचनाओं और बाज़ारों तक पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करता है. ये सहयोग समग्र एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं और समावेशी प्रगति को बढ़ावा देते हैं.

2.7 निष्कर्ष

रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाते हुए, देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करते हुए एमएसएमई सेक्टर का निरंतर विस्तार हो रहा है. हालाँकि सरकार की पहलों और संस्थागत साझेदारियों ने एमएसएमई के लिए एक समर्थकारी परिवेश का निर्माण किया है, फिर भी किफ़ायती ऋण तक सीमित पहुँच और प्रौद्योगिकी अपनाने में आने वाली विद्यमान अंतरालों जैसी चुनौतियाँ यथावत् बनी हुई हैं.

इन बाधाओं को पार करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी - एक ऐसा दृष्टिकोण जो वित्त, आधारभूत संरचना, कौशल विकास, बाज़ार संपर्क, और संस्थागत क्षमता निर्माण को एकीकृत करे. अपने विकासात्मक अधिदेश, अपनी जिला-स्तरीय उपस्थिति, और सहयोगी नेटवर्क के साथ नाबार्ड, इस रूपांतरण का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है.

ग्रामीण एमएसएमई सेक्टर को सुदृढ़ कर, नाबार्ड आधार-स्तरीय उद्यमों की समस्त संभाव्यताओं के द्वार पूरी तरह से खोलने में सहायता कर सकता है, और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सार्थक योगदान दे सकता है - ऐसा भारत जो वर्ष 2047 तक समृद्ध, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन चुका हो.

नोट

1. https://dashboard.msme.gov.in/ (दिनांक 29 जून 2025 की स्थिति के अनुसार).
2. भारत सरकार (2024), दिनांक 22 जुलाई 2024 की एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सूचना कार्यालय विज्ञप्ति. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2035073.
3. भारत सरकार (2024), दिनांक 22 जुलाई 2024 की एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सूचना कार्यालय विज्ञप्ति. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2035073.
4. भारत सरकार (2024), आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf.
5. एमओएसपीआई (2024), असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2023-24, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, अक्तूबर 2023 - सितंबर 2024 में प्रस्तुत डेटा के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), 73वाँ संस्करण, "असंगठित

गैर-कृषि उद्यम", 2015-16 (नवीनतम पूर्ण संस्करण) डेटा. https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/ASUSE_2023_24_Full_Report-L.pdf.

6. नीति आयोग (2025), एन्हांसिंग एमएसएमई कम्पीटीटिवनेस इन इंडिया: अ रोडमैप फॉर ग्रोथ, भारत सरकार. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-05/Enhancing_Competitiveness_of_MSMEs_in_India.pdf.
7. एमओएसपीआई (2025), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) - 2024 हेतु प्रमुख रोज़गार बेरोज़गार संकेतक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति, 09 अप्रैल 2025. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2120359.
8. एमएसएमई मंत्रालय (2024), वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, विवरणी सं. 2.3: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों का प्रतिशत वितरण (पुरुष/ महिला स्वामित्व और श्रेणी वार), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 25. https://www.msme.gov.in/sites/default/files/FINALMSMEANNUALREPORT2023-24ENGLISH.pdf.
9. एमओएसपीआई (2024), असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, अक्तूबर 2023 - सितंबर 2024. https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/ASUSE_2023_24_Full_Report-L.pdf.
10. सिडबी (2025), अंडरस्टैन्डिंग इंडियन एमएसएमई सेक्टर: प्रोग्रेस एंड चैलेंजेज़. https://www.sidbi.in/uploads/Understanding_Indian_MSME_sector_Progress_and_Challenges_13_05_25_Final.pdf.
11. नीति आयोग (2025), एन्हांसिंग एमएसएमई कम्पीटीटिवनेस इन इंडिया: अ रोडमैप फॉर ग्रोथ, भारत सरकार. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-05/Enhancing_Competitiveness_of_MSMEs_in_India.pdf.
12. खंड 2.4 के संदर्भ:
    - Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Central Schemes. https://msme.gov.in/central-schemes.
    - Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Reports and Publications. https://msme.gov.in/documents/reports-and-publications.
    - https://msme.gov.in/1-prime-ministers-employment-generation-programme-pmegp.
    - https://msme.gov.in/entrepreneurship-and-skill-development-programs.
    - https://www.nimsme.gov.in/about-scheme/assistance-to-training-institutions-ati-scheme.
    - https://msme.gov.in/sites/default/files/Coir-Vikas-YojanaContents.pdf.
    - https://www.nimsme.gov.in/about-scheme/a-scheme-for-promotion-of-innovation-rural-industries-andentrepreneurship-aspire-.
    - https://www.dcmsme.gov.in/TR_TDC.aspx.
    - National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (ni-msme), 'SELF RELIANT INDIA (SRI) FUND Empowering MSMEs for Aatmanirbhar Bharat'. https://www.nimsme.gov.in/about-scheme/self-reliant-indiasri-fund-empowering-msmes-for-aatmanirbhar-bharat"SELF.
    - https://ramp.msme.gov.in/ramp/.
    - https://www.mudra.org.in/. Mudra = Micro Units Development & Refinance Agency Ltd.
    - https://dcmsme.gov.in/CLCS_TUS_Scheme/Cluster-Development-Programme/Scheme_Guideline.aspx.
    - Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries.
    - https://msme.gov.in/scheme-fund-regeneration-traditional-industries.
    - https://www.dcmsme.gov.in/schemes/RevisedGuidelines_NER_Sikkim2025.pdf.
    - https://www.scsthub.in/sites/default/files/Revised%20NSSH%20Guidelines.PDF.
    - https://pmvishwakarma.gov.in/cdn/MiscFiles/eng_v30.0_PM_Vishwakarma_Guidelines_final.pdf.
13. ऐसी संस्थाओं में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान; खादी और ग्रामोद्योग आयोग; कॉयर बोर्ड; टूल रूम; महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान; और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम शामिल हैं.



3

3.1 जलवायु कार्रवाई

3.2 परिदृश्य-आधारित, पुनःसर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, एलआरईडीपी

3.3 पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय आजीविका के निर्माण के लिए जनजातीय अनुकूलन पहल, ट्राइब्स

3.4 भविष्य की दृष्टि

एक बेहतर कल में निवेश

जलवायु परिवर्तन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका प्राकृतिक संसाधनों से गहन रूप से जुड़ी हुई है. अनिश्चित मौसम, जैसे अप्रत्याशित वर्षा, लंबे समय तक सूखा और बार-बार आने वाली बाढ़ - कृषि की उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि कृषि अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए आय का मुख्य स्रोत है. जलवायु के कारण आजीविका व्यवधान प्रायः शहरी केंद्रों की ओर लोगों के मजबूरीवश पलायन करना पड़ता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की चुनौतियाँ सामने आती हैं. ये प्रभाव छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और अन्य कमज़ोर समूहों के लिए तुलनात्मक रूप से गंभीर होते हैं. यह स्थिति कृषि और ग्रामीण विकास सहयोगों के जलवायु अनुकूलन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है.

जलवायु-परिवर्तन से उत्पन्न इन चुनौतियों की बढ़ती हुई जटिलता को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ग्रामीण परिवारों - विशेष रूप से महिलाओं, लघु और सीमांत किसानों, कमजोर वर्गों और आदिवासी समुदायों की संधारणीय आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए अग्रसक्रिय होकर प्रयास कर रहा है. यह लक्ष्य अन्य सहयोगों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों के संवर्धन, वाड़ियाँ (बागन) विकसित करने में आदिवासी परिवारों को सहायता और सहभागितामूलक वाटरशेड और मृदा प्रबंधन पहलों के कार्यान्वयन से हासिल किया जा रहा है.

3.1 जलवायु कार्रवाई

संधारणीय आजीविका समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अपनी अनुकूलता बढ़ाने के लिए कमज़ोर और समाज के पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाने में जलवायु वित्तपोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. समावेशी और समानता पर आधारित ग्रामीण विकास के संवर्धन के अपने अधिदेश के अनुरूप नाबार्ड ऐसे निवेशों को प्राथमिकता देता है जो भारत के विविधतापूर्ण ग्रामीण परिदृश्य में संधारणीय आजीविका को बढ़ावा देते हैं. वित्तपोषण के विविध स्रोतों की उपलब्धता के साथ-साथ सहयोगी कार्यान्वयन दृष्टिकोण नाबार्ड को जलवायु की दृष्टि से कमज़ोर क्षेत्रों में समस्याओं की एक विस्तृत शृंखला के समाधान में सक्षम बनाता है. इन पहलों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जलवायु वित्त तंत्रों के मिश्रण के माध्यम से सहायता दी जाती है, जिनमें अनुकूलन निधि (एएफ़), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफ़सीसी), और हरित जलवायु निधि (जीसीएफ़) शामिल हैं.

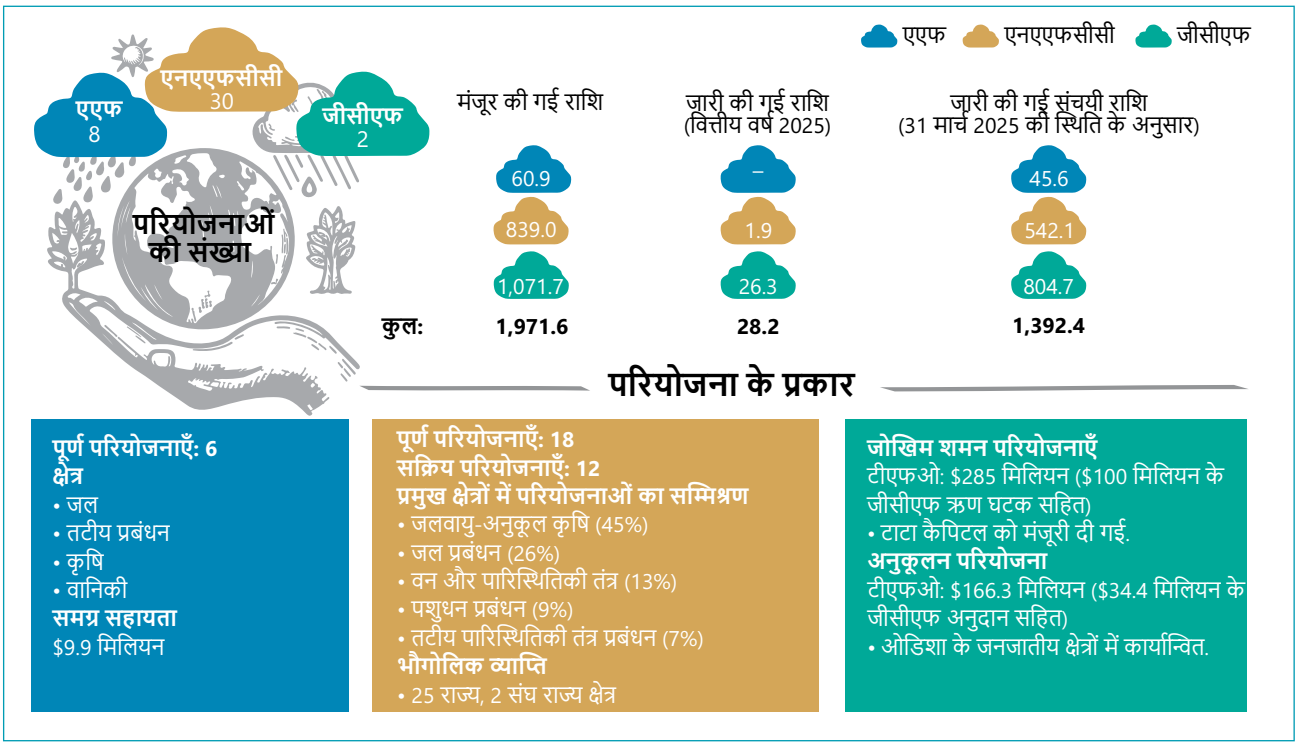
3.1.1 विहंगावलोकन

31 मार्च 2025 तक नाबार्ड ने देश भर में 40 जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है, जिनके लिए कुल प्रतिबद्धता ₹1,971.6 करोड़ है (चित्र 3.1, शोकेस 3.1). एएफ़ और एनएएफ़सीसी मुख्य रूप से अनुकूलन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हेतु सहायता उपलब्ध कराते हैं, जबकि जीसीएफ़ स्वच्छ ऊर्जा और संधारणीय आधारभूत संरचना जैसी शमन पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है.

ज़मीनी-स्तर पर किए गए सहयोगों से प्राप्त अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय रूप से संचालित और प्रकृति पर आधारित समाधान कम जोखिम वाले, लागत-प्रभावी, और अधिक संधारणीय परिणाम देने वाले होते हैं. इसके अलावा, परियोजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में यदि समुदाय सहभागी होते हैं, तो कार्यान्वयन, अनुप्रवर्तन और परियोजना के साथ दीर्घकालिक अपनत्व बनता है.

समुदायों को सहभागी रखकर स्थानीय रूप से संचालित और प्रकृति पर आधारित समाधान बेहतर कार्यान्वयन और अनुप्रवर्तन सहित कम जोखिम वाले, लागत-प्रभावी, और अधिक संधारणीय परिणाम देने वाले होते हैं.

चित्र 3.1: निधि के प्रकार के अनुसार जलवायु परिवर्तन पहलें (₹ करोड़ में)



एएफ = अनुकूलन निधि, जीसीएफ = हरित जलवायु निधि, एनएएफसीसी = राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि, टीएफओ = कुल वित्तीय परिव्यय.

नोट:

- अनुकूलन निधि में दो तैयारी अनुदान परियोजनाएँ शामिल हैं, नामतः अफगानिस्तान में राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था के प्रत्यायन में सहयोग के लिए दक्षिण-दक्षिण सहकार अनुदान, और पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन संरचना के विकास के लिए तैयारी अनुदान.
- एनएएफ़सीसी द्वारा क्षेत्र-वार वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े एनएएफ़सीसी परियोजनाओं की कुल संख्या में क्षेत्र की हिस्सेदारी दर्शाते हैं.

शोकेस 3.1: समुदाय-संचालित आजीविका विकास के माध्यम से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली

परियोजना: मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में तटीय प्रकृतिक वास की बहाली

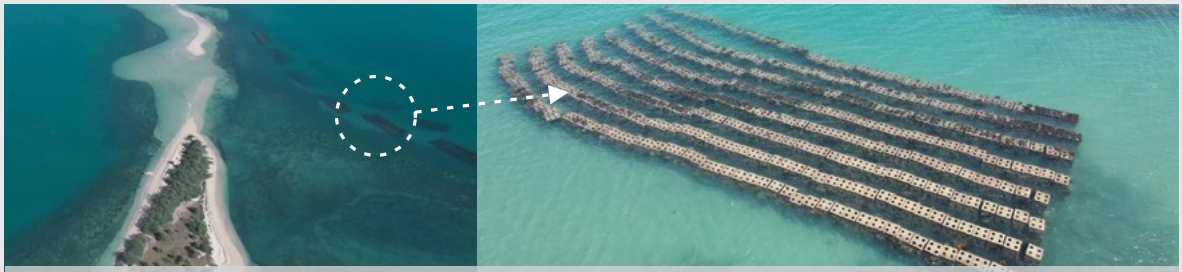
निधि: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफ़सीसी)

निष्पादक संस्था: पर्यावरण विभाग, तमिलनाडु सरकार

कार्यान्वयक संस्था: नाबार्ड (एनएएफ़सीसी हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयक संस्था)

भौगोलिक कवरेज: रामनाथपुरम, तूत्तुक्कुड़ी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले

परियोजना परिव्यय: ₹24.7 करोड़



कोरल और समुद्री घास की बहाली; मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु.

चुनौती

- इस परियोजना के माध्यम से कोरल माइनिंग, तटीय क्षरण और समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण प्रकृतिक वास को हुए गंभीर नुकसान, विशेष रूप से वान द्वीप के आसपास, के समाधान पर ध्यान केन्द्रित किया गया. इन पर्यावरणीय खतरों ने समुद्री जैव विविधता और मछुआरा समुदाय की आजीविका को काफी प्रभावित किया.



प्रमुख सहयोग

- 4 वर्ग किलोमीटर में कोरल और समुद्री घास को फिर से बहाल किया गया.
- वान द्वीप के आसपास 6,000 कृत्रिम रीफ मॉड्यूल स्थापित किए गए.
- प्रशिक्षण केंद्र, पर्यावरणीय पर्यटन सुविधाओं और नेट मेंडिंग शेड सहित सामुदायिक आधारभूत संरचनाएँ विकसित की गईं.
- जैव विविधता और सामाजिक-आर्थिक आधारभूत सर्वेक्षणों का निष्पादन



समुद्री खाद्य प्राप्त करते हुए किसान (ऊपर); समुद्री खाद्य प्रसंस्कृत करती हुई एसएचजी सदस्य (नीचे); मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु.

प्रभाव

- **आजीविका**
  - 809 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला.
  - सूक्ष्म उद्यम शुरू करने वाले 435 व्यक्तियों ने प्रति माह ₹4,000 से ₹15,000 अर्जित किए.
  - स्वयं सहायता समूहों के 1,801 सदस्यों को परिक्रामी निधि सहायता उपलब्ध कराई गई.
- **पारिस्थितिकी**
  - कोरल और समुद्री घास के आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि
  - वान द्वीप का भूभाग 2.3 हेक्टेयर से बढ़कर 3 हेक्टेयर हो गया.
- **सामुदायिक सहभागिता**
  - जागरूकता और पहुँच कार्यक्रमों के माध्यम से 26,000 से अधिक व्यक्ति कवर किए गए.
  - महिलाओं को परिधान निर्माण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं सहित संधारणीय आजीविका का प्रशिक्षण दिया गया.

3.1.2 बेहतर परियोजना कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025 में की गई पहलें

1. **नीतिगत परिदृश्य**

   क. नाबार्ड ने कई राष्ट्रीय स्तर के नीति संवादों में योगदान दिया है और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराई है, जिनमें जलवायु अनुकूल कृषि, राष्ट्रीय अनुकूलन योजना, जलवायु वित्त व्यवस्था तथा कृषि, मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्रों में स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) के लिए कार्यान्वयन की रूपरेखा शामिल हैं.

ख. वीसीएम के कार्यान्वयन को सहयोग प्रदान करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन मंत्रालय के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. इस पहल के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 11 परियोजनाओं को वेरा वेरिफायड कार्बन स्टैण्डर्ड की वैश्विक कार्बन रजिस्ट्री पर पंजीकृत किया गया.

ग. डेयरी क्षेत्र में संधारणीय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

घ. नाबार्ड ने संधारणीय कृषि, कृषि-खाद्य प्रणाली के रूपांतरण और ग्रामीण विकास के लिए किसानों और हितधारकों को व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से नवोन्मेषी वित्तीय तंत्र विकसित करने हेतु एक सहमति ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के साथ साझेदारी की.

ङ. जलवायु रणनीति नाबार्ड@2030 शुरू की गई, जो चार रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है:

i. हरित ऋणीकरण की गति बढ़ाना
ii. बाजार विकास
iii. आंतरिक हरित रूपांतरण
iv. रणनीतिक संसाधन संग्रहण

2. **जलवायु वित्त**

क. दिनांक 28 जनवरी 2025 को नाबार्ड हरित ऋणीकरण सुविधा (एनजीएलएफ) नामक एक लचीला हरित ऋण उत्पाद शुरू किया गया. इस सुविधा के तहत ₹845 करोड़ की संयुक्त ऋण सहायता के साथ दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. यह सुविधा राज्य सरकारों से लेकर ग्रामीण हरित प्रयासों में शामिल स्टार्ट-अप जैसे हितधारकों की एक विस्तृत शृंखला के लिए सुलभ है.

ख. ग्रामीण परिवारों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु "छत सौर ऊर्जा के साथ जोड़कर ग्रामीण आवास ऋण" नामक एक पुनर्वित्त उत्पाद प्रारंभ किया गया. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफ़आई) के लिए पुनर्वित्त पर ब्याज दर में छूट का प्रावधान है.

ग. जलवायु परिवर्तन निधि - ब्याज अंतर (सीसीएफ़-आईडी) को वित्तीय वर्ष 2024 में सृजित ब्याज अंतर की राशि का उपयोग करके परिचालन किया गया. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 11 परियोजनाओं को कुल ₹4.5 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई.

घ. हरित वित्तपोषण क्षमता का आकलन करने के लिए छह राज्यों की राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया. इन आकलनों के आधार पर वित्तपोषण आवश्यकताओं को समझने और एनजीएलएफ के बारे में हितधारकों को जागरूक करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त सचिव तथा बिहार सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव के साथ रणनीतिक बैठकें आयोजित की गईं.

ङ. जलवायु-अनुकूल डेयरी प्रणाली, सौर ऊर्जा चालित कृषि पंप, ग्रामीण विद्युत गतिशीलता और कृषि मूल्य शृंखला में ऊर्जा दक्षता जैसे क्षेत्रों को लक्षित कर नए हरित वित्तपोषण उत्पाद विकसित किए गए.

3. **अन्य पहलें**

क. उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्ट-अप्स तथा बायोएथेनॉल, कार्बन मार्केट, ग्रीन हाइड्रोजन और कृषि में स्केलेबल ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों के विशेषज्ञों के साथ चार उच्च-स्तरीय हितधारक परामर्श बैठकें आयोजित की गईं. इन सत्रों से प्राप्त जानकारी का दस्तावेजीकरण किया गया ताकि वित्तपोषण के अवसरों और हरित सेक्टरों की चुनौतियों की पहचान की जा सके.

ख. मिश्रित वित्त सुविधा की स्थापना में सहयोग करने के उद्देश्य से गोवा सरकार के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया. इस पहल के लिए एक विशेष प्रयोजन वेहिकल तैयार करने का कार्य अपने अंतिम चरण में है.

ग. नैबकॉन्स के सहयोग से तेलंगाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) से सहयोग-प्राप्त परियोजनाओं के तहत चुनी हुई परियोजनाओं के कार्बन क्रेडिट आकलन का परीक्षण किया गया. सृजित कार्बन क्रेडिट का मुद्रीकरण के लिए नैबकॉन्स और राबोबैंक के बीच करार हस्ताक्षरित किया गया.

घ. छह हरित साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए, जिनमें बैंकरों के लिए जलवायु जोखिम मूल्यांकन, कार्बन बाज़ार, वित्तीय प्रणालियों

को हरित बनाना (ग्रीनिंग), संधारणीय वित्त और वित्तीय संस्थाओं के लिए हरित वित्तपोषण का लाभ उठाने की रणनीति जैसे विषय शामिल हैं. उपयोगकर्ता की रुचि बनाए रखने और ज्ञानार्जन के परिणामों के सुधार हेतु इन मॉड्यूलों के गेमीफाइड संस्करण विकसित किए जा रहे हैं.

ङ. नाबार्ड की हरित वर्गीकरण व्यवस्था को परिचालित किया गया, जिसके अंतर्गत ₹1,842 करोड़ की परियोजनाओं को 'हरित परियोजना' के रूप में चिह्नित किया गया. यह 'हरित पोर्टफोलियो' 'हरित बॉण्ड' जैसी लिखतों के माध्यम से संसाधन जुटाने का आधार बनता है.

च. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एफ़एओ, यूरोपीय संघ, यूरोपीय निवेश बैंक, पश्चिम एशियाई विकास बैंक, कंबोडिया कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राबोबैंक, एंटरप्राइज सिंगापुर, और फिजी डेवलपमेंट बैंक जैसे कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की. इस संदर्भ में नाबार्ड ने कंबोडिया, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड और फिजी के प्रतिनिधिमंडलों की भी मेजबानी की. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान अनेक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग-उपक्रम स्थापित किए गए:

i. विश्व बैंक के साथ साझेदारी में, दो प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टें तैयार करना और भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत करना:
   (1) भारत में अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त नवोन्मेष;
   (2) कृषि क्षेत्र के लिए ग्रीन-टैगिंग फ्रेमवर्क पर सहयोग.

ii. भारत में सौर छत कार्यान्वयन कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए एडीबी के साथ साझेदारी.

iii. जीसीएफ द्वारा समर्थित "भारतीय कृषि में जलवायु अनुकूलन के लिए बीमा का उपयोग" परियोजना के लिए जीसीएफ को एक वित्तपोषण प्रस्ताव की प्रस्तुति. इस प्रस्ताव में जीसीएफ सहायता से ऋण के रूप में $20 मिलियन ($115 मिलियन का कुल वित्तपोषण) की माँग की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बीमा कवरेज का विस्तार करना है.

iv. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से अखिल भारतीय स्तर पर डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (डीआईसीआरए) पोर्टल के संवर्धन हेतु कदम उठाए गए.

3.2 परिदृश्य-आधारित, पुनःसर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, एलआरईडीपी

वर्ष 1992 से भारत में सहभागी वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने में नाबार्ड अग्रणी रहा है. वर्ष 1999-2000 में नाबार्ड में वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ़) की स्थापना ₹200 करोड़ की आरंभिक समूह निधि के साथ की गई थी, जिसमें भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा समान राशि का योगदान किया गया था.

वाटरशेड विकास कार्यक्रम की विरासत आगे बढ़ते हुए परिदृश्य-आधारित, पुनःसर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम (एलआरईडीपी) के रूप में विकसित हुई है जो एक जलवायु-अनुकूल कृषि-पारिस्थितिकी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की वर्षा-आधारित कृषि को पुनर्जीवित करना है (बॉक्स 3.1). यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और भूमि क्षरण निवारण लक्ष्यों के साथ तालमेल में जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और आजीविका सुरक्षा को प्राथमिकता देता है. पारंपरिक इंजीनियरिंग से आगे बढ़ते हुए एलआरईडीपी जैव इंजीनियरिंग, जलवायु अनुकूलन और पुनःसर्जक प्रथाओं को एकीकृत करता है.

एलआरईडीपी जैव-इंजीनियरिंग, जलवायु अनुकूलन और पुनःसर्जक प्रथाओं को एकीकृत करते हुए जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, और आजीविका सुरक्षा को प्राथमिकता देता है.

बॉक्स 3.1: परिदृश्य-आधारित पुन:सर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम (एलआरईडीपी) की प्रमुख विशेषताएँ

- जलवायु-अनुकूलन उपाय: जलवायु भेद्यता आकलन के आधार पर सहयोगों का एकीकरण.
- फसल के लिए जल का कुशल उपयोग: संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जल का बजट बनाना और फसल विविधीकरण पद्धतियों का संवर्धन.
- मृदा स्वास्थ्य सुधार: मृदा की जीवनी-शक्ति को बढ़ाने के लिए एकल फसल से बहु-फसल प्रणालियों में परिवर्तन.
- संधारणीय कृषि: रासायनिक निविष्टियों पर निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक कृषि और कृषि पारिस्थितिकी विधियों पर बल देना.
- पर्यावरणीय सुरक्षा: संधारणीयता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड की हरित वर्गीकरण व्यवस्था और पर्यावरण परीक्षण का उपयोग.
- जैव इंजीनियरिंग पर ध्यान केन्द्रित करना: दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय स्थिरता के संवर्धन के लिए पारंपरिक इंजीनियरिंग के स्थान पर जैव इंजीनियरिंग समाधानों का प्रयोग.
- एकीकृत योजना: वित्तीय संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए, सहयोग के लिए व्यापक बैंकिंग योजनाएँ तैयार करना.
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: आस्तियों की तत्समय ट्रैकिंग और परियोजना की पारदर्शिता के लिए भू-स्थानिक उपकरणों और जियोटैगिंग का उपयोग.
- कार्बन राजस्व संभाव्यता: कार्बन बाजारों में संभावित भागीदारी के लिए कार्बन पृथक्करण की निगरानी.
- परिणामोन्मुख संरचना: कार्यनिष्पादन के मापन के लिए परिणाम-विशिष्ट संकेतकों से जुड़े सुपरिभाषित परिणामों का कार्यान्वयन.

मृदा और जल संरक्षण को बढ़ाने, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने, तथा जलवायु-अनुकूल आजीविका को सक्षम बनाने में वाटरशेड विकास सहयोग सहायक हैं - विशेष रूप से वर्षा-सिंचित और खराब हो चुकी भूमि वाले छोटे किसानों और बटाईदार किसानों के लिए. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड ने पूरे भारत में 27.2 लाख हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए 3,761 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनके अंतर्गत ₹2,355.2 करोड़ का संचयी संवितरण किया गया है. वित्तीय वर्ष 2025 में 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 6,384 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि शामिल हुई और ₹109.9 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया (बॉक्स 3.2).

बॉक्स 3.2: अतिदोहित ब्लॉकों/ वाटरशेडों में सहभागितामूलक संधारणीय भूमिगत जल प्रबंधन

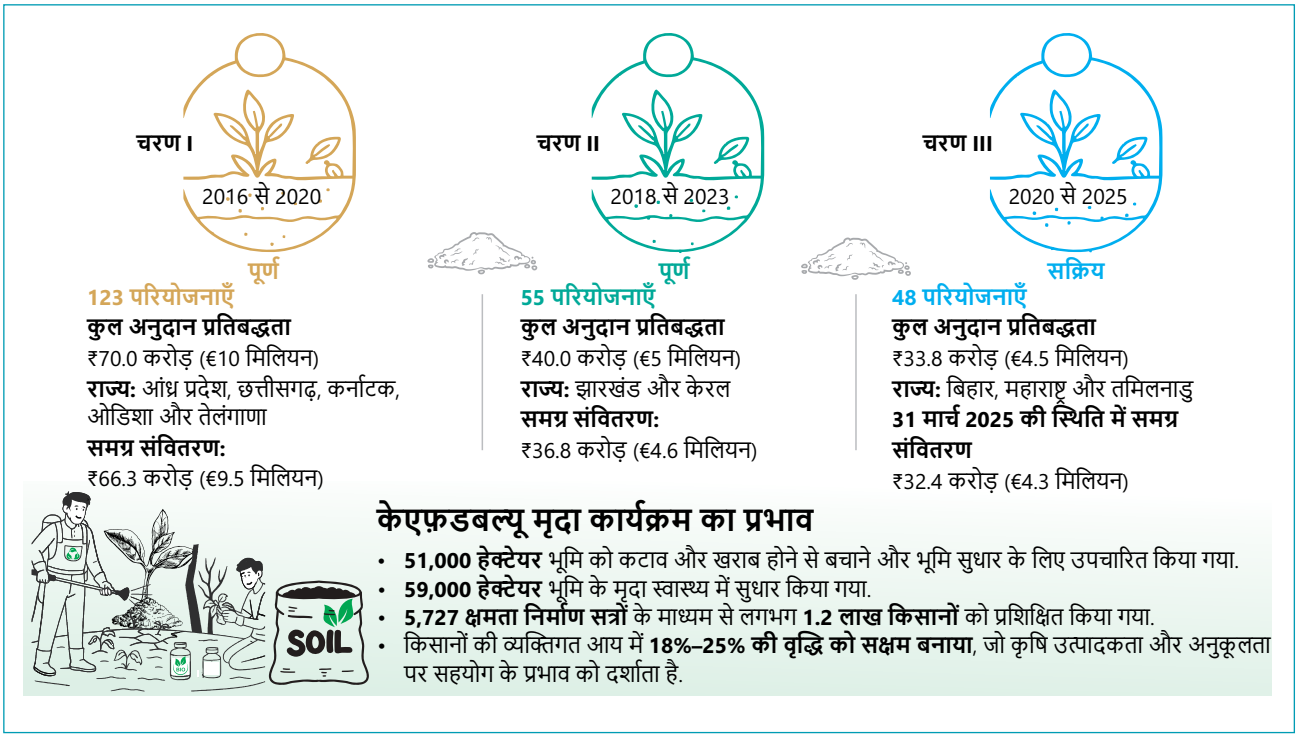
पाँच राज्यों - पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु - में "अतिदोहित ब्लॉकों/ वाटरशेडों में सहभागितामूलक संधारणीय भूमिगत जल प्रबंधन" नामक अपनी तरह की पहली प्रायोगिक पहल शुरू की गई है. इस अग्रणी कार्यक्रम का उद्देश्य सूक्ष्म वाटरशेड और ग्राम स्तर पर समुदाय के नेतृत्व में माँग पक्ष जल प्रबंधन का संवर्धन करना है.

इस पहल का उद्देश्य सक्रिय स्थानीय भागीदारी के माध्यम से संधारणीय भूमिगत जल उपयोग को बढ़ावा देना है, जिसका मुख्य लक्ष्य वर्तमान में अतिदोहित गाँवों को सुरक्षित श्रेणी में लाना है. रणनीतिक आयोजना और कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में चुने गए क्षेत्रों के लिए व्यापक जल बजट को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं.

3.2.1 खाद्य सुरक्षा के लिए खराब हो चुकी मृदा का पुनरुद्धार

वर्ष 2017 से एसईडब्ल्यूओएच (वन वर्ल्ड - नो हंगर) पहल के तहत नाबार्ड केएफ़डब्ल्यू विकास बैंक के साथ साझेदारी में केएफ़डब्ल्यू मृदा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है. यह कार्यक्रम जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए खराब हो चुकी मृदा के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करता है, और साथ ही, वाटरशेड क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता और सामुदायिक आय को बढ़ाता है. तीन चरणों में कार्यान्वित इस कार्यक्रम में दस राज्यों की 226 परियोजनाएँ शामिल हैं (चित्र 3.2, बॉक्स 3.3).

चित्र 3.2: केएफ़डब्ल्यू मृदा कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा के पुनरुद्धार की पहल



नोट: तीनो चरणों में विनिमय दरें समान नहीं थीं.

इसके समानांतर, नाबार्ड जीआईज़ेड के साथ तकनीकी सहयोग करार के तहत "भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए मृदा संरक्षण और पुनरुद्धार" (प्रो-सॉयल) परियोजना को भी सहयोग प्रदान कर रहा है.[1] यह परियोजना महाराष्ट्र के पाँच जिलों और मध्य प्रदेश के दो जिलों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसके लिए जीआईज़ेड से कुल €18.9 मिलियन का अनुदान सहयोग प्राप्त है. इसका प्राथमिक उद्देश्य कमजोर ग्रामीण क्षेत्रों में फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण प्रथाओं का संवर्धन करना है.

नाबार्ड जीआईज़ेड के साथ साझेदारी में "भारत में कृषि-परिस्थितिकी परिवर्तन प्रक्रियाओं" (एनएबी-एसयूएटीआई) भी कार्यान्वित कर रहा है, जो €3 मिलियन के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ नाबार्ड के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पोर्टफोलियो में कृषि-पारिस्थितिकी दृष्टिकोणों को समाहित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक रणनीतिक पहल है.

बॉक्स 3.3: तमिलनाडु के कोट्टेरी वाटरशेड में जल बजट पर प्रकरण अध्ययन

संदर्भ

तमिलनाडु के कडलूर जिले में स्थित कोट्टेरी वाटरशेड 1,232.9 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 1,050 मिमी होती है.

प्रयोजन

नाबार्ड द्वारा समर्थित केएफ़डब्ल्यू मृदा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित यह सहयोग मृदा स्वास्थ्य की बहाली और जलवायु अनुकूलन के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है.





गतिविधि

क्षेत्र की जल गतिशीलता का आकलन करने और रणनीतिक सहयोगों की जानकारी देने के लिए व्यापक जल बजट तैयार करने का कार्य किया गया.

प्रमुख निष्कर्ष

- **जल की कुल माँग**: 416.4 हेक्टेयर मीटर (हे.मी.)
  - घरेलू: 44.9 हे.मी.
  - कृषि: 371.5 हे.मी.
- **जल भंडारण क्षमता**: 33.8 हे.मी.
  - खेत की मेंड़: 15.5 हे.मी.
  - धँसे हुए गड्ढे: 6.1 हे.मी.
  - जल अवशोषण खाइयाँ (डब्ल्यूएटी): 4.9 हे.मी.
- **जल आपूर्ति स्रोत:**
  - वर्षाजल पुनर्भरण: 90.6 हे.मी.
  - अन्य स्रोत: 28.4 हे.मी.
- **जल की कमी**: (–)162.7 हे.मी.

परिणाम और अनुशंसाएँ

ये निष्कर्ष **जल की कमी के अत्यधिक स्तर** की ओर संकेत करते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाना आवश्यक है:

- खेतों की मेड़ों, रिसाव टैंकों और पुनर्भरण संरचनाओं का विस्तार कर उनके माध्यम से **जल भंडारण आधारभूत संरचना सुदृढ़ करना**;
- **जल संरक्षण उपायों का संवर्धन, जैसे**
  - वर्षाजल संचयन,
  - भूमिगत जल पुनर्भरण, और
  - जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ;
- आय में कमी लाए बिना पानी की माँग को कम करने के लिए विशेष रूप से **रबी मौसम** के दौरान **फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन** दिया जाए; और
- क्षेत्र में दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने और **जलवायु-अनुकूल कृषि** के संवर्धन के लिए निरंतर जागरूकता निर्माण और भागीदारी योजना के माध्यम से **सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा** दिया जाए.

3.2.2 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए स्प्रिंगशेड विकास कार्यक्रम

स्प्रिंगशेड-आधारित वाटरशेड विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हेतु स्प्रिंगशेड विकास कार्यक्रम कर दिया गया है. यह भारत के हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ-साथ अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में सूख रहे झरनों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे पीने और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में सुधार हो सके.

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में 160 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनके अंतर्गत कुल ₹33.2 करोड़ का संवितरण किया गया है (शोकेस 3.2). केवल वित्तीय वर्ष 2025 में ही तीन नई स्प्रिंगशेड परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनके अंतर्गत ₹8.3 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

शोकेस 3.2: झरनों के जल तक पहुँच के माध्यम से खेती का विस्तार

परियोजना: खीरगंगा स्प्रिंगशेड

स्थान: फरसाली वल्ली गाँव, बागेश्वर, उत्तराखंड

चुनौती

सिंचाई तक सीमित पहुँच ने सब्जी की खेती को केवल 0.04 हेक्टेयर तक सीमित कर दिया, जिससे फसल विविधता में कमी आई और आय ₹8,000 से ₹10,000 के बीच रह गई.

सहयोग

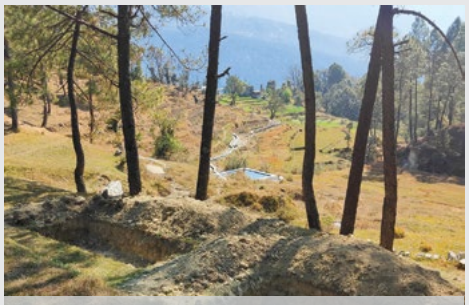
- झरने के पानी के प्रवाह को बढ़ाने और मृदा क्षरण को कम करने के लिए थोड़ी-थोड़ी दूरी पर समोच्च खाइयों का निर्माण.
- झरने के पानी के कुशल भंडारण और वितरण के लिए पारंपरिक गुलों (जल माध्यम) से जुड़े सिंचाई टैंकों का विकास.

प्रभाव

सिंचाई की उपलब्धता में वृद्धि से कृषि-योग्य भूमि का विस्तार हुआ और फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप आय ढाई गुना बढ़कर ₹28,000 हो गई. यह दिखाता है कि कम लागत वाले समुदाय-संचालित जल प्रबंधन सहयोगों के माध्यम से उल्लेखनीय लाभ संभव है.



टैंक और गुल के लिए स्प्रिंगवाटर का उपयोग; बागेश्वर, उत्तराखंड.



स्प्रिंगशेड सिंचाई के जलग्रहण क्षेत्र में क्षरण; बागेश्वर, उत्तराखंड.

3.2.3 भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी-आधारित अनुप्रवर्तन

नाबार्ड भुवन पोर्टल

वाटरशेड और संबद्ध परियोजनाओं के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) के सहयोग से नाबार्ड भुवन पोर्टल विकसित किया है जो एक समर्पित भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म है. जियोटैग की गई आस्तियों की विस्तृत जानकारी संग्रहित करने वाला यह पोर्टल कुशल मानचित्रण, उपयोगिता अनुप्रवर्तन, परियोजना ट्रैकिंग और परिणामों के साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है.

31 मार्च 2025 की स्थिति में, नाबार्ड भुवन पोर्टल पर 2 लाख जियोटैग की गई आस्तियों सहित 1,179 ऑनबोर्ड की गई परियोजनाएँ हैं. पिछले वर्ष नाबार्ड के सर्वर पर माइग्रेट होने के बाद यह पोर्टल अब पूरी तरह से सक्रिय है और परियोजना अनुप्रवर्तन तथा मूल्यांकन के लिए सक्रिय रूप से इसका लाभ उठाया जा रहा है.

वाटरशेड परियोजनाओं के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर आधारित आयोजना

वाटरशेड आयोजना में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जो अधिक सटीक, पारदर्शी और परिणामोन्मुख सहयोगों के अनुकूल है. भूमिगत जल क्षमता का आकलन करने और भूमि को वर्गीकृत करने के लिए क्यूजीआईएस, गूगल अर्थ, भुवन और जल संसाधन सूचना प्रणाली

(डब्ल्यूआरआईएस) जैसे ओपन-सोर्स टूल्स का उपयोग किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025 में जीआईज़ेड के तकनीकी सहयोग से सात राज्यों - तमिलनाडु, तेलंगाणा, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर - में नौ स्थानों पर ऑन-साइट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. इनके साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर केंद्रित वर्चुअल प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, भू-स्थानिक एप्लिकेशन का उपयोग करके 13 डीपीआर विकसित किए गए हैं, जिससे वर्षा-आधारित क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल आयोजना को मजबूती मिली है.

3.2.4 जीवा - एक कृषि-पारिस्थितिकी कार्यक्रम

जीवा - कृषि-पारिस्थितिकीय सिद्धांतों पर आधारित कृषि-पारिस्थितिकी कार्यक्रम - को प्रारंभ में 11 राज्यों में 24 परियोजनाओं के माध्यम से पाँच कृषि-पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में प्रायोगिक रूप से चलाया गया था (बॉक्स 3.4). इन प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता के आधार पर कार्यक्रम को अब 12 राज्यों में 25 अतिरिक्त परियोजनाओं तक बढ़ाया जा रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है, जिसमें आठ कृषि-जलवायु क्षेत्र शामिल हैं (शोकेस 3.3).

शोकेस 3.3: पतरातू, झारखंड में प्राकृतिक खेती का परिवर्तनकारी प्रभाव

परियोजना: पतरातू जीवा परियोजना (प्रायोगिक चरण)

स्थान: पतरातू ब्लॉक, रामगढ़ जिला, झारखंड

कार्यान्वयक संस्था: ग्रामीण सेवा संघ

चुनौतियाँ

- कृषि निविष्टियों की उच्च लागत
- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता
- कम फसल उत्पादकता
- प्राकृतिक कृषि तकनीकों के विषय में सीमित जागरूकता
- अपर्याप्त पशुधन प्रबंधन पद्धतियाँ





जैविक-निविष्टियों का प्रयोग करके उत्पादित फसल की कटाई करती हुई किसान (ऊपर); अर्मदाग गाँव में आयोजित महिला कल्याण समूह, एसएचजी बैठक (नीचे); पतरातू ब्लॉक, रामगढ़ जिला, झारखंड.

प्रमुख सहयोग

- 6 गाँवों में 8 जीवा क्लस्टरों में 80 अग्रणी किसानों का क्षमता निर्माण
- जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत और नीमास्त्र जैसी जैव निविष्टियों का संवर्धन और उपयोग
- धान, सब्जियाँ, दालें और तिलहन सहित विविध देसी फसल किस्मों का उपयोग करके 90 एकड़ से अधिक क्षेत्र में कृषि
- 43 रसोई उद्यान ('किसी भी समय भोजन' मॉडल) और 43 जैव संसाधन इकाइयों की स्थापना

प्रभाव

- निविष्टि लागत में महत्वपूर्ण कमी और मृदा स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार
- धान की पैदावार में 17-18 क्विंटल प्रति एकड़ से 20-22 क्विंटल प्रति एकड़ तक की वृद्धि
- वर्ष भर खेती, बाजार तक पहुँच में वृद्धि और कृषि आय में सुधार
- घरेलू पोषण में सुधार और खाद्य सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण
- भागीदारी कार्रवाई के माध्यम से सामुदायिक सामंजस्य और सामूहिक स्वामित्व में वृद्धि

बॉक्स 3.4: जीवा के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिकीय रूपांतरण का विस्तार

भौगोलिक व्याप्ति

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाणा, उत्तराखंड, झारखंड, और तमिलनाडु

प्रमुख सहयोग

- 607 हेक्टेयर में 1,349 किसानों ने प्राकृतिक कृषि पद्धतियाँ कार्यान्वित कीं.
- क्षेत्र-स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जीआईज़ेड से तकनीकी सहायता के साथ, रैतु साधिकार संस्था के माध्यम से 30 बाहरी कृषक संसाधन व्यक्ति नियुक्त किए गए.
- 230 महिलाओं सहित लगभग 720 किसानों को पीयर-टू-पीयर एक्सटेंशन के लिए प्रमुख कृषक या कृषक संसाधन व्यक्ति के रूप में भूमिका निभाने हेतु उनका क्षमता निर्माण किया गया.
- 217 हेक्टेयर में मानसून-पूर्व शुष्क बुवाई का प्रदर्शन किया गया.
- क्षेत्र स्तर पर कृषि परिचालन में सहयोग देने के लिए 32 जैव संसाधन केंद्र, 24 कस्टम हायरिंग केंद्र और 21 बीज बैंकों की स्थापना की गई.

परिणाम और प्रभाव

- लगभग 1,500 घरों में रसोई उद्यान स्थापित किए गए, जिससे आहार विविधता और पोषण सुरक्षा में वृद्धि हुई.
- एकल फसल से विविध कृषि प्रणालियों में रूपान्तरण, जिसमें श्रीअन्न (मिलेट), दालों, सब्जियों और फल सहित 8-20 फसलें शामिल हैं, जिन्हें पशुधन और कृषि-वानिकी के साथ एकीकृत किया गया है.
- स्थानीय दुकानों और रूरल हाट के माध्यम से अधिशेष उत्पादन का विपणन, स्थानीय खाद्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना.
- घरेलू खाद्य उपभोग और पोषण सेवन में उल्लेखनीय सुधार.
- सहभागी किसानों द्वारा रिपोर्ट की गई मौसमी आय में ₹10,000 से ₹15,000 तक की वृद्धि.
- जैव निविष्टियों और निरंतर फसल लेने के माध्यम से बेहतर नमी प्रतिधारण, मृदा संरचना और सूक्ष्मजीव गतिविधि सहित मृदा के स्वास्थ्य संकेतकों में वृद्धि.
- जैव कीटनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्रभावी कीट और रोग प्रबंधन देखा गया.
- प्राप्त लाभों से प्रोत्साहित होकर नए किसानों की रुचि में वृद्धि सहित सहभागी किसानों के बीच प्राकृतिक खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार करने की इच्छा में बढ़ोत्तरी.

3.3 पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय आजीविका के निर्माण के लिए जनजातीय अनुकूलन पहल, ट्राइब्स

वित्तीय वर्ष 2004 में ₹50 करोड़ की आरंभिक समूह निधि के साथ जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ़) की स्थापना की गई थी. यह जनजातीय आजीविका के लिए नाबार्ड का प्राथमिक वित्तपोषण साधन है, जो प्रारंभ में बागवानी पर केंद्रित था और बाद में पशुधन, रेशम उत्पादन और गैर-लकड़ी वन उत्पादों जैसी गैर-बागवानी गतिविधियों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया.

जनजातीय समुदायों की अधिक समावेशिता, सशक्तीकरण और उत्थान के लिए नाबार्ड के जनजातीय विकास कार्यक्रम को पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय आजीविका के निर्माण हेतु जनजातीय अनुकूलन पहल (ट्राइब्स) के रूप में पुनः परिकल्पित किया गया है. नाबार्ड की व्यापकतर जनजातीय विकास रणनीति के तहत निष्पादित कार्यक्रम घटक के रूप में ट्राइब्स एक नया ब्रांड है जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), आकांक्षी जिलों और ऋण घाटे से ग्रस्त क्षेत्रों को लक्षित करते हुए कार्यान्वयन का एक उन्नत प्रयास है. यह अनुकूलन और स्थिरता बढ़ाने के लिए भूमि-आधारित और गैर-भूमि-आधारित दोनो प्रकार की आजीविका गतिविधियों को सहयोग प्रदान करता है.

जहाँ टीडीएफ वित्तीय आधार का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से नाबार्ड जनजातीय विकास के लिए रियायती पुनर्वित्त आबंटित और मंजूर करता है, वहीं ट्राइब्स वह कार्यक्रम है जो टीडीएफ निधीयन का उपयोग करते हुए अनुकूलन बढ़ाने एवं संधारणीय आजीविका संवर्धित करने के उद्देश्य से विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों, कृषि-पारिस्थितिकीय पद्धतियों और संरचित परियोजना कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है (बॉक्स 3.5, शोकेस 3.4).

बॉक्स 3.5: जनजातीय विकास निधि: 31 मार्च 2025 तक उपलब्धियाँ और परिणाम

31 मार्च 2025 तक प्रगति

- कुल 1,030 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 6.3 लाख जनजातीय परिवारों को लाभ मिला है और 5.8 लाख एकड़ क्षेत्र को शामिल किया गया है.
- इस पहल के तहत लगभग 2.9 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें प्रति वर्ष 6.3 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक्कृत करने की क्षमता है.
- वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान ₹12.3 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ चार नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिससे 2,000 परिवार लाभान्वित होंगे.
- चालू और नई मंजूर परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कुल ₹123.6 करोड़ संवितरित किए गए.







आय, खाद्य सुरक्षा, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ट्राइब्स के तहत विकसित बागान.

प्रभाव

- **आय वृद्धि**: विविध कृषि प्रणालियों और अनुषंगी गतिविधियों के विस्तारण के कारण घरेलू आय में 15% से 68% की वृद्धि हुई.
- **उत्पादकता लाभ**: बागवानी सहयोग और जल तक बेहतर पहुँच के परिणामस्वरूप उत्पादकता में 15% से 49% की वृद्धि हुई.
- **महिला सशक्तीकरण**: स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी में 40% की वृद्धि हुई. साथ ही निर्णय लेने की भूमिका में 15% की वृद्धि हुई.
- **खाद्य सुरक्षा**: विविधतापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप लाभार्थियों ने वर्ष भर खाद्य सुरक्षा में 25% का सुधार अनुभव किया.
- **जीवन गुणवत्ता**: बेहतर आय, सुविधाओं और स्वच्छता मानकों ने जीवन गुणवत्ता में वृद्धि में योगदान किया.
- **प्रवास में कमी**: परियोजना स्थलों के आस-पास मौसमी प्रवासन और संकट प्रवास में 5% से 25% तक की कमी आई.
- **रोजगार सृजन**: कृषि-आधारित रोजगार दिवस प्रति वर्ष 140 से बढ़कर 250 दिन हो गए.
- **शैक्षिक उन्नति**: बालिकाओं के नामांकन की दर बढ़ी, शिक्षा तक पहुँच में सुधार हुआ (कुछ क्षेत्रों में 97% तक) और घरेलू शिक्षा व्यय में चार गुना वृद्धि देखी गई.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान ट्राइब्स कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तीन बोदी-आधारित एकीकृत कृषि परियोजनाएँ प्रारंभ की गईं जिनका उद्देश्य वर्षा जल संचयन, सिंचाई और जलचरपालन है.[2]
2. राजस्थान और झारखंड में वन धन विकास केंद्रों पर एक अध्ययन ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ सहयोग के लिए संभाव्यतायुक्त क्षेत्रों की पहचान की.
3. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आयोजित अपनी तरह के पहले जनजातीय उत्पाद महोत्सव "सेब महोत्सव 1.0" ने मात्र छह घंटे में ₹2 लाख मूल्य के सेब और कीवी की बिक्री की.
4. परियोजना-स्तरीय समिति द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शुरू की गई पहल "गाँव की पाठशाला" में नामांकित 130 ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय स्नातकों को सूचीबद्ध किया गया.
5. नाबार्ड के 43वें स्थापना दिवस 12 जुलाई 2024 को जनजातीय विकास परियोजनाओं के तहत परिवर्तनकारी कहानियों पर प्रकाश डालते हुए *चेजिंग ड्रीम्स – इन्स्पायरिंग स्टोरीज़ ऑफ सक्सेस* शीर्षक से एक संग्रह जारी किया गया.

शोकेस 3.4: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्राइब्स के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल आजीविका का निर्माण

संदर्भ: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के नागराकाटा ब्लॉक में बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवार सीमित आजीविका के अवसरों के कारण आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं.

प्रमुख चुनौतियाँ

- आय के संधारणीय स्रोतों तक सीमित पहुँच.
- आजीविका की तलाश में पलायन की बहुत अधिक घटनाएँ.
- कृषि और पशुधन आस्तियों की अपर्याप्तता.
- कम पोषण वाला भोजन और निम्न स्तरीय जीवन.

अनुदान सहायता: इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नाबार्ड ने मार्च 2021 में ट्राइब्स पहल के तहत ₹116.4 लाख की अनुदान सहायता के साथ एक परियोजना को मंजूरी दी.



भूमिहीन परिवारों में आय में स्थिरता लाने और मौसमी प्रवासन को कम करने के लिए बकरी पालन; जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल.

निष्पादक संस्था: खागेनहाट कल्याण संगठन

उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य पशुधन वितरण, जैविक रसोई उद्यानों के संवर्धन, और बेहतर बाजार एकीकरण और निविष्टि वितरण हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन जैसे लक्षित सहयोगों के माध्यम से 200 भूमिहीन परिवारों को सहायता प्रदान करना था.

सहयोग

- 200 भूमिहीन लाभार्थियों को छोटे पशुओं (मुख्यतः बकरियों) का वितरण.
- जैविक रसोई बागवानी प्रथाओं का संवर्धन करना और उन्हें अपनाना.
- निविष्टि वितरण प्रणाली और बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए एफपीओ के गठन को सुविधाजनक बनाना.

परिणाम: परियोजना में पशुधन मृत्यु दर अत्यल्प 1.6% दर्ज की गई, जो पशुधन की देखभाल और उनके प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है.

लाभार्थी परिवार पर प्रभाव

- घरेलू आय में ₹70,000 की वार्षिक वृद्धि हुई.
- घर के सदस्यों ने खास मौसम में आजीविका के लिए अन्यत्र जाना बंद कर दिया क्योंकि परिवार को स्थानीय स्तर पर ही आजीविका में स्थायित्व मिल गया था.
- घर में पशुओं की संख्या तीन गुनी हो गई, जिससे खाद्य सुरक्षा और पूरक आय में सुधार हुआ.
- जैविक रसोई उद्यानों की शुरुआत से घर के पोषण और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ.

3.4 भविष्य की दृष्टि

जैसे-जैसे नाबार्ड वित्तीय वर्ष 2026 की ओर बढ़ रहा है, अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाकर पारिस्थितिकी पर आधारित अनुकूलन के माध्यम से सतत विकास का संवर्धन करने और जलवायु-स्मार्ट कृषि हेतु अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए उसकी प्रतिबद्धता बनी हुई है. प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताओं में संस्थागत क्षमता का सुदृढीकरण, वैश्विक और घरेलू जलवायु वित्त दोनों तक पहुँच को व्यापकतर बनाना तथा जलवायु कार्रवाई की पहुँच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक भागीदारी को और गहरा करना शामिल होंगे.

जलवायु जोखिमों के बढ़ते हुए एक्सपोजर के प्रतिसाद में नाबार्ड की योजना है कि जलवायु अनुकूलन के लिए अधिक सक्रिय और अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जाए. इसमें आयोजना और वित्तपोषण संरचनाओं में उन्नत उपकरणों - जैसे उपग्रह-आधारित पूर्व-चेतावनी प्रणाली और जलवायु जोखिम मॉडलिंग - को एकीकृत करना शामिल है ताकि समावेशी, संधारणीय और अनुकूलनक्षम ग्रामीण विकास के पथ को समर्थन दिया जा सके.

नोट

1. जीआईज़ेड = दोएच गेसेलशाफ्ट फ्यूर इंटरनैशनल सुसामेनआरबाईट
2. बोदी: कृषि क्षेत्रों में तालाब जैसी जल संरचना.



4

4.1 ग्रामीण सशक्तीकरण हेतु उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्मवित्त

4.2 संधारणीय आजीविकाओं हेतु पहलें

4.3 कृषक उत्पादक संगठन

4.4 ग्रामीण एमएसएमई क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

4.5 ग्रामीण उद्यमियों, स्टार्टअपों, विपणन और ब्रांडिंग को सहयोग प्रदान करना

4.6 अनुसंधान को बढ़ावा देना और ज्ञान की साझेदारी का संवर्धन

4.7 आगे की राह

अध्याय 4 का अनुबंध

संधारणीय आजीविकाओं के माध्यम से समावेशी विकास

नाबार्ड ने आजीविकाओं के संवर्धन, कौशल निर्माण, संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा वित्तीय और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के माध्यम से समावेशी ग्रामीण विकास को संवर्धित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसके एकीकृत दृष्टिकोण ने आधार स्तर पर ठोस परिणाम दिए हैं जिससे स्थायी आजीविका और उद्यमिता के लाखों अवसर पैदा हुए हैं. अपने बहुआयामी वित्तीय और विकासात्मक सहयोगों के माध्यम से नाबार्ड ने एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र को संपोषित किया है जिसने आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों के उद्भव और राष्ट्र के व्यापक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

4.1 ग्रामीण सशक्तीकरण हेतु उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्मवित्त

4.1.1 स्वयं सहायता समूह - बैंक के बीच निर्बाध सहयोग की ओर

नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) के माध्यम से ग्रामीण बैंकिंग नवोन्मेषन को संवर्धित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस पहल ने मुख्यधारा के बैंकों के सहयोग से 17 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए किफायती और संधारणीय ऋण तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाया है (तालिका 4.1).

तालिका 4.1: वित्तीय वर्ष 2025 में स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन (31 मार्च 2025 तक)

विवरण	*दिनांक 31 मार्च 2025 तक की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में)*			
	एसएचजी (लाख)	*परिवर्तन*	*समग्र राशि*	*परिवर्तन*
वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान संवितरित ऋण	55.6	1%	₹2,08,282.7 करोड़	-0.5%
बकाया ऋण	84.9	10%	₹3,04,258.7 करोड़	17%
बैंकों के पास बचत	143.3	-1%	₹71,433.3 करोड़	10%
अनर्जक आस्तियाँ			1.7%	-15%
वित्तीय वर्ष 2025 में. प्रति एसएचजी औसत ऋण संवितरण			₹3.7 लाख	-2%

एसएचजी = स्वयं सहायता समूह.

एसएचजी-बीएलपी ने समय पर और किफायती ऋण तक पहुँच को सुगम बनाकर, बचत को प्रोत्साहित करने, सामाजिक पूँजी को सुदृढ़ करने और ग्रामीण आवासों में उद्यमिता का संवर्धन करने से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया है. इन परिणामों ने आय सृजन को बढ़ाने और निजी साहूकारों पर निर्भरता को कम करने में योगदान दिया है. इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत बैंकों, और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों (वीएलपी) को सहयोग प्रदान कर एसएचजी-बैंक इंटरफेस को सुदृढ़ किया है. ग्राम स्तरीय कार्यक्रम, एसएचजी खाता खोलने, औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बनाने, ऋण लिंकेज, चुकौती अनुशासन और वित्तीय प्रणाली में व्यापकतर भागीदारी के लिए सहयोग उपलब्ध कराते हैं.

4.1.2 संयुक्त देयता समूहों के प्रभाव का सघनीकरण

नाबार्ड, बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को संपार्श्विक-मुक्त ऋण दिए जाने को बढ़ावा दे रहा है, जिससे इन समूहों के गरीब और सीमांत सदस्यों को विविध कृषि और कृषीतर गतिविधियाँ करने में सक्षम बनाया जा सके जो उनकी आजीविका को सुदृढ़ करते हैं और जोखिम कम करते हैं. वित्तीय वर्ष 2025 में बैंकों ने 49.8 लाख संयुक्त देयता समूहों को सहयोग प्रदान किया जिससे 31 मार्च 2025 तक उनकी संचयी संख्या बढ़कर 380.7 लाख हो गई.

4.1.3 कुशल कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु कौशल विकास

नाबार्ड ने, बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), सरकारी अधिकारियों, स्वयं सहायता समूहों, एसएचजी महासंघों और प्रशिक्षकों सहित प्रमुख हितधारकों को लक्ष्य करते हुए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण पहलों की एक शृंखला शुरू की है. वित्तीय वर्ष 2025 में कुल 0.4 लाख प्रतिभागियों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया. 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के अंतर्गत

संचयी रूप से लगभग 50 लाख प्रतिभागियों और महिला स्वयं-सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) कार्यक्रम के तहत 5.4 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

4.1.4 मनी पर्स एप्लिकेशन पर प्रायोगिक परियोजना

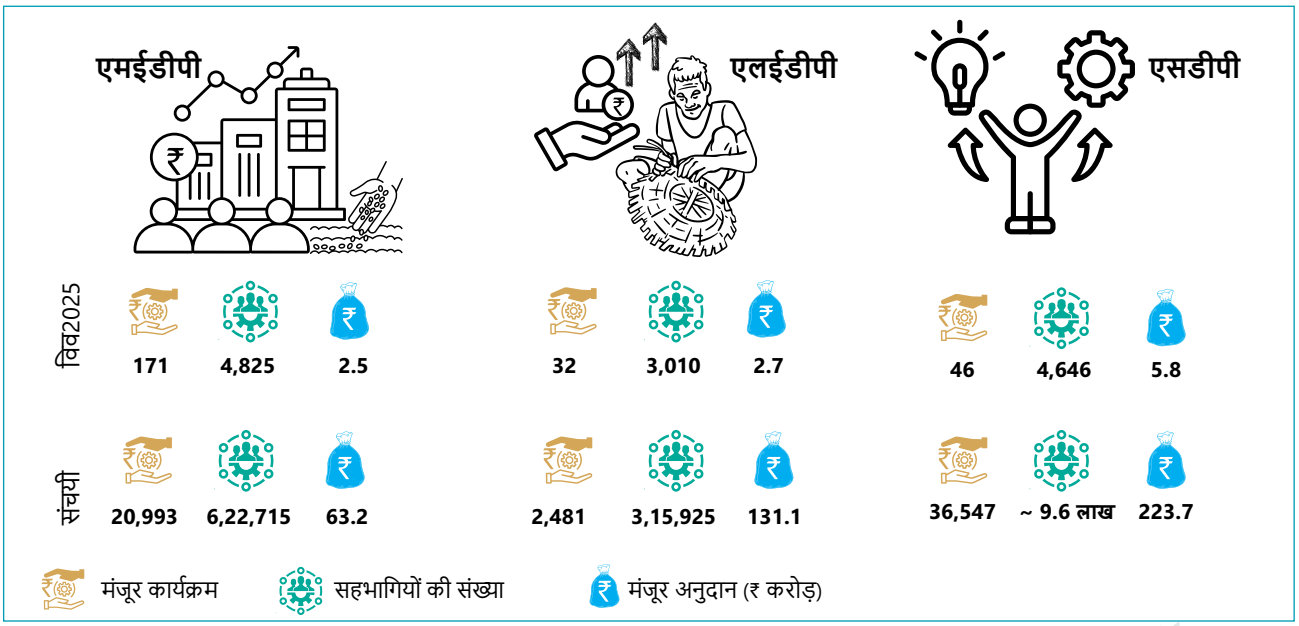
स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उनके घर पर कुशल, तत्समय वित्तीय सेवाएँ देने, बैंकों और स्वयं सहायता समूहों के लिए टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) और लेनदेन लागतों को कम करने तथा स्वयं सहायता समूहों के गतिशील, तत्समय श्रेणीकरण को सक्षम बनाने हेतु व्यक्तिगत सदस्य-वार वित्तीय डेटा कैप्चर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 में मनी पर्स (एमपी) एप्लिकेशन पर एक प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी गई थी. इसे ओडिशा ग्राम्य बैंक और केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था. एसएचजी लेनदेनों के डिजिटाइजेशन और प्रौद्योगिकी के उपयोग से, एमपी ऐप से यह अपेक्षित है कि वह ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सहजता से सदस्य-स्तरीय डेटा उपलब्ध कराएगा और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री का निर्माण करेगा, जिससे व्यक्तिगत सदस्यों को आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराना सुगम हो सके.

4.2 संधारणीय आजीविकाओं के लिए पहलें

4.2.1 कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम

ग्रामीण भारत में मजदूरी और स्व-रोजगार दोनों के संवर्धन हेतु माँग-संचालित और परिणाम-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए नाबार्ड, सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रमों (एमईडीपी), आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रमों (एलईडीपी), तथा कौशल विकास कार्यक्रमों (एसडीपी) का कार्यान्वयन करता है (चित्र 4.1). ये पहलें कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और उद्यम विकास द्वारा ग्रामीण समुदायों के लिए संधारणीय आजीविकाओं के संवर्धन पर केंद्रित होती हैं. व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण, बाजार संपर्क और वित्तीय पहुँच जैसे क्षेत्रों में लक्षित सहायता प्रदान की जाती है.

चित्र 4.1: कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार)



एलईडीपी = आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम, एमईडीपी = सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम, एसडीपी = कौशल विकास कार्यक्रम.

4.2.2 एम-सुविधा: सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए महिलाओं को कौशलों से सशक्त करना

आद्योपांत सहयोग की रणनीति से युक्त, एम-सुविधा, महिलाओं के लिए आवश्यकता-आधारित और स्थान-विशिष्ट कौशल विकास परियोजनाएँ उपलब्ध कराती है, जो कृषि और कृषीतर क्षेत्रों में स्थायी ग्रामीण आजीविका समाधानों का संवर्धन करती है. इस योजना को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है. प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु के विरुदुनगर जिले में 500 स्वयं सहायता समूह सदस्यों की आजीविकाओं को सुदृढ़ करने के लिए वुमेन ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर मास एक्शन (वुमन) को ₹40.5 लाख की राशि मंजूर की गई थी. परियोजना के पूरा होने पर ₹1 करोड़ का ऋण प्रवाह होने का अनुमान है.

4.2.3 कौशल विकास और उद्यमिता विकास हेतु साझेदारी-संचालित दृष्टिकोण

ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ पहुँचाने के एक रणनीतिक गठबंधन के रूप में नाबार्ड और डीएवाई-एनआरएलएम ने दिनांक 27 फरवरी 2024 को एक ऐतिहासिक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस सहमति ज्ञापन का उद्देश्य एसएचजी महासंघों के माध्यम से डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देना है, जिससे सदस्यों के लिए टर्नअराउंड टाइम को कम से कम करने हेतु पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सके. इस परियोजना में, बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पॉण्डेंट के रूप में महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के नियोजन के विकल्पों का भी पता लगाया जाना शामिल है. सहमति ज्ञापन के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को ₹1,005 लाख की राशि मंजूर की गई थी और विभिन्न सहयोगों के लिए ₹300.8 लाख जारी किए गए.

इस सहयोग के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में स्वयं सहायता समूहों को विपणन आधारभूत संरचना, जैसे कि ग्रामीण हाट, ग्रामीण मार्ट की स्थापना और नाबार्ड की ग्राम्य विकास निधि (जीवीएन) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदर्शनियों/ मेलों तथा 'मॉल में स्टॉल' में भाग लेने हेतु सहयोग शामिल है. तदुपरांत, 20 ग्रामीण मार्ट, 8 प्रदर्शनियाँ, 1 ग्रामीण हाट और 1 मॉल में स्टॉल परियोजना को मंजूरी दी गई.

नाबार्ड ने समावेशी विकास की पहलों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं.

संयुक्त रूप से चुने गए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के आधार पर एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी को ₹1 करोड़ की कुल राशि के साथ आठ कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) मंजूर किए गए, इस सहयोग से सीमांत और वंचित समुदायों को अति रियायती शर्तों पर ऋण सहायता की सुविधा देने से नाबार्ड के विकासात्मक सहयोगों के अनुपूरक के रूप में कार्य करने की उम्मीद है, जिससे संधारणीय आजीविका के अवसरों तक उनकी पहुँच बढ़ेगी.

4.2.4 लखपति दीदी पहल

भारत सरकार की लखपति दीदी पहल के अनुरूप, कृषि और कृषीतर क्षेत्रों में आय सृजन की गतिविधियों में कार्यरत परिपक्व महिला स्वयं सहायता समूहों की अलग-अलग महिला सदस्यों को वित्तपोषित करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक मॉडल योजना तैयार की गई थी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना को उचित संशोधनों के साथ अपनाने हेतु सूचित किया गया.

4.2.5 सोशल स्टॉक एक्सचेंज और सीबीएफ-एसएसई के तहत गतिविधियाँ

क्षमता निर्माण निधि - सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (सीबीएफ - एसएसई) की स्थापना वित्तीय वर्ष 2023 में ₹100 करोड़ की समूह निधि के साथ की गई थी और इसे नाबार्ड में रखा गया है. यह निधि विभिन्न अ-लाभोद्दिष्ट संगठनों (एनपीओ), लाभोद्दिष्ट उद्यमों, सामाजिक प्रभाव आकलनकर्ताओं, निवेशकों और सोशल स्टॉक एक्स्चेंज से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों को सहयोग प्रदान करती है. नाबार्ड एक संधारणीय सोशल स्टॉक एक्स्चेंज इकोसिस्टम विकसित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है.

नाबार्ड ने तीन एसएसई लिस्टिंग्स के लिए ग्राम्य विकास निधि और जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) में से अंशदानों के साथ ₹65 लाख के जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) लिखतों को सब्स्क्राइब किया है. नाबार्ड, नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से 11 अ-लाभोद्दिष्ट संगठन (एनपीओ) एसएसई पर लिस्टेड किए गए थे. ऑनबोर्डिंग को सुगम बनाने के लिए, नाबार्ड ने पहले 20 लिस्टेड अ-लाभोद्दिष्ट संगठनों (एनपीओ) को ₹5 लाख की एकबारगी प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया. दिनांक 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार बीएसई-एसएसई और एनएसई-एसएसई दोनों पर 142 एनपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं.

4.3 कृषक उत्पादक संगठन

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) किसानों के समूह होते हैं जो बाज़ार तक अपनी पहुँच बढ़ाने, सामूहिक सौदेबाजी की अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने तथा एकत्रीकरण और मूल्य वर्धन से अपनी आय में सुधार लाने के लिए गठित किए जाते हैं. नाबार्ड अपनी उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) तथा उत्पादक संगठन विकास और उत्थान समूह निधि (प्रोड्यूस) के माध्यम से कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के संवर्धन में अग्रणी रहा है. यह 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के लिए कार्यान्वयनकर्ता संस्थाओं में से एक के रूप में भी कार्य करता है (तालिका 4.2, बॉक्स 4.1 और चित्र 4.2).

तालिका 4.2: कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का निधि-वार संवर्धन (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		*प्रोड्यूस*	*पीओडीएफ-आईडी*	*सीएसएस*	*कुल*
मंजूर एफपीओ (संख्या)	समग्र लक्ष्य	2,000	3,000	1,694	6,694
	संचयी	2,154	3,591	1,694	7,439
	विव 2025 में उपलब्धि	0	84	0	84
पंजीकृत एफपीओ (संख्या)	संचयी	2,094	2,427	1,694	6,215
	विव 2025 में[क]	0	151	8	159
मंजूर अनुदान	संचयी	221.3	457.8	806.2	1,485.3
	विव 2025 में	-	80.9	29.2	110.1
प्रयुक्त अनुदान	संचयी	200.0	257.3	338.7	796.0
	विव 2025 में	-	43.8	106.0	149.8
शेयरधारकों के रूप में शामिल किसान (लाख)		10.2	11.1	6.3	27.6
एफपीओ द्वारा एकत्र संचयी शेयर पूँजी		113.3	121.1	104.6	339.0
शेष समूह निधि, 31 मार्च 2024		0.0	260.0	-	260.0
विव 2025 के दौरान प्रयुक्त समूह निधि		0.0	43.8	106.0	149.8
शेष समूह निधि, 31 मार्च 2025		-	223.6[ख]	-	223.6

[क] वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान पंजीकृत 159 एफपीओ में से 127 एफपीओ विव 2024 में मंजूर किए गए थे.

[ख] अप्रयुक्त निधि पर ब्याज शामिल है.

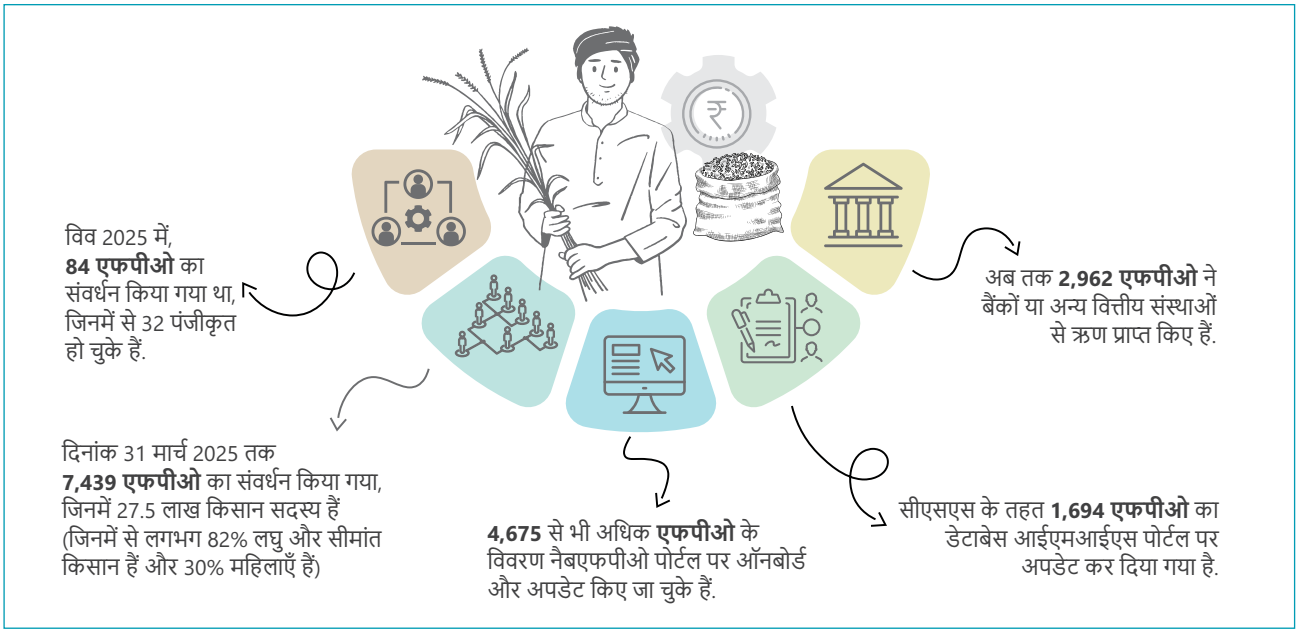
विव = वित्तीय वर्ष, सीएसएस = केंद्रीय क्षेत्र की योजना, एफपीओ = कृषक उत्पादक संगठन, पीओडीएफ - आईडी = उत्पादक संगठन विकास निधि - ब्याज अंतर, प्रोड्यूस = उत्पादक संगठन विकास और उत्थान समूह निधि.

बॉक्स 4.1: एफपीओ क्रेडिट लीग 2025

"एफपीओ क्रेडिट लीग 2025" टेलीविज़न के लोकप्रिय फॉर्मेट शार्क टैंक से प्रेरित, नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय की एक अनोखी पहल है. इस पहल के अंतर्गत संधारणीय कृषि विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा देने हेतु 30 एफपीओ और 14 वित्तीय संस्थाओं को साथ लाया गया. इन कृषक उत्पादक संगठनों ने कारोबार की अपनी योजनाएँ प्रस्तुत कीं, जबकि वित्तीय संस्थाओं को एफपीओ परिचालनों की जटिलताओं की आंतरिक जानकारियाँ मिलीं. मूल्यांकनों के आधार पर क्रेडिट लीग के परिणामस्वरूप 29 सहभागी कृषक उत्पादक संगठनों के लिए ₹5 लाख से ₹40 लाख तक के ऋण सहयोगों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिनकी कुल राशि ₹4 करोड़ थी.

एफपीओ = कृषक उत्पादक संगठन.

चित्र 4.2: वित्त वर्ष 2025 तक कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्धन (मुख्य बातें)



सीएसएस = केंद्रीय क्षेत्र की योजना, एफपीओ = कृषक उत्पादक संगठन, आईएमआईएस = एकीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली.

नोट: नैबएफपीओ (nabfpo.nabard.org) नाबार्ड द्वारा विकसित एक पोर्टल है जिसमें हितधारकों के प्रयोग के लिए सदस्यों के प्रोफ़ाइल सहित डिजिटाइज़्ड एफ़पीओ डेटा शामिल है.

4.3.1 वित्तीय वर्ष 2025 में एफपीओ संवर्धन और विकास की पहलें

- नाबार्ड ने कृषक उत्पादक संगठनों के लिए एक-वर्षीय मूल्य संरक्षण कार्यक्रम हेतु नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडेक्स) को ₹25 करोड़ मंजूर किए जिससे किसानों को पण्य बाज़ार में विक्रय विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. इस कार्यक्रम ने 6,604 मीट्रिक टन पण्यों - विशेष रूप से जीरा, धनिया और हल्दी - की हेजिंग के लिए कुल ₹4.8 करोड़ की प्रीमियम सब्सिडी प्रदान की, जिसमें 81 एफपीओ और 1,22,109 किसानों ने भाग लिया.
- लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) और डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) के साथ साझेदारी में नाबार्ड 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 50 स्थानों पर "तरंग - सामूहिकता का उत्सव" नाम से एफपीओ मेले आयोजित कर रहा है. इन आयोजनों का उद्देश्य एफपीओ और कृषीतर उत्पादक संगठनों (ओएफपीओ) के उत्पादों को शोकेस करना, ब्रांडिंग और विपणन में सहायता करना तथा ओएनडीसी नेटवर्क के माध्यम से देशव्यापी बिक्री को बढ़ाना है. वित्तीय वर्ष 2025 में, दूसरे चरण में 14 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 26 मेले आयोजित किए गए.
- नाबार्ड ने महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) परियोजना के सहयोग से एफपीओ एक्सेलेरेटर परियोजना के लिए ₹388.2 लाख मंजूर किए, जिसमें 40 एफपीओ को शामिल किया गया.
- 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत ₹1,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था, नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड की ट्रस्टीशिप में एक ऋण गारंटी निधि की स्थापना की गई है जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से अंशदान किया जा रहा है. अब तक ऋण देने वाली 97 पात्र संस्थाओं (ईएलआई) को नैबसंरक्षण के साथ ऑनबोर्ड किया गया है, और 2,259 एफपीओ (3,054 गारंटियों को शामिल करते हुए) के लिए ₹558.9 करोड़ की ऋण गारंटी सुरक्षा मंजूर की गई है.
- 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के अंतर्गत एफपीओ की लाइसेंसिंग को सुगम बनाने के लिए एक सैचुरेशन अभियान चलाया गया. जारी किए गए लाइसेंसों में ये शामिल हैं: बीज के लिए 1,198, उर्वरक के लिए 1,090, कीटनाशकों के लिए 914, मंडी परिचालनों के लिए 815, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लिए 1,061 तथा माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए 350. कुल मिलाकर 1,130 एफपीओ को ओएनडीसी प्लैटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया गया.

- नाबार्ड ने बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ में महिला एफपीओ की नेटवर्किंग पर एक गोलमेज सम्मेलन को प्रायोजित किया. सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाले एफपीओ की सफलता की कहानियों को साझा करने के साथ-साथ एक अनुकूल एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सहयोग प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया.
- उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), नाबार्ड की अध्यक्षता में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), नैबकिसान, नैबसंरक्षण, एक्सिस बैंक और मध्य भारत एफपीओ कंसोर्टियम के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्य दल का गठन किया गया है. यह कार्य दल एफपीओ वित्तपोषण के लिए एक रणनीतिक कार्य-योजना विकसित करने, वित्तीय दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने तथा बैंकरों के लिए एक सुलभ संदर्भ के रूप में कार्य करने वाले एक ऋण योग्यता आकलन उपकरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा.
- नाबार्ड ने एक एफपीओ उत्पाद सूची लॉन्च की है, जिसका प्रचार इसके सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से किया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य डिजिटल विपणन की क्षमता का लाभ उठाकर किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में सहायता करना है और साथ ही कृषि क्षेत्र के विकास का संवर्धन करना है.

4.3.2 कृषि क्षेत्र का संवर्धन

नाबार्ड अपनी कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (एफएसपीएफ) के माध्यम से कृषि नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी अंतरण और क्षमता निर्माण को सहयोग प्रदान करता है. इसकी समूह निधि ₹60 करोड़ की है और इसकी पुन:पूर्ति नाबार्ड के लाभ के विनियोजन के माध्यम से प्रति वर्ष की जाती है. दिनांक 31 मार्च 2025 तक एफएसपीएफ के तहत संचयी संवितरण ₹281.83 करोड़ रहा.

डीपीआर मोड के अंतर्गत कार्यान्वित एफएसपीएफ परियोजनाएँ

डीपीआर मोड के अंतर्गत कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों की ऐसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है जो नवोन्मेषों का संवर्धन करती हैं, उत्पादकता बढ़ाती हैं, बाजार पहुँच में सुधार लाती हैं तथा मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करती हैं. इसमें जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उनमें कमजोर जिलों में जलवायु-अनुकूल कृषि, किसान समूह तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग (शोकेस 4.1) का लाभ उठाने वाले हाई-टेक सहयोग शामिल हैं. इन परियोजनाओं को आम-तौर पर 2 से 3 वर्ष के लिए मंजूर किया जाता है.

निधि की स्थापना से अब तक, डीपीआर मोड के तहत 2,070 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें कुल ₹156.2 करोड़ की अनुदान सहायता संवितरित की गई. इनमें से वित्तीय वर्ष 2025 में 101 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिनमें ₹29.04 करोड़ की अनुदान सहायता शामिल है.

डीपीआर मोड में नवोन्मेषी परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान डीपीआर मोड की 12 नवोन्मेषी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई, जिनमें निम्नलिखित परियोजनाएँ शामिल हैं:

- केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग हब की स्थापना;
- तेलंगाणा में बौद्धिक अक्षमता वाले वयस्कों के लिए ग्रीन स्किलिंग और आजीविका कार्यक्रम का कार्यान्वयन;
- तेलंगाणा में बुनकरों के लिए संधारणीयता और विपणन-योग्यता बढ़ाने हेतु इकत वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया के लिए डिजिटल ट्रेसेबिलिटी तंत्र की स्थापना; और
- हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम की मालिक बनाने की पहल.

शोकेस 4.1: हरियाणा के हिसार और सिरसा जिलों में नवोन्मेषी आईओटी-आधारित झींगा पालन पर प्रायोगिक परियोजना

परियोजना: हिसार और सिरसा जिले में आईओटी आधारित झींगा पालन पर प्रायोगिक परियोजना

स्थान: हिसार जिले का मिरकां और सिरसा जिले का करमसाना गाँव

निष्पादक संस्था: यह परियोजना नाबार्ड की सहायता से एरुवाका टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर एक्स्पर्ट स्किल डेवलपमेंट द्वारा कार्यान्वित की जा रही है.

अनुदान सहायता: ₹24.8 लाख

उद्देश्य

- आईओटी आधारित झींगा पालन की लाइव प्रदर्शन इकाइयाँ स्थापित करना, ताकि सिरसा और हिसार के मौजूदा और संभावित झींगा किसानों का क्षमता निर्माण हो सके.
- पारंपरिक झींगा पालन विधियों की तुलना में आईओटी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन करना.
- आईओटी-समर्थित झींगा पालन पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सरेखित प्रथाओं का एक पूरा सेट विकसित और मानकीकृत करना.
- आईओटी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग कर झींगा पालन की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करना.



आईओटी-आधारित झींगा कृषि उत्पाद को प्रदर्शित करता हुआ किसान; मिरकां, हिसार, हरियाणा.

सहयोग

- दो वर्ष की इस पहल के तहत तीन स्थानों पर आईओटी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं जो कुल 7 एकड़ क्षेत्रफल में हैं – एक स्थान हिसार जिले में है (मीरकां गाँव में 3 एकड़) और दो स्थान सिरसा जिले में हैं (बारागुधा और करमसाना गाँवों में 2-2 एकड़).
- इस परियोजना में पॉण्ड मदर (स्वचालित फीडर), श्रिम्प टॉक (ध्वनि-विज्ञान आधारित इंटेलिजेंट फीडिंग सिस्टम) और घुलित ऑक्सीजन और पीएच स्तर जैसे महत्वपूर्ण जल मापदंडों की तत्समय निगरानी के लिए पॉण्ड गार्ड शामिल हैं.
- क्लाउड-आधारित तालाब प्रबंधन सॉफ़्टवेयर पॉण्डलॉग्स, किसानों को मोबाइल फोन के माध्यम से तालाब संबंधी डेटा का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाता है, जिससे वे जानकारी पर आधारित निर्णय ले सकते हैं.
- मध्य से दीर्घ कालक्रम में, तालाब के परिचालनों से संबंधित ऐतिहासिक डेटा से किसानों की ऋण-योग्यता बढ़ने और बीमा प्रीमियम लागत कम होने की उम्मीद की जाती है.
- सौर-ऊर्जा से चलने वाले उपकरण समय पर चेतावनियाँ देते हैं, दूर से संचालित करने की क्षमता उपलब्ध कराते हैं तथा खेती में सुगमता लाते हैं, जिससे समग्र कृषि अनुभव में सुधार आता है.

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- चारा दक्षता: चारा रूपांतरण अनुपात में 17% से 23% तक के सुधार के साथ, अधिक दक्ष चारा उपयोग ने समग्र चारा लागत को कम कर दिया है,
- जीवित बचने की दर: झींगों की जीवित बचने की दर में 12% से 90% तक की वृद्धि हुई.
- श्रम दक्षता: श्रम लागत में 50% तक की कमी हुई और वास्तविक समय की निगरानी और निर्णयन सहयोग के माध्यम से शारीरिक श्रम न्यूनतम हो गया.
- लाभप्रदता: किसानों ने प्रति एकड़ प्रति कल्चर साइकल लगभग ₹1.5 लाख से ₹2 लाख तक की आय के साथ लाभ में 32% की वृद्धि देखी.
- निवल अतिरिक्त आय: निविष्टियों की बचत और बेहतर मूल्य प्राप्ति के कारण किसानों ने चार माह के एक ही चक्र में प्रति एकड़ लगभग ₹1.3 लाख कमाए.
- बड़े स्तर पर किए जा सकने की योग्यता: प्रौद्योगिकी सफल प्रदर्शन और उसके प्रभाव ने सिरसा जिले में झींगा पालन के तहत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि की है.
- दोहराए जाने की योग्यता: इस परियोजना मॉडल को राज्य के सभी लवणता प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर अपनाया और दोहराया जा सकता है.

सीएटी - प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु क्षमता निर्माण

सीएटी कार्यक्रम, प्रशिक्षण और परिचयात्मक दौरों के माध्यम से किसानों के क्षमता निर्माण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है जिससे कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में सुविधा होती है. एफएसपीएफ की स्थापना के बाद से, 2,866 परिचयात्मक दौरों के लिए ₹24 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ सहयोग प्रदान किया गया है जिससे 84,485 किसान लाभान्वित हुए हैं.

वित्तीय वर्ष 2025 में 92 परिचयात्मक दौरे आयोजित किए गए जिनमें 2,425 किसानों का क्षमता निर्माण किया गया जिसके लिए कुल ₹1.7 करोड़ की अनुदान सहायता प्रदान की गई.

4.4 ग्रामीण एमएसएमई क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का संवर्धन, आजीविका के वैकल्पिक विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण भारत की कृषि आय पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह क्षेत्र न केवल आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराता है बल्कि ग्रामीण बेरोज़गारी को भी कम करता है, आजीविकाएँ बढ़ाता है तथा कृषि की गतिविधियों के पूरक के रूप में आर्थिक विकास में योगदान देता है.

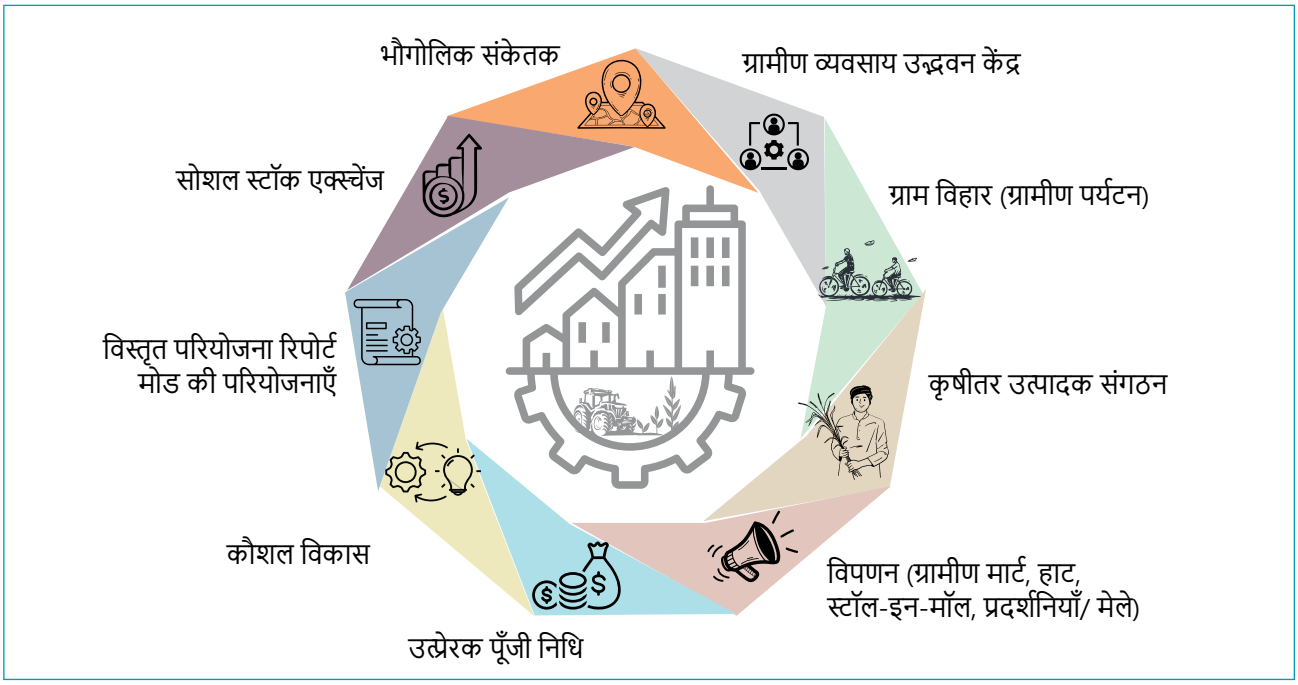
नाबार्ड ग्रामीण एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रहा है जिसमें हथकरघा, हस्तशिल्प और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित सहयोगों की एक व्यापक शृंखला शामिल है. इनमें कौशल विकास, उत्पाद विविधीकरण, विपणन पहलें, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, भौगोलिक संकेतक (जीआई) पंजीकरण और बहुत कुछ शामिल है – जिनका उद्देश्य मूल्य वर्धन, डिजाइन नवोन्मेष और उद्यम विकास के माध्यम से स्थानीय रोज़गार सृजित करना है.

4.4.1 ग्राम्य विकास निधि (जीवीएन) के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

ग्राम्य विकास निधि की स्थापना वित्तीय वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीतर एमएसएमई गतिविधियों को सहयोग प्रदान करने के लिए की गई थी. इसका प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक कृषि से परे उद्यमिता, कौशल विकास और आजीविका विविधीकरण को बढ़ावा देना है. इस निधि का उपयोग स्वयं सहायता समूहों और कृषीतर उत्पादक संगठनों जैसी आधार स्तरीय संस्थाओं का संवर्धन करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान जीवीएन के तहत संवितरणों की राशि ₹57.8 करोड़ थी, जबकि जीवीएन की विविध योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹57.7 करोड़ मंजूर किए गए (चित्र 4.3).

चित्र 4.3: जीवीएन के तहत सहयोग



दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड ने 27 राज्यों में 79 कृषीतर उत्पादक संगठनों के संवर्धन और विकास के लिए 26,810 लाभार्थियों को कवर करते हुए ₹40.9 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की है, जिनमें से कुल 6,890 सदस्य सहित 18 पूर्णतः महिला संगठन हैं (शोकेस 4.2).

शोकेस 4.2: चन्नपट्टण लाखवेयर हस्तशिल्प के माध्यम से आजीविका में वृद्धि - एक जीआई-आधारित कृषीतर उत्पादक संगठन सफलता की कहानी

ओएफपीओ का नाम: आर्टिज़न प्राइड ऑफ-फॉर्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन

स्थान: मंड्या, कर्नाटक

निष्पादक संस्था: मूवमेंट फॉर ऑल्टर्नेटिव्स एंड यूथ अवेयरनेस (माया)

गतिविधि: जीआई-टैग्ड चन्नपट्टण लाखवेयर हस्तशिल्प का उत्पादन

टर्नओवर (वित्त 2025): ₹1.2 करोड़

पृष्ठभूमि

वर्ष 2019 में 10 सदस्यों की छोटी सी संख्या के साथ स्थापित आर्टिज़न प्राइड ओएफपीओ ने वर्ष 2020 में 50 सदस्यों और वर्ष 2021 तक 250 सदस्यों तक तेजी से विस्तार किया. संगठन ने अपने सभी सदस्यों के लिए संधारणीय रोज़गार के अवसर सृजित किए हैं और निकट भविष्य में सदस्यता को लगभग 450 तक बढ़ाने का अपना लक्ष्य रखा है.



चन्नपट्टण लाखवेयर खिलौनों को प्रदर्शित करता हुआ आर्टिज़न-प्राइड ओएफ़पीओ का सदस्य; मंड्या, कर्नाटक.

सहयोग

नाबार्ड के रणनीतिक मार्गदर्शन के साथ कृषीतर उत्पादक संगठन ने अपने टर्नअराउंड टाइम को कम करते हुए, अपना उत्पादन और अपनी उत्पादकता बढ़ाकर, अपने परिचालनों को सुव्यवस्थित किया है.

परिणाम

- ओएफपीओ ने उत्पाद विविधीकरण की शुरुआत करते हुए अपने उत्पाद की गुणवत्ता और लागत में स्थिरता प्राप्त की.
- संगठन ने अमेज़ान, फ्लिपकार्ट, ओएनडीसी, इंडिया मार्ट और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल जैसे प्लैटफॉर्मों के माध्यम से ई-कॉमर्स जगत में प्रवेश किया है.
- एक रिटेल आउटलेट की स्थापना की गई है.
- एक विशिष्ट वेबसाइट - https://artisanpride.in/ – को लॉन्च किया गया है.

प्रभाव

- आय में वृद्धि: कारीगरों की औसत मासिक आय ₹6,000 से दुगुनी होकर ₹12,000 हो गई है.
- समावेशिता: कुशलता के विभिन्न स्तरों वाले कारीगरों की आय में कम से कम 100% की वृद्धि देखी गई है.
- बाजार पहुँच: अनेक ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्मों में प्रवेश ने इनकी दृश्यता और बिक्री का विस्तार किया.
- रोजगार सृजन: 250 से अधिक कारीगरों के लिए संधारणीय आजीविका का सृजन किया गया, और आगे भी विस्तार प्रत्याशित है.
- व्यवसाय वृद्धि: बेहतर परिचालन दक्षता और विविधीकरण के कारण वित्तीय वर्ष 2025 में कुल कारोबार बढ़कर ₹1.23 करोड़ हो गया.



चन्नपट्टण लाखवेयर खिलौनों को प्रदर्शित करता हुआ आर्टिज़न-प्राइड ओएफ़पीओ का सदस्य; मंड्या, कर्नाटक.

4.5 ग्रामीण उद्यमियों, स्टार्टअपों, विपणन और ब्रांडिंग को सहयोग प्रदान करना

4.5.1 ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र

ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र (आरबीआईसी) प्रारंभिक-चरण की सहायता प्रदाता संस्थाएँ होती हैं जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग हैं. ये केंद्र आधारभूत संरचना और उच्च-गुणवत्ता वाली उद्भवन सेवाएँ प्रदान कर उद्यमियों को उनके व्यवसाय को विकसित करने में सहायता करते हैं.

नाबार्ड कृषि विश्वविद्यालयों और इसी तरह की संस्थाओं में आरबीआईसी की स्थापना के लिए आद्योपांत सहायता उपलब्ध कराता है (शोकेस 4.3).

शोकेस 4.3: एमएबीआईएफ - उद्भवन और उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण नवोन्मेषन का संवर्धन

ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र (आरबीआईसी) का नाम: मदुरै एग्री-बिजनेस इनक्यूबेशन फोरम (एमएबीआईएफ)

स्थान: तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), मदुरै

सहयोगकर्ता: नाबार्ड

संदर्भ

वर्ष 2017 में नाबार्ड के सहयोग से टीएनएयू, मदुरै में एमएबीआईएफ की स्थापना की गई थी. तब से, एमएबीआईएफ ने कृषि-नवोन्मेषन के संवर्धन में, स्टार्टअपों को सहयोग प्रदान करने में तथा तमिलनाडु के ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र में संस्थागत लिंकेजों को मजबूत करने में अपनी भूमिका का विस्तार करना जारी रखा है.

पहलें

- कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में 170 से अधिक स्टार्टअपों के उद्भवन को सहयोग प्रदान किया.
- उद्भवन सेवाओं का एक व्यापक समूह प्रदान किया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - सह-कार्य और कार्यालय स्थान
  - प्रशिक्षण और सम्मेलन कक्ष
  - प्रयोगशालाएँ और विशेषीकृत उपकरण
  - पशु चारा उत्पादन इकाई
  - बायो-फ्लॉक एक्वाकल्चर सिस्टम
- एक बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रकोष्ठ की स्थापना की, जो निम्नलिखित मदों पर परामर्श प्रदान करता है:
  - पेटेंट
  - पादप किस्मों का संरक्षण
  - ट्रेडमार्क
  - भौगोलिक संकेतक (जीआई)
- नाबार्ड के सहयोग से एक जीआई सुविधा केंद्र स्थापित किया, ताकि निम्नलिखित में सहायता की जा सके:
  - जीआई उत्पादों का पंजीकरण
  - उत्पादक क्षमता निर्माण
  - विपणन और ब्रांड संस्थापन
- पूरे तमिलनाडु में 25 एफपीओ के लिए क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठन (सीबीबीओ) के रूप में कार्य किया.



उद्भवन सेवाएँ: मल्टीहेड पैकेजिंग मशीन; एमएबीआईएफ, टीएनएयू, मदुरै.

परिणाम

- बेहतर आधारभूत संरचना और क्षमता के माध्यम से स्टार्टअप सहभागिता और सेवा प्रदान करने में वृद्धि.
- सीबीबीओ गतिविधियों के माध्यम से किसानों के समूहों हेतु संस्थागत सहायता का विस्तार.

- मूल्य संवर्धन और उत्पाद विभेदीकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और जीआई प्रक्रियाओं का औपचारिकीकरण.
- ग्रामीण कृषि-उद्यमों के लिए मार्केट रेडीनेस और निवेशकों के विश्वास में वृद्धि.

प्रभाव

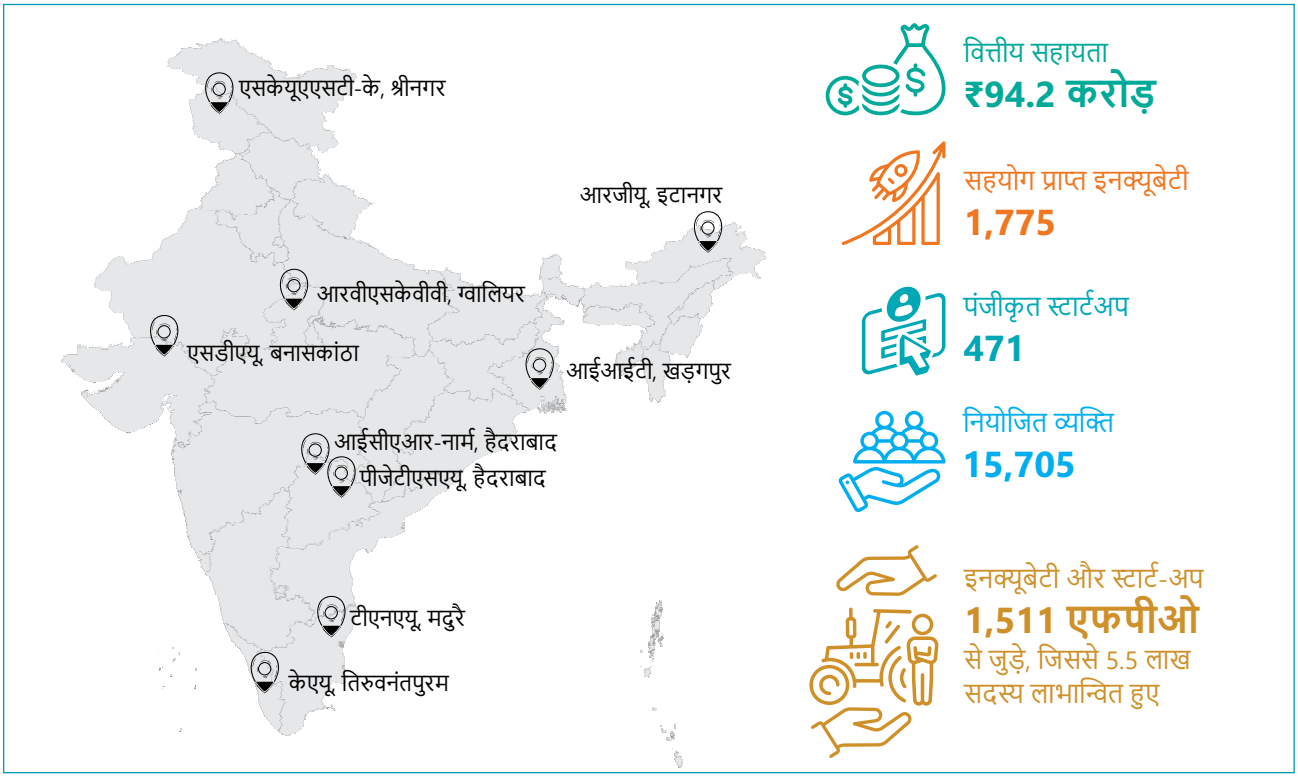
- प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और आधार स्तरीय क्षमता निर्माण को एकीकृत करते हुए, ग्रामीण उद्भवन के लिए एक अग्रणी मॉडल के रूप में एमएबीआईएफ को स्थापित किया.
- कृषि-व्यवसाय में नवोन्मेषों को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए ग्रामीण स्टार्टअपों को सशक्त बनाया.
- बाजारों तक पहुँच बनाने, अभिशासन में सुधार लाने और आय बढ़ाने हेतु एफपीओ और उत्पादक समूहों को सहयोग प्रदान किया.
- ग्रामीण उद्यम विकास में संरचनात्मक परिवर्तन लाने में उद्भवन केंद्रों की क्षमता प्रदर्शित की.

वित्तीय वर्ष 2025 में निम्नलिखित में तीन नए आरबीआईसी मंजूर किए गए:

- राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश;
- शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रिकल्चरल साइंसेज़ एण्ड टेक्नोलॉजी, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर; तथा
- केरल कृषि विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल.

इससे मंजूर ग्रामीण कृषि उद्भवन केंद्रों की कुल संख्या 10 हो गई, जिनमें से दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में 9 आरबीआईसी काम कर रहे थे (चित्र 4.4).

चित्र 4.4: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आरबीआईसी को नाबार्ड का सहयोग



आईसीएआर - नार्म = भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद; आईआईटी = भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर; केएयू = केरल कृषि विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम; पीजेटीएसएयू = प्रोफ़ेसर जयशंकर तेलंगाणा राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद; आरजीयू = राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर; आरवीएसकेवीवी = राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर; एसडीएयू = सरदारकृषिनगर दंतिवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, बनासकांठा; एसकेयूएएसटी-के = शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर; टीएनएयू = तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, मदुरै.

नोट: स्टार्टअपों का पंजीकरण उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किया जाता है..

4.5.2 कृषि और ग्रामीण स्टार्टअपों को सहयोग प्रदान करने हेतु उत्प्रेरक पूँजी निधि

नाबार्ड ने मार्च 2020 में ग्रामीण और कृषि स्टार्टअपों को नाज़ुक "वैली ऑफ डेथ" चरण के दौरान सहायता करने हेतु उत्प्रेरक पूँजी निधि (सीसीएफ) की स्थापना की है. वर्तमान में, यह सहायता उन स्टार्टअपों को दी जाती है जिन्होंने मूल रूप से आरबीआईसी और नाबार्ड की सहायक कंपनियों के माध्यम से कम से कम एक प्रोटोटाइप या न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) विकसित कर लिया है. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 17 स्टार्टअपों को सहयोग प्रदान करने के लिए सीसीएफ के तहत ₹4.02 करोड़ संवितरित किए गए.

4.5.3 ग्रामीण युवाओं में कौशल और उद्यमिता विकास

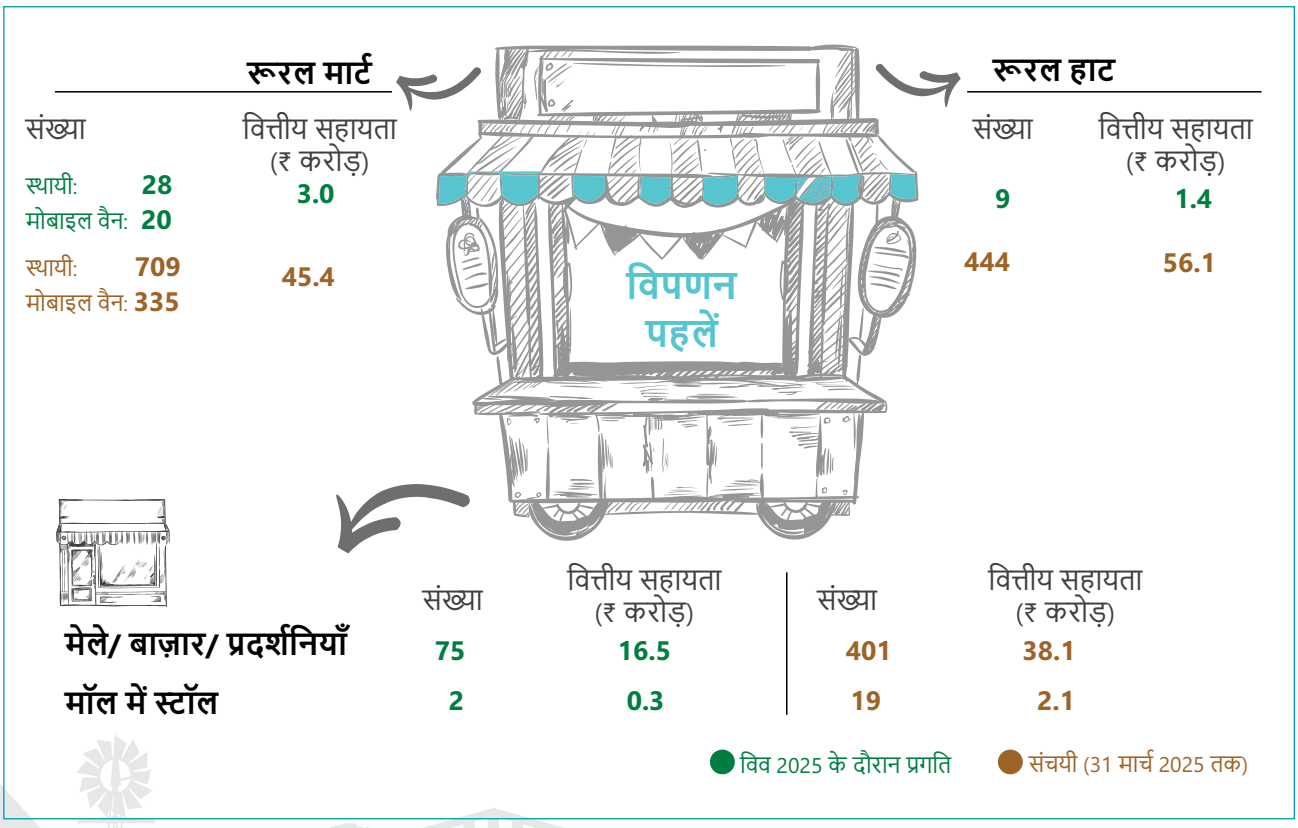
नाबार्ड ने समाज के वंचित वर्ग से संबंधित व्यक्तियों सहित ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता के संवर्धन के उद्देश्य से क्षमता निर्माण की अनेक पहलों को सहयोग प्रदान करना जारी रखा है. वित्तीय वर्ष 2025 में 46 कौशल विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ₹5.8 करोड़ मंजूर किए गए.

दिनांक 31 मार्च 2025 तक व्यावसायिक और उद्यम-संबंधी प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण युवाओं की रोजगार-योग्यता बढ़ाने के लिए ₹223.7 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ कुल 36,547 कौशल विकास कार्यक्रम मंजूर किए गए.

4.5.4 विपणन की पहलें

ग्रामीण उत्पादकों की बाजार तक पहुँच में सुधार लाने और मूल्य प्राप्ति में सुधार करने हेतु नाबार्ड ग्रामीण हाटों और मार्टों की स्थापना के लिए तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रदर्शनियों तथा मेलों में कारीगरों और शिल्पकारों की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है (चित्र 4.5, शोकेस 4.4).

चित्र 4.5: विपणन पहलों की प्रगति



प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संवर्धन के प्रयासों के रूप में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सूचित किया गया है कि वे प्रमाणित विश्वकर्माओं को नाबार्ड से मंजूरी प्राप्त ग्रामीण हाटों और ग्रामीण मार्टों में स्थान आबंटित करें जिससे उनके उत्पादों के लिए विपणन सहायता उपलब्ध हो सके.

वित्तीय वर्ष 2025 में ग्रामीण मार्ट योजना के तहत एक नई गतिविधि प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को फूड कैफे या ढाबे का संचालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर मिलेंगे और स्थानीय बाजारों में उनकी उपस्थिति बढ़ेगी.

ग्रामीण विकास की गति का जश्न मनाने और उसे बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री-सह-प्रदर्शनी कार्यक्रम, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया, जिसने भारत के ग्रामीण नवोन्मेष, उद्यमशीलता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने किया और इसमें देश भर के हितधारक एकत्रित हुए (परिशिष्ट बॉक्स अ4.1).

शोकेस 4.4: 'मॉल में स्टॉल' - शहरी स्थानों की शोभा बढ़ाते ग्रामीण नवोन्मेष

स्थान: पीवीपी स्क्वेयर मॉल, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

अवधि: 18 दिसंबर 2024 - 13 मार्च 2025

सहयोगकर्ता: नाबार्ड

निष्पादक संस्था: नेस्तम रुरल एंड अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी



मॉल में स्टॉल: नाबार्ड के सहयोग के साथ पीवीपी स्क्वेयर मॉल में विशेष स्टॉल में प्रदर्शित काश्तकारी उत्पाद; विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

संदर्भ

ग्रामीण क्षेत्रों के काश्तकारों और शिल्पकारों को अक्सर शहरी बाजारों तक पहुँचने और अपने उत्पादों को शहरी और धनवान उपभोक्ताओं के बीच प्रदर्शित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इस कमी को पहचानते हुए नाबार्ड ने ग्रामीण उत्पादकों के लिए दृश्यता तथा आय के अवसर बढ़ाने के लिए स्टॉल इन मॉल योजना के तहत एक बाजार लिंकेज प्लैटफॉर्म प्रारंभ किया.

पहल

नेस्तम रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से विजयवाड़ा के पीवीपी स्क्वेयर मॉल में 91-दिवसीय 'मॉल में स्टॉल' प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में हथकरघा और हस्तशिल्प में विशेषज्ञता रखने वाले 48 ग्रामीण काश्तकारों को एक साथ लाया गया जिससे उन्हें भारी आवा-जाही वाले खुदरा परिवेश में शहरी उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क में आने का अवसर मिला.

परिणाम

- महीने की निरंतर अवधि में 48 ग्रामीण काश्तकारों की सहभागिता.
- हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की विविध शृंखला का प्रदर्शन.
- शहरी खरीदारों से जुड़ने और खुदरा विपणन तकनीकों को सीखने का प्रत्यक्ष अनुभव.

प्रभाव

- कुल बिक्री ₹50 लाख की रही, जिससे आय में सीधे तौर पर वृद्धि हुई.
- काश्तकारों को बल्क और रिपीट ऑर्डर प्राप्त हुए, जिससे व्यापार संधारणीयता में सुधार हुआ.
- शहरी बाजारों में पहुँच से बाजार पहुँच में उल्लेखनीय विस्तार हुआ और ग्राहक जुड़ाव में विश्वास बढ़ा.
- इस पहल ने बाजार पहुँच और कौशल निर्माण के माध्यम से आजीविकाओं के दीर्घकालिक परिवर्तन में योगदान दिया.

4.5.5 ग्राम विहार (ग्रामीण पर्यटन)

ग्रामीण पर्यटन के सेक्टर को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी रोज़गारों के संवर्धन के लिए नाबार्ड ने ग्राम विहार नामक एक नई योजना शुरू की है जो ग्रामीण और इको-टूरिज़म पर केंद्रित है. यह योजना होमस्टे, डे-टूर, ग्रामीण परिवहन, कलाकृतियों की बिक्री, लोक संगीत और नृत्य प्रदर्शनों, तथा स्थानीय कला, शिल्प, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है.

ग्राम विहार, पर्यटकों को देहाती परिवेश में समय बिताने और ठेठ ग्रामीण जीवनशैली का अनुभव करने में सक्षम बनाता है. वित्तीय वर्ष 2025 में चार परियोजनाओं की पहचान की गई और डीपीआर तैयार करने हेतु उन पर विचार किया जा रहा है.

4.5.6 जीआई उत्पादों का संवर्धन

दिनांक 31 मार्च 2025 तक नाबार्ड ने 464 जीआई उत्पादों के पंजीकरण और पंजीकरणोपरांत की गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया है जिनमें से 138 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं. अकेले वित्तीय वर्ष 2025 में ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सात उत्पादों को नाबार्ड के सहयोग से जीआई पंजीकरण प्राप्त हुआ.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान एक सकेंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण के साथ 181 नए उत्पादों के लिए सहयोग को मंजूरी प्रदान की गई जिससे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कवरेज सुनिश्चित किया जा सके (शोकेस 4.5).

साथ ही, निम्नलिखित के पंजीकरण के लिए सहायता प्रदान की गई:

- अरुणाचल प्रदेश के 13 जीआई उत्पादों के लिए 1,600 प्राधिकृत उपयोगकर्ता, और
- महाराष्ट्र के छह जीआई उत्पादों के लिए 4,500 प्राधिकृत उपयोगकर्ता.

जनवरी 2025 में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव के दौरान 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के **116** जीआई उत्पाद प्रदर्शित और बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए जिसमें भारत की समृद्ध काश्तकारी विरासत को प्रदर्शित किया गया (परिशिष्ट बॉक्स अ4.1).

शोकेस 4.5: विरासत का परचम लहराया - जीआई पंजीकरण के माध्यम त्रिपुरा पचरा को मिली स्थानीय विरासत से राष्ट्रीय पहचान

परियोजना: त्रिपुरा पचरा का जीआई पंजीकरण

निष्पादक संस्था: त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन

संदर्भ

त्रिपुरा की पारंपरिक पचरा बुनाई एक जीवंत और जटिल कला का प्रतिनिधित्व करती है. यह राज्य की सांस्कृतिक विरासत में रची-बसी है. प्राकृतिक रेशों से बुने तथा महीन विवरणों और स्वदेशी डिज़ाइनों की विशेषता वाले पचरा उत्पाद कार्यात्मक और कलात्मक, दोनों होते हैं. इसकी विरासती महत्ता और वाणिज्यिक संभाव्यता को पहचानते हुए नाबार्ड ने पचरा के लिए जीआई पंजीकरण की सुविधा हेतु पहल को सहयोग प्रदान किया जिससे इसका दर्जा बढ़ा और काश्तकार समुदाय के लिए अवसरों में विस्तार हुआ.

पहलें

- 150 कारीगरों को शामिल किया गया, जिससे सामुदायिक और मिलकर कार्य करने की भावना को बढ़ावा मिला.
- पारंपरिक पचरा शिल्प,जो हाथ से बुने हुए प्राकृतिक-फाइबर आधारित डिज़ाइनों के लिए जाना जाता है, के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया गया.
- उत्पाद की दृश्यता बढ़ाने के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय बाज़ारों के साथ विपणन सहयोग स्थापि किए गए.
- उत्पादन बढ़ाने और बाज़ार तक पहुँच का विस्तार करने में कारीगरों के लिए सहायता बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ साझेदारियाँ प्रारंभ कीं.

परिणाम

- एक अद्वितीय सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में त्रिपुरा पचरा के संबंध में जागरूकता और मान्यता बढ़ी.
- औपचारिक गठ-जोड़ों और कोलैबोरेटिव नेटवर्कों के माध्यम से बाज़ार तक पहुँच का विस्तार हुआ.
- क्षेत्र में शिल्पगत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ किया गया.

प्रभाव

- काश्तकारों ने बेहतर बाजार पहुँच और जीआई पंजीकरण के प्रत्याशित लाभों के परिणामस्वरूप आय में उल्लेखनीय वृद्धि रिपोर्ट की.
- परियोजना ने पचरा को संभावित राष्ट्रीय और वैश्विक सांस्कृतिक पहचान के उत्पाद के रूप में स्थापित करते हुए परंपरागत कौशल को पुन:स्थापित किया.
- इस पारंपरिक शिल्प को बाजार तक पहुँच और बौद्धिक संपदा के उपकरणों से जोड़ने के लिए एक दोहराने-योग्य मॉडल बनाया गया.



त्रिपुरा पचरा के जीआई पंजीकरण के साथ स्वदेशी महिला काश्तकार बेहतर आय और बाज़ार तक विस्तारित पहुँच का लाभ उठाते हुए.

जीआई = भौगोलिक संकेतन.

4.6 अनुसंधान को बढ़ावा देना और ज्ञान की साझेदारी का संवर्धन

नाबार्ड अपनी समर्पित अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) निधि का लाभ उठाते हुए व्यापहारिक सामाजिक-आर्थिक अध्ययनों, संगोष्ठियों, प्रकाशनों, छात्र सहभागिता योजनाओं और प्रशिक्षण को सहयोग प्रदान करने के लिए करता है. इन प्रयासों का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास में ज्ञान के आधार का विस्तार करना तथा नीति निर्माताओं, हितधारकों और जन सामान्य में अंतर्दृष्टियों का प्रसार करना है.

4.6.1 नाफिस 2021-22

नाबार्ड ने अक्तूबर 2024 में द्वितीय अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (नाफिस) 2021-22 के निष्कर्ष जारी किए. सर्वेक्षण में 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 1 लाख ग्रामीण परिवारों से आर्थिक और वित्तीय संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्राथमिक डेटा प्राप्त किया गया. यह सर्वेक्षण घरेलू आय, बचतों, ऋण, बीमा, पेंशनों, धन-प्रेषणों तथा वित्तीय साक्षरता का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है जिससे ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन और आजीविका की स्थिति के संबंध में बहुमूल्य सूचनाएँ प्राप्त होती हैं..

4.6.2 ग्रामीण आर्थिक परिस्थिति और प्रवृत्ति सर्वेक्षण

ग्रामीण आर्थिक परिस्थिति और प्रवृत्ति सर्वेक्षण (आरईसीएसएस) द्विमासिक रूप से आयोजित किया जाता है जिसमें देश भर के 600 गांवों के 6,000 घरों से समष्टिगत आर्थिक डेटा प्राप्त किया जात है. इसमें आय, खपत, वित्तीय बचतें, उधार, ब्याज की दरें और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं जैसे प्रमुख मापदंडों को शामिल किया जाता है. इसके निष्कर्ष साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण के लिए एक मूल्यवान निविष्टि के रूप में कार्य करते हैं. मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार आरईसीएसएस रिपोर्ट के पाँच चक्र (सितंबर 2024, नवंबर 2024, जनवरी 2025, मार्च 2025 और मई 2025) प्रकाशित किए जा चुके हैं.

4.6.3 अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों को सहयोग प्रदान करना

वर्तमान में चल रहे 20 संस्थानिक और सहयोगी शोध अध्ययनों में से तीन को वित्तीय वर्ष 2025 में मंजूर किया गया था. इसी वर्ष, नाबार्ड ने 125 संगोष्ठियों और सम्मेलनों को सहयोग प्रदान किया जिनमें संधारणीय ग्रामीण विकास, बागवानी में डिजिटल रूपांतरण, कृषि-उद्यमशीलता, संधारणीय विकास और नीली अर्थव्यवस्था जैसे विविधीकृत विषय शामिल किए गए.

4.6.4 छात्र सहभागिता योजनाएँ

नाबार्ड ने स्टूडेंट इंटर्नशिप योजना (एसआईएस) और उत्कृष्ट पीएचडी थीसिस के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने के माध्यम से शैक्षणिक सहभागिता को बढ़ावा देना जारी रखा है, ताकि युवा शोधार्थियों को ग्रामीण विकास अनुसंधान में योगदान देने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके.

4.6.5 प्रकाशन

1. वित्तीय वर्ष 2024 में नाबार्ड ने अपने अनुसंधान के प्रमुख निष्कर्षों और अनुशंसाओं को प्रसारित करने के लिए नीतियों के सारांश प्रकाशित करना प्रारंभ किया. दिनांक 31 मार्च 2025 तक नैब पॉलिसी ब्रीफ़्स के सात अंक जारी किए गए हैं.
2. इकोथिंक (मासिक) और इकोवॉच (पाक्षिक) जैसी आवधिक पत्रिकाएँ आंतरिक समितियों और विभागों को संसूचित रखती हैं.
3. नाबार्ड की रिसर्च एंड पॉलिसी सीरीज़ के अंतर्गत तेरह प्रपत्र प्रकाशित किए गए हैं जो प्रासंगिक मुद्दों पर आधिकारिक अंतर्दृष्टि और नीतिगत सुझाव प्रदान करते हैं.
4. नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अपनी इम्पैक्ट रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया जिसमें ट्रिपल बॉटम लाइन – पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट के अंतर्गत अपने सहयोगों के क्षेत्र-स्तरीय परिणामों को दस्तावेजीकृत किया गया है. रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए नाबार्ड की पहलों को भी दर्शाया गया है जो संधारणीयता के संवर्धन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित करती है.

4.7 आगे की राह

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषीतर उत्पादक संगठनों (ओएफपीओ) जैसी आधार स्तरीय संस्थाएँ, समावेशी ग्रामीण विकास के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. जहाँ एसएचजी और जेएलजी वित्तीय समावेशन और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं, वहीं एफपीओ और ओएफपीओ सामूहिकीकरण, मूल्य वर्धन और बेहतर मूल्य प्राप्ति के माध्यम से आय का सृजन बढ़ाते हैं. ये संस्थाएँ सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रमुख माध्यमों के रूप में भी कार्य करती हैं.

भविष्य की ओर देखते हुए, नाबार्ड ग्रामीण रोजगार के अवसरों का सृजन करने, आजीविकाओं में सुधार लाने, और एक अनुकूल, सुदृढ़ तथा विविधतापूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए इसके सहयोग को बनाए रखते हुए संधारणीय आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एफपीओ, ओएफपीओ और ग्रामीण एमएसएमई को रणनीतिक रूप से स्केल-अप करने पर ध्यान केंद्रित करेगा.

अध्याय 4 का परिशिष्ट

बॉक्स अ4.1: ग्रामीण भारत महोत्सव

कार्यक्रम: ग्रामीण भारत महोत्सव 2025

तिथियाँ: 4 से 9 जनवरी 2025

आयोजक: नाबार्ड - वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में

थीम: विकसित भारत 2047 हेतु एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण

पहलें

- महोत्सव के दौरान प्रमुख विषयों पर पैनल चर्चाएँ आयोजित की गईं, जैसे:
  - ◊ आर्थिक समृद्धि के लिए जीआई उत्पादों का लाभ उठाना
  - ◊ जैविक कृषि को स्केल-अप करना
  - ◊ ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले स्केलेबल उद्यमों का निर्माण करना
  - ◊ समावेशी विकास का संवर्धन करना, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में
- अपने उत्पादों और नवोन्मेषों को प्रदर्शित करने हेतु ग्रामीण काश्तकारों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया.
- वित्तीय समावेशन, क्षमता निर्माण और डिजिटल वाणिज्य पर बल दिया गया, विशेष रूप से महिला उद्यमियों और सहकारी समितियों के लिए.
- ग्रामीण व्यवसायों के लिए बाजार संपर्क के अवसर सृजित किए गए और दृश्यता बढ़ाई गई.
- नाबार्ड ने स्टार्टअप महाकुंभ 2025, नई दिल्ली में एग्रिटेक पवेलियन के प्रमुख प्रायोजक के रूप में भी कार्य किया, जिसमें, नाबार्ड से सहयोग प्राप्त आरबीआईसी द्वारा इनक्यूबेट किए गए 30 स्टार्टअपों ने अपने उत्पादों और अपनी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया.

प्रभाव

- भारतीय गांवों में ग्रामीण उद्यमिता को सुदृढ़ किया और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया.
- जैविक खेती, डिजिटल विपणन और सहकारी सशक्तीकरण के माध्यम से संधारणीय आजीविकाओं को बढ़ावा मिला.
- ग्रामीण-शहरी बाजार एकीकरण को उत्प्रेरित किया, जिससे दीर्घकालिक ग्रामीण आर्थिक विकास सक्षम हुआ.
- महिलाओं की आर्थिक सहभागिता को बढ़ाने के माध्यम से और पूर्वोत्तर जैसे अल्प-प्रतिनिधित्व प्राप्त क्षेत्रों की ओर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर, समावेशी विकास का संवर्धन किया गया.



ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में देशभर से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया.



माननीय प्रधानमंत्री को स्मृति-चिह्न भेंट करते हुए श्री शाजी के. वी., अध्यक्ष, नाबार्ड



माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन





माननीय प्रधानमंत्री स्टॉल देखते हुए और कारीगरों के साथ बातचीत करते हुए.





जीआई = भौगोलिक संकेतन, आरबीआईसी = ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र, एसएचजी = स्वयं सहायता समूह.



5

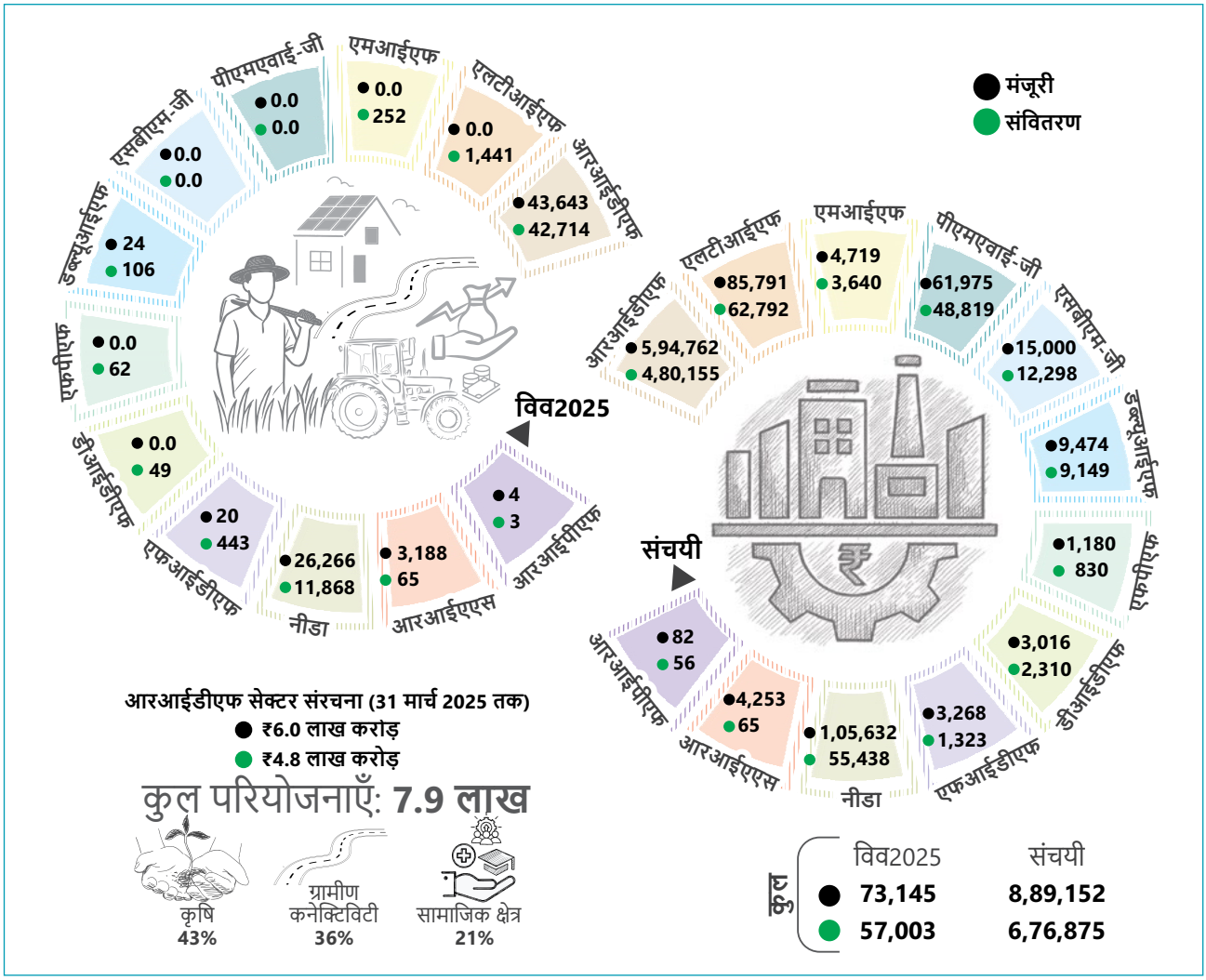
5.1 ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि
5.2 ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि
5.3 दीर्घावधि सिंचाई निधि
5.4 सूक्ष्म सिंचाई निधि
5.5 नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता
5.6 फसलोपरांत आधारभूत संरचना
5.7 अन्य आधारभूत संरचना पहलें
5.8 आगे की राह

ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और संधारणीय विकास का महत्वपूर्ण कारक ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास है. इसमें सड़कों, सिंचाई प्रणालियों, सेतु, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय संसाधनों का संचयन और आबंटन शामिल है. ग्रामीण आधारभूत संरचना में समय पर और पर्याप्त निवेश न केवल बाजारों और सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह शहरी-ग्रामीण के बीच के अंतर को पाटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराकर, नाबार्ड ऐसी स्थायी आधारभूत संरचना आस्तियों के सृजन हेतु सुविधा प्रदान करता है, जो कृषि उत्पादकता में सुधार करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और बाजारों तक पहुँच का विस्तार करने में सहायक होती हैं. इस सहयोग का उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना की कमी को दूर करना है, जिससे ग्रामीण समुदायों को सुदृढ़ता और दीर्घावधि विकास की संभावनाओं को मजबूती मिलती है. वित्तीय वर्ष 2025 तक नाबार्ड द्वारा आधारभूत संरचना वित्तपोषण के अंतर्गत ₹8.9 लाख करोड़ की संचयी मंजूरी दी गई और ₹6.8 लाख करोड़ की राशि संवितरित की गई (चित्र 5.1).

चित्र 5.1: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण भारत हेतु नाबार्ड द्वारा प्रबंधित आधारभूत संरचना निधियाँ (₹ करोड़ में)



डीआईडीएफ = डेयरी संस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि, एफआईडीएफ = मत्स्य पालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि, एफपीएफ = खाद्य प्रसंस्करण निधि, एलटीआईएफ = दीर्घावधि सिंचाई निधि, एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता, पीएमएवाई-जी – प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, आरआईपीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि, एसबीएम-जी = स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण, डब्ल्यूआईएफ = भांडागार आधारभूत संरचना निधि

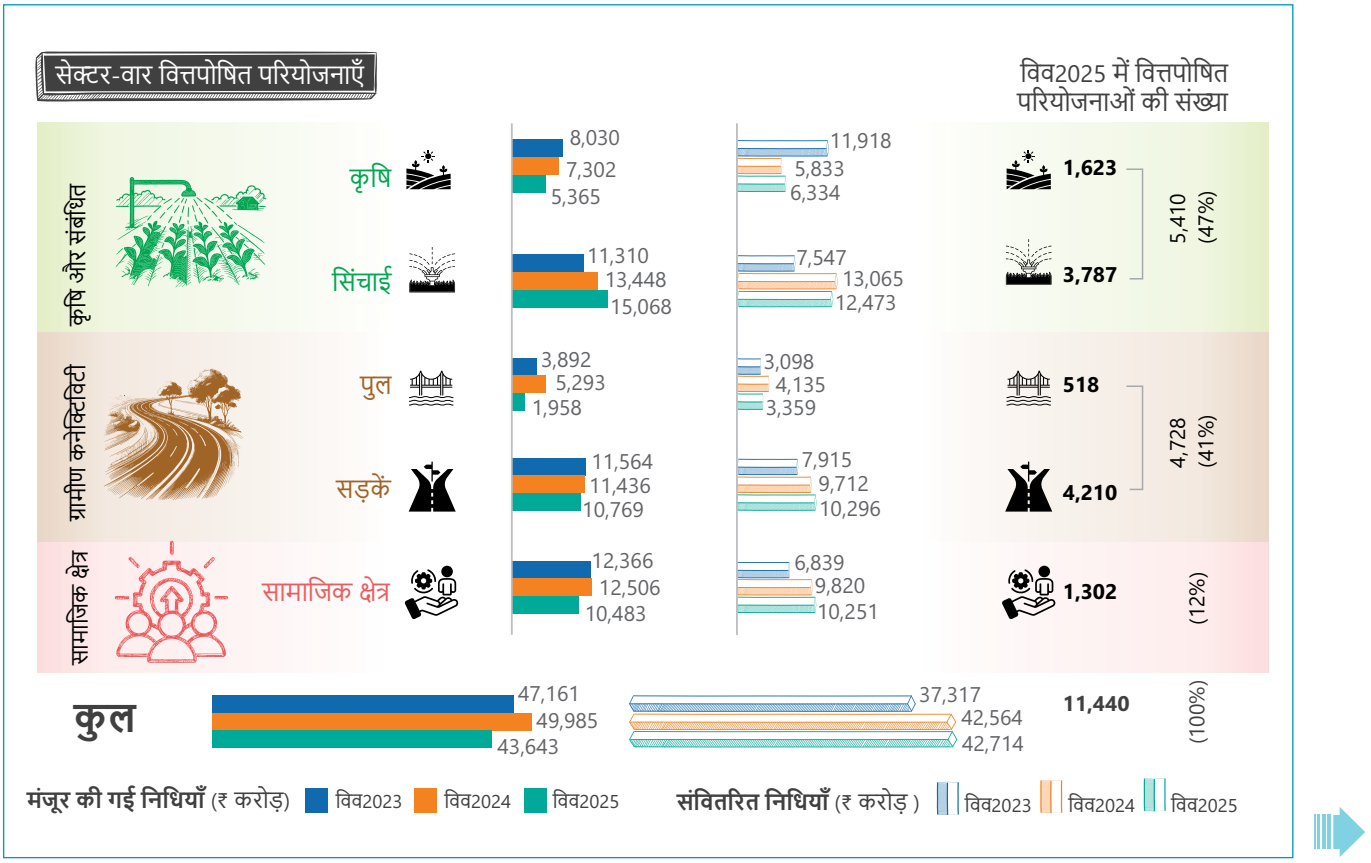
5.1 ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि[1]

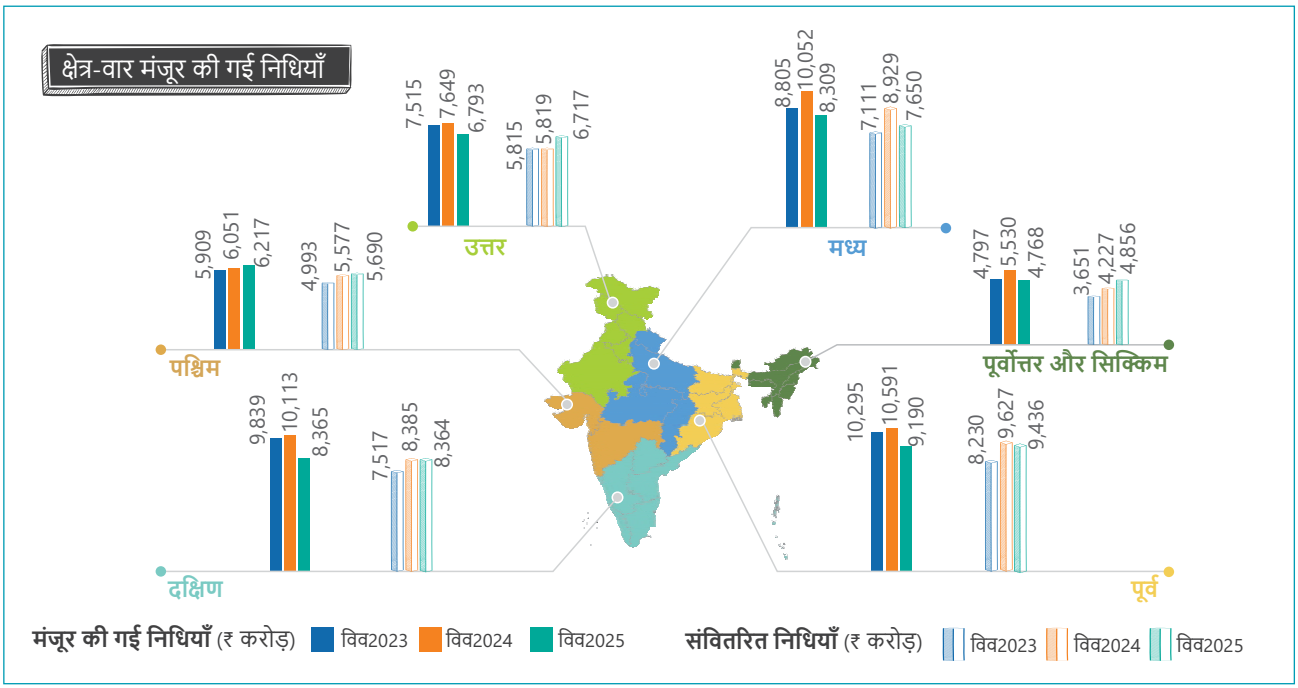
नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और पुलों, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास हेतु राज्य सरकारों और राज्य स्वामित्व वाले निगमों को वित्तपोषण प्रदान करना था. आरआईडीएफ, लक्षित निवेशों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, समावेशी विकास का संवर्धन करने, ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने और अल्पसेवित क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

5.1.1 प्रवृत्ति और पद्धति

वित्तीय वर्ष 2025 (आरआईडीएफ खेप XXX) के दौरान, नाबार्ड को आरआईडीएफ के तहत ₹35,000 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसके समक्ष कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कनेक्टिविटी से संबंधित ग्रामीण परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु ₹43,643.1 करोड़ की राशि मंजूर की गई (चित्र 5.2).

चित्र 5.2 : 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन



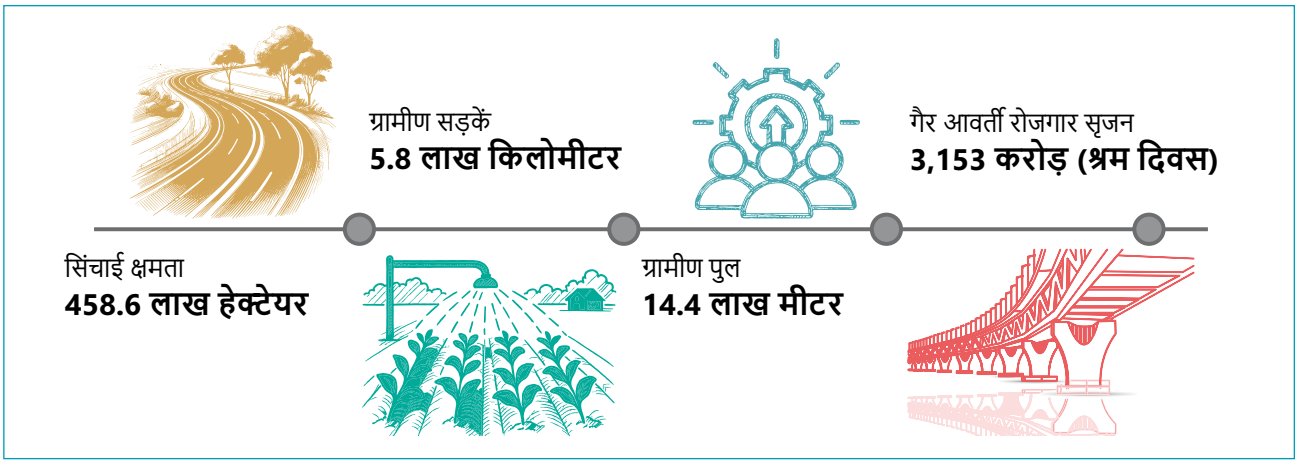


विव = वित्तीय वर्ष, आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

5.1.2 उपलब्धि >>परिणाम>> प्रभाव

आरआईडीएफ का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण आजीविका में सुधार तथा दूरस्थ और अल्पविकसित क्षेत्रों तक पहुँच कर अधिक समतामूलक विकास पथ सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. लक्षित निवेशों के माध्यम से, आरआईडीएफ अनुकूलन-क्षमता को सुदृढ़ करने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है (चित्र 5.3, शेकेस 5.1).

चित्र 5.3: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ के अंतर्गत उपलब्धियाँ और परिणाम



आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि.

शोकेस 5.1: तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की पहुँच सुनिश्चित करना

परियोजना: ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना, कडलूर जिला, तमिलनाडु

निष्पादक संस्था: तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज़ बोर्ड

कुल वित्तीय परिव्यय: ₹479 करोड़

आरआईडीएफ (खेप XXV) ऋण: ₹381.8 करोड़

समयसीमा: वित्तीय वर्ष 2021 में मंजूरी; वित्तीय वर्ष 2024 में पूर्ण

चुनौती

- तिट्टाकुडी नगरपालिका, पाँच नगर पंचायतें और 625 ग्रामीण बस्तियाँ भीषण जल संकट का सामना कर रही थीं. इस परियोजना ने केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नगर पंचायतों के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर (एलपीसीडी) तथा ग्रामीण बस्तियों के लिए 55 एलपीसीडी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर इस चुनौती का समाधान किया.

सहयोग

- जल स्रोत : अल्ट्रा-फ़िल्ट्रेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) की खान-II से प्राप्त उपचारित स्टॉर्मवाटर को शुद्ध किया गया
- विकसित आधारभूत संरचना
  - 22 लाख लीटर क्षमता वाला संग्रहण टैंक
  - ट्रांसमिशन मेन्स : 183.6 कि.मी
  - फिडर मेन्स : 734.4 कि.मी
  - सर्विस जलाशय: 789 यूनिट्स

प्रभाव

- लाभान्वित जनसंख्या (डिज़ाइन) : 7.9 लाख व्यक्ति (कुल जल की आवश्यकता : 39.4 मिलियन लीटर प्रति दिन [एमएलपीडी])
- निर्मित पेयजल क्षमता : 31.3 एमएलपीडी
- रोजगार सृजन: प्रति वर्ष 229 आवर्ती श्रम दिवस, संचयी रूप से 38.32 लाख अनावर्ती श्रम दिवस



कैस्केड एयरेटर; तुरिनजीकोल्लई, तमिलनाडु.

5.1.3 वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नई पहलें

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, नाबार्ड ने भारत सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के राज्य शेयर घटक हेतु सहयोग प्रदान करते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत ₹3,608.9 करोड़ तथा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम) के अंतर्गत ₹784.2 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की.

परिचालनात्मक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने हेतु, आरआईडीएफ़ (आरडबल्यूपी) पोर्टल में निम्नलिखित अपग्रेड किए गए हैं:

- प्रस्ताव प्रस्तुति और मूल्यांकन मॉड्यूल (पीएसएएम), जो एक ऋण प्रारम्भ प्रणाली है, की आरडब्ल्यूपी पर शुरुआत की गई.
- अनुप्रवर्तन, अनुपालन और प्रतिवेदन मॉड्यूल की शुरुआत कर आरंभ से अंत तक आरआईडीएफ परिचालनों के डिजिटलीकरण को उन्नत किया गया, जिससे प्रक्रियाएँ अधिक सुव्यवस्थित हुईं और हितधारकों का अनुभव बेहतर हुआ.

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने आरआईडीएफ के तहत समर्थित परियोजनाओं के लिए ग्रीन टैक्सोनॉमी नीति के अनुपालन से संबंधित परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान आधारभूत संरचना वित्तपोषण में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए नाबार्ड को एसोशिएशन ऑफ डेव्लपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन एशिया एंड पेसिफिक (एडीएफआईएपी) द्वारा सम्मानित भी किया गया.



15-17 मई 2024, नोम पेन्ह, कंबोडिया में आयोजित एडीएफ़आईएपी की 47वीं वार्षिक बैठक में नाबार्ड को सम्मानित किया गया. नाबार्ड का प्रतिनिधित्व श्री जी. एस. रावत, उप प्रबंध निदेशक; श्री एच. मनोज, महाप्रबंधक; सुश्री नाज़िया निज़ामुद्दीन, महाप्रबंधक; और सुश्री तृप्ति मिश्रा, उप महाप्रबंधक द्वारा किया गया.

5.2 ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि[2]

ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि (आरआईपीएफ), नाबार्ड द्वारा संचालित एक समर्पित निधि है जिसका उद्देश्य देशभर में ग्रामीण आधारभूत संरचना से संबंधित पहलों के संवर्धन, क्षमता निर्माण और विकास हेतु सहयोग प्रदान करना है (शोकेस 5.2). यह निधि अच्छी प्रथाओं की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने, हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने और ग्रामीण विकास हेतु संधारणीय प्रौद्योगिकी संचालित समाधान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

31 मार्च 2025 तक, आरआईपीएफ के अंतर्गत ₹82 करोड़ की संचयी मंजूरी दी गई थी जिसके समक्ष ₹55.7 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

शोकेस 5.2: केरल में संधारणीय विकास और महिला सशक्तीकरण हेतु आँगनवाड़ियों के लिए सौर ऊर्जा

परियोजना: एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत केरल में आँगनवाड़ी सं. 129 को ऊर्जा दक्षता में आधार स्तरीय प्रदर्शन मॉडल के रूप में स्थापित करना, जिसे अन्य स्थानों पर दोहराया जा सके.

निष्पादक संस्था : ऊर्जा प्रबंधन केंद्र केरल, विद्युत विभाग, केरल सरकार

परियोजना लागत

- कुल वित्तीय परिव्यय : ₹2.9 लाख
- नाबार्ड सहायता : ₹2.5 लाख

चुनौती: आँगनवाड़ी सं. 129 आदिवासी बस्ती के पास एक सुदूर क्षेत्र में स्थित थी, जहाँ ग्रिड से विद्युत आपूर्ति अस्थिर और अनियमित थी.

उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य आँगनवाड़ी केंद्र को सौर ऊर्जा से संचालित करना था ताकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो. विशेष रूप से, इसके अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना था—

- पारंपरिक चूल्हे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष इंडक्शन स्टोव का उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना;
- सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्सर्जन रहित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना;
- महत्वपूर्ण बचत प्राप्त करना; और
- स्वच्छ और दक्ष ऊर्जा के उपयोग से महिलाओं को सशक्त बनाना और खाना पकाने में लगने वाले समय को कम करना.



2-किलोवॉट क्षमता की ग्रिड-कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेइक प्रणाली; आंगनवाड़ी सं. 129, केरल.

सहयोग

- 2 किलोवाट क्षमता की ग्रिड-कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेइक प्रणाली की स्थापना
- ऊर्जा दक्ष उपकरणों की खरीद, जिसमें इलेक्ट्रिक इंडक्शन स्टोव, ऊर्जा दक्ष बर्तन, 5-स्टार-रेटेड ब्रशलेस डायरेक्ट करंट पंखे, स्टार रेटेड एलईडी ट्यूब लाइटें, इलेक्ट्रिक साइकिल, आदि शामिल हैं.
- कूल रूफिंग प्रणाली की स्थापना
- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स का प्रावधान

उपलब्धि >>परिणाम>> प्रभाव

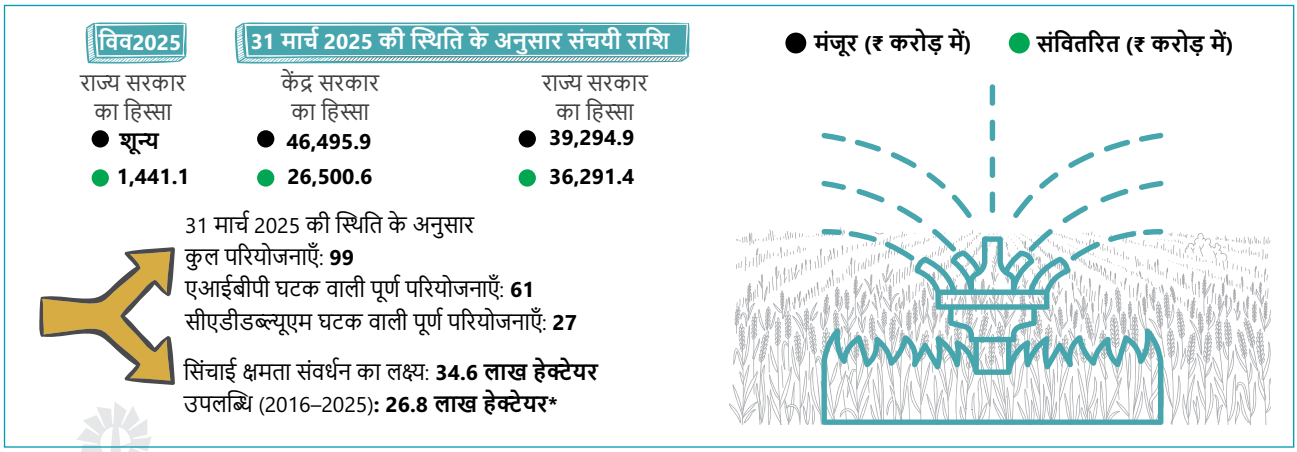
- बिजली बिलों में कमी
- प्रदूषण स्तर और कार्बन उत्सर्जन में गिरावट
- खाना पकाने में समय की बचत, जिससे महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ
- संधारणीय विकास का संवर्धन एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग
- कूल रूफिंग के माध्यम से ऊर्जा बचत और उपभोक्ता लाभ में वृद्धि
- घरेलू वायु प्रदूषण में कमी

5.3 दीर्घावधि सिंचाई निधि[3]

दीर्घावधि सिंचाई निधि की घोषणा वित्तीय वर्ष 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों को रियायती वित्तपोषण के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने में सहायता प्रदान करना है. इस निधि की समय-सीमा को वित्तीय वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की 60 चल रही परियोजनाएँ तथा कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडबल्यूएम) की 85 परियोजनाएँ हैं. भारत सरकार द्वारा इसमें अधिकतम 2% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है (चित्र 5.4).

99 सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016-2025 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप 34.6 लाख हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता के समक्ष 26.8 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया. इसके अतिरिक्त, कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 22.2 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र का विकास किया गया है.

चित्र 5.4: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एलटीआईएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन



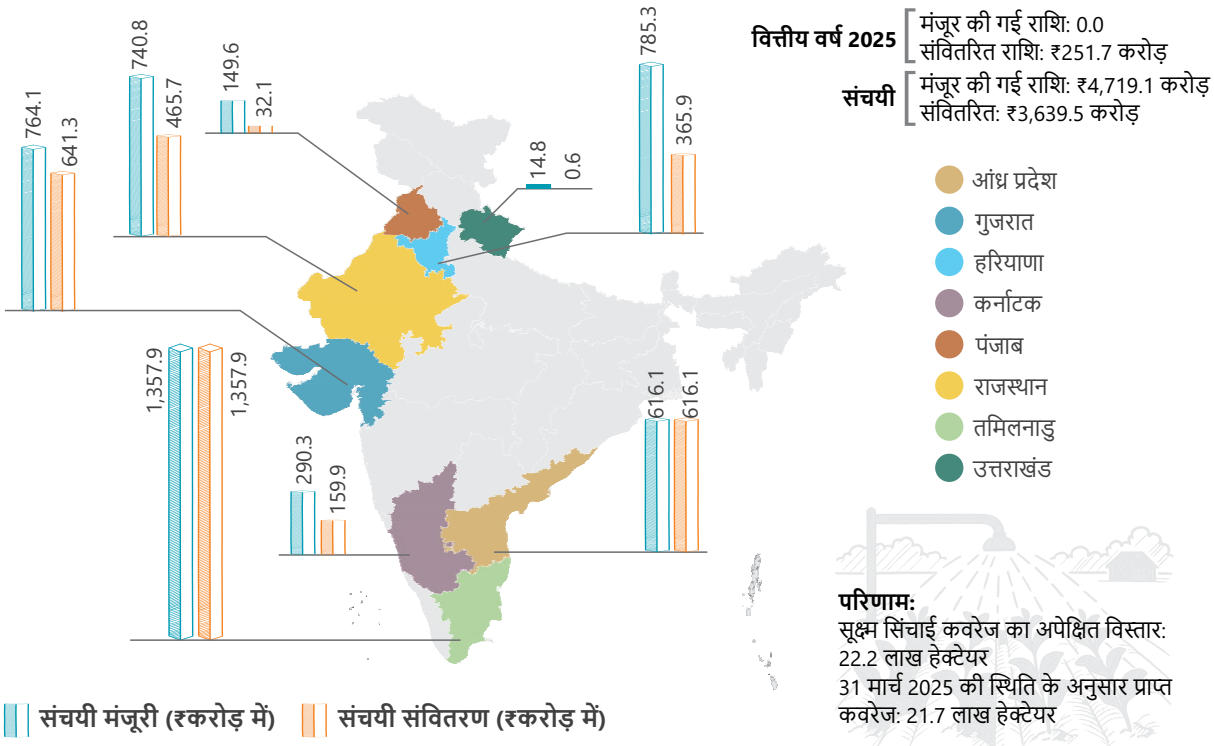
* जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार

एआईबीपी = त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, सीएडीडब्ल्यूएम = कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, एलटीआईएफ – दीर्घावधि सिंचाई निधि

5.4 सूक्ष्म सिंचाई निधि[4]

वित्तीय वर्ष 2020 में, सूक्ष्म सिंचाई निधि की स्थापना ₹5,000 करोड़ की प्रारंभिक समूह निधि के साथ नाबार्ड में की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार में राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करना है. इस निधि का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, इस निधि में अतिरिक्त ₹5,000 करोड़ की वृद्धि की गई. इस निधि में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 2% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है (चित्र 5.5).

चित्र 5.5 : 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एमआईएफ के अंतर्गत कार्य निष्पादन

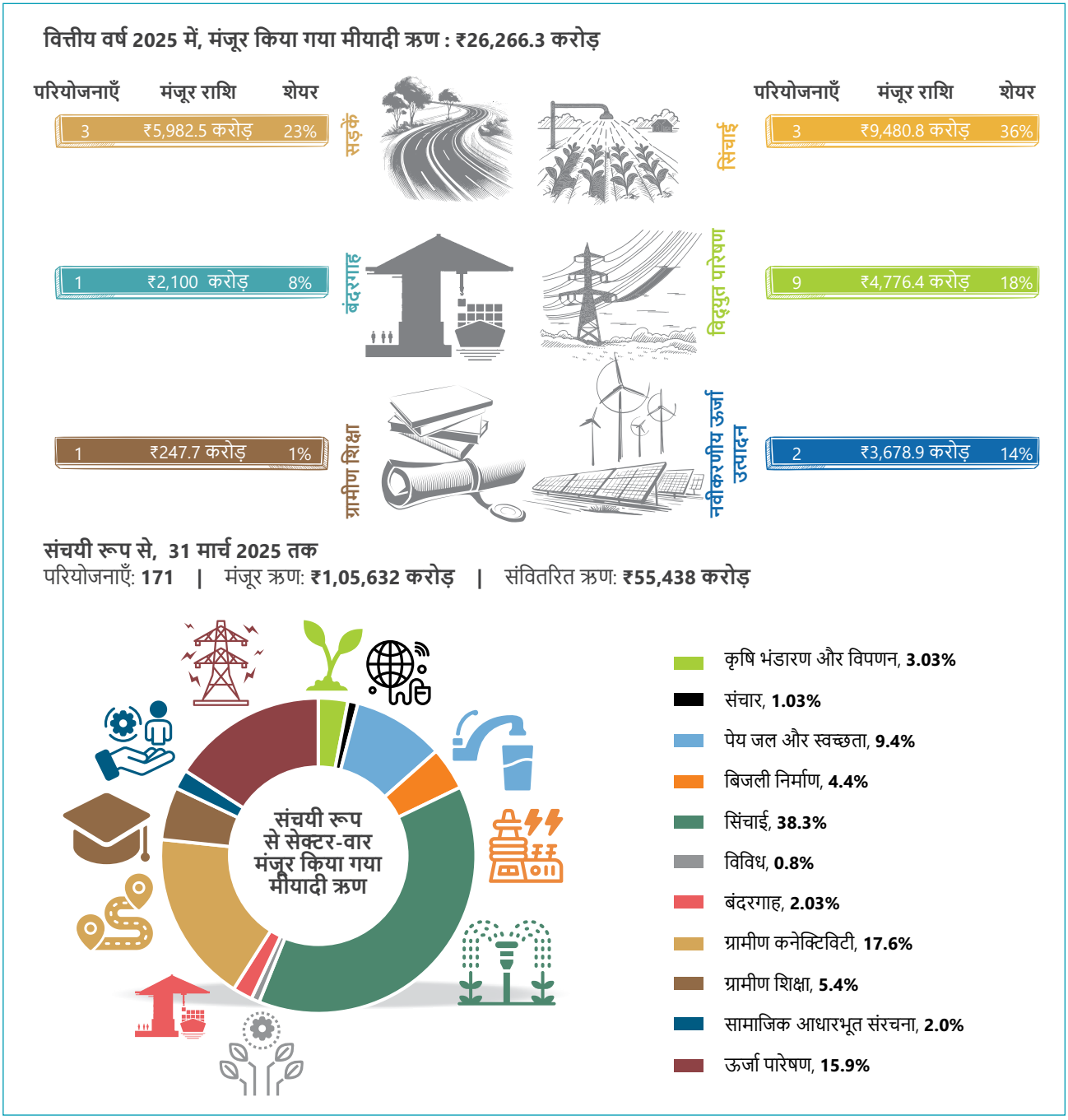


एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि.

5.5 नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता[5]

नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) राज्य सरकारों, उनकी एजेंसियों और अन्य पात्र संस्थाओं को सामाजिक और वाणिज्यिक आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत पारेषण, पेयजल और स्वच्छता तथा ग्रामीण कनेक्टिविटी सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए लचीले और दीर्घकालिक वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है (चित्र 5.6 और 5.7).

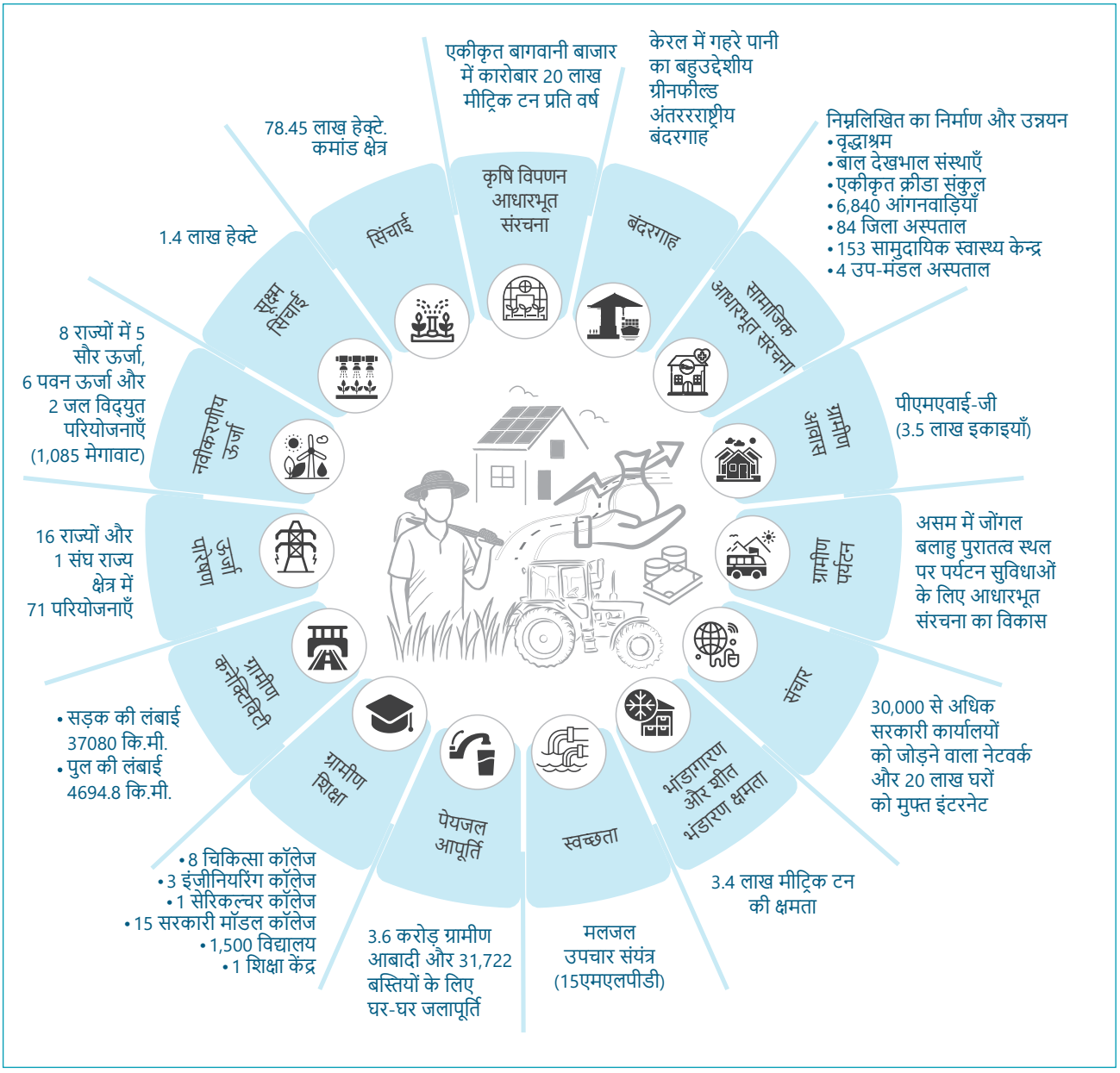
चित्र 5.6: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नीडा के अंतर्गत कार्यनिष्पादन



विव = वित्तीय वर्ष, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता.

नोट: विविध में सूक्ष्म सिंचाई, ग्रामीण आवास और पर्यटन सुविधाएँ शामिल हैं.

चित्र 5.7: नीडा के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के संभावित परिणाम



हेक्टे = हेक्टेयर, एमएलपीडी = मिलियन लीटर प्रति दिन, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता, पीएमएवाई-जी = प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, यूटी = संघ राज्य क्षेत्र

5.6 फसलोपरांत आधारभूत संरचना

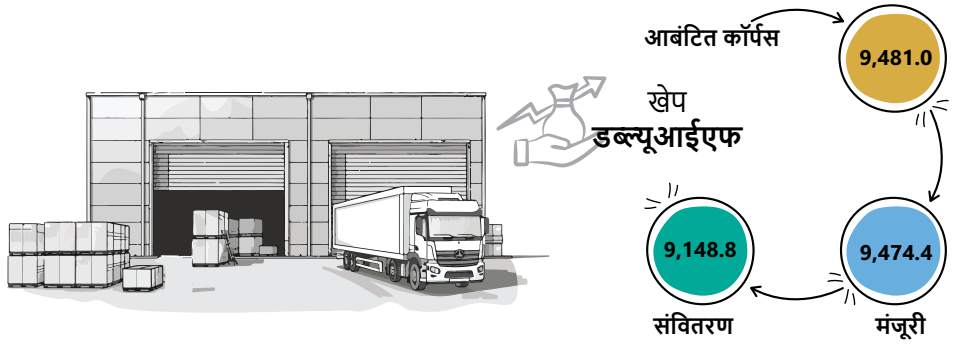
नाबार्ड फसलोपरांत आधारभूत संरचनाओं जैसे भंडारागारों, शीत भांडागारों, प्रसंस्करण इकाइयों, पैकेजिंग केंद्रों आदि की स्थापना के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान करता है (चित्र 5.8–5.10).

5.6.1 भांडागार आधारभूत संरचना निधि[6]

भांडागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को गोदामों, साइलो, शीत भंडारण और अन्य शीत शृंखला

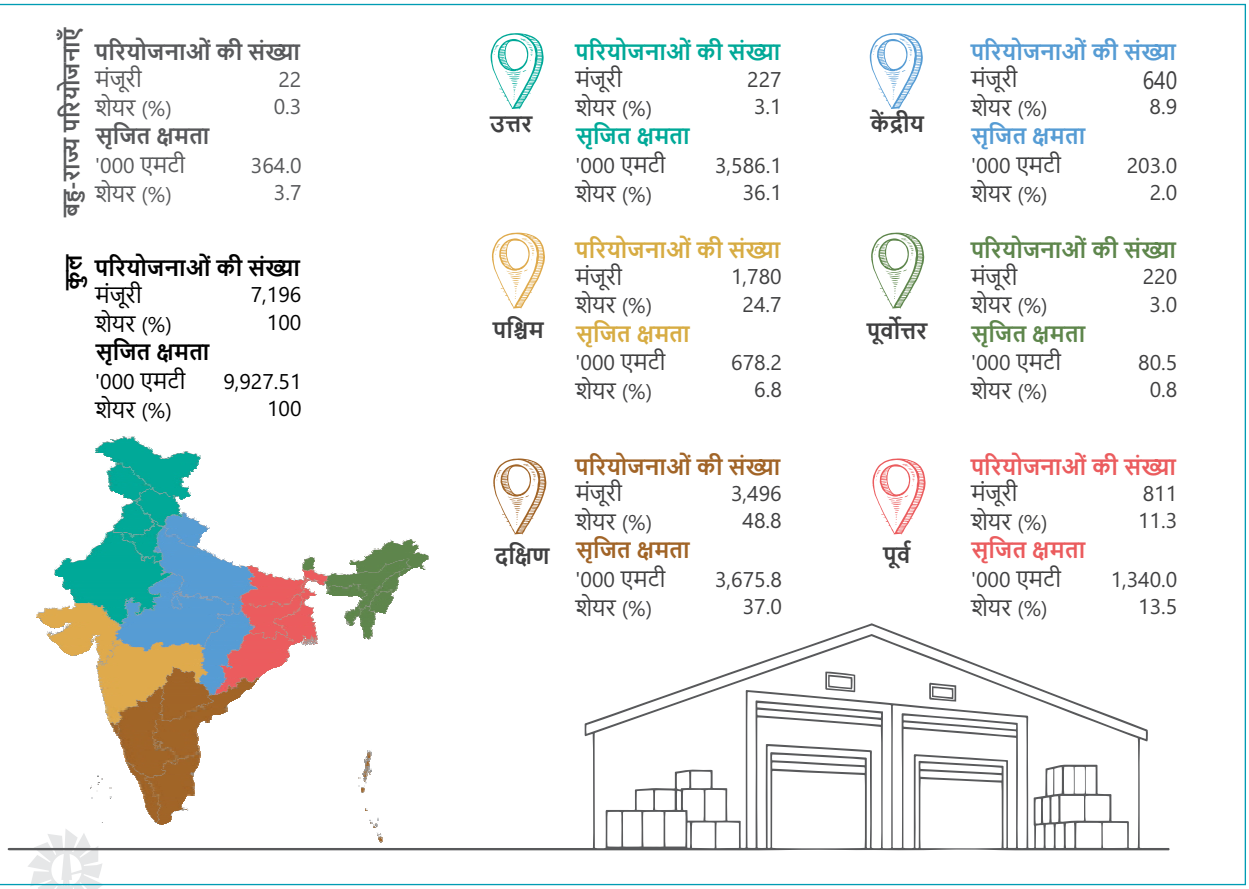
आधारभूत संरचना के विकास हेतु ऋण प्रदान करती है. भंडारण सुविधाओं को सुदृढ़ कर, डब्ल्यूआईएफ़ फ़सलोपरांत हानियों को न्यूनतम करने, किसानों की बाजार तक पहुँच सुधारने और कृषि आपूर्ति शृंखला की दक्षता बढ़ाने का उद्देश्य पूरा करती है.

चित्र 5.8: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत मंजूरी और संवितरण (₹ करोड़)



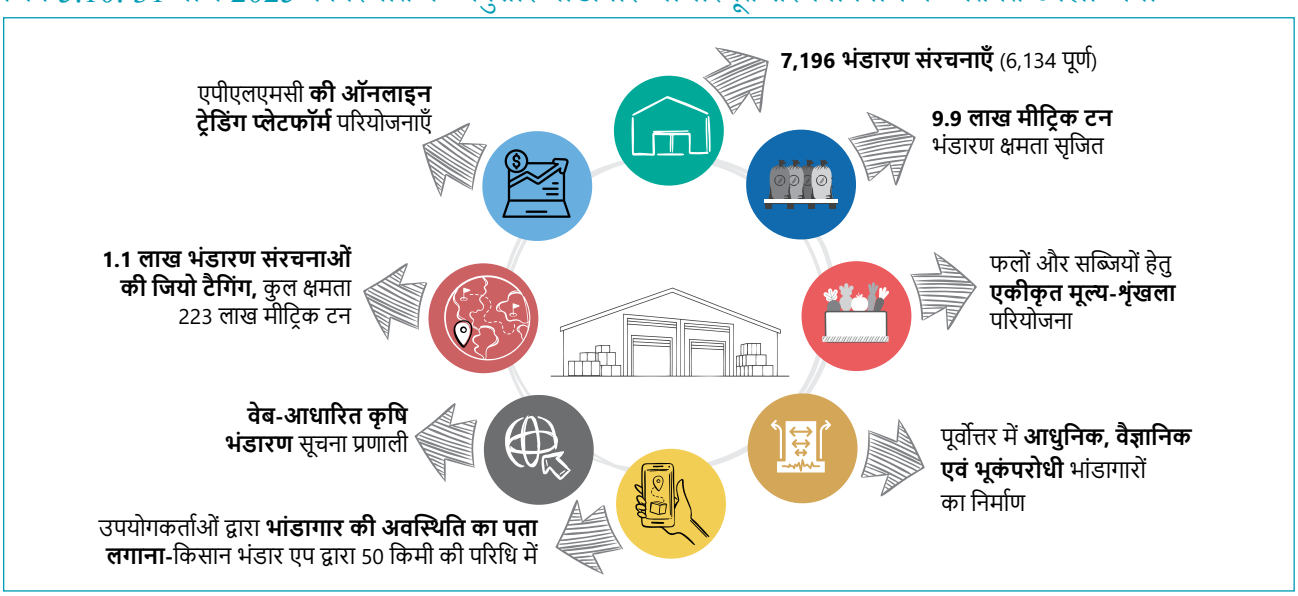
डब्ल्यूआईएफ = भांडागार आधारभूत संरचना निधि.

चित्र 5.9: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत क्षेत्र-वार कार्यनिष्पादन



एमटी = मीट्रिक टन, डब्ल्यूआईएफ = भांडागार आधारभूत संरचना निधि.

चित्र 5.10: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भांडागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत उपलब्धियाँ



एपीएलएमसी = कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन समिति, ई-नाम = राष्ट्रीय कृषि बाजार, किमी = किलोमीटर, एमटी = मीट्रिक टन, एनईआर = पूर्वोत्तर क्षेत्र , डब्ल्यूआईएफ़ = भंडारागार आधारभूत संरचना निधि .

डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत जियो टैग की गई आधारभूत संरचनाओं से संबंधित आँकड़ों को प्रदर्शित करने हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित किया गया है. किसान भंडार ऐप, जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों डिवाइसों के लिए उपलब्ध है, किसानों, व्यापारियों और उत्पादकों को आस-पास की जियो-टैग की गई आस्तियों का पता लगाने में सक्षम बनाता है. इस ऐप और पोर्टल का एक उन्नत संस्करण, जिसे डायनेमिक किसान भंडार ऐप के नाम से जाना जाता है, शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा.

शोकेस 5.3: उत्तर प्रदेश के औरैया में ग्रामीण गोदाम आधारभूत संरचना के माध्यम से खाद्यान्न भंडारण और किसानों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि

परियोजना का नाम : एम.एस. दिबियापुर, औरैया, उत्तर प्रदेश में 5,000 मीट्रिक टन के गोदाम का निर्माण

निष्पादक संस्था : उत्तर प्रदेश राज्य भांडागारण निगम

किया गया व्यय : ₹4.6 करोड़

नाबार्ड सहायता : ₹3.2 करोड़

परियोजना पूरा करने का वर्ष : 2022

स्थान : जिला औरैया, उत्तर प्रदेश

उपलब्धियाँ

निर्मित भंडारण क्षमता : 5,000 मीट्रिक टन

जियोटैग की गई संरचनाओं की संख्या :1

लाभार्थियों की अनुमानित संख्या : 1,500–2,000 किसान

प्रभाव

- यह गोदाम खाद्यान्न के भंडारण हेतु उपयोग में लाया जा रहा है.
- इससे किसान गरजू बिक्री से बच पाते हैं और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं.
- उचित भंडारण से फ़सलोपरांत हानियाँ कम होती हैं और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उपज की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

- यह सुविधा प्रति वर्ष 5 से 7 व्यक्तियों को आवर्ती रूप से रोजगार प्रदान करने में सक्षम मानी जा रही है.
- इसके माध्यम से 10 से 15 व्यक्तियों को अनावर्ती रोजगार भी प्राप्त होने की संभावना है.
- भंडारण हेतु प्रस्तावित वस्तुओं में बाजरा, गेहूँ और चावल शामिल हैं.



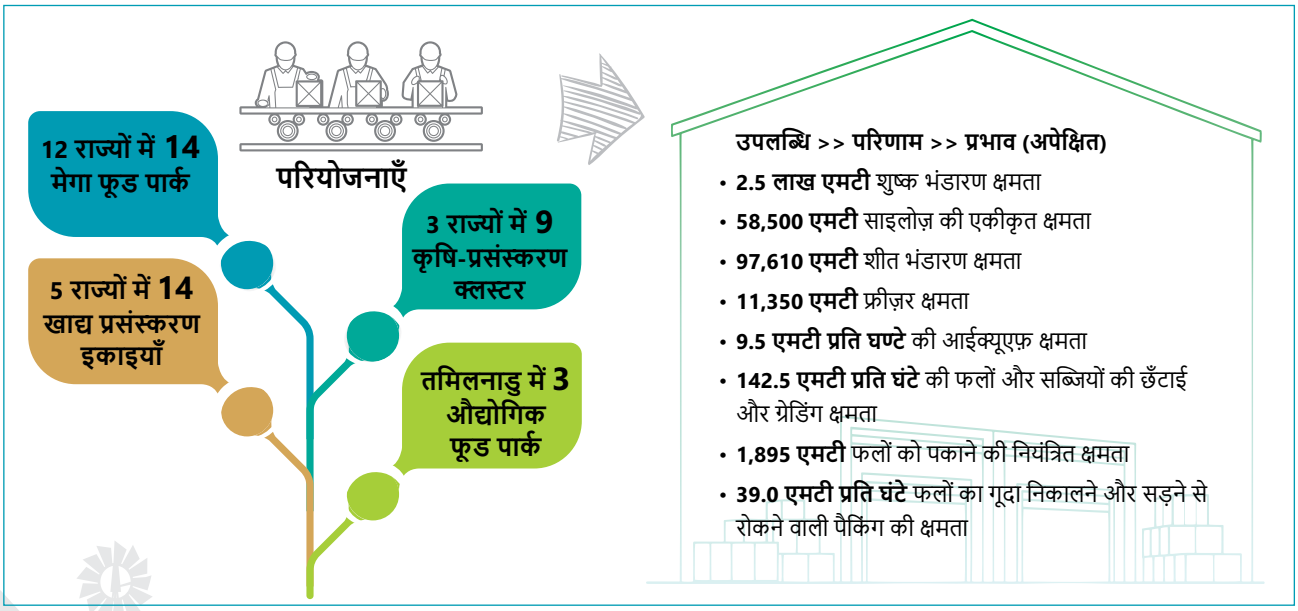
खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम, राज्य भंडारण निगम, दिबियापुर; औरैया, उत्तर प्रदेश.

5.6.2 खाद्य प्रसंस्करण निधि[7]

खाद्य प्रसंस्करण निधि की स्थापना ₹2,000 करोड़ की प्रारंभिक समूह निधि के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य चिह्नित फूड पार्कों में स्थित कृषि -प्रसंस्करण इकाइयों को सुलभ ऋण सुविधा प्रदान करना है. इस पहल का उद्देश्य फसल की कटाई के उपरांत होने वाली हानियों को कम करना, मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना, तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना है.

वित्तीय वर्ष 2025 तक, नाबार्ड ने 16 राज्यों अर्थात् असम, मणिपुर और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं हेतु ₹1,179.7 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है.

चित्र 5.11: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड द्वारा समर्थित खाद्य प्रसंस्करण आधारभूत संरचना



आईक्यूएफ़ = इंडिविजूअली क्विक फ्रोजन, एमटी = मीट्रिक टन.

शोकेस 5.4 :असम में आधुनिक चावल मिल की स्थापना

परियोजना : कार्यकुशलता और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी) प्रणालियों से सुसज्जित चावल मिलिंग इकाई की स्थापना

निष्पादक संस्था: धानश्री न्यूट्रियंट्स फुड्स

स्थान : नार्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क, नाथकुची गांव, तिहू ब्लॉक, नलबाड़ी जिला, असम

वित्तीय विवरण

- **कुल वित्तीय परिव्यय**: ₹2,471.5 लाख
- **नाबार्ड सहायता**: ₹1,400 लाख (13 सितंबर 2019 और 11 जनवरी 2022 को मंजूर किया गया मीयादी ऋण)
- **अनुदान सहायक**: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से ₹480 लाख
- **परियोजना पूरा करने की तिथि**: 30 जून 2022

इंस्टाल की गई क्षमता

उत्पाद का प्रकार	*प्रतिवर्ष क्षमता (मीट्रिक टन)*
धान (कच्चा माल)	39,000
चावल, चोकर, आदि (उत्पादन)	27,300
1. स्टीम्ड चावल	16,380
2. उसना चावल	10,920

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- गतिविधियों में प्री क्लीनिंग, भूसी निकालना, पॉलिश करना, ग्रेडिंग, रंग छँटाई और मिल्ड चावल की बैगिंग शामिल थी.
- 25 कुशल युवाओं को रोजगार
- प्रतिवर्ष लगभग 10,800 व्यक्ति-दिवस आवर्ती रोजगार सृजित
- 500 से अधिक किसान लाभान्वित हुए, जिनमें 200 सीधे तौर पर जुड़े
- कम परिवहन लागत और बेहतर मूल्य प्राप्ति के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि
- टीआईएचयू लेबल के तहत स्थानीय ब्रांडिंग और बाजार में उपस्थिति को बढ़ावा दिया गया.
- पूर्वोत्तर राज्यों और पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में विपणन पहुँच का विस्तार



नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क में चावल मिल, नाथकुची गाँव; नलबाड़ी, असम.

5.6.3 वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान एफपीएफ और डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत नई पहलें

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान एफपीएफ और डब्ल्यूआईएफ के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पहलें की गईं:

1. राज्य परियोजना विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को ई-किसान उपज निधि (ईकेयूएन) पोर्टल में शामिल करने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया. इस पहल का उद्देश्य किसानों को प्लेज फाइनेंस तक आसान पहुँच प्रदान करना और क्रेडिट गारंटी योजना ईएनडब्ल्यूआर प्लेज फाइनेसिंग के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है.
2. एफपीएफ और डब्ल्यूआईएफ, दोनों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की गई ताकि परिचालनों को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके.
3. डायनेमिक किसान भंडार ऐप एवं पोर्टल के उपयोग के लिए भांडागार कार्मिकों हेतु मुंबई, अलीबाग (रायगढ़ जिला) तथा लखनऊ में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

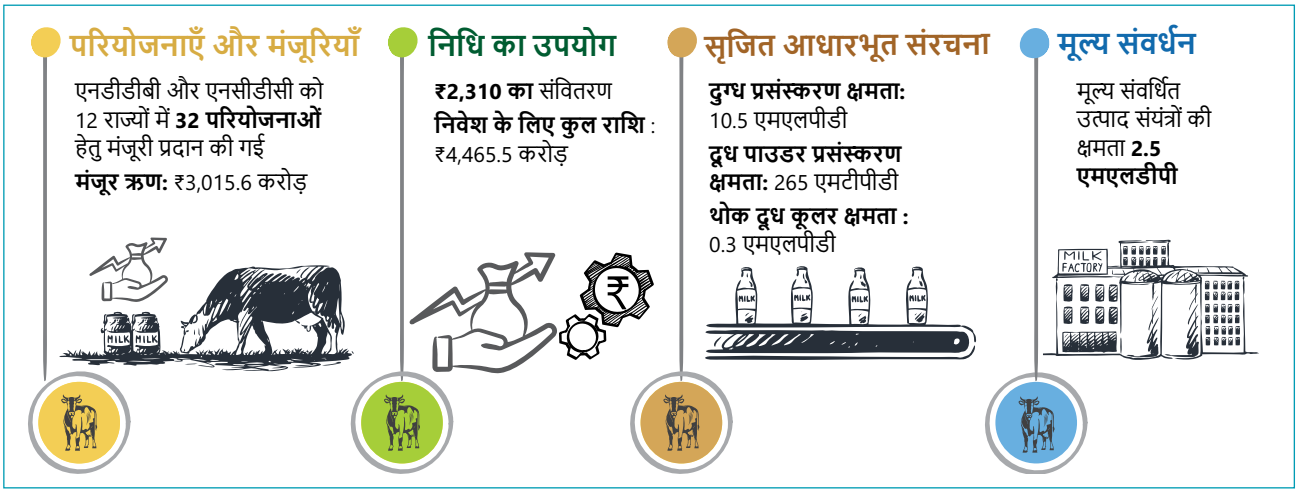
5.7 अन्य आधारभूत संरचना पहलें

5.7.1 डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि

डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना निधि (डीआईडीएफ़) की घोषणा केंद्रीय बजट 2017-18 में की गई थी, जिसका उद्देश्य दूध प्रसंस्करण संयंत्रों एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण करना और अधिक मात्रा में दूध के प्रसंस्करण हेतु अतिरिक्त आधारभूत संरचना का विकास करना और विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना था. इस योजना के तहत कुल ₹8,004 करोड़ की समूहनिधि निर्धारित की गई थी. योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि में नाबार्ड द्वारा एनडीडीबी और एनसीडीसी को ऋण प्रदान किया जाना था, जो आगे पात्र अंतिम उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं (चित्र 5.12).

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीआईडीएफ़ को पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि में शामिल करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है. इस निधि को वित्तीय वर्ष 2026 तक ₹29,110.2 करोड़ के परिव्यय के साथ आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा. विस्तारित एएचआईडीएफ़ योजना के अंतर्गत, नाबार्ड को ऋण देने वाली संस्था के रूप में शामिल किया गया है और तदनुसार नाबार्ड ने डेयरी सहकारी समितियों को ऋण देने हेतु इस योजना को संस्थागत रूप दिया है.

चित्र 5.12: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार डीआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन



डीआईडीएफ = डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि, जीओआई = भारत सरकार, एमएलपीडी = मिलियन लीटर प्रतिदिन, एनसीडीसी = राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, एनडीडीबी = राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एमटीपीडी = मीट्रिक टन प्रतिदिन.

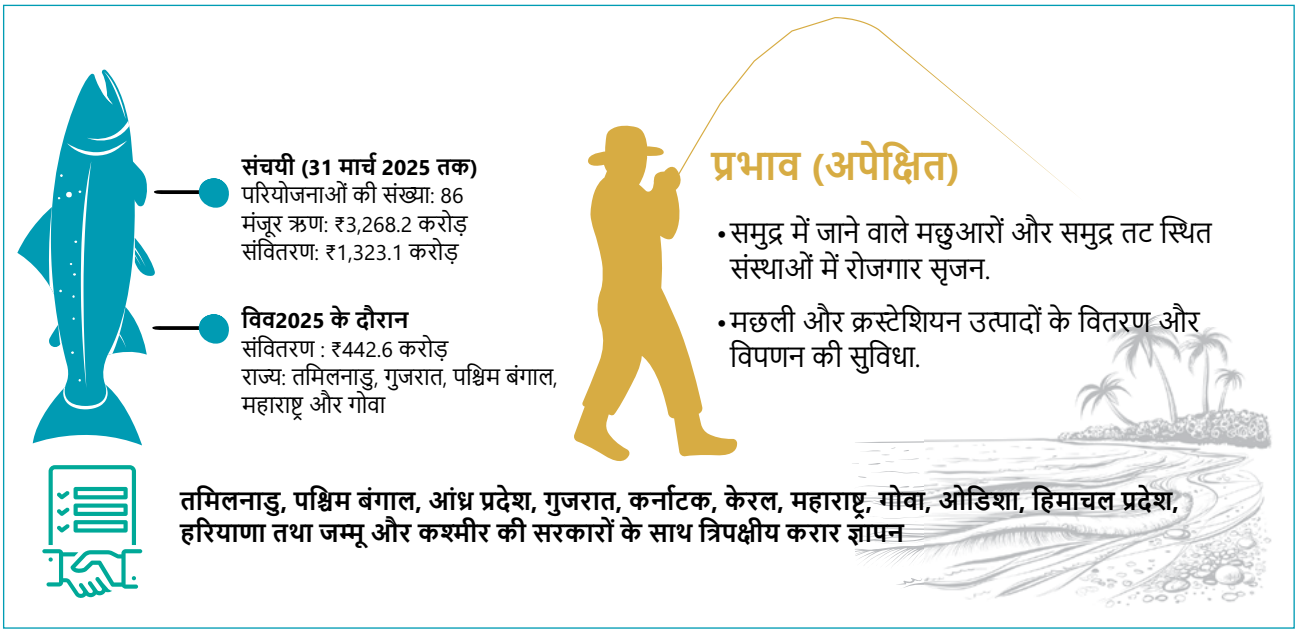
5.7.2 मत्स्य पालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि

मत्स्य पालन आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2018-19 में मत्स्य पालन एवं जलचर पालन आधारभूत विकास निधि (एफआईडीएफ) की शुरुआत पाँच वर्षों के लिए (विव 2019 से विव 2023) कुल ₹7,522.48 की समूह निधि के साथ की थी. इस योजना को अब अनुमोदित निधि के साथ 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है.

एफआईडीएफ के तहत, नोडल ऋणदाता संस्थाओं (एनएलई) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सहकारी समितियों और निजी उद्यमियों को 5% प्रति वर्ष से अन्यून ब्याज दरों पर रियायती ऋण प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 3% ब्याज सहायता और 2 वर्ष की स्थगन अवधि सहित 12 वर्षों की चुकौती अवधि होती है.

नैबसंरक्षण के माध्यम से पात्र एफआईडीएफ परियोजनाओं के लिए ऋण गारंटी सुविधा भी उपलब्ध है, जो पशुपालन और डेयरी विभाग की आधारभूत संरचना विकास निधि की ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत ₹12.5 करोड़ की अधिकतम सीमा तक 25% गारंटी कवर प्रदान करती है (चित्र 5.13).

चित्र 5.13: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एफआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन



एफ़आईडीएफ = मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि.

5.7.3 राज्य सरकारों को आधारभूत संरचना सहायता

नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य सरकारों को ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता (आरआईएएस) की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों को ऐसी महत्वपूर्ण ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ाए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए.

आरआईएएस के अंतर्गत ध्यान देने वाले क्षेत्रों में पूर्व क्षेत्र के राज्य (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल), पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, आकांक्षी जिले और सीमावर्ती जिले शामिल हैं. तथापि आरआईएएस के अंतर्गत देश के सभी भागों की आधारभूत संरचना परियोजनाएँ वित्तपोषण हेतु पात्र रहेंगी, फिर भी ध्यान देने वाले क्षेत्रों के लिए ऋण राशि, मार्जिन आवश्यकता एवं मूल्य निर्धारण के संदर्भ में विभेदीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि आधारभूत संरचना विकास का संवर्धन किया जा सके.

वित्तीय वर्ष 2025 में, आरआईएएस का नवीकरण करते हुए इसमें भौगोलिक क्षेत्र के व्यापक विस्तार, कार्यक्रम आधारित वित्तपोषण, तथा एक 'क्रेडिट-प्लस' दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया. 'क्रेडिट प्लस' दृष्टिकोण के एक भाग में, नाबार्ड परियोजना या कार्यक्रम प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, तथा पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन जैसी मूल्यवर्धित सेवाएँ प्रदान कर सकता है.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, छत्तीसगढ़, केरल और राजस्थान (आकांक्षी जिला : बाराँ) की राज्य सरकारों को सिंचाई, किफायती आवास, कृषि, तथा जलवायु स्थिरता से संबंधित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ₹3,187.5 करोड़ के मीयादी ऋण को मंजूरी दी गई. 31 मार्च 2025 तक, आरआईएएस के अंतर्गत कुल ₹65.2 करोड़ की राशि का संवितरण हुआ.

5.8 आगे की राह

ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण अब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की सतत रूप से बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए ताकि संधारणीयता, समावेशिता और अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित की जा सके. आगे बढ़ते हुए, नाबार्ड जलवायु अनुकूल और हरित आधारभूत संरचना परियोजनाओं में अपनी भागीदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, तथा योजना निर्माण से लेकर वित्तपोषण तक की समस्त प्रक्रियाओं में संधारणीयता को एकीकृत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है.

नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में निजी एवं संस्थागत निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु ब्लेंडेड फाइनेंस और इम्पैक्ट बॉन्ड्स जैसे नवोन्मेषी वित्तीय मॉडलों को अपनाते हुए सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा. समावेशी और विकेंद्रीकृत विकास के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थाओं के साथ साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाना नितांत आवश्यक रहेगा.

इसके अतिरिक्त, दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय आधारित और विकेंद्रीकृत आधारभूत संरचना के लिए ऋण तक पहुँच का विस्तार समावेशी ग्रामीण परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा. एक रणनीतिक, समन्वित और नवोन्मेष-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास समानता-आधारित आर्थिक वृद्धि और ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रभावी उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है.

नोट

1. https://www.nabard.org/content1.aspx?id=573&catid=8&mid=8.
2. https://www.nabard.org/auth/writereaddata/File/Rural%20Infrastructure%20Promotion%20Fund%20(RIPF).pdf.
3. https://www.nabard.org/content1.aspx?id=655&catid=8&mid=8
4. https://www.nabard.org/content1.aspx?id=1720&catid=8&mid=8.
5. https://www.nabard.org/content1.aspx?id=2800&catid=8&mid=8
6. https://www.nabard.org/content1.aspx?id=571&catid=8&mid=8.
7. https://www.nabard.org/content.aspx?id=570.



6

6.1 ऋण आयोजना
6.2 पुनर्वित्त ऋण का स्नैपशॉट
6.3 वित्तीय वर्ष 2025 में पुनर्वित्त ऋण में नई पहलें
6.4 ऋण विस्तार के अन्य साधन
6.5 ऋण वितरण पारिस्थितिकी तंत्र दक्षता में सुधार लाना
6.6 वित्तीय समावेशन बढ़ाना
6.7 आगे की राह

वित्तीय समावेशन के लिए ऋण की आयोजना और वितरण

ऋण तक आसान पहुँच के माध्यम से ग्रामीण विकास बढ़ाने के अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप नाबार्ड ने गत चार दशकों के दौरान जमीनी स्तर के समुदायों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की है. नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति और ग्रामीण विकास को समर्पित विविध ऋण उत्पादों ने कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है जिससे खाद्यान्न और बागबानी फसलों के उत्पादन को गति प्राप्त हुई है.

ऋण के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड ने त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है:

- ऋण आयोजना और अनुप्रवर्तन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
- अपने पुनर्वित्त और प्रत्यक्ष वित्त के उत्पादों के माध्यम से यह अंतिम सिरे तक ऋण की पहुँच सुनिश्चित करता है.
- ग्रामीण ऋण की माँग को प्रोत्साहित करने के लिए यह वित्तीय समावेशन को गहराई तक ले जाता है.

6.1 ऋण आयोजना

भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को संस्थागत ऋण की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सर्वोपरि है. यह देखते हुए कि देश में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, समय पर ऋण प्रवाह और भी अधिक महत्व रखता है. अतः प्रभावी ऋण योजना में माँग-पक्ष की आवश्यकताओं का एक सुदृढ़ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए.है.

इस संदर्भ में सरकार कृषि क्षेत्र के लिए वार्षिक आधार-स्तरीय ऋण (जीएलसी) लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा पूरा किया जाना है.[1]

नाबार्ड प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक संभाव्यता-युक्त ऋण योजनाएँ (पीएलपी) तैयार करता है, जिसमें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान ऋण संभाव्यता का आकलन किया जाता है ताकि जिला स्तर पर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया जा सके. इसके अतिरिक्त, संभाव्यता-युक्त ऋण योजनाओं में आधारभूत संरचनाओं की कमियों और वांछित सहायक सेवाओं का एक वृहद् चित्रण किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार ₹27.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के समक्ष 105% की उपलब्धि दर्ज करते हुए कुल ₹28.7 लाख करोड़ (अनंतिम) के कृषि ऋण का संवितरण किया गया (चित्र 6.1). नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए ऋण प्रवाह का अनुमान लगाने वाली 761 संभाव्यता-युक्त ऋण योजनाएँ तैयार कीं, जिनमें 782 जिलों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया. ये योजनाएँ आपूर्ति-पक्ष के दृष्टिकोण से बैंकों के लिए उनकी ऋण योजनाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध कराती हैं.

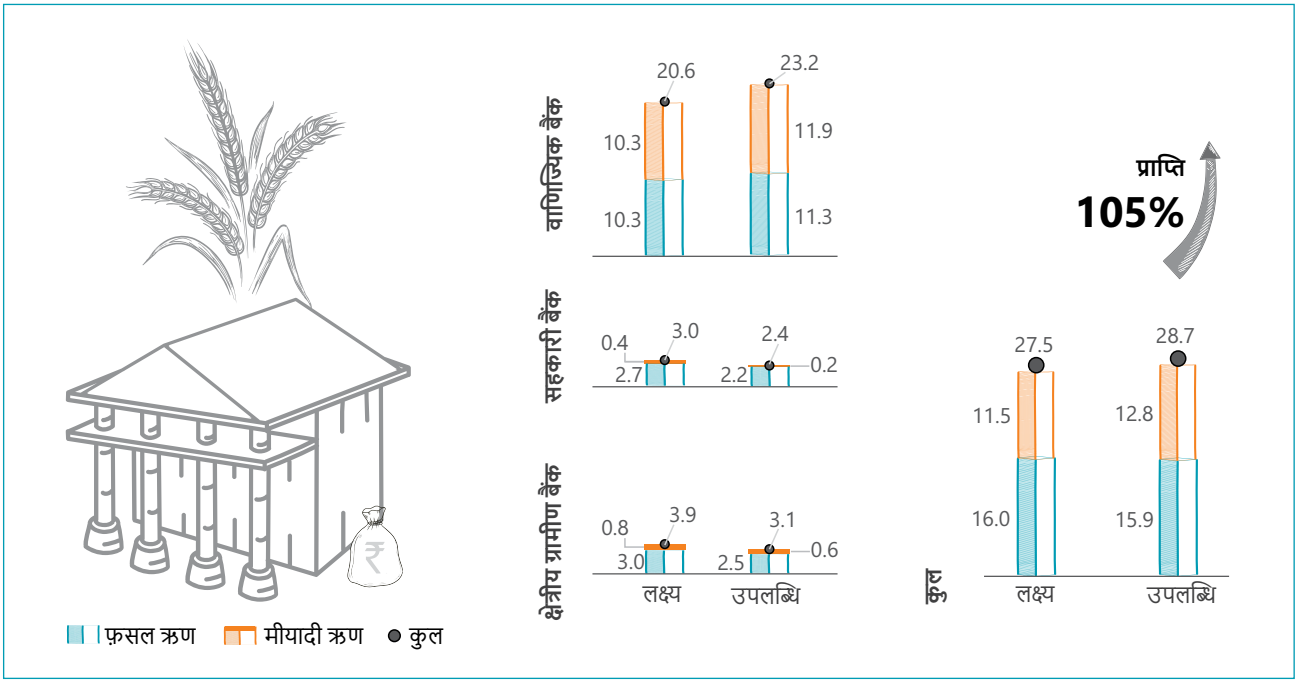
जिला-स्तरीय संभाव्यतायुक्त ऋण योजनाओं में आकलित ऋण संभाव्यता को समेकित कर राज्य के स्तर पर स्टेट फोकस पेपर (एसएफपी) तैयार किए जाते हैं. ये दस्तावेज समग्र ऋण संभाव्यताओं का खाका प्रस्तुत करते हैं, क्षेत्रीय और आधारभूत संरचना संबंधी कमियों की पहचान करते हैं तथा रणनीतिक सहयोगों के सुझाव देते हैं. साथ ही ये विद्यमान अवसरों का लाभ उठाने हेतु सरकारी विभागों से अपेक्षित सहयोग को भी इंगित करते हैं.

इसके लिए नाबार्ड ने देश भर में 507 जिला विकास प्रबंधकों (डीडीएम) को तैनात किया है ताकि ऋण आयोजना की निगरानी की जा सके, ऋण प्रवाह का अनुप्रवर्तन किया जा सके तथा जिला-स्तरीय विकास हितधारकों और एजेंसियों के बीच समन्वय सुगम हो सके.

6.1.1 पीएलपी-एसएफ़पी के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया की संरचना

मानवीय हस्तक्षेप को कम-से-कम करने और समग्र पठनीयता में सुधार लाने एवं दस्तावेज़ की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025 में संभाव्यतायुक्त ऋण योजनाओं और स्टेट फोकस पेपरों को तैयार करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकृत कर दिया गया. अब पीएलपी के लिए डेटा संग्रहण एन्श्योर पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जा रहा है, इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2026 के लिए स्टेट फोकस पेपरों को भी एन्श्योर पोर्टल पर जिला विकास प्रबंधकों द्वारा पीएलपी तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सूचनाओं के उपयोग से डिजिटल रूप से संकलित किया गया है.

चित्र 6.1: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एजेंसियों द्वारा कृषि के लिए आधार स्तरीय ऋण (अनंतिम आँकड़े) (₹ लाख करोड़)



नोट: पूर्णांकन के कारण अंकों का जोड़ कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है.





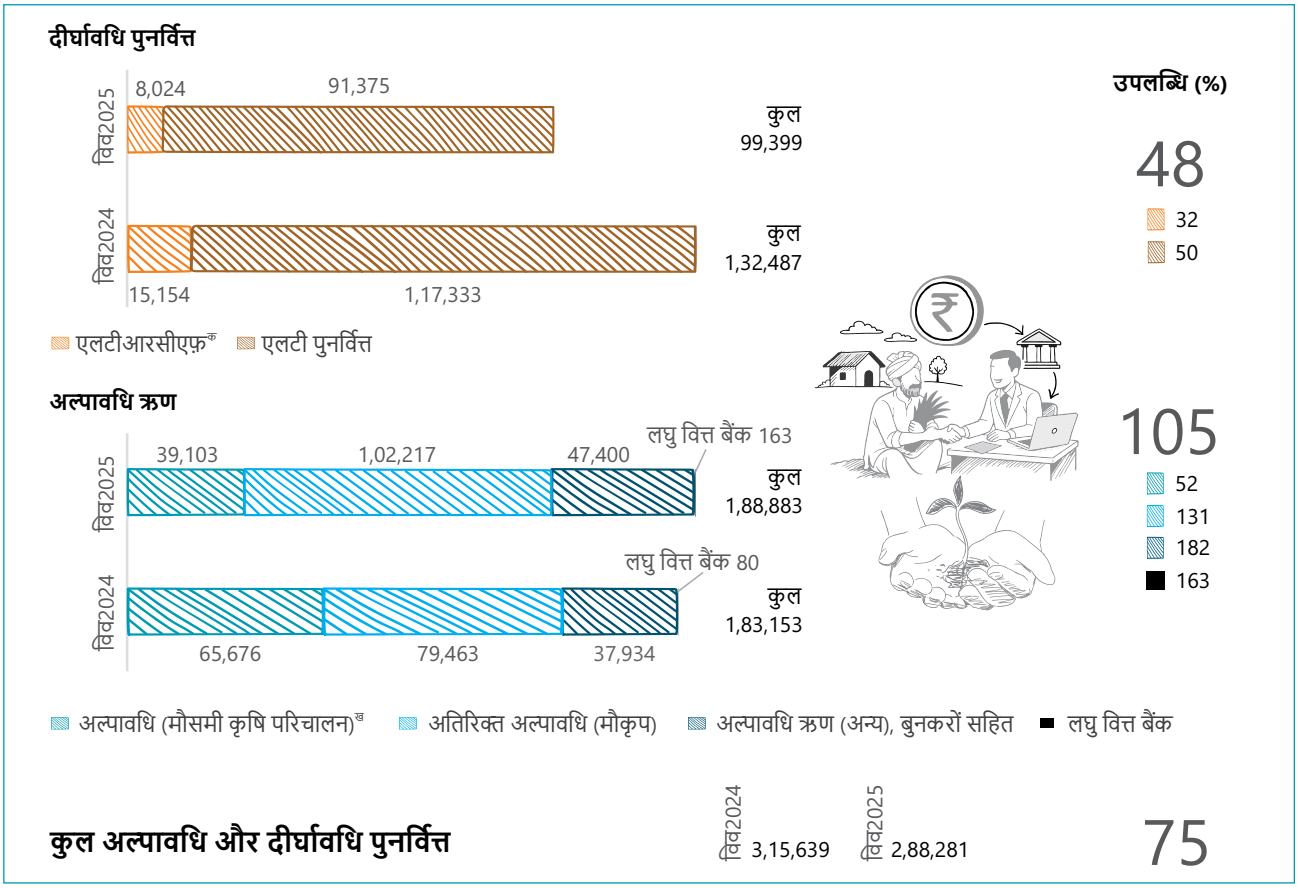


राजस्थान और केरल के जिलों में पीएलपी और एसएफ़पी का विमोचन

6.2 पुनर्वित्त ऋण की झलक

ऋण की योजनाएँ तैयार करने के अतिरिक्त, नाबार्ड पुनर्वित्त गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण ऋण प्रवाह को बढ़ाता है (चित्र 6.2).

चित्र 6.2 दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता (₹ करोड़ में)



क. ₹25,000 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹8,024 करोड़ जारी किए

ख. ₹75,000 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹39,103 करोड़ जारी किए

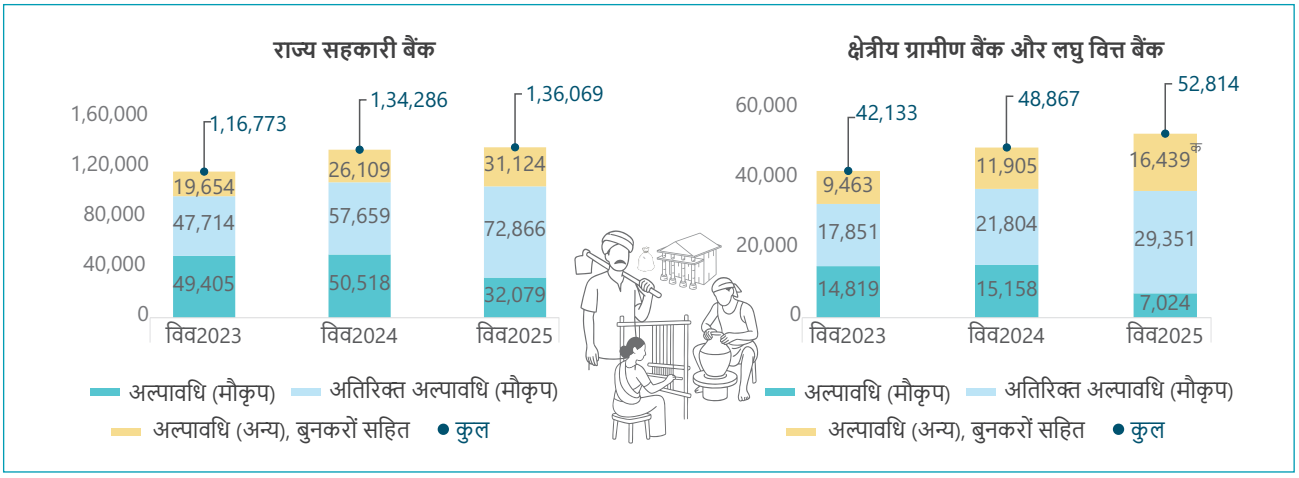
एलटी=दीर्घावधि, एलटीआरसीएफ़ = दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि, आरबीआई = भारतीय रिज़र्व बैंक, एसएफ़बी = लघु वित्त बैंक, एसटी = अल्पावधि, एसटी (एसएओ) = मौसमी कृषि परिचालनों के लिए अल्पावधि ऋण.

6.2.1 अल्पावधि पुनर्वित्त का कार्यनिष्पादन

किसानों, बुनकरों और ग्रामीण कारीगरों की उत्पादन और कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड अल्पावधि ऋण सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, कुल ₹1.9 लाख करोड़ का अल्पावधि पुनर्वित्त संवितरित किया गया, जिसमें से 72% राज्य सहकारी बैंकों (रास बैंकों) को संवितरित किया गया.

नाबार्ड की अल्पावधि ऋण सहायता के अंतर्गत संवितरणों में वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 3.1% की वृद्धि दर्ज हुई. क्षेत्रवार देखें तो, सबसे अधिक 45.7% अल्पावधि पुनर्वित्त का हिस्सा दक्षिणी क्षेत्र के खाते में गया, उसके बाद उत्तरी क्षेत्र (17.7%), मध्य क्षेत्र (15.9%) और पूर्वी क्षेत्र (12.1%) का स्थान रहा. अल्पावधि पुनर्वित्त संवितरण में पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा सबसे कम (8.3%) रहा (चित्र 6.4).[2]

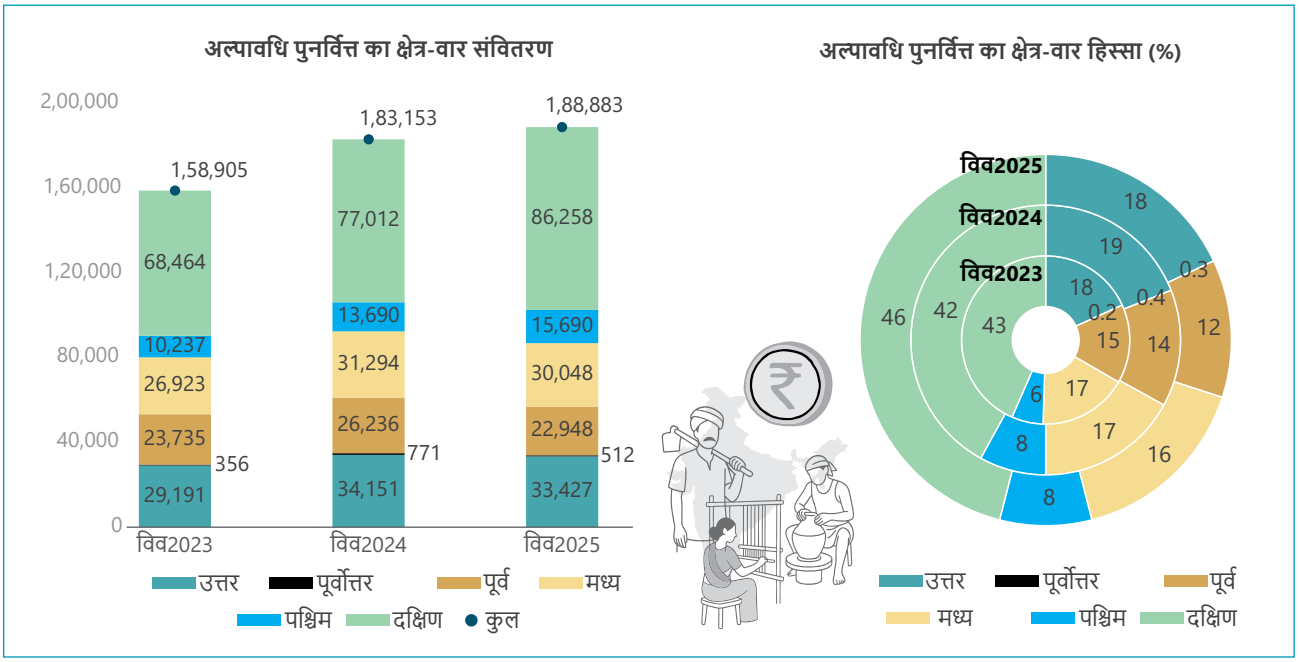
चित्र 6.3 एजेंसियों द्वारा अल्पावधि पुनर्वित्त का संवितरण (₹ करोड़)



क. लघु वित्त बैंकों को ₹163 करोड़ का संवितरण किया गया.

आरआरबी = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एसएफ़बी = लघु वित्त बैंक, एसएलएफ़ = विशेष तरलता सुविधा, एसटी = अल्पावधि, एसटीसीबी = राज्य सहकारी बैंक, एसटी (एसएओ) = अल्पावधि ऋण (मौसमी कृषि परिचालन).

चित्र 6.4: अल्पावधि पुनर्वित्त का क्षेत्र-वार संवितरण और हिस्सा (₹ करोड़)



नोट:

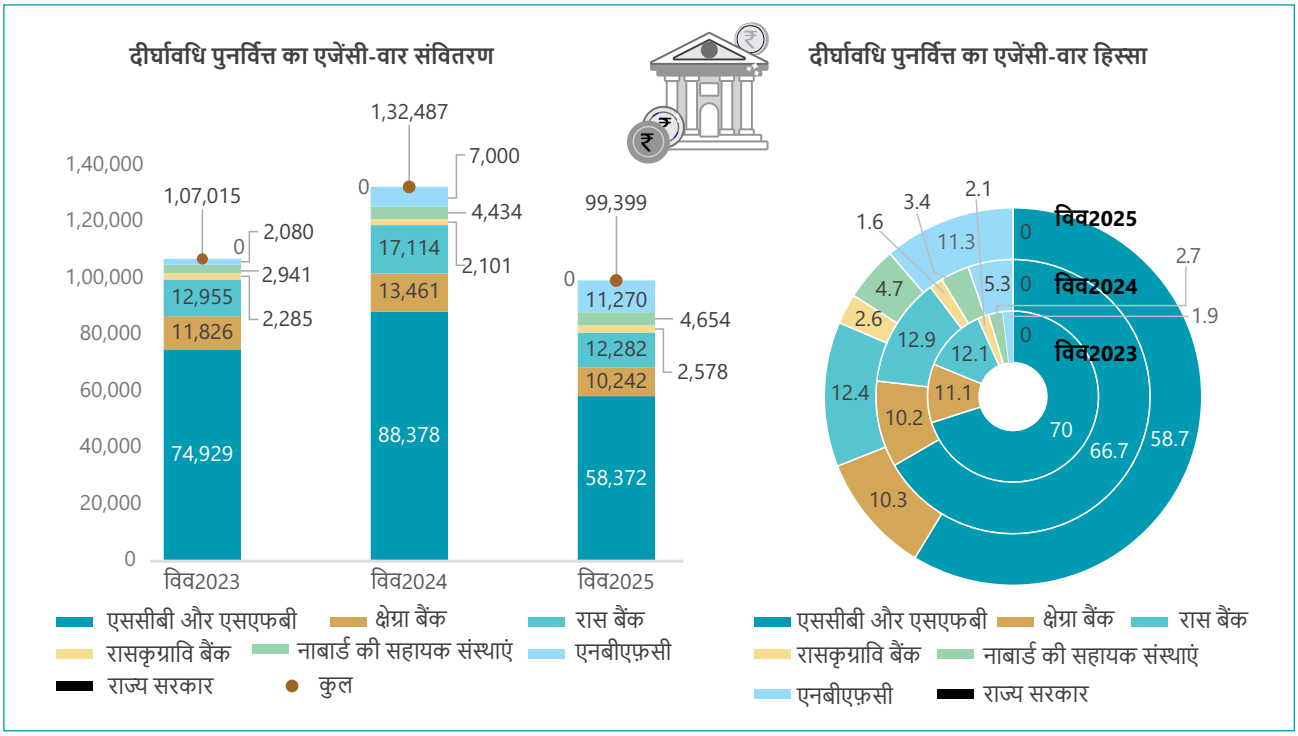
i. पूर्णांकन के कारण अंकों का जोड़ कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है.

ii. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्र-वार सूची के लिए कृपया अध्याय 6 के अंत में दिया गया नोट 2 देखें.

6.2.2 दीर्घावधि पुनर्वित्त का कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत ₹99,399 करोड़ का संवितरण किया गया (चित्र 6.5). इस संवितरण का एक बड़ा हिस्सा (59%) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को गया जिनमें लघु वित्त बैंक भी शामिल थे, इसके बाद राज्य सहकारी बैंकों को 12% और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 11% का हिस्सा प्राप्त हुआ. दीर्घावधि पुनर्वित्त में भी क्षेत्रीय असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है क्योंकि पुनर्वित्त की अधिकतम हिस्सेदारी दक्षिणी क्षेत्र (41.8%) की रही, इसके बाद पश्चिम (25.9%), उत्तर (11.1%), पूर्व (9.9%), मध्य (9.5%) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (1.7%) की हिस्सेदारी रही (चित्र 6.6).

चित्र 6.5: दीर्घावधि पुनर्वित्त का एजेंसी-वार संवितरण (₹ करोड़)



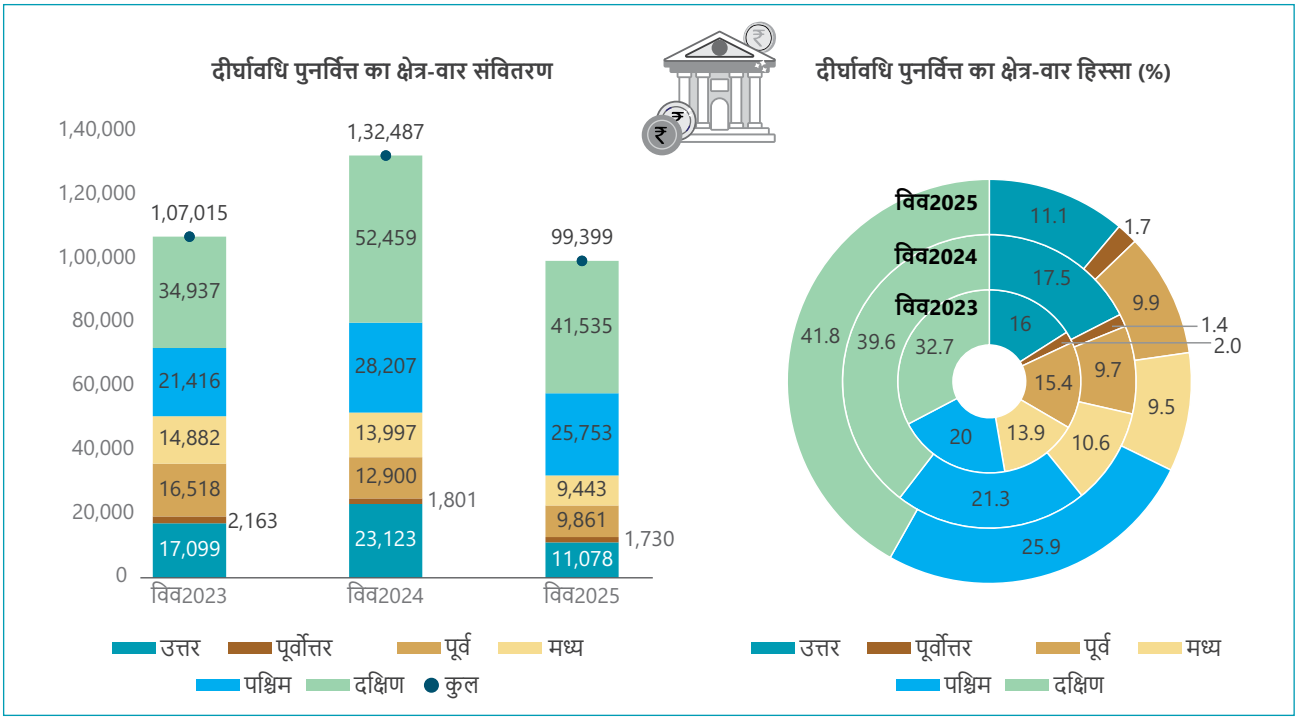
सीबी = वाणिज्यिक बैंक, एनबीएफ़सी = गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि ओर ग्रामीण विकास बैंक, एससीबी = अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एसएफ़बी = लघु वित्त बैंक, एसटीसीबी = राज्य सहकारी बैंक.

नोट: पूर्णांकन के कारण अंकों का जोड़ कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है.



नाबार्ड से प्राप्त दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण के माध्यम से संधारणीय ऋण वितरण हेतु ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का क्षमता-वर्धन.

चित्र 6.6: दीर्घावधि पुनर्वित्त का क्षेत्र-वार संवितरण और हिस्सा (₹ करोड़)



नोट्स:

i. पूर्णांकन के कारण अंकों का जोड़ कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है.

ii. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्र-वार सूची के लिए कृपया अध्याय 6 के अंत में दिया गया नोट 2 देखें.

6.3 वित्तीय वर्ष 2025 में पुनर्वित्त ऋण में नई पहलें

6.3.1 विशेष पुनर्वित्त योजनाएँ

- **आवास सेक्टर में सौर रूफ़टॉप प्रणालियों की स्थापना**: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में सौर ऊर्जा अपनाने हेतु प्रोत्साहन देना है. इसके अंतर्गत 200 वॉट (W) से 10 किलोवॉट (kW) तक की रूफटॉप सौर प्रणालियों के लिए रियायती पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है. वित्तीय संस्थाओं की ऋण तक पहुँच को सुव्यवस्थित करने हेतु यह पुनर्वित्त स्वत: पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ) के अंतर्गत मंजूर किया जाता है.
- **सौर रूफ़टॉप के साथ ग्रामीण आवास**: यह पहल ग्रामीण आवासन के साथ सौर ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ावा देती है. इसके अंतर्गत मकान हेतु दिए जाने वाले आवास ऋण के साथ रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली को जोड़ा जाता है. नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के आधार पर ब्याज में 0.5% की छूट दी जाती है. इस योजना के लिए ₹200 करोड़ का कॉर्पस रखा गया है. यह पुनर्वित्त स्वत: पुनर्वित्त सहायता (एआरएफ) के तहत मंजूर किया जाता है.
- **आकांक्षी ज़िले**: यह योजना आकांक्षी ज़िलों और उन ज़िलों में चलाई जा रही है जहाँ प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण (पीएसएल) के तहत कवरेज कम रहा. इसके अंतर्गत ज़िलों में संधारणीय आर्थिक गतिविधियों, आजीविकाओं और रोज़गार सृजन को सहयोग प्रदान किया जाता है. रियायती पुनर्वित्त के माध्यम से यह योजना इन क्षेत्रों में ऋण वितरण में वृद्धि करने और ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करती है.

- **पशुपालन आधारभूत संरचना विकास (एएचआईडी)**: पशुपालन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की कमियों को दूर करने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र गतिविधियों के लिए रियायती पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है.

6.3.2 एन्श्योर 2.0 का शुभारंभ और उसका एआईएफ़ पोर्टल के साथ एकीकरण

नाबार्ड, कृषि विपणन आधारभूत संरचना (एएमआई) योजना का कार्यान्वयन करता आ रहा है. इसके अंतर्गत गत कुछ वर्षों से एन्श्योर 1.0 पोर्टल के माध्यम से दावों को ऑनलाइन में प्रस्तुत किया जाता रहा है. कार्यदक्षता और परिचालनों में सरलता बढ़ाने की दृष्टि से नाबार्ड ने उन्नत विशेषताओं को शामिल करते हुए एन्श्योर 2.0 पोर्टल विकसित किया है.

भारत सरकार द्वारा कृषि विपणन आधारभूत संरचना योजना को उसके कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के साथ अभिसरण को अनुमोदन प्रदान करने के बाद, एन्श्योर 2.0 को एआईएफ पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है. इस एकीकरण से पात्र दावों को एन्श्योर पोर्टल पर निर्बाध रूप से अंतरित करना सक्षम हो गया है, जिससे एएमआई योजना के अंतर्गत सब्सिडियों का संसाधन और संवितरण निर्बाध हो गया है.

6.4 ऋण विस्तार के अन्य साधन

अल्पावधि और दीर्घावधि पुनर्वित्त सहयोगों के अतिरिक्त नाबार्ड, पुनर्वित्त के नए उत्पादों के साथ-साथ विशेष योजनाओं के लिए भी निधियों को चैनलाइज़ करता है, जिनके विवरण नीचे संक्षेप में दिए गए हैं (चित्र 6.7).



पुनर्वित्त की विशेष योजनाएँ और नए उत्पाद जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं (दक्षिणावर्त): एमएससी के रूप में पैक्स, सौर रूफ़टॉप प्रणालियाँ, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, और डब्ल्यूएलजीएसपी.

चित्र 6.7: वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान विशेष पुनर्वित्त योजनाओं और नए पुनर्वित्त उत्पादों का कार्यनिष्पादन



आकांक्षी जिले

आकांक्षी जिलों और कम पीएसएल वाले जिलों में संधारणीय आर्थिक गतिविधियों, आजीविका और रोजगार संवर्धन के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना (एसआरएस).
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹157.2 करोड़



सोलर रूफ़टॉप प्रणालियाँ

आवासीय सेक्टर में सोलर रूफ़टॉप प्रणालियों की स्थापना को सहयोग के लिए एसआरएस.
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹44.6 करोड़
ग्रामीण आवास ऋणों के साथ रूफटॉप सोलर प्रणालियों को जोड़ने के लिए एसआरएस.

- कॉर्पस: ₹200 करोड़
- ब्याज दर में 0.5% की छूट, प्रतिपूर्ति के आधार पर



एमएससी के रूप में पैक्स

3 वर्षों की समयावधि में पैक्स को एमएससी के रूप में परिवर्तित करने के लिए एसआरएस, वित्तीय वर्ष 2021 से प्रारंभ.
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹321.8 करोड़



डब्ल्यूएलजीएसपी

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोगिक रूप से चलाई जा रही विश्व की सबसे बड़े अन्न भंडारण योजना (डबल्यूएलजीएसपी) के लिए रियायती दरों पर पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है. चरण II में, इस परियोजना को प्रत्येक जिले के पाँच पैक्स में रोल आउट किया जा रहा है; कार्यक्रम का कार्यान्वयन चल रहा है.



सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत संवर्धित की जा रही सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए रियायती दरों पर प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता.
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹291.3 करोड़.



एआईएफ़ के अंतर्गत वित्तपोषण

एआईएफ़ के अंतर्गत पात्र गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ग्रामीण सहकारी बैंकों और नाबार्ड की सहायक संस्थाओं को प्रदान की जा रही रियायती पुनर्वित्त सहायता.
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹123.3 करोड़



वॉश

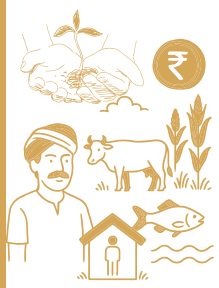
ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वॉश गतिविधियों के लिए बैंकों और पात्र वित्तीय संस्थाओं को रियायती पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध है.
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹97.0 करोड़

एआईएफ़ = कृषि अवसंरचना कोष, एमएससी= बहु-सेवा केंद्र, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समिति, एसआरएस = विशेष पुनर्वित्त योजना, वॉश = जल, स्वच्छता और आरोग्य, एसटी = अल्पावधि, डब्ल्यूएलजीएसपी = सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना.
नोट: इन पुनर्वित्त उत्पादों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया नाबार्ड (2023) की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई का पृष्ठ सं. 75 देखें. https://www.nabard.org/pdf/2023/annual-report-2022-23-full-report.pdf.

एथनॉल के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ब्याज सहायता अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सैचुरेशन और ऋण-युक्त सब्सिडी कुछ ऐसे अन्य उत्पाद हैं जिनका प्रभावी प्रबंधन, नाबार्ड द्वारा भारत सरकार के लिए किया जा रहा है (चित्र 6.8).

चित्र 6.8: वित्तीय वर्ष 2025 में अन्य ऋण उत्पादों का कार्यनिष्पादन

ब्याज सहायता योजनाएँ

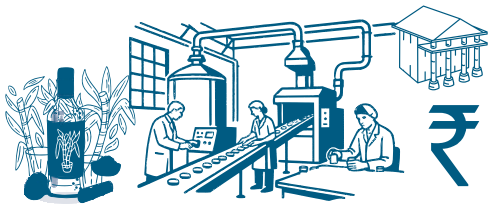


- ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए फ़सल ऋण ब्याज सहायता योजना
- लघु और सीमांत किसानों को फसल उत्पादन के लिए और परक्राम्य भांडागार रसीद के समक्ष, ऋण के लिए ब्याज सहायता
- पशुपालन और मत्स्यपालन में किसानों द्वारा तत्पर चुकौती के फलस्वरूप ब्याज सहायता
- केसीसी धारक किसानों को अल्पावधि ऋणों (फसलों, पशुपालन, अथवा मत्स्यपालन के लिए) पर ब्याज सहायता
- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ब्याज सहायता योजना

वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण

- अल्पावधि फ़सल ऋणों के लिए : ₹9,831.4 करोड़
- डीएवाई - एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के माध्यम से महिला एसएचजी को : ₹1,159.8 करोड़

एथनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ाने हेतु चीनी मिलों को वित्तीय सहायता



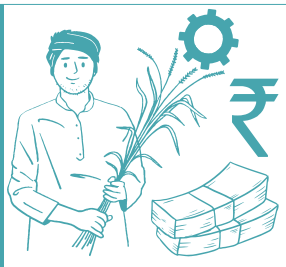
वित्तीय वर्ष 2025

- ग्रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ₹604 करोड़ की ब्याज सहायता

31 मार्च 2025 तक संचयी रूप से

- ₹1,535 करोड़ की ब्याज सहायता

भारत सरकार की पूँजी सब्सिडी योजनाओं का कार्यान्वयन





कृषि परियोजनाओं और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र गतिविधियों के लिए सब्सिडी चैनलाइज़ करना.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कार्यनिष्पादन

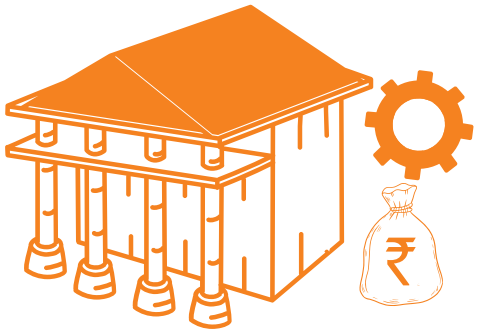
विवरण	एसीएबीसी	नयी एएमआई योजना	पुरानी एएमआई योजना
इकाइयों की सं.	267	3,160	1
जारी सब्सिडी (₹ करोड़)	13.2	669.0	0.5
31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार संचयी प्रदर्शन			
इकाइयों की सं.	3,964	10,658	42,261
जारी सब्सिडी (₹ करोड़)	160.0	2,053.3	4,467.4
वैज्ञानिक भंडारण क्षमता (हज़ार मीट्रिक टन)	-	27,600.6	60,853.3

केसीसी सैचुरेशन अभियान



चरण	मंजूर किए गए केसीसी की सं. (लाख में)	मंजूर सीमाएँ (₹ करोड़ में)
I	12.6	8,450
II	172.3	1,77,482.3

सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता (डीआरए)

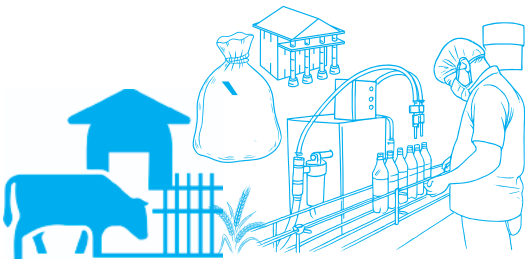


कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि उपकरणों और अन्य उत्पादक आस्तियों की मरम्मत तथा रखरखाव, उत्पादों के भंडारण/ ग्रेडिंग/ पैकेजिंग, विपणन गतिविधियों, खाद्य ऋण संघ, कृषीतर गतिविधियों, सहकारी और निजी चीनी मिलों को मंजूर गिरवी सीमाओं के समक्ष कार्यशील पूँजी ऋण के लिए सहकारी बैंकों (रास बैंकों और जिमस बैंकों) को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

वित्तीय वर्ष 2025 में

- मंजूर ₹38,002.5 करोड़; वित्तीय वर्ष 2024 से 41.7% अधिक
- संवितरण ₹37,216.6 करोड़; वित्तीय वर्ष 2024 से 38.5% अधिक
- 31 मार्च 2024 के ₹20,504.1 करोड़ के समक्ष 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार बकायों की स्थिति ₹27,767.6 करोड़ थी.
- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा ऋण का उपयोग किया गया.

फ़ेडरेशनों के लिए ऋण सुविधा



कृषि विपणन महासंघों, डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध यूनियनों और फ़ेडरेशनों को निविष्टियों की अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन को सहयोग प्रदान करने के लिए अल्पावधि ऋण.

वित्तीय वर्ष 2025 में

- मंजूरी ₹51,950 करोड़; वित्तीय वर्ष 2024 से 34.2% अधिक
- संवितरण ₹65,991 करोड़; वित्तीय वर्ष 2024 से 68% अधिक
- 31 मार्च 2024 के ₹20,583 करोड़ के समक्ष 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बकायों की स्थिति ₹41,677 करोड़ थी.
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) परिचालनों के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद हेतु विपणन महासंघों और राज्य सिविल निगमों द्वारा प्रदान की गई सहायता का उपयोग किसानों को पारिश्रमिक मूल्य (एमएसपी) का भुगतान करने के लिए किया जाता है.
- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाणा को प्रदान की गई सहायता के माध्यम 509 लाख टन से अधिक के खाद्यान्न की खरीद के माध्यम से 73 लाख से भी अधिक किसानों को लाभ पहुँचाया गया है.

एसीएबीसी = एग्रि-क्लिनिक और एग्रि बिज़नेस सेंटर, एएमआई = कृषि विपणन आधारभूत संरचना, सीएसएस = पूँजी सब्सिडी योजना, डीएवाई-एनआरएलएम = दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, डीआरए = प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता, जीओआई = भारत सरकार, केसीसी = किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसपी = न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमटी = मीट्रिक टन, एनडबल्यूआर = परक्राम्य भंडारण रसीद, ग्रास बैंक = ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एससीबी = अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एसटी = अल्पावधि, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक, डब्ल्यूएसएचजी = महिला स्वयं सहायता समूह.

नोट::

1. एएमआई योजना ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित और उन्नत करने हेतु सहायता प्रदान करती है.
2. एसीएबीसी योजना के तहत योग्य कृषि व्यावसायिकों द्वारा कृषि-उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है जो इस क्षेत्र में सार्वजनिक विस्तार प्रयासों के लिए पूरक का कार्य करते हैं.
3. अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया नाबार्ड (2023), वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई पृष्ठ सं. 76-77 देखें. https://www.nabard.org/pdf/2023/annual-report-2022-23-full-report.pdf.

6.5 ऋण वितरण पारिस्थितिकी तंत्र दक्षता में सुधार लाना

नाबार्ड, आधुनिक प्रौद्योगिकियों और कुशल रणनीतियों को अपनाते हुए ग्रामीण ऋण परिदृश्य में नवोन्मेष और प्रभावशाली परिवर्तन लाने के लिए हमेशा की तरह प्रतिबद्ध बना हुआ है. गत वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने अपने वर्तमान ऋण परितंत्र को न केवल सुदृढ़ किया बल्कि पारदर्शिता, दक्षता और डेटा-आधारित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से नई पहलें भी प्रारंभ की.

- **ग्रामीण सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन्स (सीबीएस)**: ग्रामीण सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकिंग मानकों के समकक्ष लाने के लिए नाबार्ड ने 216 बैंकों को क्लाउड-आधारित सीबीएस प्लैटफॉर्मों को अपनाने हेतु सक्षम बनाया है. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान उद्योग मानकों के अनुरूप उन्नत संस्करणों में उन्नयन करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना जारी रहा.

- **ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए केंद्रीकृत अकाउंट एग्रिगेटर (एए)**: वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में नाबार्ड ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) मॉड्यूलों को होस्ट करने के लिए एक केंद्रीकृत अकाउंट एग्रीगेटर आधारभूत संरचना के विकास का कार्य प्रारंभ किया है. भारतीय रिज़र्व बैंक से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस प्लैटफॉर्म को इच्छुक ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक सेवा के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा, जिससे वित्तीय समावेशन, सुरक्षित डेटा-शेयरिंग और लागत दक्षता संवर्धित होगी.
- **ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए साझा आधार डेटा वॉल्ट (एडीवी)**: आधार डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड, लागतों को कम करने और अनुपालना बढ़ाने के लक्ष्य से ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) के लिए साझा आधार डेटा वॉल्ट (एडीवी) मॉडल की संभावनाओं पर कार्य कर रहा है.
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) हेतु बेस प्लैटफॉर्म कार्यान्वयन**: प्रत्यक्ष लाभ अंतरणों (डीबीटी) को सुगम बनाने के लिए, नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों को भारत आधार सीडिंग एनेब्लर (बेस) प्लैटफॉर्म अपनाने हेतु सक्षम बना रहे हैं. इससे नागरिक अपने आधार की जानकारी को ऑनलाइन प्रविष्ट, अप्रविष्ट अथवा अंतरित कर सकते हैं. प्रारंभिक चरण में यह प्लैटफॉर्म लगभग 200 ग्रामीण सहकारी बैंकों में कार्यान्वित किया जाएगा, बाद में चरणबद्ध रूप में इसका विस्तार किया जाएगा. नाबार्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ मिलकर ग्राहक संस्थाओं के लिए आधार सत्यापन आधारभूत संरचना को सुव्यवस्थित करने का भी कार्य कर रहा है.
- **ऋण वितरण, ब्याज सहायता, आदि के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का विकास**
  - **ई-केसीसी पोर्टल**: मेसर्स 24x7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग प्रा. लि. के सहयोग से नाबार्ड ने एक पोर्टल विकसित किया है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक इन्नोवेशन हब के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस से इंटिग्रेट किया गया है, ताकि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की प्रक्रिया को डिजिटाइज़ किया जा सके. किसान ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका सैद्धांतिक अनुमोदन कुछ ही मिनटों में प्रदान कर दिया जाता है. वित्तीय वर्ष 2025 में, 12 बैंक इस पोर्टल से जुड़ गए, और ऋण संबंधी 300 से अधिक मामलों का लाइव परीक्षण किया गया. भविष्य के चरणों में इस पोर्टल में व्यक्तिगत ऋण या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने हेतु सुविधाएँ भी शामिल की जाएँगी. यह पोर्टल राज्य भूमि अभिलेखों, उपग्रह के चित्रों, सिबिल और यूआईडीएआई के साथ एकीकृत है, जिससे जोखिम आकलन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है.
  - **कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ़) ब्याज सहायता पोर्टल**: 28 जून 2024 को माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया यह पोर्टल (https://aifis.nabard.org) एआईएफ़ योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता और ऋण गारंटी शुल्क दावों की निपटान प्रक्रिया को स्वचलित बनाता है. 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार 27 बैंकों द्वारा लगभग ₹41 करोड़ मूल्य के 14,000 दावे प्रस्तुत किए गए. वित्तीय वर्ष 2026 में और अधिक बैंकों को इस व्यवस्था से जोड़ने तथा रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड के एकीकरण की योजना है.[3]



माननीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री भागीरथ चौधरी; श्री शाजी के.वी., अध्यक्ष, नाबार्ड; कृषि और किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव, संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एआईएफ़ ब्याज सहायता पोर्टल का लॉन्च.

- **एनआरएलएम ब्याज सहायता पोर्टल**: यह प्लैटफॉर्म महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दावों का संसाधन करता है. 11 जनवरी 2024 को अपने लॉन्च के साथ, अब तक इस पर 202 बैंक पंजीकृत हो चुके हैं. 22.7 लाख एसएचजी खातों के लिए ₹1,376 करोड़ की राशि के दावे निपटाए गए, जिससे संसाधन लागतों के रूप में ग्रामीण बैंकों को अनुमानित ₹9.6 करोड़ की बचत हुई. यह ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से एनआरएलएम-आईएस दावे प्रस्तुत करने का पहला उदाहरण है.

- **कृषि-मूल्य शृंखला वित्तपोषण (एवीसीएफ़) का डिजिटलीकरण**: बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक प्रायोगिक एवीसीएफ़ पहल को कार्यान्वित किया गया था जिसका ध्यान निविष्टियाँ उपलब्ध कराने, फसल उत्पादन, और फसलोपरांत अधिप्राप्ति पर केंद्रित था. कुल ₹5.1 करोड़ के ऋण भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से संवितरित किए गए. उन्नति पहल के अंतर्गत प्रयोजन आधारित केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के प्रायोगिक कार्यान्वयन से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग भविष्य के कार्यान्वयन में किया जाएगा.
- **प्रौद्योगिकी सुविधा निधि (टीएफएफ)**: 14 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई, प्रौद्योगिकी सुविधा निधि ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करने वाले एग्री-टेक स्टार्टअपों की सहायता करती है. ₹50 करोड़ की समूह निधि के साथ इस निधि में से कृषि उत्पादकता और संधारणीयता में सुधार करने के लक्ष्य से तैयार किए जा रहे तकनीकी समाधानों का निधीयन किया जाता है. टीएफएफ के अंतर्गत एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) ने जम्मू और कश्मीर में सेब की आपूर्ति श्रृंखला में ट्रेसेबिलिटी को सक्षम बनाया है. ₹10.3 लाख की कुल अनुदान सहायता के साथ इस पहल ने क्यूआर कोड वाले बॉक्सों का उपयोग करते हुए 622 किसानों और 887 खेतों को मैप किया, जिससे उत्पाद की ट्रेसेबिलिटी अच्छी हुई और उपभोक्ता का विश्वास बढ़ा. इसके अतिरिक्त मेसर्स 24x7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग प्रा. लि. में ₹3.8 करोड़ का इक्विटी निवेश भी किया गया.
- **ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए साइबर बीमा**: साइबर जोखिम के प्रति सुरक्षा प्राप्त करने में ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सक्षम बनाने के लिए नाबार्ड ने लगातार दूसरे वर्ष उनका साइबर बीमा कराना सुनिश्चित किया है. केंद्रीकृत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उद्योग में सबसे कम प्रीमियम वाली दरें प्राप्त की गईं, जिससे ₹9 करोड़ की बचत हुई. 12 माह की यह पॉलिसी (1 अप्रैल 2025 से प्रभावी) ₹2,000 करोड़ की समेकित देयता सीमा प्रदान करती है, जिसकी प्रीमियम की दर 0.54% है, जो बाजार औसत 0.75% से 1.25% से काफी कम है. यह पहल ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को व्यक्तिगत आरएफपी जारी करने के कार्य से तो मुक्त करती ही है, साथ ही व्यापक कवरेज सुनिश्चित करती है.

6.6 वित्तीय समावेशन बढ़ाना

वित्तीय समावेशन से संबंधित नाबार्ड की नवीनीकृत रणनीति क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और देशभर में औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक सभी की समान पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है. विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी) को प्राथमिकता दी जाती है, इन जिलों में आकांक्षी जिले, वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्र, ऋण की कमी वाले क्षेत्र, पर्वतीय राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र यथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जिले शामिल हैं. वित्तीय समावेशन निधि से लक्ष्योन्मुख सहायता के साथ नाबार्ड ने आधारभूत संरचनाओं के सृजन, डिजिटल सक्षमीकरण, नीतिगत समर्थन और अल्पसेवित ग्रामीण समुदायों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए वित्तीय साक्षरता पहलों के माध्यम से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्राप्त की है.

6.6.1 वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माण

वित्तीय साक्षरता नाबार्ड की समावेशन रणनीति का केन्द्रबिंदु बनी हुई है. संगठन ने वित्तीय उत्पादों और डिजिटल सेवाओं की समझ को बढ़ाने के लिए अनेक पहलों की सहायता की है, विशेष रूप से बैंक रहित क्षेत्रों में. इन पहलों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविरों का आयोजन, बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंटों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, प्रदर्शन वैनों और कियोस्कों की स्थापना, तथा व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन शामिल हैं.



वित्तीय साक्षरता और जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक; कोटा, राजस्थान.

6.6.2 प्रौद्योगिकी अंगीकरण एवं आधारभूत संरचना सहयोग

आपूर्ति पक्ष पर वित्तीय परितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड ने बैंकों को डिजिटल प्लैटफॉर्मों पर ऑनबोर्ड करने में सहायता प्रदान की तथा कनेक्टिविटी और विनियामकीय अनुपालनों को बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान किया. इन प्रमुख गतिविधियों में माइक्रो-एटीएमों और पॉइंट-ऑफ-सेल (पॉस) मशीनों की तैनाती, बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट बिंदुओं पर दोहरे प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना, तथा विशेष फोकस वाले जिलों में कनेक्टिविटी और बिजली की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना शामिल है.

6.6.3 वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान एफआईएफ के तहत सहयोग-प्राप्त नई गतिविधियाँ

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत संचयी मंजूरियाँ ₹6,233.3 करोड़ रहीं और संचयी संवितरण ₹3,540.5 करोड़ का रहा. अकेले वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान ही ₹290.3 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई तथा ₹191.6 करोड़ की राशि संवितरित की गई. इसके अंतर्गत नई पहलें निम्नानुसार हैं:

- **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) के लिए ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस)**: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के साथ मिलकर नाबार्ड 12 भाषाओं में 4,400 घंटों की लक्ष्य आधारित पाठ्य सामाग्री के 64 पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास के सहयोग हेतु एक केंद्रीकृत ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली, रीप-आरसेटी ई-लर्निंग एआई प्लैटफॉर्म विकसित कर रहा है. इस परियोजना के लिए ₹18.6 करोड़ की राशि मंजूर की गई है जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख ग्रामीण प्रशिक्षार्थियों को लाभान्वित करना है. आईआईटी मद्रास ने अब तक 15 पाठ्यक्रमों के लिए 85 घंटे की सामग्री विकसित कर ली है.
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जनसुरक्षा योजनाओं का स्वचालन**: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को डिजिटाइज़ और सुव्यवस्थित करने के लिए, नाबार्ड सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों[4] को जनसुरक्षा पोर्टल[5] पर ऑनबोर्डिंग करवाने में सहायता प्रदान कर रहा है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस प्लेटफॉर्म पर लाइव हो चुके हैं, और यह प्लैटफॉर्म बैंकों को आद्योपांत डिजिटल नामांकन और दावों का निपटान करने में सक्षम बनाता है.
- **पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों के ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी)/ बिजनेस करेस्पोंडेंटों (बीसी) के लिए प्रोत्साहन योजना**: यह योजना 26 अप्रैल 2024 को प्रारंभ की गई थी. इस योजना में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के टियर 5 और टियर 6 केंद्रों में प्रति गांव उत्कृष्ट कार्य करने वाले शीर्ष दो सीएसपी/ बीसी को प्रति माह ₹1,000 प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 5,740 बीसी एजेंटों को लाभान्वित करते हुए कुल ₹688.8 लाख मंजूर किए गए (शोकेस 6.1).
- **ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के तहत सहयोग—एचटीएस-वीसैट, डुअल एलटीई और एसडी-वैन प्रौद्योगिकियां**: दूरगामी क्षेत्रों में बैंकिंग कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के लिए नाबार्ड ने एचटीएस-वीसैट, डुअल एलटीई और एसडी-वैन प्रौद्योगिकियाँ[6] लगाने के लिए बैंकों को अनुदान-आधारित प्रतिपूर्ति प्रदान की. अब तक, 1,000 से अधिक गांवों में नेटवर्क विश्वसनीयता में सुधार के लिए ₹373.1 लाख की मंजूरी के साथ 163 उपकरण लगाए गए.
- **विशेष अभियान 4.0—ग्रामीण वित्तीय साक्षरता**: वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2024 तक आयोजित इस अभियान में वित्तीय जागरूकता के साथ स्वच्छता को जोड़ा गया. नाबार्ड ने ₹96.8 लाख की अनुदान सहायता के साथ 591 शिविरों और नुक्कड़ नाटकों के संचालन के लिए 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ भागीदारी की. इन कार्यक्रमों के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 1,29,354 नए खाते खोले गए.
    - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 1,73,147 नए नामांकन किए गए
    - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4,09,915 नए नामांकन किए गए
    - अटल पेंशन योजना के तहत 66,601 नए नामांकन किए गए

शोकेस 6.1: मेघालय में ग्रामीण बैंकिंग एजेंटों का सशक्तीकरण

मेलोडिस सीम्लेह, जो छह माह से एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का सदस्य था, को 14 सितंबर 2021 को मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसाइटी (एमएसआरएलएस) द्वारा एक बिज़नेस करेस्टपोंडेंट (बीसी) के रूप में नियुक्त किया गया. मेघालय ग्रामीण बैंक की रिंजा शाखा से संबद्ध, मेलोडिस सीम्लेह को मेघालय के पाँच दूरदराज गाँवों के लगभग 4,500 से 5,000 घरों तक पहुँचने और वित्तीय समावेशन के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा गया.

अपनी इस भूमिका में सीम्लेह ने वित्तीय साक्षरता की पहलों में सक्रिय रूप से सहयोग दिया और खाता खोलने, नकदी जमा करने और आहरणों, निधि अंतरणों और ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेनों जैसी सेवाओं में सहायता की. नाबार्ड-प्रायोजित माइक्रो-एटीएम से लैस, वे बैंकिंग की सीमित आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों में उन लोगों के घर पर बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं. इन सेवाओं में बैलेंस की पूछताछ और वास्तविक समय पर लेन-देन सेवाएँ शामिल हैं.

पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, सीम्लेह में कार्यरत बिज़नेस कॉरेस्पॉण्डेंटों (बीसी) को नाबार्ड की प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति माह 50 सफल लेनदेन के बेंचमार्क को प्राप्त करने पर वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान ₹12,000 की कुल प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई. इस प्रोत्साहन ने सुलभ और उत्तरदायी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाया.

प्रमुख प्रभाव:

- वित्तीय सशक्तीकरण: नियमित वित्तीय साक्षरता सत्रों के माध्यम से, उन्होंने बैंकिंग प्रथाओं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति ग्रामवासियों में जागरूकता का संचार किया.
- घर पर बैंकिंग: वे अलग-थलग पड़े सुदूर क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और अल्पसेवित समूहों अत्यावश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिससे बैंक की शाखा तक की यात्रा की आवश्यकता ही समाप्त हो गई.
- उत्कृष्टता को मान्यता: उनकी सेवा और समर्पण को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें 2 फरवरी 2024 को एमएसआरएलएस, शिलांग द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया.



बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के लिए नाबार्ड की प्रोत्साहन योजना के तहत सहयोग प्राप्त मेलोडिस सीम्लेह, जिसे सेवा में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया; एमएसआरएलएस, शिलांग.

6.7 आगे की राह

वित्तीय समावेशन को और अधिक गहराई तक ले जाने और उसे संधारणीय बनाने के लिए, नाबार्ड दूरदर्शी पहलें कार्यान्वित कर रहा है जो लैंगिक संवेदनशीलता, डिजिटल जुड़ाव और आधार स्तरीय क्षमता निर्माण को एकीकृत करती हैं:

1. **जेंडर इंटेंशनलिटी स्कोरकार्ड (जीआईएस) सह डैशबोर्ड**: इस डिजिटल मॉनिटरिंग साधन को विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग (डब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है. इस साधन को यह आकलन करने के लिए तैयार किया गया है कि कैसे वित्तीय संस्थाएँ, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जानबूझकर वित्तीय समावेशन की अपनी रणनीतियों में महिलाओं को शामिल करते हैं. जीआईएस 62 मापदंडों के एक विस्तृत समुच्चय का उपयोग करते हुए पाँच प्रमुख आयामों में कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है: लेखे, सामाजिक सुरक्षा, ऋण, डिजिटल पदचिह्न और कार्यबल भागीदारी. यह डैशबोर्ड तुलनात्मक आकलनों को सक्षम बनाएगा और लक्ष्योन्मुख महिलाओं के प्रति संवेदनशील सहयोगों की सूचना देगा.
2. **इंटरैक्टिव वित्तीय साक्षरता गेम का विकास**: नवोन्मेषी दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय साक्षरता में लगातार आ रही कमियों को दूर करने के लिए नाबार्ड और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) ने 22 मई 2024 को एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस सहयोग के अंतर्गत, एनसीएफई अगली-पीढ़ी के मोबाइल-आधारित संवादात्मक वित्तीय साक्षरता पर गेम विकसित करेगा. इस गेम में उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल होंगी:

   क. बहुभाषी समर्थन, क्षेत्रीय भाषाओं सहित;
   ख. दूरस्थ क्षेत्रों के लिए ऑफ़लाइन पहुँच; और
   ग. ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए गए गेमिफाइड लर्निंग मॉड्यूल.

3. **कौशल विकास परितंत्र में सामुदायिक संसाधन निकायों पर प्रायोगिक परियोजना**: भारतीय रिज़र्व बैंक की संस्तुतियों के अनुसरण में, नाबार्ड सामुदायिक संसाधन निकायों (सीआरई) की अवधारणा को कौशल विकास और आजीविका परितंत्र के भीतर एक विश्वसनीय मध्यस्थ सहयोगी के रूप में कार्य करने के लिए प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित करेगा. प्रायोगिक परियोजना को एक वर्ष के दौरान बिहार और छत्तीसगढ़ के 20 खंडों में लॉन्च किया जाएगा. ये सामुदायिक संसाधन निकाय (सीआरई) ग्रामीण उम्मीदवारों को कौशल विकास केंद्रों, वित्तीय संस्थाओं और नियोक्ताओं से जोड़ने में सुविधा प्रदाताओं के रूप में काम करेंगे - जिससे कौशल-आपूर्ति और कौशल-माँग के बीच तालमेल बढ़ेगा और आजीविका के अवसरों तक पहुँच बढ़ेगी.

नोट

1. ग्रामीण वित्तीय संस्थानों में ग्रास बैंक, क्षेग्रा बैंक, एससीबी, लघु वित्त बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ-सूक्ष्म वित्त संस्था और स्थानीय बैंक शामिल हैं.
2. क्षेत्र-वार राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
   - दक्षिण: आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और लक्षद्वीप
   - पश्चिम: गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, तथा दमन और दीव
   - उत्तर: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़
   - मध्य: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
   - पूर्व: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
   - पूर्वोत्तर: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम
3. 31 मई 2025 की स्थिति में, निपटान हेतु ₹205.8 करोड़ राशि के कुल 99,724 दावे प्रस्तुत किए गए हैं.
4. 1 मई 2025 से प्रभावी 'एक राज्य, एक आरआरबी' नीति के तहत 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलयित किया गया.
5. जनसुरक्षा पोर्टल पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के संदर्भ में आरंभ से अंत तक के डिजिटल नामांकन और दावा निपटान को सक्षम बनाता है.
6. एचटीएस = हाई थ्रूपुट सेटेलाइट, एलटीई = लॉन्ग टर्म इवॉल्यूशन, एसडी-वैन = सॉफ्टवेयर-डिफाइन्ड वाइड एरिया नेटवर्क.

7

7.1 नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाएँ
7.2 वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान पर्यवेक्षण व्यवस्था की प्रमुख घटनाएँ
7.3 अन्य पर्यवेक्षी पहलें
7.4 सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा से संबंधित पहलें
7.5 आगे की राह



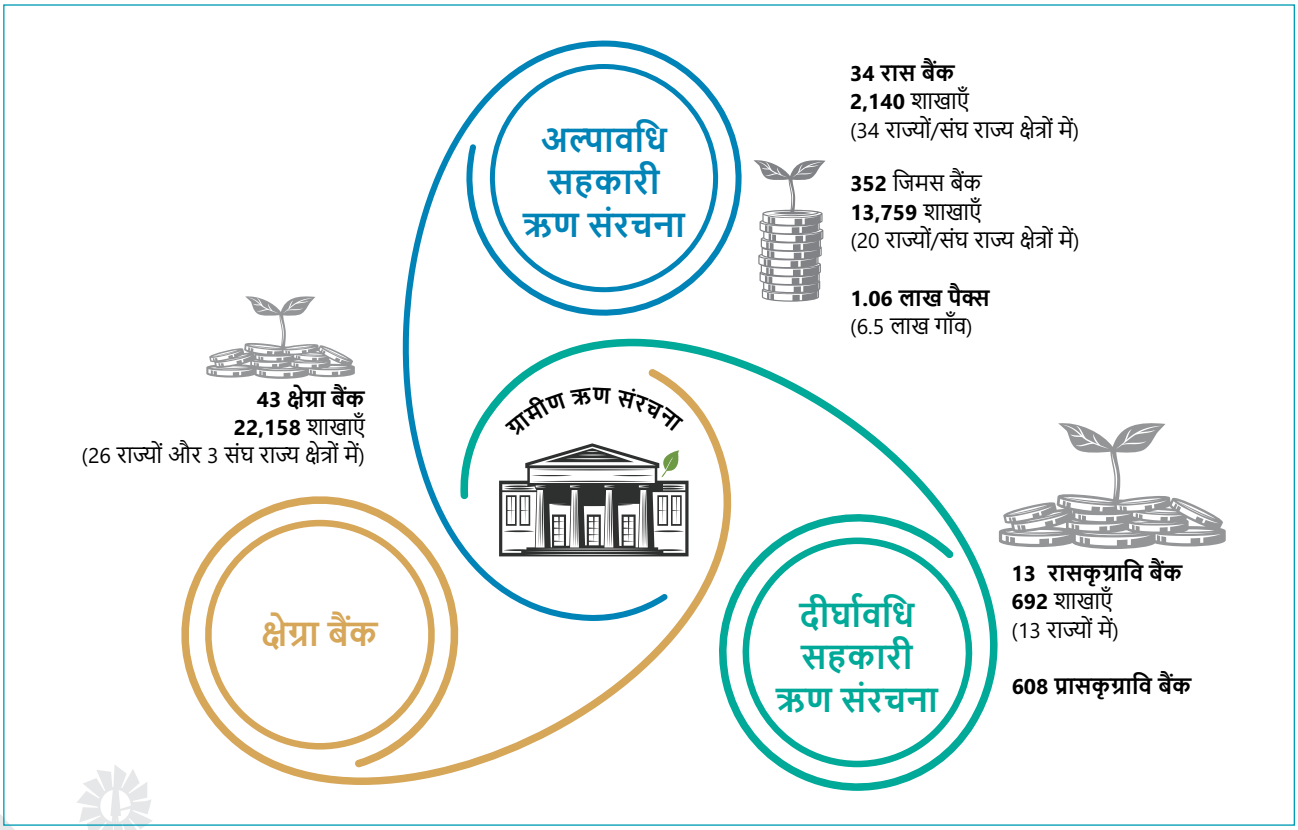
नाबार्ड की पर्यवेक्षी भूमिका

संस्थागत सत्यनिष्ठा को बनाए रखने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने और वित्तीय व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु वित्तीय संस्थाओं का सुदृढ़ पर्यवेक्षण अत्यंत आवश्यक है. कृषि और ग्रामीण वित्त क्षेत्र की शीर्ष संस्था के रूप में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफ़आई) के पर्यवेक्षण में नाबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह उत्तरदायित्व केवल दैनंदिन निगरानी तक सीमित न होकर, वित्तीय समावेशन बढ़ाने और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का संस्थागत संवर्धन करने की सक्रिय प्रतिबद्धता दर्शाता है. इसके अतिरिक्त, नाबार्ड अपेक्षित अनुपालन न करने वाले बैंकों के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है और उन्हें सुधारात्मक उपाय अपनाने के लिए सहयोग देता है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिरता बहाल की जा सके और वे दीर्घकालिक रूप से संधारणीय बन सकें.

7.1 नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेग्रा बैंक) तथा ग्रामीण सहकारी बैंक (ग्रास बैंक) समग्र ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्था होने के नाते नाबार्ड इन संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करता है ताकि इनके द्वारा सभी विनियमों का अनुपालन हो और इनकी वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके. क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है तथा क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अधीन नाबार्ड द्वारा उनका पर्यवेक्षण किया जाता है. नाबार्ड की पर्यवेक्षी गतिविधियों में राज्य सहकारी (रास) बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी (जिमस) बैंकों तथा क्षेग्रा बैंकों के सांविधिक निरीक्षण के साथ-साथ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास (रासकृग्रावि) बैंकों, शीर्ष बुनकर समितियों, विपणन महासंघों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं (जो नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करती हैं) का स्वैच्छिक निरीक्षण भी शामिल है (चित्र 7.1-7.2).

चित्र 7.1: ग्रामीण संस्थागत ऋण संरचना (31 मार्च 2025 की स्थिति में)



जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समिति, प्रासकृग्रावि बैंक = प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.

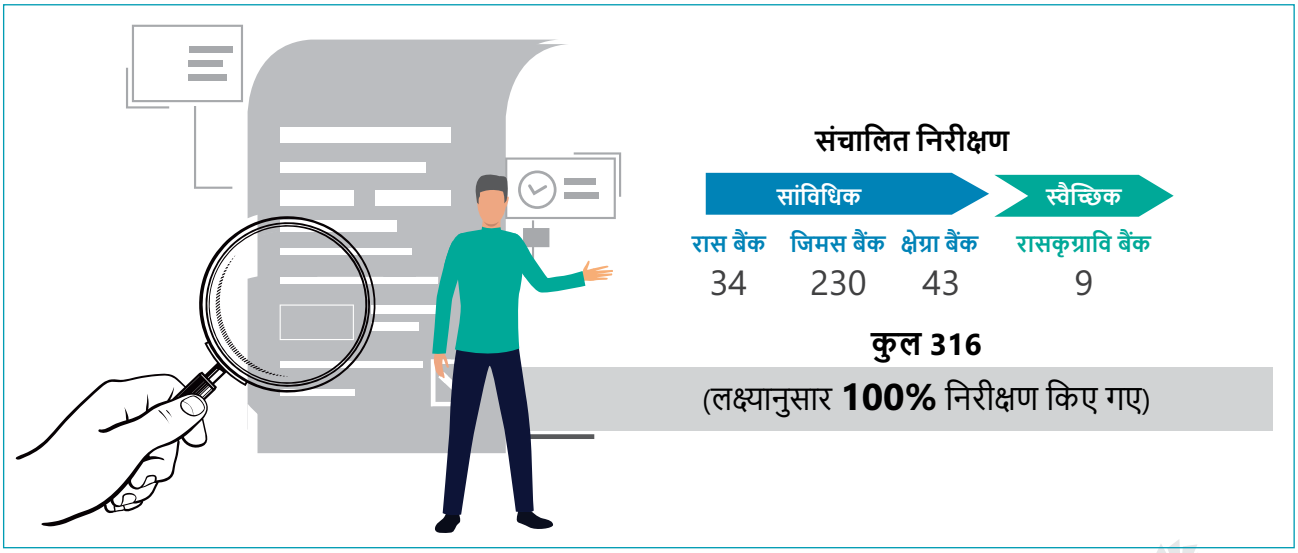
नोट:

1. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार पर्यवेक्षित संस्थाओं की संख्या.
2. पैक्स और प्रासकृग्रावि बैंक सांविधिक अपेक्षा के तहत पर्यवेक्षित संस्थाओं में नहीं आते हैं.
3. 31 मार्च 2025 की स्थिति में पैक्स की संख्या (आँकड़े अनंतिम).
4. 34 रास बैंकों में से, 24 रास बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में अनुसूचित रास बैंक हैं.
5. 352 जिमस बैंकों में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (टीएआईसीओ) शामिल है, जिसे केवल विनियमन और पर्यवेक्षण के उद्देश्यों के लिए जिमस बैंक माना जाता है. मलप्पुरम जिमस बैंक का केरल रास बैंक में विलय हो चुका है, लेकिन मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है.
6. विभिन्न राज्यों की सहकारी ऋण संरचनाओं में भिन्नताएँ हैं. सभी अल्पावधि सहकारी ऋण संरचनाएँ त्रिस्तरीय नहीं हैं, कुछ राज्यों में द्विस्तरीय संरचना भी है..
7. रासकृग्रावि बैंकों (13) की परिचालन प्रकृति के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया है, जो निम्नानुसार है::
   क. एकात्मक (अर्थात् सीधे ऋण देने वाले) (5): गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुदुच्चेरी, त्रिपुरा, और उत्तर प्रदेश;
   ख. संघात्मक (अर्थात् प्रासकृग्रावि बैंकों के माध्यम से ऋण देने वाले) (6): हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु; तथा
   ग. मिश्रित (अर्थात् प्रासकृग्रावि बैंक के माध्यम से तथा सीधे ऋण देने वाले) (2): हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल..
8. दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना
   क. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान इन संस्थाओं पर लागू नहीं हैं.
   ख. उन्हें कम लागत पर जमाएँ उपलब्ध नहीं हैं.
   ग. वे ऋण देने हेतु उधार ली गई निधियों पर अत्यधिक निर्भर हैं.
9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
   क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं.
   ख. एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (वन स्टेट वन आरआरबी) नीति के तहत दिनांक 01 मई 2025 से भारत में 43 क्षेग्रा बैंकों का विलयन 28 क्षेग्रा बैंकों में कर दिया गया है.
   ग. पुदुच्चेरी, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेग्रा बैंक कार्यरत हैं.
   घ. क्षेग्रा बैंकों की 92% (आँकड़े अनंतिम) शाखाएँ ग्रामीण/ अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.
   ङ. गोवा और सिक्किम राज्यों में कोई क्षेग्रा बैंक नहीं है.

स्रोत:

भारतीय रिज़र्व बैंक (2024), भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2023–24, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई. https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0RTP261220247FFF1F49DFC04C508F300904A90C7439.PDF.

चित्र 7.2: वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षण



जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रास बैंक= राज्य सहकारी बैंक.

नोट:

1. जिमस बैंकों में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है.
2. 31 मार्च 2024 की स्थिति में जो संस्थाएँ पर्यवेक्षण के अधीन थी उनमें से वित्तीय वर्ष 2025 में निरीक्षण

7.2 वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान पर्यवेक्षण व्यवस्था की प्रमुख घटनाएँ

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड के पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क में उल्लेखनीय विकास हुआ, जिससे ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफ़आई) की सुदृढ़ता और स्थिरता कायम रखने में नाबार्ड की प्रतिबद्धता पुनः प्रमाणित हुई. वर्ष की प्रमुख घटनाओं में विभेदक दृष्टिकोण के साथ उन्नत अर्थात् एन्हेन्स्ड कैमलएससी-आधारित पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल के पूर्ण कार्यान्यवन के साथ-साथ पर्यवेक्षी उपायों में सुधार और पर्यवेक्षित संस्थाओं की क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु लक्षित पहलें शामिल हैं.[1]

7.2.1 उन्नत कैमलएससी-आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण

उन्नत कैमलएससी (ई-कैमलएससी)-आधारित पर्यवेक्षी मॉडल नाबार्ड की पर्यवेक्षी रणनीति में अहम विकास का परिचायक है. इसे 1 अप्रैल 2023 से व्यापक रूप में लागू किया गया, और यह अंतरिम पर्यवेक्षी दृष्टिकोण जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) फ्रेमवर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है जो और अधिक सुदृढ़ होगा. ई-कैमलएससी में पर्यवेक्षित संस्थाओं के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित पद्धति निर्दिष्ट की गई है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक - दोनों प्रकार के संकेतकों को शामिल किया गया है. यह समग्र मूल्यांकन इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे किसी संस्था की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की सुदृढ़ता का पता चल सके जो संस्था की सुदृढ़ता का आधार हैं. बैंकों के व्यवसाय आकार के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2025 में 148 बैंकों का निरीक्षण ई-कैमलएससी मॉडल के अंतर्गत किया गया. वर्ष के दौरान इस पद्धति को और अधिक प्रभावी बनाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं..

1. **उन्नत कैमलएससी रेटिंग मॉडल में सुधार**: बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे सतत परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए, ई-कैमलएससी पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल में अप्रैल 2023 में व्यापक संशोधन किया गया. इस सुधार से मॉडल के निष्पादन रेटिंग मानदंडों को समकालीन विधिक, विनियामक तथा पर्यवेक्षी दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया. साथ ही, इससे बैंकिंग परिचालनों के दायरे और उनकी जटिलता में हो रही वृद्धि भी परिलक्षित होती है. संशोधित मॉडल को इस प्रकार संरचित किया गया है कि वह बैंकों की 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के आधार पर उनका मूल्यांकन कर सके.
2. **दबाव परीक्षण संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा**: बड़ी आर्थिक अनिश्चितताओं के वातावरण में, सुदृढ़ दबाव परीक्षण क्षमताओं का होना अत्यावश्यक है. वर्ष के दौरान, बैंकों के मौजूदा दबाव परीक्षण दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई. इसका उद्देश्य बैंक स्तर पर डेटा की उपलब्धता में वृद्धि करना तथा दबाव परीक्षण टेम्पलेट को परिष्कृत करना था ताकि यथार्थपरक दबाव परिदृश्यों का सृजन किया जा सके. इन परिदृश्यों का प्रयोजन बैंक के पोर्टफोलियो में ऋण एक्सपोजर के संभावित बदलावों को दर्शाना है, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी अनुकूलन-क्षमता को मजबूत बनाया का सके.
3. **पर्यवेक्षित संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन नोट**: ई-कैमलएससी पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के अंतर्गत पर्यवेक्षित संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बनी हुई है. इस फोकस को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं को मार्गदर्शन नोट जारी किए गए, जिनमें प्रमुख क्षेत्रों में सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का विवरण दिया गया. ये क्षेत्र हैं - परिचालन जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय निरंतरता योजना, पूँजी प्रबंधन और विशेष रूप से चलनिधि जोखिम प्रबंधन (वित्तीय वर्ष 2025 में अद्यतन मार्गदर्शन के साथ). इस सक्रिय सहयोग का उद्देश्य है पर्यवेक्षित संस्थाओं को प्रभावी जोखिम प्रबंधन पद्धतियाँ स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम बनाना.
4. **क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम**: प्रभावी पर्यवेक्षण में दक्ष मानव संसाधन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान शृंखलाबद्ध रूप से, लक्षित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. ये पहलें ई-कैमलएससी मॉडल के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों पर आधारित थीं, और इन्हें निरीक्षणकर्ता अधिकारियों (आईओ) तथा पर्यवेक्षित बैंकों के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था. मानव पूँजी में इस निवेश का उद्देश्य उन्नत पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समझ को गहरा करना और उसके प्रभावी अनुप्रयोग को बढ़ावा देना था.

7.2.2 सुपरसॉफ़्ट एप्लिकेशन के माध्यम से निरीक्षण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण

12 जुलाई 2022 को नाबार्ड के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुपरसॉफ़्ट एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया. इसके बाद समस्त सांविधिक निरीक्षण इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 307 बैंकों के सांविधिक निरीक्षण सुपरसॉफ़्ट एप्लिकेशन के माध्यम से किए गए, जिनमें 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 34 राज्य सहकारी बैंक तथा 230 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सम्मिलित हैं.

सुपरसॉफ़्ट 2.0 में सतत सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत, वर्ष के दौरान इसमें निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित कर परिचालन में लाए गए:

1. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा निरीक्षण मॉड्यूल**: यह मॉड्यूल निरीक्षण दलों को क्षेग्रा बैंकों की शाखाओं का निरीक्षण करने और अपनी रिपोर्ट मुख्य दल के साथ साझा करने की सुविधा प्रदान करता है.
2. **निरीक्षण रिपोर्ट संवीक्षा और श्रेणीकरण मॉड्यूल**: यह व्यवस्था नाबार्ड को सुपरसॉफ़्ट प्लेटफॉर्म के भीतर ही निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा करने तथा उसे श्रेणी प्रदान करने की सुविधा देती है.
3. **सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना सुरक्षा (आईटी/ आईएस) जाँच मॉड्यूल**: पर्यवेक्षण विभाग (डॉस) के साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जाँच (सीएसआईटीई) कक्ष द्वारा तैयार इस मॉड्यूल का उपयोग नाबार्ड के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों - दोनों स्तरों पर किया जा सकता है और यह सुपरसॉफ़्ट एप्लिकेशन के माध्यम से आईटी/ आईएस जाँच की सुविधा देता है.
4. **एन्श्योर 2.0 और सुपरसॉफ़्ट एपीआई एकीकरण**: यह एकीकरण दोनों प्लेटफॉर्मों के बीच निर्बाध डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करता है, जिससे मैन्युअल अपलोड की आवश्यकता समाप्त होती है और निरीक्षण प्रक्रिया सरल होती है, साथ ही सुपरसॉफ़्ट में डेटा की गुणवत्ता में भी सुधार होता है.
5. **एमआईएस रिपोर्ट मॉड्यूल**: सुपरसॉफ़्ट के भीतर नौ एमआईएस रिपोर्टों का एक समूह विकसित किया गया है, जिससे निरीक्षण प्रक्रिया (आयोजना और निष्पादन से लेकर प्रेषण और समापन तक) के जारी रहने के दौरान ही निरीक्षण की तत्समय निगरानी की जा सकती है.
6. **सूचना मॉड्यूल**: यह मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं को समय पर ईमेल अलर्ट प्रदान करता है, जिससे विलंब को न्यूनतम करके कार्यों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित होता है.
7. **मूवमेंट रजिस्टर मॉड्यूल**: यह सुविधा विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण रिपोर्टों और संबंधित दस्तावेजों के मूवमेंट को ट्रैक करती है, जिससे कार्य निष्पादन की समयबद्धता सुनिश्चित होती है तथा प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ती है.

7.2.3 एफ़एटीएफ़ परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ़एटीएफ़) द्वारा भारत हेतु परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण (एमएल/टीएफ़) सहित अवैध वित्तीय प्रवृत्तियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की गई है. रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि एफ़एएटीएफ़ की अनुशंसाओं पर भारत का तकनीकी अनुपालन उच्च स्तर का है. तदनुसार, भारत को "नियमित अनुवर्ती-कार्रवाई" श्रेणी में रखा गया है, जो एफ़एटीएफ़ द्वारा दी जाने वाली रेटिंग की सर्वोच्च श्रेणी है. जी-20 देशों में केवल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और भारत को ही यह मान्यता प्राप्त हुई है.

रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार नाबार्ड से यह अपेक्षा की गई है कि वह धन शोधन/ आतंकवाद वित्तपोषण जोखिमों से संबंधित अपनी समझ को लगातार बढ़ाएगा और अपनी पर्यवेक्षी क्षमता को और अधिक सशक्त बनाएगा. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रशिक्षण हेतु पहलें की जाएँगी और भारतीय रिज़र्व बैंक जैसी अन्य विनियामक संस्थाओं के साथ संपर्क बढ़ाया जाएगा.

7.3 अन्य पर्यवेक्षी पहलें

7.3.1 धोखाधड़ी अनुप्रवर्तन और केवाईसी/ एएमएल[2]

धोखाधड़ी अनुप्रवर्तन और समीक्षा को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित नीतिगत निर्देश जारी किए गए:

- पर्यवेक्षित संस्थाओं में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के अनुप्रवर्तन हेतु नीतियाँ.
- पर्यवेक्षित संस्थाओं में केवाईसी, एएमएल, सीएफ़टी/सीपीएफ़ फ्रेमवर्क के अनुप्रवर्तन और जाँच हेतु नीतियाँ.

1. सहयोग और बैठकें
   क) वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों की बैठकें: नाबार्ड ने नई दिल्ली में आयोजित वित्तीय क्षेत्र विनियामकों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया. इन बैठकों में एएमएल सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन की स्थिति, एफ़पीएसी में नाबार्ड को शामिल किए जाने तथा वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफ़आईयू-इंडिया) के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया.
   ख) एफ़पीएसी: नाबार्ड हाल ही में वित्तीय आसूचना एकक-भारत द्वारा स्थापित एफ़पीएसी मंच का सदस्य बना है. इस पहल से एएमएल/सीएफ़टी प्रयासों में संलग्न विभिन्न हितधारकों और एफ़आईयू-इंडिया के बीच सतत समन्वय की सुविधा उपलब्ध हुई है.

ग) वित्तीय आसूचना एकक-भारत के साथ सहमति ज्ञापन: नाबार्ड और एफ़आईयू-इंडिया ने 3 सितंबर 2024 को एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i) संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध प्रासंगिक आसूचना और सूचनाओं का आदान-प्रदान;

ii) पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए संपर्क कार्यक्रमों (आउटरीच प्रोग्राम) और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन; तथा

iii) त्रैमासिक बैठकों के आयोजन और एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति सहित अन्य उपाय.

2. सीकेवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री जागरूकता: सरसई द्वारा 10 मई 2024 को सिलीगुड़ी, 20 मई 2024 को जबलपुर और 3 जून 2024 को बर्ड, मंगलुरु में सीकेवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर तीन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इन कार्यक्रमों में नाबार्ड के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को केवाईसी, एएमएल और सीएफ़टी अनुपालन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी.

3. साइबर धोखाधड़ी निवारण

क) वित्तीय क्षेत्र में डिजिटलीकरण के बढ़ते प्रचलन के बीच अवैध धनवाहक (मनी म्यूल्स) के माध्यम से की जा रही साइबर धोखाधड़ियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों को निशाना बनाया जा रहा है.

ख) इन खतरों से निपटने के लिए, नाबार्ड, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सक्रिय सहयोग कर रहा है. इस संबंध में की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

i) साइबर-आधारित धोखाधड़ी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मनी म्यूल खातों के उपयोग के संबंध में जारी एडवाइज़री का क्षेत्रा बैंकों और ग्रास बैंकों में प्रसार करना;

ii) पर्यवेक्षित संस्थाओं को आई4सी द्वारा संचालित "सस्पेक्ट रजिस्ट्री" में पंजीयन के लिए प्रोत्साहित करना; और

iii) आई4सी के सहयोग से पर्यवेक्षित संस्थाओं के अधिकारियों के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना, जिनमें चेतावनी संकेतों (अलर्ट) के सृजन और अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई जैसे विषय शामिल हों.

7.3.2 क्षमता निर्माण

बैंक पर्यवेक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए अत्यधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है. अत: निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होता है जिससे वे "संकट की परिस्थितियों में स्पष्ट मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकें" और "पर्याप्त समय पूर्व दबाव संकेतों की पहचान" कर सकें. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान अनेक क्षमता निर्माण पहलों को कार्यान्वित किया गया.

1. वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) कार्यक्रम: राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय (एनबीएससी), लखनऊ द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र्स (सीओएस) के सहयोग से, 4-6 नवंबर 2024 को मुम्बई में नाबार्ड के वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों (एसएसएम) हेतु एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य नाबार्ड में वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों और उनके दलों की क्षमता बढ़ाना था. इस कार्यक्रम में कुल 35 अधिकारियों (26 वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक और प्रधान कार्यालय तथा तकनीकी संस्थाओं से 9 अन्य अधिकारी) ने भाग लिया.

2. कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र्स, भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रशिक्षण कार्यक्रम: वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, नाबार्ड के 54 अधिकारियों ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र्स, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित 32 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया. इन कार्यक्रमों में शामिल विभिन्न विषय थे - पर्यवेक्षण, जोखिम प्रबंधन, डेटा विश्लेषण, अर्थमिति (इकॉनॉमेट्रिक्स), पर्यवेक्षी और अपरिष्कृत (रॉ) डेटा के विश्लेषण हेतु उन्नत विधियों का अनुप्रयोग, अभिशासन, रिपोर्ट लेखन, नेतृत्व, संचार, वित्तीय विवरण और फिनटेक.

7.3.3 शिकायत प्रबंधन प्रणाली

शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) मॉड्यूल को 1 अप्रैल 2022 को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य शिकायतों को क्षेत्रीय कार्यालयों तक निर्बाध रूप से प्रेषित करना, शिकायतों के प्रभावी अनुप्रवर्तन और निस्तारण की व्यवस्था करना तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टों के सृजन में सहयोग प्रदान करना था.

1 अप्रैल 2025 से नाबार्ड द्वारा केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) पोर्टल को पूर्ण रूप से अपनाया गया, ताकि पर्यवेक्षित संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदनों का प्रभावी निस्तारण और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके.

7.3.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रवर्तन विभाग से प्राप्त संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उसके द्वारा विनियमित विभिन्न संस्थाओं में विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उनके खिलाफ प्रवर्तनात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में प्रवर्तन विभाग (ईएफ़डी) की स्थापना की थी. यह विभाग नाबार्ड की पर्यवेक्षित संस्थाओं - अर्थात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों - को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) तथा स्पीकिंग ऑर्डर (एसओ) भी जारी करता है (चित्र 7.3).

चित्र 7.3: वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान की गई प्रवर्तन कार्रवाइयाँ



	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राज्य सहकारी बैंक	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	कुल
जारी एसओ की संख्या	7	6	53	66
अर्थदण्ड (₹ लाख में)	58.9	26	129.2	214.1

जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एसओ = स्पीकिंग ऑर्डर, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.

7.4 सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा से संबंधित पहलें[3]

पर्यवेक्षित संस्थाओं में साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारी की निगरानी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड में वर्ष 2018 में साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जाँच (सीएसआईटीई) कक्ष की स्थापना की गई थी. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान इस कक्ष द्वारा अनेक पहलें की गईं:

1. सीएसआईटीई के मानव संसाधन में वृद्धि: सीएसआईटीई कक्ष में छह बाह्य सलाहकारों की नियुक्ति की गई. इससे आईटी/आईएस जाँचों का दायरा बढ़ाया गया और पहले से अधिक पर्यवेक्षित संस्थाओं की आईटी/आईएस जाँच की गई, वीआईसीएस विवरणी (रिटर्न) की डेस्क आधारित संवीक्षा की जा सकी, आईटी/आईएस निष्कर्षों के प्रत्युत्तर में पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्टों की जाँच में मदद मिली, समय पर अलर्ट और एडवाइज़री जारी करना संभव हुआ तथा सीएसआईटीई की अन्य महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियों के निष्पादन में भी वृद्धि हुई.
2. आईटी/आईएस जाँच का संचालन: पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अपनी 88वीं बैठक में क्षेग्रा बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों की डिजिटल परिपक्वता तथा भुगतान व्यवस्था के साथ उनके एकीकरण के स्तर के आधार पर उनकी आईटी/आईएस जाँच किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया. इन जाँचों का उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं की संवीक्षा के आधार पर पर्यवेक्षित संस्थाओं के साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क का मूल्यांकन करना है:
   क. आईटी/आईएस और साइबर सुरक्षा नीतियाँ;
   ख. उपयुक्त फ्रेमवर्क की पर्याप्तता;
   ग. संबंधित समितियों की कार्यप्रणाली;
   घ. इकाई वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित साइबर सुरक्षा नियंत्रणों का कार्यान्वयन; और
   ङ. भारतीय रिज़र्व बैंक, एनसीआईआईपीसी, सर्ट-इन और आईडीआरबीटी द्वारा जारी एडवाइज़री और अलर्ट का अनुपालन.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड प्रधान कार्यालय द्वारा 38 पर्यवेक्षित संस्थाओं (20 क्षेग्रा बैंक, 9 रास बैंक और 9 जिमस बैंक) की आईटी/आईएस जाँच की गई. इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 35 जिमस बैंकों की आईटी/आईएस जाँच की गई.

3. साइबर सुरक्षा जागरूकता माह: सीएसआईटीई कक्ष द्वारा अक्टूबर 2024 को साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:
   क. पर्यवेक्षित संस्थाओं के शीर्ष प्रबंधन (अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ प्रबंध निदेशक) हेतु वेबिनार;
   ख. नाबार्ड प्रधान कार्यालय में विभाग प्रमुखों, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) हेतु साइबर सुरक्षा सत्र;
   ग. सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों हेतु वेबिनार;
   घ. बर्ड, मंगलूरू में पर्यवेक्षित संस्थाओं के सीआईएसओ के लिए एक दिवसीय कार्यशाला;
   ङ. एनबीएससी, लखनऊ में नाबार्ड के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के लिए कार्यशाला;
   च. आईटी/आईएस जाँच के संचालन हेतु एक मार्गदर्शन नोट जारी;
   छ. साइबर सुरक्षा पर डिजिटल सामग्री का प्रसार, जिसमें सम्मिलित हैं:
      i. पर्यवेक्षित संस्थाओं हेतु साइबर सुरक्षा पुस्तिका; और
      ii. पर्यवेक्षित संस्थाओं के कर्मचारियों में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने हेतु 31 दिवसीय चुनौती.

4. साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण: सीएसआईटीई ने कुल 28 वर्चुअल और 3 प्रत्यक्ष साइबर सुरक्षा कार्यशालाओं के लिए संकाय सहयोग प्रदान किया. इनमें से 26 कार्यशालाएँ पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित थीं, जबकि 5 कार्यशालाएँ क्षेत्रीय कार्यालयों में आईटी/आईएस जाँच से संबंधित क्षमता निर्माण हेतु आयोजित की गईं.
5. उच्च-स्तरीय सहभागिता: सीएसआईटीई ने आई4सी, सर्ट-इन और गृह मंत्रालय जैसी एजेंसियों के साथ कुल आठ उच्च-स्तरीय बैठकें कीं, जिससे उसे उभरते साइबर खतरों की अद्यतन जानकारी सुनिश्चित हो सकी. इन बैठकों में सीएसआईटीई के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता से यह परिलक्षित होता है कि नाबार्ड डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और पर्यवेक्षित संस्थाओं की साइबर आघातसह्यता को सुदृढ़ करने के प्रति कटिबद्ध है.
6. पर्यवेक्षित संस्थाओं को साइबर सुरक्षा उपायों को उन्नत करने हेतु जारी एडवाइज़री: पर्यवेक्षित संस्थाओं में साइबर सुरक्षा उपायों को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न परिपत्र परिचालित किए गए, जिनमें प्रमुखतः निम्नलिखित शामिल हैं:
   क. साइबर सुरक्षा जाँच: पर्यवेक्षित संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से सर्ट-इन द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से अपनी आईटी संरचना, वेबसाइटों और एप्लीकेशनों (एपीआई सहित) की साइबर सुरक्षा जाँच कराएँ - विशेषतः तब जब कोई प्रणालीगत परिवर्तन किया जाए.
   ख. भेद्यता आकलन / पेनिट्रेशन टेस्टिंग (वीए/पीटी): पर्यवेक्षित संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और डीएमज़ेड में रखे एप्लीकेशनों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर भेद्यता आकलन तथा वार्षिक आधार पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्ट-इन द्वारा सूचीबद्ध संगठनों के माध्यम से कराएँ.
   ग. सामान्य प्रेक्षणों को साझा करना: सीएसआईटीई द्वारा की गई आईटी/आईएस जाँचों और वीआईसीएस विवरणी की संवीक्षा से उत्पन्न सामान्य प्रेक्षणों को सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ साझा किया गया.
   घ. साइबर घटनाएँ और चेतावनी संकेत (अलर्ट): वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, कुल 60 साइबर घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई. सीएसआईटीई ने सर्ट-इन, भारत रिज़र्व बैंक और अन्य एजेंसियों द्वारा जारी एडवाइज़री/ अलर्ट के आधार पर पर्यवेक्षित संस्थाओं को 16 अलर्ट/ एडवाइज़री जारी कीं.

7.5 आगे की राह

नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित पर्यवेक्षी प्रक्रियाएँ निर्दिष्ट की गई हैं:

1. क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए एनबीएससी और बर्ड के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यशालाओं और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.
2. एनबीएससी के सहयोग से विकास सहायकों का क्षमता निर्माण किया जाएगा.
3. आईटी/आईएस जाँच का विस्तार कर अधिक पर्यवेक्षित संस्थाओं को इस दायरे में लाया जाएगा; स्तर-1 और स्तर-2 की संस्थाओं की जाँच क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाएगी तथा स्तर-3 और स्तर-4 की संस्थाओं की जाँच प्रधान कार्यालय द्वारा की जाएगी.
4. पर्यवेक्षित संस्थाओं पर लागू साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, आईटी/आईएस जाँच तथा जाँच प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा.
5. आईटी/ आईएस जाँच मॉड्यूल को स्वचालित बनाया जाएगा.
6. अलर्ट/ संकेत मॉड्यूल को स्वचालित बनाया जाएगा.

नोट

1. कैमलएससी (CAMELSC)- सी = पूँजी पर्याप्तता, ए = आस्ति गुणवत्ता, एम = प्रबंधन, ई = अर्जन, एल = चलनिधि, एस = प्रणाली और नियंत्रण, सी = अनुपालन
2. इस खंड में प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर: एएमएल = धन-शोधन निवारण (एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग), बर्ड = बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, सरसई = भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निमाण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री, सीएफटी = आंतकवाद वित्तपोषण का सामना, सीपीएफ = काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, एफआईयू-इंडिया = वित्तीय आसूचना एकक-भारत, एफपीएसी = एएमएल/ सीएफ़टी/ सीपीएफ़ में साझेदारी हेतु एफ़आईयू-इंडिया पहल, आई4सी = भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, केवाईसी = अपने ग्राहक को जानो, एमओयू = सहमति ज्ञापन, ग्रास बैंक = ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.
3. इस खंड में प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर: एपीआई = एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बर्ड = बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, सर्ट-इन = भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, सीआईएसओ = मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, सीओई = सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सीएसआईटीई = साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जाँच, सीटीओ = मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, डीएमज़ेड = विसैन्यीकृत क्षेत्र, आई4सी= भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, आईडीआरबीटी = बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान, आईओ = निरीक्षणकर्ता अधिकारी, आईएस = सूचना प्रणाली, आईटी = सूचना प्रौद्योगिकी, एनसीआईआईपीसी = राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, ग्रास बैंक = ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक, वीआईसीएस = भेद्यता पहचान अनुपालन स्थिति.



8

8.1 अल्पावधि सहकारी संस्थाएँ
8.2 दीर्घावधि सहकारी संस्थाएँ
8.3 अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की मुख्य बातें
8.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
8.5 आगे की राह
अध्याय 8 का परिशिष्ट

ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को सशक्त बनाना

ग्रामीण समृद्धि के अपने ध्येय को हासिल करने की दिशा में नाबार्ड संस्थागत विकास के माध्यम से आगे बढ़ता है. कृषि और ग्रामीण विकास में सहयोग देने के लिए ग्रामीण सहकारी (ग्रास) बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंकों सहित ग्रामीण वित्तीय संस्थाएँ (आरएफआई) वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.[1] अपने विस्तृत नेटवर्क और व्यापक पहुँच के साथ, इन संस्थाओं ने निर्धनों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देकर संस्थागत ऋण के दायरे का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. बैंकिंग तक पहुँच में सुधार लाने और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़, वित्तीय रूप से संधारणीय और परिचालन की दृष्टि से कुशल संस्थाओं में बदलने के लिए, नाबार्ड विकासात्मक और पर्यवेक्षकीय दोनो प्रकार के उपाय करता है. इनमें कारोबार में वृद्धि, लाभप्रदता, पूँजी पर्याप्तता और अनर्जक आस्ति (एनपीए) जैसे मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों की निगरानी शामिल है. नाबार्ड आरएफआई के माध्यम से पुनःपूँजीकरण, सेवा विविधीकरण, उत्पाद नवोन्मेष और डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने जैसी पहलों का भी समर्थन करता है, जिससे जमीनी स्तर पर प्रभावी ऋण वितरण में वृद्धि होती है और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित होती है.

8.1 अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में तीन प्रकार की वित्तीय संस्थाएँ होती हैं, नामतः राज्य/ शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी (रास) बैंक, जिला स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी (जिमस) बैंक और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स). पैक्स के अतिरिक्त, कुछ अन्य प्रकार की प्राथमिक समितियाँ भी जिमस बैंकों से सहबद्ध है. लेकिन सभी राज्य परंपरागत त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण नहीं करते. बारह राज्यों में त्रिस्तरीय प्रणाली है, सात राज्यों में मिश्रित प्रणाली (त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय प्रणालियों का मिश्रण) है, और पंद्रह राज्यों में द्विस्तरीय संरचना है.

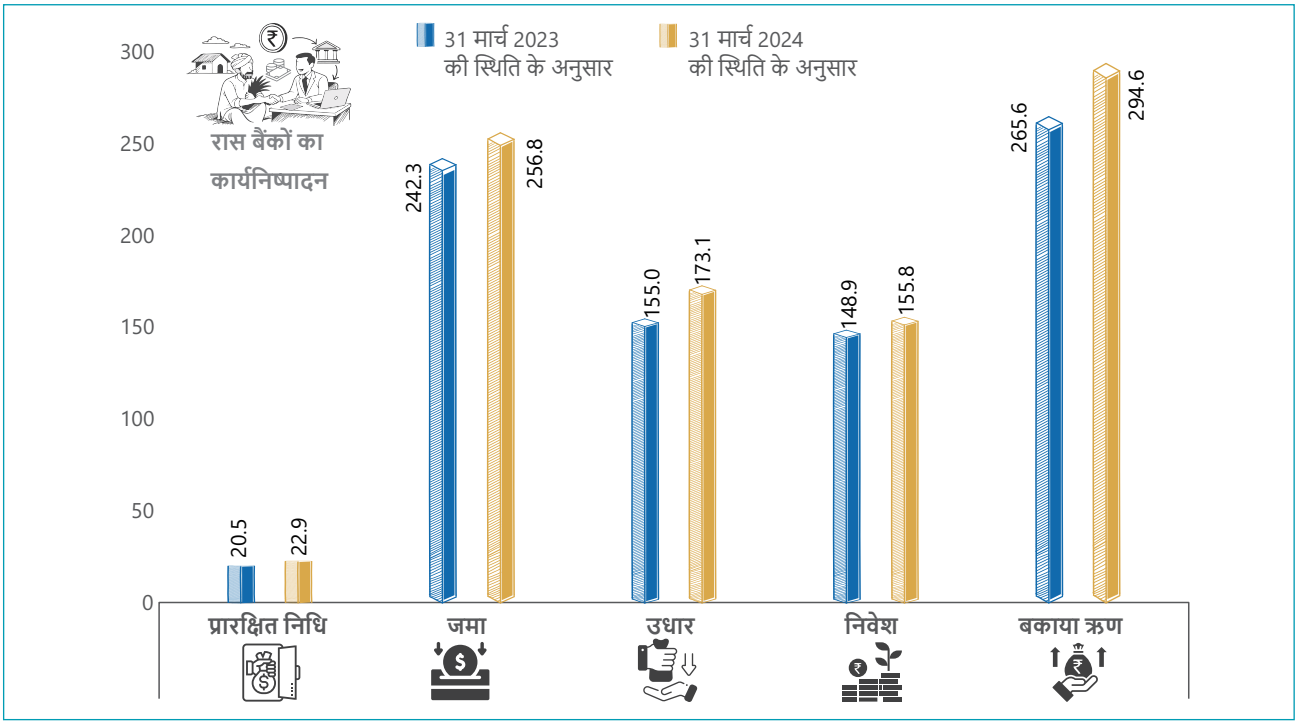


ग्रामीण जीवनों और आजीविकाओं का अल्पावधि ऋण के माध्यम से रूपांतरण

31 मार्च 2025 तक, अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में 34 रास बैंक (2,140 शाखाएँ), 351 जिमस बैंक (13,759 शाखाएँ) और लगभग 1.06 लाख पैक्स[2] हैं. रास बैंक और जिमस बैंक, बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामकीय दायरे में आते हैं, और बैंककारी विनिमयन अधिनियम की धारा 35(6) के अंतर्गत नाबार्ड को इन संस्थाओं के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है. पैक्स बैंककारी विनिमयन अधिनियम के दायरे के बाहर है और उन्हें अपने नाम के हिस्से या अपने व्यवसाय के संबंध में "बैंक", "बैंकर", या "बैंकिंग" शब्द का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है. रास बैंकों और जिमस बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार दर्ज किया (चित्र 8.1 और 8.2).

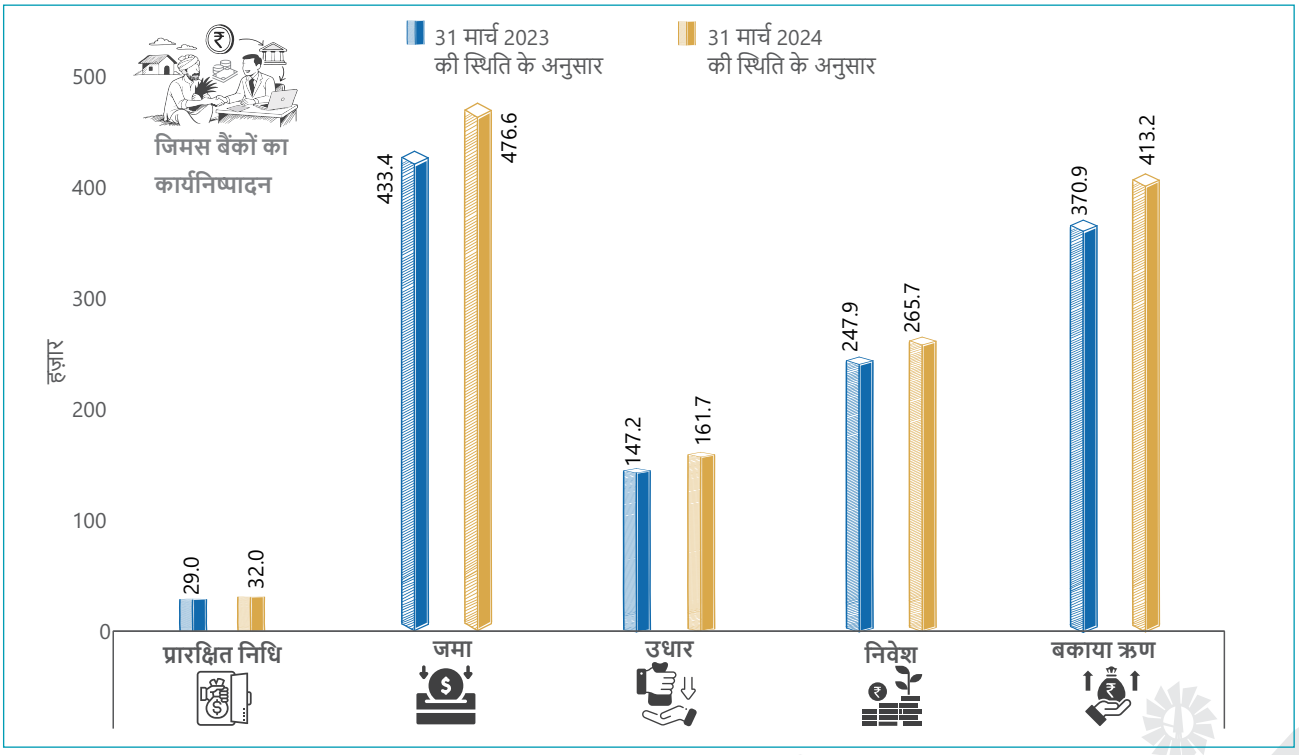
रास बैंकों और जिमस बैंकों के समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन का विवरण परिशिष्ट तालिका अ8.1 में दिया गया है.

चित्र 8.1: वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में रास बैंकों का कार्यनिष्पादन (₹ '000 करोड़ में)



रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक

चित्र 8.2 : वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में जिमस बैंकों का कार्यनिष्पादन (₹ '000 करोड़ में)



जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक.

8.2 दीर्घावधि सहकारी संस्थाएँ

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना मुख्य रूप से द्विस्तरीय संरचना में काम करती है जिसमें राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास (रासकृग्रावि) बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास (प्रासकृग्रावि) बैंक आते हैं.

जिन 13 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रासकृग्रावि बैंक काम कर रहे हैं, उनमें से पाँच राज्यों में वे एकात्मक संरचना का पालन करते हैं, जिसके अंतर्गत वे शाखाएँ संचालित करते हैं लेकिन अलग से प्रासकृग्रावि बैंक नहीं हैं; छह राज्यों में प्रासकृग्रावि बैंक के माध्यम से संचालित संघीय ढाँचा है; और दो राज्य एक मिश्रित मॉडल का पालन करते हैं, जहाँ रासकृग्रावि बैंक अपनी शाखाओं, और प्रासकृग्रावि बैंक, दोनों के माध्यम से संचालित होते हैं. चूँकि कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 से अभिशासित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें गैर-सदस्यों से माँग जमाराशियाँ जुटाने की अनुमति नहीं है और ऐसी जमाराशियाँ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के अंतर्गत नहीं आती हैं.

रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों की वित्तीय स्थिति का सारांश परिशिष्ट तालिका अ8.2 में दिया गया है.

8.3 अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की महत्वपूर्ण प्रगति

8.3.1 नई बहु-उद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों का गठन और सुदृढ़ीकरण

केंद्रीय कैबिनेट ने 15 फरवरी 2023 को पाँच वर्ष की अवधि में 2 लाख नई बहु-उद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों (एम-पैक्स) के साथ-साथ डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन से सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवन देने की योजना को मंजूरी दी. इस पहल का उद्देश्य मौजूदा सहकारी समितियों को मजबूत करते हुए सभी पंचायतों और गाँवों का कवरेज सुनिश्चित करना है. नाबार्ड और राज्य सरकारों ने इस अवधि में संयुक्त रूप से 95,327 एम-पैक्स के गठन का लक्ष्य रखा है.

माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने 19 सितंबर 2024 को 'मार्गदर्शिका' का शुभारंभ किया, जिसमें प्रत्येक पंचायत में बहु-उद्देशीय समितियों और डेयरी तथा मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए रूपरेखा निर्दिष्ट की गई है. इसके बाद, 25 दिसंबर 2024 को मंत्री महोदय ने 10,000 नवगठित सहकारी समितियों का उद्घाटन किया. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, कुल 18,406 नई समितियों की स्थापना की गई जिनमें 5,175 एम-पैक्स, 11,900 बहु-उद्देशीय डेयरी सहकारी समितियाँ और 1,331 बहु-उद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियाँ सम्मिलित हैं. यह उपलब्धि सहकारिता विकास के प्रयासों में हुई प्रगति को दर्शाती है.

8.3.2 सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार के लिए राष्ट्रीय अभियान

वित्तीय वर्ष 2024 में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों और अन्य सहकारी निकायों के सभी वित्तीय लेनदेनों को सहकारी बैंकिंग नेटवर्क से रूट करने को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के बनासकांठा और पंचमहाल जिमस बैंकों में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाना है. इस प्रयास के अंतर्गत घर के पास डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) के अंतर्गत रास बैंकों और जिमस बैंकों को प्रदत्त अनुदान सहायता के माध्यम से प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम उपलब्ध कराए गए.

जिमस बैंकों ने डेयरी किसानों को बैंक में खाता खोलते समय ही रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए. एफ़आईएफ़ के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा कर वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से इस पहल के बारे में जागरूकता पैदा की गई. बाद में इस प्रायोगिक परियोजना के दायरे को बढ़ा कर गुजरात के सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया और परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई.

गुजरात में मिली सफलता के बाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में 19 सितम्बर 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए यह परियोजना शुरू की गई. नाबार्ड माइक्रो-एटीएम की खरीद और वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन के लिए रास बैंकों और जिमस बैंकों को सहायता उपलब्ध कराता है. नाबार्ड ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में इस अभियान के अनुप्रवर्तन के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया है.

अभियान के प्रमुख परिणामों में शामिल हैं (i) जमा खातों की संख्या में 19.6 लाख की वृद्धि, (ii) ग्रास के साथ जमा में ₹6,284 करोड़ की वृद्धि, और (iii) 1.95 लाख रुपे केसीसी जारी करना. इन पहलों ने सहकारी क्षेत्र के भीतर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है.

8.3.3 ग्रास बैंकों के लिए सहकारिता अभिशासन सूचकांक

ग्रास बैंकों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत अभिशासन प्रणाली और सकारात्मक संस्थागत संस्कृति आवश्यक है. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक वेब-आधारित सहकारिता अभिशासन सूचकांक (सीजीआई) पोर्टल विकसित किया जा रहा है. सीजीआई में गुणात्मक और मात्रात्मक विशेषताएँ शामिल की गई हैं जिन्हें 11 श्रेणियों में समूहित किया गया है और जिन्हें आगे 19 उप-श्रेणियों और 135 अलग-अलग मापदण्डों में विभाजित किया गया है.

प्रत्येक मापदण्ड के अंतर्गत अभिशासन की स्थिति को 0 से 100 के पैमाने पर आकलित किया जाता है. अधिकतम प्राप्तांक 100 रखा गया है. यह पैमाना सभी श्रेणियों, उप-श्रेणियों और मापदण्डों के संदर्भ में कार्यनिष्पादन की स्थिति निर्दिष्ट करता है. प्रत्येक विशेषता/ लक्षण को विशिष्ट भारांक दिया गया है और निर्धारित अभिशासन मानकों का अनुपालन न करने की स्थिति में ऋणात्मक अंक भी दिये जाते है.

8.3.4 पैक्स एस्सेलेरेटर पायलट



प्रौद्योगिकी को समर्थन प्रदान

ऋणेतर व्यवसाय गतिविधियों में विविधता लाने के लिए 'उन्नति चरण II' पहल के अंतर्गत नाबार्ड पैक्स के सहयोग हेतु 'पैक्स एक्सेलेरेटर पायलट परियोजना' लागू कर रहा है. पायलट परियोजना के भाग के रूप में यह कार्यक्रम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाणा राज्यों में 30 समितियों में लागू किया जा रहा है. यह कार्यक्रम 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है : (i) बाजार-आधारित गतिविधि का चयन, (ii) जिमस बैंकों द्वारा समय पर वित्तपोषण, (iii) आधार स्तर पर लोगों को समर्थ बनाना और आधारभूत संरचनागत सहयोग, और (iv) क्षमता निर्माण. जिमस बैंकों द्वारा वित्तपोषण के लिए 36 ऋणेतर गतिविधियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं. नाबार्ड के अधिकारी चुनी गई व्यवसाय गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए पैक्स को आरंभिक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं. पैक्स कार्मिकों के क्षमता निर्माण के लिए एक समग्र प्रशिक्षण योजना भी तैयार की गई है. नाबार्ड ने इस पहल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 तक 10,000 पैक्स को शामिल करने का लक्ष्य रखा है.

8.3.5 सहकारिता विकास निधि के अंतर्गत कार्यान्वित परियोजना

सहकारिता विकास निधि (सीडीएफ़) की स्थापना नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1993 में ₹10 करोड़ की आरंभिक समूह निधि से की गई थी, जिसे नाबार्ड के वार्षिक लाभ के अंशदान से समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है. सीडीएफ़ की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2025 तक इस निधि से ₹381.5 करोड़ की संचयी राशि संवितरित की गई है. पुनःपूर्ति और विनियोजन के बाद, 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार, समूह निधि की शेष राशि ₹200 करोड़ है. सीडीएफ के अंतर्गत प्रदान की गई अनुदान सहायता के बारे में परिशिष्ट तालिका अ8.3 में जानकारी दी गई है.

31 मार्च 2025 की स्थिति में सीडीएफ़ के अंतर्गत प्रमुख परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं:-

1. सीडीएफ से अधिकांश सहायता सहकारी बैंक कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता की योजना (सॉफ्टकॉब) के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रदान की जाती है. पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं (सीटीआई) ने सहकारी संरचना के विभिन्न स्तरों में एक लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 4,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं. नाबार्ड ने सॉफ्टकॉब को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025 में सॉफ्टकॉब दिशानिर्देशों का व्यापक पुनरीक्षण किया.
2. सीडीएफ योजना के अंतर्गत, नाबार्ड ने बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ में सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी-पीईसी) की स्थापना की. सी-पीईसी का उद्देश्य अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के अंतर्गत व्यावसायिकता और कुशल मानव संसाधन के संवर्धन

के लिए प्रशिक्षण प्रणालियों की गुणवत्ता को बढ़ाना और नीतियाँ विकसित करना है. इसकी मुख्य गतिविधियों में सीटीआई का प्रत्यायन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण, परिचालन और तकनीकी मैनुअल तैयार करना, प्रमाणन पाठ्यक्रमों का संचालन और प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल हैं. इस निधि का उपयोग नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थानों (बर्ड लखनऊ, मंगलूरु और कोलकाता) द्वारा संचालित प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए भी किया जाता है. सभी परिचालन कार्यों के डिजिटलीकरण और दायरे के विस्तार के माध्यम से सी-पीईसी को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

3. वर्ष 2020 में नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के अंतर्गत व्यवसाय विविधीकरण और उत्पाद नवोन्मेष कक्ष (बीडीपीआईसी) की स्थापना के लिये सीडीएफ़ समर्थित योजना आरंभ की. 31 मार्च 2025 की स्थिति में ₹15.5 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ 20 बीडीपीआईसी परिचालन में हैं.
4. पैक्स को बहु-सेवा केंद्रों (एमएससी) के रूप में परिवर्तित करने की योजना के लिए भी सीडीएफ सहायता उपलब्ध है. इस योजना के अंतर्गत, परियोजना तैयार करने, एक्सपोजर दौरे, कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण, प्रलेखन और प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे कार्यों के लिए समितियाँ प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता प्राप्त कर सकती हैं. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, इस पहल के अंतर्गत ₹366.1लाख का संवितरण किया गया था.
5. प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग, मार्गदर्शन, एक्सपोजर दौरे और अन्य संगत पहलों के माध्यम से पैक्स के क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण में सहयोग देने के लिए रास बैंकों और जिमस बैंकों (द्विस्तरीय प्रणालियों में) में पैक्स विकास कक्ष (पीडीसी) की स्थापना की गई है. इन प्रयासों का उद्देश्य पैक्स को वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं को कुशलतापूर्वक और व्यवहार्य रूप से उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना है. 31 मार्च 2025 की स्थिति में 20 राज्यों में 2,556 पैक्स को शामिल करते हुए पीडीसी की स्थापना के लिए 95 रास बैंकों और जिमस बैंकों को मंजूरी दी गई है.
6. भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और जम्मू और कश्मीर के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण प्रयासों और आधारभूत संरचना सहायता के लिए व्यापक सहायता योजना उपलब्ध है. 31 मार्च 2025 की स्थिति में इन क्षेत्रों में रास बैंकों के लिए कुल ₹1,009 लाख की राशि मंजूर की गई है.

8.3.6 अम्ब्रेला डिजिटल पोर्टल का विकास

एंगेज पहल के तहत डिजिटल रूपान्तरण के लक्ष्य के भाग के रूप में नाबार्ड एक अम्ब्रेला डिजिटल पोर्टल विकसित कर रहा है जो सीडीएफ़ की विभिन्न योजनाओं और अन्य संस्थागत पहलों के अंतर्गत कार्यनिष्पादन को ट्रैक करेगा. इस पोर्टल को सितम्बर 2025 में शुरू करने की योजना है.

8.3.7 नए रास बैंकों और जिमस बैंकों की स्थापना के प्रयास

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुँच में विस्तार के लिए नाबार्ड ने एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है जिसमें सहकारी बैंकिंग संरचना के भीतर अतिरिक्त संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति की गई है. इस पत्र में लाभप्रदाता योजनाएँ तैयार करने की शर्त के अधीन 240 नए जिमस बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है. साथ ही, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में 2 नए रास बैंकों की स्थापना का भी प्रस्ताव है. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण पत्र को विचार के लिए राज्य सरकारों को भेजा है. इस पहल के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विद्यमान सेलम जिमस बैंक को विभाजित कर नमक्कल जिले में एक नए जिमस बैंक की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है.

8.3.8 टर्नअराउंड योजना तैयार करना और ग्रास बैंकों द्वारा विकास कार्य योजना तैयार करना

कमजोर ग्रास बैंकों के सुदृढीकरण के उद्देश्य से नाबार्ड ने प्रत्येक कमजोर रास बैंक के लिए एक टर्नअराउंड योजना (टीएपी) तैयार करने की पहल की है. एक व्यापक संरचना के तहत, नाबार्ड की अद्यतन निरीक्षण रेटिंग के आधार पर सी और डी श्रेणियों में आने वाले ग्रास बैंकों को, और साथ ही ऐसे ग्रास बैंकों को, जो 'पर्यवेक्षकीय कार्रवाई - टर्नअराउंड के लिए स्व-प्रयास' के अंतर्गत हैं, सूचित किया गया है कि वे एक बहु-आयामी टीएपी तैयार कर कार्यान्वित करें. टीएपी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह न केवल वित्तीय मापदण्डों पर सुधार लाए, बल्कि महत्वपूर्ण परिचालनगत आयामों को भी ठीक करे जिनमें व्यवसाय विविधीकरण, आंतरिक जाँच और नियंत्रण, अभिशासन, लागत को विवेक सम्पत बनाना, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और वित्तीय समावेशन शामिल हैं. इससे इन बैंकों का समग्र सुधार सुनिश्चित होगा.

नाबार्ड ने टीएपी तैयार करने में मार्गदर्शन के लिए एक मानकीकृत टेम्प्लेट परिचालित किया है और चिह्नित ग्रास बैंकों के अधिकारियों के लिए बर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं. सभी लक्षित बैंकों ने अपनी योजनाएँ प्रस्तुत कर दी हैं और सहकारिता मंत्रालय सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रगति का अनुप्रवर्तन किया जा रहा है.

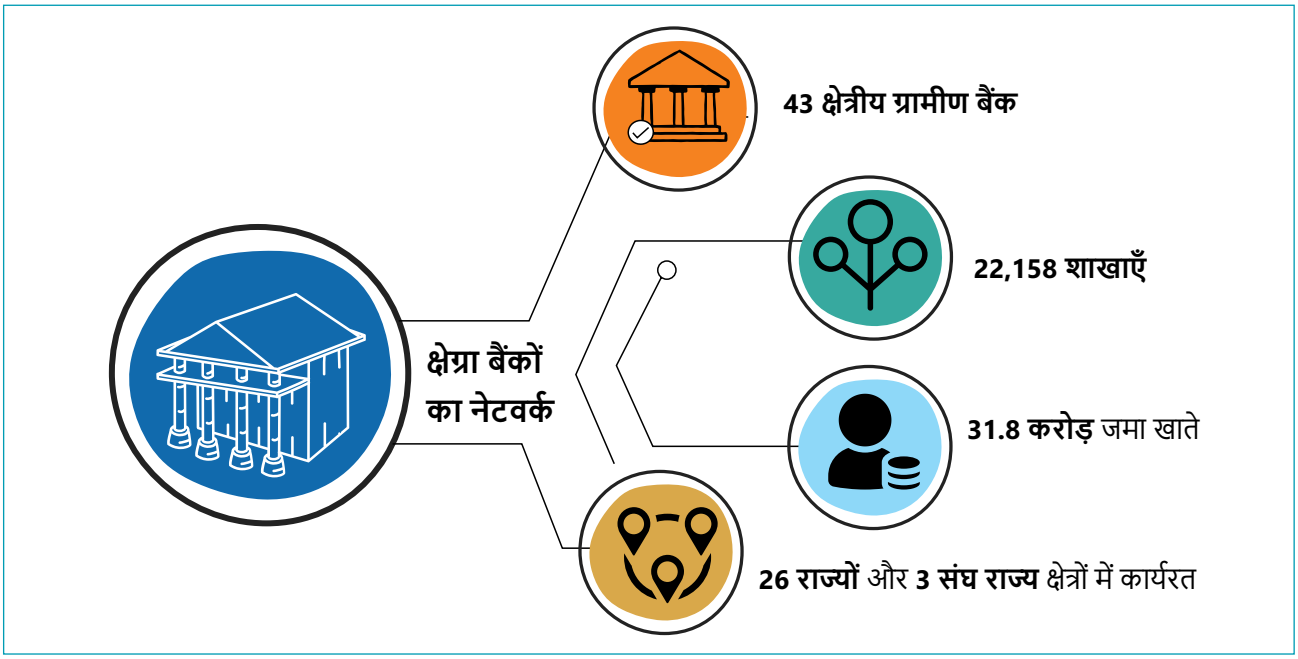
8.3.9 आंतरिक शिकायत निवारण पोर्टल

पारदर्शिता, जवाबदेही और सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रणों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ग्रास बैंकों के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत/ परिवाद निवारण/ प्रतितोष प्रबंधन प्रणाली के लिए एक व्हाइट लेबेल वेब एप्लिकेशन विकसित कर रहा है. यह पोर्टल ग्राहकों की शिकायतों के समय पर कुशलतापूर्वक समाधान और पर्यवेक्षकीय अपेक्षाओं के अनुपालन में सहयोग देगा. चुने हुए ग्रास बैंकों के साथ विकास और परीक्षण चरण पूरे हो चुके हैं.

8.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1975 में स्थापित क्षेग्रा बैंकों का प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों, और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ देकर ग्रामीण आर्थिक विकास का संवर्धन करना है. ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक सेक्टरों से संबन्धित गतिविधियों और साथ ही उनसे संबद्ध और सहायक सेवाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराते हैं (चित्र 8.3).

चित्र 8.3: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार क्षेग्रा बैंकों का नेटवर्क



यह उल्लेखनीय है कि क्षेग्रा बैंकों की 92% शाखाएँ ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में इन बैंकों की केंद्रीय भूमिका स्पष्ट होती है.

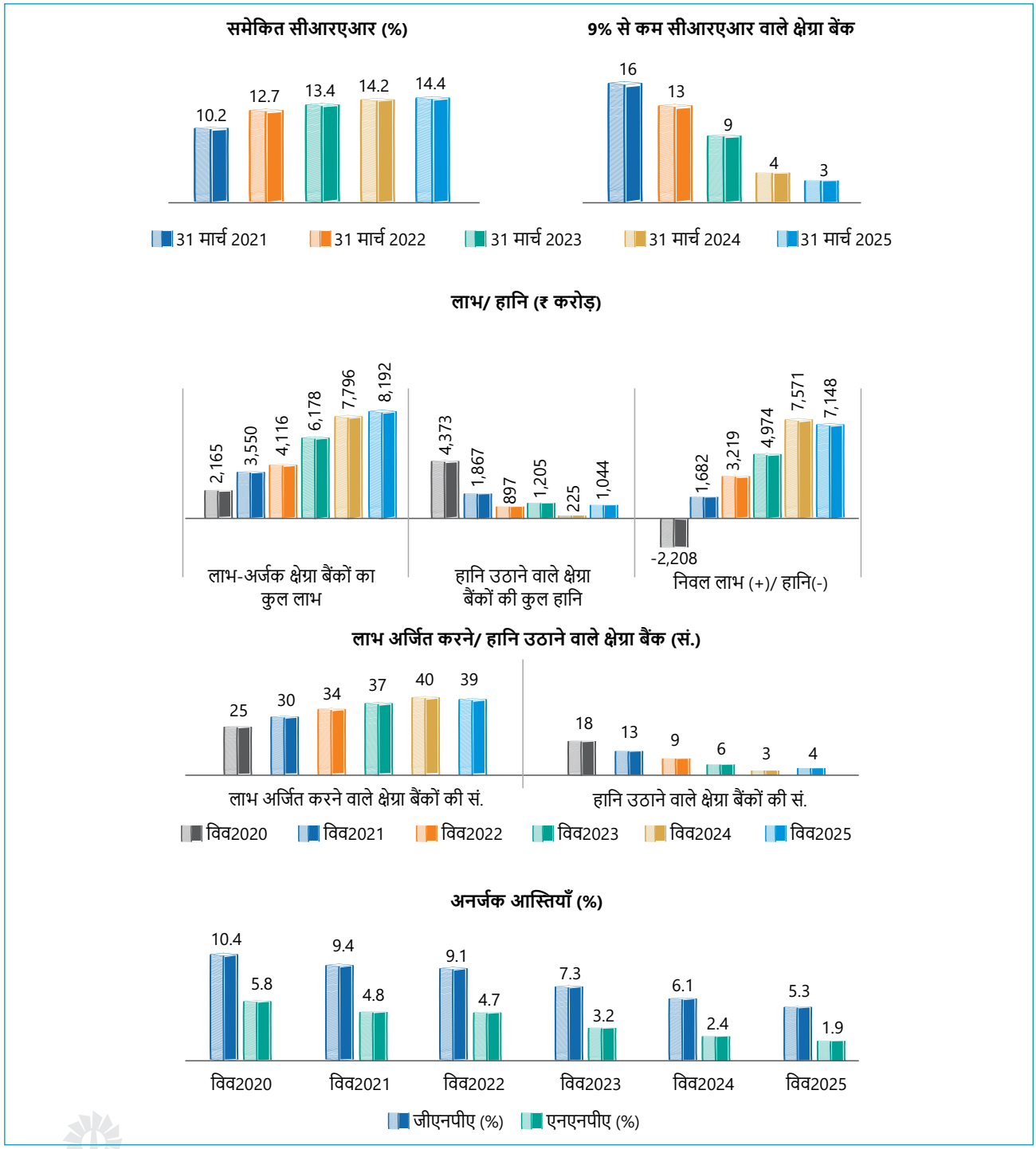
8.4.1 क्षेग्रा बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान सभी क्षेग्रा बैंकों का समेकित लाभ ₹7,148 करोड़ था.[3] 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में समेकित पूँजी का अनुपात 14.4% के अब तक के सबसे ऊँचे उच्च स्तर पर पहुँच गया, जबकि यह अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष में 14.2% था.

आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ जैसा कि सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के घटकर 5.3 प्रतिशत हो जाने से परिलक्षित होता है. यह पिछले 13 वर्षों में दर्ज किया गया जीएनपीए का निम्नतम स्तर है. ऋण गतिविधियों में विस्तार के परिणामस्वरूप समेकित ऋण-जमा अनुपात बढ़कर 73.8% हो गया, जो 38 वर्षों में उच्चतम स्तर को चिह्नित करता है.

मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों में सुधार चित्र 8.4 में दर्शाया गया है. इन संकेतकों का विस्तृत सारांश परिशिष्ट तालिका अ8.4 में दिया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन परिशिष्ट तालिका अ8.5 में दिया गया है.

चित्र 8.4: वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें



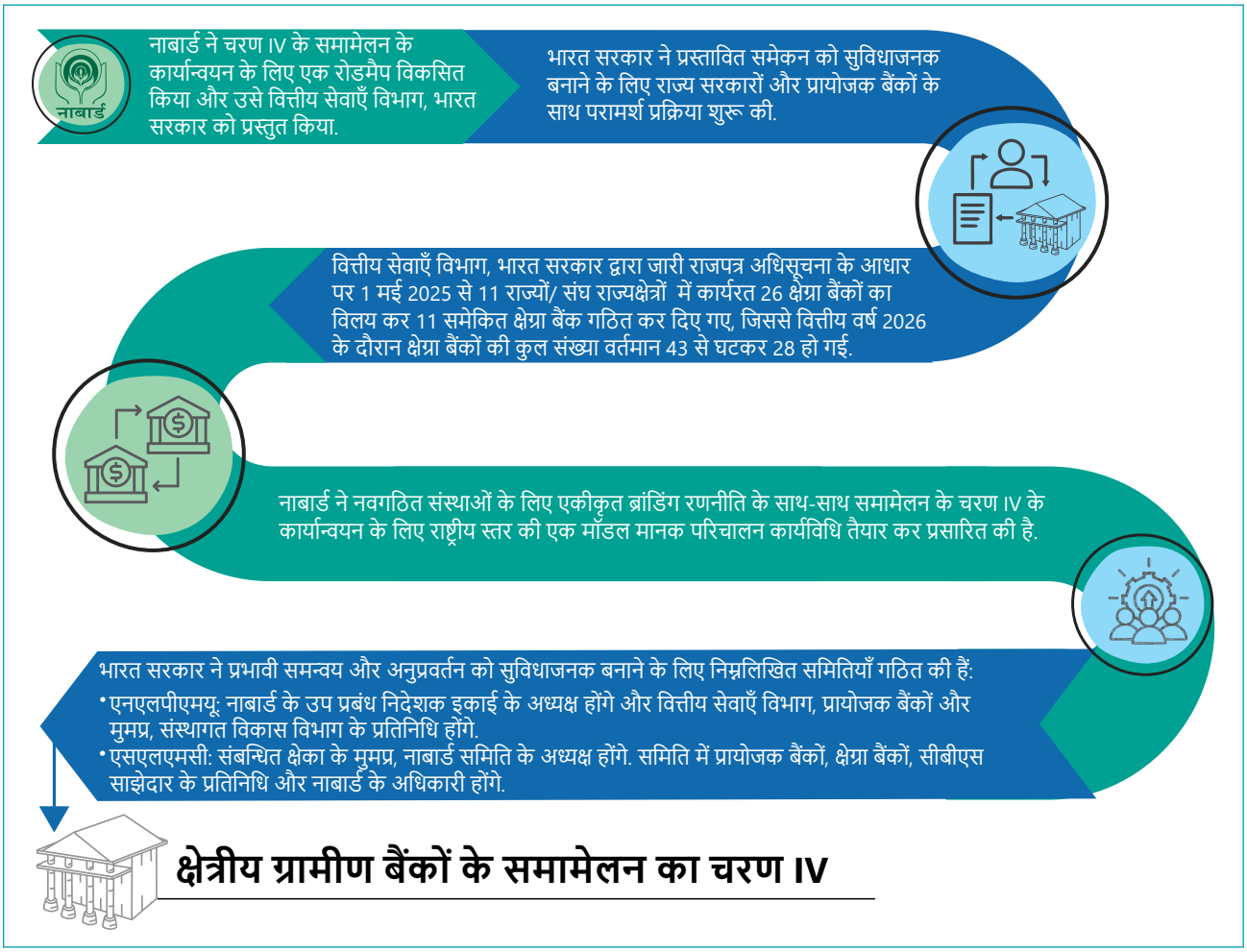
सीआरएआर = जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात, जीएनपीए = सकल अनर्जक आस्ति, एनएनपीए = निवल अनर्जक आस्ति, क्षेत्रीय बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.

8.4.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबन्धित महत्वपूर्ण घटनाक्रम

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, भारत सरकार ने 'एक राज्य- एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के चरण IV हेतु परामर्श प्रक्रिया शुरू की. इस पहल से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या वर्तमान 43 से घटकर 28 होने की आशा है (चित्र 8.5). समामेलन के चरण IV के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनन्य मूल्यवत्ता अर्थात ग्रामीण समुदायों के साथ उनके गहरे जुड़ाव को संरक्षित रखने का प्रयास तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ उनके समेकन के माध्यम से बड़े पैमाने के परिणामास्वरूप आने वाली दक्षताओं और लागतों को विवेकसम्मत बनाने का भी प्रयास किया जाएगा.

चित्र 8.5: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन, चरण IV: नाबार्ड की भूमिका



क्षेग्रा बैंक= क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डीएफ़एस = वित्तीय सेवाएँ विभाग, एनएलपीएमयू = राष्ट्र स्तरीय परियोजना अनुप्रवर्तन इकाई, एसएलएमसी = राज्य स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति, क्षेका = क्षेत्रीय कार्यालय, मुमप्र = मुख्य महाप्रबंधक, सीबीएस = कोर बैंकिंग समाधान.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुन:पूँजीकरण

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूँजी डालने के लिए ₹10,890 करोड़ मंजूर किए जिसमें सभी हितधारकों का अंशदान था – भारत सरकार (50%: ₹5,445 करोड़), राज्य सरकारें (15%) और प्रयोजक बैंक (35%). इसका उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय रूप से संधारणीय और आत्म-निर्भर संस्थाओं के रूप में सुदृढ़ बनाना था.

भारत सरकार के हिस्से में से, संबंधित राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों द्वारा अपना आनुपातिक अंशदान दे दिए जाने के बाद, वित्तीय वर्ष 2025 में ₹261 करोड़ की राशि 3 क्षेग्रा बैंकों को संवितरित की गई – आर्यावर्त बैंक (₹137.7 करोड़), बड़ौदा यूपी बैंक (₹57.9 करोड़) और केरल ग्रामीण बैंक (₹65.3 करोड़). इस संवितरण के साथ सभी 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अब सभी हितधारकों द्वारा मंजूर की गई पूर्ण पुनर्पूंजीकरण सहयाता प्राप्त कर ली है.

संधारणीय लाभप्रदता योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति

क्षेग्रा बैंकों को पुनःपूँजीकरण सहायता मंजूर करने के भारत सरकार के निर्णय के बाद सभी क्षेग्रा बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2023 में अपने-अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तीन-वर्षीय लाभप्रदता योजना शुरू की जिसमें विशिष्ट, मापन-योग्य, हासिल किए जाने योग्य, संगत और समयबद्ध (स्मार्ट) मीट्रिक्स और एक स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यान्वयन संरचना शामिल की गई. इस योजना का उद्देश्य ऋण विस्तार, व्यवसाय विविधीकरण, आस्ति गुणवत्ता उन्नयन, लागत को विवेकसम्मत बनाने, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और अधिक सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन के माध्यम से संधारणीय लाभप्रदता हासिल करना है.

नाबार्ड ने ये लाभप्रदता योजनाएँ तैयार करने में क्षेग्रा बैंकों को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नाबार्ड निरंतर संधारणीय लाभप्रदता योजना संरचना के तहत आवधिक अनुप्रवर्तन करता है. नाबार्ड द्वारा विकसित डिजिटल पोर्टल 'आरआरबी दर्पण' क्षेग्रा बैंकों के तत्काल अनुप्रवर्तन और समीक्षा का प्रभावी साधन सिद्ध हुआ है. इस पृष्ठभूमि में, क्षेग्रा बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2025 में लगातार सुधार दर्ज करते हुए अनेक मापदण्डों पर ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं.

क्षेग्रा बैंकों द्वारा एमएसएमई के ऋणीकरण के संवर्धन के लिए पहलें

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण देने को प्राथमिकता दी है. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, उद्यम आवश्यकताओं के साथ ऋण वितरण का तालमेल बिठाने हेतु क्षेग्रा बैंक शाखाओं को एमएसएमई क्लस्टरों के साथ मैप किया गया था. सभी क्षेग्रा बैंकों ने अपने परिचालन क्षेत्रों के भीतर चिह्नित एमएसएमई क्लस्टरों के साथ अपनी शाखाओं की मैपिंग का काम पूरा कर लिया है. कई क्षेग्रा बैंकों ने एमएसएमई के लिए अभिनव और अनुकूलित ऋण उत्पाद सामने रखना शुरू कर दिया है, जो इन शाखाओं में उधारकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इससे उनके ऋण पोर्टफोलियो में विविधता आई है.

विशेष ध्यान के अंतर्गत रखे गए क्षेग्रा बैंक

विशेष ध्यान के अंतर्गत रखे गए क्षेग्रा बैंक - यह तंत्र पूर्व-चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो क्षेग्रा बैंकों की आगे संभावित वित्तीय गिरावट को रोकने तथा 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई संरचना' के अंतर्गत उनके शामिल होने की आशंका को दूर करने के लिए क्षेग्रा बैंकों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई[4] की आवश्यकता का संकेत देता है. क्षेग्रा बैंकों को निरंतर मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान कर नाबार्ड संस्थागत सहयोग के अन्य रूपों की अनुपूर्ति करता है.

चिह्नित क्षेग्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए 17 सितम्बर 2024 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसके दौरान 11 क्षेग्रा बैंकों के अध्यक्षों ने अपने परिचालन के प्रमुख पहलुओं को रेखांकित करते हुए प्रस्तुतियाँ दीं. प्रस्तुतियों में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए लाभप्रदता योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु व्यापार विविधीकरण, तकनीकी उन्नयन और एनपीए को कम करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति शामिल थी.

आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की आस्तियों और देयताओं का विभाजन

आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) के अंतर्गत भारत सरकार ने 20 अक्तूबर 2014 को आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) और तेलंगाणा ग्रामीण बैंक के परिचालन क्षेत्र के पुनर्गठन को अधिसूचित किया[5]. इन अधिसूचनाओं को परिचालन में लाने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यसमूह गठित किया है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा राज्यों के बीच आस्तियों और देयताओं को विभाजित करने में अनुशंसा करेगा.

वित्तीय वर्ष 2024 में डीएफ़एस ने एपीजीवीबी की आस्तियों और देयताओं के विभाजन की योजना[6] अनुमोदित की और नाबार्ड को सूचित किया कि वह कैलेंडर वर्ष 2024 के अंत तक कार्यसमूह की अनुशंसा के अनुरूप इस प्रक्रिया को पूरा करे. एपीजीवीबी की 493 शाखाओं का विभाजन पूरा हो गया है और इन शाखाओं को 1 जनवरी 2025 से तेलंगाणा ग्रामीण बैंक में शामिल कर दिया गया है.

पेंशन और कंप्यूटर वेतनवृद्धि के बकाये का भुगतान

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12 अगस्त 2024 के अपने आदेश के माध्यम से क्षेत्रा बैंकों के कर्मचारियों के बकाये के भुगतान के साथ पेंशन योजना और कंप्यूटर वेतनवृद्धि योजना को कार्यान्वित करने का निर्देश भारत सरकार को दिया. नाबार्ड ने इस निर्देश के अनुपालन में सहयोग देने के लिए बकाये की पात्र राशि की गणना और संवितरण में सक्षम बनाया.

साथ ही, नाबार्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया कि वह क्षेत्रा बैंकों को अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन करने की अनुमति दे. इस अनुरोध के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रा बैंकों को, प्रतिवर्ष कुल देयता के न्यूनतम 20 प्रतिशत के व्यय की शर्त के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्य वित्तीय वर्ष से शुरू कर 5 वर्ष से अनधिक अवधि में देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी.

सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इन्फ्रास्ट्रक्चर

नाबार्ड क्षेत्रा बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल ऋणीकरण प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है जिसका नाम है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीसीआई). सीडीसीआई को विभिन्न ऋण उत्पादों की प्रोसेसिंग और प्रबंधन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और स्वचालन के माध्यम से कार्य को सुकर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिससे परिचालन में दक्षता और पारदर्शिता आएगी. यह अपेक्षा है कि कुछ क्षेत्रा बैंकों में फिलहाल जो लोन ओरिजिनेशन प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है, उससे यह नई प्रणाली अधिक त्वरित और दक्षतापूर्ण समाधान दे सकेगी. सितम्बर 2025 के अंत तक सीडीसीआई को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

क्षेत्रा बैंकों के लिए संशोधित मानव संसाधन नीति

डीएफ़एस ने क्षेत्रा बैंकों में भर्ती, पदोन्नति, कार्यों की आउटसोर्सिंग, अध्यक्षों की नियुक्ति और प्रायोजक बैंकों के अधिकारियों की क्षेत्रा बैंकों में प्रतिनियुक्ति से संबन्धित मामलों की समीक्षा के लिए 30 सितम्बर 2022 को एक समिति गठित की. समिति का गठन नाबार्ड के तत्कालीन उप प्रबंध निदेशक और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी के. वी. की अध्यक्षता में किया गया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2023 में प्रस्तुत की. वित्तीय वर्ष 2025 में समिति की अनुशंसाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए डीएफ़एस और अन्य हितधारकों के साथ कई परामर्श बैठकें हुई. ऐसी उम्मीद है कि सितम्बर 2025 तक क्षेत्रा बैंकों के लिए संशोधित मानव संसाधन नीति जारी कर दी जाएगी.

अन्य प्रयास

- **क्षेत्रा बैंकों में स्थानांतरण नीति**: क्षेत्रा बैंकों में एक समान और गैर-विवेकाधीन स्थानांतरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए डीएफ़एस ने नाबार्ड के परामर्श से क्षेत्रा बैंकों में स्थानांतरण नीतियों के निर्धारण के लिए 20 फरवरी 2025 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए.
- **क्षेत्रा बैंकों के लिए निदेशक मण्डल की आदर्श कार्यसूची**: निदेशक मण्डल की कार्यवाही को सुकर और अभिशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए नाबार्ड ने क्षेत्रा बैंकों के निदेशक मण्डल की बैठकों के लिए एक आदर्श कार्यसूची तैयार की जिसे 29 जुलाई 2024 के नाबार्ड के पत्र के माध्यम से सभी क्षेत्रा बैंकों में परिचालित किया गया.

8.5 आगे की राह

8.5.1 सहकारिताओं का संस्थागत विकास

- विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से 2025 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाना.
- अंतरराष्ट्रीय को-ऑपरेटिव अलायंस और द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ क्रेडिट यूनियन्स सहित अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठनों के साथ अधिक जुड़ाव.
- ग्राहक सेवा और विनियामकीय अनुपालन के सुदृढीकरण के लिए ग्रास बैंकों हेतु एक साझा आंतरिक निवारण पोर्टल शुरू करना.
- ग्रास बैंकों में अभिशासन मानकों के मूल्यांकन और उनमें सुधार के लिए सीजीआई का कार्यान्वयन.
- पैक्स में ऋणेतर गतिविधियों में विविधीकरण तथा सदस्यों की संलग्नता में वृद्धि के लिए पैक्स एक्सेलेरेटर प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना.
- संरचित प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिए क्षेत्रा बैंकों और ग्रास बैंकों हेतु एक आदर्श प्रौद्योगिकी नीति जारी करना.
- अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के समग्र विकास के लिए एक सुदृढ़ मानव संसाधन पारिस्थितिकी के निर्माण के लिए ग्रामीण सहकारी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू करना.

- सहकारी संस्थाओं में प्रौद्योगिकी-नीत प्रयासों के लिए सीडीएफ़ के माध्यम से समर्थकारी नीतिगत सहयोग उपलब्ध कराना.

8.5.2 क्षेत्रा बैंकों का संस्थागत विकास

- क्षेत्रा बैंकों के लिए समामेलन चरण IV की प्रक्रिया का कार्यान्वयन, साथ ही एकीकृत ब्रांडिंग रणनीति के माध्यम से उनकी दृश्यता और कार्य परिणामों में वृद्धि.
- क्षेत्रा बैंकों में ऋण प्रदाय के आद्यंत स्वचालीकरण के लिए सीडीसीआई विकसित कर उसे शुरू करना.
- लक्षित कार्यशालाओं, संदेह निवारण सत्रों और मार्गदर्शक मैनुअल के माध्यम से नाबार्ड के नामिती निदेशकों का क्षमता निर्माण.
- क्षेत्रा बैंकों के पोर्टफोलियो में विविधीकरण के लिए नवोन्मेषी ऋण उत्पादों को डिजाइन करने में सहयोग - उदाहरण के लिए, प्रथम हानि चूक गारंटी सहित आवास ऋण; और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण उत्पाद.
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले विकल्प के रूप में क्षेत्रा बैंकों और ग्रास बैंकों का रणनीतिक पुनःस्थापन.

अध्याय 8 का परिशिष्ट

तालिका अ8.1: रास बैंकों और जिमस बैंकों का समेकित प्रदर्शन (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	रास बैंक			जिमस बैंक		
		31 मार्च 2023	*31 मार्च 2024*	*% परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)*	*31 मार्च 2023*	*31 मार्च 2024*	*% परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)*
1	बैंक (सं.)	34	34	-	351	351	-
2	शाखाएँ (सं.)	2,102	2,140	1.8	13,698	13,759	0.4
3	शेयर पूँजी	9,774	10,531	7.7	26,486	28,661	8.2
4	प्रारक्षित निधि	20,544	22,861	11.3	28,729	31,701	10.3
5	जमा	2,42,327	2,56,819	6.0	4,33,358	4,76,610	10.0
6	उधार	1,54,970	1,73,116	11.7	1,47,207	1,61,728	9.9
7	निवेश	1,48,666	1,55,826	4.8	2,47,942	2,65,692	7.2
8	बकाया ऋण	2,65,580	2,94,577	10.9	3,70,851	4,13,161	11.4
9	आस्तियाँ/ देयताएँ	4,51,840	4,88,266	8.1	6,97,304	7,65,577	9.8
10	लाभ अर्जित करने वाले बैंक (सं.)	32	32	–	305	312	सुधार हुआ
11	लाभ की राशि	2,518	2,726	8.3	2,879	3,297	14.5
12	हानि उठाने वाले बैंक (सं.)	2	2	–	46	39	सुधार हुआ
13	हानि की राशि	60	35	-41.7	998	1,403	40.6
14	निवल लाभ/ हानि	2,458	2,691	9.5	1,881	1,894	0.7
15	सीडी अनुपात (%)	109.6	114.7	सुधार हुआ	85.6	86.7	सुधार हुआ
16	सीआरएआर (%)	13.3	12.9	कमी आई	12.1	11.9	कमी आई
17	<9% सीआरएआर वाले बैंक (सं.)	2	2	-	41	39	सुधार हुआ
18	जीएनपीए (%))	5.4	4.9	सुधार हुआ	9.6	8.9	सुधार हुआ
19	एनएनपीए (%))	2.1	2.0	सुधार हुआ	3.9	3.4	सुधार हुआ
20	पीसीआर (%)	67.2	68.5	सुधार हुआ	78.4	83.9	सुधार हुआ

सीडी अनुपात= ऋण जमा अनुपात, सीआरएआर = जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात, जिमस बैंक= जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, जीएनपीए = सकल अनर्जक आस्तियाँ, एनएनपीए= निवल अनर्जक आस्तियाँ, पीसीआर= प्रावधान कवरेज अनुपात, रास बैंक= राज्य सहकारी बैंक.

स्रोत: बैंकों द्वारा नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल पर प्रस्तुत की गई ऑफ-साइट निगरानी विवरणियाँ.

तालिका अ8.2: रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों की वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	रासकृग्रावि बैंक		प्रासकृग्रावि बैंक	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2024[P]	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024[P]
1	संस्थाओं की संख्या	13	13	608	609
2	उन संस्थाओं की संख्या जिनके लिए डेटा उपलब्ध है	13	13	607	608
3	शेयर पूँजी	973	1,007	1,110	1,058
4	प्रारक्षित निधि	5,621	5,761	4,518	4,600
5	जमा	2,621	2,679	1,721	1,804
6	उधार	12,559	12,520	16,949	16,840
7	बकाया ऋण	20,770	21,048	16,044	15,922
8	निवेश	2,913	2,837	2,387	2,502
9	कुल आस्तियाँ/ देयताएँ	27,795	28,851	32,883	33,324
10	लाभ अर्जित करने वाले बैंक (सं.)	10	9	352	345
11	लाभ की राशि	448	304	535	231
12	हानि उठाने वाले बैंक (सं.)	3	4	255	263
13	हानि की राशि	40	563	234	368
14	निवल लाभ/ हानि	408	–259	301	–137
15	जीएनपीए (राशि)	7,571	8,070	6,371	6,144
16	जीएनपीए(%)	36.4	38.3	39.7	38.6

जीएनपीए= सकल अनर्जक आस्तियाँ, प्रासकृग्रावि बैंक= प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, अ = डेटा अनंतिम है, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक.

स्रोत: रासकृग्रावि बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा.

तालिका अ8.3: वित्तीय वर्ष 2025 में सीडीएफ़ के तहत निधि का उपयोग

क्र. सं.	प्रयोजन	लाभार्थी एजेंसी	उपयोग (₹ लाख)
1	सॉफ्टकॉब	सीटीआई	1,655.1
2	पैक्स विकास कक्ष	जिमस बैंक/ रास बैंक	2.0
3	बर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण	बर्ड (लखनऊ, मंगलूरु, कोलकाता)	443.3
4	एक्सपोजर दौरे	रास बैंक/ जिमस बैंक / पैक्स	75.6
5	सम्मेलन/ संगोष्ठी/ कार्यशाला	नाबार्ड/ रास बैंक/ जिमस बैंक	43.0
6	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापक सहायता योजना	रास बैंक	139.0
7	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	रास बैंक / जिमस बैंक	1,902.1
8	बीडीपीआईसी	रास बैंक	161.5
9	सी-पीईसी	सी-पीईसी	398.3
10	बहु-सेवा केंद्र के रूप में पैक्स	पैक्स	366.1
11	प्रकाशन	ग्रास बैंक	5.5
12	अन्य सहयोग	आरसीसीआई	267.7
	कुल		5,459.2

बीडीपीआईसी= व्यवसाय विविधिकरण और उत्पाद नवोन्मेष कक्ष, बर्ड= बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, सीडीएफ़= सहकारिता विकास निधि, सी-पीईसी= सहकारी समितियों के लिए व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र, सीटीआई = सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, जिमस बैंक= जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, एमएससी= बहु सेवा केंद्र, एनईआर = पूर्वोत्तर क्षेत्र, पैक्स= प्राथमिक कृषि ऋण समिति, ग्रास बैंक= ग्रामीण सहकारी बैंक, आरसीसीआई= ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएँ, सॉफ्टकॉब= सहकारी बैंक कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की योजना, रास बैंक= राज्य सहकारी बैंक.

तालिका अ8.4: क्षेग्रा बैंकों का समेकित कार्यनिष्पादन (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	*विवरण*	*31-मार्च-24*	*31-मार्च-25[P]*	*% परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)*
1	शाखाएँ (सं.)	22,069	22,157	0.4
2	शेयर पूँजी	19,042	19,303	1.4
3	प्रारक्षित निधि	46,659	53,800	15.3
4	जमा	6,59,815	7,13,790	8.2
5	उधार	92,444	92,266	–0.2
6	निवेश	3,19,099	3,14,249	–1.5
7	बकाया ऋण	4,70,109	5,26,829	12.1
8	कुल आस्तियाँ/ देयताएँ	8,40,080	9,02,200	7.4
9	लाभ अर्जित करने वाले बैंक (सं.)	40	39	कमी आई
10	हानि उठाने वाले बैंक (सं.)	3	4	कमी आई
11	निवल लाभ/हानि	7,571	7,148	–5.6
12	ऋण जमा अनुपात (%)	71.2	73.8	सुधार हुआ
13	सीआरएआर (%)	14.2	14.4	सुधार हुआ
14	<9% सीआरएआर वाले बैंक (सं.)	4	3	सुधार हुआ
15	जीएनपीए (%)	6.1	5.3	सुधार हुआ
16	एनएनपीए (%)	2.4	1.9	सुधार हुआ
17	पीसीआर (%)	62.6	65.2	सुधार हुआ

सीडी अनुपात= ऋण जमा अनुपात, सीआरएआर = जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात, जीएनपीए = सकल अनर्जक आस्तियाँ, एनएनपीए= निवल अनर्जक आस्तियाँ, पीसीआर= प्रावधान कवरेज अनुपात

स्रोत: बैंकों द्वारा नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल और आरआरबी दर्पण पोर्टल पर प्रस्तुत ऑफ-साइट निगरानी विवरणियाँ.

तालिका अ8.5: वित्तीय वर्ष 2025 में क्षेग्रा बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों के समक्ष उपलब्धि

क्र. सं.	*क्षेत्र/उप क्षेत्र*	*लक्ष्य (%)*	*उपलब्धि (%)*	*लक्ष्य/उप-लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे क्षेग्रा बैंक*
1	समग्र प्राथमिकता क्षेत्र	75.0	88.1	–
2	कृषि	18.0	31.9	–
3	लघु और सीमांत किसान	10.0	18.3	–
4	गैर-कॉर्पोरेट किसान	13.8	41.2	अरुणाचल प्रदेश आरआरबी (12.1%)
5	सूक्ष्म उद्यमी	7.5	22.7	–
6	कमजोर वर्ग	15.0	34.7	–

पीएसएल = प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

नोट: वित्तीय वर्ष 2024 के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत लक्ष्य और उपलब्धि की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी चार तिमाहियों के लिए उपलब्धि के औसत आधार पर की जाती है. एएनबीसी पिछले वर्ष की तदनुरूपी तारीख के अनुसार है.

नोट

1. इस अध्याय में आरएफआई से संबंधित सभी आँकड़े बैंकों द्वारा नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल पर प्रस्तुत ऑफसाइट निगरानी विवरणियों से लिए गए हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.
2. जिमस बैंकों में यहाँ जम्मू और कश्मीर के वे तीन जिमस बैंक शामिल हैं जिन्हें अब तक लाइसेंसीकृत नहीं किया गया है, और इनमें तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक शामिल नहीं है जिसे केवल विनियामिकीय और पर्यवेक्षकीय प्रयोजनों से जिमस बैंक माना जाता है. पैक्स की संख्या में कृषक सेवा समितियाँ और दीर्घाकृति कृषि बहुउद्देशीय समितियाँ शामिल है. आँकड़े सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस से लिया गए हैं.
3. वित्तीय वर्ष 2025 के लिए क्षेग्रा बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन के आँकड़े अनंतिम हैं.
4. ऐसे क्षेग्रा बैंकों को "विशेष ध्यान के अंतर्गत रखे गए क्षेग्रा बैंक" के अंतर्गत रखा गया है जो तीन मानदंडों में से एक को पूरा करते है, ये मानदंड हैं – सीआरएआर <10%; सकल अनर्जक आस्तियाँ >10%; आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) गत 2 वर्षों से लगातार <0%.
5. अधिसूचना संख्या एस.ओ.2718(ई) और एस.ओ.2719(ई) के माध्यम से.
6. 13 नवंबर 2024 के पत्र फा.सं.15/15/2015(ई)- आरआरबी के माध्यम से.



9

9.1 अपने कार्मिकों का संपोषण और सहयोग
9.2 जोखिम प्रबंधन और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण
9.3 पारदर्शिता और सतर्कता का सुदृढ़ीकरण
9.4 संधारणीय डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण
9.5 डेटा प्रबंधन और सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण
9.6 संसदीय समिति के दौरे और संसदीय प्रश्न
9.7 राजभाषा संवर्धन
9.8 विपणन और संचार रणनीति के बीच तालमेल
9.9 कार्य परिवेश में सुधार का संवर्धन
9.10 भारत के ग्रामीण विकास के लिए एक सक्रिय नाबार्ड

कार्मिक—प्रक्रियाएँ और नीतियाँ

देश के प्रमुख विकास बैंक के रूप में नाबार्ड की यात्रा में मानव पूँजी में निवेश करना हमेशा से एक रणनीतिक प्राथमिकता रही है, क्योंकि परिवर्तनकारी विकास कार्यक्रमों तथा नीतियों की योजना और कार्यान्वयन में इसका विशेश महत्व रहा है. पिछले कुछ वर्षों में हमने गतिशील और समर्पित कार्यबल तैयार किया है जो ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. निरंतर विकास की यह भावना हमें सक्रिय बनाए रखती है और ग्रामीण समुदायों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कर्मियों को लगातार नया कौशल प्रदान करने में समर्थ बनाती है.

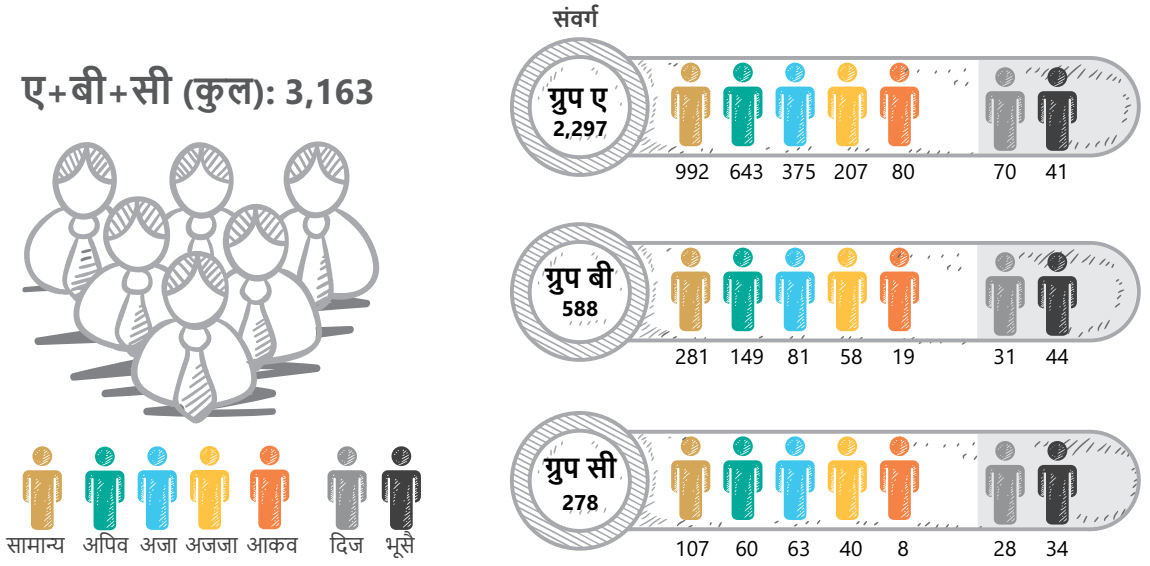
9.1 अपने कार्मिकों का संपोषण और सहयोग

मानव संसाधन किसी भी संस्था का आधार है और उसके विकास और सफलता को गति देता है. नाबार्ड में प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन ग्रामीण विकास और आर्थिक उन्नति के हमारे मिशन को प्राप्त करने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है. कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रयास नियमित रूप से किए जाते हैं ताकि उन्हें भूमिका-विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके. नाबार्ड अपने कार्मिकों को परिचालन के केंद्र में रखता है जिससे कार्यबल की दक्षता, अनुकूलन क्षमता और दूरदर्शिता अधिक सुदृढ़ होती हैं और कार्यबल ग्रामीण भारत में स्थायी विकासात्मक प्रभाव लाने में सक्षम होता है.

9.1.1 स्टाफ संघटन

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड के विभिन्न संवर्गों में कुल 3,163 कर्मचारी कार्यरत हैं (चित्र 9.1). भारत सरकार के आरक्षण मानदंडों के अनुरूप पैनल वर्ष 2025 के लिए हाल ही में सम्पन्न पदोन्नति प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए 256 अधिकारियों का पैनल तैयार किया गया. इसके अलावा, ग्रुप 'सी' के 23 कर्मचारियों को ग्रुप 'बी' में सहायक रखवाल के रूप में पदोन्नत किया गया. सीधी भर्ती के माध्यम से 237 ग्रेड 'ए' अधिकारियों और 63 कार्यालय परिचारकों ने संगठन में कार्यग्रहण किया. नाबार्ड को समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता होने पर गर्व है, जिसमें महिला कर्मचारियों की संख्या 769 है जो कार्यबल का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है. संस्था अपने सभी कार्मिकों के लिए निष्पक्ष और समान करियर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

चित्र 9.1: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार स्टाफ संघटन



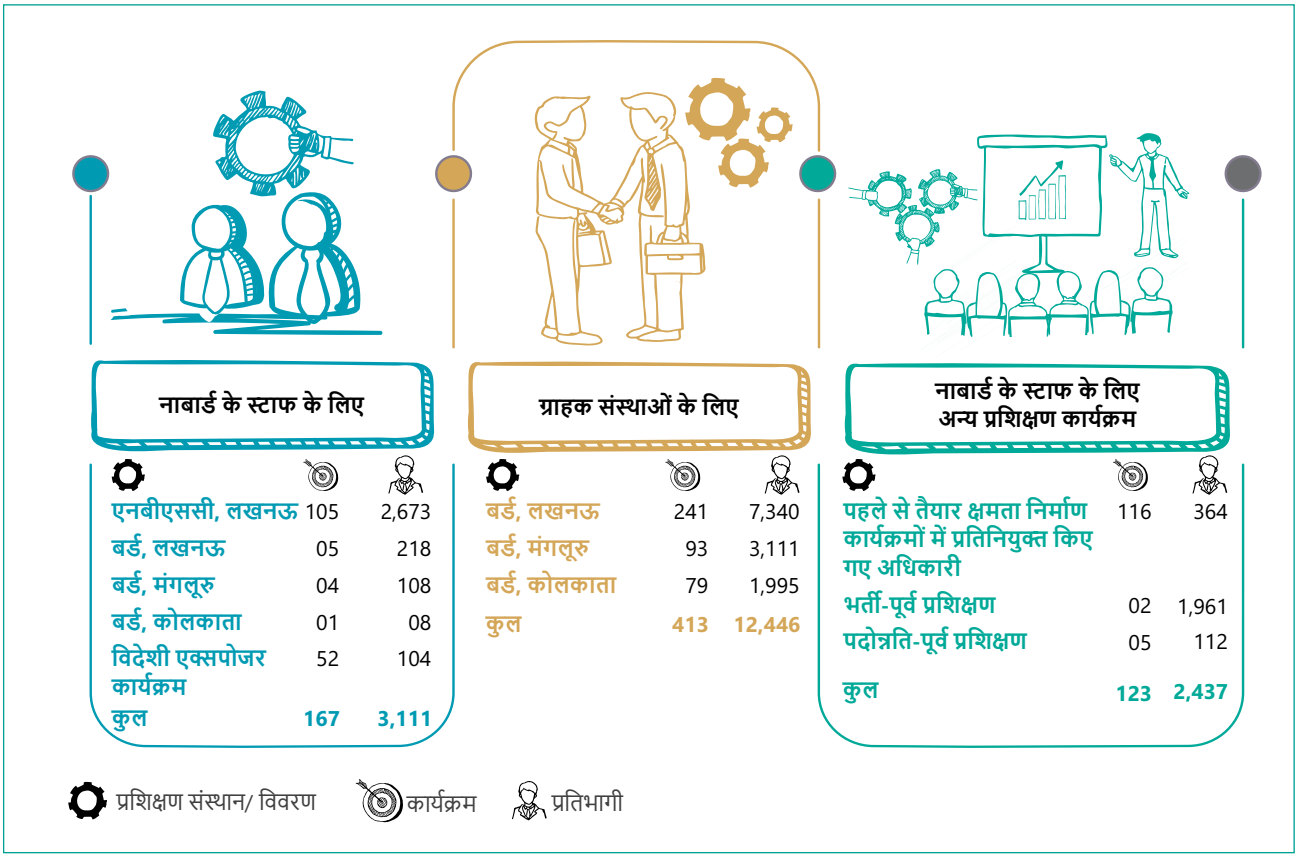
अजा = अनुसूचित जाति, अजजा = अनुसूचित जनजाति, अपिव = अन्य पिछड़ा वर्ग, आकव = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूसै = भूतपूर्व सैनिक, दिज = दिव्यांग जन.

9.1.2 असीमित संभावनाएँ: सामर्थ्य और क्षमता विकास

निरंतर ज्ञानार्जन और व्यावसायिकता के विकास के लिए नाबार्ड की प्रतिबद्धता बनी हुई है. राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय (एनबीएससी), लखनऊ और लखनऊ, कोलकाता तथा मंगलूरु में स्थित बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) इन क्षमता निर्माण प्रयासों का नेतृत्व करते हैं. वित्तीय वर्ष 2025 में एनबीएससी ने 105 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे 2,673 अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित हुए. इन प्रयासों में ई-लर्निंग मॉड्यूल, प्रकरण अध्ययन और एक्सपोज़र दौरे शामिल थे, जिससे ज्ञानार्जन के लिए एक गतिशील और आकर्षक परिवेश बना. इसके अलावा, ग्राहक संस्थाओं के लिए समग्रतामूलक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए.

'प्रोत्साहन अध्ययन योजना' के तहत 106 कर्मचारियों ने शीर्ष संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक और दूरस्थ शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया, जिससे कर्मचारियों की निरंतर प्रगति का समर्थन करने के प्रति नाबार्ड के समर्पण की पुन: पुष्टि हुई.

चित्र 9.2: वित्तीय वर्ष 2025 में प्रशिक्षण संबंधी उपलब्धियाँ



बर्ड = बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, एनबीएससी = राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय.

नोट: प्रतिभागी और कार्यक्रम परस्पर अनन्य नहीं हैं. एक प्रतिभागी ने एक से अधिक कार्यक्रमों में भाग लिया हो सकता है.

9.1.3 स्टाफ कल्याण की पहलें

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऐसे ग्रुप 'बी' कर्मचारियों के लिए एक विशेष पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जो ग्रेड 'ए' में पदोन्नति के लिए पात्र थे. छह महीने का प्रशिक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीकों से दिया गया.
2. नाबार्ड ने समूह बीमा योजनाओं के माध्यम से अपने कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना जारी रखा जिसमें बकाया आवास ऋण के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ भी शामिल हैं.

3. कर्मचारियों को समूह सावधि बीमा पॉलिसी के तहत सुरक्षा देना भी जारी रहा, जिससे कार्यबल के लिए जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित हुई.

9.1.4 मानव संसाधन संबंधी अन्य पहलें

औद्योगिक संबंध

नाबार्ड में प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और सहयोगपूर्ण रहे, जिससे एक आदर्श कार्यस्थल के रूप में संस्था की प्रतिष्ठा और सुदृढ़ हुई. अखिल भारतीय नाबार्ड अधिकारी संघ, अखिल भारतीय नाबार्ड कर्मचारी संघ, नाबार्ड प्रोग्रेसिव एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन और अखिल भारतीय नाबार्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के साथ नियमित बातचीत की गई, जिससे पूरे संगठन में आपसी सम्मान और रचनात्मक संवाद का वातावरण बना रहा.[1]

लैंगिक संवेदनशीलता

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) (पॉश) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नाबार्ड की केंद्रीय और क्षेत्रीय शिकायत समितियों ने शिकायतों का समाधान करना जारी रखा है. इसके अतिरिक्त शी-बॉक्स (SHe-Box) पोर्टल के सहयोग के लिए विभिन्न कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. यह पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए महिलाओं को सिंगल-विंडो पहुँच प्रदान करना है.

लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय और प्रशिक्षण सस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. इनमें पॉश पर समर्पित सत्र शामिल हैं, जिनका उद्देश्य नए भर्ती हुए अधिकारियों और सहायकों सहित सभी कर्मचारियों को इस मुद्दे पर संवेदनशील बनाना है.

9.2 जोखिम प्रबंधन और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण

9.2.1 जोखिम प्रबंधन संबंधी पहलें

जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 सितंबर 2023 के मास्टर निर्देशों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को 1 अप्रैल 2024 से बेसल III विनियामक ढाँचे में संक्रमण करना था. नाबार्ड ने नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में अपेक्षित परिवर्तन लागू करते हुए इस संक्रमण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. नाबार्ड ने निर्धारित समयसीमा के भीतर बेसल III के सभी तीन स्तंभों – पूँजी पर्याप्तता; आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया की तैयारी सहित पर्यवेक्षकीय समीक्षा प्रक्रिया; और बाजार प्रकटीकरण - के अंतर्गत विहित अपेक्षाओं को अंगीकार किया है और उनका अनुपालन किया है.

9.2.2 गतिविधि विश्लेषण

ऋण जोखिम

50 ग्राहकों के लिए एक समग्रतामूलक जोखिम पुनर्मूल्यांकन का कार्य किया गया, जिसका परिणाम हुआ ₹69,360 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता. इसी प्रकार अन्य 3 ग्राहकों के लिए इस पुनर्मूल्यांकन का परिणाम हुआ ₹2,697 करोड़ की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता. एन्श्योर 2.0 पहल के तहत जोखिम प्रबंधन समिति और चूक पूर्वानुमान और अनुप्रवर्तन समिति की बैठकों के लिए नई विवरणियाँ विकसित की गईं. ऋण और बाजार जोखिम के लिए आंतरिक जोखिम रेटिंग (आईआरआर) मॉडल का सत्यापन पूरा हो गया, और क्रिसिल लिमिटेड के सहयोग से 15 नए आईआरआर मॉडल विकसित किए गए.

परिचालन जोखिम

चैनल भागीदारों के लिए सर्वसमावेशी आंतरिक श्रेणीकरण टूल विकसित किए गए, और तदनुरूप परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए. प्रमुख जोखिम संकेतकों और उनकी न्यूनतम सीमा की समीक्षा की गई और उन्हें अद्यतन किया गया. सभी विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों

बॉक्स 9.1: 'रिस्क मैटर्स!' - जोखिम जागरूकता माह फरवरी 2025

जोखिम प्रबंधन विभाग ने 'रिस्क मैटर्स!' थीम के अंतर्गत नाबार्ड कर्मचारियों के बीच जोखिम को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महीने भर की गतिविधियों की एक शृंखला आयोजित की. इस पहल में दैनिक टेक्स्ट मेसेज, बैंक के इंट्रानेट पर द्विभाषी प्रेरक सूक्ति, थीम पर आधारित डेस्कटॉप स्क्रीन, दैनिक और विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ (पुरस्कार सहित) तथा जोखिम प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं पर विशेषज्ञ व्याख्यान माला को शामिल किया गया.

मुख्य अतिथि श्री पी. के. गुप्ता, पूर्व प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक तथा नाबार्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के गैर-शासकीय विशेषज्ञ सदस्य ने समापन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित किया.



बाएँ से दाएँ: श्री जी. एस. रावत, उप प्रबंध निदेशक, सम्माननीय अतिथि श्री पी. के. गुप्ता, श्री आर. इनिगो अरुल सेल्वन, मुख्य महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग; और डॉ. ए. के. सूद, उप प्रबंध निदेशक.

के साथ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन - व्यवसाय प्रभाव विश्लेषण का कार्य पूरा किया गया. मानव संसाधन प्रबंध विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा परिसर, सुरक्षा एवं अधिप्राप्ति विभाग द्वारा सभी कार्यालयों में जोखिम आकलन किया गया.

बाजार जोखिम

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दर का निर्धारण किया गया तथा आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग के लिए आंतरिक स्कोरिंग का एक मॉडल विकसित किया गया. बेहतर क्रेडिट गुणवत्ता और पोर्टफोलियो विविधीकरण सुनिश्चित करने के लिए डेट म्यूचुअल फंड के मूल्यांकन मानदंड संशोधित किए गए. वित्तीय वर्ष 2026 के लिए ब्रोकर समीक्षा और पैनल तैयार करने के काम पूरे किए गए.

सॉफ्टवेयर विकास

जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन वेब एप्लिकेशन विकसित कर लिया गया है. परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना का डिजिटलीकरण शुरू हो गया है, और घटना तथा हानि डेटा प्रबंधन संरचना को शुरू करने की योजना है. आस्ति-देयता प्रबंधन सॉफ्टवेयर के तीन मॉड्यूल लाइव हो चुके हैं, और अंतिम मॉड्यूल अपने विकास के प्रगत चरण में है. बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली को नया रूप दिया गया है, जिसके अंतर्गत 22 में से 21 मॉड्यूल साइन ऑफ किए जा चुके हैं.

वित्तीय वर्ष 2025 में मैसूर, देहरादून, पुरी, इंदौर और हैदराबाद में बेसल III, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम) नीति, मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) तथा परिचालन और ऋण जोखिम पहलुओं से संबंधित विषयों पर क्षेत्रीय जोखिम जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की गईं.

9.2.3 आंतरिक निरीक्षण

वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड ने व्यापक जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा के माध्यम से आंतरिक परिचालन को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए. इन लेखापरीक्षाओं में 25 क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के 20 विभागों, 2 प्रशिक्षण संस्थानों और 7 सहायक कंपनियों को शामिल किया गया.

आई-सॉफ्ट मॉड्यूल (प्रका/ क्षेका) का कार्यान्वयन एक प्रमुख उपलब्धि है जो 29 जुलाई 2024 को लाइव हुआ. यह जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा टूल सभी लेखांकन इकाइयों का एक विस्तृत जोखिम प्रोफ़ाइल विकसित करने के लिए तैयार किया गया है. यह एक जोखिम मैट्रिक्स ढाँचे पर काम करता है, निहित व्यावसायिक जोखिम के प्रमुख मापदंडों का आकलन करता है और प्रभावी अनुप्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों को कार्यान्वित करता है.

आई-सॉफ्ट के अलावा 4 फरवरी 2025 को सूचना प्रणाली ऑडिट मॉड्यूल और 24 फरवरी 2025 को समवर्ती लेखापरीक्षा कक्ष मॉड्यूल की शुरुआत की गई. सभी लेखांकन इकाइयों में 'अपने ग्राहक को जानो' से संबंधित केंद्रीय डेटा के पंजीकरण को शामिल कर डिजिटलीकरण के प्रयासों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया गया.

निरीक्षण विभाग ने अभिशासन और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित कीं (तालिका 9.1). इसके अतिरिक्त, 24 उच्च-मूल्य ऋण खातों (प्रत्येक खाता जिसमें बकाया ऋण राशि ₹100 करोड़ से अधिक हो) के संबंध में समग्र ऋण लेखापरीक्षा की गई.

तालिका 9.1: वित्तीय वर्ष 2025 में आयोजित प्रमुख निगरानी और जवाबदेही बैठकें

क्र. सं.	*बैठक का प्रकार*	*आयोजित बैठकों की संख्या*
1	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति	6
2	धोखाधड़ी अनुप्रवर्तन समिति	3
3	केंद्रीय स्टाफ जवाबदेही समिति	8
4	धोखाधड़ी के मामलों के अनुप्रवर्तन और अनुवर्तन हेतु बोर्ड की विशेष समिति	1 (प्रथम)

9.3 पारदर्शिता और सतर्कता का सुदृढ़ीकरण

9.3.1 सतर्कता संरचना और गतिविधियाँ

सतर्कता प्रशासन नाबार्ड में प्रबंधन कार्य का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य सत्यनिष्ठा, व्यावसायिकता, उत्पादकता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है. नियंत्रण, अनुप्रवर्तन और पर्यवेक्षण कार्यों की देखरेख के अलावा सतर्कता व्यवस्था सक्रिय रूप से स्वच्छ और पारदर्शी व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देती है. प्रधान कार्यालय, मुंबई में स्थित केंद्रीय सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है.

सतर्कता कार्य के तीन पहलुओं - निवारक, दंडात्मक और सहभागितामूलक - में से नाबार्ड निवारक और सहभागितामूलक दृष्टिकोणों पर अधिक बल देता है. पिछले अनुभवों और घटनाओं से सीख लेते हुए संस्था नियमित रूप से प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करती है. इन परिष्कारों से आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है और निवारक सतर्कता उपाय और सुदृढ़ बनते हैं.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान सतर्कता-संबंधी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

- आठ निवारक सतर्कता दौरे;
- 15 सीटीई-प्रकार के निरीक्षण;[1]
- 11 निरीक्षण रिपोर्टों की संवीक्षा;

- प्राप्त शिकायतों का समाधान;
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड आदि को विभिन्न विवरणियाँ प्रस्तुत करना;
- सतर्कता संबंधी मामलों पर क्षमता निर्माण सत्र, जिनमें नवनियुक्त सीधी भर्ती अधिकारियों के परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान और जिला विकास प्रबंधकों की द्विमासिक संरचित बैठकों के दौरान सीवीओ द्वारा उन्हें संबोधित करना शामिल है; तथा
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का आयोजन.

16 अगस्त 2024 से 15 नवंबर 2024 तक आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के रूप में प्रधान कार्यालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों और सहायक कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए. एनबीएससी, लखनऊ ने बहुत बड़े स्तर पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाए और देश भर में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नैतिकता और अभिशासन, आचार नियमावली, सांगठनिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, तथा अधिप्राप्ति नीतियों पर पाँच पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए.

सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान सीवीओ ने पर्यवेक्षण विभाग, नाबार्ड के अधिकारियों को सतर्कता-संबंधी मामलों पर संबोधित किया, और उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया जिनमें शामिल हैं:

- एनबीएससी, लखनऊ में डीपीएसपी के अधिकारियों के लिए आयोजित संवेदनशीलता कार्यशाला, और
- गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का समापन समारोह.

बॉक्स 9.2: सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024

28 अक्तूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक नाबार्ड में "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" थीम के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. समारोह के भाग के रूप में पूरे संगठन के स्टाफ सदस्यों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली. नाबार्ड के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष ने 28 अक्तूबर 2024 को कर्मचारियों को शपथ दिलाई.

सतर्कता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधान कार्यालय के 950 से अधिक कर्मचारियों ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के चारों ओर वॉकाथन किया. सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता, गायन और नारा प्रतियोगिता तथा स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता शामिल हैं.

नाबार्ड के इंट्रानेट के माध्यम से थीम-आधारित संदेश प्रसारित किए गए और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एसएमएस अलर्ट भेजे गए. इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थाओं में संवेदनशीलता बैठकों के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता पहल की गई.



28 अक्तूबर 2024 को नाबार्ड के अध्यक्ष सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए, नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई.



25 अक्तूबर 2024 को नाबार्ड के अध्यक्ष नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह वॉकाथन को हरी झंडी दिखाते हुए; नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई.

आम जनता, और विशेष रूप से हमारे हितधारकों के बीच सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से पूरे भारत में विद्यालयों/ महाविद्यालयों में 199 ग्राम सभाएँ, 64 संगोष्ठियाँ/ कार्यशालाएँ, और 33 अन्य आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की गई.

9.3.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

नाबार्ड पारदर्शिता और वैधानिक अनुपालन के लिए दृढ़ता के साथ प्रतिबद्ध है, और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है. वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. प्रधान कार्यालय, मुंबई में डॉ. मिलिंद आर. भिरुड, मुख्य महाप्रबंधक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, जबकि श्रीमती सुशीला चिंतला, मुख्य महाप्रबंधक को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया.

मार्च 2025 को समाप्त अवधि में नाबार्ड ने 2,025 आरटीआई आवेदन और 774 अपीलें प्राप्त कीं और उनका निपटान किया, जिनमें क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को अग्रेषित अपीलें शामिल हैं. सभी अनुरोधों का निपटान अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित समयसीमा के भीतर किया गया.

वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड को छह शिकायत निवारण आवेदन प्राप्त हुए. शिकायत निवारण समिति ने वर्ष के दौरान तीन बैठकें आयोजित कीं, जिनमें नौ मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया, जिनमें पिछले वर्ष के तीन लंबित मामले भी शामिल थे.

9.4 संधारणीय डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण

9.4.1 उद्यम स्थापत्य

नाबार्ड ने बड़े पैमाने पर अपनाए जाने योग्य, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-केंद्रित परिचालन मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी उद्यम स्थापत्य (ईए) यात्रा शुरू की है. यह पहल संगठन की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना और अनुप्रयोगों/ एप्लिकेशनों को इष्टतम बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे सभी हितधारकों को एक निर्बाध और एकीकृत अनुभव उपलब्ध कराया जा सके. इस संरचना के संचालन हेतु एक ईए बोर्ड का गठन किया गया है और नाबार्ड के निदेशक मंडल द्वारा ईए नीति को अनुमोदित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2026 तक इसके पूर्ण कार्यान्वयन का लक्ष्य रखा गया है और यह अपेक्षा है कि इससे प्रणाली सुदृढ़ होगी, संरचनाओं के अनावश्यक हो जाने की स्थिति में कमी आएगी, परिचालन दक्षता बढ़ेगी और आईटी संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो पाएगा.

9.4.2 आधारभूत संरचना और सुरक्षा

नाबार्ड ने अपनी डिजिटल आधारभूत संरचना को बढ़ाने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई पहलें की हैं. संगठन साइबर वातावरण में उभरती जोखिमों के प्रभावी समाधान के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों की तैनाती कर रहा है.

1. **ऑफिस 365 का नवीनीकरण**: ईमेल डेटा हानि की रोकथाम, मोबाइल उपकरण प्रबंधन और बहु-कारक अधिप्रमाणन जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ एक व्यापक डेटा बैकअप समाधान के कार्यान्वयन के साथ अपग्रेड किया गया.
2. **बोर्ड बैठक समाधान**: बोर्डपीएसी की शुरूआत जो वन-टच वीडियो कॉन्फरेन्सिंग और स्वचालित कार्यप्रवाह के माध्यम से बोर्ड की बैठक को सुव्यवस्थित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है.
3. **डेटा सेंटर और नेटवर्क अपग्रेड**: इस अपग्रेड में उन्नत अंतिम बिन्दु सुरक्षा, एक वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल और एक साइबर फ़ोरेंसिक लेबोरेटरी शामिल हैं. क्लाउड के साथ एकीकृत वेब प्रॉक्सी और वीएलएएन पृथक्करण के माध्यम से नेटवर्क कार्यनिष्पादन को बढ़ाया गया है.
4. **आईएसओ 27001 प्रमाणन**: आईएसओ 27001 प्रमाणन प्राप्त होने से नाबार्ड की सूचना सुरक्षा साख बढ़ी है (बॉक्स 9.3).
5. **ऑनलाइन ब्राण्ड मॉनिटरिंग**: विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नाबार्ड की उपस्थिति की तत्समय जानकारी के लिए एक ब्राण्ड मॉनिटरिंग समाधान भी नियोजित किया गया है.

6. **क्लाउड-आधारित सुरक्षा समाधान**: साइबर अनुकूलन और सुरक्षा अभिशासन को और सुदृढ़ करने के लिए क्लाउड-आधारित डीडीओएस सुरक्षा, प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट और डेटाबेस एक्सेस मैनेजमेंट का कार्यान्वयन.[2]
7. **बैकअप आधारभूत संरचना**: नाबार्ड ने डिजिटल डेटा के सुरक्षित बैकअप और उसे फिर से प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत और कुशल प्रणाली स्थापित कर अपनी बैकअप आधारभूत संरचना का बड़े स्तर पर उन्नयन किया है.

बॉक्स 9.3: नाबार्ड को आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्रदत्त

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड को आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्रदान किया गया, जिसका औपचारिक अनावरण दिनांक 1 जनवरी 2025 को अध्यक्ष महोदय ने किया. सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक 'सूचना की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता' को बनाए रखने के लिए नाबार्ड की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. यह प्रमाणन एलक्यूमस आईएसओक्यूएआर द्वारा किए गए कठोर ऑडिट के पश्चात् दिया गया, जिसने नाबार्ड की सुदृढ़ सुरक्षा पद्धतियों, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और लागू कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुपालन की पुष्टि की.



1 जनवरी 2025 को श्री शाजी के. वी., अध्यक्ष, नाबार्ड द्वारा नाबार्ड के आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन का पर्दापण.

9.4.3 एप्लिकेशन/ सॉफ्टवेयर विकास

नाबार्ड के डिजिटल रूपांतरण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए एप्लिकेशन और सॉफ्टवेयर विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.

1. **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एम्पावर)**: केंद्रीकृत एचआरएमएस, एम्पावर, अब टाइल-आधारित नेविगेशन के साथ एक मोबाइल-रिस्पोन्सिव इंटरफेस पेश करता है, जो सेवारत और सेवानिवृत्त दोनो प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकताएँ पूरी करता है. यह मानव संसाधन डेटा प्रबंधन, वेतन और लाभ-व्यवस्थापन सहित व्यापक कार्य-प्रक्रियाओं को सहयोग प्रदान करता है.
2. **नाबार्ड सॉफ्टवेयर फैक्टरी (एनएसएफ़)**: जून 2024 में लॉन्च किया गया एनएसएफ़ त्वरित एप्लिकेशन विकास के लिए मेंडिक्स प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाता है, जिससे डिजिटल डिलीवरी में काफी तेज़ी आती है. विकसित किए गए प्रमुख एप्लिकेशनों में शामिल हैं:
   क. डीडीएमकनेक्ट: जिला विकास प्रबंधकों के दैनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करता है; और
   ख. नैबपरीक्षण: पुनर्वित्त परिचालनों में आस्ति सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है.
3. **केंद्रीकृत ऋण प्रबंधन और लेखांकन प्रणाली (सीएलमास)**: वित्तीय वर्ष 2025 में ऋण और अनुदान की पूरी परिचालन-अवधि का प्रबंधन करने वाली इस प्रणाली के प्रौद्योगिकी स्टैक को उन्नत किया गया.
4. **एंटरप्राइज़ कंटेन्ट मैनेजमेंट (ईसीएम) समाधान**: ईसीएम प्लेटफ़ॉर्म ने वित्तीय वर्ष 2025 में 97,761 मामलों को तैयार कर और उनके अनुमोदन को सहयोग प्रदान कर कार्यप्रवाह के स्वचालन को बढ़ाया है. नया जोड़ा गया इनलाइन एडिटर फ़ीचर ईसीएम इंटरफ़ेस के भीतर कुशल नोट फ़ॉर्मेटिंग को सक्षम बनाता है.
5. **डिजीडाक**: वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान इस डिजिटल पत्राचार प्लेटफ़ॉर्म ने 34,369 आवक और 97,512 जावक प्रविष्टियाँ दर्ज कीं. आउटलुक के साथ एकीकरण और जिला विकास प्रबंधकों की ऑनबोर्डिंग ने संचार प्रबंधन को और बेहतर बनाया है, जो परिचालनात्मक उत्कृष्टता के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता दर्शाता है.

9.5 डेटा प्रबंधन और सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण

9.5.1 नैबडेटा (नाबार्ड डेटा वेयरहाउस)

एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस - नैबडेटा - का आरंभिक विकास 31 दिसंबर 2024 को पूरा हुआ. डैशबोर्ड और रिपोर्ट सहित वांछित परिणामों का पहला सेट अंतिम रूप दिए जा चुके व्यवसाय अपेक्षा दस्तावेज़ (बीआरडी) के अनुसार उपयोगकर्ताओं के एक्सेस के लिए प्रकाशित किया गया था. नैबडेटा को एक स्व-सेवा पोर्टल के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक नया व्यवसाय आसूचना (बीआई) सॉफ़्टवेयर - इंटेलिकस का अधिप्रापण किया गया, और विद्यमान डैशबोर्ड और रिपोर्ट के पुनर्निर्माण के लिए एक विक्रेता को ऑनबोर्ड किया गया.

9.5.2 एन्श्योर 2.0

पुराने एन्शोयर 1.0 की जगह एक नया एन्श्योर पोर्टल विकसित किया गया और इसे वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान शुरू किया गया. यह पोर्टल अब पूरी तरह काम कर रहा है, जिसमें पूर्ण रिटर्न फाइलिंग, रिपोर्टिंग, एप्लिकेशन इंटीग्रेशन और अन्य क्षमताएँ उपलब्ध हैं. इसके अलावा वर्ष के दौरान संभाव्यता-युक्त ऋण योजनाएँ (पीएलपी) और स्टेट फोकस पेपर (एसएफ़पी) को डिजिटाइज किया गया.

9.5.3 एंगेज प्लेटफॉर्म

वित्तीय वर्ष 2025 में अनुदानों की संपूर्ण परिचालन-अवधि के प्रबंधन हेतु एक नया प्लेटफ़ॉर्म- एंगेज (उद्यम अनुदान प्रबंधन) शुरू किया गया. इस पहल से नाबार्ड के सहयोग से बनाई गई परियोजनाओं और आस्तियों को स्थानिक रूप से दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर डेटा का उपयोग करके एक जीआईएस डैशबोर्ड[3] भी विकसित किया गया.

9.5.4 एग्रीस्टैक

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान अपनी परियोजना प्रबंधन इकाई टीम के साथ समन्वय से एग्रीस्टैक पहल के तहत तीन रजिस्ट्रियाँ – वित्तमान रजिस्ट्री, इकाई लागत रजिस्ट्री, तथा सहकारी बैंक और शाखा रजिस्ट्री - विकसित की गई थीं. इन रजिस्ट्रियों को वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा तथा सभी हितधारकों के लिए विभिन्न उत्पादों और सेवाओं में उपयोग हेतु सुलभ बनाया जाएगा.

9.5.5 डेटा अभिशासन और प्रबंधन समाधान

सभी एप्लिकेशनों में अभिशासन प्रथाओं की पूरी शृंखला को लागू करने के लिए डेटा अभिशासन और प्रबंधन समाधान की अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं. यह सॉफ्टवेयर मौजूदा नीति के अनुसार तकनीकी दस्तावेज, डेटा वर्गीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, मॉडल तैयार करने और संबंधित गतिविधियों के सृजन और नियमित अद्यतनीकरण की सुविधा प्रदान करेगा. अधिप्राप्ति और कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026 के लिए निर्धारित है.

9.5.6 आरएजी-आधारित जेनेरेटिव एआई सोल्युशन

वित्तीय वर्ष 2025 में उत्पादकता, सूचना तक पहुँच और विश्लेषण क्षमता में सुधार के लिए आरएजी-आधारित जेनेरेटिव एआई समाधान की अवधारणा तैयार की गई थी.[4] आंतरिक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है. इस पहल से संगठन में डेटा तक निर्बाध पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि और जानकारी पर आधारित निर्णय लेने में सहयोग मिलने की अपेक्षा है.

9.5.7 डीडीएमकनेक्ट ऐप

जिला विकास प्रबंधकों को उनकी दैनंदिन जिम्मेदारियों को निभाने में सहायता देने के लिए अक्तूबर 2024 में डीडीएमकनेक्ट ऐप शुरू किया गया और नवंबर 2024 में यह पूरी तरह से परिचालन में आ गया. एक एकीकृत और सहज बोध से संचालित उपकरण के रूप में डिज़ाइन किए गए इस ऐप में प्रबंध सूचना प्रणाली, व्यवसाय और अनुदान परियोजनाएँ, ज्ञान केंद्र, ब्रीफ़केस और कार्यों की सूची आदि मॉड्यूल शामिल हैं.[5]

9.5.8 वित्तीय वर्ष 2026 के लिए आगे की राह

वित्तीय वर्ष 2026 में नैबडेटा के उन्नत डैशबोर्ड और हितधारक-विशिष्ट रिपोर्ट के साथ एक पूर्णत: स्व-सेवा पोर्टल के रूप में विकसित होने की अपेक्षा है. पीएलपी/ एसएफ़पी के डिजिटलीकरण को आकर्षक प्रणाली-सृजित रिपोर्ट के साथ बेहतर बनाया जाएगा, जिसमें उपयोगकर्ता की प्रतिसूचना को जगह दी जाएगी. एंगेज पोर्टल सभी अनुदान योजनाओं का पूर्ण एकीकरण करेगा, जबकि बेहतर जानकारी के लिए जीआईएस डैशबोर्ड को अतिरिक्त लेयर और सुविधाओं के साथ उन्नत किया जाएगा.

9.6 संसदीय समिति के दौरे और संसदीय प्रश्न

वित्तीय वर्ष 2025 में विभिन्न संसदीय समितियों ने नाबार्ड सहित कई वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श किया (तालिका 9.2). वर्ष के दौरान नाबार्ड ने अनुप्रवर्तन सूचना प्रणाली, किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, जलवायु निधि, नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित किसान कल्याण योजनाओं, फसल ऋण, कृषि विपणन आधारभूत संरचना योजना, कृषक उत्पादक संगठन, सूक्ष्मवित्त, डेयरी क्षेत्र, किसान ऋणग्रस्तता और महिला उद्यमिता योजनाओं सहित विभिन्न विषयों से संबंधित 311 संसदीय प्रश्नों का उत्तर दिया..

तालिका 9.2: वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड से संबंधित संसदीय समितियों के दौरे

क्र. सं.	*संसदीय समिति*	*तिथि*	*नोडल संस्था*	*दौरे का स्थान*
1	वित्त पर स्थायी समिति का "कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त करने तथा उसे ऋण उपलब्ध कराने में नाबार्ड के कार्यनिष्पादन की समीक्षा" विषय पर अध्ययन दौरा (2024-25)	13 नवंबर 2024	भारतीय स्टेट बैंक	मुंबई
2	विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति का "कुछ पण्य बोर्डों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन और समीक्षा" विषय पर अध्ययन दौरा	07 जनवरी 2025	भारतीय स्टेट बैंक	मुंबई
3	ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति का "ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका" विषय पर अध्ययन दौरा	18 जनवरी 2025	केनरा बैंक	बेंगलूरू
4	कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति का "देश में कृषि ऋण प्रणाली की कार्यात्मकता" विषय पर अध्ययन दौरा	18 जनवरी 2025	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (आतिथ्य नाबार्ड द्वारा किया गया)	मुंबई
5	संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति का दौरा जिन्होंने नई दिल्ली और उसके आसपास स्थित विभिन्न कार्यालयों का राजभाषा के प्रयोग से संबंधित निरीक्षण किया	27 दिसंबर 2024	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	नई दिल्ली

9.7 राजभाषा संवर्धन

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना जारी रखा. वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 में उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास किए गए, जिसमें कर्मचारियों के लिए हिंदी कक्षाओं का आयोजन तथा हिंदी पत्राचार और आईटी उपकरणों पर प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं. संसदीय राजभाषा समिति ने नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का सफल निरीक्षण किया.

राजभाषा के हीरक जयंती वर्ष के रूप में नाबार्ड ने एक स्मारक लोगो डिज़ाइन किया तथा अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता, एक नई हिंदी पुस्तिका के विमोचन और राजभाषा कैलेंडर के अनावरण जैसे कई प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया. अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रमों में मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती के अवसर पर कथा वाचन प्रतियोगिता, मासिक भाषा-आधारित प्रतियोगिताओं की एक शृंखला और भारत मंडपम, नई दिल्ली में हिंदी दिवस प्रदर्शनी में सहभागिता शामिल हैं.

राजभाषा प्रभाग सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों और प्रधान कार्यालय में 'भारतीय भाषा संस्कृति प्रतियोगिता' भी आयोजित कर रहा है. इस अभियान के तहत हर माह अलग-अलग भारतीय भाषाओं में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान मलयालम और पंजाबी में प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं.

9.8 विपणन और संचार रणनीति के बीच तालमेल

वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड ने एक केंद्रित और बहुआयामी विपणन और संचार रणनीति के माध्यम से अपनी ब्राण्ड स्थिति और अपने वैचारिक नेतृत्व को सुदृढ़ किया. प्रमुख पहलों में रणनीतिक मीडिया आउटरीच, विषयगत विज्ञापन, विशेष रूप से तैयार की गई सोशल मीडिया सामग्री और प्रभावी पारस्परिक सहयोग शामिल रहे.

नाबार्ड ने एक रणनीतिक मीडिया योजना के माध्यम से 'नाबार्ड डेयरी ऋण योजना' - एक ऐसी योजना जो अस्तित्व में नहीं है - के तहत किसानों को सीधे ऋण देने का दावा करने वाली फ़र्ज़ी ख़बरों की बढ़ती संख्या का मुक़ाबला किया. नाबार्ड के बयान को 70 से अधिक प्रकाशनों में प्रकाशित किया गया, जिनमें प्रमुख वित्तीय पत्रिकाएँ, मुख्य समाचार पत्र, ऑनलाइन पोर्टल और देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्रीय प्रकाशनों के विभिन्न संस्करण शामिल थे.

इस विज्ञप्ति को भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया ने कवर किया और द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रमुख वित्तीय प्रकाशनों में भी इसे प्रकाशित किया गया. अभियान से पहले झूठी सूचना फैलाने वाले कवरेज के 40 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो अभियान के बाद काफ़ी कम हो गए.

ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन एक प्रमुख आकर्षण रहा, जो ग्रामीण भारत के सम्मान में डीएफ़एस और नाबार्ड की संयुक्त पहल थी. इस पहल में व्यापक ब्रांडिंग और प्रचार प्रयासों ने पूरक का काम किया जिससे नाबार्ड की सार्वजनिक दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई. आउटडोर, प्रिंट और प्रसारण प्लेटफॉर्मों पर रणनीतिक मीडिया अभियानों ने प्रमुख प्रकाशनों में नाबार्ड का कवरेज सुनिश्चित किया और डिजिटल प्लेटफार्मों पर नाबार्ड की पर्याप्त सहभागिता दिखाई दी.

अपने संदेश को और अधिक व्यापक बनाने के लिए नाबार्ड ने हिस्ट्री टीवी18 के साथ मिलकर *नाबार्ड'स रूरल रेनासाँ* (नाबार्ड का ग्रामीण पुनर्जागरण) नामक वृत्तचित्र शृंखला का निर्माण किया, जिसमें परिवर्तनकारी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन को दिखाया गया. इसके अलावा, नाबार्ड ने द *हिंदू एग्री कमोडिटी समिट 2025* और *आउटलुक सस्टेनेबिलिटी समिट 2025* जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने वैचारिक नेतृत्व को सुदृढ़ किया और संधारणीय ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.

नाबार्ड की सोशल मीडिया उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसके तहत एक लिंक्डइन अकाउंट जोड़ा गया और नाबार्ड के एक्स (X) (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को ब्लू-टिक के साथ सत्यापित किया गया. इन प्लेटफार्मों ने संगठन की ब्रांड दृश्यता और विविध हितधारकों के साथ इसकी सहभागिता दोनों को बढ़ाया है.

इन अग्रसक्रिय मीडिया सहभागिताओं के परिणामस्वरूप नाबार्ड को अपने वरिष्ठ नेतृत्व के लिए 15 से अधिक साक्षात्कार प्राप्त हुए और प्रमुख प्रकाशनों में लेख लिखे गए, जिससे ग्रामीण वित्त और विकास के क्षेत्र में वैचारिक नेतृत्वकर्ता के रूप में नाबार्ड की स्थिति और मजबूत हुई.

9.9 कार्य परिवेश में सुधार का संवर्धन

नाबार्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएँ देने और आवासीय सुविधा बढ़ाने के लिए सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा में क्षेत्रीय कार्यालय भवनों और स्टाफ आवास के निर्माण की पहल की. प्रधान कार्यालय में कार्यस्थल सुधारों के अंतर्गत चेहरे की पहचान पर आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की स्थापना, एक समुन्नत ईपीएबीएक्स सिस्टम,[6] तथा पुनर्निर्मित एयर-कंडीशनिंग आधारभूत संरचना शामिल हैं. ये सभी कार्य नाबार्ड के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, कुशल और आरामदायक कार्य परिवेश को बढ़ावा देने की नाबार्ड की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं.

9.10 भारत के ग्रामीण विकास के लिए एक सक्रिय नाबार्ड

9.10.1 प्रगति 1.0 के माध्यम से परिवर्तन सुनिश्चित करना

1 अप्रैल 2023 को नाबार्ड ने अपनी पंचवर्षीय रणनीतिक योजना, 'प्रगति 1.0' शुरू की, जिसका लक्ष्य 7 व्यापक दृष्टिकोणों और 86 रणनीतियों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2028 तक 386 महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल करना है. यह योजना समावेशी वृद्धि, संधारणीय विकास, ग्रामीण ऋण संस्थाओं की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि और महत्वपूर्ण कारोबार विस्तार पर केंद्रित है. मार्च 2025 में एक मध्यावधि समीक्षा से पता चला कि 181 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की जा चुकी हैं (तालिका 9.3). प्रगति 1.0 को सहयोग प्रदान करने के लिए नाबार्ड ने अपने पुन:स्थापन कार्य के रूप में 'उन्नति' की शुरुआत की, और रणनीति सलाहकार के रूप में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (भारत) के साथ अपनी सहभागिता की अवधि का विस्तार किया.[7]

तालिका 9.3: प्रगति 1.0 की प्रमुख उपलब्धियाँ

चरण I (जुलाई 2023 – जून 2024):	*चरण II (जुलाई 2024 – जून 2025):*
• आरआईएएस 2.0: राजस्थान, छत्तीसगढ़, और केरल में स्थित परियोजनाओं हेतु ₹3,187 करोड़ की मंजूरी. • एफ़पीओ एक्सेलरेटर: महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई कृषक उत्पादक संगठनों (एफ़पीओ) को सहायता दी गई. • एसएसई: सहकारी बैंकों को प्रतिवर्ष लगभग ₹1,500 करोड़ की बचत करने में सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित. • बटाईदार किसानों के लिए पी-सीबीडीसी: आंध्र प्रदेश और ओडिशा में प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई, जिससे 700 से अधिक किसान लाभान्वित हुए. 31 मार्च 2025 तक पी-सीबीडीसी का उपयोग करने वाले प्रथम ऋण उपयोग मामलों के तहत ₹4.6 करोड़ की राशि मंजूर की गई. इससे अर्जित अनुभव के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026 के लिए इसके विस्तार की योजना बनाई गई है. • एमडीबी के साथ साझेदारी: जलवायु अनुकूलन और हरित वित्तपोषण पर विश्व बैंक, एडीबी और जेआईसीए के साथ सहयोग किया गया. • जलवायु वित्तपोषण: हरित वर्गीकरण व्यवस्था की शुरुआत की गई तथा गोवा सरकार तथा विश्व बैंक के साथ साझेदारी में जलवायु वित्त सुविधा शुरू की गई. नाबार्ड का लक्ष्य अपनी आस्तियों के 5% को जलवायु पहलों से जोड़ना है, जिसका एक बड़ा भाग एमडीबी की भागीदारी के माध्यम से मिलने की अपेक्षा है.	• पैक्स एक्सेलरेटर: 30 पैक्स की गतिविधियों में विविधता लाने के लिए प्रायोगिक परियोजना, जिसमें 10,000 पैक्स तक इसे विस्तारित करने का रोडमैप शामिल है. • क्लस्टर वित्तपोषण: आंध्र प्रदेश में झींगा किसानों और अक्वा एक्सचेंज के लिए प्रायोगिक परियोजना. नैबकिसान ने झींगा किसानों को कार्यशील पूँजी देने के लिए किनारा कैपिटल को ₹10 करोड़ और अक्वा एक्सचेंज के विस्तार हेतु ₹4 करोड़ मंजूर किए. अक्वा एक्सचेंज के साथ एक सहमति ज्ञापन प्रगत चरण में है, जिसमें झींगा फार्म स्कोरकार्ड का विकास भी शामिल है. • कृषीतर रोजगार: 'बिजनेस इन ए बॉक्स' मॉडल के माध्यम से ग्रामीण एसएमई को बढ़ावा दिया गया. • अर्थ समिट 2025: एम्पावरिंग एग्रीकल्चर, रुरल टेक एंड ह्यूमैनिटी (अर्थ) शिखर सम्मेलन 2025 में नाबार्ड भागीदार होगा, जो एक ग्रामीण नवोन्मेष तकनीक उत्सव है जिसका विषय है "वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवोन्मेष को सशक्त बनाना". इसमें दो क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन और एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं. • सूक्ष्मवित्त नीति: नई सूक्ष्मवित्त नीति का मसौदा तैयार करने और एमएफआई एक्सेलेरेटर की स्थापना का कार्य चल रहा है.

एडीबी = एशियाई विकास बैंक; सीबीडीसी = सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी; एफ़पीओ = कृषक उत्पादक संगठन; जेआईसीए = जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी; एमडीबी = बहुपक्षीय विकास बैंक; एमएफ़आई = सूक्ष्मवित्त संस्था; एमओयू = सहमति ज्ञापन; नैबकिसान = कृषि-व्यवसाय वित्तपोषण हेतु नाबार्ड की सहायक कंपनी; एनएसडीसी = राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; पी-सीबीडीसी = प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से बटाईदार किसानों हेतु प्रयोजनबद्ध ऋण; पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ; आरआईएएस = राज्य सरकारों हेतु ग्रामीण आधारभूत संरचना सहयोग; एसएमई = लघु और मध्यम उद्यम; एसएसई = शेयर्ड सर्विसेज़ एंटिटी.

9.10.2 शेयर्ड सर्विसेज़ एंटिटी: ग्रामीण सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन

नाबार्ड, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए केंद्रीकृत तकनीकी, परिचालन और सहायता सेवाएँ प्रदान करने हेतु सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल) नामक एक शेयर्ड सर्विसेस एंटिटी (एसएसई) की स्थापना का नेतृत्व कर रहा है. इस पहल का उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाना, लागत कम करना और उभरती हुई तकनीकों को तेज़ी से अपनाना है. एसएसई की स्थापना के लिए विनियामकीय अनुमोदन माँगा गया था जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड को दे दिया गया है.

एसएसपीएल तीन प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा- प्रौद्योगिकी, परिचालन और सहायक कार्य. इसका उद्देश्य किफ़ायती अर्थव्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाना, दक्षता में सुधार करना और आरसीबी की डिजिटल क्षमताओं को सुदृढ़ करना है. एसएसपीएल की ₹1,000 करोड़ की अधिकृत पूँजी में नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और आरसीबी समान रूप से अंशदान करेंगे. अनुमानित वार्षिक लागत में पाँचवे वर्ष से ₹1,500 करोड़ से अधिक बचत होने का अनुमान है, बशर्ते सभी आरसीबी सहभागी हों और वे इसकी सेवाओं का उपयोग करें.

नाबार्ड ने चुने हुए आरसीबी के व्यवसाय/ आईटी प्रमुखों के लिए एक रणनीतिक कार्यशाला आयोजित की, जिससे उनके पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद मुद्दों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संभावित डिजिटल समाधानों का पता लगाया जा सके. इसके बाद राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई ताकि कार्यान्वयन के रोडमैप को और बेहतर बनाया जा सके.

यह परिवर्तनकारी पहल सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है. केंद्रीकृत डिजिटल आधारभूत संरचना और मानकीकृत प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर एसएसपीएल आरसीबी के परिचालन परिदृश्य को बदल देगा, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनेंगे तथा भविष्य के लिए तैयार हो जाएँगे.

9.10.3 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024

नाबार्ड ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर "वित्त के अगले दशक के लिए ब्लूप्रिंट" विषय पर आयोजित भारत के सबसे बड़े वार्षिक फिनटेक सम्मेलन - ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में भाग लिया.

नाबार्ड का प्रतिनिधित्व करने में कई विभाग और सहायक कंपनियाँ भी भागीदार रहीं, जिन्होंने सीमित सहभागिता वाले सत्रों, पैनल चर्चाओं, और एक हैकाथन में भाग लिया. इस कार्यक्रम ने नाबार्ड के अधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधन को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा फिनटेक परिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराया.

नोट

1. सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रारूपों का पालन करना.
2. डीडीओएस सुरक्षा, वितरित सेवा अस्वीकार (डीडीओएस) हमलों से बचाव के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरणों और रणनीतियों के एक समूह को संदर्भित करती है.
3. जीआईएस = भौगोलिक सूचना प्रणाली.
4. आरएजी = रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन, एआई = कृत्रिम बुद्धिमत्ता.
5. एमआईएस = प्रबंध सूचना प्रणाली.
6. ईपीएबीएक्स = इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज.
7. अधिक जानकारी के लिए कृपया नाबार्ड (2024), बॉक्स 9.4, अध्याय 9 'कार्मिक - प्रक्रियाएँ और नीतियाँ', वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई. p. 135. https://www.nabard.org/nabard-annual-report-2023-24.aspx.



10

10.1 निधियों के स्रोत
10.2 निधियों का उपयोग
10.3 आय और व्यय
10.4 कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नाबार्ड का निवेश
अध्याय 10 के अनुबंध

वित्त के माध्यम से विकास

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड के तुलन-पत्र का आकार ₹9.8 लाख करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में उसकी आस्तियों और देयताओं में हुई 8.1% प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि का परिणाम था. वैश्विक भू-राजनीतिक और व्यापारिक तनावों तथा उससे जुड़ी बाज़ार की अनिश्चितता के बीच, नाबार्ड की विकासात्मक रणनीतियों और सुदृढ़ वित्तीय प्रथाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय विकास को प्रभावी ढंग से प्रवाहित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में निरंतर योगदान दिया.

10.1 निधियों के स्रोत

10.1.1 पूँजी, प्रारक्षित निधियाँ और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एनआरसी) निधियाँ

पिछले पाँच वर्षों में नाबार्ड के तुलन-पत्र का आकार 8.4% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) 50% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में ₹6.6 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 2025 में ₹9.8 लाख करोड़ हो गया है. 31 मार्च 2025 को चुकता पूँजी ₹17,080 करोड़ थी, जबकि अधिकृत शेयर पूँजी ₹30,000 करोड़ है (चित्र 10.1). वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में 'पूँजी', 'प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष' सहित स्वाधिकृत निधियाँ ₹80,494 करोड़ थीं, जो कि तुलन-पत्र का 8.2% होता है. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एनआरसी) निधियों के तहत ₹16,110 करोड़ की राशि थी. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने एनआरसी दीर्घावधि परिचालन (एलटीओ) निधि और एनआरसी (स्थिरीकरण) निधि में से प्रत्येक में ₹2 करोड़ का योगदान दिया.

10.1.2 जमाराशियाँ

समय के साथ नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण में कमी से आबंटन का लाभ उठाकर लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चार निधियों का उपयोग किया है. 31 मार्च 2025 की स्थिति में ऐसी निधियों के तहत कुल बकाया राशि ₹2.8 लाख करोड़ थी, जो कि कुल देयताओं का 28% है. इनमें अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि (एसटीसीआरसी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अल्पावधि निधि, दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) और ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) शामिल हैं (चित्र 10.1).

वित्तीय वर्ष 2025 में भारत सरकार ने आरआईडीएफ के लिए ₹35,000 करोड़ आबंटित किए. वित्तीय वर्ष के दौरान नाबार्ड ने आरआईडीएफ की जमाराशियों के तहत विभिन्न खेपों में ₹36,818 करोड़ जुटाए और ₹29,020 करोड़ चुकाए. इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) जमाराशियों के तहत ₹150 करोड़ जुटाए और ₹80 करोड़ चुकाए. 31 मार्च 2025 को भांडागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ़) के तहत बकाया जमाराशि ₹2,870 करोड़ और एफपीएफ के तहत ₹550 करोड़ थी.

10.1.3 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार उधार

वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा जुटाई गई कुल राशि ₹4.4 लाख करोड़ थी और कुल बकाया उधार राशि ₹5.8 लाख करोड़ थी. नाबार्ड के कुल उधार पोर्टफोलियो में वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र (सीडी), सावधि ऋण और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर का हिस्सा 91% से अधिक था.

बॉण्ड बाजार में उधार

- वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने ₹72,388 करोड़ के बॉण्ड जारी किए और ₹31,172 करोड़ के बॉण्ड भुनाए गए. इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान बॉण्ड और डिबेंचर के तहत बकाया राशि 14.4% बढ़ी.
- वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान भारत सरकार की अतिरिक्त बजटीय संसाधन योजना के तहत कोई भी राशि जुटाई नहीं गई, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की योजनाओं के लिए जुटाए गए बॉण्ड के समक्ष बकाया राशि पिछले वर्ष की तरह यथावत् रही.

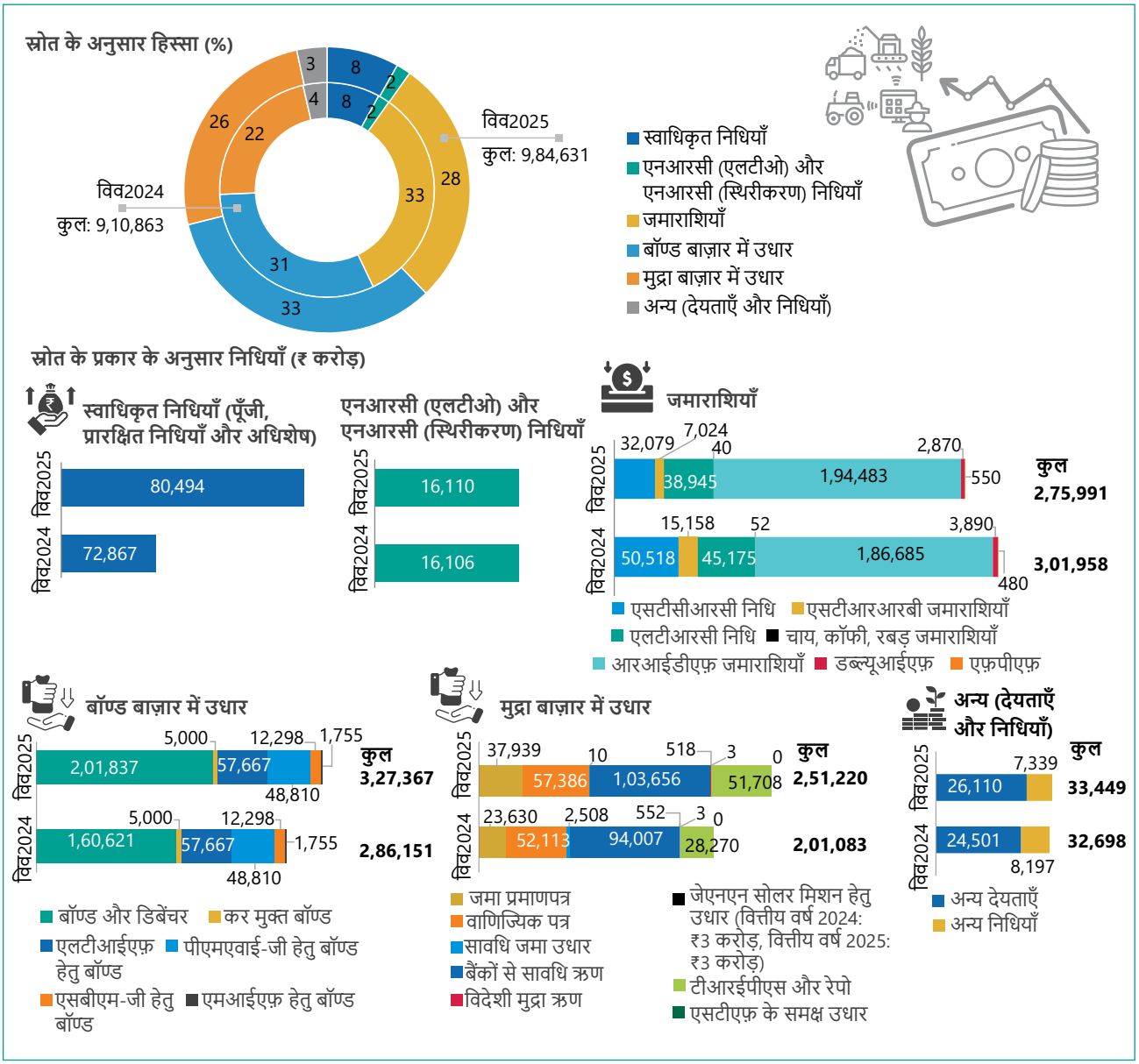
मुद्रा बाजार में उधार

वर्ष के दौरान नाबार्ड ने ₹1,57,500 करोड़ की राशि जुटाने के लिए वाणिज्यिक पत्र जारी किए और वाणिज्यिक बैंकों से ₹1,65,510 करोड़ के सावधि ऋण लिए. वित्तीय वर्ष 2025 में ₹39,835 करोड़ के जमा प्रमाणपत्र जुटाए गए, जिससे 31 मार्च 2025 तक बकाया राशि ₹40,910 करोड़ (अंकित मूल्य) तक पहुँच गई.

निवेश पोर्टफोलियो

निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड अधिशेष राशि को विभिन्न लिखतों में नियोजित कर निवेश परिचालन करता है. नाबार्ड के प्रमुख निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल, अल्पावधि जमाराशियाँ (एसटीडी), म्यूचुअल फंड और ऋण जमाराशियाँ शामिल हैं. 31 मार्च 2025 की स्थिति में इन विभिन्न लिखतों में नाबार्ड का निवेश ₹1,20,414 करोड़ था. दिनांक 31 मार्च 2025 को बकाया देयताओं की संरचना चित्र 10.1 में दी गई है.

चित्र 10.1: निधियों के स्रोत (राशि ₹ करोड़ में)

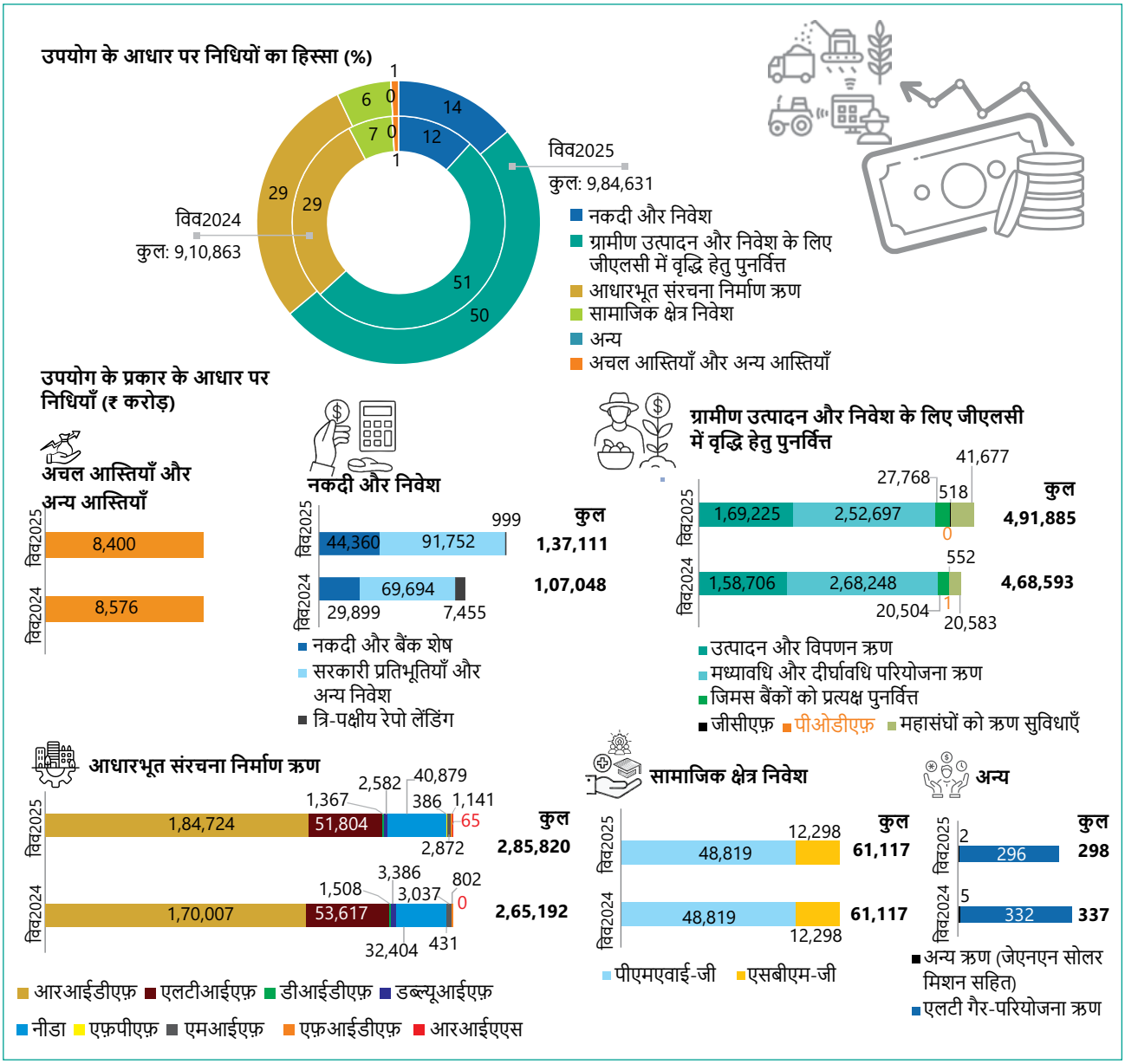


एफ़पीएफ़ = खाद्य प्रसंस्करण निधि, जेएनएन सोलर मिशन = जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, एलटीआईएफ़ = दीर्घावधि सिंचाई निधि, एलटीओ = दीर्घावधि परिचालन, एलटीआरसी = दीर्घावधि ग्रामीण ऋण, एमआईएफ़ = सूक्ष्म सिंचाई निधि, एनआरसी = राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण, पीएमएवाई-जी = प्रधान मंत्री आवास योजना—ग्रामीण, आरआईडीएफ़ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, एसबीएम-जी = स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण, एसएलएफ़ = विशेष चलनिधि सुविधा, एसटीसीआरसी = अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण, एसटीडी = अल्पावधि जमाराशि, एसटीआरआरबी = अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीआरईपीएस = ट्राई-पार्टी रेपो डीलिंग एंड सेटलमेंट, डब्ल्यूआईएफ़ = भांडागार आधारभूत संरचना निधि.

10.2 निधियों का उपयोग

वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड ने विकास के अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए निधियाँ जुटाईं. इनमें ग्रामीण उत्पादन और निवेश के लिए आधार स्तरीय ऋण (जीएलसी) में 8.1% प्रतिशत की करना, आधारभूत संरचना का विकास करना, सामाजिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, नकदी और निवेश का प्रबंधन करना और अचल आस्तियों का निर्माण करना शामिल है (चित्र 10.2).

चित्र 10.2: निधियों का उपयोग (राशि ₹ करोड़ में)



डीसीसीबी = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, डीआईडीएफ = डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि, एफआईडीएफ = मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि, एफपीएफ = खाद्य प्रसंस्करण निधि, जीसीएफ = हरित जलवायु निधि, जीएलसी = आधार स्तरीय ऋण, जेएनएन सोलर मिशन = जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, एलटी = दीर्घावधि, एलटीआईएफ = दीर्घावधि सिंचाई निधि, एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि, एमटी = मध्यावधि, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता, पीएमएवाई-जी = प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण, पीओडीएफ = उत्पादक संगठन विकास निधि, आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, आरआईएएस = राज्य सरकार हेतु ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, एसबीएम-जी = स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण, डब्ल्यूआईएफ = भांडागार आधारभूत संरचना विकास निधि.

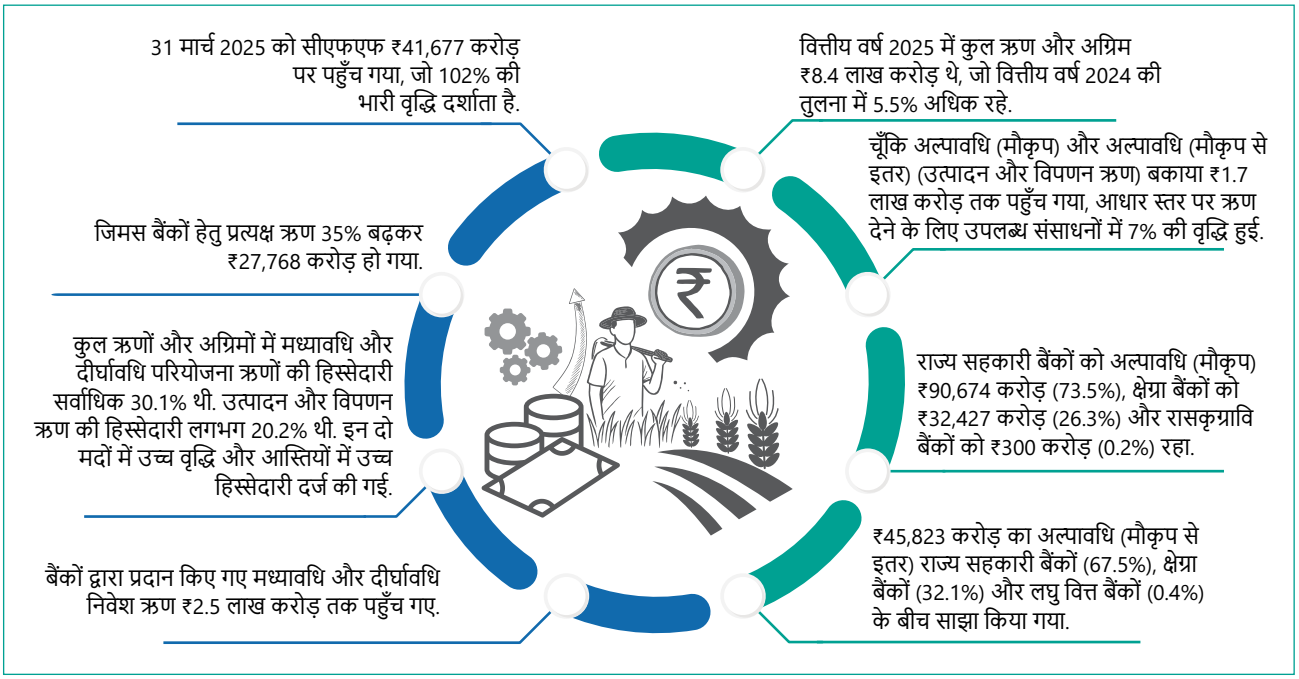
नोट: मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋणों में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के विशेष विकास डिबेंचरों में अभिदान की गई राशि शामिल है, जो अग्रिम के रूप में मानी गई है.

नाबार्ड, किसानों के लिए जीएलसी को बढ़ावा देने, अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालनों और विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए पूँजी निवेश को सहयोग प्रदान करने हेतु ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को ऋण और अग्रिम प्रदान करता है. बुनकरों और कारीगरों हेतु कार्यशील पूँजी ऋण, विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के तहत विपणन सहायता और बाज़ार जोखिमों के दौरान अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने के लिए पुनर्वित्त विकल्प उपलब्ध हैं.

इसके अलावा, नाबार्ड, राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों सहित विभिन्न संस्थाओं को आधारभूत संरचना के विकास, सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं, गोदाम और खाद्य प्रसंस्करण के लिए ऋण प्रदान करता है. यह जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की शेयर पूँजी में योगदान करने के लिए राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष ऋण भी देता है. निधियों का उपयोग नकदी और निवेश प्रबंधन तथा व्यावसायिक परिचालनों के लिए अचल आस्तियों के निर्माण हेतु किया जाता है.

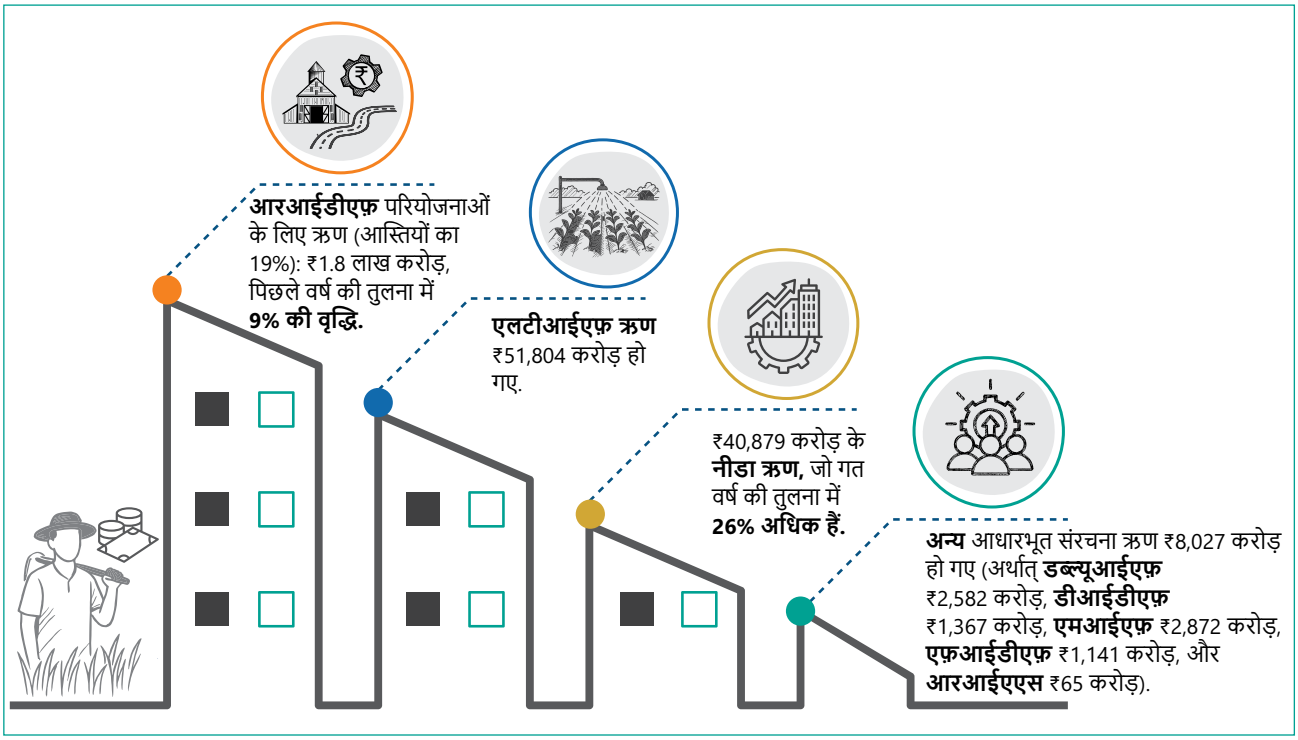
चित्र 10.3 31 मार्च 2025 तक नाबार्ड द्वारा दिए गए विभिन्न ऋणों और अग्रिमों में निधियों के नियोजन और वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि पर प्रकाश डालता है.

चित्र 10.3: पुनर्वित्त के माध्यम से आधार स्तरीय ऋण का सुदृढ़ीकरण: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार



सीएफएफ = महासंघों को ऋण सुविधा, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मौकृप = मौसमी कृषि परिचालन.
नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आँकड़े हैं.

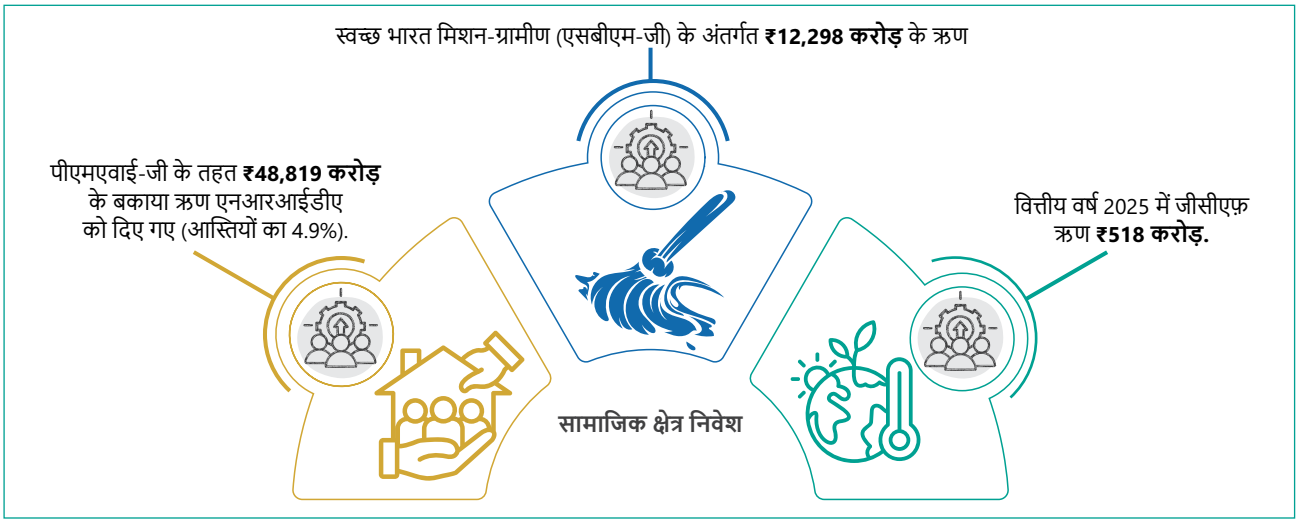
चित्र 10.4: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आधारभूत संरचना वित्तपोषण



डीआईडीएफ = डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि, एफआईडीएफ = मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि, एलटीआईएफ = दीर्घावधि सिंचाई निधि, एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता, आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, आरआईएएस = राज्य सरकार हेतु ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता, डब्ल्यूआईएफ = भांडागार आधारभूत संरचना निधि

नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आँकड़े हैं.

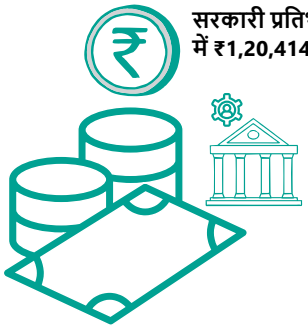
चित्र 10.5: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार सामाजिक क्षेत्र निवेश



एनआरआईडीए = राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, पीएमएवाई-जी = प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण, एसबीएम-जी=स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण.

नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आँकड़े हैं.

चित्र 10.6: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार अधिशेष निधियों का निवेश



सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाराशियों, म्यूचुअल फंडों और जमा प्रमाणपत्रों में ₹1,20,414 करोड़ की अधिशेष राशि नियोजित की गई, जो तुलन-पत्र का 12.2% है.

72% राशि सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय लिखतों में नियोजित की गई.

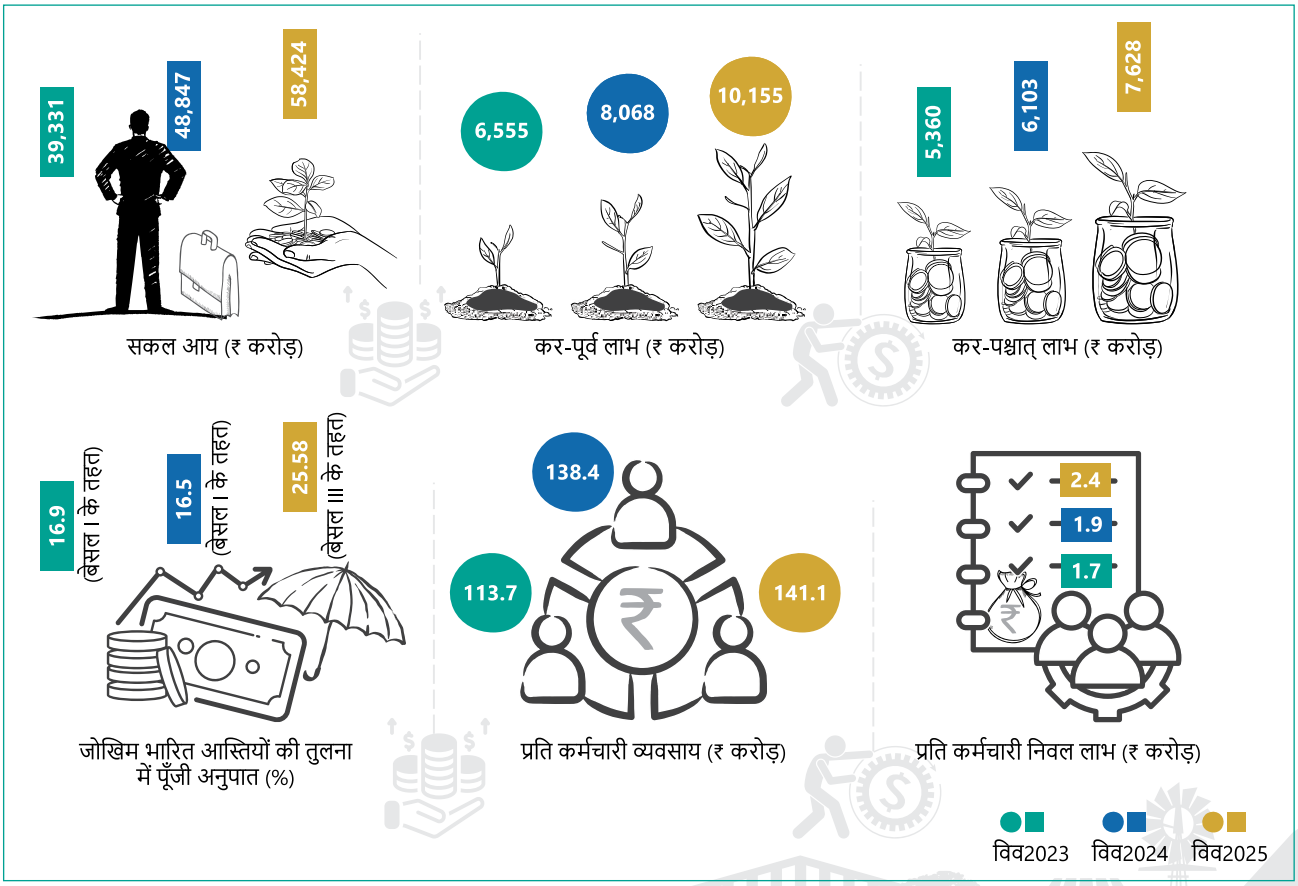
चलनिधि और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **₹33,353 करोड़** की राशि अल्पावधि बैंक जमा के रूप में रखी गई .

नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आँकड़े हैं.

10.3 आय और व्यय

नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान ₹58,424 करोड़ की आय अर्जित की, जो कि वित्तीय वर्ष 2024 की आय से 19.6% अधिक है (चित्र 10.7). वित्तीय वर्ष 2024 के ₹8,068 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड का कर-पूर्व लाभ ₹10,155 करोड़ रहा, और वित्तीय वर्ष 2024 के ₹6,103 करोड़ की तुलना में कर-पश्चात् लाभ ₹7,628 करोड़ रहा. नाबार्ड ने निवल अधिशेष को अनुसंधान एवं विकास निधि, प्रारक्षित निधि, एनआरसी (एलटीओ) निधि, और एनआरसी (स्थिरीकरण) निधि सहित अपनी विभिन्न निधियों में स्थानांतरित करके विनियोजित किया है.

चित्र 10.7: आय विश्लेषण



10.4 कृषि और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में नाबार्ड का निवेश

10.4.1 बेसल III मानदंडों का कार्यान्वयन

21 सितंबर 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2024 से बेसल III पूँजी संरचना नाबार्ड सहित प्रत्येक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान पर लागू होगी. नाबार्ड ने इसकी आवश्यकता का अनुपालन किया है.

10.4.2 नाबार्ड की सहायक कंपनियो में निवेश

नाबार्ड अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण, परामर्श, गारंटी और उद्यम पूँजी प्रदान करके उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है.

31 मार्च 2025 की स्थिति में नाबार्ड की सहायक कंपनियों की शेयर पूँजी में कुल निवेश ₹649.6 करोड़ था (चित्र 10.8). वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने नैबवेंचर्स और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) की अतिरिक्त शेयर पूँजी में क्रमशः ₹25 करोड़ और 20 करोड़ का अंशदान किया. वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड को नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड से ₹3 करोड़, नैबसमृद्धि से ₹2.3 करोड़, नैबफिन्स से ₹10.2 करोड़ और नैबकॉन्स से ₹0.1 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ.

चित्र 10.8: नाबार्ड की सहायक कंपनियों में शेयरधारिता (₹ करोड़ में)

	NABCONS	nabfins	Nabkisan Finance Ltd.	NABSAMRUDDHI	NABVENTURES	NABFOUNDATION	NAB सरक्षण
स्थापना का वर्ष	2003	1997	1997	1997	2018	2019	2020
शेयर पूँजी	25.0	161.7	171.5	123.8	50.0	50.0	50.0
नाबार्ड की शेयरधारिता (%)	100.0	63.1	87.8	91.1	100.0	100.0	100.0
नाबार्ड द्वारा निवेश	25.0	102.0	227.6	145.1	50.0	50.0	50.0
लाभांश	0.1	10.2	3.0	2.3	–	–	–

नोट: नैबकिसान और नैबसमृद्धि के आँकड़ों में प्रीमियम शामिल है.

10.4.3 रणनीतिक निवेश और प्रतिलाभ

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड (ओपीएल) नामक एक अग्रणी डिजिटल ऋण आधारभूत संरचना कंपनी में ₹56.8 करोड़ का रणनीतिक निवेश किया. इस निवेश का उद्देश्य ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र के तहत निर्बाध ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन के संवर्धन हेतु डिजिटल नवोन्मेष को बढ़ावा देना है.

इसके अलावा नाबार्ड ने ई-किसान क्रेडिट (ईकेसीसी) पहल - एक पूरी तरह से डिजिटाइज़्ड लोन ओरिजिनेशन प्लैटफ़ार्म जो भूमि रिकॉर्ड, आधार, ईकेवाईसी, कोर बैंकिंग सिस्टम और ईपीएसीएस को एकीकृत करता है - को सहयोग प्रदान करने के लिए 24X7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग में ₹3.84 करोड़ का निवेश किया. यह प्लेटफॉर्म ऋण प्रक्रिया के आदि से अंत तक स्वचालन को सक्षम बनाता है.

31 मार्च 2025 तक नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में सक्रिय 12 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों में ₹1,166.8 करोड़ का निवेश किया (तालिका 10.1). इनमें से पाँच निवेशित कंपनियों से कंपनी को कुल ₹26.4 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ.

तालिका 10.1: नाबार्ड के रणनीतिक निवेश और प्रतिलाभ

क्रम. सं.	*कंपनी*	*निवेश का वर्ष*	*नाबार्ड का निवेश (₹ करोड़)*	*हिस्सा (%)*	*लाभांश (₹ करोड़)*
1	एएफ़सी इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2000	1.0	6.7	
2	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमि.	वित्तीय वर्ष2004	60.0	30.0	15.0
3	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक.*	वित्तीय वर्ष 2003 और वित्तीय वर्ष 2018	966.3	9.4	10.6
4	नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्स्चेंज लिमिटेड*	वित्तीय वर्ष2004	16.9	11.1	
5	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2006	0.3	0.7	0.3
6	सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड*	वित्तीय वर्ष 2016	9.8	9.4	0.3
7	नेशनल ई- गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2017	1.5	2.0	0.2
8	एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया	वित्तीय वर्ष 2017	0.0	4.0	
9	नेशनल ई-रिपोजिटरी लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2018	10.5	13.0	
10	ओपेन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स	वित्तीय वर्ष 2022 और वित्तीय वर्ष 2024	40.0	4.9	
11	ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2025	56.8	7.3	
12	24X7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2025	3.8	10	
कुल			1,166.8		26.4

* आँकड़ों में प्रीमियम शामिल है.
नोट: पूर्णांकन के कारण घटकों का योग, कुल से भिन्न नहीं हो सकता है.

10.4.4 वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश

नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित मौजूदा या उभरती गतिविधियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश करता है. इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी नवोन्मेष और प्रसार को सहयोग प्रदान करते हुए आय-उत्पादक, संधारणीय व्यवसाय मॉडल के निर्माण हेतु सुविधा प्रदान करना है जिसे ग्रामीण उद्यमियों द्वारा अपनाया जा सके.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के तहत नवोन्मेषी, प्रौद्योगिकी-संचालित, उच्च-जोखिम और उच्च-प्रभाव वाली पहलों को सहयोग प्रदान करने के लिए एग्री-श्योर निधि की स्थापना की है. इस निधि का प्रबंधन नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नैबवेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड ने एग्री-श्योर ग्रीनाथॉन 2024 का भी आयोजन किया, जो किफायती स्मार्ट कृषि, लाभदायक कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन और पुनरुत्पादक कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता जैसी प्रमुख चुनौतियों पर केंद्रित एक हैकाथॉन है.

31 मार्च 2025 तक 36 निधियों में नाबार्ड की कुल प्रतिबद्धता ₹1,069 करोड़ थी, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 31 निधियों में यह प्रतिबद्धता ₹729 करोड़ की थी. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने पाँच नई निधियों को ₹340 करोड़ देने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है. संचयी संवितरण ₹666.4 करोड़ रहा. वर्ष के दौरान इन निधियों ने कुल ₹163.1 करोड़ की राशि आहरित की, और ₹17.2 करोड़ की पूँजी वापस की. नाबार्ड को ₹13.8 करोड़ का पूँजीगत लाभ प्राप्त हुआ तथा लाभांश सहित ₹5.4 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित की गई.

अध्याय 10 के अनुबंध:
वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड की सहायक संस्थाओं का कार्यनिष्पादन

नैबफिन्स

वित्तीय वर्ष 2025 में, नैबफिन्स लिमिटेड ने ₹3,082 करोड़ का संवितरण करते हुए उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन दर्ज किया, जो पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024) की तुलना में 13% की वृद्धि दर दर्शाता है. 31 मार्च 2025 की स्थिति में तुलन-पत्र का आकार ₹3,839 करोड़ और बकाया ऋण ₹3,591 करोड़ रहा. वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹90.9 करोड़, और कर-पश्चात् लाभ ₹69.1 करोड़ रहा. नैबफिन्स ने वित्तीय वर्ष के अंत तक 12.3 लाख से अधिक सक्रिय उधारकर्ताओं की संख्या बनाए रखी जबकि सकल अनर्जक आस्तियाँ (जीएनपीए) 5.4% रहीं.

वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक नैबफिन्स 498 शाखाओं के माध्यम से कार्य किया. इसकी भौगोलिक उपस्थिति में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जो 18 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र तक फैली हुई थी, और कंपनी ने 98 बिजनेस कॉरेस्पोंडेट के साथ सहयोग किया. वर्ष के दौरान स्थापित नई शाखाओं ने 8 आकांक्षी जिलों और 13 ऋण की कमी वाले जिलों तक सेवाएँ प्रदान कीं, जिससे वंचित आबादी तक पहुँच बढ़ी. अपनी स्थापना के बाद से नैबफिन्स ने 30 लाख से अधिक परिवारों को सेवा प्रदान की है और ₹16,473 करोड़ से अधिक के सूक्ष्म ऋण वितरण की सुविधा प्रदान की है - जो सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों के बीच सबसे कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है.

नैबफिन्स दो प्राथमिक व्यवसाय मॉडल - बिजनेस एण्ड डेव्लपमेंट कॉरेस्पोंडेंट मॉडल तथा प्रत्यक्ष ऋण मॉडल - के माध्यम से कार्य करता है. इसके अतिरिक्त संस्थागत ऋण मॉडल के तहत नैबफिन्स सूक्ष्मवित्त उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं को सहायता देने हेतु थोक ऋण प्रदान करता है.



वस्त्रोद्योग में महिला उद्यमी को नैबफिन्स का सहयोग - सपनों को साकार करने में सहायता

वित्तीय वर्ष 2025 में नैबफिन्स की प्रमुख पहलें नीचे दी गई है.

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) और याली इन्फोवेंचर्स के सहयोग से नैबफिन्स ने महिला उधारकर्ताओं को जूट बैग बनाने और डेयरी-संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया.
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**: नैबफिन्स ने कम आय वाले परिवारों और किसानों को सहयोग प्रदान करने के लिए कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में प्रशिक्षण-सह-कृषि प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए ₹2.2 करोड़ की मंजूरी दी.
- **जलवायु नीति क्षमता निर्माण**: नैबफिन्स ने कर्मचारियों को जलवायु नीति पहल से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया.

नैबकिसान

नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड (नैबकिसान) ने सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांत [आईजीएएपी] के अनुसार अपने तुलन-पत्र का आकार ₹3,273 करोड़ रिपोर्ट किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 18% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है. सकल ऋण बही में बकाया राशि ₹3,068 करोड़ थी, जो लगभग 19% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है.

31 मार्च 2025 तक नैबकिसान ने कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ₹1,000 करोड़ के 4,100 से अधिक ऋण मंजूर किए हैं. संचयी रूप से नैबकिसान के सहयोग से 21 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 20 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं.

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ़) के तहत नैबकिसान ने 116 कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को संचयी रूप से ₹17.9 करोड़ के ऋण मंजूर किए हैं. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नैबकिसान ने अपनी सीएसआर पहल के तहत ₹1.3 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ दो सामाजिक रूप से प्रासंगिक परियोजनाओं को सहायता दी. तमिलनाडु सरकार की तीन एफपीसी वित्तपोषण योजनाओं के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में नैबकिसान ने वर्ष के दौरान 291 एफपीसी को ₹20.3 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की.

इसके अतिरिक्त नैबकिसान, कृषक उत्पादक संगठनों हेतु ओडिशा ऋण गारंटी योजना के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करता है. इस योजना के तहत नैबकिसान ने संचयी रूप से 213 एफपीओ को ₹12 करोड़ की राशि के ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किए हैं.

वित्तीय वर्ष 2025 में ऋण गारंटी सहायता प्रदान करने हेतु नैबकिसान ने राबो फाउंडेशन के साथ साझेदारी की ताकि यह फाउंडेशन कृषि कंपनियों और स्टार्टअप्स को ऋण प्रदान कर सके. इस कारण कंपनी 11 स्टार्टअप्स को ₹16.5 करोड़ की राशि का ऋण दे पाई - जो इस क्षेत्र के लिए नैबकिसान द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऋण है.

एफपीओ वित्तपोषण के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के तहत - जिसका प्रबंधन नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है - ऋण देने वाली एक पात्र संस्था के रूप में नैबकिसान ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 872 एफपीसी को ₹168.9 करोड़ की ऋण गारंटी प्रदान की.

नैबकॉन्स

नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है और आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ/ आईईसी 27001:2022 प्रमाणन के साथ एक प्रतिष्ठित परामर्श संगठन (कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन) है. यह संस्था 100% नाबार्ड के स्वामित्व में है, इसकी अधिकृत और चुकता पूँजी ₹25 करोड़ है.

यह परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी), अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन, व्यवहार्यता और तकनीकी-वित्तीय अध्ययन, प्रभाव आकलन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने, नीति निर्माण, नैदानिक अध्ययन और आईटी-सक्षम सर्वेक्षणों के लिए आद्योपांत परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है. नैबकॉन्स कृषि और अनुषंगी गतिविधियों, जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सामाजिक-आर्थिक

विकास, खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण, बैंकिंग और वित्त, कौशल और आजीविका, सिविल इंजीनियरिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित विविध क्षेत्रों में कार्य करता है.

इसने भारत सरकार के कई मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वैधानिक निकायों, निगमों, संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित की है. नैबकॉन्स ने व्यापक आद्योपांत परामर्श सेवाएँ प्रदान करने का एक सुदृढ़ ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है.

वित्तीय वर्ष 2025 नैबकॉन्स के लिए विशिष्ट उपलब्धियों वाला वर्ष रहा. कंपनी ने ₹247 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक राजस्व अर्जित किया. तुलन-पत्र का आकार 25% बढ़ा, जो वित्तीय वर्ष 2024 में ₹201 करोड़ बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में ₹253 करोड़ हो गया. वर्ष के दौरान नैबकॉन्स ने ₹316 करोड़ का नया व्यवसाय प्राप्त किया और कार्यों से आय ₹238 करोड़ तक पहुँच गई.

केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए अधिमानी कंसल्टिंग भागीदार के रूप में नैबकॉन्स जल जीवन मिशन (जेजेएम), अटल भूजल योजना, एआईएफ़, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह संगठन नई सरकारी पहलों को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है.

वित्तीय वर्ष 2025 में नैबकॉन्स को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत से लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई (एलएसी) देशों को लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) मशीनरी की आपूर्ति के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में नियुक्त किया गया था. इस कार्य में भागीदार देशों में एसएमई विकास के लिए व्यवहार्य और संधारणीय परियोजनाओं की पहचान करना शामिल है, और इससे नैबकॉन्स के लिए एलएसी तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसर खुलने की अपेक्षा है.

वित्तीय वर्ष 2025 में नैबकॉन्स ने विषयगत और भौगोलिक क्षेत्रों की विस्तृत शृंखला में कई उल्लेखनीय कार्य प्राप्त किए, जो नीचे दिए गए हैं:

- प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) को कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु पीएमसी.
- चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों में जाखम से जयसमंद और बडंगाँव बाँधों में अधिशेष जल के विपथन के लिए डीपीआर तैयार करना.
- मांड्या जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति संघ लिमिटेड में सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर मॉडल पर ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ क्लाउड-आधारित डेयरी डिजिटलीकरण (वर्ष के दौरान दो बार सहभागिता).
- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एलएसी देशों को भारत से एसएमई मशीनरी की आपूर्ति के लिए पीआईए (बॉक्स अ10.1).
- कवर न की गई पंचायतों में नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी और मत्स्यपालन समितियों की स्थापना के लिए पीएमयू सहयोग.
- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकार क्षेत्र में राजस्थान में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यों के लिए तृतीय पक्ष की निरीक्षण संस्था.
- कर्नाटक में जेजेएम के तहत, और महाराष्ट्र की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की तैयारी, अनुप्रवर्तन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए पीएमसी सेवाएँ.
- नीति आयोग के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का मूल्यांकन.
- तेलंगाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) के तहत; तथा गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड और बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी में गोवा में कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क (सीसीएफ) परियोजना का कार्यान्वयन.
- केरल सरकार के कृषि विकास निदेशालय और किसान कल्याण विभाग के लिए 'एकीकृत कृषि डेटा हब और डिजिटल किसान सेवा मंच' का विकास.
- अमृत 2.0 के तहत पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी नगर निगम की जलापूर्ति योजना के तहत वितरण नेटवर्क और घर सेवा कनेक्शन के लिए डीपीआर तैयार करना.

- बिहार में बिहार राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ लिमिटेड के संघों और इकाइयों में एसएएएस मॉडल पर डेयरी प्राप्य मंच का कार्यान्वयन.
- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय हेतु दस केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी वाले राज्यों में डीडीयू-जीकेवाई के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी.

बॉक्स अ10.1: लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों में लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र विकास परियोजना

अप्रैल 2023 में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कैरेबियाई समुदाय (कैरीकॉम) के सदस्य देशों में लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के विकास के लिए $1 मिलियन तक के अनुदान की घोषणा की. इस पहल के तहत भारत सरकार इन देशों में एसएमई को सहयोग और सुदृढ़ता देने के लिए संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति करेगी.

नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) को 10 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई (एलएसी) देशों में एसएमई विकास पहल को लागू करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो आदि शामिल हैं. इस भागीदारी के तहत नैबकॉन्स ने सात देशों का दौरा किया, हितधारकों के साथ परामर्श किया और पाँच देशों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की. परियोजना का अनुमानित मूल्य ₹80 करोड़ है.

नैबकॉन्स भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की पहचान में भी सहायता करेगा और परियोजना की कमीशनिंग की देखरेख करेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत द्वारा निर्मित मशीनरी का संवर्धन होगा.

परियोजना उद्देश्य: संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से एसएमई को सुदृढ़ करना.

कार्यान्वयन के चरण:

- परियोजना विकास: हितधारकों के परामर्श से व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करना.
- परियोजना कार्यान्वयन: भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करना तथा मशीनरी की समय पर आपूर्ति और स्थापना सुनिश्चित करना.
- परियोजना अनुप्रवर्तन: तिमाही अनुप्रवर्तन और रिपोर्टिंग के साथ-साथ प्रशिक्षण और अनुरक्षण सहायता प्रदान करना.



बाएँ से दाएँ: श्री सदागोपाचारी रामजी (कार्यवाहक राजदूत, भारतीय दूतावास, सूरीनाम), डॉ. हरगोपाल यांड्रा (प्रबंध निदेशक, नैबकॉन्स), श्री अल्बर्ट रामदीन (विदेशमंत्री, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री, सूरीनाम गणराज्य सरकार), श्री परमानंद सेवडियन (कृषि, पशुपालन और मत्स्यपालन मंत्री, सूरीनाम गणराज्य सरकार), और श्री भूषण गोयल (सलाहकार, नैबकॉन्स).

नैबसमृद्धि

नैबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड (एनएसएफ़एल) ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त कीं, जिनमें आस्ति आकार का ₹2,100 करोड़ से अधिक हो जाना और प्रबंधन के तहत आस्तियों (एयूएम) का आकार ₹2,000 करोड़ के पार जाना महत्वपूर्ण है, जो क्रमशः 17% और 14% की वृद्धि दर दर्शाता है.

कंपनी ने 32 से अधिक भागीदारों के माध्यम से जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (वॉश) ऋणों में संचयी रूप से लगभग ₹450 करोड़ संवितरित किए हैं, जिससे लगभग 75,000 उधारकर्ताओं को लाभ हुआ है. 31 मार्च 2025 तक एनएसएफ़एल ने एनबीएफ़सी, आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी), एनबीएफ़सी-एमएफ़आई और अन्य संस्थागत ग्राहकों के सहयोग से 25 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में 3.5 लाख से अधिक अंतिम लाभार्थियों तक पहुँच बनाई है.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान एनएसएफ़एल द्वारा की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **क्लाइमेट-रेडी वॉश कार्यक्रम**: नाबार्ड के सहयोग से एनएसएफ़एल ने अपने साझेदार ट्रस्ट ऑफ पीपल के ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए 42 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए.
- **कार्यशालाएँ**: सा-धन के सहयोग से नई दिल्ली, कोलकाता और बंगलूरू में घरेलू स्तर पर क्लाइमेट-रेडी वॉश सोल्यूशंस पर तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया.
- **सहभागिता**: भारत स्वच्छता सम्मेलन, सा-धन राष्ट्रीय सम्मेलन, water.org द्वारा जल ऋण फोरम, तथा हरित वित्त और वॉश वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट जैसे मंचों में सक्रिय रूप से भाग लिया.

अपनी सीएसआर पहल के तहत एनएसएफ़एल ने नैबफाउंडेशन को निम्नलिखित गतिविधियों हेतु ₹1 करोड़ मंजूर किए:

- जैसलमेर, राजस्थान में वर्षाजल संचयन के माध्यम से संधारणीय जल सुरक्षा का संवर्धन.
- कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में प्रशिक्षण-सह-कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना.

वर्ष के दौरान एनएसएफ़एल को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शामिल हैं:

- क्लाइमेट-रेडी वॉश वित्तपोषण कार्यक्रम के लिए वॉश हेतु सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषी वित्तीय सुलभता मॉडल: प्रभाव, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निवेशक श्रेणी के तहत आईएससी-एफ़आईसीसीआई स्वच्छता पुरस्कार.
- डबल्यूएटीएसएएन या वाटसन (जल और स्वच्छता) ऋण वितरण में उत्कृष्ट योगदान हेतु सा-धन water.org अवार्ड 2024.
- सर्वश्रेष्ठ महिला-हितैषी वित्तीय संस्थान के लिए ईलाबेन मेमोरियल पुरस्कार.

नैबवेंचर्स

नैबवेंचर्स लिमिटेड नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करती है. वित्तीय वर्ष 2025 की स्थिति में संस्था ऐसी दो निधियों का प्रबंधन करती है—नैबवेंचर्स निधि I (फ़्लैगशिप निधि) और एग्री-श्योर निधि.

नैबवेंचर्स लिमिटेड की प्रमुख निधि नैबवेंचर्स निधि I ने ₹598 करोड़ के कॉर्पस के साथ वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान अपने संपूर्ण निवेश योग्य कॉर्पस का सफलतापूर्वक उपयोग किया. इस निधि ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक से आंशिक निकासी प्राप्त की है, जिस पर निवेशित पूँजी का 4.7 गुना प्रतिफल मिला है. 31 मार्च 2025 तक निधि के तहत संचयी प्रतिबद्धताएँ ₹571.9 करोड़ थीं.

3 सितंबर 2024 को शुरू की गई एग्री-श्योर निधि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ श्रेणी II के अंतर्गत पंजीकृत एआईएफ़ है, जिसका कुल कॉर्पस ₹750 करोड़ है. इसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार तथा नाबार्ड से ₹250 करोड़ का योगदान शामिल है. शेष ₹250 करोड़ अन्य संस्थागत निवेशकों से जुटाए जा रहे हैं.

एग्री-श्योर निधि के दो घटक हैं:

- एग्री-श्योर-फंड ऑफ फंड्स (एफ़ओएफ़) योजना: ₹450 करोड़ के कॉर्पस के साथ यह योजना स्टार्टअप में ऑनवर्ड निवेश के लिए एआईएफ़ को वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

- एग्री-श्योर-डायरेक्ट योजना: यह योजना ₹300 करोड़ के कॉर्पस के साथ कृषि और ग्रामीण विकास में शामिल प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप में प्रत्यक्ष निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है.

इस निधि का समग्र उद्देश्य है - 10 वर्ष की अवधि में लगभग 85 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना.

नैबवेंचर्स निधि I का निम्नलिखित व्यवसायों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है:

- होमविल: यह कंपनी आवास वित्त के लिए ऋण नेटवर्क और डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण करती है. भारत हाउसिंग नेटवर्क के माध्यम से यह 17 राज्यों और 500 से अधिक शहरों में 45 एचएफसी और एनबीएफसी को सहायता प्रदान करती है, जिससे 8,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ मिलता है. उल्लेखनीय है कि 60% ऋण ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं.
- एगोज़: एगोज़ एक उपभोक्ता ब्रांड है जो अंडे और अंडे से बने उत्पाद बेचता है. इसने किसानों से प्रत्यक्ष खरीद करके किसानों की आय में 30% की वृद्धि की है. यह कंपनी उत्तर भारत के 15 शहरों और चुनिंदा महानगरीय क्षेत्रों में कार्य करती है.
- एड्वारिस्क: यह बैंकों के लिए एक बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) धोखाधड़ी का पता लगाने वाला प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में भूमि रिकॉर्ड को मानकीकृत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/ एमएल) का उपयोग करता है. यह 4 करोड़ से अधिक संपत्तियों के अखिल भारतीय डेटाबेस का प्रबंधन करता है, जो 95% एआई सटीकता के साथ 50 से अधिक वित्तीय संस्थानों को सेवा प्रदान करता है.
- जय किसान: यह एक ग्रामीण वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) मंच है जिसने दक्षिण, पश्चिम और मध्य भारत के 11 राज्यों के 8 लाख किसानों को ₹7,500 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की है.
- विलकार्ट: किराना दुकानों को आपूर्ति करने वाले ग्रामीण आपूर्ति शृंखला मंच विलकार्ट ने 5 राज्यों में 87,000 खुदरा दुकानों तक पहुँच बनाकर और 43.6 लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुँचाते हुए ₹1,000 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है.
- उन्नति: कृषि निविष्टयाँ और सेवाएँ प्रदान करने वाला फिनटेक-एनेब्ल्ड एग्रीटेक प्लेटफॉर्म—उन्नति—181 जिलों में 70,161 खुदरा दुकानों के माध्यम से 22.2 लाख किसानों को जोड़ता है. नैबवेंचर्स निधि I ने प्रतिबद्ध पूँजी के 4.7 गुना पर इस निवेश से आंशिक निकासी प्राप्त की.
- बियॉन्ड स्नैक: एक प्रीमियम केला चिप्स ब्राण्ड जो स्थानीय किसानों से नेन्द्रन केले प्राप्त करता है. बियॉन्ड स्नैक किसान समूहों को सहयोग प्रदान करता है और मूल्यवर्धित खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण रोजगार का सृजन करता है.

नैबफाउंडेशन

नैबफाउंडेशन ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान आजीविका सृजन, संधारणीय कृषि और ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, लैंगिक संवेदीकरण, कौशल और क्षमता विकास, और डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई पहलें की हैं.

वर्ष के दौरान नैबफाउंडेशन को नाबार्ड और इसकी सहायक संस्थाओं तथा कॉर्पोरेट भागीदारों से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन और आजीविका सृजन के विषयगत क्षेत्रों में ₹15.8 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय सहित छह परियोजनाओं के लिए मंजूरी मिली.

वर्ष के दौरान कार्यान्वित या कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से 71 स्वयं-सहायता समूहों, 101 उत्पादक कंपनियों, 35 कारीगरों और 500 से अधिक जनजातीय परिवारों सहित 1 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी को लाभ मिला. ये सहयोग 571 जिलों - जिनमें 81 आकांक्षी जिले शामिल थे - और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य और कई संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कार्यान्वित या कार्यान्वित की जा रही चुनिंदा परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **क्लिक रामेश्वरम**: डिजिटल पर्यटन संवर्धन के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और युवाओं हेतु आजीविका अवसरों का सृजन; 4 लाख से अधिक व्यक्तियों ने जियोटैग किए गए अपनी ज़रूरत के बिंदुओं को एक्सैस किया.
- **पशु स्वास्थ्य और चारा सुधार**: कोल्हापुर के पारागाँव में 100 किसानों के लिए पशुधन उत्पादकता में वृद्धि.
- **स्कूल शिक्षा सुविधा**: शिक्षा परिवेश में उन्नति के माध्यम से बहुविध राज्यों के आठ स्कूलों में आधारभूत संरचना में परिवर्धन.

- **उद्यमिता और सहयोग के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाना (ईंट्रेसेस)**: मोबाइल कैफेटेरिया इकाई के माध्यम से तमिलनाडु के तिरुपुर में ट्रांसजेंडर समुदाय का आजीविका संवर्धन.
- **यात्री इको-सैनिटेशन एंड हाइजीन (येश)**: तमिलनाडु के धनुषकोडी में पे-एंड-यूज़ स्वच्छता सुविधा का निर्माण और परिचालन, जिससे ₹3.5 लाख का कारोबार हुआ.
- **ग्रामीण जल संसाधनों की आश्वस्ति और पर्यावरण हेतु सिंचाई टैंकों की बहाली (रीऐश्योर)**: मदुरै (तमिलनाडु) और महाराष्ट्र के जिलों में सिंचाई की आधारभूत संरचना में सुधार.
- **कुपोषण से बचाव**: छत्तीसगढ़ के जशपुर में कुपोषण के बारे में जागरूकता सृजन और किचन गार्डन का संवर्धन, जिससे 300 से अधिक जनजातीय परिवारों को लाभ मिला.
- **स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम**: 1,000 स्कूलों में लघु मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, जिससे 35,000 मृदा नमूनों का परीक्षण किया जा सकेगा और उन्हें सरकार के मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल (www.soilhealth.dac.gov.in) पर अपलोड किया जा सकेगा.
- **जैसलमेर जल सुरक्षा**: राजस्थान के जैसलमेर में 10 गाँवों में वर्षाजल संचयन संरचना का निर्माण; निर्माण कार्य जारी है.
- **प्रशिक्षण-सह-कृषि-प्रसंस्करण केंद्र**: कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के सात जिलों में केंद्रों की स्थापना.
- **मूलभूत सर्वेक्षण**: बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में परियोजना ग्रामों के लिए कृषि क्षेत्र में प्रभावी सहयोग डिज़ाइन करने के लिए.
- **निर्मल जल 2.0**: राजस्थान के अलवर के 10 गाँवों के लिए स्वच्छ किफायती पेयजल सुविधा की स्थापना.

नैबसंरक्षण

नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नैबसंरक्षण) नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी स्थापना नवंबर 2020 में ऋण गारंटी निधियों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी, और जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्रों में संस्थागत वित्त के प्रवाह को बढ़ाना है. कंपनी लक्षित ऋण गारंटी के माध्यम से संधारणीय और समावेशी कृषि और ग्रामीण विकास को सहयोग प्रदान करती है.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नैबसंरक्षण ने दो प्रमुख ऋण गारंटी निधि न्यासों - किसान उत्पादक संगठनों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (एफपीओ ट्रस्ट) तथा पशुपालन और डेयरी के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (एएचडी ट्रस्ट) - का प्रबंधन किया.

वित्तीय वर्ष 2025 में ऋण देने वाली 97 पात्र संस्थाओं (ईएलआई) को एफपीओ ट्रस्ट के अंतर्गत शामिल किया गया. 31 मार्च 2025 तक संचयी रूप से कुल 3,054 ऋण गारंटियाँ जारी की गईं, जिसमें ₹666.7 करोड़ की राशि के ऋण शामिल हैं और 2,259 किसान उत्पादक संगठनों और 21.8 लाख किसानों को लाभ हुआ है. ट्रस्ट ने BBB और उससे ऊपर की रेटिंग वाली एनबीएफसी, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए अपने पात्रता मानदंडों का विस्तार किया.

एएचडी ट्रस्ट के तहत 31 मार्च 2025 तक संचयी रूप से छह ऋण गारंटियाँ जारी की गईं, जिसमें ₹113.6 करोड़ के ऋण शामिल हैं. पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना को वित्तीय वर्ष 2026 तक बढ़ाया गया है और अब एएचडी के लिए ऋण गारंटी योजना का विस्तार किया गया है ताकि पात्र ऋणदाता संस्थाएँ (ईएलआई), जैसे कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और डेयरी सहकारी समितियों, को पात्र उधारकर्ताओं के रूप में शामिल किया जा सके. इसके अलावा एएचडी ट्रस्ट के तहत मत्स्यपालन और जलचर पालन के लिए ऋण गारंटी योजना भी शुरू की गई तथा इस योजना के तहत 4 ईएलआई को शामिल किया गया है.

नैबसंरक्षण, गारंटी की पूरी अवधि की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने के लिए सक्रिय रूप से एक व्यापक ऋण गारंटी प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) विकसित कर रहा है.

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पालघर, महाराष्ट्र में शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार के लिए एक परियोजना पूरी की तथा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में एक प्रशिक्षण-सह-कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के लिए निधियाँ आबंटित की गईं.

भविष्य की ओर देखते हुए नैबसंरक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर बल दे रहा है:

- एकीकृत ऋण गारंटी पोर्टल शुरू करना,
- योजना कवरेज का विस्तार करना और मौजूदा योजनाओं में सुधार करना,
- आधार स्तरीय संस्थाओं को ऋण प्रवाह की वर्धित सुविधा प्रदान करना,
- नई योजनाओं को शामिल करना और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) तक पहुँच का विस्तार करना, और
- विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए आंतरिक मानव संसाधन क्षमता को सुदृढ़ करना.

नाबार्ड

वार्षिक रिपोर्ट

2024–25



कॉर्पोरेट अभिशासन

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक



कॉर्पोरेट अभिशासन

'कॉर्पोरेट अभिशासन' कंपनी के प्रबंधन, निदेशक मंडल, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के बीच संबंधों का समुच्चय है. कॉर्पोरेट अभिशासन वह संरचना भी उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कार्यनिष्पादन की निगरानी के उपाय भी तय किए जाते हैं. कॉरपोरेट अभिशासन यह परिभाषित करने में सहायक होता है कि प्राधिकार और दायित्व कैसे आबंटित किए जाएँ और निर्णय कैसे लिए जाएँ.[1] कुशल अभिशासन का उद्देश्य निवेशकों और अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए परिचालन के सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर की जवाबदेही, दक्षता, ज़िम्मेदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता प्राप्त करना है.

नीति और परिचालन से जुड़े मामलों पर निर्णय प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने और नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अनेक समितियाँ गठित की हैं. एक सुदृढ़ नियंत्रण प्रणाली के एक हिस्से के रूप में इन समितियों के कार्यनिष्पादन और गतिविधियों का विवरण निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. नाबार्ड में कॉर्पोरेट अभिशासन के सिद्धांतों को लागू करने में निदेशक मंडल और ये समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इनका विवरण आगामी खंडों में दिया जा रहा है.

निदेशक मंडल

नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य विनियमावली 1982 और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियमावली 1984 से शासित होता है. इसके निदेशक मंडल की संघटना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के अनुसार की गई है (तालिका 1).

तालिका 1: नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अनुसार निदेशक मंडल की रचना

नाबार्ड अधिनियम–धारा	*पदनाम*	*संख्या*
6(1)(क)	अध्यक्ष	1
6(1)(ख)	ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, कुटीर और ग्राम उद्योग, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञ	3
6(1)(ग)	भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक	3
6(1)(घ)	केंद्र सरकार के अधिकारी	3
6(1)(ङ)	राज्य सरकार के अधिकारी	4
6(1)(च)	शेयरधारक (भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रणाधीन अन्य संस्थाओं को छोड़कर)	–
6(1)(छ)	प्रबंध निदेशक	1
6(3)	भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक	2
	कुल संख्या	17

निदेशक मंडल नाबार्ड में निर्णय लेने के लिए शीर्ष निकाय है. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 की धारा 5(1) के अनुसार नाबार्ड के मामलों और व्यवसाय के सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन से संबंधित अधिकार निदेशक मंडल को प्राप्त हैं. निदेशक मंडल नाबार्ड की ओर से समस्त प्राधिकारों के प्रयोग और सभी कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत है.

1 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का परिचर्चा पत्र, जून 2020.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015

सितंबर 2021 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ [एलओडीआर]) विनियमावली 2015 ढाँचे में संशोधन के अनुसरण में 'उन उच्च मूल्य वाले डेट लिस्टेड निकायों' पर उक्त विनियमावली के कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित विनियम 15 से 27 लागू किए गए जिन्होंने अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है और 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार जिनकी सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डेट प्रतिभूतियों का बकाया ₹500 करोड़ या उससे अधिक था. इस संशोधन के आधार पर, नाबार्ड "उच्च मूल्य वाले डेट लिस्टेड निकाय" के रूप में अर्हता प्राप्त करता है और तदनुसार नाबार्ड के लिए विनियम 15 से 27 की प्रयोज्यता 31 मार्च 2023 तक "अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें" के आधार पर थी, और उसके बाद अनिवार्य आधार पर हो गई. सेबी ने पहले कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों (अर्थात् एलओडीआर के विनियम 16 से 27) के अनुपालन के लिए निर्धारित समय सीमा को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया था, लेकिन 15 मार्च 2024 को संपन्न उनके निदेशक मंडल की बैठक में यह समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी गई है.

12 दिसंबर 2024 को सेबी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विभिन्न विनियमों में संशोधन करते हुए सेबी (एलओडीआर) (तीसरा संशोधन) विनियमावली 2024 की अधिसूचना जारी की. संशोधित विनियमों से कई बदलावों की शुरुआत हुई, विशेष रूप से व्यापार में आसानी का मार्ग प्रशस्त हुआ.

साथ ही, सेबी ने सेबी(एओडीआर) विनियमावली 2015 में संशोधन के लिए 27 मार्च 2025 को सेबी (एओडीआर) (संशोधन) विनियमावली 2025 की अधिसूचना जारी की. इस संशोधन से अध्याय V-A अस्तित्व में आया जिसमें सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डेट प्रतिभूतियों वाले निकायों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रावधान हैं. इस अध्याय के प्रावधान केवल उन्हीं निकायों पर लागू होंगे जिनके पास ₹1000 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की बकाया सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डेट प्रतिभूतियाँ हैं और उनके पास कोई सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ नहीं हैं. इस संशोधन की वजह से नाबार्ड पर विनियम 15 से 27 की जगह अध्याय V-A लागू होगा.

तदनुसार, नाबार्ड प्रबंधन निर्धारित समय के भीतर कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड के निदेशक मंडल में 10 निदेशक हैं, जिनमें से तीन निदेशक कार्यकारी/ पूर्णकालिक निदेशक हैं और 7 निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं. नाबार्ड, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 62डी (1) (ए) का अनुपालन करता है, जिसके तहत निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन रखना आवश्यक होता है, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए और निदेशक मंडल में कम से कम 50% गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होने चाहिए. निदेशक मंडल के प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, निदेशकों की संख्या, विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र और योग्यताओं के विवरण तालिका 2 व 2अ में दिए गए हैं.

तालिका 2: निदेशक मंडल के प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, जिन कंपनियों में निदेशक हैं, उनकी संख्या, विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र और योग्यताएँ

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	उपस्थिति		अन्य बोर्डों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य हैं	विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र/ योग्यताएँ	टिप्पणी
			निदेशक मंडल की संपन्न बैठकें*	बैठकों (सं.) में सहभागिता			
1.	श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष	5	5	12	कृषि वित्त	
2.	डॉ. उर्विश शाह@	विशेषज्ञ/गैर-सरकारी	5	5	1	लेखापरीक्षा और परामर्श	कार्यकाल 29 दिसंबर 2024 को समाप्त
3.	डॉ. एम. डी. पात्रा	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	3	1	1	केंद्रीय बैंकिंग	कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त
4.	श्रीमती रेवती अय्यर	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	5	5	1	लेखापरीक्षा और लेखांकन	
5.	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	5	5	7	अध्यापन, शोध, प्रशिक्षण और परामर्श	
6.	श्री मनोज आहूजा	केंद्र सरकार के अधिकारी	1	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	कार्यकाल 29 जून 2024 को समाप्त
7.	श्री देवेश चतुर्वेदी	केंद्र सरकार के अधिकारी	3	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	
8.	श्री शैलेश कुमार सिंह	केंद्र सरकार के अधिकारी	5	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	
9.	डॉ. एम. पी. तंगिराला	केंद्र सरकार के अधिकारी	4	3	2	प्रशासनिक सेवा (आईपी एंड टीएएफएस)	कार्यकाल 19 मार्च 2025 को समाप्त
10.	श्री अशोक बर्नवाल	राज्य सरकार के अधिकारी	1	0	3	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	कार्यकाल 26 जून 2025 को समाप्त
11.	श्री एम सेलवेंद्रन	राज्य सरकार के अधिकारी	3	1	3	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	
12.	श्री विनोद कुमार सुमन	राज्य सरकार के अधिकारी	1	1	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	कार्यकाल 01 जुलाई 2024 को समाप्त

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	उपस्थिति		अन्य बोर्डों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य हैं	विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र/ योग्यताएँ	टिप्पणी
			निदेशक मंडल की संपन्न बैठकें*	बैठकों (सं.) में सहभागिता			
13.	डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय	राज्य सरकार के अधिकारी	4	4	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	
14.	श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू	राज्य सरकार की अधिकारी	3	3	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	
15.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	राज्य सरकार के अधिकारी	1	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	कार्यकाल 18 जून 2024 को समाप्त
16.	श्री बुडिति राजशेखर	राज्य सरकार के अधिकारी	2	0	शून्य	प्रशासनिक सेवा (आईएएस)	30 दिसंबर 2024 को अधिवर्षिता पर कार्यकाल समाप्त
17.	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक	5	5	1	कृषि वित्त	
18.	डॉ. अजय के. सूद	उप प्रबंध निदेशक	5	5	1	कृषि वित्त	

नोट:

1. आईएएस = भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. * = 'संपन्न बैठकें' इसमें निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या शामिल है.
3. @ = निदेशक का कार्यकाल 29 दिसंबर 2024 को समाप्त होने के बाद उन्होंने विशेष आमंत्रिती के रूप में पिछली दो बैठकों में सहभागिता की.

तालिका 2अ: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल के प्रत्येक निदेशक की अन्य किसी बोर्ड में सदस्यता

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अन्य कंपनियाँ जहाँ वे निदेशक हैं	ऐसी अन्य कंपनियों में हित की प्रकृति
1	श्री शाजी के वी	**निदेशक के रूप में**	
		1. नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लि.	1. निदेशक
		2. नैबवेंचर्स लि.	2. नामिती निदेशक
		3. नैबसंरक्षण	3. नामिती निदेशक
		4. नैबफाउंडेशन	4. निदेशक
		5. डीआईसीजीसी	5. निदेशक
		शासी निकाय	
		6. बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान	6. शासी परिषद के सदस्य
		7. आईबीपीएस	7. शासी बोर्ड के सदस्य
		8. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान	8. शासी बोर्ड के सदस्य
		9. भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी	9. शासी बोर्ड के सदस्य
		10. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान	10. शासी बोर्ड के सदस्य
		11. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	11. बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के सदस्य
		12. भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	12. प्रबंध समिति के सदस्य
2	श्रीमती रेवती अय्यर	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक
3	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया	1. गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स	1. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		2. गुजरात इण्डस्ट्रीज़ पावर कंपनी लि.	2. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		3. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन	3. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		4. भारतीय रिज़र्व बैंक	4. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		5. सीएएफआरएएल	5. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		6. केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लि.	6. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक
		7. अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लि.	7. स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अन्य कंपनियाँ जहाँ वे निदेशक हैं	ऐसी अन्य कंपनियों में हित की प्रकृति
4	श्री देवेश चतुर्वेदी	शून्य	शून्य
5	श्री शैलेश कुमार सिंह	शून्य	शून्य
6	श्री एम सेलवेंद्रन	1. एमपीएसईडीसी	1. प्रबंध निदेशक
		2. एमपीएमकेवीवीएल	2. प्रबंध निदेशक
		3. एमपीऑनलाइन	3. अध्यक्ष
7	डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय	शून्य	शून्य
8	श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू	शून्य	शून्य
9	श्री गोवर्धन सिंह रावत	नैबवेंचर्स लि.	नामिती निदेशक
10	डॉ. अजय कुमार सूद	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लि.	नामिती निदेशक

वित्तीय वर्ष 2025 में निदेशक मंडल में हुए परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मंडल की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए (तालिका 3 और 4).

तालिका 3: वित्तीय वर्ष 2025 में शामिल हुए निदेशक मंडल के सदस्य

क्र. सं.	नाम	पदनाम	शामिल होने की तिथि
1.	श्री बुडिति राजशेखर	विशेष मुख्य सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	19 जून 2024
2.	डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय	सचिव, कृषि और किसान कल्याण, उत्तराखंड सरकार	02 जुलाई 2024
3.	श्री देवेश चतुर्वेदी	सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	06 अगस्त 2024
4.	श्री एम सेलवेंद्रन	सचिव, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	14 अक्तूबर 2024
5.	श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू	आयुक्त (वित्त), अरुणाचल प्रदेश सरकार	14 अक्तूबर 2024

तालिका 4: वित्तीय वर्ष 2025 में निदेशक पद से पदमुक्त होने वाले निदेशक मंडल के सदस्य

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यकाल समाप्ति
1.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	विशेष मुख्य सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	18 जून 2024
2.	श्री अशोक बर्नवाल	अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार	26 जून 2024
3.	श्री मनोज आहूजा	सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	29 जून 2024
4.	श्री विनोद कुमार सुमन	सचिव, कृषि और किसान कल्याण, उत्तराखंड सरकार	01 जुलाई 2024
5.	डॉ. उर्विश शाह	निदेशक	29 दिसंबर 2024
6.	श्री बुडिति राजशेखर	विशेष मुख्य सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	31 दिसंबर 2024
7.	डॉ. एम. डी. पात्रा	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक	14 जनवरी 2025
8.	डॉ. एम. पी. तंगिराला	अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	19 मार्च 2025

विव 2025 में संपन्न निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकें

विव 2025 के दौरान, नाबार्ड ने सुशासन के सभी निर्धारित मानदंडों का अक्षरश: पालन किया, और निदेशक मंडल और इसकी समितियों ने संगठन की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित कीं (तालिका 5 और 6).

तालिका 5: निदेशक मंडल की आयोजित की गई बैठकों की संख्या

क्र. सं.	*बैठक सं.*	*बैठक की तिथि*
1.	257	24 मई 2024
2.	258	30 जुलाई 2024
3.	259	12 नवंबर 2024
4.	260	14 फरवरी 2025
5.	261	28 मार्च 2025

निदेशक मंडल की समितियाँ

तालिका 6: निदेशक मंडल की समितियों की आयोजित बैठकें

क्र. सं.	*निदेशक मंडल और उसकी समितियाँ*	*वांछित बैठकें*	*आयोजित बैठकें*
1.	निदेशक मंडल	04	05
2.	कार्यपालक समिति	04	04
3.	लेखापरीक्षा समिति	06	06
4.	जोखिम प्रबंधन समिति	04	04
5.	परिसर समिति	02	02
6.	मानव संसाधन समिति	02	03
7.	आईटी कार्यनीति समिति	04	05
8.	मंजूरी समिति	आवश्यकता आधारित	04
9.	हितधारक संबंध समिति	01	01
10.	धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गठित निदेशक मंडल की विशेष समिति	आवश्यकता आधारित	01
11.	इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति	आवश्यकता आधारित	—
12.	आंतरिक मंजूरी समिति	आवश्यकता आधारित	12

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के तहत किया गया था (तालिका 7).

कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण:

1. लेखापरीक्षा समिति निदेश प्रदान करने के साथ-साथ लेखापरीक्षा कार्यों के संचालन की देखरेख करेगी. समग्र लेखापरीक्षा कार्यों में संस्था की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षणों का आयोजन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण और सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है.
2. जहाँ तक आंतरिक लेखा परीक्षा का संबंध है, यह समिति संस्था में आंतरिक निरीक्षण/ लेखापरीक्षा के कार्य अर्थात् अनुवर्ती कार्रवाई की प्रणाली, इसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता की समीक्षा करेगी. समिति, धोखाधड़ियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई और हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी.
3. सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, समिति रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगी. समिति वार्षिक वित्तीय लेखे और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा भी कर सकती है.
4. भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/ चिंताओं की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई.
5. भारतीय लेखांकन मानकों के अनुपालन की समीक्षा.
6. बेसल-III मानदंडों के कार्यान्वयन की समीक्षा.
7. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन की समीक्षा.
8. सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई.
9. रेटिंग एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श.
10. कोई अन्य संबंधित मुद्दे, जिन्हें निदेशक मंडल शामिल करना चाहता हो.
11. सेबी-एओडीआर की अनुसूची 2 के भाग सी में विनिर्दिष्ट सभी मदें.

तालिका 7: वित्त वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की रचना और सदस्यों की उपस्थिति

क्र. सं.	*नाम*	*श्रेणी*	*आयोजित बैठकें**	*बैठकों में उपस्थिति*
1.	डॉ. उर्विश शाह@	विशेषज्ञ/ गैर सरकारी	6	6
2.	श्रीमती रेवती अय्यर	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	6	6
3.	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	6	6
4.	श्री मनोज आहूजा	केंद्र सरकार के अधिकारी	1	0
5.	श्री देवेश चतुर्वेदी	केंद्र सरकार के अधिकारी	4	0
6.	श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू	राज्य सरकार की अधिकारी	4	2
7.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	राज्य सरकार के अधिकारी	1	0
8.	श्री बुडिति राजशेखर	राज्य सरकार के अधिकारी	3	1
9	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक	6	6
10.	डॉ. अजय कुमार सूद	उप प्रबंध निदेशक	6	6

नोट:

1. * 'आयोजित बैठकें' के अंतर्गत संबंधित निदेशक के कार्यकाल में आयोजित एसीबी बैठकों की संख्या दी गई है.
2. @ चूँकि निदेशक का कार्यकाल दिनांक 29 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था, अतः उन्होंने एसीबी की पिछली दो बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में भाग लिया है.

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के तहत किया गया था (तालिका 8).

कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण:

1. ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम-युक्त निवेशों के समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करना. इस प्रयोजन के लिए, आरएमसीबी को उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति और बैंक की अन्य जोखिम समितियों, यदि कोई हों, के बीच प्रभावशाली ढंग से समन्वय करना चाहिए.
2. बाज़ार जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम-युक्त निवेशों के एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तय करना.
3. बाज़ार जोखिम मापन, प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए नीतियाँ और दिशानिर्देश निर्धारित करना.
4. यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ (लोगों, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति के अनुरूप हैं.
5. बाजार जोखिम सीमाओं की समीक्षा करना और उन्हें अनुमोदित करना. इन सीमाओं में खरीदे/ बेचे गए और उपचित पोर्टफोलियो के लिए उत्प्रेरक (ट्रिगर) अथवा हानि-रोध (स्टॉप-लॉस) शामिल हैं.
6. वित्तीय मॉडल की सुदृढ़ता सुनिश्चित करना और बाजार जोखिम की गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सभी प्रणालियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना.
7. परिचालन जोखिम नीतियाँ निर्धारित करना और निदेशक मंडल द्वारा सौंपे गए मुद्दों पर निर्णय लेना.
8. पूरे संगठन में परिचालन जोखिम के प्रोफाइलों की समीक्षा करना.
9. परिचालन जोखिम पूँजी पद्धति और उसके परिणामी एट्रिब्यूशन निर्धारित करना.
10. विभिन्न ग्राहकों के रेटिंग मानदंडों का निर्धारण और उनकी समीक्षा करना.
11. विभिन्न ग्राहकों/ ग्राहक समूहों के लिए एक्स्पोज़र मानदंडों का निर्धारण करना.
12. तिमाही अंतरालों पर ग्राहकों को हुए एक्स्पोज़र की समीक्षा करना.
13. निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित समग्र मानदंडों के अंतर्गत जोखिम उठाने की क्षमता की अभिव्यक्तियों को निर्धारित और अनुमोदित करना.
14. पूरे संगठन में परिचालन जोखिम प्रबंधन की संस्कृति और जागरूकता को सुदृढ़ करना.
15. कोई अन्य मामला जो निदेशक मंडल समिति को सौंपे.
16. सेबी-एलओडीआर की अनुसूची II के भाग डी में विनिर्दिष्ट सभी मदें.

तालिका 8: वित्त वर्ष 2025 के दौरान निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की रचना और सदस्यों की उपस्थिति

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	आयोजित बैठकें*	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया, अध्यक्ष, आरएमसीबी	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	4	4
2.	श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष, नाबार्ड	4	4
3.	श्रीमती रेवती अय्यर	निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड	4	4
4.	श्री मनोज आहूजा	केंद्र सरकार के अधिकारी	1	0
5.	श्री देवेश चतुर्वेदी	केंद्र सरकार के अधिकारी	2	0
6.	श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू	राज्य सरकार की अधिकारी	2	2
7.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	राज्य सरकार के अधिकारी	1	0
8.	श्री बुडिति राजशेखर	राज्य सरकार के अधिकारी	2	0
9.	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक	4	4
10.	डॉ. अजय कुमार सूद	उप प्रबंध निदेशक	4	4
11.	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	विशेष आमंत्रिती	4	3

नोट:

1. आरबीआई = भारतीय रिज़र्व बैंक
2. * - 'आयोजित बैठकें' के अंतर्गत संबंधित निदेशक के कार्यकाल में आयोजित आरएमसीबी बैठकों की संख्या दी गई है.

निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति

निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च 2023 को आयोजित अपनी 250वीं बैठक में नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के अंतर्गत किया गया था, जैसा कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 20 के तहत अनिवार्य है.

क) समिति की अध्यक्षता करने वाले गैर-कार्यकारी निदेशक का नाम: 17 दिसंबर 2024 को आयोजित एसआरसी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉ. रवीन्द्र एच ढोलकिया ने की थी;

ख) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम: श्री विनोद चंद्रशेखरन, मुख्य महाप्रबंधक;

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या: 01;

घ) शेयरधारकों की संतुष्टि के लिए हल नहीं की गई शिकायतों की संख्या: शून्य;

ङ) लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नाबार्ड में नाबार्ड अधिनियम 1981 की धारा 13(3) के अनुसरण में अन्य निदेशक मंडल स्तर की समितियाँ गठित की गई हैं (तालिका 9).

तालिका 9: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार सभी निदेशक मंडल स्तरीय समितियाँ

क्र. सं.	समिति	रचना
1.	कार्यपालक समिति	श्री शाजी के. वी., अध्यक्ष श्रीमती रेवती अय्यर श्री शैलेश कुमार सिंह श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद

क्र. सं.	समिति	रचना
2.	परिसर समिति	डॉ. अजय के. सूद श्री जी. एस. रावत श्रीमती रेवती अय्यर डॉ. रवि सिन्हा (विशेषज्ञ) श्री बी. जी. फर्नान्डिस (विशेषज्ञ)
3.	मानव संसाधन समिति	श्री शाजी के. वी. डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया श्री शैलेश कुमार सिंह श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद
4.	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद श्रीमती रेवती अय्यर श्री एम. सेलवेंद्रन श्री एम. जी. अजयन (आईटी विशेषज्ञ) श्री ए. दुर्गा प्रसाद (आईटी विशेषज्ञ)
5.	मंजूरी समिति	श्री शाजी के. वी. श्रीमती रेवती अय्यर डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया श्री देवेश चतुर्वेदी श्री शैलेश कुमार सिंह श्री एम. सेलवेंद्रन श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद
6.	हितधारक संबंध समिति	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया श्री शैलेश कुमार सिंह श्रीमती वाई. डब्ल्यू. रिंगू श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद
7.	धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गठित निदेशक मंडल की विशेष समिति	डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया श्री जी. एस. रावत डॉ. अजय के. सूद
8.	इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति	श्री शाजी के. वी. श्रीमती रेवती अय्यर

परिचय कार्यक्रम और निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान से संबंधित वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्तीय मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 03 अप्रैल 2019 के नवीनतम पत्र की प्रति नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है.[2] निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए क्रमशः ₹40,000 और ₹20,000 प्रति बैठक के बैठक शुल्क का भुगतान किया गया. इसके अलावा, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए क्रमशः ₹5,000 प्रति बैठक का अतिरिक्त बैठक शुल्क भी देय था.

सामान्य शेयरधारक सूचना

₹100 करोड़ की प्रारंभिक पूँजी के साथ नाबार्ड की स्थापना की गई थी और 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार इसकी चुकता पूँजी ₹17,080 करोड़ तक पहुँच गई. भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच शेयर पूँजी के संयोजन में संशोधन के फलस्वरूप, आज नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में स्थित संस्था बन गई है.

संचार के साधन

1. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नाबार्ड समय-समय पर प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करता है. त्रैमासिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों के साथ-साथ नाबार्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज की वेबसाइटों पर भी प्रकाशित किए जाते हैं.
2. आम तौर पर जिन समाचार पत्रों में परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं, उनमें जनसत्ता (हिंदी), लोकसत्ता (मराठी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), और इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) शामिल हैं.
3. नाबार्ड अपनी वेबसाइट - www.nabard.org पर सभी आवश्यक जानकारी प्रकाशित करता है.

अन्य प्रकटन

1. भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन जो संभावित रूप से सूचीबद्ध निकाय के व्यापक हितों का विरोधी हो सकता है, का प्रकटीकरण: **इसे नाबार्ड के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के लेखा मानक 18 (एएस18) के अंतर्गत शामिल किया गया है.**
2. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर सूचीबद्ध निकाय द्वारा अननुपालन, स्टॉक एक्सचेंज/ एक्स्चेंजों या बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए दंडों, आक्षेपों का विवरण: सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 50(1) के अंतर्गत सूचना में विलंब के लिए एनएसई और बीएसई, प्रत्येक ने ₹5,900 का जुर्माना लगाया था. बीएसई द्वारा लगाए गए ₹5,900/- के दंड की माफी के लिए एक अभ्यावेदन सक्रिय रूप से विचाराधीन है.
3. सतर्कता तंत्र व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना का विवरण और इस बात की पुष्टि कि लेखापरीक्षा समिति तक किसी भी कर्मी को पहुँचने से रोका नहीं गया है: **नाबार्ड के निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित किया गया है.**
4. अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और अननिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण: सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 15 से 27 के अनुसार नाबार्ड पर कॉर्पोरेट अभिशासन के मानदंड 'अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें' आधार पर 31 मार्च 2025 तक लागू थे. नाबार्ड ने नाबार्ड अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत इन विनियमों के सभी लागू प्रावधानों का पालन किया है.

[2] https://www.nabard.org/investor-relations.aspx

5. वेब लिंक जहाँ 'मैटीरियल' सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति का प्रकटन किया गया है: 'मैटीरियल' सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति नाबार्ड की वेबसाइट पर https://www.nabard.org/hindi/auth/writereaddata/File/policy-on-material-subs.pdf. पर उपलब्ध है;
6. संबंधित पक्ष लेन-देन से निपटने से संबंधित नीति का वेब लिंक: संबंधित पक्ष लेन-देन को नाबार्ड के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के एएस 18 के अंतर्गत शामिल किया गया है. संबंधित पक्ष लेन-देन से निपटने की नीति निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च 2023 को संपन्न 250$^{वीं}$ बैठक में अनुमोदित की गई है और यह नाबार्ड की वेबसाइट https://www.nabard.org/pdf/nabard-policy-on-rpts-final-26-03-2023.pdf पर उपलब्ध है.
7. पण्य मूल्य जोखिमों और पण्य हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण: **नाबार्ड पर लागू नहीं. नाबार्ड की सहायक कंपनियों को पण्यों/ पण्य व्युत्पन्नों में व्यापार करने की अनुमति नहीं है.**
8. विनियम 32(7ए) के तहत यथा-विनिर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन अथवा योग्य संस्था नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण: **नाबार्ड पर लागू नहीं है**.
9. किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण पत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है: **लागू नहीं.**
10. जहाँ निदेशक मंडल ने अपनी किसी भी समिति की ऐसी कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की, जिसे संबंधित वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना अपेक्षित था, तो उसके कारणों के साथ उसका प्रकटन किया जाना चाहिए: **शून्य**.
11. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारक, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 से संबंधित प्रकटीकरण:
    क. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या – 01
    ख. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - 01
    ग. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या - 00
12. सूचीबद्ध निकाय और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षक को और उस नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं को, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक भी एक हिस्सा है, की सभी सेवाओं के लिए भुगतान किया गया कुल शुल्क (तालिका 10 और 11).

तालिका 10: नाबार्ड के सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क

(राशि ₹ में)

वार्षिक लेखापरीक्षा शुल्क	13,88,000
प्रमाणीकरण के लिए शुल्क	6,30,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क	4,16,400
त्रैमासिक सीमित समीक्षा के लिए शुल्क	9,01,000
कुल शुल्क	33,35,400

तालिका 11: सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क

(राशि ₹ में)

सहायक कंपनी	*लेखापरीक्षा शुल्क की श्रेणी*	*शुल्क*
नैबकिसान	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2,25,000
नैबसंरक्षण	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	60,000
	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	60,000
नैबवेंचर	कर लेखापरीक्षा शुल्क	36,000
	सचिवीय लेखापरीक्षा शुल्क	25,000
नैबफाउंडेशन	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	53,100
नैबफिन्स	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	7,59,000
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	50,000
नैबसमृद्धि	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2,60,000
	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	3,00,000
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	65,000
नैबकॉन्स	लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट असाइनमेंट	1,00,000
	निर्धारण वर्ष 24-25 के लिए फेसलेस स्क्रूटिनी एसेसमेंट की हैंडलिंग	50,000
सहायक कंपनियों द्वारा प्रदत्त कुल शुल्क		20,43,100

सूचीबद्ध निकाय और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 'उन फर्मों/ कंपनियों को दिए गए ऋण और अग्रिम जिनमें निदेशकों का हित जुड़ा है' का प्रकटीकरण: बशर्ते यह आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू हो. **शून्य**

तालिका 12 : वित्तीय वर्ष 2025 में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त वेतन और भत्ते (₹)

नाम	*मूल वेतन*	*महँगाई भत्ता*	*अन्य (पीछे का बकाया)*	*कुल*	*अवधि*
श्री शाजी के वी	27,00,000	14,37,750	-	41,37,750	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025
श्री जी एस रावत	21,95,000	11,27,530	17,87,257	51,09,787	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025
श्री अजय के सूद	21,95,000	11,27,530	17,87,257	51,09,787	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के साथ पठित अतिरक्त विनियमावली, 1984 के माध्यम से स्थापित और संचालित है. उच्च मूल्य की डेट सूचीबद्ध इकाई होने के नाते नाबार्ड पर कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों के साथ सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 का अध्याय V-ए (दिनांक 27 मार्च 2025 की सेबी की अधिसूचना के माध्यम से शामिल) का अध्याय V-ए लागू होता है. इस अध्याय में निदेशक मंडल के लिए आचार संहिता से संबंधित दो उप-नियम शामिल हैं, नामतः:

i. सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 का विनियम 62डी (10) (संशोधन से पहले विनियम 17(5)), जिसमें प्रावधान है कि "निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को उपयुक्त रूप से शामिल करते हुए निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और एचवीडीएलई के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करेगा".

ii. सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 का विनियम 62ओ (3) (पहले विनियम 26(3)), जिसमें प्रावधान है कि "निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे."

विनियम 17(5) के अनुसार तैयार की गई निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को निदेशक मंडल ने 28 मार्च 2023 को आयोजित अपनी 250वीं बैठक में अनुमोदित किया था.

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता का अनुपालन किया है, जिन्हें वर्ष 2024-25 के लिए विनियम 62ओ (3) के अनुसार वार्षिक घोषणा के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जो इस आशय की पुष्टि करते हुए उनके द्वारा हस्ताक्षरित थे.

शाजी के.वी.
अध्यक्ष

अनुबंध

अनुबंध I

कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाण पत्र

[सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची V के भाग ई के अनुसार]

सेवा में,
सदस्य गण,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
प्लॉट सं. सी-24, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई - 400051, महाराष्ट्र, भारत.

मैंने, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नाबार्ड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की उनके लागू होने की सीमा तक जाँच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियमावली') के तहत विशिष्ट विनियमों में निर्धारित किया गया है.

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. मेरी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक ही सीमित थी. यह न तो नाबार्ड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उनपर मताभिव्यक्ति है.

नाबार्ड की स्थापना और उसका संचालन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 द्वारा किया जाता है. इस प्रकार, कॉर्पोरेट अभिशासन संरचना और अनुपालन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के तहत विशिष्ट विनियमों की प्रयोज्यता के अनुसार उस सीमा तक हैं जहाँ तक ये नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के विरोध में न हों.

कृते: मेसर्स दीप शुक्ल एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.: 2093/2022)

दीप शुक्ल
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएस : 5652 सीपी सं.5364
यूडीआईएन : एफ़005652जी000363625

दिनांक : 16/05/2025
स्थान : मुंबई

अनुबंध II

मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 24A के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्य गण,

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

प्लॉट सं. सी-24, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,

मुंबई - 400051, महाराष्ट्र, भारत.

मैंने **नाबार्ड** द्वारा, उनपर लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट कार्य प्रणालियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है.

नाबार्ड के बही-खातों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रस्तुत किए गए फॉर्मों और विवरणियों तथा नाबार्ड द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के मेरे उक्त सत्यापन के आधार पर तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर, मैं इसके द्वारा यह प्रतिवेदित करता हूँ कि मेरी राय में नाबार्ड ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि नाबार्ड में समुचित निदेशक मंडलीय प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र विद्यमान है:

मैंने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नाबार्ड द्वारा रखी गई बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों और विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसरण में जाँच की है:

(i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (नाबार्ड अधिनियम, 1981);

(ii) अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 के साथ पठित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक समान्य विनियमावली, 1982;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (उक्त अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए यथा-संशोधित नियम; यथा संशोधित; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)

(iv) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए यथा-संशोधित नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)

(v) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए यथा संशोधित विनियम और उप-नियम; *(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)*

(vi) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू सीमा तक)

(vii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियमावलियाँ और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं –

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू सीमा तक)
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं);
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यापार के संबंध में; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू सीमा तक)
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं); और
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं);

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

- (क) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नाबार्ड पर लागू नहीं)
- (ख) नाबार्ड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज यथा एनएसई लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण करारों के साथ-साथ सेबी [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियम, 2015 के तहत लागू विशिष्ट विनियम जो संबंधित अवधियों के लिए जिस प्रकार लागू हैं.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, नाबार्ड ने निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन उक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- वर्ष के दौरान तीन निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, हालाँकि, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, नाबार्ड ने निर्धारित समय सीमा के भीतर सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 (1 सी) (ए) के तहत शेयरधारकों का ऐसा कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है. प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नाबार्ड, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है और इसके निदेशक मंडल में निदेशकों को भी सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है. चूँकि नियुक्ति प्रक्रिया में 17(1सी)(ए) का अनुपालन निहित है, अतः नए निदेशकों की नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
- सेबी (एलओडीआर) के विनियम 20(3) के अनुसार, वार्षिक सामान्य बैठकों में प्रतिभूति धारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार हमें वार्षिक सामान्य बैठक का कोई विवरण नहीं मिला है. प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नाबार्ड पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है, अतः वार्षिक सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं की जाती है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हमें सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25(3) में यथावर्णित स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकों का विवरण नहीं मिला है. प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, विनियम 25(3) 01 अप्रैल 2025 से अनिवार्य रूप से लागू है. विनियमों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की औपचारिक बैठक वित्तीय वर्ष 2025-26 से आयोजित की जाएगी. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
- हमें सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19 में वर्णित नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है. प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, विनियम 19 के लिए एनआरसी के गठन की आवश्यकता है जो 31.03.2025 तक अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर लागू था और सेबी ने दिनांक 27.03.2025 के संशोधन के माध्यम से इसमें एचवीडीएलई द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु एक अध्याय को सम्मिलित किया है, जिसमें 62जी के अनुसार "निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची II के भाग डी में निर्दिष्ट नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यों का निर्वहन या तो निदेशक मंडल द्वारा किया जाए या एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाए". वर्तमान में, निदेशकों का नामांकन किया जा रहा है और उनका पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जा रहा है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.

उपर्युक्त अवधि के दौरान और नाबार्ड में संबंधित अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा के आधार पर, हम अपने निम्नलिखित निष्कर्ष और कथन प्रस्तुत करते हैं:

- नाबार्ड, नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के माध्यम से स्थापित और अभिशासित है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियमावली, 2015 के अनुसार नाबार्ड को 'उच्च मूल्य डेट सूचीबद्ध संस्था' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए नाबार्ड पर 31 मार्च 2025 तक अध्याय IV के प्रावधान 'अनुपालन करें अथवा स्पष्टीकरण दें' लागू होते हैं. तदनुसार नाबार्ड ने विनियम 18 और 19 सहित सेबी एलओडीआर के अंतर्गत कुछ प्रावधानों से छूट के लिए सेबी को आवेदन के माध्यम से आवेदन किया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है.
- इसके अतिरिक्त, नाबार्ड उस सीमा तक कॉर्पोरेट अभिशासन संरचना और अनुपालन अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है जो नाबार्ड अधिनियम और नाबार्ड सामान्य विनियमों के साथ असंगत नहीं है.

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

- कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ नाबार्ड के निदेशक मंडल का विधिवत् गठन किया गया है.
- सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों के निर्धारण के संबंध में पर्याप्त सूचना दी गई है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट पहले ही भेजे गए, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.
- सभी प्रस्ताव अधिकांश निदेशकों की सहमति से पारित किए गए थे.

मैं आगे भी रिपोर्ट करता हूँ कि:

- लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के आकार और संचालन के अनुरूप नाबार्ड में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया मौजूद है.

आगे मैं यह भी सूचित करता हूँ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसरण में नाबार्ड के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई भी विशिष्ट घटना/ कार्रवाई नहीं हुई.

अस्वीकरण: *कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, नाबार्ड, नाबार्ड अधिनियम, 1981 और नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 द्वारा स्थापित और अभिशासित है. नाबार्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियम, 2015 के तहत विशिष्ट विनियमों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जिस सीमा तक वे नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के विरोध में न हो.*

कृते : मेसर्स दीप शुक्ल एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.: 2093/2022)

दीप शुक्ल
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएस : ***5652*** **सीपी सं.5364**
यूडीआईएन : एफ़005652जी000363625

दिनांक : 16/05/2025
स्थान : मुंबई

सचिवीय रिपोर्ट का अनुलग्नक जो रिपोर्ट का ही एक भाग है

सेवा में,

सदस्यगण,

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

प्लॉट सं. सी-24, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,

मुंबई - 400051, महाराष्ट्र, भारत.

मैं, आगे यह भी कहता हूँ कि सम तिथि की मेरी उक्त रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए.

1. सचिवीय/ सांविधिक अभिलेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी नाबार्ड के प्रबंधन की है. मेरी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन अभिलेखों पर अपना अभिप्राय व्यक्त करना है.
2. मैंने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है.
3. मैंने नाबार्ड के वित्तीय अभिलेखों और बही-खातों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है.
4. जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का मत मौखिक रूप से प्राप्त किया है.
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. मेरी जाँच नमूना आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित है और किसी भी अननुपालन के लिए जिम्मेदार नहीं होगी.
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो नाबार्ड की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा नाबार्ड के मामलों को संचालित करने की प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में है.

अस्वीकरण: *कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 द्वारा स्थापित और अभिशासित है. नाबार्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियम, 2015 के तहत विशिष्ट विनियमों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जिस सीमा तक वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 के विरोध में न हों.*

कृते : मेसर्स दीप शुक्ल एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.: 2093/2022)

दीप शुक्ल
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएस : 5652 सीपी सं.5364
यूडीआईएन : एफ़005652जी000363625

दिनांक : 16/05/2025

अनुबंध III

वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में और सेबी एलओडीआर के विनियम 62एम(2) के तहत दिनांक 27 मार्च, 2025 के संशोधित प्रावधानों के साथ पठित]

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)" की वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

हम, दीप शुक्ला एण्ड एसोसिएट्स ने निम्नलिखित की जाँच की:

(क) हमें उपलब्ध कराए गए सभी प्रपत्र और अभिलेख तथा **नाबार्ड** ("उच्च मूल्य डेट सूचीबद्ध निकाय") द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण,

(ख) सूचीबद्ध निकाय द्वारा स्टॉक एक्सचेंज/ एक्सचेंजों को की गई फाइलिंग/ प्रस्तुतियाँ,

(ग) सूचीबद्ध निकाय की वेबसाइट,

(घ) प्रमाणीकरण के लिए जिन दस्तावेज़ों पर निर्भर किया गया है, वे संबंधित दस्तावेज़.

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष ("समीक्षा अवधि") के लिए निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में:

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (नाबार्ड अधिनियम, 1981);

(ख) अतिरिक्त सामान्य विनियम, 1984 के साथ पठित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य विनियमावली, 1982;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और उसके तहत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश;

(घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश; [**समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं**];

विशिष्ट विनियम, जिनके उपबंधों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों की जाँच की गई, वे निम्नानुसार हैं:-

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के अनुसार यथा लागू सीमा तक विनियम; विधिवत् अद्यतनीकृत हैं;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018; (जिस सीमा तक लागू)

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमावली, 2011;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियमावली, 2018; [समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं]

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; [समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं]

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियमावली, 2015; (जिस सीमा तक लागू)

(ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993, यथा संशोधित;

(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियमावली, 2022;

(ढ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018; और उसके तहत जारी किए गए परिपत्र/ दिशानिर्देश;

उपर्युक्त जाँच के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि, समीक्षा अवधि के दौरान:

(क) सूचीबद्ध इकाई ने निम्नलिखित बिन्दुओं के अलावा उपर्युक्त विनियमों और उनके तहत जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

क्रम सं.	अनुपालन आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियम / परिपत्र / दिशानिर्देश)	विचलन	व्यवसायरत कंपनी सचिव के प्रेक्षण / टिप्पणियाँ
1.	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1सी)(ए) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए अगली सामान्य बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि के भीतर, जो भी पहले हो, शेयरधारकों का अनुमोदन लिया जाए.	वर्ष के दौरान तीन निदेशकों की नियुक्ति की गई, तथापि, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, नाबार्ड ने निर्धारित समय सीमा के भीतर शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है.	प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है और इसके बोर्ड निदेशकों को भी सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है. चूँकि नियुक्ति प्रक्रिया में 17(1सी)(ए) का अनुपालन निहित है, अतः नए निदेशकों की नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
2.	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19 के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाना है.	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, इस प्रकार की समिति का गठन नहीं किया गया है.	प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, विनियम 19 के लिए एनआरसी के गठन की आवश्यकता है जो 31.03.2025 तक अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर लागू था और सेबी ने दिनांक 27.03.2025 के संशोधन के माध्यम से इसमें एचवीडीएलई द्वारा अनुसरण किए जाने वाले हेतु एक अध्याय को सम्मिलित किया है, जिसमें 62जी के अनुसार "निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची II के भाग डी में निर्दिष्ट नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यों का निर्वहन या तो निदेशक मंडल द्वारा किया जाए या एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाए...". वर्तमान में, निदेशकों का नामांकन किया जा रहा है और उनका पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जा रहा है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
3.	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 20(3) के अनुसार, वार्षिक सामान्य बैठकों में प्रतिभूति धारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे.	उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार हमें वार्षिक सामान्य बैठक का कोई विवरण नहीं मिला है.	प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नाबार्ड पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है, अतः वार्षिक सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं की जाती है. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.
4.	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25 (3) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई के स्वतंत्र निदेशक गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन सदस्यों की उपस्थिति के बिना एक [वित्तीय] वर्ष में न्यूनतम एक बैठक आयोजित करेंगे और सभी स्वतंत्र निदेशक इस बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे.	उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हमें सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25 (3) में यथावर्णित स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकों का विवरण नहीं मिला है.	प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, विनियम 25(3) 01 अप्रैल 2025 से अनिवार्य रूप से लागू है. विनियमों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की औपचारिक बैठक वित्तीय वर्ष 2025-26 से आयोजित की जाएगी. हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर हमारे लिए संतोषजनक है.

(ख) जहाँ तक अभिलेखों की जाँच से प्रतीत होता है, सूचीबद्ध इकाई ने उपर्युक्त विनियमों और उनके तहत जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत उचित अभिलेख रखे हैं.

(ग) उपर्युक्त अधिनियमों/विनियमों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत सेबी अथवा स्टॉक एक्सचेंजों (सेबी द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से जारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं सहित) द्वारा सूचीबद्ध इकाई/इसके प्रोमोटरों/निदेशकों/मटेरियल सहायक कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	जिसके द्वारा कार्रवाई की गई	उल्लंघन का विवरण	कार्रवाई का विवरण उदाहरणार्थ जुर्माना, चेतावनी पत्र, प्रतिबंध आदि	व्यवसायरत कंपनी सचिव के प्रेक्षण/ टिप्पणियाँ
1.	एनएसई	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 50(1) के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनी से निदेशक मंडल की सूचना और बैठक की तिथि को छोड़कर न्यूनतम दो कार्य दिवस पहले स्टॉक एक्सचेंज को निदेशक मण्डल की बैठक की सूचना देना अपेक्षित है. लेकिन नाबार्ड ने यह अवधि केवल एक कार्य दिवस की रखी है.	एनएसई ने 5 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024 और 16 दिसंबर 2024 को अपने ईमेल के माध्यम से ₹5,000+जीएसटी का जुर्माना लगाया है.	नाबार्ड ने इस संबंध में स्पष्टीकरण पत्र सहित छूट अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे एनएसई ने दिनांक 21 फरवरी 2025 के अपने पत्र के माध्यम से अस्वीकार कर दिया था.

2.	बीएसई लिमिटेड	सेबी (एलओडीआर) के विनियम 50(1) के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनी से निदेशक मंडल की सूचना और बैठक की तिथि को छोड़कर न्यूनतम दो कार्य दिवस पहले स्टॉक एक्सचेंज को निदेशक मण्डल की बैठक की सूचना देना अपेक्षित है. लेकिन नाबार्ड ने यह अवधि केवल एक कार्य दिवस की रखी है.	बीएसई ने 9 दिसंबर 2024 और 16 दिसंबर 2024 को अपने ईमेल के माध्यम से ₹5,000+जीएसटी का जुर्माना लगाया है.	नाबार्ड ने इस संबंध में स्पष्टीकरण पत्र सहित छूट अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया है.

(घ) सूचीबद्ध इकाई ने पिछली रिपोर्टों में किए गए प्रेक्षणों का अनुपालन करने के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की है:

क्रम सं.	*पिछली रिपोर्टों में व्यवसायरत कंपनी सचिव के प्रेक्षण*	*... (वर्ष इंगित किए जाने हैं) को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षण*	*सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाई, यदि हो*	*सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाई पर व्यवसायरत कंपनी सचिव की टिप्पणी*
लागू नहीं				

(ङ) सूचीबद्ध इकाई सेबी (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3 (5) और 3 (6) का अनुपालन कर रही है.

- उपर्युक्त अवधि के दौरान और नाबार्ड में संबंधित अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा के आधार पर, हम अपने निम्नलिखित निष्कर्ष और कथन प्रस्तुत करते हैं: नाबार्ड अतिरिक्त सामान्य विनियमावली, 1984 के साथ पठित नाबार्ड सामान्य विनियमावली, 1982 द्वारा स्थापित और अभिशासित है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] विनियम, 2015 के अनुसार नाबार्ड को 'उच्च मूल्य डेट सूचीबद्ध निकाय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए नाबार्ड पर 31 मार्च 2025 तक अध्याय IV के प्रावधान 'अनुपालन करें अथवा स्पष्टीकरण दें' के आधार पर लागू होते हैं. तदनुसार नाबार्ड ने विनियम 18 और 19 सहित सेबी (एलओडीआर) के अंतर्गत कुछ प्रावधानों से छूट के लिए सेबी को आवेदन के माध्यम से आवेदन किया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है.

  इसके अतिरिक्त, नाबार्ड उस सीमा तक कॉर्पोरेट अभिशासन संरचना और पालन अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है जो नाबार्ड अधिनियम और नाबार्ड सामान्य विनियमों के साथ असंगत नहीं है.

कृते : मेसर्स दीप शुक्ल एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(*पियर रिव्यू प्रमाण पत्र सं.*: 2093/2022)

दीप शुक्ल
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएस : 5652 सीपी सं.5364
यूडीआईएन : एफ़005652जी000363625

दिनांक : 16/05/2025
स्थान : मुंबई

नाबार्ड

वार्षिक रिपोर्ट 2024–25



वार्षिक लेखे 2024–25

नाबार्ड का स्टैंडअलोन तुलन-पत्र,
लाभ और हानि लेखा, और नकदी प्रवाह 2024–25

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('बैंक' या 'नाबार्ड') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 की स्थिति में तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों, नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं ('स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण').

हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पूर्ण और निष्पक्ष वित्तीय विवरण हैं जिनमें सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल किए गए हैं और उन्हें समुचित रूप से तैयार किया गया है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियमावली, 1984 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप, तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2025 की स्थिति में बैंक के कामकाज की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभों और नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.

2. अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा" वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के अंतर्गत दिया गया है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें. आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुरूप में अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

3. लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें

हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें वे मदें हैं जो वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं. इन मदों पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुँचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मदों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं. अपने व्यावसायिक मत में हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए हमने निम्नलिखित को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में लेने का निर्णय लिया है:

लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें	*हमारी लेखापरीक्षा किस प्रकार इन लेखापरीक्षा के प्रमुख मामलों को संबोधित करती है*
1. *अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों का प्रावधान.* अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; तथा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') ने बैंकों के लिए अग्रिमों के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन पर विवेकपूर्ण मानदंड' ('आईआरएसीपी मानदंड') निर्धारित किए हैं. अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने में उचित तंत्र की स्थापना शामिल होती है और बैंक को विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए आवश्यक प्रावधान की राशि की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्तर का अनुमान लगाना आवश्यक होता है. एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए महत्वपूर्ण निर्णयन और अनुमान निम्नलिखित पर महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं: • आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान की पूर्णता और सामयिकता; • ऋण जोखिम, नियत अवधि और ऋए के वर्गीकरण, प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन; • एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित प्रत्यावर्तन. चूँकि, अग्रिमों के वर्गीकरण, एनपीए की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान के सृजन (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत अतिरिक्त प्रावधानों सहित) और अग्रिमों पर आय के निर्धारण: • के लिए बैंक द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता होती है; • का बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है; अत: हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है. (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 6 के साथ पठित अनुसूची 11 देखें)	*निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया* अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान में निम्नलिखित शामिल थे: • एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना तथा पुन:संरचित अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधानों और आस्ति वर्गीकरण लाभ सहित आरबीआई (आईआरएसीपी मानदंडों) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना. • भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर प्रवर्तमान दिशानिर्देशों के आधार पर क्षतिग्रस्त खातों की पहचान और प्रावधान के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना. • बैंक द्वारा एनपीए की पहचान को कवर करने वाली मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएँ निष्पादित करना. इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: ° उन एप्लीकेशन प्रणालियों, जिनमें अग्रिमों को दर्ज किया गया, द्वारा जनरेट की गई अपवाद रिपोर्टों की जाँच पर विचार करना. ° दबाव की पहचान करने के लिए आरबीआई के बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक और अन्य बैंकों द्वारा स्पेशल मेंशन खाता ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना. ° मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरण, आहरण क्षमता गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना. ° ऋण जोखिम अनुप्रवर्तन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना तथा बैंक के साथ पूछताछ करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते अथवा किसी उत्पाद में दबाव के संकेत या चूक की घटना तो नहीं घटित हुई है. ° बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण में संपन्न आंतरिक लेखापरीक्षा और संगामी लेखापरीक्षा में उभरे प्रमुख प्रेक्षणों पर विचार करना. ° बैंक के आरबीआई वित्तीय निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रेक्षणों पर बैंक की अनुपालना और वर्ष के दौरान आरबीआई के साथ अन्य संप्रेषणों पर विचार करना. ° आरबीआई के मास्टर परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों की जाँच. ° उधारकर्ताओं से खाता शेषों की स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त करना. ° क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करना तथा अग्रिमों से संबंधित दस्तावेजों एवं अन्य अभिलेखों की जाँच करना. • पहचान किए गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने, दबावग्रस्त सेक्टरों और खाते की महत्ता जैसे कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तिथियों, अप्राप्त ब्याज के रिवर्सल, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानन की जाँच की. हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर एनपीए के लिए प्रावधान की पुन: गणना की और हमारे द्वारा मापे गए परिणामों की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिणामों से की.
2. *निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधानन.* • निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, म्यूचुअल फंडों, उद्यम पूँजी निधियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल होते हैं. आरबीआई के परिपत्र और निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, गैर-मान्यता प्राप्त आय और अनर्जक निवेशों के समक्ष प्रावधानन को शामिल किया गया है. • उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफबीआईएल/ एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/ सूचना एकत्र करना शामिल है.	*निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ* भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों को पहचानना और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को समझना शामिल था. विशेष रूप से:

हमने निवेशों के मूल्यांकन और एनपीआई की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा के मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि कुछ निवेशों (बॉण्डों, डिबेंचरों और वीसीएफ) के मूल्यों के निर्धारण में लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के आधार पर प्रबंधन का आकलन शामिल होता है, एचटीएम बही हेतु क्षतिग्रस्तता आकलन प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित होता है, विनियामक फोकस की गहनता होती है और बैंक के वित्तीय परिणामों की समग्र महत्ता होती है.

(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 10 देखें)

3. बहुसंख्य आईटी प्रणालियाँ और नियंत्रण:

बैंक, प्रतिदिन बहुसंख्य और सूचना प्रौद्योगिकी की अलग-अलग प्रणालियों ('आईटी') पर संसाधित किए जाने वाले लेनदेनों की उल्लेखनीय संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है. लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण इन आईटी सप्रणालियों के इंटरफेस द्वारा उत्पन्न अनेक रिपोर्टों और उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों पर व्यापक रूप से निर्भर करता है.

वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंध रखने वाली प्रमुख आईटी प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएलएमएएस - लेनदेन संसाधन, कार्यप्रवाह और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली
- टीएएलएमएस - राजकोषीय परिचालन
- एम्पॉवर एचआरएमएस - मानव संसाधन और वेतन
- एफएएमएस - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा व्ययों का संसाधन
- रिपोर्ट तैयार करने अथवा उन्हें जनरेट करने में उपर्युक्त प्रणालियों में से एक अथवा एकाधिक प्रणालियों का इंटरफेस/ इंटरप्ले.

आईटी के सामान्य नियंत्रण और एप्लिकेशन नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि एप्लिकेशन और उसमें अंतर्निहित डेटा में परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएं. एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली संभावित धोखाधड़ियों अथवा त्रुटियों के जोखिम को कम करने में इन समुचित नियंत्रणों का योगदान रहता है.

बैंक का प्रबंधन निरंतर अनेक सुधारात्मक गतिविधियों के प्रयास करता रहता है और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों पर आने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है.

इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं में निवारक और खोजी नियंत्रण का कार्यान्वयन शामिल रहता है.

इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में, हमने प्रौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिम को लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी लेखापरीक्षा की योजना बनाई, इसलिए इसे लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला माना गया है.

- मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, अनर्जक निवेशों पर आय का प्रत्यावर्तन और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा गया;
- इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया;
- प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः मूल्यांकन कर नमूना आधार पर सटीकता और आरबीआई के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया गया;
- आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसरण में मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुन:गणना के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की पुनर्गणना की और यह देखा कि क्या आय का उपार्जन एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार है.

निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

- 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु विश्वसनीय आधार माने जाने वाले एप्लिकेशनों, ऑपरेटिंग सिस्टमों और डेटाबेसों तक पहुँच के अधिकारों सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों की सनदी लेखाकारों की स्वतत्र फर्म द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा की गई.
- बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना;
- चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता की तिथियों की पुनर्गणना की गई;
- चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेशन, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया;
- चयन के आधार पर सीएलएमएएस, टीएएलएमएस, एम्पावर और अनेक वर्कफ़्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएएस के इंटरफेस की जाँच की गई;
- लेखांकन प्रणाली में गलत सिस्टम प्रविष्टियां दर्ज होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त स्पष्टीकरण और चित्रण प्राप्त करने के लिए 'मूल कारण विश्लेषण' तथा ऐसी प्रविष्टियों के संबंध में पर्याप्त जाँच और संतुलन के अभाव के बारे में विस्तृत जाँच-पड़ताल की गई.
- मूल वित्तीय रिपोर्टिंग वाले मामलों के लिए प्रणालीजनित रिपोर्टों और लेखांकन प्रविष्टियों की हाथ से जाँच की गई (यानी कंप्यूटर सिस्टम का सत्यापन), ताकि लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गलत प्रविष्टियों को सही किया जा सके.
- गलत सिस्टम प्रविष्टियों की संभावना से बचने, अधिक उपयोगी प्रणालीजनित रिपोर्टें प्राप्त करने तथा सिस्टम में अधिक सुविधाएँ/ क्षेत्र शामिल करने के लिए, प्रबंधन ऐसे नए मॉड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें सीएलएमएएस/ सीबीएस में एकीकृत किया जा सके.

4. वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल ऐसे अन्य प्रकटन शामिल हैं, वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ('अन्य सूचना') शामिल नहीं है.

अन्य सूचना हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उस पर हमने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अथवा निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारा दायित्व यह है कि जब हमें अन्य सूचना उपलब्ध कराई जाए तो हम उस सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती. जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' के अंतर्गत यथापेक्षित अभिशासन के प्रभारियों को इस विषय से अवगत कराएँ.

5. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन का कार्यभार संभालने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार और प्रस्तुत करें जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों. इन दायित्वों में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उनका कार्यान्वयन तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, इन दायित्वों में लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन तथा रखरखाव करना शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हैं. ये वित्तीय विवरण ऐसे होने चाहिए जो वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों और किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हों - फिर चाहे वह दुष्प्रस्तुति त्रुटिवश हो, या किसी धोखाधड़ी के कारण हो.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करते समय बैंक के संबंधित निदेशक मण्डल निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू मदों का प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा बैंक को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर 'निरंतर चलने वाली संस्था' के आधार का प्रयोग करके लेखांकन करने के लिए जिम्मेदार हैं.

बैंक का निदेशक मण्डल उसकी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार है.

6. समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो. तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखामानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी. दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन स्टैंडअलोन विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों. इस रिपोर्ट के अनुबंध 1 में आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विवरण दिया गया है.

7. अन्य मदें

- बैंक के 32 (बत्तीस) क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें प्रधान कार्यालय, 3 (तीन) प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं. बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रणाली क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए केंद्रीकृत है. कुल क्षेत्रीय कार्यालयों में से, हमने प्रधान कार्यालय सहित 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया है, जो 31 मार्च 2025 तक अग्रिमों का 35%, पीएसएल जमा का 100%, उधार का 100% और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 20%, पीएसएल जमा पर ब्याज व्यय का 100% और उधार पर ब्याज व्यय का 100% कवर करता है. इन क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंक के प्रबंधन के परामर्श से चुना गया है. लेखापरीक्षा के संचालन में हमने बैंक के शेष क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है.
- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया जा चुका है. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों की दिनांक 24 मई 2024 की रिपोर्ट में अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई थी. इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

8. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

बैंक का तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा, उसके शीर्षों और उप-शीर्षों सहित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किया गया है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण मांगें और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे.

ख) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में बैंक के जो लेनदेन आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत किए गए हैं.

ग) हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण बैंक की लेखा बहियों और हमारे द्वारा दौरा न किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों तथा स्टाफ कॉलेजों से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं.

घ) हमारे अभिमत में ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण सभी प्रकार से लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं.

कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं.: 121750W / W100010

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306
यूडीआईएन: 25102306BMHKOC3892

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

(पैरा 6 में उल्लिखित "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व")

लेखा मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षा के अंश के रूप में, लेखापरीक्षा के दौरान हम व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं. साथ ही :

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में बड़ी दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हों. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है.
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं. ऐसा विद्यमान परिस्थितियों में उचित लेखापरीक्षा पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए.
- हम निदेशक मण्डल द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं.
- हम निदेशक मण्डल द्वारा लेखांकन के 'निरंतर चल रही संस्था' आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष व्यक्त करते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो 'निरंतर चलने वाली संस्था' के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो. अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत को आशोधित करें. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं. तथापि भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के 'निरंतर चलने वाली संस्था' नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं.
- हम प्रकटनों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो.

वित्तीय विवरणों में दुष्प्रस्तुतियों की गंभीरता वह मात्रा है जो एकल रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है जिससे वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम निम्नलिखित मामलों में मात्रात्मक गंभीरता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई दुष्प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहां प्रयोजनीय हो वहां संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों में से ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो हमारे व्यवासायिक विवेक के अनुसार वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों. हम ऐसी मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या, जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित में संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
स्टैंडअलोन तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*निधियाँ और देयताएँ*	*अनुसूची*	*31.03.2025 की स्थिति*	*31.03.2024 की स्थिति*
1	पूँजी (नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		17,080.00	17,080.00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	1	63,413.71	55,787.40
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	2	16,110.00	16,106.00
4	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	3	6,615.72	6,691.17
5	सरकारी योजनाएँ	4	723.61	1,506.36
6	जमाराशियाँ	5	2,75,991.45	3,01,958.07
7	बॉण्ड और डिबेंचर	6	3,27,366.25	2,86,150.10
8	उधार	7	2,51,220.50	2,01,082.58
9	चालू देयताएँ और प्रावधान	8	26,109.70	24,500.88
	कुल		**9,84,630.94**	**9,10,862.56**
	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
स्टैंडअलोन तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*संपत्ति और आस्तियाँ*	*अनुसूची*	*31.03.2025 की स्थिति*	*31.03.2024 की स्थिति*
1	नकद और बैंक शेष	9	45,358.92	37,354.14
2	निवेश	10	91,817.30	69,827.79
3	अग्रिम	11	8,39,055.03	7,95,104.30
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)	12	559.91	548.84
5	अन्य आस्तियाँ	13	7,839.78	8,027.49
	कुल		**9,84,630.94**	**9,10,862.56**
	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49
	प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएँ	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: 121750W / W100010

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306

विनोद चंद्रसेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक : 27 मई 2025

डॉ अजय कुमार सूद	गोवर्धन सिंह रावत	शाजी के. वी.
उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*आय*	*अनुसूची*	*2024-25*	*2023-24*
1	ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज		50,675.74	43,432.35
2	निवेश परिचालनों/ जमाराशियों से आय			
(क)	निवेशों पर ब्याज		4,791.10	3,682.74
(ख)	निवेशों पर लाभांश		43.72	45.22
(ग)	निवेशों पर छूट		1,332.67	749.17
(घ)	निवेशों की बिक्री और पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ हानि		1,482.03	867.33
3	अन्य प्राप्तियाँ		99.15	69.79
	कुल "अ"		**58,424.41**	**48,846.60**

	व्यय	अनुसूची	2024-25	2023-24
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची - 18 की टिप्पणी आ - 28 देखें) 3	14	44,861.17	36,912.84
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 A	2,952.78	3,365.24
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 B	152.61	136.02
4	प्रावधान	16	246.45	316.81
5	मूल्यह्रास और परिशोधन		56.79	47.78
	कुल "आ"		**48,269.80**	**40,778.69**
6	**कर-पूर्व लाभ (अ - आ)**		**10,154.61**	**8,067.91**
7	**प्रावधान के लिए**			
	क) आय कर		2,450.00	1,990.00
	ख) गत वर्षों के लिए आय कर समायोजन		-	-
	ग) आस्थगित कर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.5 देखें)		76.28	(25.21)
8	**कर-पश्चात् लाभ**		**7,628.33**	**6,103.12**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

नोट: अन्य प्राप्तियों में स्टाफ ऋणों पर प्राप्त ब्याज, किराए से आय और अन्य विविध आय शामिल हैं.
उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
लाभ और हानि विनियोजन लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विनियोजन/ आहरण*	*2024-25*	*2023-24*
1	**वर्ष का लाभ- नीचे लाया गया**	7,628.33	6,103.12
2	जोड़ें:		
	लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष निधियों से आहरण [अनुसूची 1 देखें]		
क)	सहकारिता विकास निधि	54.55	33.29
ख)	अनुसंधान और विकास निधि	48.00	42.30
ग)	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
घ)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
ङ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	34.28	28.27
च)	जलवायु परिवर्तन निधि	-	0.39
छ)	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
ज)	उत्प्रेरक पूंजी निधि	2.52	2.94
झ)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	3.94	0.59
3	**विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ**	**7,832.78**	**6,281.44**
	घटाएँ : निम्नलिखित में अंतरित किया गया: [अनुसूची 1 और 2 देखें]		
क)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियाँ	850.00	700.00
ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
घ)	अनुसंधान और विकास निधि	98.00	42.30
ङ)	सहकारिता विकास निधि	154.55	33.29
च)	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
छ)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
ज)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	34.29	28.27
झ)	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
ञ)	जलवायु परिवर्तन निधि	-	0.39
ट)	उत्प्रेरक पूंजी निधि	2.52	2.94
ठ)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	3.94	0.59
ड)	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	1,000.00	-
ढ)	नाबार्ड कार्बन निधि	300.00	-
ण)	क्षेग्रा बैंक विकास निधि	100.00	-
त)	प्रारक्षित निधि	5,226.32	5,401.12
	कुल	**7,832.78**	**6,281.44**

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या: 121750W / W100010

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता	विनोद चंद्रशेखरन
साझेदार	मुख्य महाप्रबंधक
सदस्यता सं.: 102306	लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

डॉ अजय कुमार सूद	गोवर्धन सिंह रावत	शाजी के. वी.
उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2024 को प्रारंभिक शेष*	*लाभ-हानि विनियोजन से परिवर्धन/ अंतरित*	*लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित/ आहरण*	*31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि*
1	प्रारक्षित निधि *	39,799.13	5226.32	-	45,025.45
2	अनुसंधान और विकास निधि	50.00	98.00	48.00	100.00
3	प्रारक्षित पूँजी	74.81	-	-	74.81
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1,885.70	-	-	1,885.70
5	सहकारिता विकास निधि	200.00	154.55	54.55	300.00
6	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधियाँ	13,150.00	850.00	-	14,000.00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	300.00	0.29	0.29	300.00
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	3.18	3.18	50.00
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	34.28	34.28	60.00
10	ग्राम्य विकास निधि	110.00	57.69	57.69	110.00
11	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	-	-	20.00
12	उत्प्रेरक पूँजी निधि	20.00	2.52	2.52	20.00
13	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	17.75	-	-	17.75
14	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	50.00	3.94	3.94	50.00
15	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	-	1000.00	-	1,000.00
16	नाबार्ड कार्बन निधि	-	300.00	-	300.00
17	क्षेग्रा बैंक विकास निधि	-	100.00	-	100.00
	कुल	55,787.39	7,830.77	204.45	63,413.71
	गत वर्ष	49,686.27	6,279.44	178.32	55,787.39

** नोट:* 'प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों' के लिए नाबार्ड (अतिरिक्त) सामान्य विनियम, 1984 में निर्धारित प्रारूप में लाभ और हानि सेखा को एक उप-मद के रूप में रखा गया है. चूंकि बैंक में लाभ और हानि खाते में सभी प्रकार के विनियोजन के बाद शेष राशि को प्रारक्षित निधि में अंतरित करने की प्रथा है, इसलिए लाभ और हानि खाते में कोई राशि शेष नहीं रहती जिसके कारण ऊपर इसका अलग से प्रकटन नहीं किया गया है.

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*01.04.2024 को प्रारंभिक शेष*	*भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान*	*लाभ-हानि विनियोजन से अंतरण*	*31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि*
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,503.00	1.00	1.00	14,505,.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,603.00	1.00	1.00	1,605.00
	कुल	16,106.00	2.00	2.00	16,110.00
	गत वर्ष	16,102.00	2.00	2.00	16,106.00

अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2024 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन*	*जमा ब्याज#*	*वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन*	*31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि*
अ.	**अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान**					
1	केएफडब्ल्यू एनबी यूपीएनआरएम - वित्तीय अंशदान	0.15	-	-	0.15	-
2	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0.03	-	-	-	0.03
3	जलवायु परिवर्तन - (एएफ़बी) – परियोजना तैयारी अनुदान	21.85	-	0.66	-	22.51
4	जीआईजेड मृदा परियोजना	1.41	-	-	1.41	-
5	केएफ़डब्ल्यू मृदा परियोजना	1.46	9.76	-	11.22	-
6	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	20.32	1.42	0.60	1.99	20.35
आ.	**अन्य निधियाँ**					
1	वाटरशेड विकास निधि	1,412.94	1.87	41.65	101.64	1,354.82
2	ब्याज विभेदक निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	223.43	-	-	-	223.43
3	ब्याज विभेदक निधि - टीएडब्ल्यूए	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजाति विकास निधि	1,173.23	2.90	34.14	123.68	1,086.59
6	वित्तीय समावेशन निधि (i)	3,152.34	249.16	92.75	302.47	3,191.78
7	पीओडीएफ़ - आईडी	259.98	-	7.40	43.73	223.65
8	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	67.78	0.82	-	-	68.60
9	आरपीएफ़ और आरआईएफ़ - कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	22.89	0.40	-	2.46	20.83
10	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन को ऑपरेटिव्ज - (सी-पेक)	3.50	-	0.27	-	3.77
11	एलटीआईएफ - ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	188.73	17.39	5.66	-	211.78
12	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	3.25	-	0.17	-	3.42
13	सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्षमता निर्माण निधि	9.40	0.50	-	0.53	9.37
14	जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी (ii)	122.61	61.78	3.66	19.13	168.92
	कुल	**6,691.17**	**346.00**	**186.96**	**608.41**	**6,615.72**
	गत वर्ष	**6,711.28**	**569.42**	**188.68**	**778.21**	**6,691.17**

अनुसूची 18 का आ-25 देखें

(i) उक्त निधि में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावधान शामिल है - ₹62.19 करोड़

(ii) उक्त में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावध्याान शामिल है - ₹15.15 करोड़

अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा ब्याज#	वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
अ	**सरकारी सब्सिडी योजनाएँ**					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी - एनएचबी	0.89	-	-	-	0.89
2	शीतगृह के लिए पूंजी सब्सिडी टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0.90	0.11	-	-	1.01
4	फसल उत्पादन हेतु ऑनफार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.04	-	0.00*	-	0.04
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार	0.10	-	0.01	-	0.11
8	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना	1.80	-	-	-	1.80
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	2.83	-	-	-	2.83
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	0.15	0.01	-	0.08	0.08
12	आईएसएएम - कृषि विपणन आधारभूत संरचना	451.47	171.81	-	611.69	11.59
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – पीवीसीएफ़ ईडीईजी	81.57	0.25	-	81.52	0.30
14	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	0.08	-	-	-	0.08
15	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदे	0.09	-	0.01	-	0.10
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बीएआईएफ़ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश	0.02	-	0.00*	-	0.02
17	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	11.64	1.70	-	12.09	1.25
18	सौर मिशन के लिए सीएसएस	0.03	0.00*	-	0.03	0.00*
19	सीएसएस - जेएनएनएसएम - सोलर लाइटिंग	2.76	-	-	2.76	-
20	सीएसएस - सोलर फोटोवोल्टेइक वाटर पंपिंग	0.03	-	-	0.03	-
21	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	4.62	7.80	-	12.32	0.10
22	सीएसएस - एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016	0.11	1.04	-	-	1.15
23	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण	4.62	-	-	-	4.62
24	एफ़पीओ के निर्माण एवं संवर्धन पर सीएसएस	0.67	0.25	-	0.92	-
आ	**अन्य सरकारी योजनाएँ**					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	283.71	0.23	-	-	283.94
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	6.23	-	-	5.02	1.21
3	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	5.19	600.64	0.88	606.53	0.18
4	एएमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0.01	-	-	0.01	0.00*
5	कच्छ सूखा रोध परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
6	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए पैकेज	20.00	-	-	-	20.00

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा ब्याज#	वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
7	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुन:संरचना	4.11	-	-	0.02	4.09
8	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडबल्यूआर)	493.62	12,164.01	-	12,433.53	224.10
9	अरुणाचल कृषि स्टार्ट अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
10	केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना - पैक्स का कंप्यूटरीकरण	44.93	44.06	1.12	72.63	17.48
11	एग्रीश्योर - भारत सरकार	-	62.50	-	-	62.50
	कुल	1,506.36	13,054.41	2.02	13,839.18	723.61
	गत वर्ष	1,106.99	11,269.63	5.78	10,876.04	1,506.36

#अनुसूची 18 का आ-25 देखें

* ₹50,000/- से कम राशि को दर्शाता है

अनुसूची 5 - जमाराशियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकारें	-	-
3	**अन्य**		
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	40.23	52.80
	ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	1,94,482.88	1,86,684.79
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	32,079.11	50,517.76
	घ) अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	7,023.74	15,157.91
	ङ) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	2,870.00	3,890.00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	38,945.49	45,174.81
	छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि	550.00	480.00
	कुल	2,75,991.45	3,01,958.07

अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*31.03.2025 की स्थिति*	*31.03.2024 की स्थिति*
1	कर मुक्त बॉण्ड	5,000.00	5,000.00
2	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड	1,86,736.30	1,49,580.15
3	पीएमएवाई-जी - भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	48,809.60
4	बॉण्ड - एलटीआईएफ	38,160.25	38,160.25
5	एलटीआईएफ - भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	19,506.80	19,506.80
6	एसबीएम (जी) - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	12,298.20
7	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़) बॉण्ड	1,754.60	1,754.60
8	सोशल बॉण्ड	1,040.50	1,040.50
9	इन्फ्रा बॉण्ड	14,060.00	10,000.00
	कुल	**3,27,366.25**	**2,86,150.10**

अनुसूची 7 - उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	*विवरण*	*31.03.2025 की स्थिति*	*31.03.2024 की स्थिति*
1	केंद्र सरकार	-	-
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	-	-
3	**अन्य**		
	(अ) भारत में		
	(i) जमा प्रमाण-पत्र	37,939.26	23,629.90
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	57,386.19	52,112.64
	(iii) त्रिपक्षीय रेपो	51,708.00	28,270.07
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	10.36	2,508.21
	(v) बैंकों से मीयादी ऋण	1,03,655.89	94,007.43
	(vi) जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ	517.99	551.52
	कुल	**2,51,220.50**	**2,01,082.58**

अनुसूची 8 - चालू देयताएँ और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*31.03.2025 की स्थिति*	*31.03.2024 की स्थिति*
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउंट	12,196.55	10,185.96
2	विविध लेनदार	3,278.44	3,374.62
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएएमआई)	27.64	25.81
4	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	19.52	10.47
5	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	434.85	126.64
6	साधारण छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	392.00	378.50
7	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	192.17	170.21
8	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-33 देखें)	667.17	318.17
9	बॉण्डों पर ब्याज - जिसका दावा नहीं किया गया	4.36	2.99
10	परिपक्व बॉण्ड - जिनका दावा नहीं किया गया	9.83	13.15
11	बॉण्ड प्रीमियम	80.97	50.12
12	प्रतिबद्धता प्रभार - अंतरराष्ट्रीय उधार	0.24	-
13	**प्रावधान और आकस्मिकताएँ**		
(क)	निवेश के मूल्य में ह्रास		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ		
	(क) केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	1,033.42
	(ख) राजकोष बिल	-	-
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) इक्विटी शेयर	-	-
	(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	12.04	19.46
	(v) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
	(vi) अन्य	9.63	-
(ख)	परिपक्वता तक रखी गई प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	6.28	147.16
(ग)	मानक आस्तियों हेतु	3,523.46	3,302.00
(घ)	अनर्जक निवेश	299.26	317.32
(ङ)	काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रोविजन	2,014.45	2,014.45
(च)	अन्य आस्तियों और प्राप्य राशियों हेतु प्रावधान	4.45	4.45
(छ)	आयकर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर को घटाकर) (वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अग्रिम कर ₹2,565 (₹2,140))	2,936.39	3,005.98
	कुल	**26,109.70**	**24,500.88**

नोट: अनर्जक अग्रिमों को अनुसूची-11 में दर्शाए गए अग्रिमों के समक्ष समायोजित किया गया है.

अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	*विवरण*	*31.03.2025 की स्थिति*	*31.03.2024 की स्थिति*
1	हाथ में रोकड़	-	-
2	**निम्नलिखित के पास शेष :**		
	अ) भारत में बैंकों में		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक	6,568.72	3,561.58
	(ii) अन्य बैंक		
	क) चालू खाते में	4,437.74	3,747.24
	ख) बैंकों में जमा#	33,353.15	22,590.00
	(iii) मार्गस्थ विप्रेषण	-	-
	(आ) भारत से बाहर स्थित बैंक	-	-
3	**त्रिपक्षीय रेपो – ऋण वितरण**	999.31	7,455.32
	कुल	**45,358.92**	**37,354.14**

इसमें 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार बैंकों में ₹3,650.00 करोड़ की अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह या उससे कम की परिपक्वता वाली) शामिल हैं (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹1,300.00 करोड़)

अनुसूची 10 - निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*31.03.2025 की स्थिति*	*31.03.2024 की स्थिति*
1	**सरकारी प्रतिभूतियाँ**		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	53,060.25	34,497.72
	[अंकित मूल्य ₹5,21,76,90,80,000 (₹3,29,78,86,70,000)]		
	ख) ट्रेजरी बिल	11,297.96	18,806.69
	[अंकित मूल्य ₹1,14,99,23,50,000 (₹1,96,58,33,80,000)]		
2	**अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ**		
3	**निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :**		
(क)	कृषि वित्त निगम लि.	1.00	1.00
	[1,000 (1,000) - प्रत्येक ₹10,000 के इक्विटी शेयर]		
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	966.27	966.27
	[5,31,92,203 (5,31,92,203) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	60.00	60.00
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	0.30	0.30
	[3,77,758 (3,77,758) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ङ)	नैशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि.	16.87	16.87
	[56,25,000 (56,25,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(च)	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड	9.75	9.75
	[55,000 (55,000) प्रत्येक ₹1000 के इक्विटी शेयर]		
(छ)	भारतीय कृषि कौशल परिषद्	0.00*	0.00*
	[4,000 (4000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
(ज)	नैशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेस लिमिटेड [इक्विटी]	1.50	1.50
	[15,00,000 (15,00,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(झ)	नैशनल ई-रेपोजीटरी लि.	10.53	10.53
	[105,30,000 (105,30,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ञ)	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क	40.00	40.00
	[40,00,000 (10,00,000) प्रत्येक ₹100 के शेयर]		
(ट)	ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड	56.76	-
	[2,87,329 (निल) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ठ)	24x7 मनीवर्क्स कन्सल्टींग प्राइवेट लिमिटेड	3.84	-
	[23,333 (निल) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ड)	अन्य इक्विटी निवेश	20.02	20.02
4	**डिबेंचर और बॉण्ड**		
(i)	रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-34 देखें)	65.19	134.06
(ii)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	852.99	826.12
5	**सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में शेयरधारिता**		
(क)	**सहायक कंपनियों में शेयरधारिता**		
(i)	नैबफिंस लि. (पूर्व में नाबार्ड फाईनैन्शियल सर्विसेज [कर्नाटक] लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)	102.01	102.01
	[10,20,06,300 (10,20,06,300] - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ii)	नैबसमृद्धि फाइनांस लिमिटेड	145.06	145.06
	[11,27,88,000 (11,27,88,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(iii)	नैबकिसान फाइनांस लिमिटेड	227.57	227.57
	[15,05,00,063 (15,05,00,063) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(iv)	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	25.00	5.00
	[2.50,00,000 (50,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(v)	नैबवेंचर्स लि.	50.00	25.00
	[5,00,00,000 (2,50,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(vi)	नैबफाउंडेशन	50.00	50.00
	[5,00,00,000 (5,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(vii)	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	50.00	50.00
	[5,00,00,000 (5,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ख)	**संयुक्त उद्यम**	-	-
6	**अन्य**		
(क)	म्यूचुअल फंड	6,602.32	5,293.40
(ख)	वाणिज्यिक पत्र	1,453.08	185.05
	[अंकित मूल्य ₹15,00,00,00,000 (₹200,00,00,000)		
(ग)	जमाराशि प्रमाण-पत्र	16,100.04	7,900.10
	[अंकित मूल्य ₹ 1,64,50,00,00,000.00 (₹79,70,00,00,000)		
(घ)	उद्यम पूँजी निधियाँ/ एआईएफ़	536.04	414.51
(ङ)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश [अनुसूची 18 का नोट आ-21.2 देखें]	10.95	39.26
(च)	आधारभूत संरचना निवेश न्यास (InvITs)	2.00	-
	कुल	**91,817.30**	**69,827.79**

*₹50,000/- से कम की राशि को दर्शाते हैं.

अनुसूची 11 - अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*31.03.2025 की स्थिति*	*31.03.2024 की स्थिति*
1	**पुनर्वित्त ऋण**		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,69,224.53	1,58,705.71
(ख)	**अन्य निवेश ऋण**		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	2,52,632.27	2,68,113.97
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	27,767.64	20,504.10
2	**प्रत्यक्ष ऋण**		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	1,84,724.16	1,70,006.64
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	2,581.85	3,385.86
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	295.89	331.85
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	40,879.33	32,403.74
(ङ)	उत्पादक संगठन के लिए ऋण	0.14	0.53
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	41,676.56	20,583.03
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	386.48	431.38
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	51,803.83	53,617.32
(झ)	प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण	48,819.03	48,819.03
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	1,366.81	1,508.16
(ठ)	जीसीएफ़ के अंतर्गत ऋण	517.99	551.52
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	2,871.83	3,036.88
(ढ)	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि	1,141.38	801.50
(ण)	ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता योजना (आरआईएएस)	65.16	-
(त)	**अन्य ऋण:**		
(i)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	1.66	3.69
(ii)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत ऋण	-	0.73
(iii)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.29	0.46
	कुल	**8,39,055.03**	**7,95,104.30**

नोट: ₹2,005.32 करोड़ की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिम (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹1,983.25 करोड़).

अनुसूची 12 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*31.03.2025 की स्थिति*	*31.03.2024 कई स्थिति*
1	भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-31 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	195.79	195.79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	-	-
	उप-जोड़	195.79	195.79
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	195.79	195.79
	घटाएँ : लीज प्रीमियम का परिशोधन	67.16	65.70
	बही मूल्य	**128.63**	**130.09**
2	परिसर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-31 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	659.20	652.24
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	9.27	6.96
	उप-जोड़	668.47	659.20
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	668.47	659.20
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	374.03	350.27
	बही मूल्य	**294.44**	**308.93**
3	फर्नीचर और फिक्सचर्स		
	प्रारंभिक शेष	67.23	66.70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	0.67	0.72
	उप-जोड़	67.90	67.42
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0.18	0.19
	इति शेष (लागत पर)	67.72	67.23
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	63.77	61.62
	बही मूल्य	**3.95**	**5.61**
4	कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण		
	प्रारंभिक शेष	248.72	216.45
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	34.69	34.34
	उप-जोड़	283.41	250.79
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	6.57	2.07
	इति शेष (लागत पर)	276.84	248.72
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	229.07	210.35
	बही मूल्य	**47.77**	**38.37**
5	वाहन		
	प्रारंभिक शेष	14.84	13.30
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	6.99	6.06
	उप-जोड़	21.83	19.36
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	5.86	4.52
	इति शेष (लागत पर)	15.97	14.84
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	5.97	5.93
	बही मूल्य	**10.00**	**8.91**
6	जारी पूंजीगत कार्य (जिसमें परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर तथा सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन शामिल है)	75.12	56.93
	कुल	**559.91**	**548.84**

नोट: अब तक के मूल्यह्रास में प्रारंभिक मूल्यह्रास, परिवर्धन और बिक्री पर मूल्यह्रास तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष का मूल्यह्रास शामिल है

अनुसूची 13 - अन्य आस्तियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*31.03.2025 की स्थिति*	*31.03.2024 की स्थिति*
1	उपचित ब्याज	6,006.03	5,564.26
2	प्राप्य डिस्काउंट	-	294.78
3	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1.56	1.39
4	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	54.21	54.14
5	स्टाफ को आवास ऋण	188.47	142.55
6	स्टाफ को अन्य अग्रिम	96.13	95.00
7	विविध अग्रिम	83.83	75.04
8	आस्थगित कर आस्तियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.5 देखें)	113.95	190.23
9	भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य राशियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ - 26 और आ - 28 देखें)	1,193.46	1,486.25
10	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	94.98	121.42
11	अन्य आस्तियां - इनपुट टैक्स क्रेडिट - जीएसटी	7.16	2.43
	कुल	**7,839.78**	**8,027.49**

अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
1	**निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज**		
(क)	आरआईडीएफ़ के अंतर्गत जमाराशियाँ	6,752.89	6,042.03
(ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	1,975.77	2,169.93
(ग)	अल्पावधि क्षेत्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	574.67	653.48
(घ)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	105.27	121.11
(ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1,599.15	1,440.00
(च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	19.69	15.55
(छ)	चाय/ कॉफी/ रबड़ जमाराशियाँ	2.35	2.82
(ज)	मीयादी मुद्रा उधार	39.73	112.97
(झ)	बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-28 और 36 देखें)	21,322.39	16,367.23
(ञ)	बैंकों से प्राप्त मीयादी ऋण	6,153.59	5,280.67
(ट)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	6.20	16.28
(ठ)	वाणिज्यिक पत्र पर डिस्काउंट	2,506.68	2,182.71
(ड)	जमा प्रमाण-पत्र पर डिस्काउंट	2,020.56	1,620.20
(ढ)	रेपो ब्याज व्यय	10.58	14.50
(ण)	निधियों पर अदा किया गया ब्याज	186.82	187.09
(त)	अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार	-	3.18
(थ)	प्रतिबद्धता शुल्क - अंतरराष्ट्रीय उधार	0.24	-
2	सीबीएलओ/ टीआरईपीएस पर डिस्काउंट	1,505.68	606.16
3	बॉण्ड और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, कमीशन और निर्गम व्यय	60.95	52.81
4	स्वैप प्रभार	17.96	24.12
	कुल	**44,861.17**	**36,912.84**

अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-33 देखें)	1,248.87	1,360.80
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	822.17	1,298.04
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	310.37	227.03
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते	0.20	0.21
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.27	0.31
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	44.79	41.70
7	यात्रा व्यय	64.24	56.49
8	मुद्रण और लेखन सामाग्री	7.04	6.16
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	31.07	23.49
10	मरम्मत	18.76	16.88
11	लेखापरीक्षकों की फीस	0.34	0.26
12	विधिक प्रभार	2.41	2.15
13	विविध व्यय	274.32	217.20
14	विविध आस्तियों पर व्यय	12.93	9.20
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	115.00	105.32
	कुल	**2,952.78**	**3,365.24**

अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
1	सहकारिता विकास निधि	54.55	33.29
2	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	34.28	28.27
5	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	-	0.39
6	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
7	उत्प्रेरक पूंजी निधि	2.52	2.94
8	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	0.10	0.59
	कुल	**152.61**	**136.02**

अनुसूची 16 - प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
	निम्नलिखित के लिए प्रावधान		
1	मानक आस्तियाँ	221.46	370.00
2	अनर्जक आस्तियाँ	33.49	(67.97)
3	निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी	(8.50)	14.78
	कुल	**246.45**	**316.81**

अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*31.03.2025 की स्थिति*	*31.03.2024 की स्थिति*
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएँ (अग्रिम को घटाकर)	68.12	37.34
	उप जोड़ "अ"	**68.12**	**37.34**
2	आकस्मिक देयताएँ		
(i)	बैंक गारंटी	2.16	24.18
(ii)	लंबित विधिक मामले (आयकर अपीलों सहित)	415.00	416.17
	उप जोड़ "आ"	417.16	440.35
	कुल (अ + आ)	**485.28**	**477.69**

अनुसूची 18

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियाँ

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखे तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्त्वपूर्ण पहलुओं; भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों (एएस) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. उन मामलों को छोड़कर जहाँ अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/ नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियाँ पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं.

2. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन ऐसी बातें मान कर चले और ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिर्पोटिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं. यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, तथापि वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. इन भिन्नताओं का निर्धारण उस वर्ष में दर्शाया जाता है जब ये परिणाम प्राप्त होते हैं.

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है:

i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.

ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.

iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.

iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई में ₹10,000 तक के व्यय.

3.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की डिस्काउंट राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. बॉण्ड के निर्गम से संबंधित व्ययों, लागू स्टांप शुल्क सहित, को बॉण्ड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

3.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

3.4 i) उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.

ii) जिस सब्सिडी के लिए नाबार्ड पास-थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, उस सब्सिडी और उस पर सेवा शुल्क का लेखांकन संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी के आधार पर किया गया है.

3.5 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

i) दंडात्मक ब्याज

ii) लागत और प्रभार

iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज

iv) मूलधन

3.6 समझौता और समाधान/ निपटान के मामले में, वसूली को संबंधित समझौता/ समाधान, निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया गया है.

3.7 जिन खातों के लिए वाद दायर किए गए हैं/ डिक्री प्राप्त हुई है उनके संबंध में, वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया गया:-

i) संबंधित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार.

ii) न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के न होने की स्थिति में, उपर्युक्त बिन्दु 3.5 के अनुसार.

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

4.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटाकर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूँजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है.

4.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है.

4.3 परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है.

4.4 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यह्रास की नीति में संशोधन किया गया है और 30 वर्षों की अवधि के लिए मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गई है.

4.5 पट्टे पर ली गई भूमि पर भुगतान किए गए अपफ्रंट लीज प्रीमियम को लीज की अवधि में 5% की दर से प्रारंभिक अवलिखित मूल्य पर या लीज की शेष

अवधि पर शेष लीज प्रीमियम की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया है.

4.6 ₹1 लाख और उससे कम लागत की प्रत्येक अचल आस्ति (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को छोड़कर) को उसके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है. आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को तभी पूँजीकृत किया गया है जब प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक है. ₹1 लाख और उससे कम लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि खाते में लिया गया है.

4.7 अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित्त की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया गया है :

आस्तियों के प्रकार	*मूल्यह्रास की दर*
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

4.8 आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना उस माह से की जाती है जिस माह से वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्ति को पूँजीकृत किया जाता है और यह गणना उस माह तक की अवधि के लिए की जाती है जब तक उस आस्ति की बिक्री नहीं हो जाती.

4.9 चल रहे पूँजीगत कार्य में पूँजी अग्रिम शामिल है और इसे अचल संपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

5. निवेश

5.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" पर दर्ज किए जाते हैं.

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)" श्रेणियों (जिन्हें आगे "श्रेणियाँ" कहा गया है) में वर्गीकृत किया गया है.

5.3 जो प्रतिभूतियाँ मुख्यत: क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित की जाती हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

5.4 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत जिन निवेशों की लागत अंकित मूल्य के समान या कम है उन्हे अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है. यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने की स्थिति में, अस्थाई कमी को छोड़कर, यथावश्यक प्रावधान किया गया है. यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आती है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए प्रावधानों को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है.

5.5 "एचटीएम" के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है.

5.6 "एएफएस" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है. यदि कोई निवल मूल्यह्रास है, तो "एएफएस" के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

5.7 "एचएफटी" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि., एएमएफआई आदि द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है. निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को "एचएफटी» के रूप में वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

5.8 सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

5.9 ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन धारिता लागत पर किया गया है.

5.10 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं, तो कोट न किए गए शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया गया है या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार अथवा ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है.

5.11 असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.

5.12 शेयर बाज़ार में खरीदी/ बेची गई इक्विटियों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज की राशि को पूंजीकृत किया गया है.

5.13 ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किए गए/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री की गणना में शामिल नहीं किया गया है.

5.14

क्र. सं.	*मौजूदा श्रेणी*	*प्रस्तावित श्रेणी*	*लेखांकन नीति*
1.	एएफएस/ एचटीएफ	एचटीएम	बही मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो. ऐसे मामलों में जहाँ बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, उनमें प्रतिभूति के समक्ष धारण किए गए मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (जिसमें, आवश्यकता होने पर, अंतरण की तिथि पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल होगा) समायोजित कर बही मूल्य को बाजार मूल्य तक घटाया जाएगा और प्रतिभूति का अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाएगा.
2.	एचटीएम	एएफएस/ एचएफटी	बही मूल्य / परिशोधित लागत पर अंतरण. ऐसी प्रतिभूतियों का, अंतरण के फलस्वरूप तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाएगा.

क्र. सं.	मौजूदा श्रेणी	प्रस्तावित श्रेणी	लेखांकन नीति
3.	एएफएस/ एचएफटी	एचएफटी/ एएफएस	बही मूल्य पर अंतरण. अंतरण की तिथि पर प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, और संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया गया हो, तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के समक्ष मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में अंतरित किया जाएगा और इसके विपरीत भी किया जा सकता है.

5.15 सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

5.16 निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है.

5.17 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश का लेखांकन संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है.

5.18 भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश एनपीआई वर्गीकरण के लिए आय के उचित प्रावधान/आय की अमान्यता के अधीन हैं. अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि के समक्ष समायोजित नहीं किए जाते हैं.

यदि किसी कंपनी/ संस्था द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की लेखा-बहियों में एनपीए है, तो उस कंपनी/संस्था द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और उसके विपरीत माना जाएगा.

प्रतिभूतियों, अर्थात् बांड, डिबेंचर आदि के मामले में जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहाँ वाईटीएम या आईआरएसी, इनमें से जो भी अधिक हो, मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया गया है.

5.19 रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों की गणना संपार्श्विकयुक्त उधार और उधार लेनदेन के रूप में की जाती है. तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद की जाती है और ऐसी प्रतिभूतियों को रेपो/रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों के माध्यम से दर्शाया जाता है. परिपक्वता की तिथि को उपर्युक्त प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन कर दिया जाता है. लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में की जाती है.

5.20 डेरिवेटिव लेनदेन हेजिंग उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं.

हेज स्वैप

हेज ब्याज वाली आस्ति या देयता के साथ ब्याज दर स्वैप को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. ऐसी आस्ति या देयता से जुड़े स्वैप को छोड़कर, जिसका वहन बाज़ार मूल्य पर या लागत से कम मूल्य पर किया गया हो. स्वैप की समाप्ति पर स्वैप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर लाभ और हानि का निर्धारण किया जाता है.

6. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

6.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

6.2 अग्रिमों की पुन:संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

6.3 अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया गया है.

6.4 निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में, अनर्जक ऋणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है.

6.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. इन प्रावधानों को तुलन-पत्र की अनुसूची 8 में «वर्तमान देयता और प्रावधान» शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है.

7. विदेशी मुद्रा लेनदेन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेन-देनों का लेखांकन निम्नानुसार किया गया है:

7.1 रिपोर्टिंग की तिथि/ वर्ष के अंत में एफईडीएआई/ एफबीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का पुन: मूल्यांकन किया गया है. विदेशी मुद्रा उधार के हेज किए गए भाग को संविदाकृत मूल्य पर उल्लिखित किया गया है. वर्ष की समाप्ति पर विद्यमान विनिमय दर के अनुसार हेज किए गए उधार की देयता को तुलन-पत्र में कॉन्ट्रा मद (तुलन-पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया है.

7.2 हेज लेनदेन हेतु, आय और व्यय मदों को निष्पादित हेज करार के अनुसार अनुबंधित दर पर परिवर्तित किया गया है.

8. विदेशी विनिमय संविदाओं का लेखांकन

8.1 विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएँ विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज करने के लिए की गई हैं.

8.2 हेज किए गए विदेशी मुद्रा उधारों का उल्लेख संविदागत दर पर किया गया है.

8.3 हेज न की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को एफईडीएआई/ एफ़बीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर वर्ष के अंत में/ रिपोर्टिंग तिथि पर पुन: मूल्यांकित किया गया है. पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अभिलाभ/ घाटे का निर्धारण लाभ और हानि खाता में "वायदा विनिमय संविदा लेखा के पुन:मूल्यांकन पर प्राप्त अभिलाभ/ घाटा" शीर्ष के अंतर्गत किया गया है.

9. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिकों को बैंक का कर्मचारी माना गया है और तदनुसार कर्मचारी लाभ के प्रावधान किए गए हैं. प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए यथावश्यक रूप से बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है.

9.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि का निर्धारण उसी अवधि के लिए किया गया है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं.

9.2 सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ:

i) **परिभाषित अंशदान योजना**

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं. बैंक ने पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई "एनपीएस - कार्पोरेट सेक्टर मॉडल" को अपनाया है. निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है.

ii) **परिभाषित लाभ योजना**

क. बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता है जो सभी पात्र कर्मचारियों के लिए अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है. योजना के लिए बैंक द्वारा निधि प्रदान की जाती है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

ख. 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है. इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंध एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

iii) **अन्य दीर्घावधि लाभ**

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी पारिश्रमिक के साथ अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं. अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति से आकलित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. बीमांकिक अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखा में उपचय के आधार पर दर्शाया जाता है.

10. आय पर कर

10.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य कर आय और कर जमाओं के साथ-साथ आकलनों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है.

10.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के रूप में की गई है और इस राशि की गणना तुलन-पत्र की तारीख को लागू कर की दरों और अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर की गई है.

10.3 अनवशोषित मूल्यह्रास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहाँ यह लगभग निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

10.4 निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा/ प्रावधान किए गए करों की गणना संबंधित निधियों के व्यय के रूप में की गई है.

11. खंड रिपोर्टिंग

11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय खंड को रिपोर्टिंग का प्राथमिक खंड मानता है.

11.2 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल है. जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उसे "अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय" में शामिल किया गया है.

11.3 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित हैं/ किसी खंड को आबंटन-योग्य हैं, उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको "अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय" में शामिल किया गया है.

11.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं. आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में वे आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं जो संपूर्ण बैंक से संबंधित हैं और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता.

12. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

12.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि:

i) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो, तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान; अथवा

ii) पिछली अवधियों में यथानिर्धारित क्षतिग्रस्तताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन किया जा सके.

12.2 क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस-29)

13.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन वास्तविक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक की कोई वर्तमान देयता है;

ख) देयता के निस्तारण हेतु संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

13.2 आकस्मिक देयता को निम्न मामलों में प्रकट किया गया है:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब इसकी संभावना नहीं हो कि उस देयता को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी,

ख) कोई वर्तमान देयता, जब विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता जहाँ संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना नगण्य हो.

13.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो निर्धारित किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

13.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है.

14. नकदी और नकदी समतुल्य

क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं.

ख) नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष पद्धति से की जाती है. उपलब्ध सूचना के आधार पर परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

15. पूर्व अवधि की आय/ व्यय

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदों को केवल तभी अलग से प्रकट किया गया है जब एकल पूर्व अवधि आय/ व्यय सकल आय के 0.5% से ज्यादा हो.

16. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (भारतीय लेखा मानक)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंक को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित होता है, तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त और उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक विवरण अपेक्षित है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

आ. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. पूँजी

1.1 **तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पूँजीगत अंशदान का स्वरूप:**

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की प्राधिकृत पूँजी ₹30000 करोड़ थी. बैंक की कुल चुकता पूँजी भारत सरकार द्वारा अभिदत्त की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है :

अंशदानकर्ता	*2024-25*		*2023-24*	
	(₹ करोड़)	*%*	*(₹ करोड़)*	*%*
भारत सरकार	17,080.00	100.00	17,080.00	100.00
कुल	**17,080.00**	**100.00**	**17,080.00**	**100.00**

1.2 **पूँजी पर्याप्तता**

1.2.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 21 सितंबर 2023 के (बेसल III पूँजी फ्रेमवर्क, एक्सपोज़र मानदंडों, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन संग्रहण के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम) निर्देश, 2023 के अनुसार की जाती है.

1.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9% के समक्ष 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 25.58% (बेसल III) (16.45% बेसल I) था.

1.2.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण - दीर्घावधि परिचालन (एनआरसी-एलटीओ) निधि से वित्तपोषित ₹14505 करोड़ (₹14503 करोड़) की आस्तियों को सीआरएआर की गणना के प्रयोजन से बाहर रखा गया है.

1.2.4 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के विभिन्न मानदंडों का विवरण नीचे दिया गया है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25 (बेसल III के अनुसार)*	*2023-24 (बेसल I के अनुसार)*
(i)	सामान्य इक्विटी	75530.63	69611.39
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0.00	0.00
(iii)	कुल टियर 1 पूंजी (i + ii)	75530.63	69611.39
(iv)	टियर 2 पूंजी	3008.33	5398.41
(v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	78538.96	75009.80
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	307015.65	456057.89
(vii)	सामान्य इक्विटी अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी)	24.60	15.27
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	24.60	15.27
(ix)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	25.58	16.45
(x)	एआईएफ़आई में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100.00	100.00
(xi)	एकत्र की गई इक्विटी पूंजी की राशि	0.00	0.00
(xii)	एकत्र की गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से	0.00	0.00
	(क) स्थायी असंचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस) :	0.00	0.00
	(ख) स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	0.00	0.00
(xiii)	एकत्र की गई टियर 2 पूंजी की राशि: जिसमें से	0.00	0.00
	(क) ऋण पूंजी लिखत:	0.00	0.00
	(ख) स्थायी संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस)	0.00	0.00
	(ग) मोचन-योग्य असंचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस)	0.00	0.00
	(घ) मोचन-योग्य संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस)	0.00	0.00

2. निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ और प्रावधान

2.1 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2024-25*	*2023-24*
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	221.46	370.00

2.2 प्रतिचक्रीय प्रावधानन बफ़र:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
(क)	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	2014.45	2014.45
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की प्रमात्रा#	0.00	0.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान आहरित राशि	0.00	0.00
(घ)	अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	2014.45	2014.45

बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अस्थायी प्रावधान करने का निर्णय लिया है ताकि किसी असाधारण अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जा सके.

3. आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

3.1 अनर्जक अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
(i)	**निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)**	0.00	0.00
(ii)	**अनर्जक अग्रिमों में उतार-चढ़ाव (सकल)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	1983.29	2041.78
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	34.09	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(12.04)	(58.49)
(घ)	इति शेष	2005.34	1983.29
(iii)	निवल अनर्जक अग्रिमों में उतार-चढ़ाव		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	**निवल अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	1983.29	2041.78
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	34.09	0.00
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(12.04)	(58.49)
(घ)	इति शेष	2005.34	1983.29

3.2 अनर्जक निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
(i)	**निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)**	0.00	0.00
(ii)	**अनर्जक निवेश में उतार-चढ़ाव (सकल)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	317.32	326.80
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	2.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(20.06)	(9.48)
(घ)	इति शेष	299.26	317.32
(iii)	**निवल अनर्जक निवेश में उतार-चढ़ाव**		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	**निवल अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	317.32	326.80
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2.00	0.00
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(20.06)	(9.48)
(घ)	इति शेष	299.26	317.32

3.3 अनर्जक आस्तियाँ (3.1+3.2)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
(i)	**निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिम + निवेश) (%)**	0.00	0.00
(ii)	**अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	2300.61	2368.58
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	36.09	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(32.11)	(67.97)
(घ)	इति शेष	2304.59	2300.61
(iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव**		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	**अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान के अलावा)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	2300.61	2368.58
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	36.09	0.00
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(32.11)	(67.97)
(घ)	इति शेष	2304.59	2300.61

3.4 **पुन:संरचित खातों के विवरण**

चालू वित्तीय वर्ष में दो ऋण खातों को पुन:संरचित किया गया.

	पुन:संरचना का प्रकार		*सीडीआर प्रणाली में*				*एसएमई*
	आस्ति वर्गीकरण		*मानक*	*अवमानक*	*संदिग्ध*	*हानि*	*कुल*	*मानक*
	विवरण							
1	01 अप्रैल 2024 को पुन:संरचित खातों की स्थिति	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
2	वर्ष के दौरान नई पुन:संरचना/ अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
4	पुन:संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम भार आवश्यक नहीं रहा और इसलिए जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुन: संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाना आवश्यक नहीं रहा	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित खातों का अपलेखन/ वसूली	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
7	31 मार्च 2025 की स्थिति में पुन: संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						

* प्रावधान में सामान्य मानक आस्ति प्रावधान और पुन:संरचना के कारण अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं.

(राशि ₹ करोड़ में)

ऋण पुन:संरचना प्रणाली में				अन्य					कुल				
अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
				7	0	2	0	9	7	0	2	0	9
				220.97	0.00	14.23	0.00	235.20	220.97	0.00	14.23	0.00	235.20
				12.04	0.00	14.23	0.00	26.27	12.04	0.00	14.23	0.00	26.27
				3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
				999.13	0	0	0	999.13	999.13	0	0	0	999.13
				45.96	0	0	0	45.96	45.96	0	0	0	45.96
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
				108.92	0	0	0	108.92	108.92	0	0	0	108.92
				5.45	0	0	0	5.45	5.45	0	0	0	5.45
				0	2	0	0	2	0	2	0	0	2
				0	24.32	0	0	24.32	0	24.32	0	0	24.32
				0	24.32	0	0	24.32	0	24.32	0	0	24.32
				5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
				41.59	0	0	0	41.59	41.59	0	0	0	41.59
				3.08	0	0	0	3.08	3.08	0	0	0	3.08
				5	2	2	0	9	5	2	2	0	9
				1045.26	24.32	14.23	0	1083.81	1045.26	24.32	14.23	0	1083.81
				52.26	24.32	14.23	0	90.81	52.26	24.32	14.23	0	90.81

3.5 **दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना से संबंधित योजना के लिए ऋण (एस4ए)**

वर्ष 2016-17 के दौरान, दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना से संबंधित योजना के अंतर्गत ₹46.91 करोड़ के दबावग्रस्त ऋण खाते की समाधान योजना पर विचार किया गया. समाधान योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2024-25*	*2023-24*
भाग - अ		
(i) बकाया ऋण	0.00	0.00
भाग - आ		
(i) इक्विटी शेयर	0.00	0.00
(ii) वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर	26.74	28.87
कुल	26.74	28.87

यह खाता अभी भी एनपीआई में है और एस4ए दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया राशि पर 100% का प्रावधान किया गया है.

3.6 **अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
(i)	01 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियाँ	1983.29	2041.78
(ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)	34.09	0.00
	उप-जोड़ (अ)	2017.38	2041.78
घटाएँ:			
(i)	उन्नयन	0.00	0.00
(ii)	वसूली (उन्नयन किए गए खातों से हुई वसूली को छोड़कर)	0.44	58.37
(iii)	तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
(iv)	उपर्युक्त (iii) से इतर अपलेखन	11.60	0.12
	उप-जोड़ (आ)	12.04	58.49
31 मार्च की स्थिति में सकल अनर्जक आस्तियाँ (अ-आ)		2005.34	1983.29

3.7 **अपलेखन और वसूली**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2024-25*	*2023-24*
01 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों का प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
उप-जोड़ (अ)	0.00	0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों से हुई वसूली (आ)	0.00	0.00
31 मार्च को इति शेष (अ-आ)	0.00	0.00

नोट: तकनीकी या विवेकपूर्ण अपलेखन की राशि अनर्जक ऋणों की वह राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया है लेकिन जिन्हें प्रधान कार्यालय स्तर पर अपलिखित (पूर्णतः या अंशतः) कर दिया गया है.

3.8 **विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2024-25*	*2023-24*
कुल आस्तियाँ	0.00	0.00
कुल अनर्जक आस्तियाँ	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.00	0.00

3.9 **मूल्यह्रास और निवेशों के लिए प्रावधान**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
(1)	**निवेश**		
(i)	सकल निवेश *		
	(क) भारत में	91752.11	69693.73
	(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान *		
	(क) भारत में	299.26#	317.32
	(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(iii)	निवल निवेश *		
	(क) भारत में	91446.57	69376.41
	(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(2)	**निवेश के मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**		
(i)	प्रारंभिक शेष	317.32	326.80
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2.00	0.00
(iii)	वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई हो	0.00	0.00
(iv)	घटाएँ: वर्ष के दौरान अपलिखित/ प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान	(20.06)	(9.48)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(v)	घटाएँ: निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते से अंतरण, यदि कोई हो	0.00	0.00
(vi)	इति शेष	299.26	317.32

* इन आंकड़ों में रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचरों में किया गया निवेश शामिल नहीं है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 दिसंबर 2023 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2023-24/ 90 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.58/ 21.04.048/ 2023-24 के अनुसार वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में निवेश और उसके बाद के दिनांक 27 मार्च 2024 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2023-24/ 140 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/ 21.04.048/ 2023-24 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹ 6.28 करोड़ के प्रावधान किए गए थे. साथ ही, बैंक ने प्रभाव का पुन: आकलन किया है और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षित नहीं है.

4. (क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास गिरवी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यापार खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	237.00 (237.00)	237.69 (237.69)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो)	56100.51 (39131.28)	68247.12 (39250.46)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ) – डिफ़ॉल्ट निधि	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो) - डिफ़ॉल्ट निधि	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में इंट्राडे सीमा के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
इंट्राडे सीमा के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	5168.17 (527.00)	5396.34 (545.54)

5. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	लाभ और हानि लेखा में व्यय शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधान और आकस्मिकताएँ	2024-25	2023-24
1	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(8.50)	14.78
2	अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान (अग्रिम + निवेश)	24.99	(67.97)
3	आयकर के लिए प्रावधान	2450.00	1,990.00

6. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

चालू वर्ष के कारोबार की समाप्ति तक पीसीआर [प्रावधानों (इसमें अनुसूची-18 के नोट सं. 2.2 के अनुसार प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर शामिल है) में सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात] 187.41% (187.56%) रहा.

7. निवेश पोर्टफोलियो: संघटन और परिचालन

7.1 **रेपो लेनदेन**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	103.64 (1277.38)	4896.21 (5141.30)	154.95 (215.29)	4896.21 (0.00)
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

7.2 **ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संघटन का प्रकटन***

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*जारीकर्ता*	*राशि*	*निजी प्लेसमेंट की सीमा*	*'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा*	*रेट न की गई प्रतिभूतियों की सीमा*	*'अनलिस्टेड' प्रतिभूतियों की सीमा*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
(i)	पीएसयू	230.50 (155.55)	230.50 (155.55)	–	-	-
(ii)	सरकार	64358.21 (53304.41)	64358.21 (53304.41)			
(iii)	वित्तीय संस्थाएँ	4170.15 (619.97)	4170.15 (619.97)	–	–	–
(iv)	बैंक	13197.93 (7280.13)	13197.93 (7280.13)	–	–	–
(v)	निजी कॉरपोरेट	807.53 (855.62)	807.53 (855.62)	–	–	–
(vi)	सहायक संस्थाएँ/ संयुक्त वेंचर	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	–	–	–
(vii)	अन्य	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	–	–	–
(vii)	मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(297.26) (317.32)	(297.26) (317.32)	–	–	–
	कुल	82467.06 (61898.36)	82467.06 (61898.36)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

* ऋण प्रतिभूतियों में ट्रेजरी बिल, अपरिवर्तनीय डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र आदि सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं जिन्हें बही मूल्य पर दर्शाया गया.

7.3 **एचटीएम श्रेणी से/ में बिक्री और अंतरण**

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों को एएफएस से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित किया गया, जिसका बही मूल्य ₹561.69 करोड़ (अंकित मूल्य ₹510.00 करोड़) था और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को एएफएस से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित किया गया, जिसका बही मूल्य ₹4017.55 करोड़ (अंकित मूल्य ₹3580.68 करोड़) था.

31 मार्च 2025 को ₹15454.21 करोड़ के बही मूल्य के समक्ष परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत नाबार्ड के पास उपलब्ध कुल निवेश का बाज़ार मूल्य ₹17139.62 करोड़ था.

7.4 उद्यम पूँजी निधि में निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 सितंबर 2023 के (बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के संचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम) निर्देश, 2023 के अनुसार, वीसीएफ की इकाइयों में निवेश की गई ₹20.98 करोड़ (₹31.84 करोड़) की राशि को 3 वर्ष पूरे होने पर एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया.

8. खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

8.1 **आस्ति पुनःसंरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनःसंरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा**

अ. बिक्री का ब्यौरा: शून्य

आ. प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का ब्यौरा: शून्य

8.2 **खरीदी/ बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा**

अ. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा: शून्य

आ. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा: शून्य

9. परिचालनगत परिणाम

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.60	6.14
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.02	0.01
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.18	1.06
(iv)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)*	2.41	1.92

* गणना के प्रयोजनार्थ औसत कर्मचारियों को ध्यान में रखा गया है.

10. ऋण संकेंद्रण जोखिम

10.1 **पूंजी बाजार एक्सपोज़र**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी समूह निधि को पूरी तरह से कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है. $$	1936.47	1730.88
2	शेयर/ बॉण्ड/ डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा व्यक्तियों को क्लीन बेसिस पर शेयर में निवेश के लिए (आईपीओ/ ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाइयों के समक्ष अग्रिम;	0.00	0.00
3	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉन्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	0.00	0.00
4	किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाई द्वारा प्रतिभूत सीमा तक अग्रिम, अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: कवर नहीं करती.	0.00	0.00
5	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूतियुक्त और बिना प्रतिभूति के अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केटमेकरों की ओर से जारी गारंटियाँ;	0.00	0.00
6	शेयर/ बॉण्ड/ डिबेंचर की प्रतिभूति अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा क्लीन वेसिस पर नई कंपनियों के संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेटों को स्वीकृत ऋण;	0.00	0.00
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज लोन;	0.00	0.00
8	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाईयों को प्राथमिक निर्गमों के संदर्भ में एआईएफआई द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
9	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण;	0.00	0.00
10	उद्यम पूंजी निधियों को लिए सभी एक्सपोज़र (पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों)	536.04	414.51
पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर		2472.51	2145.39

$$ इक्विटी शेयर, सहायक संस्थाएँ और अन्य रणनीतिक निवेश

10.2 **देश जोखिम में एक्सपोजर :** शून्य

11. विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाएँ - एआईएफ़आई द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल)/ समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक एक्सपोज़र

11.1 वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं से अधिक एक्सपोजर की संख्या और राशि: शून्य

11.2 पूँजी निधियों के प्रतिशत और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोज़र.

(प्रतिशत में)

क्रम. सं.	श्रेणी	2024-25		2023-24	
		% के रूप में ऋण एक्सपोजर		% के रूप में ऋण एक्सपोजर	
		पूंजीगत निधियाँ	कुल आस्तियाँ	पूंजीगत निधियाँ	कुल आस्तियाँ
I	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	62.16	4.96	65.08	5.36
II	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	शून्य		शून्य	
III	वर्ष के बीस सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	516.20	41.17	560.16	46.13
IV	वर्ष के बीस सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	शून्य		शून्य	

11.3 पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर : लागू नहीं

11.4 ऐसा कोई अग्रिम नहीं हैं जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे कि अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार लिया गया हो और इसलिए ऐसे अमूर्त संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य के विवरण लागू नहीं होते हैं

11.5 फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर: लागू नहीं

11.6 ऐसे एक्सपोजर जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं को पार किया है : शून्य

12. उधारों/ ऋण सीमाओं, ऋण एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

12.1 **उधारों और ऋण सीमाओं का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	बीस सबसे बड़े उधारदाताओं से कुल उधार	575394.80	554469.25
(ii)	कुल उधार में बीस सबसे बड़े उधारदाताओं के उधार का प्रतिशत	67.01	70.00

12.2 **ऋण एक्सपोज़र का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोज़र	405418.47	420172.85
(ii)	एआईएफ़आई के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को एक्सपोज़र का प्रतिशत	48.20	52.70

12.3 **एक्सपोज़रों और अनर्जक आस्तियों का सेक्टर-वार संकेन्द्रण**

सेक्टर-वार अग्रिम नीचे दिए गए हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*			*2023-24*		
		कुल बकाया अग्रिम	*सकल अनर्जक आस्तियाँ*	*सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का %*	*कुल बकाया अग्रिम*	*सकल अनर्जक आस्तियाँ*	*सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का %*
I.	**कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित कृषि क्षेत्र***	**841125.53**	**2005.32**	**0.24**	**797221.61**	**1983.25**	**0.25**
1	केंद्र सरकार	83100.97	0.00	0.00	84124.79	0.00	0.00
2	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	राज्य सरकारें	232460.92	0.00	0.00	216838.69	0.00	0.00
4	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	48845.66	0.00	0.00	33188.01	0.00	0.00
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	150213.33	0.00	0.00	168872.09	0.00	0.00
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	77440.90	0.00	0.00	76964.14	0.00	0.00
7	सहकारी बैंक	184097.41	0.00	0.00	170637.78	0.00	0.00
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	15685.00	124.29	0.79	13628.07	102.22	0.75
9	अन्य रासकृग्रावि बैंक/ भूवि बैंक/ एनबीएफसी-एमएफआई/ एडीएफसी	49281.34	1881.03	3.82	32968.04	1881.03	5.71
II.	**अन्य**	**284.61**	**0.02**	**0.01**	**237.59**	**0.04**	**0.02**
1	निर्माण क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	स्टाफ ऋण#	284.61	0.02	0.01	237.59	0.04	0.02
	कुल (I+II)	**841410.15**	**2005.34**	**0.24**	**797459.20**	**1983.29**	**0.25**

* इनमें आरआईडीएफ़, डब्ल्यूआईएफ़, नीडा आदि जैसे प्रमुख ऋण शामिल हैं.

अनुसूची 13 में "अन्य अग्रिम" के अंतर्गत समूहन किया गया.

12.4 **अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र:** शून्य

13. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

13.1 **वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप** - शून्य

13.2 **एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न** - शून्य

13.3 **व्युत्पन्नों में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन :**

गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) बैंक विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए व्युत्पन्नों का उपयोग करता है. बैंक द्वारा किए गए सभी व्युत्पन्न, विदेशी मुद्रा उधार के रूप में अंतर्निहित हेजिंग उद्देश्यों के लिए हैं, जो एमटीएम नहीं हैं, बल्कि केवल ट्रांसलेटेड हैं. बैंक व्युत्पन्नों में ट्रेडिंग नहीं करता है.

(ii) हेजिंग के लिए आंतरिक नियंत्रक दिशानिर्देश, बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित किए जाते हैं. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही व्युत्पन्न संरचना तैयार की जाती है. व्युत्पन्न विवरणों के ब्यौरे भी एल्को को सूचित किए जाते हैं.

(iii) बैंक ने व्युत्पन्न सौदों से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए प्रणाली स्थापित की है. व्युत्पन्न सौदों से उत्पन्न होने वाले लेनदेन के लेखांकन के लिए बैंक प्रोद्भवन पद्धति का अनुसरण करता है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(i) बैंक व्युत्पन्नों में ट्रेडिंग नहीं करता है. तथापि, इसने $61.68 मिलियन ($69.48 मिलियन) की सीमा तक के अपने अंतरराष्ट्रीय उधारों की हेजिंग की है. विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग के परिणामस्वरूप उसे स्वैप करार/ वायदा संविदा के अनुसार संविदाकृत मूल्य पर दर्शाया गया है.

(ii) वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार हेज संविदा की बकाया मूलधन की राशि और ब्याज की राशि ₹529.50 करोड़ (₹579.49 करोड़) रही और लेखा बहियों में मूलधन बकाया देयता का मूल्य ₹517.99 करोड़ (₹517.99 करोड़) था. इस संबंध में राशि के रूप में मात्रात्मक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25		2023-24	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (नोशनल प्रिंसिपल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	517.99		551.52	
	ख) ट्रेडिंग के लिए	--		--	
(ii)	मार्क्ड टू मार्केट पोजीशन				
	क) आस्ति (+)			17.00	
	ख) देयता (-)	(4.55)		--	
(iii)	ऋण एक्सपोज़र [2]	46.59		17.00	
(iv)	ब्याज दरों में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग व्युत्पन्न पर	16.66		(1.07)	
	ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्न पर	--		--	
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01				
	क) हेजिंग व्युत्पन्न पर	--		--	
	ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्न पर	--		--	

14. एआईएफआई द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफ़र्ट (एलओसी) का प्रकटन: शून्य

15. आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक की आल्को नीति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता पद्धति निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	0.00	0.00	650.00	10275.76	37948.11	47643.08	91876.66	87597.84	275991.45
अग्रिम	36440.64	18538.21	108326.62	81047.63	187588.28	164289.17	137066.22	105758.26	839055.03
निवेश	9570.56	1344.03	12889.44	8788.96	8178.41	6822.66	5133.09	39090.15	91817.30
उधार	58604.34	24708.39	99715.81	39756.90	69157.64	105500.91	76831.11	103793.66	578068.76
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा देयताएं	0.00	0.00	0.00	14.31	0.00	95.69	95.69	312.30	517.99

16. प्रारक्षित निधियों से आहरण : शून्य

17. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2024-25	2023-24
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	10.17	8.85
आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.86	0.77
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.41	1.92
लीवरेज अनुपात (%)	7.66	लागू नहीं

18. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन - शून्य

19. शिकायतों का प्रकटन

(क) ग्राहक शिकायतें

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	22	9
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	71	85
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	90	72
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3	22

20. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है) - नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं है.

21. विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

21.1 **लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन.**

लाभ और हानि लेखा में पिछली अवधि की निम्नलिखित मदें शामिल हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00

21.2 **लेखा मानक 15- "कर्मचारी लाभ"**

"कर्मचारी लाभ" के अंतर्गत लेखा मानक 15(संशोधित) के तहत अपेक्षित प्रकटन

21.2.1 परिभाषित लाभ योजनाएँ

बैंक की कर्मचारी सेवानिवृति लाभ योजनाओं में उन कर्मचारियों के लिए पेंशन शामिल है जिन्होंने 31 दिसंबर 2011 या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है. ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं. इस दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित इकाई जमा प्रणाली का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि से कर्मचारी के लाभ की पात्रता में अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है और अंतिम दायित्व के निर्धारण में प्रत्येक इकाई की गणना अलग से की जाती है.

प्रमुख बीमांकिक अनुमान और इन मान्यताओं का आधार

बीमांकिक अनुमान	*पेंशन*		*ग्रेच्युटी*		*अवकाश सुविधाएँ*	
	2024-25	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*
छूट की दर	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		*ग्रेच्युटी*		*अवकाश सुविधाएँ*	
	2024-25	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	9871.46	8481.01	416.71	422.29	378.50	365.22
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	98.83	82.57	24.25	26.48	20.07	11.63
जोड़ें: पूर्ववर्ती सेवा लागत	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
जोड़ें: ब्याज लागत	699.59	621.80	30.63	32.09	27.82	27.76
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	704.19	1261.65	19.01	18.81	21.73	49.55
घटाएँ: भुगतान किए गए लाभ	(557.32)	(575.57)	(112.61)	(82.96)	(56.12)	(75.66)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	10816.75	9871.46	427.46	416.71	392.00	378.50

योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		*ग्रेच्युटी*		*अवकाश सुविधाएँ*	
	2024-25	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*
अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	9746.28	8482.47	407.45	397.74	86.58	121.52
जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	693.65	625.20	29.95	30.23	6.36	9.24
जोड़ें: बैंक द्वारा योगदान	321.60	1074.75	68.78	53.70	0.00	0.00
बीमांकिक लाभ/(हानि)	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
घटाएँ: भुगतान किए गए लाभ	(514.34)	(533.20)	(112.61)	(82.96)	(61.24)	(46.98)
घटाएँ: नियोक्ता द्वारा देय प्रतिपूर्ति	(42.97)	(42.37)	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	10381.90	9746.28	407.94	407.45	30.34*	86.58*

*इन निवेशों को वित्तीय विवरणों में बही मूल्य पर दर्शाया गया है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार इन निवेशों का बही मूल्य ₹10.95 करोड़ (₹39.26 करोड़) है.

योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	693.65	625.20	29.95	30.23	6.36	9.24
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	871.33	764.63	44.32	38.97	5.00	12.04

मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक लाभ/ (हानि)

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि) - दायित्व	(704.19)	(1261.65)	(19.01)	(18.81)	(21.73)	(49.55)
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)- योजनागत आस्तियाँ	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80
अवधि के लिए कुल लाभ/ (हानि)	(526.51)	(1122.22)	(4.64)	(10.07)	(23.09)	(46.75)
उक्त अवधि में मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	(526.51)	(1122.22)	(4.64)	(10.07)	(23.09)	(46.75)
वर्ष के अंत में गैर मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/ (हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

तुलनपत्र में मान्य राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य	10816.75	9871.46	427.46	416.71	392.00	378.50
घटाएँ: वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य*	10381.90	9746.28	407.94	407.45	0.00	0.00
गैर मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत - निहित लाभ - आगे ले जाए गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्य की जाने वाली देयता	434.85	125.18	19.52	9.26	392.00	378.50
तुलन-पत्र में मान्य देयता	434.85	126.64	19.52	10.47	392.00	378.50

*चूंकि अवकाश लाभों के लिए कोई पृथक ट्रस्ट नहीं है, इसलिए निवेश के लिए योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य ₹30.34 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹86.58 करोड़) है तथा इसे इसके बही मूल्य पर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

लाभ और हानि लेखे में मान्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		*ग्रेच्युटी*		*अवकाश सुविधाएँ*	
	2024-25	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*
वर्तमान सर्विस लागत	98.83	82.57	24.25	26.48	20.07	11.63
जोड़ें: पिछली सर्विस लागत	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
जोड़ें: ब्याज लागत	699.59	621.81	30.63	32.09	27.82	27.76
घटाएँ: योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	(693.65)	(625.20)	(29.95)	(30.23)	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष में मान्य निवल बीमांकिक लाभ/ (हानि)	526.51	1122.22	4.64	10.07	21.73	49.55
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए जाने वाले व्यय	631.28	1201.40	79.04	38.41	69.62	88.93
• जिसमें से, पिछले वर्ष के प्रावधानों में से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• कर्मचारियों से प्राप्त योगदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• लाभ और हानि लेखे पर प्रभारित	631.28	1201.40	79.04	38.41	69.62	88.93

* चूंकि अवकाश लाभों के लिए कोई पृथक ट्रस्ट नहीं है तथा बैंक द्वारा किए गए निवेश को उसके बही खातों में निवेश के रूप में रखा जाता है, इसलिए अपेक्षित प्रतिफल तथा बीमांकिक लाभ/ हानि के संबंध में कोई प्रभाव उपर्युक्त तालिका में नहीं माना गया है.

21.2.2 **परिभाषित अंशदान योजना :**

क) नाबार्ड पेंशन फंड ट्रस्ट में रखी गई भविष्य निधि में बैंक अपना अंशदान करता है. परिभाषाओं के अनुसार यह एक परिभाषित अंशदान योजना है. वर्ष के दौरान बैंक ने नाबार्ड पेंशन फंड ट्रस्ट को ₹30.00 करोड़ (₹38.34 करोड़) का अंशदान किया है.

ख) 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना जो कि एक परिभाषित अंशदान योजना है, के तहत शामिल किया गया है. वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त योजना में ₹25.41 करोड़ (₹23.38 करोड़) का अंशदान किया है.

21.2.3 **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ**

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य ₹21.96 करोड़ (₹21.88 करोड़) को लाभ हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है.

21.2.3.1 पूर्वोक्त देयताओं में सहायक संस्थाओं में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से संबंधित देयताएँ शामिल हैं.

21.2.3.2 **सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का परिशोधन**

सेवानिवृत्ति पश्चात् की समस्त देयताओं को लाभ हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है और उनका परिशोधन नहीं किया जाता है.

21.2.4 **पेंशन, ग्रैच्युटी और छुट्टी लाभ निधि का योजनागत आस्तियों के अंतर्गत निवेश - 31 मार्च 2025 की स्थिति**

विवरण	*पेंशन योजनागत आस्तियों का %*	*ग्रेच्युटी योजनागत आस्तियों का %*	*साधारण छुट्टी नकदीकरण योजनागत आस्तियों का %*
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20.84	0.00	0.00
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	37.08	0.00	0.00
इंश्योरर द्वारा प्रबंधित निधियाँ	0.00	100.00	100.00
अन्य	42.08	0.00	0.00
कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**

21.3 **लेखा मानक 17- खंड रिपोर्टिंग**

व्यवसाय खंड संबंधी सूचना

(क) **संक्षिप्त पृष्ठभूमि**

बैंक ने प्राथमिक खंडों की पहचान निम्नानुसार की है :

i) प्रत्यक्ष वित्तपोषण: इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा जिमस बैंकों को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.

ii) पुनर्वित्त: इसमें राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, विदेशी बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं.

iii) ट्रेजरी: इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाओं, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है.

iv) उपर्युक्त तीन प्राथमिक खंडों के अलावा अन्य खंड अन्य व्यावसायिक खंड हैं. प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर तीन प्राथमिक खंडों के परिणामों का पता लगाने के बाद, गैर-आबंटन योग्य व्यय / देनदारियों / आस्तियों सहित शेष राशि को "अन्य व्यवसाय" के तहत समूहीकृत किया जाता है.

(ख) **प्राथमिक व्यवसाय खंड संबंधी सूचना**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*ट्रेजरी*		*पुनर्वित्त*		*प्रत्यक्ष ऋण*		*अन्य व्यवसाय*		*कुल*	
व्यवसाय खंड	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*
राजस्व	7649.52	5341.75	28911.04	24528.07	21765.14	18909.70	98.71	67.08	58424.41	48846.60
परिणाम	1425.27	618.77	3571.30	4439.17	7910.98	6172.90	(2752.95)	(3162.94)	10154.60	8067.90
अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									10154.60	8067.90
आय पर कर									2526.28	1964.78
असाधारण लाभ/ हानि									0.00	0.00
निवल लाभ									7628.32	6103.12
अन्य सूचनाएं										
खंड आस्तियाँ	139058.27	101692.90	453289.86	430623.59	391092.15	368992.13	1076.71	9363.71	984516.99	910672.33
खंड देयताएँ	150328.53	110712.29	351850.09	341185.02	389591.47	373276.76	89924.46	82682.51	981694.55	907856.58
अनाबंटित आस्तियाँ									113.95	190.23
कुल आस्तियाँ									984630.94	910862.56
अनाबंटित देयताएँ									2936.39	3005.98
कुल देयताएँ									984630.94	910862.56

नोट: अनाबंटित आस्तियाँ आस्थगित कर आस्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और अनाबंटित देयताएं आयकर के लिए प्रावधान का प्रतिनिधित्व करती हैं

(ग) चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

21.4 **लेखा मानक 18 - संबंधित पक्षों का प्रकटन**

चूंकि बैंक 'एएस-18' "संबंधित पक्ष लेनदेन" की परिभाषा के अनुसार एक सरकार नियंत्रित उद्यम है, अतः सरकार के नियंत्रण वाले अन्य उद्यमों (सहायक संस्थाओं सहित) के साथ लेनदेन का विवरण प्रकट नहीं किया गया है.

संबंधित पक्षों की सूची :

क) **इस निकाय के नियंत्रण में कंपनियां :**

क्रम. सं.	*कंपनी*	*संबंध*
1.	नैबफिन्स लि.	सहायक संस्था
2.	नैबसमृद्धि फ़ायनान्स लि.	सहायक संस्था
3.	नैबकिसान फ़ायनान्स लि.	सहायक संस्था
4.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्रा. लि.	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
5.	नैबवेंचर्स लि.	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
6.	नैबफाउंडेशन	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
7.	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था

ख) **मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी :**

क्रम. सं.	*पक्ष का नाम*	*पदनाम*
1.	श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष
2.	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक
3.	डॉ. अजय के. सूद	उप प्रबंध निदेशक

ग) **संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन**

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें/संबंधित	*सहायक संस्थाएँ*	*सहयोगी/संयुक्त उद्यम*	*प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी @*	*प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी के रिश्तेदार*	*कुल*
उधार#	-	-	-	-	-
जमाराशि#	-	-	-	-	-
जमाराशियों का नियोजन#	-	-	-	-	-
अग्रिम#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
निवेश#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
गैर-वित्तपोषित वचनबद्धताएँ#	-	-	-	-	-
प्राप्त की गई पट्टेदारी व्यवस्थाएँ#	-	-	-	-	-
प्रदान की गई पट्टेदारी व्यवस्थाएँ#	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-	-	-	-
प्राप्त किया गया ब्याज	-	-	-	-	-
सेवाओं का उपयोग*	-	-	-	-	-
सेवाओं की प्राप्ति*	-	-	-	-	-
प्रबंधन संविदाएँ **	-	-	1.44(0.52)	-	

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत पर बकाया राशि तथा वर्ष के दौरान अधिकतम राशि का प्रकटीकरण किया जाना है

* संविदागत सेवाएँ आदि, न कि विप्रेषण सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ आदि जैसी सेवाएँ.

** प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी हेतु पारिश्रमिक.

21.5 **लेखा मानक 22 - आय पर कर हेतु लेखांकन**

बैंक एएस 22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार समय के अंतर पर आस्थगित कर आस्ति/ देयता को मान्यता देता है. वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹76.28 करोड़ (-25.21 करोड़) के आस्थगित कर व्यय को मान्यता दी है. 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार कुल आस्थगित कर आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*आस्थगित कर आस्तियाँ*	*2024-25*	*2023-24*
	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	100.24	175.14
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	13.71	15.08
	कुल	113.95	190.22

आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर देयता के लिए मान्यता प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है.

चूंकि ऋण बही का आकार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप हर साल मानक आस्तियों पर प्रावधान करना आवश्यक है. अत:, एएस - 22 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, बैंक मानक आस्तियों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्ति को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति की कोई उचित निश्चितता नहीं है.

21.6 **लेखा मानक 28 - आस्तियों में क्षतिग्रस्तता**

बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता" लागू होती हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.

22. कर्मचारियों को प्रदत्त छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) लाभ का हिसाब तभी लिया जाता है जब कर्मचारियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है.

23. **गैर-परिशोधित पेंशन और उपदान देयताएँ: शून्य**

24. 24 सितंबर 2021 को ऋण एक्सपोज़र के अंतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निर्देश के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित/ अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
    (क) बैंक ने कोई भी अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)/ तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खाते (टीडब्ल्यूओ) अंतरित नहीं किए हैं.
    (ख) बैंक ने कोई भी दबावग्रस्त ऋण अधिग्रहित नहीं किया है.
    (ग) बैंक ने चूक में नहीं रहने वाला कोई भी ऋण अंतरित या अर्जित नहीं किया है.
    (घ) 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा वसूली रेटिंगों की विभिन्न श्रेणियों, जो उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई हैं, के अंतर्गत धारित प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का वितरण: शून्य

25. नाबार्ड भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की ओर से उनके बैंकर/ कस्टोडियन/ ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित निधियों के लंबित उपयोग पर उनकी ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त शेष राशियों पर उपचित ब्याज, जहाँ भी लागू हो, रखता है. अप्रयुक्त शेष राशियों पर ब्याज को तत्संबंधी करारों/ प्रबंधन/ निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसार निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया. संबंधित निधियों के लिए ब्याज की दरों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम. सं.	*निधि का नाम*	*2024-25 के लिए ब्याज दर*	*2023-24 के लिए ब्याज दर*
1.	वाटरशेड विकास निधि	3%	3%
2.	केएफ़डब्ल्यू - एनबी आईजीडब्ल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	0%	3%
3.	केएफ़डब्ल्यू सहायक उपाय	0%	3%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	0%	3%
5.	जनजाति विकास निधि	3%	3%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	3%	3%
7.	केएफ़डब्ल्यू-नाबार्ड-V आदिवासी विकास कार्यक्रम - गुजरात	0%	3%
8.	जलवायु परिवर्तन) - एएफ़बी - परियोजना निर्माण अनुदान	3%	3%
9.	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	3%	3%
10.	उत्पादक संगठन विकास निधि - ब्याज विभेदक	3%	3%
11.	जलवायु परिवर्तन निधि - ब्याज विभेदक	3%	3%
12.	ग्रीन क्लायमेट फंड परियोजना अनुदान	3%	3%
13.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7.83%	7.29%
14.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और राय बरेली)	7.83%	7.29%
15.	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र	7.83%	7.29%

26. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य (तुलन-पत्र की अनुसूची-13 देखें) राशि में ₹2.00 करोड़ (₹1.08 करोड़) की राशि शामिल है जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है.
इन निधियों का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*निधि का नाम*	*2024-25*	*2023-24*
1.	केएफडब्ल्यू - मृदा परियोजना	0.92	0.00
2.	एनएएफ़सीसी	1.08	1.08
	कुल	**2.00**	**1.08**

27. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में विभिन्न बैंकों द्वारा रखी गई ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ़) जमाराशियों, भंडारागार आधारभूत संरचना विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ़) जमाराशियों और खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफ़पीएफ़) के संबंध में बैंक के पास उपलब्ध सापेक्षिक मार्जिन को वित्तीय समावेशन निधि और जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी में 80:20 के अनुपात में जमा किया गया.

28. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*योजना*	*2024-25*	*2023-24*
1.	दीर्घावधि सिंचाई निधि	567.95	558.87
2.	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	140.96	(70.68)
3.	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	34.72	35.07
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	126.07	67.08
5.	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़)	87.68	73.62
6.	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफ़आईडीएफ़)	25.85	17.94

29. मौसमी कृषि परिचालनों के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) और एनआरएलएम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ब्याज सहायता योजना

के अंतर्गत पुनर्वित्त देने पर प्राप्त ब्याज मार्जिन की गणना ब्याज आय के रूप में की गई है. भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त/ प्राप्य राशि ₹115.09 करोड़ (₹122.26 करोड़) है.

30. विभिन्न प्राधिकारियों के पास लंबित आयकर अपीलों को नीचे दर्शाया गया है:

क्रम. सं.	*कर निर्धारण वर्ष*	*किस प्राधिकारी के पास अपील लंबित है*	*किसके द्वारा अपील की गई*	*31-03-2025 की स्थिति तक विवादित कर की राशि (₹ करोड़)*	*31-03-2024 की स्थिति तक विवादित कर की राशि (₹ करोड़)*
1	2002-03	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	415.00	415.00
2	2006-07	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	217.85	217.85
3	2007-08	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	88.56	88.56
4	2008-09	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	118.77	118.77
5	2009-10	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	194.82	194.82
6	2010-11	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	28.20	28.20
7	2010-11	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	215.32	215.32
8	2011-12	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	51.03	--
9	2012-13	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	45.63	--
10	2013-14	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	1.70	--
11	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	51.07
12	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	287.62
13	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	45.63
14	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	327.03
15	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	1.70
16	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	380.05
17	2014-15	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	450.61
18	2015-16	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	448.87
19	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	254.38
20	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	0.59
21	2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
22	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69
23	2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	278.52	278.52
24	2022-23	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	182.64	--

31. पूर्ण स्वामित्व की भूमि तथा पट्टाकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹11.85 करोड़ (₹11.85 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका हस्तांतरण किया जाना अभी बाकी है.

32. भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रावि बैंक) को इन एजेंसियों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) में अभिदान के रूप में दिए गए परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है:

32.1 निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया ह'.

32.2 उस पर अर्जित ब्याज को लाभ और हानि लेखा में 'ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है.

32.3 आईआरएसी मानदंडों, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन के लिए 'अनुमन्य अग्रिम'.

33. वर्ष के दौरान बैंक ने नवंबर 2022 से प्रभावी वेतन समझौते के लिए अनुमानित आधार पर ₹349.00 करोड़ की राशि निर्धारित की है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार वेतन संशोधन के लिए ₹667.17 करोड़ का समापन प्रावधान बकाया है.

34. वित्तीय विवरणों की तिथि तक चल रही आरआईडीएफ की खेपों (XXVII से XXIX) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को संग्रहण अग्रिम के रूप में किए गए संवितरणों में से ₹633.71 करोड़ की राशि (₹407.85 करोड़) नॉन-स्टार्टर परियोजनाओं से संबंधित हैं. संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक इस राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

35. तीन अनर्जक निवेश खातों के संबंध में, पिछले वर्षों में पूर्ण प्रावधान किया गया था और एनसीएलएटी के तहत समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी. एनसीएलएटी के आदेशों के अनुसार, बैंक ने ₹17.93 करोड़ की सीमा तक प्राप्तियों को लेखाबद्ध किया है.

36. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत नाबार्ड को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बॉण्ड जुटाने के लिए अनुमति दी गई थी. तदनुसार 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए और 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए. ये कर मुक्त बॉण्ड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड की प्रकृति के हैं. ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड के निर्दिष्ट बही ऋण पर पहला प्रभार हैं. चालू वर्ष के लिए इन बॉण्डों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹365.07 करोड़ (₹365.64 करोड़) है.

डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस प्रकार है :

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,
द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू,
29, सेनापती बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई- 400028
टेलीफोन: +91 22 6230 0451

37. कोष्ठक में इंगित आंकड़े पिछले वर्ष के हैं.
38. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण/ प्रस्तुति के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनःसमूहीकृत/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते **सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन सं.: 121750W / W100010

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता	विनोद चंद्रशेखरन
साझेदार	मुख्य महाप्रबंधक
सदस्यता सं.:102306	लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक - 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद	गोवर्धन सिंह रावत	शाजी के. वी.
उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल आधार पर नकदी प्रवाह

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2024-25*	*2023-24*
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	10,154.61	8,067.91
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	56.79	47.78
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	33.49	(67.97)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	221.46	370.00
निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी	(8.50)	14.78
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि)	(1.05)	(0.75)
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज विभेदक निधि में परिवर्धन/ समायोजन सहित)	188.99	194.46
उधारराशियों और जमाराशियों पर ब्याज व्यय	44,861.17	36,912.84
निवेश से आय (डिस्काउंट से आय सहित)	(7,649.52)	(5,344.46)
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन के पहले का परिचालन लाभ	**47,857.44**	**40,194.58**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(8,254.68)	(16,198.84)
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	(332.19)	2,499.61
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	(44,183.85)	(64,420.38)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	**(4,913.28)**	**(37,925.03)**
आय कर का भुगतान - रीफंड को घटाकर	(2,519.59)	(2,095.58)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	**(7,432.87)**	**(40,020.61)**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	7,649.52	5,344.46
अचल आस्तियों की खरीद	(79.43)	(74.61)
अचल आस्तियों की बिक्री	12.60	6.78
निवेश में (वृद्धि)/ कमी	(22,049.88)	(21,388.68)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/ सृजित निवल नकदी (आ)	**(14,467.19)**	**(16,112.05)**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	(1,045.19)	186.83
बॉण्डों से प्राप्त राशि	41,216.15	39,472.85
उधारों में वृद्धि/ (कमी)	56,593.94	29,826.19
जमाराशियों में वृद्धि/ (कमी)	(25,966.62)	23,857.20
उधारराशियों और जमाराशियों पर भुगतान किया गया ब्याज	(42,850.58)	(36,912.84)
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	**27,947.70**	**56,430.23**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	6,047.64	297.56
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	8,608.82	8,311.26
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	**14,656.46**	**8,608.82**

1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं:	2024-25	2023-24
हाथ में रोकड़	-	-
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियाँ	6,568.72	3,561.58
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियाँ	4,437.74	3,747.24
बैंक के पास अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह और उससे कम की परिपक्वता वाली)	3,650.00	1,300.00
कुल	14,656.46	8,608.82

नोट: नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है.

इस तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W / W100010

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता	विनोद चंद्रशेखरन
साझेदार	मुख्य महाप्रबंधक
सदस्यता सं.: 102306	लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक : 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद	गोवर्धन सिंह रावत	शाजी के. वी.
उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

नाबार्ड

वार्षिक रिपोर्ट 2024–25



वार्षिक लेखे 2024–25

नाबार्ड का समेकित तुलन-पत्र
लाभ और हानि लेखा, और नकदी प्रवाह 2024–25

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('धारक बैंक' या 'नाबार्ड' या 'बैंक') और उसकी सहायक संस्थाओं (धारक बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं को संयुक्त रूप से 'समूह' कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि लेखों और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ शामिल हैं (जिसे बाद में 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है).

हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उल्लिखित समेकित किए गए वित्तीय विवरण पूर्ण और निष्पक्ष वित्तीय विवरण हैं जिनमें सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल किए गए हैं और इसे समुचित रूप से तैयार किया गया है ताकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियम, 1984 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप तथा आम तौर पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत नोट्स के साथ पठित 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक के कामकाज की स्थिति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभों और समेकित नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके.

2. अभिमत का आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के तहत दिया गया है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें. आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

3. लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें

हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें वे मदें हैं जो 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं. इन मदों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुँचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मदों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं. अपने व्यावसायिक मत में हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए हमने निम्नलिखित को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में लेने का निर्णय लिया है:

लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला	*हमारी लेखापरीक्षा किस प्रकार इन लेखापरीक्षा के प्रमुख मामलों को संबोधित करती है*
1. अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिम का प्रावधान. अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; तथा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') ने समूह के लिए अग्रिमों के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन पर विवेकपूर्ण मानदंड' ('आईआरएसीपी मानदंड') निर्धारित किए हैं. अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने में उचित तंत्र की स्थापना शामिल होती है और समूह को विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए आवश्यक प्रावधान की राशि की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्तर का अनुमान लगाना आवश्यक होता है. एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए महत्वपूर्ण निर्णयन और अनुमान निम्नलिखित पर महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं: • आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान की पूर्णता और सामयिकता; • ऋण जोखिम, नियत अवधि और वर्गीकरण, प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन; • एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित प्रत्यावर्तन. चूँकि अग्रिमों के वर्गीकरण, एनपीए की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान का सृजन (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत अतिरिक्त प्रावधानों सहित) और अग्रिमों पर आय के निर्धारण: • के लिए समूह द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता होती है; • का समूह के समग्र वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है; अत: हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है. **(समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 8 के साथ पठित अनुसूची 11 देखें)**	**निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया** अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान में निम्नलिखित शामिल थे: • एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए समूह की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना तथा पुन:संरचित अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधानों और आस्ति वर्गीकरण लाभ सहित आरबीआई (आईआरएसीपी मानदंडों) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना. • भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर प्रवर्तमान दिशानिर्देशों के आधार पर क्षतिग्रस्त खातों की पहचान और प्रावधान के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना. • समूह द्वारा एनपीए की पहचान को कवर करने वाली मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएँ निष्पादित करना. इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: ◦ उन एप्लीकेशन प्रणालियों, जिनमें अग्रिमों को दर्ज किया गया, द्वारा जनरेट की गई अपवाद रिपोर्टों की जाँच पर विचार करना. ◦ दबाव की पहचान करने के लिए आरबीआई के बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में समूह और अन्य बैंकों द्वारा स्पेशल मेंशन खाता ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना. ◦ मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरण, आहरण क्षमता गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना. ◦ ऋण एवं जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना तथा समूह के साथ पूछताछ करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते अथवा किसी उत्पाद में दबाव के संकेत या चूक की घटना तो नहीं घटित हुई है. ◦ समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण में संपन्न आंतरिक लेखापरीक्षा और संगामी लेखापरीक्षा में उभरे प्रमुख प्रेक्षणों पर विचार करना. ◦ समूह के आरबीआई वित्तीय निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रेक्षणों पर समूह की अनुपालना और वर्ष के दौरान आरबीआई के साथ अन्य संप्रेषणों विचार करना. ◦ आरबीआई के मास्टर परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों की जाँच. ◦ उधारकर्ताओं से खाता शेषों की स्वतंत्र पुष्टि की प्राप्त करना. ◦ क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करना तथा अग्रिमों से संबंधित दस्तावेजों एवं अन्य अभिलेखों की जाँच करना. • पहचान किए गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने, दबावग्रस्त सेक्टरों और खाते की महत्ता जैसे कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तिथियों, अप्राप्त ब्याज के रिवर्सल, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानन की जाँच की. हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर एनपीए के लिए प्रावधान की पुन: गणना की और हमारे द्वारा मापे गए परिणामों की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिणामों से की.
2. निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधानन. निवेशों में समूह द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, म्यूचुअल फंडों, उद्यम पूँजी निधियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल होते हैं. आरबीआई के परिपत्र और निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, गैर-मान्यता प्राप्त आय और अनर्जक निवेशों के समक्ष प्रावधानन को शामिल किया गया है. उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफबीआईएल/	**निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया** भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों को पहचानना और निवेशों

एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/ सूचना एकत्र करना शामिल है.

हमने निवेशों के मूल्यांकन और एनपीआई की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा के मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि कुछ निवेशों (बॉण्डों, डिबेंचरों और वीसीएफ) के मूल्यों के निर्धारण में लागू विनियामक दिशानिर्देशों और समूह की नीतियों के आधार पर प्रबंधन का आकलन शामिल होता है, एचटीएम बही हेतु क्षतिग्रस्तता आकलन प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित होता है, विनियामक फोकस की गहनता होती है और समूह के वित्तीय परिणामों की समग्र महत्ता होती है.

(समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 7 के साथ पठित अनुसूची 10 देखें)

3. बहुसंख्य आईटी प्रणालियाँ:

बैंक, प्रतिदिन बहुसंख्य और सूचना प्रौद्योगिकी की अलग-अलग प्रणालियों ('आईटी') पर संसाधित किए जाने वाले लेनदेनों की उल्लेखनीय संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है. लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण इन आईटी प्रणालियों के इंटरफेस द्वारा उत्पन्न अनेक रिपोर्टों और उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों पर व्यापक रूप से निर्भर करता है.

वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंध रखने वाली प्रमुख आईटी प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएलएमएएस - लेनदेन संसाधन, कार्यप्रवाह और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली
- टीएएलएमएस - राजकोषीय परिचालन
- एम्पॉवर एचआरएमएस - मानव संसाधन और वेतन
- एफएएमएस - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा व्ययों का संसाधन
- रिपोर्ट तैयार करने अथवा उन्हें जनरेट करने में उपर्युक्त प्रणालियों में से एक अथवा एकाधिक प्रणालियों का इंटरफेस/ इंटरप्ले.

आईटी के सामान्य नियंत्रण और एप्लिकेशन नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि एप्लिकेशन और उसमें अंतर्निहित डेटा में परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएं. एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली संभावित धोखाधड़ियों अथवा त्रुटियों के जोखिम को कम करने में इन समुचित नियंत्रणों का योगदान रहता है.

धारक बैंक का प्रबंधन निरंतर अनेक सुधारात्मक गतिविधियों के प्रयास करता रहता है और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों पर आने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है.

इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं में निवारक और खोजी नियंत्रण का कार्यान्वयन शामिल रहता है.

इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में, हमने प्रौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिम को लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी लेखापरीक्षा की योजना बनाई, इसलिए इसे लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला माना गया है.

से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को समझना शामिल था. विशेष रूप से:

- मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, अनर्जक निवेशों पर आय का प्रत्यावर्तन और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा गया;
- इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया;
- प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः मूल्यांकन कर नमूना आधार पर सटीकता और आरबीआई के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया गया;
- आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुन:गणना के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की गई. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की पुनर्गणना की और यह देखा कि क्या आय का उपार्जन एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार है.

निष्पादित की गई मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया

- 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु विश्वसनीय आधार माने जाने वाले एप्लिकेशनों, ऑपरेटिंग सिस्टमों और डेटाबेसों तक पहुँच के अधिकारों सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों की सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा की गई.
- धारक बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता की तिथियों की पुनर्गणना की गई;
- चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेशन, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया;
- चयन के आधार पर सीएलएमएएस, टीएएलएमएस, एम्पावर और अनेक वर्कफ़्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएएस के इंटरफेस की जाँच की गई;
- लेखांकन प्रणाली में गलत सिस्टम प्रविष्टियां दर्ज होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त स्पष्टीकरण और चित्रण प्राप्त करने के लिए 'मूल कारण विश्लेषण' तथा ऐसी प्रविष्टियों के संबंध में पर्याप्त जाँच और संतुलन के अभाव के बारे में विस्तृत जाँच-पड़ताल की गई.
- मूल वित्तीय रिपोर्टिंग के मामलों के लिए प्रणालीजनित रिपोर्टों और लेखांकन प्रविष्टियों की हाथ से जाँच की गई (यानी कंप्यूटर सिस्टम का सत्यापन), ताकि लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गलत प्रविष्टियों को सही किया जा सके.
- गलत सिस्टम प्रविष्टियों की संभावना से बचने, अधिक उपयोगी प्रणालीजनित रिपोर्टें प्राप्त करने तथा सिस्टम में अधिक सुविधाएँ/क्षेत्र शामिल करने के लिए, प्रबंधन ऐसे नए मॉड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें सीएलएमएएस/ सीबीएस में एकीकृत किया जा सके.

4. समेकित वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और धारक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन शामिल रहते हैं. उसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (अन्य सूचना) शामिल नहीं होती है.

अन्य सूचना, हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उस पर हमने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन/ निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व यह है कि जब हमें अन्य सूचना उपलब्ध होती है तो हम उस सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना समेकित किए गए वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती. जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' की अपेक्षा के अनुसार इस विषय को अभिशासन के प्रभारियों को संप्रेषित करें.

5. समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन का कार्यभार संभालने वालों के दायित्व

धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 और आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार और प्रस्तुत करें जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों. इन दायित्वों में समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उनका कार्यान्वयन तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, इन दायित्वों में लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन तथा रखरखाव करना शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हैं. ये वित्तीय विवरण ऐसे होने चाहिए जो वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों और किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हों - फिर चाहे वह दुष्प्रस्तुति त्रुटिवश हो, या किसी धोखाधड़ी के कारण.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मण्डल निरंतर चलने वाली संस्थाओं के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू मदों का प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा समूह को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर 'निरंतर चलने वाली संस्था' के आधार का प्रयोग करके लेखांकन करने के लिए जिम्मेदार हैं.

धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मण्डल उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं.

6. समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना कि समेकित किए गए वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो. तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखामानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी. दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन समेकित विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों. इस रिपोर्ट के अनुबंध 1 में लेखा मानकों के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विवरण दिया गया है.

7. अन्य मदें

1. बैंक के 32 (बत्तीस) क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें प्रधान कार्यालय, 3 (तीन) प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं. बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रणाली क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए केंद्रीकृत है. कुल क्षेत्रीय कार्यालयों में से, हमने प्रधान कार्यालय सहित 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया है, जो 31 मार्च 2025 तक अग्रिमों का 35%, पीएसएल जमा का 100%, उधार का 100% और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 20%, पीएसएल जमा पर ब्याज व्यय का 100% और उधार पर ब्याज व्यय का 100% कवर करता है. इन क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंक के प्रबंधन के परामर्श से चुना गया है. लेखापरीक्षा के संचालन में हमने बैंक के शेष क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है.
2. हमने चार सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार ₹456.74 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹401.20 करोड़ की निवल आस्तियाँ, ₹289.74 करोड़ का कुल राजस्व और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹4.85 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह दर्शाती हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर-समूह लेनदेनों को समाप्त करने के लिए प्रभावी होने से पहले माना गया था. इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक सस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

3. हमने तीन सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियाँ ₹9273.55 करोड़ और निवल आस्तियाँ ₹1560.58 करोड़, कुल राजस्व ₹1168.31 करोड़ और कुल निवल नकदी प्रवाह ₹42.00 करोड़ दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर-समूह लेनदेनों को समाप्त करने के लिए प्रभावी होने से पहले माना गया था. ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के तहत तैयार की गई थी और समेकन के उद्देश्य से, धारक बैंक प्रबंधन ने भारतीय जीएएपी के तहत अलग वित्तीय विवरण तैयार किए हैं और वे अलेखापरीक्षित नहीं हैं. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक इन सहायक संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, केवल प्रबंधन द्वारा प्रमाणित ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है. हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचनाएँ समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.
4. 1 अप्रैल 2024 का प्रारंभिक शेष, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया गया है, जिसका लेखा-जोखा पूर्ववर्ती स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने 24 मई 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी उपर्युक्त राय और अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी निम्नलिखित रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है.

8. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि धारक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 21 - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार तैयार किए गए हैं.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे.

ख) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता-बहियाँ बैंक द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है.

ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता, समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से मेंटेन की गई प्रासंगिक लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं.

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या: 121750W/W100010

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या : 102306
यूडीआईएन :25102306BMHKOD4595

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

("समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व" शीर्षक पैरा 6 में संदर्भित)

लेखा मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं. साथ ही:

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और ऐसा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हो. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना की गई हो सकती है.
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं. ऐसा विद्यमान परिस्थितियों के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए.
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं.
- हम प्रबंधन द्वारा लेखांकन के निरंतर चल रही संस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष व्यक्त करते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो. अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत को आशोधित करें. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं. तथापि भविष्यगत घटनाएँ या परिस्थितियाँ बैंक के निरंतर चलने वाली संस्था नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं.
- हम प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो.
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें. हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल धारक बैंक की वित्तीय जानकारी के लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार बने रहते हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बने रहते हैं. इस संबंध में हमारी ज़िम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामलों' के तहत आगे वर्णित किया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों में दुष्प्रस्तुतियों की गंभीरता वह मात्रा है जो एकल रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम निम्नलिखित मामलों में मात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई दुष्प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता और हमारी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहाँ प्रयोजनीय हो वहाँ संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों में से ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि में समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों. हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब अत्यधिक विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित में संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	*निधियाँ और देयताएँ*	*अनुसूची*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	(i) पूँजी		17,080.00	17,080.00
	(नाबार्ड अधिनियम,1981 की धारा 4 के अंतर्गत)			
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	1	64,390.38	56,589.90
3	माइनॉरिटी इंटरेस्ट	1अ	339.92	307.70
4	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	2	16,110.00	16,106.00
5	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	3	6,615.72	6,691.17
6	सरकारी योजनाएँ	4	723.61	1,506.36
7	जमाराशियाँ	5	2,75,991.45	3,01,958.08
8	बॉण्ड और डिबेंचर	6	3,27,366.25	2,86,150.10
9	उधार	7	2,51,434.55	2,01,238.41
10	चालू देयताएँ और प्रावधान	8	26,467.31	24,779.51
	कुल		**9,86,519.19**	**9,12,407.23**
	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*संपत्ति और आस्तियाँ*	*अनुसूची*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	नकद और बैंक शेष	9	46,026.32	37,839.75
2	निवेश	10	91,452.51	69,487.97
3	अग्रिम	11	8,40,446.45	7,96,339.15
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)	12	577.72	564.51
5	अन्य आस्तियाँ	13	8,016.19	8,175.85
	कुल		**9,86,519.19**	**9,12,407.23**
	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49
	प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएँ	17		
	समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W/W100010

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306

विनोद चंद्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
गोवर्धन सिंह रावत

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*आय*	*अनुसूची*	*2024-25*	*2023-24*
1	ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		51,232.52	43,927.10
2	निवेश परिचालनों/ जमाराशियों से आय			
(क)	निवेशों पर ब्याज		4,834.48	3,697.66
(ख)	निवेशों पर लाभांश		28.16	45.22
(ग)	निवेशों पर छूट		1,332.67	749.16
(घ)	निवेशों की बिक्री और पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ हानि		1,489.57	871.53
3	अन्य प्राप्तियाँ		374.34	324.74
	कुल (अ)		**59,291.74**	**49,615.41**

क्रम सं.	*व्यय*	*अनुसूची*	*2024-25*	*2023-24*
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची-18 का नोट आ-4 देखें)	14	44,890.91	36,940.39
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 अ	3,374.84	3,720.08
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 आ	139.69	136.02
4	प्रावधान	16	387.09	333.30
5	मूल्यह्रास और परिशोधन		62.70	52.69
	कुल (आ)		**48,855.23**	**41,182.48**
6	**कर पूर्व लाभ (अ-आ)**		**10,436.51**	**8,432.93**
7	निम्नलिखित के लिए प्रावधान			
	क) आय कर		2,535.19	2,082.24
	ख) आस्थगित कर		59.74	(20.55)
	(अनुसूची-18 का नोट आ-6 देखें)			
8	**कर पश्चात् लाभ**		**7,841.58**	**6,371.24**
9	माइनॉरिटी इंटरेस्ट		38.83	67.72
	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		**7,802.75**	**6,303.52**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

नोट: अन्य प्राप्तियों में स्टाफ ऋणों पर प्राप्त ब्याज, किराए से आय और अन्य विविध आय शामिल हैं.

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विनियोजन/आहरण*	*2024-25*	*2023-24*
1	**वर्ष का लाभ - नीचे लाया गया**	7,802.75	6,303.52
2	जोड़ें: लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण (अनुसूची 1 देखें)	243.50	178.32
3	**विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ**	8,046.25	6,481.84
	घटाएँ: निम्नलिखित में अंतरित (अनुसूची 1 और 2 देखें)		
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	850.00	700.00
ख)	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IC के अंतर्गत प्रारक्षित निधि	38.43	-
ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
घ)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
ङ)	सहकारिता विकास निधि	154.55	33.29
च)	अनुसंधान और विकास निधि	98.61	42.30
छ)	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
ज)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
झ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	34.29	28.27
ञ)	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
ट)	जलवायु परिवर्तन निधि	-	0.39
ठ)	उत्प्रेरक निधि	2.52	2.94
ड)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	3.94	0.59
ढ)	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	1,000.00	-
ण)	नाबार्ड कार्बन निधि	300.00	-
त)	क्षेग्रा बैंक विकास निधि	100.00	-
थ)	प्रारक्षित निधि	5,400.75	5,601.52
	कुल	8,046.25	6,481.84

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W/W100010

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306

विनोद चंद्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
गोवर्धन सिंह रावत

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ

समेकित अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन*	*लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित*	*लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित*	*31.03.2025 को इति शेष*
1	प्रारक्षित निधि*	40,414.07	(54.33)	5,455.15	39.04	45,775.85
2	अनुसंधान और विकास निधि	54.87	(0.34)	98.61	48.00	105.14
3	प्रारक्षित पूँजी	74.81	-	-	-	74.81
4	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IC के अंतर्गत प्रारक्षित निधि	177.70	-	38.43	-	216.13
5	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1,885.70	-	-	-	1,885.70
6	सहकारिता विकास निधि	200.00	-	154.55	54.55	300.00
7	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	13,150.00	-	850.00	-	14,000.00
8	उत्पादक संगठन विकास निधि – नाबार्ड	300.00	-	0.29	0.29	300.00
9	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	-	3.18	3.18	50.00
10	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	-	34.29	34.29	60.00
11	ग्राम्य विकास निधि	110.00	-	57.69	57.69	110.00
12	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	-	-	-	20.00
13	उत्प्रेरक निधि	20.00	-	2.52	2.52	20.00
14	विकास कॉर्पस निधि	5.00	-	-	-	5.00
15	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	17.75	-	-	-	17.75
16	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	50.00	-	3.94	3.94	50.00
17	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	-	-	1,000.00	-	1,000.00
18	नाबार्ड कार्बन निधि	-	-	300.00	-	300.00
19	क्षेग्रा बैंक विकास निधि	-	-	100.00	-	100.00
	कुल	**56,589.90**	**(54.67)**	**8,098.65**	**243.50**	**64,390.38**
	गत वर्ष	**50,288.37**	**(58.51)**	**6,538.37**	**178.33**	**56,589.90**

** नोट:* 'प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों' के लिए नाबार्ड अतिरिक्त (सामान्य) विनियम, 1984 में निर्धारित प्रारूप में लाभ और हानि खाता को एक उप-मद के रूप में रखा गया है. चूँकि बैंक में प्रारक्षित निधि में सभी प्रकार के विनियोजन के बाद शेष राशि को लाभ और हानि खाते में अंतरित करने की प्रथा है, इसलिए लाभ और हानि खाते में कोई राशि शेष नहीं रहती जिसके कारण ऊपर उसका अलग से प्रकटन नहीं किया गया है.

समेकित अनुसूची 1अ - माइनॉरिटी इंटरेस्ट

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन*	*वर्ष के दौरान समायोजन*	*31.03.2025 को इति शेष*
1	शेयर पूंजी	91.66	-	-	91.66
2	प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष	216.04	32.22	-	248.26
	कुल	307.70	32.22	-	339.92
	गत वर्ष	247.21	60.49	-	307.70

समेकित अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष*	*भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान*	*लाभ-हानि विनियोजन से अंतरण*	*31.03.2025 को इति शेष*
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,503.00	1.00	1.00	14,505.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,603.00	1.00	1.00	1,605.00
	कुल	**16,106.00**	**2.00**	**2.00**	**16,110.00**
	गत वर्ष	**16,102.00**	**2.00**	**2.00**	**16,106.00**

समेकित अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01-04-2024 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान प्राप्त/ समायोजित अनुदान*	*जमा ब्याज**	*वर्ष के दौरान व्यय/संवितरण/ समायोजन*	*31-03-2025 को इति शेष*
अ.	**अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान**					
1	केएफडब्ल्यू एनबी यूपीएनआरएम-वित्तीय अंशदान	0.15	-	-	0.15	-
2	जीआईज़ेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0.03	-	-	-	0.03
3	जलवायु परिवर्तन - (एएफ़बी) - परियोजना तैयारी अनुदान	21.85	-	0.66	-	22.51
4	जीआईज़ेड मृदा परियोजना	1.41	-	-	1.41	-
5	केएफ़डब्ल्यू मृदा परियोजना	1.46	9.76	-	11.22	-
6	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	20.32	1.42	0.60	1.99	20.35
आ.	**अन्य निधियाँ**					
1	वाटरशेड विकास निधि	1,412.94	1.87	41.65	101.64	1,354.82
2	विभेदक ब्याज निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	223.43	-	-	-	223.43
3	विभेदक ब्याज निधि -टीएडब्ल्यूए	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजाति विकास निधि	1,173.23	2.90	34.14	123.68	1,086.59
6	वित्तीय समावेशन निधि *(i)	3,152.34	249.16	92.75	302.47	3,191.78
7	पीओडीएफ़-आईडी	259.98	-	7.40	43.73	223.65
8	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	67.78	0.82	-	-	68.60
9	आरपीएफ़ और आरआईएफ़ -कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	22.89	0.40	-	2.46	20.83
10	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन कोऑपरेटिव्ज (सी-पेक)	3.50	-	0.27	-	3.77
11	एलटीआईएफ - ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	188.73	17.39	5.66	-	211.78
12	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	3.25	-	0.17	-	3.42
13	सोशल स्टॉक एक्स्चेंज के लिए क्षमता निर्माण निधि	9.40	0.50	-	0.53	9.37
14	जलवायु परिवर्तन निधि -आईडी *(ii)	122.61	61.78	3.66	19.13	168.92
	कुल	**6,691.17**	**346.00**	**186.96**	**608.41**	**6,615.72**
	गत वर्ष	**6,711.28**	**569.42**	**188.68**	**778.21**	**6,691.17**

* अनुसूची 18 का नोट आ-1 देखें

*(i) उक्त निधि में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावधान शामिल है - ₹62.19 करोड़

*(ii) उक्त निधि में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावधान शामिल है - ₹15.55 करोड़

समेकित अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2024 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन*	*जमा ब्याज**	*निधि से व्यय/ संवितरण*	*31.03.2025 को इति शेष*
अ	**सरकार की सब्सिडी योजनाएँ**					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी – एनएचबी	0.89	-	-	-	0.89
2	शीतगृह के लिए पूंजी सब्सिडी - टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0.90	0.11	-	-	1.01
4	फसल उत्पादन हेतु ऑनफार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.04	-	0.00*	-	0.04
7	पशुधन विकास कार्यक्रम – बिहार	0.10	-	0.01	-	0.11
8	राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना	1.80	-	-	-	1.80
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	2.83	-	-	-	2.83
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	0.15	0.01	-	0.08	0.08
12	आईएसएएम- कृषि विपणन आधारभूत संरचना	451.47	171.81	-	611.69	11.59
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन - पीवीसीएफ़ ईडीईजी	81.57	0.25	-	81.52	0.30
14	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केंद्र सरकार प्रायोजित योजना	0.08	-	-	-	0.08
15	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	0.09		0.01	-	0.10
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बीएआईएफ़ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश	0.02	-	0.00*	-	0.02
17	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	11.64	1.70	-	12.09	1.25
18	सौर मिशन के लिए सीएसएस	0.03	0.00*	-	0.03	0.00*
19	सीएसएस - जेएनएनएसएम सोलर लाइटिंग खाता	2.76	-	-	2.76	-
20	सीएसएस - सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग	0.03	-	-	0.03	-
21	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	4.62	7.80	-	12.32	0.10
22	सीएसएस एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016 खाता	0.11	1.04	-	-	1.15
23	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण	4.62	-	-	-	4.62
24	एफ़पीओ के निर्माण एवं संवर्धन पर सीएसएस	0.67	0.25	-	0.92	-
आ	**अन्य सरकारी योजनाएँ**					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	283.71	0.23	-	-	283.94

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2024 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन*	*जमा ब्याज**	*निधि से व्यय/ संवितरण*	*31.03.2025 को इति शेष*
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	6.23	-	-	5.02	1.21
3	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	5.19	600.64	0.88	606.53	0.18
4	एएमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0.01	-	-	0.01	0.00*
5	कच्छ सूखा रोध परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
6	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए पैकेज	20.00	-	-	-	20.00
7	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनःसंरचना	4.11	-	-	0.02	4.09
8	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडब्ल्यूआर)	493.62	12,164.01	-	12,433.53	224.10
9	अरुणाचल कृषि स्टार्ट अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
10	केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना- पैक्स का कंप्यूटरीकरण	44.93	44.06	1.12	72.63	17.48
11	एग्रीश्योर – भारत सरकार		62.50	-	-	62.50
	कुल	**1,506.36**	**13,054.41**	**2.02**	**13,839.18**	**723.61**
	गत वर्ष	**1,106.99**	**11,269.63**	**5.78**	**10,876.04**	**1,506.36**

अनुसूची 18 का आ - 1 देखें

* ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 5 - जमाराशियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकारें	-	-
3	अन्य	-	
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	40.23	52.81
	ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	1,94,482.88	1,86,684.79
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	32,079.11	50,517.76
	घ) अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	7,023.74	15,157.91
	ङ) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	2,870.00	3,890.00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	38,945.49	45,174.81
	छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि	550.00	480.00
	कुल	2,75,991.45	3,01,958.08

समेकित अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	कर मुक्त बॉण्ड	5,000.00	5,000.00
2	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड	1,86,736.30	1,49,580.15
3	पीएमएवाई-जी भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	48,809.60
4	बॉण्ड - एलटीआईएफ	38,160.25	38,160.25
5	एलटीआईएफ - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	19,506.80	19,506.80
6	एसबीएम-जी- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	12,298.20
7	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़) बॉन्ड	1,754.60	1,754.60
8	सोशल बॉण्ड	1,040.50	1,040.50
9	इन्फ्रा बॉण्ड	14,060.00	10,000.00
	कुल	3,27,366.25	2,86,150.10

समेकित अनुसूची 7 – उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	केंद्र सरकार	-	-
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	-	-
3	**अन्य**:		
	(अ) भारत में		
	(i) जमा प्रमाणपत्र	37,939.26	23,629.90
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	57,386.19	52,112.64
	(iii) सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो	51,707.99	28,270.07
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	10.36	2,508.21
	(v) बैंकों से मीयादी ऋण	1,03,869.94	94,163.26
	(vi) जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ	518.00	551.52
	कुल	2,51,434.55	2,01,238.41

समेकित अनुसूची 8 - चालू देयताएँ और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउंट	12,201.02	10,186.88
2	विविध लेनदार	3,329.30	3,417.76
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएएमआई)	7.38	28.50
4	सब्सिडी प्रारक्षित निधि	22.32	-
5	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	23.78	12.17
6	पेंशन के लिए प्रावधान	434.85	126.64
7	साधारण छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	396.92	381.90
8	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	192.17	170.21
9	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	667.17	318.17
	(अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21 देखें)		
10	बॉण्डों पर ब्याज - जिनका दावा नहीं किया गया	4.36	2.99
11	परिपक्व बॉण्ड - जिनका दावा नहीं किया गया	9.83	13.15
12	बॉण्ड प्रीमियम	80.97	50.12
13	प्रतिबद्धता प्रभार - अंतरराष्ट्रीय उधार	0.24	-
14	प्रावधान और आकस्मिकताएँ		
	क) निवेश के मूल्य में ह्रास		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां		
	(iक) केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	1,033.42
	(iख) राजकोष बिल	-	-
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) इक्विटी शेयर	-	-
	(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	12.04	19.46
	(v) सहायक संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम	-	-
	(vi) अन्य	9.63	-
	ख) परिपक्वता तक रखी गई प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	6.28	147.16
	ग) मानक आस्तियों हेतु	3,572.61	3,330.41
	घ) अनर्जक निवेश	300.59	358.54
	ड) काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रोविज़न	2,014.45	2,014.45
	च) अन्य आस्तियों और प्राप्तियों हेतु प्रावधान	125.40	57.01
	छ) आयकर हेतु प्रावधान [अग्रिम कर को घटाकर]	2,922.99	3,001.56
15	अन्य देयताएँ	133.01	109.01
	कुल	**26,467.31**	**24,779.51**

नोट: अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान को अनुसूची-11 में दर्शाए गए अग्रिमों के समक्ष समायोजित किया गया है.

समेकित अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	हाथ में रोकड़	0.00*	0.00*
2	निम्नलिखित के पास शेष:		
	(अ) भारत में बैंकों में		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	6,568.72	3,561.58
	(ii) अन्य बैंक		
	क) चालू खाते में	4,547.80	3,834.52
	ख) बैंकों में जमा	33,910.50#	22,988.33
	(आ) भारत से बाहर स्थित बैंक	-	-
3	त्रिपक्षीय रेपो - ऋण वितरण	999.30	7,455.32
	कुल	**46,026.32**	**37,839.75**

नोट: # इसमें 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार बैंकों में ₹3,650.00 करोड़ की अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह या उससे कम की परिपक्वता वाली) शामिल हैं (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹1,300.00 करोड़)

* ₹50,000 से कम की राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 10 - निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	**सरकारी प्रतिभूतियाँ**		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	53,061.47	34,498.94
	[अंकित मूल्य ₹5,21,78,15,80,000 (₹3,29,78,86,70,000)]		
	ख) ट्रेज़री बिल	11,297.96	18,806.69
	[अंकित मूल्य ₹1,14,99,23,50,000 (₹1,96,58,33,80,000)]		
2	**अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ**	5.40	5.40
3	**निम्नलिखित में इक्विटी शेयर:**		
(क)	कृषि वित्त निगम लि.	1.00	1.00
	[1,000 (1,000) - प्रत्येक ₹10,000 के इक्विटी शेयर]		
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	966.28	966.27
	[5,31,92,203 (5,31,92,203) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कं. लि..	60.00	60.00
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्स्चेज ऑफ इंडिया लि.	0.30	0.30
	[3,77,758 (3,77,758) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ङ)	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड	16.88	16.87
	[56,25,000 (56,25,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(च)	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इक्विटी	9.75	9.75
	[55,000 (55,000) प्रत्येक ₹1000 के शेयर]		
(छ)	भारतीय कृषि कौशल परिषद	0.00*	0.00*
	[4,000 (4000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
(ज)	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड [इक्विटी]	1.50	1.50
	[15,00,000 (15,00,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(झ)	नेशनल ई-रिपोजिटरी लि.	10.53	10.53
	[1,05,30,000 (1,05,30,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ञ)	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क	40.00	40.00
	[40,00,000 (40,00,000) प्रत्येक ₹100 के शेयर]		
(ट)	ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड	56.76	-
	[2,87,329 (निल) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ठ)	24x7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	3.84	-
	[23,333 (निल) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ड)	अन्य इक्विटी निवेश	20.02	20.02
4	**डिबेंचर और बॉण्ड**		
(क)	रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर	65.19	134.06
	(अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)		
(ख)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	852.99	858.37
5	**अन्य**		
(क)	म्यूचुअल फंड	6,604.32	5,293.40
(ख)	वाणिज्यिक पत्र	1,453.08	185.04
	[अंकित मूल्य ₹15,00,00,00,000 (₹200,00,00,000)]		
(ग)	जमाराशि प्रमाण-पत्र	16,100.04	7,900.10
	[अंकित मूल्य ₹1,64,50,00,00,000.00 (₹79,70,00,00,000)]		
(घ)	उद्यम पूंजी निधि/ एआईएफ़	575.61	439.07
(ङ)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश	10.94	39.26
(च)	आधारभूत संरचना निवेश न्यास (InvITs)	2.00	-
(छ)	प्रतिभूतिकरण में निवेश – पीटीसी	236.65	201.40
	कुल	**91,452.51**	**69,487.97**

* ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 11 - अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	**पुनर्वित्त ऋण**		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,69,224.53	1,58,705.71
(ख)	**अन्य निवेश ऋण**		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	2,52,632.27	2,68,113.97
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	27,767.64	20,504.10
2	**प्रत्यक्ष ऋण**		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	1,84,724.16	1,70,006.64
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	2,581.85	3,385.86
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	1,687.32	1,566.71
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	40,879.33	32,403.74
(ङ)	उत्पादक संगठनों के अंतर्गत ऋण	0.14	0.52
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा [सीएफ़एफ़]	41,676.56	20,583.03
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	386.48	431.38
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	51,803.83	53,617.32
(झ)	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	48,819.03	48,819.03
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	1,366.80	1,508.16
(ठ)	जीसीएफ़ के अंतर्गत ऋण	517.99	551.52
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	2,871.83	3,036.89
(ढ)	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि	1,141.38	801.49
(ण)	ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता योजना (आरआईएएस)	65.16	
(त)	**अन्य ऋण:**		
(i)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	1.66	3.69
(il)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत ऋण	-	0.73
(iii)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.29	0.46
	कुल	**8,40,446.45**	**7,96,339.15**

नोट: ₹2,241.61 करोड़ की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिम (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹2,101.94 करोड़)

समेकित अनुसूची 12 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	**भूमि: स्वामित्व वाली और पट्टाकृत**		
	(अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-8 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	201.23	201.23
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	-	-
	उप-जोड़	201.23	201.23
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	201.23	201.23
	घटाएँ: लीज प्रीमिया का परिशोधन	67.15	65.69
	बही मूल्य	134.08	135.54
2	**परिसर**		
	(अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-8 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	663.08	656.11
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	9.26	6.97
	उप-जोड़	672.34	663.08
	घटाएँ: बेची/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	672.34	663.08
	घटाएँ: अब तक मूल्यह्रास	375.27	351.38
	बही मूल्य	297.07	311.70
3	**फर्नीचर और फिक्सचर्स**		
	प्रारंभिक शेष	73.37	71.66
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	2.55	1.90
	उप-जोड़	75.92	73.56
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0.19	0.19
	इति शेष (लागत पर)	75.73	73.37
	घटाएँ: अब तक मूल्यह्रास	68.30	65.15
	बही मूल्य	7.43	8.22
4	**कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण**		
	प्रारंभिक शेष	272.63	236.69
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	40.63	38.44
	उप-जोड़	313.26	275.13
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	7.62	2.50
	इति शेष (लागत पर)	305.64	272.63
	घटाएँ: अब तक मूल्यह्रास	251.63	229.44
	बही मूल्य	54.01	43.19
5	**वाहन**		
	प्रारंभिक शेष	14.92	13.35
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	6.98	6.09
	उप-जोड़	21.90	19.44
	घटाएँ: बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	5.86	4.52
	इति शेष (लागत पर)	16.04	14.92
	घटाएँ: अब तक मूल्यह्रास	6.03	5.99
	बही मूल्य	10.01	8.93

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
6	जारी पूंजीगत कार्य [जिसमें परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर तथा सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन शामिल है]	75.12	56.93
	कुल	**577.72**	**564.51**

नोट: अब तक के मूल्यह्रास में प्रारंभिक मूल्यह्रास, परिवर्धन एवं बिक्री पर मूल्यह्रास तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष का मूल्यह्रास शामिल है

समेकित अनुसूची 13 - अन्य आस्तियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	उपचित ब्याज	5,976.67	5,529.01
2	भूस्वामियों के पास जमाराशि	3.75	3.15
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	54.24	54.16
4	स्टाफ को आवास ऋण	188.47	142.55
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	98.10	96.62
6	विविध अग्रिम	250.56	235.74
7	आस्थगित कर आस्तियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-6 देखें)	148.66	208.40
8	भारत सरकार / अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य राशियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ – 2 और आ – 4 देखें)	1,193.46	1,486.25
9	प्राप्य डिस्काउंट	-	294.78
10	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	94.98	121.42
11	अन्य आस्तियां - इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी)	7.30	3.77
	कुल	**8,016.19**	**8,175.85**

समेकित अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
1	**निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज**		
क)	आरआईडीएफ़ के अंतर्गत जमाराशियाँ	6,752.89	6,042.03
ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	1,975.77	2,169.93
ग)	अल्पावधि क्षेत्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	574.67	653.48
घ)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	105.27	121.11
ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1,599.15	1,440.00
च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	19.69	15.55
छ)	चाय/ कॉफी/ रबड़ जमाराशियाँ	2.35	2.82
ज)	मीयादी मुद्रा उधार	39.73	112.97
झ)	बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-4 और आ-12 देखें)	21,322.39	16,367.23
ञ)	बैंकों से मियादी ऋण	6,168.07	5,290.32
ट)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	6.20	16.28
ठ)	अल्पावधि जमाराशियों पर उधार	(0.00)*	3.18
ड)	वाणिज्यिक पत्र पर डिस्काउंट	2,506.68	2,182.71
ढ)	जमा प्रमाण-पत्र पर डिस्काउंट	2,020.56	1,620.20
ण)	रेपो ब्याज व्यय	10.58	14.50
त)	निधियों पर ब्याज	186.82	187.09
थ)	एसएलएफ़ के अंतर्गत आरबीआई से उधार	-	-
द)	प्रतिबद्धता शुल्क - अंतर्राष्ट्रीय उधार	0.24	-
2	सीबीएलओ/ त्रि-पक्षीय रेपो पर डिस्काउंट	1,505.68	606.16
3	बॉण्डों और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, कमीशन और निर्गम व्यय	76.21	70.71
4	स्वैप प्रभार	17.96	24.12
	कुल	**44,890.91**	**36,940.39**

* ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21 देखें)	1,431.89	1,505.87
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	836.10	1,309.09
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	310.37	227.03
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते	0.42	0.35
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	1.04	1.03
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	54.58	49.15
7	यात्रा व्यय	82.46	71.39
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	9.22	8.53
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	32.93	25.01
10	मरम्मत	21.47	19.32
11	लेखापरीक्षकों की फीस	0.56	0.44
12	विधिक प्रभार	5.41	4.19
13	विविध व्यय	460.46	384.16
14	विविध आस्तियों पर व्यय	12.93	9.20
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	115.00	105.32
	कुल	3,374.84	3,720.08

समेकित अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
1	सहकारिता विकास निधि	54.55	33.29
2	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.17	3.09
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	21.37	28.27
5	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	-	0.39
6	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
7	उत्प्रेरक पूँजी निधि	2.52	2.94
8	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	0.10	0.59
	कुल	139.69	136.02

समेकित अनुसूची 16 - प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
	निम्नलिखित के लिए प्रावधान:		
1	मानक आस्तियाँ	241.98	378.38
2	अनर्जक आस्तियाँ	153.61	(59.86)
3	निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी	(8.50)	14.78
	कुल	**387.09**	**333.30**

समेकित अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2025 को*	*31.03.2024 को*
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएँ (अग्रिम को घटाकर)	68.12	11.85
	उप जोड़ ''अ''	68.12	11.85
2	आकस्मिक देयताएँ		
(i)	बैंक गारंटी	21.94	32.35
(ii)	बैंक के समक्ष दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकारा नहीं गया है	6.00	-
(iii)	लंबित विधिक मामले (आयकर अपीलों सहित)	415.19	371.38
	उप जोड़ ''आ''	443.13	403.73
	कुल (अ + आ)	**511.25**	**415.58**

अनुसूची 18

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ जो दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के समेकित लेखों का भाग हैं

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखे तैयार करने का आधार:

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (धारक बैंक/ नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियाँ पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं.

2. समेकन का आधार:

समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार किए गए हैं.

शेयरों के अधिग्रहण के समय बैंक की निवल आस्तियों के भाग के समक्ष, बैंक के निवेश की लागत से आधिक्य/ कमी को प्रारक्षित निधियों और अधिशेष में दर्शाया गया है.

इन समेकित वित्तीय विवरणों में नाबार्ड ("धारक बैंक" या "नाबार्ड") और उसकी सहायक संस्थाओं के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण शामिल हैं जो "समूह" के रूप में संदर्भित हैं. समान लेनदेनों तथा एक समान परिस्थितियों के लिए एक समेकित वित्तीय विवरण समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर तैयार किए गए हैं तथा किन्हीं विचलनों, यदि कोई हों, के लिए जहाँ तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है तथा उन्हें उसी तरह प्रस्तुत किया गया है जिस तरह बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है. सहायक संस्थाओं से संबंधित आँकड़ों की प्रस्तुति को बैंक के मूल वित्तीय विवरणों के अनुसार सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार पुन:समूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है. समेकन में सहायक संस्थाओं के जिन वित्तीय विवरणों का उपयोग किया गया है वे उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए गए हैं जिस तिथि तक बैंक के विवरण तैयार किए गए हैं.

लेखांकन मानक - 21 'समेकित वित्तीय विवरण' के पैरा 6 की व्याख्या इस प्रकार है:

"मूल उद्यम और उसकी सहायक संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाने वाले सभी नोटों को समेकित वित्तीय विवरणों के नोटों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक सामग्री, जो उनका एक अभिन्न अंग हैं, के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाए:

क) समेकित वित्तीय विवरणों की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक टिप्पणियों को समेकित वित्तीय विवरणों में उनके अभिन्न भाग के रूप में शामिल किया जाए.

ख) केवल उन्हीं टिप्पणियों का प्रकटन किया जाए जिनमें ऐसी मदें शामिल हैं जो महत्वपूर्ण हैं. इस उद्देश्य के लिए महत्ता का आकलन समेकित वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के संदर्भ में किया जाता है. इसे देखते हुए, यह संभव है कि कुछ ऐसी टिप्पणियाँ हों, जो मूल संस्था या सहायक संस्था के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई हों, किंतु समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में महत्ता का आकलन किए जाने पर उन सूचनाओं को समेकित वित्तीय विवरणों में दिए जाने की आवश्यकता न हो.

ग) सहायक संस्थाओं तथा/ अथवा मूल संस्था से संबंधित अतिरिक्त सांविधिक सूचनाएँ, जो उनके अलग वित्तीय विवरणों में दी गई हों परंतु जिससे समेकित वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष स्थिति पर कोई असर न पड़ता है, को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना आवश्यक नहीं है."

वित्तीय विवरणों का समेकन एएस - 21 'समेकित वित्तीय विवरण' में उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति जोड़ा गया है जिसमें अंत:समूह शेषों और अंत:समूह लेनदेनों को पूरी तरह से हटाने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को जोड़ दिया गया है. अंत:समूह लेनदेनों के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभों अथवा हानियों को हटा दिया गया है तथा अंत:समूह लेनदेनों के परिणामस्वरूप हुई अप्राप्त हानियों को भी हटा दिया गया है, जब तक कि लागत न वसूल की जा सके.

समेकित सहायक संस्थाओं के निवल लाभ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से की पहचान की गई है और शेयरधारकों से संबंधित निवल आय की गणना करने के लिए कर-पश्चात् लाभ के समक्ष इसे समायेजित किया गया है. समेकित सहायक संस्थाओं की हानियों में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा, यदि इक्विटी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से से अधिक होता है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट से संबंधित आधिक्य की राशि और आगे हुई हानियों को समूह के इंटरेस्ट के समक्ष समायोजित किया गया है.

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा समेकित तुलन-पत्र में कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया गया है.

3. बैंक के खातों के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहायक संस्थाएँ शामिल हैं:

सहायक संस्था का नाम	*फ्रेमवर्क*	*समेकन हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण*	*निगमन का देश*	*स्वामित्व का अनुपात (%)*	
				2023-24	*2022-23*
नैबकिसान फाइनेंस लि. (नैबकिसान)	आईएनडी एएस	नहीं*	भारत	87.77	87.77
नैबसमृद्धि फाइनेंस लि. (नैबसमृद्धि)	आईएनडी एएस	नहीं*	भारत	91.09	91.09
नैबफिन्स लिमिटेड (नैबफिन्स)	आईएनडी एएस	नहीं*	भारत	63.10	63.10
नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्रा.लि. (नैबकॉन्स)	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
नैबवेंचर्स लि. (नैबवेंचर्स)	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
नैबफ़ाउंडेशन	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नैबसंरक्षण)	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100

* आईएनडी एएस के तहत तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण संबंधित सहायक संस्थाओं के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है. तथापि, वित्तीय विवरणों के समेकन के उद्देश्य से आईएनडी एएस नाबार्ड पर लागू नहीं होता है. इसलिए हमने आईजीएएपी वित्तीय विवरणों पर विचार किया है जो संबंधित सहायक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं और लेखापरीक्षित नहीं है.

नाबार्ड, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड (एआईसीआईएल) के 30% शेयर धारित करता है. एएस 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्ध इकाइयों में निवेशों के लिए लेखांकन' के अनुसार, यदि निवेशक, निवेशिती में 20% अथवा उससे अधिक की वोटिंग शक्ति रखता है, तो वहाँ सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स माना जाता है. तथापि, नाबार्ड का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल में एक 'गैर-कार्यपालक निदेशक' के रूप में है. अतः नाबार्ड एआईसीआईएल पर सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स का प्रयोग नहीं करता है जिसके परिणामस्वरूप एआईसीआईएल के वित्तीय विवरण समेकित नहीं किए गए हैं.

4. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन ऐसी बातें मान कर चले और ऐसे अनुमान लगाए जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं. यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होते हैं, तथापि वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. इन भिन्नताओं का निर्धारण उस वर्ष में दर्शाया जाता है जब ये परिणाम प्राप्त होते हैं.

5. राजस्व निर्धारण:

5.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है:

i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.

ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.

iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.

iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई में ₹10,000 तक के व्यय.

5.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की डिस्काउंट राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. लागू स्टाम्प शुल्क सहित, बॉण्डों के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्डों के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

5.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

5.4 i) उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.

ii) जिस सब्सिडी के लिए नाबार्ड पास-थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, उस सब्सिडी और उस पर सेवा शुल्क का लेखांकन संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी के आधार पर किया गया है.

5.5 अनर्जक आस्तियों की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

i) दंडात्मक ब्याज

ii) लागत और प्रभार

iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज

iv) मूलधन

5.6 समझौता और समाधान/ निपटान के मामले में, वसूली को संबंधित समझौता/ समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया गया है.

5.7 जिन खातों के लिए वाद दायर किए गए हैं/ ड्रिकी प्राप्त हुई है उनके संबंध में, वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया गया:

i. संबन्धित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार.

ii. न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों के न होने पर, उक्त बिन्दु 5.5 के अनुसार.

5.8 **नैबकॉन्स - सेवाओं से आय**

5.8.1 सौंपे गए कार्यों से आय: कंपनी के लिए सौंपे गए कार्यों से होने वाली आय, आय का मुख्य स्रोत है. सौंपे गए कार्य की समाप्ति पर कार्य विशेष से संबंधित आय और तदनुरूपी व्यय को गणना में लिया गया है. सौंपे गए कार्य को निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ण माना जाता है

- डीपीआर तैयार करने के मामले में, पार्टी को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी करने के बाद - शीघ्रातिशीघ्र.
- जिन कार्यों के निष्पादन की अवधि विस्तृत है, उनके मामलों में महत्वपूर्ण पड़ावों और कार्य पूर्ण कर सौंपे जाने, निष्पादन की स्थिति और पूर्णता की अवधि के आधार पर आय-निर्धारण किया गया है.
- यदि सौंपा गया कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए समयबद्ध संविदा के रूप में हो, तो ऐसे मामले में पूर्ण हो चुकी अवधि के अनुपात में आय निर्धारण किया गया है.

5.8.2 कंपनी की नीति के अनुसार जिन कार्यों को जारी रखे जाने की संभावना नहीं है उन्हें "जैसा है जहाँ है" आधार पर वहीं बंद कर दिया गया है और उनसे प्राप्त राशि को आय के रूप में माना गया है.

5.8.3 वर्तमान में चल रहे जिन कार्यों के लिए कंपनी की उपर्युक्त नीति के अनुसार आय बुकिंग के मानदंडों का पालन नहीं किया गया है, महत्वपूर्ण पड़ावों को प्राप्त नहीं किया गया है, उनके लिए प्रगामी आधार पर प्राप्त अग्रिम राशि को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में अलग से दर्शाया गया है और उसे चालू देयता के रूप में माना गया है. इस प्रकार के कार्यों पर हुए व्यय को चालू आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है और कंपनी की नीति के अनुसार, इसे उस वर्ष के खर्च के रूप में दिखाया जाएगा जिसमें संबंधित आय को लेखाबद्ध किया गया है.

5.8.4 नैबकॉन्स को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है. विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, नैबकॉन्स आबंटित राज्यों के संबंध में कुल परियोजना लागत की 1.5% (जीएसटी सहित) की दर से अनुप्रवर्तन लागत प्राप्त करने का हकदार है, जिसे एसआरएलएम/ एसएसडीएम को जारी प्रत्येक किश्त के जारी/ मंजूर किए जाने के समय आय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नैबकॉन्स को कई राज्यों द्वारा भी तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे प्राप्त आय का निर्धारण एसआरएलएम/ एसएसडीएम के साथ निष्पादित सहमति ज्ञापन में निर्दिष्ट सहमत शर्तों के अनुसार किया गया.

इस प्रकार, नैबकॉन्स ने एमओआरडी/ एसआरएलएम से प्राप्य ऐसी आय का निर्धारण किया है, जो या तो स्वीकृत है अथवा देय है, लेकिन प्रशासनिक कारणों, धन की कमी आदि के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया है.

इसके अतिरिक्त, नैबकॉन्स ने परियोजना मूल्यांकन एजेंसी का कार्य भी किया है. परियोजना मूल्यांकन से संबंधित आय का निर्धारण परियोजना कार्य के पूरा होने/ पीआईए से शुल्क की प्राप्ति के समय पर किया गया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दीनदयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 को रोल-आउट करने की प्रक्रिया में है. कार्यक्रम का कार्यान्वयन दिनांक 31.03.2026 तक किया जाना है.

6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

6.1 अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटा कर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है.

6.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है.

6.3 परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं.

6.4 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यह्रास की नीति में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संशोधन किया गया है और मूल्यह्रास की गणना 30 वर्षों की अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गई है.

6.5 पट्टे पर ली गई भूमि पर अदा किए गए अपफ्रंट लीज प्रीमियम को लीज की अवधि में 5% की दर से प्रारंभिक अवलिखित मूल्य पर या लीज की शेष अवधि पर शेष लीज प्रीमियम की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया है.

6.6 ₹1 लाख और उससे कम लागत की प्रत्येक अचल आस्ति (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्ति, जैसे - लैपटाप, मोबाइल फोन आदि को छोड़कर) को उसके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है. आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे - लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को तभी पूंजीकृत किया गया है जब प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक है. ₹1 लाख और उससे कम की लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि खाते में लिया गया है.

6.7 धारक बैंक के मामलें में, अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि पर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया गया है:

आस्तियों का प्रकार	*मूल्यह्रास की दर*
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

6.8 आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना उस माह से की जाती है जिस माह से वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्ति को पूंजीकृत किया जाता है. यह गणना उस माह तक की अवधि के लिए की जाती है जब तक उस आस्ति की बिक्री नहीं हो जाती.

6.9 चल रहे पूंजीगत कार्य में पूंजी अग्रिम शामिल हैं और उन्हें अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

6.10 सहायक संस्थाओं के मामले में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की गणना निम्नानुसार की गई है:

सहायक संस्था का नाम	*मूल्यह्रास की प्रणाली*
नैबकिसान	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबसमृद्धि	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबफिन्स	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबकॉन्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबवेंचर्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति और अवलिखित मूल्य
नैबफाउंडेशन	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबसंरक्षण	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य

7. निवेश

7.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" पर दर्ज किए जाते हैं.

7.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (जिन्हें आगे "श्रेणियाँ" कहा गया है).

7.3 जो प्रतिभूतियाँ मुख्यत: क्रय की तिथि से 90 दिन के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित होती हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

7.4 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत जिन निवेशों की लागत अंकित मूल्य के समान या उससे कम है उन्हें अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है. यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, की स्थिति में यथावश्यक प्रावधान किया गया है. यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आई है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए किए गए प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है.

7.5 "एचटीएम" के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है.

7.6 "एएफएस" के अंतर्गत निवेशों को 'भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ' (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाज़ार के लिए मार्क किया गया है. यदि कोई निवल मूल्यह्रास है, तो "एएफएस" के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

7.7 "एचएफटी" के अंतर्गत निवेशों को 'भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ' (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि., एएमएफआई आदि द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार के लिए मार्क किया गया है. "एचएफटी" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो उसे दर्ज किया गया और उसमें मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्यों में परिवर्तन किए गए हैं.

7.8 सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को "परिपक्वता तक धारित"(एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

7.9 ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन धारित लागत पर किया गया है.

7.10 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है, यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं, तो उद्धृत न किए गए शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया गया है या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है.

7.11 असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.

7.12 शेयर बाजार में खरीदी/ बेची गई इक्विटियों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज राशि को पूंजीकृत किया गया है.

7.13 ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किए गए/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री की गणना में शामिल नहीं किया गया है.

7.14

क्र. सं.	*मौजूदा श्रेणी*	*प्रस्तावित श्रेणी*	*लेखांकन नीति*
1.	एएफएस/ एचटीएफ	एचटीएम	बही मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो. ऐसे मामलों में जहाँ बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, उनमें प्रतिभूति के समक्ष धारण किए गए मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (जिसमें, आवश्यकता होने पर, अंतरण की तिथि पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल होगा) समायोजित कर बही मूल्य को बाजार मूल्य तक घटाया जाएगा और प्रतिभूति का अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाएगा.
2.	एचटीएम	एएफएस/ एचएफटी	बही मूल्य/ परिशोधित लागत पर अंतरण. ऐसी प्रतिभूतियों का, अंतरण के फसलस्वरूप तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाएगा.
3.	एएफएस/ एचएफटी	एचएफटी/ एएफएस	बही मूल्य पर अंतरण. अंतरण की तिथि पर प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, और संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया गया हो, तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के समक्ष मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में अंतरित किया जाएगा और इसके विपरीत भी किया जा सकता है.

7.15 सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

7.16 निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है.

7.17 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश का लेखांकन संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है.

7.18 भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश एनपीआई वर्गीकरण के लिए आय के उचित प्रावधान/ आय की अमान्यता के अधीन हैं. अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/ प्रावधान अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि के समक्ष समायोजित नहीं किए जाते हैं.

यदि किसी इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की लेखा-बहियों में एनपीए के रूप में दर्ज है, तो उस इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और उसके विपरीत माना जाएगा.

प्रतिभूतियों, यानी, बॉण्डों, डिबेंचरों आदि के मामले में, जहाँ उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहाँ वाईटीएम या आईआरएसी मानदंडों, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर प्रावधान किया गया है.

7.19 रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों की गणना संपार्श्विक युक्त उधार और उधार लेनदेन के रूप में की जाती है. तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य एकमुश्त बिक्री/ खरीद की जाती है और ऐसी प्रतिभूतियों को रेपो/ रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों के माध्यम से दर्शाया जाता है. परिपक्वता की तिथि को उपर्युक्त प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन कर दिया जाता है. लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में की जाती है.

7.20 हेजिंग प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न लेनदेन किए जाते हैं.

7.21 सहायक संस्थाओं के मामले में, कॉर्पोरेट बॉण्डों और सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर, बारह माह से अधिक की अवधि तक धारित निवेशों का मूल्यांकन, ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान, अस्थायी को छोड़कर, को घटाकर लागत मूल्य पर किया जाता है. कॉर्पोरेट बॉण्ड तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ परिशोधित लागत पर धारण की जाती हैं. जो निवेश शीघ्र भुनाने योग्य हैं और जिन्हें बारह माह से कम की अवधि के लिए धारण किया जाना होता है, उन्हें लागत और उचित मूल्य में से जो भी कम हो, पर धारित किया जाता है और परिणामी गिरावट, यदि कोई हो, तो उसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है.

नैबसंरक्षण के मामले में, म्यूचुअल फंडों के विमोचन पर लाभ या हानि की गणना हेतु प्रथम-प्रविष्टि-प्रथम-निर्गम (एफआईएफओ) के आधार शामिल लागत पर विचार किया जाता है.

हेज स्वैप

हेज ब्याज वाली आस्ति या देयता के साथ ब्याज दर स्वैप को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है, उस आस्ति या देयता से जुड़े स्वैप को छोड़कर, जिसका वहन बाजार मूल्य पर या लागत से कम मूल्य पर किया गया हो. स्वैप की समाप्ति पर, स्वैप के शेष संविदागत समय या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर लाभ और हानि का निर्धारण किया जाता है.

8. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

8.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधान के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

8.2 अग्रिमों की पुन: संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

8.3 अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिमों को दिखाया गया है.

8.4 निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में, अनर्जक ऋणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है.

8.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. इन प्रावधानों को तुलन-पत्र की अनुसूची 8 में «वर्तमान देयताएँ और प्रावधान» शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है.

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखांकन मानक (एएस - 11) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन निम्नानुसार किया गया है:

9.1 आस्तियों और देयताओं का पुन:मूल्यांकन, रिपोर्टिंग की तिथि/ वर्ष के अंत में एफ़ईडीएआई/ एफ़बीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में किया गया है. विदेशी मुद्रा उधार के हेज किए गए भाग को संविदाकृत मूल्य पर उल्लिखित किया गया है और हेज किए गए उधार की देयता को वर्ष की समाप्ति पर विद्यमान विनिमय दर के अनुसार तुलन-पत्र में क्रॉन्ट्रा मद (तुलन-पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया है.

9.2 हेज किए गए लेनदेन हेतु आय और व्यय मदों को निष्पादित हेज करारों के अनुसार संविदागत दरों पर परिवर्तित किया गया.

10. विदेशी विनिमय संविदाओं का लेखांकन

10.1 विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएँ विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज करने के लिए की गई हैं.

10.2 हेज किए गए विदेशी मुद्रा उधारों का उल्लेख संविदागत दर पर किया गया है.

10.3 हेज न की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन वर्ष के अंत/ रिपोर्टिंग की तिथि में एफईडीएआई/ एफ़बीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया गया है. पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अभिलाभ/ घाटे का निर्धारण लाभ और हानि खाते में 'वायदा विनिमय संविदा खाते के पुन:मूल्यांकन पर प्राप्त अभिलाभ/ घाटा' शीर्ष के अंतर्गत किया गया है.

11. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिकों को बैंक का कर्मचारी माना गया है और तदनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किए गए हैं. प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए यथावश्यक रूप से बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है.

11.1 **अल्पावधि कर्मचारी लाभ:**

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि का निर्धारण उसी अवधि के लिए किया गया है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएँ प्रदान की हैं.

11.2 **सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ**:

i) **परिभाषित अंशदान योजना**

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं. बैंक ने पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई एक परिभाषित

अंशदान योजना "एनपीएस - कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल" को अपनाया है. निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है.

ii) **परिभाषित लाभ योजना**

(क) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता है जो सभी पात्र कर्मचारियों के लिए अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है. योजना के लिए निधि बैंक द्वारा प्रदान की जाती है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

(ख) 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है. इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

iii) **अन्य दीर्घावधि लाभ**

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी पारिश्रमिक के साथ अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं. अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति से आकलित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. बीमांकिक अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखा में उपचय के आधार पर दर्शाया जाता है.

12. आय पर कर

12.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप परिगणित कर-योग्य आय और कर जमाओं के साथ-साथ आकलनों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है.

12.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के रूप में की गई है और इस राशि की गणना तुलन-पत्र की तिथि को लागू कर की दरों और अधिनियमित कानूनों के आधार पर की गई है.

12.3 अनवशोषित मूल्यह्रास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहाँ यह लगभग निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

12.4 निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा किए गए कर/ प्रावधान किए गए कर की गणना संबंधित निधियों के व्यय के रूप में की गई है.

13. खंड रिपोर्टिंग

13.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुपालन में बैंक व्यवसाय खंड को रिपोर्टिंग का प्राथमिक खंड मानता है.

13.2 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं. जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उसे "अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय" में शामिल किया गया है.

13.3 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित हैं/ किसी खंड को आबंटन-योग्य हैं, उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको "अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय" में शामिल किया गया है.

13.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं. आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में वे आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं जो संपूर्ण बैंक से संबंधित हैं और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता.

14. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

14.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि:

क) यदि क्षतिग्रस्ततताजन्य कोई हानि हुई हो, तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान किया जा सके; अथवा

ख) पिछली अवधियों में यथानिर्धारित क्षतिग्रस्ततताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन किया जा सके.

14.2 क्षतिग्रस्ततताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

15.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन काफी हद तक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके, यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक की कोई वर्तमान देयता हो.

ख) देयता के निस्तारण हेतु संसाधनों का बर्हिगमन संभावित हो; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो.

15.2 आकस्मिक देयता का निम्न मामलों में प्रकटन किया गया है:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब इसकी संभावना न हो कि उस देयता को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी,

ख) कोई वर्तमान देयता, जब विश्वसनीय अनुमान संभव न हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता, जहाँ संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना नगण्य हो.

15.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो निर्धारित किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

15.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है.

16. नकदी और नकदी समतुल्य

(क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं.

(ख) नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष पद्धति से की जाती है. उपलब्ध सूचना के आधार पर परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया गया है.

17. पूर्व अवधि की आय/ व्यय

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदों को केवल तभी अलग से प्रकट किया गया है जब एकल पूर्व अवधि आय/ व्यय सकल आय के 0.5% से अधिक हो.

18. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (भारतीय लेखांकन मानक)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंक को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित होता है तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त और उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक विवरण अपेक्षित हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. नाबार्ड भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ अभिरक्षक/ न्यासी के रूप में कार्य कर रहा है और निम्नलिखित निधियों को, संबंधित योजनाओं के संदर्भ में उपयोग होने तक इन संस्थाओं की ओर से, उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त शेष राशियों पर उपचित ब्याज सहित, जहाँ भी लागू हो, रखता है. अप्रयुक्त शेष राशि पर उपचित ब्याज को तत्संबंधी करारों के अनुसार प्रबंधन/ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया है. संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	*निधि का नाम*	*2024-25 के लिए ब्याज की दर*	*2023-24 के लिए ब्याज की दर*
1.	वाटरशेड विकास निधि	3%	3%
2.	केएफ़डब्ल्यू - नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	0%	3%
3.	केएफ़डब्ल्यू सहबद्ध उपाय	0%	3%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	0%	3%
5.	जनजाति विकास निधि	3%	3%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	3%	3%
7.	केएफ़डबल्यू-नाबार्ड-V आदिवासी विकास कार्यक्रम - गुजरात	0%	3%
8.	जलवायु परिवर्तन - (एएफ़बी) - परियोजना तैयारी अनुदान	3%	3%
9.	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	3%	3%
10.	उत्पादक संगठन विकास निधि – ब्याज विभेदक	3%	3%
11.	जलवायु परिवर्तन निधि – ब्याज विभेदक	3%	3%
12.	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	3%	3%
13.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7.83%	7.29%
14.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और रायबरेली)	7.83%	7.29%
15.	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र (सी-पैक)	7.83%	7.29%

2. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों (तुलन-पत्र की अनुसूची-13 देखें) से वसूली योग्य राशि में ₹2.00 करोड़ (₹1.08 करोड़) की राशि शामिल है जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है. इन निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*निधि का नाम*	*2024-25*	*2023-24*
1.	केएफडब्ल्यू - मृदा परियोजना	0.92	0.00
2.	एनएएफ़सीसी	1.08	1.08
	कुल	**2.00**	**1.08**

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, विभिन्न बैंकों द्वारा रखी गई ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आरआईडीएफ) जमाराशि, भंडारागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) जमाराशि और खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) के संबंध में बैंक द्वारा उपलब्ध सापेक्ष मार्जिन को वित्तीय समावेशन निधि और जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी में 80:20 के अनुपात में जमा की जाती है.
4. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*योजना*	*2024-25*	*2023-24*
1.	दीर्घावधि सिंचाई निधि	567.95	558.87
2.	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	140.96	(70.68)
3.	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	34.72	35.07
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	126.07	67.08
5.	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़)	87.68	73.62
6.	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफ़आईडीएफ़)	25.85	17.94

5. ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत मौसमी कृषि परिचालन हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और एनआरएलएम योजना के वित्तपोषण के लिए रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और जिमस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्वित्त संवितरण पर प्राप्त ब्याज मार्जिन की गणना ब्याज आय के रूप में की गई है.

भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत ₹115.09 करोड़ (₹122.26 करोड़) की राशि प्राप्त हुई/प्राप्य है.

6. बैंक ने लेखांकन मानक 22 "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसरण में समय के अंतर पर आस्थगित कर आस्ति/ देयता को दर्शाया है. वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹59.73 करोड़ (₹20.55 करोड़) के आस्थगित कर व्यय को दर्शाया है. दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कुल आस्थगित कर आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*आस्थगित कर आस्तियाँ*	*2024-25*	*2023-24*
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	102.46	175.14
2	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	13.70	15.08
3	अन्य	32.50	18.17
	कुल	**148.66**	**208.39**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष प्रारक्षित निधि के तहत आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि को आहरित न करने का निर्णय लिया है.

चूँकि ऋण बही का आकार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है, इसलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष मानक आस्तियों पर प्रावधान करना आवश्यक होता है. अत:, लेखांकन मानक - 22 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, बैंक मानक आस्तियों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति की कोई उचित निश्चितता नहीं रहती है.

7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष लंबित आय कर अपीलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	*कर निर्धारण वर्ष*	*किस प्राधिकरण में अपील लंबित है*	*किसके द्वारा अपील की गई है*	*विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2025 तक की स्थिति*	*विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2024 तक की स्थिति*
1.	2002-03	उच्च न्यायालय- मुंबई	आयकर विभाग	415.00	415.00
2.	2006-07	उच्च न्यायालय- मुंबई	आयकर विभाग	217.85	217.85
3.	2007-08	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	88.56	88.56
4.	2008-09	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	118.77	118.77
5.	2009-10	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	194.82	194.82
6.	2010-11	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	28.20	28.20
7.	2010-11	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	215.32	215.32
8.	2011-12	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	51.03	--
9.	2012-13	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	45.63	--
10.	2013-14	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	1.70	--
11.	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	51.07
12.	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	287.62
13.	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	45.63
14.	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	327.03
15.	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	1.70
16.	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	380.05
17.	2014-15	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	450.61
18.	2015-16	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	448.87
19.	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	254.38
20.	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	0.59
21.	2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
22.	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69
23.	2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	278.52	278.52
24.	2022-23	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	182.64	--

8. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि तथा पट्टाकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹11.85 करोड़ (₹11.85 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका अंतरण किया जाना अभी बाकी है.

9. बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखांकन मानक 28 - "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता" लागू हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.

10. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) की खरीद के माध्यम से इन एजेंसियों को प्रदत्त परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है:

क) निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है'.

ख) एसडीडी पर अर्जित ब्याज लाभ हानि लेखा में 'ऋण एंव अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है.

ग) 'आईआरएसी मानदंड, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन से 'अनुमन्य अग्रिम'.

11. वित्तीय विवरणियों की तिथि की स्थिति के अनुसार, आरआईडीएफ की वर्तमान खेपों (XXVII से XXIX) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को संग्रहण अग्रिम के रूप में संवितरित राशि में से ₹633.71 करोड़ (₹407.85 करोड़) की राशि आरंभ न हो सकी परियोजनाओं से संबंधित है. संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक इस राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

12. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नाबार्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी. तदनुसार 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए तथा 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए. ये कर मुक्त बॉण्ड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय प्रकृति के हैं. ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड की निर्दिष्ट बही ऋण पर पहला प्रभार हैं. चालू वर्ष के लिए इन बॉण्डों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹365.07 करोड़ (₹365.41 करोड़) है.

डिबेंचर ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,
द रूबी, द्वितीय तल, एसडबल्यू,
29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई- 400028
टेलीफोन: +91 22 6230 0451

13. उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) में निवेश के संदर्भ में विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 सितंबर 2023 जारी निदेशों (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए बेसल III पूंजी फ्रेमवर्क, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन संचालन और संसाधन जुटाने संबंधी मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन- निदेश, 2023) के अनुसार, वीसीएफ़ की इकाइयों में निवेश की गई ₹20.98 करोड़ (₹31.84 करोड़) की राशि को 3 वर्ष पूर्ण होने पर एचटीएम श्रेणी से एएफ़एस श्रेणी में अंतरित किया गया.

14. (क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास गिरवी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*अंकित मूल्य*	*बही मूल्य*
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	237.00 (237.00)	237.69 (237.69)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो)	56100.51 (39131.28)	68247.12 (39250.46)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ) डिफॉल्ट फंड	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो) - डिफॉल्ट फंड	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में अंतर्दिवसीय सीमा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति सुरक्षा के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*अंकित मूल्य*	*बही मूल्य*
अंतर्दिवसीय सीमा के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	5168.17 (527.00)	5396.34 (545.54)

15. **मानक आस्तियों हेतु प्रावधान**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2024-25*	*2023-24*
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	241.97	378.37

16. **काउंटर साईक्लिकल प्रोविजनिंग बफर**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
(क)	अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष	2014.45	2014.45
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की प्रमात्रा #	0.00	0.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रॉडाउन की राशि	0.00	0.00
(घ)	अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष	2014.45	2014.45

बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थिर प्रावधान सृजित करने का निर्णय लिया जिसका उपयोग अप्रत्याशित अथवा असाधारण परिस्थितियों में किया जा सके.

17. दिनांक 23 जून 2016 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग निदेश 2016) के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो प्रकटीकरण दिए जाने आवश्यक हैं उन्हें इस समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक नहीं माना गया है और इसलिए उन्हें नोट में शामिल नहीं किया गया है.

18. चार सहायक संस्थाओं के मामले में, मूल्यह्रास की गणना अवलिखित मूल्य विधि से की गई है और इसे सीधी रेखा विधि के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में समायोजित नहीं किया गया है. समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है.
19. नैबफिन्स लिमिटेड के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक की न्यायनिर्णयन समिति ने प्रतिबंधात्मक प्रथाओं से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है, विशेष रूप से ग्राहकों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान विशिष्ट बीमा उत्पादों को चुनने के लिए मजबूर करने के लिए, जिसका आदेश 15 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था और इसका भुगतान 29 अप्रैल 2024 को कर दिया गया है.
20. कर्मचारियों को प्रदत्त छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) लाभ को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब कर्मचारियों द्वारा उसका लाभ उठाया जाता है.
21. वर्ष के दौरान, समूह ने नवंबर 2022 से प्रभावी वेतन समझौते के लिए अनुमानित आधार पर ₹349.99 करोड़ की राशि को लेखाबद्ध किया गया है. 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार वेतन निपटान के लिए समापन प्रावधान की बकाया राशि ₹669.32 करोड़ है.
22. लाभ और हानि लेखा में शामिल पूर्व अवधि मदें निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल	(0.00)	(0.00)

23. **लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**

चूँकि एएस -18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अर्थ में यह बैंक राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यम है, अत: अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के (सहायक संस्थाओं सहित) साथ लेनदेन का विवरण नहीं दिया गया है.

23.1 **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (नाबार्ड):**

पार्टी का नाम	*पदनाम*
श्री शाजी के वी	अध्यक्ष
श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक
डॉ. अजय के सूद	उप प्रबंध निदेशक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (सहायक संस्थाएँ)

सहायक संस्था का नाम	*पार्टी का नाम*	*पदनाम*
नैबकॉन्स	श्री नीरज कुमार वर्मा	प्रबंध निदेशक
	डॉ. हरगोपाल यन्द्र	प्रबंध निदेशक
	श्रीमती नेहा चौधरी	कंपनी सचिव
नैबफिन्स	श्री ए जयशीलन	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्री मोहन प्रसाद	मुख्य परिचालन अधिकारी
	श्रीमती पूजा आहूजा	कंपनी सचिव
नैब फाउंडेशन	श्री बिभु प्रसाद कर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	श्रीमती सुधा वर्गीस	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	अदिति शुक्ल	कंपनी सचिव
नैबकिसान	श्री प्रसाद राव	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	श्री जी इमैनुवेल	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्रीमती एम भुवनेश्वरी	कंपनी सचिव
नैबसमृद्धि	श्रीमती बोनानी रॉयचौधरी	प्रबंध निदेशक
	श्री एलएस नवीनकुमार	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्रीमती सुज़ेट पेरेरा	कंपनी सचिव
नैबसंरक्षण	श्री राहुल उप्पल	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	श्री सुनंद कुमार साहू	कंपनी सचिव
नैबवेंचर्स	श्री विकास भट्ट	प्रबंध निदेशक
	श्रीमती दीप्ति हेलगांवकर	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्री तुनु साहू	कंपनी सचिव

23.2 **संबधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन**

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें/संबंधित	*मुख्य प्रबंधन कार्मिक@*	*मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार*	*कुल*
उधार#	-	-	-
जमाराशि#	-	-	-
जमाराशियों का स्थानन#	-	-	-
अग्रिम#			
निवेश#			
गैर-निधीकृत प्रतिबद्धताएँ#	-	-	-
पट्टेदारी की व्यवस्था का लाभ उठाया गया#	-	-	-
पट्टेदारी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई#	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद#	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	-	-	-
चुकाया गया ब्याज	-	-	-
प्राप्त हुआ ब्याज	-	-	-

मदें/संबंधित	*मुख्य प्रबंधन कार्मिक@*	*मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार*	*कुल*
सेवाओं का प्रतिपादन*	-	-	-
सेवाएँ की प्राप्ति*	-	-	-
प्रबंधन संविदाएं**	11.12 (10.46)		11.12 (10.46)

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक
# वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकटन किया जाना है.
* संविदा सेवाएँ इत्यादि और विप्रेषण सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ आदि जैसी सेवाएँ नहीं
** मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

24. **व्यवसाय खंड के विषय में सूचना**

(क) **संक्षिप्त पृष्ठभूमि**

बैंक के मान्यताप्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नानुसार हैं:

i) प्रत्यक्ष वित्तपोषण: इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को विकास गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा जिमस बैंकों आदि को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.

ii) पुनर्वित्त: इसमें राज्य सरकारों, सार्वजनक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, विदेशी बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं.

iii) ट्रेजरी: इसमें टी-बिलों, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है.

iv) उपर्युक्त तीन प्राथमिक खंडों के अलावा अन्य खंड 'अन्य व्यवसाय' खंड के अंतर्गत हैं. प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर तीन प्राथमिक खंडों के परिणामों का पता लगाने के बाद, आबंटन के लिए/ देनदारियों/ आस्तियों सहित शेष राशि को «अन्य व्यवसाय» के तहत समूहीकृत किया गया है.

(ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड संबंधी सूचना

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*ट्रेजरी*		*पुनर्वित्त*		*प्रत्यक्ष ऋण*		*अन्य व्यवसाय*		*कुल*	
व्यवसाय खंड	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*
राजस्व	7649.52	5341.75	28911.04	24528.07	22404.11	19450.56	326.92	295.04	59291.59	49615.42
परिणाम	1450.30	618.77	3571.30	4439.17	8129.71	6504.07	(2714.80)	(3129.09)	10436.51	8432.92
अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									10436.51	8432.92
आय पर कर									2594.93	2061.68
असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ									**7841.58**	**6371.24**
अन्य सूचनाएँ										
खंड आस्तियाँ	139343.11	101692.90	453289.86	430623.59	392465.48	370389.62	1272.07	9581.25	986370.53	912287.35
खंड देयताएँ	150328.53	110712.29	351850.09	341185.02	391249.65	374674.25	90167.93	82922.63	983596.20	909494.19
अनाबंटित आस्तियाँ									148.66	208.40
कुल आस्तियाँ									**986519.19**	**912495.75**
अनाबंटित देयताएँ									2922.99	3001.56
कुल देयताएँ									**986519.19**	**912495.75**

नोटः अनाबंटित आस्तियों से आशय आस्थगित कर आस्ति से है और अनाबंटित देयताओं से आशय आयकर के लिए प्रावधान से है.

(ग) चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

25. कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं.
26. जहाँ भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःसमूहन/ पुनःव्यवस्थापन किया गया है.

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 121750W/W100010

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता	विनोद चंद्रशेखरन
साझेदार	मुख्य महाप्रबंधक
सदस्यता संख्या: 102306	लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद	गोवर्धन सिंह रावत	शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

राशि ₹ करोड़ में	*2024-25*	*2023-24*
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	10,436.51	8,432.92
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	62.70	52.69
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	153.61	(59.86)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	241.98	378.38
निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी	(8.50)	14.78
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि)	(1.11)	(1.74)
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज विभेदक निधि में परिवर्धन/ समायोजन सहित)	188.99	188.68
उधारराशियों और जमाराशियों पर ब्याज व्यय	44,890.91	36,940.39
निवेश से आय (डिस्काउंट से आय सहित)	(7,642.18)	(5,290.17)
बॉण्डों के निर्गमन पर डिस्काउंट/ प्रीमियम का परिशोधन	41.93	25.03
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन के पहले का परिचालन लाभ	48,364.84	40,681.10
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(8,451.28)	(16,199.75)
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	(520.82)	(23.20)
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	(44,239.49)	(64,302.78)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	(4,846.75)	(39,844.63)
आय कर का भुगतान - रीफंड को घटाकर	(2,613.76)	(2,187.64)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	(7,460.51)	(42,032.27)
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	7,642.18	5,290.17
अचल आस्तियों की खरीद	(77.64)	(76.49)
अचल आस्तियों की बिक्री	2.81	4.36
निवेश में वृद्धि/ कमी	(22,024.88)	(21,521.68)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/ सृजित निवल नकदी (आ)	(14,457.53)	(16,303.64)
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	(1,045.19)	192.60
बॉण्डों से प्राप्त राशि	41,231.50	39,506.45
उधारराशियों में वृद्धि/ (कमी)	56,652.15	29,932.02
जमाराशियों में वृद्धि/ (कमी)	(25,966.62)	23,857.20
उधारराशियों और जमाराशियों पर भुगतान किया गया ब्याज	(42,876.77)	(34,780.38)
शेयर पूँजी में वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	(6.61)	(7.22)
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	27,988.46	58,700.67
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	6,070.42	364.76

राशि ₹ करोड़ में	*2024-25*	*2023-24*
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	8,696.10	8,331.34
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	14,766.52	8,696.10

1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं:	2024-25	2023-24
हाथ में रोकड़	-	-
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियाँ	6,568.72	3,561.58
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियाँ	4,547.80	3,834.52
बैंकों के पास अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह और उससे कम की परिपक्वता वाली)	3,650.00	1,300.00
कुल	14,766.52	8,696.10

नोट्स:

1. नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है.
2. समेकित नकदी प्रवाह विवरण सहायक संस्थाओं के आई-जीएएपी वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है.

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W/W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306

विनोद चन्द्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
उप प्रबंध निदेशक

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई के विभागों और सहायक संस्थाओं के ई-मेल पते

अध्यक्ष का सचिवालय	chairmansectt@nabard.org
उप प्रबंध निदेशक गोवर्धन सिंह रावत का सचिवालय	dmdgsr.sectt@nabard.org
उप प्रबंध निदेशक डॉ. अजय के सूद का सचिवालय	dmdsood.sectt@nabard.org
लेखा विभाग	ad@nabard.org
परियोजना वित्त विभाग	pfd@nabard.org
केन्द्रीय सतर्कता विभाग	cvd@nabard.org
कॉर्पोरेट संचार विभाग	ccd@nabard.org
सहकारी क्षेत्र विकास विभाग	csdd@nabard.org
कॉर्पोरेट आयोजना विभाग	cpd@nabard.org
जलवायु कार्रवाई और संधारणीयता विभाग	dcas@nabard.org
डाटा प्रबंधन विश्लेषण और व्यवसाय आसूचना विभाग	ddmabi@nabard.org
डिजिटल रणनीति और नवोन्मेष विभाग	ddsi@nabard.org
आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग	dear@nabard.org
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	dit@nabard.org
सूक्ष्म ऋण और वित्तीय समावेशन विभाग	dmfi@nabard.org
परिसर, सुरक्षा और अधिप्राप्ति विभाग	dpsp@nabard.org
पुनर्वित्त विभाग	dor@nabard.org
सहायक संस्थाएं और युक्तिक निवेश विभाग	dssi@nabard.org
पर्यवेक्षण विभाग	dos@nabard.org
कृषि क्षेत्र विकास विभाग	fsdd@nabard.org
वित्त विभाग	fd@nabard.org
सरकारी योजना विभाग	gsd@nabard.org
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग	hrmd@nabard.org
निरीक्षण विभाग	id@nabard.org
संस्थागत विकास विभाग	idd@nabard.org
विधि विभाग	law@nabard.org
ग्रामीण एमएसएमई विभाग	rmsmed@nabard.org
राजभाषा प्रभाग	rajbhasha@nabard.org
जोखिम प्रबंधन विभाग	rmd@nabard.org
सचिव विभाग	secy@nabard.org
राज्य परियोजना विभाग	spd@nabard.org
रणनीतिक आयोजना और उत्पाद नवोन्मेष विभाग	sppid@nabard.org
नाबार्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेस (नैबकॉन्स)	nabcons@nabard.org
नैबफ़ाउंडेशन	nabfoundation@nabard.org
नैबकिसान फाइनान्स लिमिटेड	nabkisan@nabard.org
नैबसमृद्धि फ़ाइनान्स लिमिटेड	nabsamruddhi@nabard.org
नैबवेंचर्स लिमिटेड	nabventure@nabard.org
नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	ho@nabsanrakshan.org
नैबफ़िन्स लिमिटेड	ho@nabfins.org

दूरभाष संख्या
स्वागत कक्ष : 022-26539895/96/99
शिष्टाचार और सुरक्षा : 022 - 26539046

क्षेत्रीय कार्यालय/ कक्ष/ प्रशिक्षण संस्थान/ सहायक संस्थाएँ

क्षेत्रीय कार्यालय

अंडमान और निकोबार
नाबार्ड कॉम्प्लेक्स
कामराज रोड
(वीआईपी रोड)
डाकघर – जंगलीघाट पोर्ट ब्लेयर- 744 103
टेली. सं.: 03192 - 233308
ई-मेल: portblair@nabard.org

आंध्र प्रदेश
स्टालिन सेंट्रल पांचवां तल डी सं. 27-37-158
एम जी रोड, गर्वनरपेट
विजयवाड़ा - 520002
टेली. सं. 0866-2465300/ 2465313
ई-मेलः apro@nabard.org

अरुणाचल प्रदेश
नाबार्ड टॉवर
बैंक तिनाली
ईटानगर-791 111
टेली. सं.: 0360 - 2215967/ 2213856
ई-मेल: itanagar@nabard.org

असम
असम सचिवालय के सामने
जी.एस.रोड
दिसपुर
गुवाहाटी-781 006
टेली. सं.: 0361 - 2313236
ई-मेल: guwahati@nabard.org

बिहार
`बी' ब्लॉक, चौथी और पांचवी मंजिल
मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड
पटना- 800 001
टेली सं.: 0612 - 2223985
ई-मेल: patna@nabard.org

छत्तीसगढ़
'अनन्या'
प्लॉट नं. 01, सेक्टर नं. 24
सेंट्रल पार्क के सामने
अटल नगर
नवा रायपुर - 492 018
टेली. सं.: 0771 - 2974047
ई-मेल: raipur@nabard.org

गोवा
निज़ारी भवन, तीसरी मंजिल
मेनेजेस ब्रगॅन्जा रोड
पणजी - 403 001
टेली. सं.: 0832-2420504/ 2432967
ई-मेल: panaji@nabard.org

गुजरात
नाबार्ड टॉवर
म्युनिसिपल गार्डन के सामने
पोस्ट बॉक्स सं.8
उस्मानपुरा
अहमदाबाद- 380 013
टेली. सं.: 079-2755 2782
ई-मेल: ahmedabad@nabard.org

हरियाणा
प्लॉट नं.3
सेक्टर 34-ए
चंडीगढ़-160 022
टेली. सं.: 0172 - 5116801/ 5116803
ई-मेल: haryana@nabard.org

हिमाचल प्रदेश
ब्लॉक-32
एसडीए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देव नगर
कसुम्पटी
शिमला- 171 009
टेली सं.: 0177 - 2622258
ई-मेल: shimla@nabard.org

जम्मू और कश्मीर
नाबार्ड टॉवर्स
रेल हेड कॉम्प्लेक्स
रेलवे रोड
जम्मू - 180 012
टेली. सं.: 0191 - 2472355
ई-मेल: jammu@nabard.org

झारखंड
प्लॉट सं. - 2711,
डीएवी नंदराज विद्यालय के सामने, बूटी रोड
पीएचईडी पानी टंकी के पास, बरियातू
रांची - 834 009
टेली. सं.: 06512-999990
ई-मेलः ranchi@nabard.org

कर्नाटक
नाबार्ड टावर
नं. 46 केम्पे गौडा रोड
बंगलुरु - 560 009
टेली. सं.: 080-22130532
ई-मेल: bangalore@nabard.org

केरल
पुन्नेन रोड, स्टेच्यू
तिरुवनंतपुरम - 695 001
टेली. सं.: 0471-2701600/ 2701700
ई-मेल: trivandrum@nabard.org

मध्य प्रदेश
ई-5, अरेरा कालोनी
डाकघर - रविशंकर नगर
भोपाल- 462 016
टेली. सं.: 0755 - 2464775
ई-मेल: bhopal@nabard.org

महाराष्ट्र
54,वेलेस्ली रोड
पोस्ट बॉक्स नं. 5
शिवाजी नगर
पुणे- 411 005
टेली. सं.: 020 - 25541083
ई-मेल: pune@nabard.org

नई दिल्ली
नाबार्ड टॉवर
24, राजेन्द्र प्लेस
नई दिल्ली-110 008
टेली सं.: 011 - 41539353
ई-मेल: delhi@nabard.org

श्रीनगर कक्ष
केयर ऑफ दुर्रानी हाउस
होटल ग्रीन एकड़ के सामने वाली सड़क
राजबाग,
श्रीनगर - 190008
टेली. सं.: 0194-3520897
ई-मेल: srinagar@nabard.org

मणिपुर
लीरेन मैन्शन, दूसरी मंजिल
लाम्फेलपेट
इम्फाल- 795 004
टेली. सं.: 0385 - 2416192
ई-मेल: imphal@nabard.org

ओडिशा
"अंकुर", 2/1 नयापल्ली सिविक सेंटर
भुवनेश्वर - 751015
टेली. सं.: 0674-2374301
ई-मेल: bhubaneswar@nabard.org

तमिलनाडु
48, महात्मा गांधी रोड
नुंगमबक्कम
पो.बॉ.सं.- 6074
चेन्नै- 600 034
टेली. सं.: 044 - 2830 4444
ई-मेल: chennai@nabard.org

मेघालय
'यू' फीट, करमीहपेन भवन
दूसरा और तीसरा तल, प्लॉट सं. 28(2)
धनखेती,
शिलांग - 793003
टेली. सं.: 0364-2503507/ 2501518
ई-मेल: shillong@nabard.org

पंजाब
प्लॉट नं.3, सेक्टर 34-ए
चंडीगढ़- 160 022
टेली. सं.: 0172 - 5046700
ई-मेल: chandigarh@nabard.org

तेलंगाणा
1-1-61
आरटीसी 'एक्स' रोड्स मुशीराबाद
पोस्ट बॉक्स नं. 1863
हैदराबाद - 500 020
टेली. सं.: 040-27612640/ 27685254/ 27685252
ई-मेल: hyderabad@nabard.org

मिज़ोरम
एंटी-करप्शन ब्यूरो के पास
न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स
खटला
आयजॉल- 796 001
टेली सं.: 0389 – 2335562 / 2334029
ई-मेल: aizawl@nabard.org

राजस्थान
3, नेहरू प्लेस
लालकोठी, टोंक रोड
जयपुर- 302 015
टेली सं.: 0141 - 2740821
ई-मेल: jaipur@nabard.org

त्रिपुरा
शिल्पा निगम भवन, ग्राऊंड फ्लोर
खेजूर बागान
डाकघर -कुंजाबन
पश्चिम त्रिपुरा जिला
अगरतला-799 006
टेली. सं.: 0381 - 2419633/ 2419644
ई-मेल: agartala@nabard.org

नागालैंड
एनएससीबी मुख्यालय
प्रशासन बिल्डिंग
चौथी मंजिल, वेस्ट विंग
सर्कुलर रोड, खेरमहल
दीमापुर- 797 112
टेली सं.: - 03862 - 234063/ 235600 /235601
ई-मेल: dimapur@nabard.org

सिक्किम
ओम निवास
चर्च रोड
गंगटोक-737 101
टेली सं: 03592-350333
ई-मेल: gangtok@nabard.org

उत्तर प्रदेश
11, विपिन खंड
गोमती नगर
लखनऊ- 226 010
टेली. सं.: 0522 - 2307630/ 2399231/ 2399234
ई-मेल: lucknow@nabard.org

उत्तराखण्ड
प्लॉट नं. 42, दून आईटी पार्क
सहस्रधारा रोड
देहरादून-248 013
टेली. सं.: 0135 - 2607741
ई-मेल: dehradun@nabard.org

पश्चिम बंगाल
'नाबार्ड भवन' प्लॉट नं 2
डी पी ब्लॉक, स्ट्रीट नं 11
सेक्टर–V, साल्ट लेक
कोलकाता- 700 091
टेली. सं.: 033 - 40879600
ई-मेल: kolkata@nabard.org

प्रशिक्षण संस्थान

लखनऊ
बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान
सेक्टर `एच', एलडीए कालोनी
कानपुर रोड
लखनऊ- 226 012
टेली. सं.: 0522 - 2421954
ई-मेल: bird@nabard.org

मंगलूरु
बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान
कृष्णा नगर रोड, बोंदेल
मंगलूरु- 575 008
टेली. सं.: 0824-2888502/511
ई-मेल: bird.mangaluru@nabard.org

कोलकाता
बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान
अभिलाषा 1, 6, रॉयड स्ट्रीट
कोलकाता – 700 016
ई-मेल:
bird.kolkata@nabard.org

लखनऊ
राष्ट्रीय बैंक स्टाफ कॉलेज
सेक्टर `एच', एलडीए कालोनी
कानपुर रोड
लखनऊ- 226 012
टेली. सं.: 0522 - 2421065
ई-मेल: nbsc@nabard.org

सहायक संस्थाएँ

नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स)

पंजीकृत कार्यालय
तीसरा तल, 'सी' विंग
नाबार्ड प्रधान कार्यालय
प्लॉट सं. सी-24, 'जी' ब्लॉक
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
टेली. सं.: 022-26539419/ 26539320
ई-मेल: zomumbai@nabcons.in

कॉर्पोरेट कार्यालय
सातवां तल
नाबार्ड टावर
24 राजेन्द्र प्लेस
नई दिल्ली - 110 008
टेली. सं.: 011-41538678/ 25745103

नैबकिसान फ़ाइनेन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय
भूतल, नाबार्ड तमिलनाडु क्षेत्रीय कार्यालय
सं. 48, महात्मा गांधी रोड
नुंगमबक्कम
चेन्नै - 600 034
टेली. सं.: 044-28270138, 42138700
ई-मेल: finance@nabkisan.org

कॉर्पोरेट कार्यालय
नाबार्ड प्रधान कार्यालय
भूतल, 'डी' विंग
प्लॉट सं. सी-24, 'जी' ब्लॉक
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
टेली. सं.: 022-26539415/ 26539620

नैबसमृद्धि फ़ाइनेन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

द्वारा नाबार्ड

नाबार्ड तेलंगाणा क्षेत्रीय कार्यालय
1-1-61, आऱ्टीसीएक्स रोड
मुशीराबाद
पोस्ट बॉक्स नं. 1863
हैदराबाद - 500 020
टेली. सं.: 040 - 23241155
ई-मेल: nabsamruddhi@nabard.org

कारपोरेट कार्यालय

द्वारा नाबार्ड
भू-तल, डी विंग
नाबार्ड प्रधान कार्यालय
प्लॉट सं. सी-24,जी-ब्लॉक
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बान्द्रा(पूर्व), मुंबई - 400 051
टेली सं.: 022-26539186/9693
nabsamruddhi@nabard.org
nabsamruddhi.corp@nabard.org

नैबफिन्स लिमिटेड (नैबफिन्स)

पंजीकृत/ कार्पोरेट कार्यालय

#3072, 14वां क्रॉस
के आर रोड
बनाशंकरी द्वितीय स्टेज
बंगलुरु – 560 070
टेली: +91 80-26970500
ई-मेल: ho@nabfins.org

नैबवेंचर्स लिमिटेड

नाबार्ड प्रधान कार्यालय

द्वारा नाबार्ड
आठवां तल, 'सी' विंग
प्लॉट सं. सी-24, 'जी' ब्लॉक
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
टेली. सं.: 022-2653 9149
ई-मेल: nabventures@nabard.org

नैबफ़ाउंडेशन

नाबार्ड प्रधान कार्यालय,

प्लॉट सं. सी-24, 'जी' ब्लॉक
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
टेली. सं.: 022-2653 9590
ई-मेल: nabfoundation@nabard.org

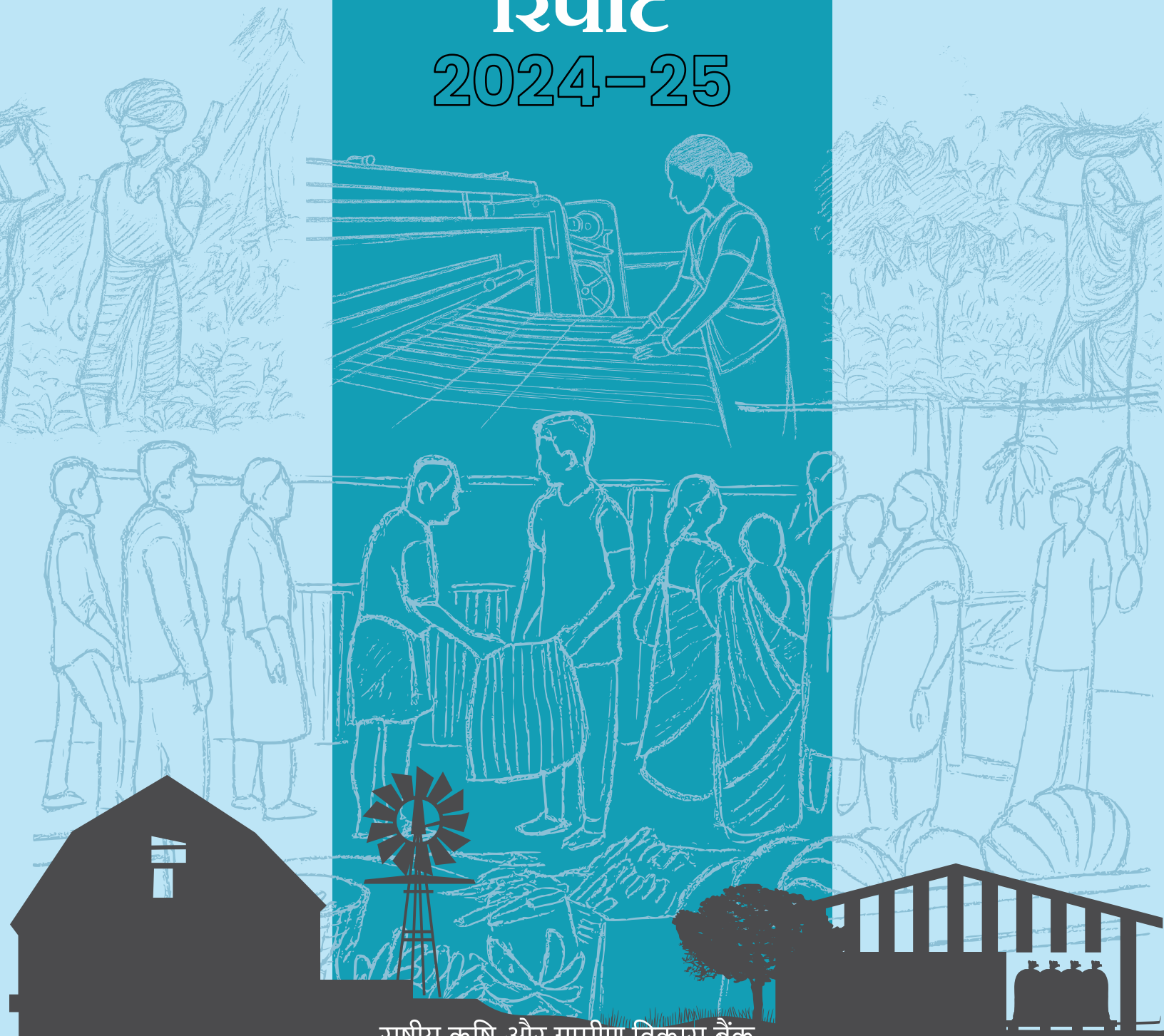
नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

प्लॉट सं. सी-24, 'जी' ब्लॉक
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
टेली: 022-26539410
ई-मेल: ho@nabsanrakshan.org

नाबार्ड

वार्षिक रिपोर्ट 2024–25



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

YouTube /nabardonline

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward